मात्स्य, खंड 26, अंक 3

बुधवार, 17 जुलाई, 2002
26 आषाढ़, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 26 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 2...54
Date 13/6/2003

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 3, बुधवार, 17 जुलाई, 2002/26 आषाढ़, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 44	2-37
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 45 से 60	37-137
अतारांकित प्रश्न संख्या 401 से 615	137-418
सभा पटल पर रखे पए पत्र	418-420
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
छब्बीसवां प्रतिवेदन	420
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में	
भारत में प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के बारे में सरकार का निर्णय	425-432
आतंकवाद निवारण अधिनियम (पोटा) के कथित दुरूपयोग के बारे में	432-458
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
देश में कच्चे रेशम के उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याएं	459-480
श्री के. येरननायडू	459, 461-463
श्री काशीराम राणा	459-460, 473-476
श्री एच.डी. देवगौडा	463-467
श्री के.एच. मुनियप्पा	467-470
श्री आर.एल. जालप्पा	471-473
नियम 377 के अधीन मामले	480-487
(एक) महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण फैला रही सीमेंट फैक्ट्री को अन्यत्र ले जाए जाने की आवश्यकता	
श्री वाई.जी. महाजन	480

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(दो)	झारखंड में रांची में एक बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम टहल चौधरी	480
(तीन)	जम्मू-तवी एक्सप्रैस को राजस्थान में अजमेर तक चलाए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. रासा सिंह रावत	481
(चार)	राजस्थान के जोधपुर शहर में रक्षा मंत्रालय द्वारा आवाप्त भूमि में से होकर ग्रामवासियों के लिए रास्ता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	481
(पांच)	संचयनी फाइनेंस के निवेशकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री किरीट सोमैया	482
(छह)	केरल में तिरूअनंतपुरम में मुख्यालय रखते हुए रेलवे का एक जोन बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री कोडीकुनील सुरेश	482
(सात)	राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना तौनात किए जाने से किसानों को उनकी फसल और पशुधन को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	482
(आठ)	नागपुर में मुख्यालय रखते हुए एक अलग रेलवे जोन बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री विलास मुत्तेमवार	483
(नौ)	पश्चिमी बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में मंडलीय रेल प्रबंधक (डी आर एम) कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती मिनाती सेन	483
(दस)	प्रोफेसर इमेरिट्स की छात्रवृत्ति प्रदान करने के प्रयोजन से दूर-दराज के क्षेत्रों के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षाविदों को विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षाविदों के समकक्ष माने जाने की आवश्यकता	
	श्री वाई.वी. राव	484
(ग्यारह)	उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चहुंमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता	
	श्री धर्मराज सिंह पटेल	485
(बारह)	फिल्म निर्माताओं द्वारा ऐतिहासिक फिल्मों के निर्माण में ऐतिहासिक चरित्रों की सच्ची कहानी का चित्रण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	डा. नीतिश सेनगुप्ता	485-486
(तेरह)	बिहार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री नवल किशोर राय	486

विषय		कॉलम
(चौदह)	आतंकवाद का सामना करने के उद्देश्य से राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए हरियाणा सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	डा. सुशील कुमार इन्दौरा	486-487
(पन्द्रह)	पश्चिमी बंगाल में झारग्राम और पुरूलिया के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
	श्री बीर सिंह महतो	487
नियम 193 के अधीन चर्चा		
भारत में प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के बारे में सरकार का निर्णय		487-586
	बेगम नूर बानो	487-491
	श्री किरीट सोमैया	491-501
	श्री रूपचन्द पाल	501-508
	श्री भर्तृहरि महताब	508-512
	श्री मुलायम सिंह यादव	512-516
	श्री शरद पवार	516-525
	श्री खारबेल स्वाइं	525-530
	कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	530-532
	श्री कालवा श्रीनिवासुलु	532-533
	श्री पी.एच. पांडियन	533-536
	श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	537-541
	श्री इकबाल अहमद सरडगी	541-542
	श्री सुरेश रामराव जाधव	542-544
	श्री राशिद अलवी	544-547
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	547-550
	श्री जे.एस. बराड़	551-555
	कुंवर अखिलेश सिंह	555-557
	श्री प्रबोध पण्डा	557-558
	श्री रामदास आठवले	558-559
	श्रीमती सुषमा स्वराज	559-586

लोक सभा

बुधवार, 17 जुलाई, 2002/26 आषाढ़, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, तमिलनाडु में श्री वैको को पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस इस सदन के माननीय सदस्य श्री वाइको को पोटा के तहत गिरफ्तारी के बारे में दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी आप बैठिये। इसे आप जीरो आवर में उठाइये।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): यह महत्वपूर्ण मामला है, आप इस पर व्यवस्था दे सकते हैं। वह सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। हमारा आरोप है कि श्री वाइको के खिलाफ पोटा का राजनीतिक भावना से दुरूपयोग किया गया है। हम तत्काल उनकी रिहाई की मांग करते हैं। यह एक गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह गंभीर मामला जरूर है, लेकिन आप जीरो आवर में प्रश्न उठा सकते हैं। मैं किसी को कोई भी ऐसा प्रश्न क्वैश्चन आवर में उठाने नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उन्होंने आपका समर्थन किया था।...*(व्यवधान)* जो पहले विदेश संचार मंत्री हैं...*(व्यवधान)* उन्होंने पोटा का समर्थन किया था। सबसे पहले यह उन्हीं पर लगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इस मामले को गंभीरता से लें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप सब नियम जानते हैं। अभी आप बैठिये। मैं खड़ा हूं, आप बैठिये। आप इसे जीरो आवर में उठाइये।

श्री पी.सी. थामस।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सभी जिलों में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी सोसायटी

***41. श्री पी.सी. थामस:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सभी जिलों में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी सोसाइटी गठित करने के लिए निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी कितनी सोसाइटियों का गठन किया गया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी सोसाइटियों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, आज की तारीख तक देश में गठित किए गए एस पी सी ए की संख्या 307 है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एस पी सी ए को दी गयी वित्तीय सहायता निम्नवत् है:-

वर्ष	राशि
1999-2000	69,97,405
2000-2001	38,32,740
2001-2002	93,27,440
कुल	2,01,57,585

श्री पी.सी. थामस: महोदय, थोड़ी निर्दयता है। इस प्रश्न का उत्तर प्रधान मंत्री को देना था लेकिन मुझे लगता है कि विभाग बदल गया है...*(व्यवधान)* सूची के अनुसार, इसका उत्तर प्रधानमंत्री को देना है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, कृपया अब अपनी बात कहिये।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी.जोस: प्रधान मंत्री को अवश्य इसका उत्तर देना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री द्वारा यह कहते हुए उत्तर दिया गया कि देश में कुल 307 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी सोसायटी (एस.पी.सी.ए.) है और पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता के रूप में 2 करोड़ रु. से अधिक का अनुदान दिया गया है। यद्यपि, मैं कहूंगा कि राशि बहुत कम है और कम से कम केन्द्र सरकार की पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी सोसायटी (एस.पी.सी.ए.) को सहायता प्रदान करने की नीति है। पशुओं के प्रति निर्दयता बहुत बड़ा विषय है, यद्यपि मानव के प्रति निर्दयता उससे भी बड़ा विषय है। महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा जो इस तरह से है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया वह प्रश्न पूछिए।

श्री पी.सी. थामस: यद्यपि देश में कुल 307 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी सोसायटी (एस.पी.सी.ए.) हैं। फिर भी कई राज्यों में उनकी संख्या बहुत कम है। यद्यपि 14 जिले हैं फिर भी पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी सोसायटी (एस.पी.सी.ए.) की संख्या 12 है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि केरल राज्य में ऐसे कितने पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी सोसायटी (एस.पी.सी.ए.) है और अन्य राज्यों में कितनी हैं जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है। मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या किसी विशेष राज्य को कोई सहायता न देने की क्रूरता केन्द्र द्वारा दिखाई गई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या विशेषकर मेरे राज्य के प्रति केन्द्रीय मंत्री ने कुछ सहायता देने में उदारता बरती है या कोई सहायता न देने की क्रूरता की है।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, सबसे पहले, मैं अपने मित्र के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि न तो उनके प्रति मैं निर्दयी हूं और न किसी अन्य के प्रति और न ही किसी दुश्मन के प्रति भी निर्दयी होऊंगा।

महोदय, उन्होंने केरल राज्य के बारे में कुछ उपयुक्त प्रश्न पूछा है। क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत, केरल राज्य में 12 सोसायटियां स्थापित की गई हैं। छः का वित्त पोषण पशु कल्याण बोर्ड द्वारा किया गया था और वर्ष 1999-2000 में करीब 2,41,518 रु. का वित्त पोषण किया गया था; वर्ष 2000 में त्रीसूर पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी सोसायटी को 15000 रु. दिए गए थे; और वर्ष 2001-02 में कोल्लम पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी सोसायटी को 25,000 रु. दिए गए थे। जहां तक 307 इकाईयों का संबंध है, उन इकाईयों को 306 जिलों में स्थापित किया गया है। इसलिए सभा की सूचना के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दो वर्ष पूर्व मात्र 145 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी सोसायटियां थीं और दो वर्षों में ही 100 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हो गई। अब, 307 इकाईयां हैं और केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के सम्पर्क में है। यदि वे और अधिक पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी सोसायटियों की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं, तो हम अवश्य ऐसे सोसायटियों को प्रोत्साहित करेंगे।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, पाले जाने वाले पशुओं और चिड़िया घर या अन्य स्थानों में रखे जाने वाले पशुओं को उचित भोजन देने में नौकरशाही स्तर पर बहुत भ्रष्टाचार है। उदाहरणस्वरूप, मैंने अखबार में एक आरोप के बारे में पढ़ा था कि एक चिड़िया घर में—मुझे खेद है यह केरल में है—पशुओं के भोजन के लिए नियत की गई कुल धनराशि ली गई है और पशुओं के लिए नगण्य राशि ही खर्च की गई थी। महोदय निश्चय ही यह पशुओं के प्रति निर्दयता बरती जा रही है। मैं मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह उनकी जानकारी में आया है और यदि नहीं, तो क्या उन्होंने मामले की जांच करवाई?

महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि वे यह देखते हुए इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठायेंगे कि चिड़ियाघरों और अन्य स्थानों में रह रहे पशुओं को भोजन प्रदान करने के लिए निर्धारित धनराशि का उचित व्यय किया जाए। मैं मंत्री से भ्रष्टाचार हटाने का भी निवेदन करूंगा जिसके बारे में आरोप लगाया गया।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से जुड़ा नहीं है। लेकिन जब वह किसी चिड़ियाघर विशेष के बारे में चिंतित हैं तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

महोदय, सभा की सूचना के लिए मैं कहना चाहूंगा कि त्रिवेन्द्रम चिड़ियाघर में कुछ कदाचार हो रहे हैं। उस संबंध में, हमें कुछ सूचना मिली है। लेकिन हमने वास्तव में इस मुद्दे की छानबीन नहीं की है। अहाते के उन्नयन के लिए वर्ष 1997-98 में हमने 30 लाख रु. व्यय किया था। वर्ष 2000-01 में सरकार ने 46.40 लाख रु. दिया था और हमने 82.75 लाख रु. दिया था। कुल 159.15 लाख रु. प्रदान किए गए। यदि श्री थामस को किसी

विशेष चिड़ियाघर के बारे में कुछ विशिष्ट रिपोर्ट मिले हैं, तो वे वह सूचना मुझ तक भिजवा सकते हैं। मैं निश्चित रूप से मामले की जांच करवाऊंगा। यदि कोई कदाचार की घटना पाई गई, तो केन्द्र सरकार द्वारा इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

श्री रमेश चेन्नितला: अध्यक्ष महोदय, प्रयोग के उद्देश्य से पशुओं के उपयोग के संबंध में कुछ विवाद है। स्वास्थ्य मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के बीच विवाद था। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि सरकार की इस संबंध में क्या नीति है।

महोदय, धनराशि के उपयोग के संबंध में कुछ आरोप हैं और कमियां हैं।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या पर्यावरण मंत्रालय इस इकाई के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करेगा कि धनराशि का उचित उपयोग किया गया या नहीं। मुझे आशा है कि सरकार इसकी सावधानी पूर्वक जांच करेगी।

श्री टी.आर. बालू: कुछ विशेष नियम हैं जिसके अंतर्गत पशुओं पर प्रयोग किया जा सकता है। यह विशेष कार्य अवैध नहीं हैं; यह विधि सम्मत हैं। और प्रयोग के दौरान किसी विशेष पशु या पशुओं पर निर्दयता जितना संभव हो सके कम होना चाहिए और यह भी देखा जाएगा कि उनका उचित उपचार कर कुछ समय बाद उन्हें स्वस्थ कर दिया जाए।

जहां तक इन प्रयोगों पर नजर रखने का संबंध है, पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से एक पृथक समिति स्थापित की गई है। प्राय: सभी वरिष्ठ सचिव वहां हैं। सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सचिव, शिक्षा विभाग, डा. मंजु शर्मा, सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, सचिव पशुपालन विभाग सभी वहां हैं। इस समिति में 20 जिम्मेदार विशेषज्ञ और सचिव हैं। वे प्रयोगों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखेंगे कि पशुओं पर क्रूरता न हो। निश्चित रूप से, यदि किसी क्रूरता का पता चला उन्हें दंड दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती जस कौर मीणा: धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहती हूं कि उन्होंने प्रश्न संख्या 41 के भाग ''ख'' के उत्तर में बताया है कि 307 ऐसी संस्थाएं हैं जो पशुओं की क्रूरता निवारण के लिए गठित हैं। मैं उनके ध्यान में यह भी लाना चाहती हूं कि जीव दया मंडल के नाम से भी संस्थाएं गठित हैं जो पशुओं की क्रूरता निवारण के लिए कार्य करती हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जीव दया मंडल नामक संस्था को सरकार की ओर से कितना धन दिया गया है?

मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहती हूं कि सवाई माधोपुर के रणथम्भौर नैशनल पार्क में टाइगर सेव नाम से एक संस्था गठित है। इसी प्रकार से कहीं टाइगर सेव, कहीं पशु सेव, कहीं जीव दया मंडल और कहीं किसी और नाम से देश में पशुओं की क्रूरता निवारण हेतु अनेक संस्थाएं गठित हैं। मैं बताना चाहती हूं कि सवाई माधोपुर की नैशनल टाईगर सेव नामक संस्था को राष्ट्रीय धन तो मिलता ही है इसके साथ-साथ एफ.सी.आर.ए. के माध्यम से विदेशों से भी धन मिलता है।

माननीय मंत्री जी ने तीन वर्ष के आंकड़े दिए हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि लगभग ढाई करोड़ रुपए पशु क्रूरता निवारण के लिए केन्द्र सरकार की ओर से विभिन्न संस्थाओं को दिए गए हैं, लेकिन क्या उनके ध्यान में यह बात है कि टाइगर सेव नामक संस्था को विदेशों से भी लगभग पांच करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिल रहे हैं यदि इस बारे में उनके मंत्रालय को जानकारी है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि और ऐसी कितनी और कौन-कौन सी संस्थाएं हैं जिनको विदेशों से धन मिलता है और उनको विदेशों से कितना-कितना धन मिला है, इसका पूरा ब्यौरा बताएं?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैं अपनी बहन के प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि यह राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से जुड़ा है। मैं यह कह सकता हूं कि वर्ष 1999-2000 के दौरान पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी सोसायटी (एस.पी.सी.ए.) को वित्तीय सहायता के रूप में 69,097,405 रु. दिए गए थे। वर्ष 2000-2001 में 38,32,740 रु. और वर्ष 2001-2002 में 93,27,440 रु. दिए गए और इस तरह से भारत भर में स्थापित इकाइयों को वित्तीय सहायता के रूप में कुल 2,01,57,585 रु. दिए गए हैं। केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ही हमने वर्ष 2001-2002 में 1,16,29,441 रुपये दिए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती जसकौर मीणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जीव दया मंडल नामक संस्था, जो पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण के लिए गठित की गई है, उसे कितना धन केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया, यह भी मंत्री जी से पूछा था, लेकिन मंत्री महोदय ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा आग्रह है कि वे इस बारे में बताएं?

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास पाटील: अध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या आज की तारीख में भी ऐसी पशुओं पर

क्रूरता निवारण संबंधी सोसायटियां (एस.पी.सी.ए.) वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। पुणे जिले के पशुओं पर क्रूरता निवारण संबंधी सोसायटी के भूतपूर्व अध्यक्ष के रूप में, मैंने अनुभव किया कि ऐसी सोसायटियों के लिए कोई भी दमड़ी (कार्थिंग) नहीं है। उन्हें दानकर्त्ताओं द्वारा दी गई सुविधाओं के आधार पर ही चलाया जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसे उद्यम के लिए पर्याप्त प्रचार करने के बारे में सोच रही है जिसमें लोग दान दे सकेंगे यदि आयकर अधिनियम की धारा 80(छ) के अंतर्गत कुछ रियायत दी जाए। मुझे आशा है कि इस तरह से काफी धन एकत्रित हो जाएगा और सोसायटियों को सही तरीके से चलाया जा सकेगा। मैं पुनः पूछूंगा कि क्या सरकार प्रचार करेगी और दानकर्त्ताओं को कुछ रियायत दी जाएगी ताकि पकड़े जाने वाले भटकते पशुओं को उचित भोजन मुहैया कराई जा सके, उनके लिए चलाए जाने वाले अस्पताल पूर्ण सुसज्जित हों और ऐसे पशुओं को दी जाने वाली दवाओं को खरीदा जा सके। यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार कोई योजना बनाएगी?

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैं इस प्रतिष्ठित सभा को बताऊंगा कि धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसी समय, केन्द्र सरकार के पास यदि राज्य सरकारों से कोई विशेष प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी है कि पशुओं की क्रूरता से संबंधित सोसायटियों की संख्या 307 है और ढाई करोड़ रुपये के आस-पास पिछले तीन सालों में इनको राशि दी गई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उसका कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र इनके पास आया है? मंत्रालय ने उस उपयोगिता प्रमाण-पत्र की यदि विधिवत् जांच की है तो क्या प्रतिवेदन आये हैं?

मैं बिहार से आता हूं। प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में कितनी सोसायटीज हैं और बिहार को कितनी धनराशि इन तीन सालों में दी गई है। आप बिहार का संरक्षण करेंगे। जहां तक मुझे जानकारी है बिहार में कोई धन नहीं दिया गया है। बिहार की इस मामले में भी उपेक्षा हो रही है।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: जहां तक बिहार का संबंध है मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व के पूरक प्रश्न का उत्तर दिया, धन की कमी नहीं है। सिर्फ प्रस्ताव आना चाहिए.....

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय: हमने यूटीलाइजेशन चैकिंग एंड रिपोर्ट के बारे में पूछा है।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: उपयोगिता प्रमाण-पत्र और प्रस्ताव प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार को निश्चित रूप से धन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय: हमने बिहार की सोसायटीज के बारे में भी पूछा है।

अध्यक्ष महोदय: आप बार-बार कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, पूर्व पशु कल्याण मंत्री और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के बीच उठा विवाद अभी हमारे दिमाग में ताजा है श्रीमती मेनका गंधी द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था कि जब हमारे अनुसंधान प्रयोगशालाओं में पशुओं का उपयोग किया जाता है तो वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि विवाद के बाद दोनों मंत्रियों को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। और आगे आरोप है कि विभिन्न राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में केन्द्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों के साथ जंगली सुअर से भी क्रूरतर व्यवहार किया गया था। मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार इस तरह की क्रूरताओं में हस्तक्षेप करेगी या नहीं।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, यह प्रश्न काल है और मैं अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त नहीं करना चाहता।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, प्रश्न काल का लाभ उठाकर राज्य सरकारों पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। कोई भी मंत्री कानून से ऊपर नहीं होता। यदि किसी मंत्री ने डी आई जी को खरीदा है तो उस पर कानून के तहत कार्रवाई होगी ही।...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: प्रश्नकाल के दौरान राजनीतिक प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते हैं। ये राजनीतिक रस्साकस्सी किसी और समय हो सकती है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार पशुओं पर जो अत्याचार होता है, उसके बारे में सोच रही है, लेकिन आदमियों पर जो अत्याचार होता है, उस अत्याचार को खत्म करने के लिए भी इसी तरह की सोसायटीज बनाने की आवश्यकता है। मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप पशु क्रूरता निवारण संबंधी जो सोसायटीज निर्माण कर रहे हैं, वे क्या काम करने वाली हैं? इसके अलावा आप उनको जो फंड दे रहे हैं, वह बहुत कम है। हमारा कहना है कि जिस तरह आदमियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। उसी तरह इस देश में रहने वाले पशुओं की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी सरकार पर है। यदि आपको अपना राज चलाना है तो उनकी भी रक्षा करनी होगी। यदि आप उनकी रक्षा नहीं करेंगे और जंगल से सारे पशु बाहर आ जायेंगे फिर आपको अपनी सरकार चलाना मुश्किल हो जायेगी।

सरकार से मेरा निवेदन है कि जब गाय आपकी माता है तो बैल आपका पिता होना चाहिए। आज आप ऐसा नहीं मानते हैं। हमारा सवाल इतना ही है कि पशुओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है और खाली 307 सोसायटीज बनाने से पूरे देश की पशुओं की रक्षा नहीं होगी। इसलिए और सोसायटीज की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की भी आवश्यकता है। आपने प्राइवेटाइजेशन करके बहुत पैसा कमाने का प्रयत्न किया है। हमारा कहना है कि इसके लिए ज्यादा सोसायटीज होनी चाहिए और उनको ज्यादा फंड देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपको प्रश्न के बाद वाले हिस्से का जवाब देने की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। आपके प्रश्न को सबने मजा लिया, लेकिन उत्तर ऐसा नहीं है, जिसका मजा लिया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, पशुओं के साथ, विशेष रूप से उन पशुओं के प्रति, जो विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए उपयोग किए जाते हैं, होने वाली क्रूरता निश्चित रूप से मूल चिन्ता का विषय है ही, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहता हूं। वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ऐसे पशुओं की, जो वन्य पशु हैं, जैसे बंदर, खरगोश, चूहे और अन्य प्रजातियों के पशु हैं, उनके परीक्षण करने की एक आयु होती है और एक निश्चित, निर्धारित आयु के बाद वे परीक्षण के लिए उपयोगी नहीं रह जाते। देखने में यह आया है और वैज्ञानिक परीक्षण के बाद सिद्ध हुआ है कि ऐसे पशुओं का, जो परीक्षण के उपरान्त उपयोगी नहीं रह जाते और जिनके अंदर विभिन्न रोगाणुओं की मौजूदगी होती है, परीक्षण की आयु के बाद के डिस्पोजल, उनके रख-रखाव, उनके भोजन, पानी और ऐसे वातावरण में रखने का जिससे वे उन रोगाणुओं को अन्य लोगों तक न फैला सकें, इस संबंध में वैज्ञानिक क्षेत्रों में चिन्ता जताई गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके विभाग ने कोई ऐसी योजना निर्धारित की है, किसी ऐसी योजना का प्राक्कलन किया है जिसके माध्यम से ऐसे पशु, जो उपयोगी नहीं रह जाते, उनका रख-रखाव हो सके, वे अन्यत्र रोगाणुओं का डिसपर्सल न कर सकें और उन पशुओं के साथ जो क्रूरता का व्यवहार होता है, उनके रख-रखाव में जो कमी आती है, उस पर नियंत्रण किया जा सके? यदि ऐसी कोई व्यवस्था की गई है तो कृपा करके उसे विस्तार से बताएं?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: हमने देशभर में 300 पशुओं की क्षमता वाले पांच बचाव केन्द्र स्थापित किए हैं, हम उन पशुओं को बचाते हैं जिन पर क्रूरता हो रही होती है। हम पशुओं की देखभाल करते हैं और चिकित्सा सहायता देते हैं। यदि स्वास्थ्य परिचर्चा के बाद पशु ठीक हो जाता है तो उसे पहले वाले स्थान पर लाया जाता है। चिकित्सा सहायता के बाद उन्हें उनके स्थान पर ले जाकर आजाद कर दिया जाता है।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पैसीफिक प्रश्न पूछा था।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपने क्या प्रश्न पूछा था, वह मुझे मालूम है। उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: उसका उत्तर नहीं आया है। मैंने जानना चाहा था कि अगर रोगाणुयुक्त पशुओं को बाहर छोड़ दिया जाएगा तो उन रोगाणुओं का प्रसार होगा।...*(व्यवधान)* उनके बारे में आपकी क्या नीति है, क्या कार्यक्रम और क्या योजना है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता?...*(व्यवधान)*

भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा मोबाइल टेलीफोन जारी करना

*42. **श्री भीम दाहाल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने मोबाइल टेलीफोन जारी किए गए हैं;

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2002-2003 के दौरान कितने मोबाइल फोन कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) दोषयुक्त सेवा के बारे में उपभोक्ताओं से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सेवाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) बीएसएनएल ने अभी तक व्यापक स्तर पर मोबाइल फोन सेवा शुरू नहीं की है, तथापि एक सी-डाट प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 30.06.2002 तक इस प्रायोगिक परियोजना से जारी किए गए मोबाइल टेलीफोनों की संख्या 8450 है।

(ख) भारत संचार निगम लि. ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए मुख्य जीएसएम सेल्युलर परियोजना पर देशभर में 24 लाख मोबाइल फोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ग) और (घ) इस प्रायोगिक परियोजना से संबंधित नेटवर्क समस्याओं और सेवा में व्यवधान के बारे में बिहार और पश्चिम बंगाल से कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जहां ये सेवाएं इस समय प्रचालन में हैं। भारच संचार निगम लि. साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सी-डाट और आई टी आई से लगातार संपर्क बनाए हुए है। स्थिति में काफी सुधार हुआ है तथा उनमें और आशोधन किए जा रहे हैं।

श्री भीम दाहाल: मैं जो अनुपूरक प्रश्न करना चाहता था, वह मंत्री जी द्वारा प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के उत्तर से स्पष्ट हो गया है। आपकी अनुमति से, मैं प्रश्न के रूप में नहीं बल्कि सुझाव के रूप में सिक्किम की बात करना चाहता हूं। मैं सिक्किम के लोगों की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने संचार विभाग द्वारा सिक्किम में ग्राम स्तर तक किए गए विस्तार कार्य की सराहना की है। लेकिन, विस्तार कार्य के लिए समुचित बुनियादी सुविधाएं और उपकरण मुहैया नहीं कराए गए।

इसके अतिरिक्त, ऐसे पर्यवेक्षण अधिकारी जिन्हें प्रणालियों की देखरेख के लिए गांवों में जाना होता है, वे अपना यह काम नहीं कर रहे हैं। नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भी यही हाल है। क्या मैं इस संबंध में मंत्री जी को वहां पर समुचित प्रणाली स्थापित करने में दूरसंचार विभाग को आ रही कठिनाइयों का समुचित सर्वेक्षण और जांच का सुझाव और निवेदन कर सकता हूं?

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, यह सुझाव कार्यान्वयन योग्य है। हम दूरसंचार सेवाओं में, विशेषत: पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के लिए सदैव तत्पर हैं क्योंकि पूर्वोत्तर में दूरसंचार ही परिवहन का बुनियादी साधन है। हालांकि मैं आशा कर रहा था कि माननीय सदस्य यह कहेंगे कि सिक्किम में मोबाइल टेलीफोन सेवा कब शुरू की जा रही है? उन्होंने यह प्रश्न नहीं किया जबकि प्रत्यक्ष यही प्रश्न होना चाहिए था। मैं इस अवसर पर उन्हें दूरसंचार संबंधी सामान्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार का आश्वासन देता हूं। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि हम सिक्किम में विशेषत: इसके चार शहरों, नामत: गंगटोक, गेजिंग, मंगोन और नामची में मोबाइल सेवा शुरू करने जा रहे हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड इन चारों शहरों में लगभग 10,000 लाइनें देगा और 1 जनवरी, 2003 से 31 मार्च, 2003 के बीच इन सभी शहरों में मोबाइल संचार प्रणाली चालू हो जाएगी। हम बुनियादी सुविधाओं के संबंध में माननीय सदस्य के सुझावों पर भी ध्यान देंगे।

श्री भीम दाहाल: धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न का ज़वाब भी दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक डैडलाइन है, जिसके अन्दर पूरे हिन्दुस्तान के सभी सर्किल्स में मोबाइल सर्विस चालू हो जाएगी,

लेकिन जो आपकी सर्विसेज हैं, जो परफोर्मेंस लेबिल है, वह अंतर्राष्ट्रीय लेवल का नहीं है, जबकि बी.एस.एन.एल. इंडिपेंडेंट कार्पोरेशन बन चुका है, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? साथ में टैरिफ के लिए भी मैं पूछना चाहता हूं कि जो आई.टी. से सम्बन्धित स्टेंडिंग कमेटी है, उसने भी अपनी सिफारिश की है, बल्कि नाराजगी जताई है कि जो टैरिफ पहले सजैस्टिड थे, उनको बढ़ा दिया गया है, स्पेशली डब्ल्यू.एल.एल. के लिए, जो कि फिजीबल नहीं है, माननीय मंत्री जी उसके लिए क्या कर रहे हैं?

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष जी, जहां तक पहली मोबाइल सेवा की बात है, अभी भारत संचार निगम की मोबाइल सेवा तो आरम्भ ही नहीं हुई है। अभी तक जो सेवा बिहार और बंगाल में थोड़ी बहुत दी जा रही थी, वह केवल एक पायलट प्रोजैक्ट के रूप में थी। मोबाइल सेवा भारत संचार निगम की शुरू करने की व्यवस्था अगस्त के अन्त से प्रारम्भ होगी और अगस्त के अन्त से लेकर अगले वर्ष मार्च के अन्त तक भारत संचार निगम का यह प्रयास है कि भारतवर्ष के 1000 प्रमुख नगरों में भारत संचार निगम की ओर से ये सेवाएं दी जायें, जिसमें कम से कम सभी जिला मुख्यालयों पर यह सेवा 31 मार्च तक उपलब्ध हो, इस प्रकार का प्रयास है। जब यह सेवा दिए जाने का प्रयास हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरण इसमें मंगाये गये हैं, वे लगाये जाएंगे, क्योंकि भारत संचार निगम को इन सारे क्षेत्रों में कम से कम निजी क्षेत्र से स्पर्धा भी करनी पड़ेगी इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही इसे रखने का प्रयास हुआ है।

जहां तक उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है, अगर मैं ठीक से समझा हूं, वैसे वह मुख्य प्रश्न में नहीं आता है, लेकिन जो डब्ल्यू.एल.एल. का फ्लोर प्राइस है, 450 रुपये से कम आप नहीं ले सकते, इस प्रकार की एक टेलीकाम रैगुलेटरी एथारिटी की आज्ञा थी, लेकिन उन्होंने उसे भी बदल दिया है और दो सौ रुपये की कमी लाई है। इसके कारण डब्ल्यू.एल.एल. सेवा के बारे में जो स्थाई समिति ने सुझाव दिया था, बहुत से सदस्यों ने और मुख्यमंत्रियों ने भी कहा था, हमने भी टेलीकाम रेगुलेटरी एथारिटी से प्रार्थना की और उन्होंने वह मान ली है और इसलिए अब वह 200 रुपये से कम हुआ है तो डब्ल्यू.एल.एल. सेवा भी कम दाम पर उपलब्ध होगी। दूरसंचार के क्षेत्र में टैरिफ कम हो रहा है, हम होता जायेगा। इसके बढ़ने की अब कोई सम्भावना नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव: मेरा मामूली सा सवाल है।

अध्यक्ष महोदय: मामूली है तो बाद में पूछना चाहिए। यहां बहुत से सदस्यों ने नाम दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव: मध्य प्रदेश के भिंड में, उत्तर प्रदेश के एटा में, कानपुर में, फिरोजाबाद आदि जगहों में मोबाइल सेवा कार्यरत है, लेकिन मेरे क्षेत्र इटावा में नहीं है। क्या वहां मुलायम सिंह रहते हैं इसलिए नहीं है? अगर इसलिए नहीं तो मेरा क्या कसूर है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इटावा, कन्नौज, फरूर्खाबाद, मैनपुरी तथा औरइया में कब तक मोबाइल सेवा चालू कर दी जाएगी?

श्री प्रमोद महाजन: मुलायम सिंह जी इटावा में मोबाइल सेवा नहीं है, आपकी यह शिकायत मुझसे नहीं, निजी क्षेत्र से होनी चाहिए। कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में जितनी भी मोबाइल सेवाएं हैं, वे निजी क्षेत्र के हाथ में हैं। इटावा भी उसी में आता है। जब भारत संचार निगम यह सेवा शुरू करेगा, तब वहां भी चालू हो जाएगी।

श्री मुलायम सिंह यादव: आप निजी क्षेत्र पर दबाव डालें।

श्री प्रमोद महाजन: मैं उन पर दबाव डालने की जगह, यह कहना चाहूंगा कि भारत संचार निगम की मोबाइल सेवा इटावा में आगामी 31 मार्च से पहले, शायद दिसम्बर तक शुरू हो जाएगी और यह सभी जिलों में शुरू होगी। अगर फिर भी एकाध स्थान रह जाए तो आप बता दें।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने विवरण में चालू वित्त वर्ष के लिए समूचे राष्ट्र में 24 लाख मोबाइल फोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित कराने का उल्लेख किया है। मैं केरल के लिए निर्धारित लक्ष्य जानना चाहती हूं। इस संबंध में अब तक कितनी उपलब्धि हासिल की गई है?

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, केरल के लिए लगभग दो लाख टेलीफोन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जैसाकि मैंने कहा है, ये सेवाएं अगस्त के अंत में चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी और पूरे देश में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके दो चरण होंगे। पहला चरण अगस्त के अंत से दिसम्बर अंत तक होगा। दूसरा चरण मार्च अंत तक चलेगा। इन दो चरणों में जहां तक केरल का संबंध है, राज्य में भारत संचार निगम लिमिटेड दो लाख उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करेगा।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की जानकारी में है कि सरकार की योजना पूरे देश में संचार व्यवस्था फैलाने की है और इसे व्यक्ति-व्यक्ति तक पहुंचाने की भी योजना है। इसी के तहत आपने सीमित चल सेवा यानी डब्ल्यू.एल.एल. सेवा शुरू की है। गांवों में भी इसकी कुछ व्यवस्था हुई है। मेरा ऐसा

मानना है, मंत्री जी को भी इस बात की जानकारी होगी, कि डब्ल्यू.एल.एल. सेवा जो प्रोवाइड की जाती है, यह अत्यधिक महंगी है। गांव के लोग इसे खरीदने में सक्षम नहीं हैं। इसकी पूरी कीमत लगभग 14,000 रुपए आती है। अगर आप इस सेवा को गांवों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसको कुछ सस्ता करें। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसकी कमी भी बहुत ज्यादा है। अगर कोई गांव का व्यक्ति इसे लेना चाहता है तो उसे यह उपलब्ध नहीं होती। यह उपलब्ध क्यों नहीं है, क्या यह उपकरण कोई देशी कम्पनी बनाती है या किसी विदेशी कम्पनी से आप ले रहे हैं या क्या इसमें कोई गड़बड़ी है, जिसकी वजह से मांग पूरी नहीं हो रही है। क्या आप इस मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे या नहीं?

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष जी, शायद माननीय सदस्य का इशारा डब्ल्यू.एल.एल. सेवा के उपकरण की कीमत की ओर है कि वह 14,000 रुपए में मिलता है। आप सबको याद होगा कि जब जी.एस.एम. मोबाइल सेवा देश में आई थी तो उसके सैट की कीमत 50,000 रुपए तक थी लेकिन जैसे-जैसे मांग बढ़ती गई, उसकी कीमत अब पांच हजार रुपए से सात हजार रुपए तक घटकर रह गई है। आगे भी इसकी कीमत घटेगी। इसके उपकरण सरकार नहीं बनाती है। सरकार ऐसे उपकरण खरीदने वालों को सब्सिडी देने का भी कोई इरादा नहीं रखती है। जिस प्रकार इसकी मार्केट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ती रहेगी, उसके अनुसार इसकी कीमतें निश्चित रूप से घटेंगी।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, जब मंत्रालय ने वी.एस.एन.एल. में विनिवेश किया था तो देश भर में यह चर्चा थी कि माननीय मंत्री ने विनिवेश के माध्यम से टाटा समूह को लाने के विचार का विरोध किया है और वह इस निर्णय पर नाखुश हैं।

एअरलाइनों की तरह मोबाइल फोन अब प्रतिस्पर्धात्मक मामला बनता जा रहा है। इंडियन एअरलाइन्स का किराया ढांचा प्रतिस्पर्धात्मक बन रहा है और निजी और सरकारी एअरलाइनें के किरायों में लगातार गिरावट आ रही है। देश भर में 24 लाख मोबाइल फोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से तत्तसंबंधी राज्य-वार विवरण जानना चाहता हूं और उनसे यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह जानने के लिए बाजार में कोई आकलन किया है कि यह उभरती हुई वाणिज्यिक गतिविधि कितने समय तक लाभकारी गतिविधि बनी रहेगी जैसा कि निजी मोबाइल क्षेत्र ने अध्ययन किया है और निजी क्षेत्र देश में कुशलतापूर्वक सेवा संचालन कर रहा है।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं—हालांकि यह प्रश्न से संबंधित नहीं है—कि माननीय सदस्य ने सभा में जो कहा है कि मैंने विनिवेश का विरोध किया था, यह सच नहीं है। न मैंने विनिवेश का विरोध किया था और न इसे टाटा समूह को दिए जाने का विरोध किया था क्योंकि यह बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। भारत सरकार और टाटा समूह का विवाद विनिवेश प्रक्रिया के बाद टाटा समूह द्वारा किए गए निवेश के संबंध में था, वी एस एन एल में अब भी हम 26 प्रतिशत शेयरधारक हैं। लेकिन चर्चा इस विषय पर नहीं हो रही है। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने विनिवेश का विरोध नहीं किया था।

जैसाकि मैंने कहा, इन चीजों के पहले बाजार सर्वेक्षण किए जाते हैं। सभी को यह समझ लेना चाहिए कि दूरसंचार क्षेत्र देश का सर्वाधिक उदारीकृत क्षेत्र है। हम कह सकते हैं कि कोई भी, कहीं भी और किसी प्रकार की सेवा शुरू कर सकता है और जो कम्पनी सबसे अच्छी सेवा प्रदान करेगी वही बची रहेगी; चाहे वह निजी कम्पनी हो या अर्ध-सरकारी कम्पनी हो या कार्पोरेशन हो। अत: स्वाभाविक ही है कि बी एस एन एल को सेवाओं के मामले में कड़ी स्पर्धा का सामना है और बी एस एन एल की बुनियादी ताकत के आधार पर मुझे भरोसा है कि यह गला-काट प्रतिस्पर्धा में डटा रह सकता है। लेकिन सरकार के रूप में या सांसदों के रूप में हमारी रुचि न प्राइवेट कम्पनियों में होनी चाहिए और न वी एस एन एल में बल्कि हमारी रुचि इस बात में होनी चाहिए कि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छी सेवा मिले, यही वास्तविक दूरसंचार नीति है।

श्री वी.एस. शिवकुमार: महोदय, भारत सरकार की ओर से यह घोषणा की गई थी कि बी एस एन एल कन्याकुमारी से कोल्लम तक राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर मोबाइल सेवा प्रदान करेगा। लेकिन अब यह पता लगा है कि परास्सला और नेय्यटिंकरा के बीच की पूरी दूरी में सेवा प्रदान नहीं की जाएगी।

मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि वहां पर मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं हुई तो क्या केन्द्र सरकार उदयंकलंगर एक्सचेंज में एक नया टावर लगाने के लिए कार्रवाई करेगी?

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, जहां तक बी एस एन एल द्वारा मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना का संबंध है, बी एस एन एल अपने स्तर पर सभी जिला मुख्यालयों, लगभग 1,000 शहरों, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, सभी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों और सभी धार्मिक स्थलों पर सेवा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई को देखते हुए, इस समय माननीय सदस्य के इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है कि किसी राष्ट्रीय

राजमार्ग विशेष के किसी खंड विशेष में मोबाइल सेवा प्रदान की जाएगी या नहीं। किन्तु, मैं इसकी जांच अवश्य करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोबाइल सेवा उपलब्ध हो और यदि कोई समस्या है तो हम इसका शीघ्र ही समाधान करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, जो समस्या माननीय मुलायम सिंह जी ने कही, वही स्थिति हमारी है। गोपालगंज के दक्षिण में सीवान, उत्तर में मोतिहारी, पूर्व में मुजफ्फरपुर और पश्चिम में गोरखपुर में मोबाइल सेवा चल रही है लेकिन गोपालगंज, जो जिला मुख्यालय है, वह इससे वंचित है। मैंने इस बारे में माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा था और माननीय मंत्री जी ने लिखित में आश्वासन दिया था कि वहां 2600 मोबाइल कनैक्शन दे दिए जाएंगे लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस काम को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह जी और आदरणी रघुनाथ झा जी की शिकायत निजी क्षेत्र से है। निजी क्षेत्र कहां सेवा शुरू करे, इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। वे इस कार्य को व्यापारिक दृष्टि से करते हैं। भारत संचार निगम ने निर्णय किया है कि 31 मार्च तक वह सभी जिला स्थानों में यह सेवा देगा और उसमें गोपालगंज का भी निश्चित रूप से ख्याल रखा जाएगा। वह एक अप्रैल को मोबाइल टेलीफोन से मुझे बधाई दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री के.ए. सांगतम: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अपना प्रश्न पूछना चाहता हूं। देश के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरे देश में सेलुलर फोन और डब्ल्यू.एल.एल. सेवा दी गई है। किन्तु भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में डब्ल्यू.एल.एल. और मोबाइल टेलीफोन पर एक प्रकार का प्रतिबंध लगा रखा है। अब सरकार से मेरा सवाल है। क्या सरकार किसी भी क्षेत्र के लिए कोई प्रमाण-पत्र दे सकती है जो माफिया गतिविधियों से आतंकवादी गतिविधियों से या अलगाववादी गतिविधियों से मुक्त रहा हो? स्थायी समिति का सदस्य होने के नाते मैंने इस विषय पर रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सवाल जवाब किया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सीधा सवाल करें।

श्री के.ए. सांगतम: मैं यह पूछ रहा हूं। यदि मैं इसकी व्याख्या न करूं तो यह कठिन होगा। महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों मंत्रालयों से साक्षात्कार के बाद सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में इसकी अनुमति दी है। चांगलंग और तिरप जिलों, मिजोरम और सिक्किम को छोड़ दिया गया है। शेष पांच राज्यों में अभी भी सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध लगा हुआ है। आपके अनुसार यदि यही मानदण्ड है तो ऐसे में गुजरात, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगाना चाहिए था। कमोबेश इन सभी राज्यों के साथ और उन राज्यों के साथ भी भेदभाव बरता जा रहा है जहां पी.डब्ल्यू.जी. और नक्सलवादी गतिविधियां जारी हैं। इसलिए लोगों को समान अवसर प्रदान करने के निमित्त आपको पूर्वोत्तर राज्यों में मोबाइल फोनों की सेवा अवश्य देनी होगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आपको सीधा सवाल करना चाहिए। मुझे तीन और प्रश्नों पर चर्चा करनी है।

श्री के.ए. सांगतम: महोदय, हाल ही में स्थायी समिति के दौरे पर पूर्वोत्तर राज्यों का भ्रमण करने से पहले गृह मंत्रालय ने मुझे आश्वासन दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी से अब आप प्रश्न क्यों नहीं करते हैं?

श्री के.ए. सांगतम: महोदय, श्री प्रमोद महाजन पूर्वोत्तर राज्यों के प्रति काफी ध्यान रखते हैं। क्या वे सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की आपात बैठक बुलाकर उनसे यह कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में सेलुलर फोन और यहां तक कि डब्ल्यू.एल.एल. सेवा के उपयोग पर सुरक्षा कारणों से लगे प्रतिबंध को हटा लिया जाए जिससे वहां सहूलियत हो जाएगी और वहां के लोग खुश और संतुष्ट हो सकेंगे।

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्य की चिन्ताओं से अवगत हूं और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मोबाइल सेवाएं पूरे देश में दी जानी चाहिए और इनसे इस देश का एक इंच का कोना भी वंचित नहीं रहना चाहिए। इसलिए स्वाभाविक रूप से मोबाइल सेवाएं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: कब तक?...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: श्री आचार्य, क्या आप इंतजार करेंगे? महोदय, जैसाकि आप इस बात से अवगत होंगे कि जब कोई कम्पनी, चाहे वह निजी क्षेत्र की हो या सार्वजनिक क्षेत्र की, मोबाइल सेवा शुरू करती है तो उसे सुरक्षा एजेंसियों से मंजूरी लेनी पड़ती है, जब तक सुरक्षा एजेंसियां मंजूरी नहीं देती है कोई भी यह सेवा शुरू नहीं कर सकती है।...*(व्यवधान)* मैं उस पर आऊंगा। जब तक मैं अपनी बात को विस्तार से नहीं रखूंगा, तो

कैसे आप इसे समझेंगे? एक बार मैं सुरक्षा मामले की मंत्रिमंडलीय समिति के पास अनुमति मांगने के लिए गया था किन्तु दुर्भाग्यवश मुझे वह अनुमति नहीं मिली।

जहां तक मोबाइल सेवाओं का सवाल है, तो मैंने जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में मोबाइल सेवाएं देने हेतु मंत्रिमंडलीय समिति से अनुमति के लिए उसे एक दूसरा कैबिनेट नोट भी भेज चुका हूं। इस समय मैं पहले की अपेक्षा ज्यादा आश्वस्त हूं क्योंकि दोनों ही समितियों में आपके प्रयासों से मंत्रिमंडलीय समिति मुझे विशेष अनुमति प्रदान करेगी और ज्योंही यह अनुमति मिल जाती है-हमारा उपकरण पहले से ही तैयार है—हम अपने स्तर से कम से कम अवधि में ये सेवाएं देने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

इस्पात सामग्री और स्क्रैप के मूल्य

***43. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात संयंत्रों में विनिर्मित इस्पात सामग्री के मूल्यों में वृद्धि/कमी करने के लिए वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) क्या हाल ही में इस्पात संयंत्रों में, विशेषकर बोकारो इस्पात संयंत्र में, विनिर्मित की जा रही सामग्री/स्क्रैप तथा अन्य सामग्री के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्रों में विनिर्मित स्क्रैप और कुछ सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ङ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में 1991-92 में इस्पात मदों का नियंत्रण समाप्त करने के पश्चात सरकार इन मदों के मूल्य निर्धारित नहीं करती। विभिन्न इस्पात मदों की कीमतें विद्यमान बाजार परिस्थितियों तथा अन्य संबंधित कारकों के आधार पर संबंधित इस्पात उत्पादकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

(ख) से (ङ) इस्पात संयंत्रों में स्क्रैप का उत्पादन नहीं किया जाता, यह अपशिष्ट पदार्थ के रूप में प्रमुख इस्पात सामग्री के प्रसंस्करण के दौरान सृजित होता है। बोकारो सहित इस्पात संयंत्रों में हाल के महीनों में कई इस्पात मदों और स्क्रैप के मूल्यों में वृद्धि हुई है। देश के प्रमुख बाजारों में अप्रैल, 2002 की तुलना में मई, 2002 के दौरान मैल्टिंग स्क्रैप तथा री-रोलेबल स्क्रैप सहित विभिन्न इस्पात उत्पादों के मूल्यों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

अनुबंध

इस्पात उत्पादों के बाजार मूल्यों का रुझान

(मूल्य प्रति मीट्रिक टन/रुपए)

क्र.सं.	मद	कोलकाता		दिल्ली		मुंबई		चेन्नई		हैदराबाद	
		मई, 02	अप्रैल, 02	मई, 02	अप्रैल, 02	मई, 02	अप्रैल 02	मई, 02	अप्रैल, 02	मई, 02	अप्रैल, 02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	(क) बिलेट, 1000×1000 एमएम	11950	12000	125000	12500	11000	11000	13000	12800	12600	12000
	(ख) ब्लूम, 150×150 एमएम	12000	11700	12300	12300	10500	10500	12500	11800	12200	11000
2.	वायर रोड्स (क्वाइल), 6 एमएम	15450	15300	15500	15500	15500	15200	16000	16000	15700	15000
	वायर रोड्स (क्वाइल), 8 एमएम	14950	14600	15800	15800	15200	15000	15800	15800	15500	15500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	प्लेन राउंडस, 12 एमएम	14550	14400	15300	15300	15500	14800	15500	15200	15200	15000
4.	टार स्टील 10 एमएम	14800	13700	16000	16000	15800	15200	16000	15500	15300	15000
5.	एंगल, 50×50×6 एमएम	15650	15300	15000	14800	15400	15200	15600	15400	15000	14900
	एंगल 1000×1000×8 एमएम	14600	14400	15000	14800	15000	15000	15400	15000	15000	14800
6.	जायस्ट, 125×70 एमएम	16700	16500	15500	15500	16800	15800	17400	17000	16000	16000
	जायस्ट, 300×140 एमएम	18900	19700	16700	16700	19000	19000	18000	17500	16000	16000
7.	चैनल्स, 75×40 एमएम	15800	15000	15200	15200	15400	15200	16000	15800	15000	15000
	चैनल्स 100×50 एमएम	15200	15000	15200	15200	15400	15200	15600	15400	15000	15000
8.	प्लेट, 6 एमएम	15825	14300	15000	14500	17000	15000	16800	15400	15000	14800
	प्लेट, 8/10 एमएम	15800	14300	15000	14500	17000	15000	16400	15000	15000	16400
9.	एच आर क्वायल 2 एमएम	16600	15200	17000	16400	18000	15800	17200	15900	18000	15400
	एच आर क्वायल 3.15 एमएम	15700	14200	15500	15000	17500	15200	17000	15900	16500	15100
10.	सी आर क्वायल, 0.63 एमएम	19800	18800	20000	19500	20500	19000	23000	19500	19500	18500
11.	जी पी सीट, 0.63 एमएम	23600	20800	22000	21500	25500	25000	24000	24000	24000	24000
12.	जी सी सीट 0.63 एमएम	24100	22300	23000	22500	25500	25000	24500	24000	24500	24500
13.	कच्चा लोहा	9000	9000	9600	9500	9100	8500	9000	8800	8800	8800
14.	मेल्टिंग स्क्रैप	8000	7870	9000	9000	7200	6500	7200	7200	6500	6500
15.	एचबीआई/स्पंज आयरन	6100	6000	7600/ 7300	7500/ 7200	7000	6500	7200	7200	6500	6500
16.	री-रोलेबल स्क्रैप	—	—	—	—	11200	10400	11000	11000	—	—

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बोकारो इस्पात संयंत्र में प्रबंधन की विवेकहीन स्थिति और मैनेजमेंट की अवहेलना करने के कारण, वर्ष 2001 से लेकर आज तक प्रत्येक माह, बोकारो इस्पात संयंत्र में जो इस्पात सामग्री, स्क्रैप, सी.ओ.बी.टी. की अन्य सामग्री के प्रोडक्शन के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई है और ऐसी सामग्री के कितनी बार दाम घटाये गये हैं? मैं जानना चाहता हूं कि प्रोडक्शन सामग्री के मूल्यों के बारे में पूर्व विवरण क्या है?

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग 'ख' से 'ङ' का जो उत्तर दिया गया है, वह बिलकुल ही निराधार है और उसमें सदन को गुमराह करने का काम किया गया है। आपसे निवेदन है कि 2002 की जुलाई तक इस्पात के स्क्रैपों के मूल्यों में जो वृद्धि या कमी की गई है, उसकी जांच कराकर सदन को इसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाये।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: उदारीकरण से पहले इस्पात एक नियंत्रित मद थी। उसकी निर्माण क्षमता, मूल्यनिर्धारण और उसके वितरण पर नियंत्रण था किन्तु वर्ष 1991-92 में इस्पात मद पर से

नियंत्रण हटने के बाद सरकार इनके मूल्यों का निर्धारण नहीं करती है। यह अधिकांशत: बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है। जब बाजार मूल्य बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से इस्पात मद का मूल्य बढ़ जाता है। जहां तक बोकारो में स्क्रैप का सवाल है तो स्क्रैप के मूल्य का निर्धारण बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा गठित मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित होता है। मूल्य निर्धारण के बाद उपलब्ध स्क्रैप सभी आवेदक व्यापारियों को बेच दिया जाता है। यह सही है कि इसी बीच स्क्रैप का मूल्य बढ़ गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी स्क्रैप का मूल्य बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्क्रैप का मूल्य जुलाई-अगस्त 2001 के दौरान 117 से 120 अमेरीकी डालर तक था जबकि यह बढ़कर वर्तमान में 140 से 142 अमेरीकी डालर हो गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्क्रैप का वर्तमान मूल्य है। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी आती है, तो स्वाभाविक है कि इस्पात उत्पादों और स्क्रैप का मूल्य भी बढ़ जाता है, और यही चीज हमारे देश में हो रहा है। बोकारो इस्पात संयंत्र ने भी इसे बढ़ा दिया है। देश के सभी इस्पात संयंत्रों में गत तीन या चार महीनों के दौरान स्क्रैप और अन्य मदों का भी मूल्य बढ़ गया है।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस विषय में मेरा एक छोटा सा एक प्रश्न है कि जून-जुलाई में जब इसमें टैंडर किया गया, उसके उपरांत 10,500 रुपये प्रति टन बेसिक प्राइस था। फिर लाटरी निकालकर 4-5 आदमियों के बीच में उसका वितरण किस परिस्थिति में किया गया। जब दुनिया में स्टील का प्राइस घटता या बढ़ता रहा है लेकिन 2-3 दिन में तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, फिर क्यों वहां घंटे-घंटे में प्राइस डिक्रीज या इन्क्रीज हो रहा है। प्राइस घटने या बढ़ने की भी सीमा होगी कि महीने या 15 दिन में या 2 दिन में बढ़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या आज की तारीख में 2000-2001 से बेहतर मुनाफा करने के लिये पुनर्गठन समय सीमा का ब्यौरा दिया जायेगा। इसके बाद पैकेज की जरूरत पड़ेगी। फिर भी 1999-2000 वित्तीय वर्ष में अप्रैल से दिसम्बर के बीच में लगभग पचासों लाख रुपये का नुकसान हुआ है। आज की तारीख में किसी भी काम के लिए कोई सिस्टम होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं, उनकी जांच कराई जाए, इसकी सी.बी.आई. द्वारा जांच हो, ताकि भविष्य में व्यापारी वर्ग को सही ढंग से सामान उपलब्ध हो सके।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पर्टीकुलर कम्पलेन्ट है। यदि वह इसे लिखकर देंगे तो मैं उनकी शिकायत की इंक्वायरी जरूर कराऊंगा।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: महोदय, आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी इस्पात संयंत्र किन्हीं कारणों से देश के उत्तरी भागों में ही स्थित हैं। इस्पात को केरल और अन्य दक्षिणी भागों में रेल या अन्य माध्यमों से लाया जाता है। रेल का कोच्चि में उसका अपना स्टाकयार्ड हुआ करता था। उसने कोच्चि में विशेषरूप से एक स्टाकयार्ड लिया था और वहां रेलहेड्स भी हुआ करते थे। आज स्थिति यह है कि वहां कोई रेलहेड्स नहीं है। मैंने माननीय मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड या इस्पात मंत्रालय कृपया कर वहां इसकी सुविधा के लिए रेलहेड्स लगाएंगे। माननीय मंत्री ने मुझे जवाब दिया जिसमें कहा गया कि वे इन सब चीजों को हटाकर केरल में पारेषण एजेंसी प्रणाली लाने पर विचार कर रहे हैं। क्या इस्पात मंत्रालय की पूरे देश में यह पारेषण एजेंसी प्रणाली लाने की नीति है या फिर यह केवल केरल जैसे कुछ राज्यों के लिए है?

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल अलग प्रश्न है। नियंत्रण या विकेन्द्रीकरण आदि के बाद, सेल या अन्य सरकारी एजेंसियां अब उन सब चीजों को नहीं करेगी जो कभी उसके विभाग के माध्यम से पहले हुआ करती थी। अब यह काम सेल की नीति के अनुसार जहां कहीं भी संभव हो पारेषण एजेंटों के माध्यम से ही हो सकेगा।

[हिन्दी]

श्री ताराचंद साहू: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसके लिए नाम दिया है। मैं भिलाई स्टील प्लांट से आता हूं...*(व्यवधान)*

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की भारत-यात्रा

+

*44. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:***
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने अप्रैल, 2002 से आज की तिथि तक भारत की यात्रा की;

(ख) प्रत्येक गणमान्य व्यक्ति के साथ किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया;

(ग) उनकी भारत-पाक सीमा तनाव पर क्या प्रतिक्रिया रही है;

(घ) क्या उनके साथ किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ङ) महोदय, इस अवधि के दौरान कई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत की यात्रा पर आए। विदेश मंत्रालय ने जिन यात्राओं की व्यवस्था की, उनके बारे में सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	गणमान्य व्यक्ति का नाम, पदनाम और यात्रा की तारीख	वे मसले जिन पर चर्चा हुई	भारत-पाक सीमा पर तनाव की ओर उनकी प्रतिक्रिया	सम्पन्न द्विपक्षीय करारों, यदि कोई हो, के ब्यौरे
1	2	3	4	5
1.	महामान्या श्रीमती मेगावती सुकर्णेपुत्री, इन्डोनेशिया गणराज्य की राष्ट्रपति (1-5 अप्रैल, 2002)	राष्ट्रपति मेगावती के साथ एक बड़ा व्यवसाय शिष्टमंडल भी आया। राष्ट्रपति मेगावती ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया विशेषकर व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, पारिस्थितिकीय संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी और साझी हित-चिन्ता के अन्य क्षेत्र। इन्डोनेशिया में रेल परियोजनाओं, दूरसंचार, विद्युत परियोजनाओं, दूरसंचार, विद्युत परियोजनाओं और बंदरगाह विकास में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करने में भागीदारी करने की भारत की रुचि से अवगत कराया गया। सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में सहयोग पर भी चर्चा हुई। भारत ने इन्डोनेशिया को उनके फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान एवं इन्डोनेशिया में फैशन डिजायन संस्थान की स्थापना के लिए समर्थन करने की पेशकश की। इन्डोनेशिया और भारत के विश्वविद्यालयों में एक-दूसरे की पीठों की स्थापना का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। भारत ने	इंडोनेशिया ने पारंपरिक रूप से हमारी स्थिति के प्रति समझबूझ दिखाई है।	1. राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा से छूट से सम्बद्ध करार। 2. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष संस्थान के बीच बाह्य अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध समझौता-ज्ञापन। निर्माण के क्षेत्र के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना से सम्बद्ध समझौता-ज्ञापन। इसके अलावा, एक-दूसरे के व्यवसाय से सम्बद्ध अन्य नौ समझौता-ज्ञापन भी सम्पन्न हुए।

1	2	3	4	5
		जकार्ता में भारत-आसियान जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र एवं भारत आसियान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की भी घोषणा की।		
2.	महामान्य व्लादिमीर रूसाइलो, रूसी परिसंघ की सुरक्षा परिषद के सचिव (2-5 अप्रैल, 2002)	भारत और रूसी परिसंघ के बीच द्विपक्षीय मामलों एवं आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा हुई।	रूसी पक्ष ने भारत के विरुद्ध सीमा-पार से चल रही आतंकवादी गतिविधियों की सख्ती से भर्त्सना की और भारत की इस उचित मांग के बारे में अपनी समझ-बूझ तथा समर्थन व्यक्त किया कि पाकिस्तान और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों से चल रही ये गतिविधियां पूरी तरह से बन्द हो।	यात्रा के अन्त में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।
3.	महामान्य श्री एर्की टूओमिओजा, फिनलैंड के विदेश मंत्री (16-17 अप्रैल, 2002)	द्विपक्षीय मसले, आपसी हितचिन्ता की क्षेत्रीय और सार्वभौम घटनाएं	चिन्ता व्यक्त की गई।	शून्य
4.	महामान्य श्री अलेक्जेंडर डाउनर, आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री (20-23 अप्रैल, 2002)	दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों की समीक्षा की जिसमें राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक, व्यापारिक एवं सामरिक क्षेत्रों सहित ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच सम्पर्क शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, राष्ट्रमंडल और क्षेत्रीय आतंकवाद, राष्ट्रमंडल और क्षेत्रीय मसलों जैसे क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की सामरिक भागीदारी, दक्षिण एशिया की घटनाएं आसियान और एशिया आसियान और एशिया प्रशान्त के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान हुआ।	कश्मीर में भारत को आतंकवाद की वजह से पेश आ रही समस्या का समाधान निकालने में भारत द्वारा अपनायी गई पद्धति की प्रशंसा करते हुए डा. डाउनर ने नोट किया कि कश्मीर में तनाव में कमी आयी है। उन्होंने यह भी कहा कि लगता है कि पाकिस्तान कुछ प्रयास कर रहा है।	पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन।
5.	महामान्य लाउरेन्ट बागबो आईवरी कोस्ट के राष्ट्रपति (21-23 मई, 2002)	पारमगन यात्रा		
6.	महामान्य श्री जोसेफ दिस स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री (21-24 अप्रैल, 2002)	द्विपक्षीय मसले परस्पर हित की क्षेत्रीय सार्वभौमिक गतिविधियां	चिन्ता जाहिर की	शून्य

1	2	3	4	5
7.	महामान्य राष्ट्रपति चन्द्रिका भन्डारनायके कुमारतुंगा (22-26 अप्रैल, 2002)	व्यापक द्विपक्षीय मसलों और क्षेत्रीयों गतिविधियों पर चर्चा हुई। उन्होंने प्रथम माधवराव सिंधिया स्मारक भाषण 23 अप्रैल, 2002 को "प्रबंधन परिवर्तन और विविधता पर दिया।"	श्रीलंका की सरकार इस बात पर सहमत थी कि सार्वभौम आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक चुनौती है।	शून्य
8.	महामान्य श्री पेर स्टिग मोलर, डच विदेश मंत्री (29-30 अप्रैल, 2002)	द्विपक्षीय मामले और परस्पर हित की क्षेत्रीय और सार्वभौमिक गतिविधियां	चिन्ता जाहिर की	शून्य
9.	महामान्य श्री सदोक फयाला, सेक्रेटरी आफ स्टेट आफ फारेन अफेयर्स-मगरेब और अफ्रीकी मामलों के प्रभारी (5-7 मई, 2002)	उन्होंने ट्यूनिसिया-भारत संयुक्त आयोग की बैठक के नौवें सत्र की सह-अध्यक्षता की परस्पर हित के सभी मसलों पर चर्चा हुई	इस मसले पर चर्चा नहीं की गयी क्योंकि इनकी बैठक की कार्यसूची मुख्यत: आर्थिक थी।	1. विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान और ट्यूनिसिया के विदेश मंत्रालय के इंस्टीट्यूट फार डिप्लोमैटिक स्टडीज के बीच सहयोग के लिए प्रोतोकोल। 2. भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली और द फारेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी (एफ आई पी ए) ट्यूनिस के बीच समझौता ज्ञापन।
10.	टोंगा के प्रधान मंत्री महामहिम राजकुमार उलू काला लवाकाअता (18-21 मई, 2002)	कृषि टोंगा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होने के कारण यात्रा पर आए शिष्टमण्डल ने भारत के कृषि क्षेत्र में सहयोग के विषय में अत्यधिक रुचि जाहिर की। दोनों पक्षों ने भारत के दक्षिण प्रशांत के देशों के साथ संबंधों को विकसित करने की भारत की इच्छा पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।	दौरा आर्थिक उद्देश्यों के लिए था।	शून्य
11.	महामान्य डा. कमाल खरजी, ईरान इस्लामिक गणराज्य के विदेश मंत्री (20-22 मई, 2002)	उन्होंने 12वें भारत ईरान संयुक्त आयोग की सह-अध्यक्षता जो बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य का पुनरीक्षण किया जिसमें पेट्रोलियम	डा. कमाल खरजी ने भारत-पाक सीमा पर तनाव कम करने और भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूद सभी विवादों का बातचीत	12वें भारत-ईरान संयुक्त आयोग का समझौता ज्ञापन।

1	2	3	4	5
		और प्राकृतिक गैस, व्यापार और उद्योग, परिवहन और संचार, कृषि एवं ग्रामीण विकास तथा कोंसुलर, संस्कृति, सूचना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र शामिल हैं।	के द्वारा शांतिपूर्वक समाधान निकालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी प्रकार के आतंकवाद की निन्दा करता है।	शून्य
12.	महामान्य श्री रूद लूवेर्स शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र हाई कमीशनर (22-24 मई, 2002)	यू एन एच सी आर और भारत के बीच सहयोग और संयुक्त राष्ट्र संगठन की सार्वभौमिक और देश में गतिविधियों पर बल दिया।	यात्रा के स्वरूप के कारण इस मसले को नहीं उठाया गया।	शून्य
13.	महामान्य श्री क्रिस पैटन, विदेश संबंधी मामलों के लिए यूरोपीय कमिश्नर (24 मई, 2002)	द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामले	सीमा की स्थिति पर चिंता व्यक्त की।	शून्य
14.	महामान्य श्री जैक स्ट्रा, विदेश सचिव, ब्रिटेन (28 मई, 2002)	द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामले	सीमा की स्थिति पर चिंता व्यक्त की।	शून्य
15.	महामान्य श्री साइकन सुईगुरा, वरिष्ठ उप विदेश मंत्री, जापान (30-31 मई, 2002)	उनकी यात्रा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के संदर्भ में थी।	श्री सुइगुरा ने कहा कि यहां आने के पूर्व पाकिस्तान में उनकी यात्रा के दौरान उस देश के लिए उनका संदेश यह था कि जापान राष्ट्रपति मुशर्रफ द्वारा प्रधानमंत्री कोइजूमी को दिए गए इस आश्वासन को करने के माध्यम से ठोस और सर्वविदित कार्रवाई देखना चाहता है जो आश्वासन विश्व में कहीं भी आतंकवाद न फैलाने और नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ न होने देने के संबंध में है।	शून्य
16.	महामहिम श्री रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका के राष्ट्रपति (8 जून-12 जून 2002)	व्यापक द्विपक्षीय मसले और क्षेत्रीय घटनाएं।	उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा के पाकिस्तानी पक्ष में आतंकवादी शिविरों के विरुद्ध उपयुक्त कदम उठाना चाहिए। श्रीलंका सरकार इस बात पर सहमत	शून्य

1	2	3	4	5
			हुई कि वैश्विक आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक खतरा है।	
17.	महामहिम श्री मोर्शेद खान, बंगालादेश के विदेश मंत्री (16-17 जून, 2002)	व्यापक द्विपक्षीय मसले और क्षेत्रीय घटनाएं।	उन्होंने भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव के संबंध में बंगलादेश की चिंता से अवगत कराया।	शून्य
18.	महामहिम नरेश ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह देव, नेपाल नरेश (23-28 जून, 2002)	नेपाल में आतंकवाद, माओवादी उग्रवाद से जुड़े मसले तथा व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग के अन्य मसलों पर चर्चा की गयी।	चर्चा नहीं की गयी।	शून्य (यात्रा के अंत में दोनों देशों के वाणिज्यिक चैम्बरों द्वारा दो संयुक्त कार्यदलों का गठन किया गया ताकि जल संसाधन और पर्यटन विकास के क्षेत्रों में सहयोग विकसित किया जा सके।)

एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित दौरे के संदर्भ में प्रश्न सं. 44 के मेरे उत्तर के साथ संलग्न इस विवरण के अलावा मैं अध्यक्षपीठ की अनुमति से अमेरिकी विदेश मंत्री श्री रिचर्ड आर्मिटेज के 7-8 जून, 2002 के एक और दौरे को जोड़ना चाहता हूं। उनकी यात्रा भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव के संदर्भ में थी। इस्लामाबाद से होते हुए नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान श्री आर्मिटेज ने सरकार को बताया कि राष्ट्रपति मुशर्रफ ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे जम्मू और कश्मीर में सीमापार से होने वाले घुसपैठ को शीघ्र और स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए कदम उठाएंगे और 12 जनवरी, 2002 तथा 27 मई, 2002 को किए गए अपने वायदों को पूरा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवादियों की जिस तरह घुसपैठ हो रही है, वह बहुत अहम् मामला है। इस देश में 18 विदेशी राजनयिक आये, ऐसा उत्तर में आया है। हालांकि इस विभाग में दोनों विदेश मंत्री नये हैं, वे इस विभाग में उस समय नहीं थे। दोनों वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय से यहां आये हैं, लेकिन उस समय हमारे विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री ने किसी से भी बात करना उचित नहीं समझा और न भारत के पक्ष से हम उन्हें प्रभावित कर पाये। इसका क्या कारण है कि वहां के हैड आफ द स्टेट या विदेश मंत्री का जो स्टेटमैन्ट यहां पर आया, उसमें पाकिस्तान जाने पर परिवर्तन हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अमेरिका के किस राजनयिक के दबाव में आकर भारत ने पाकिस्तान के लिए जो अपना स्पेस बंद किया था, उसे फिर खोल दिया गया, किसके दबाव में आकर आप यहां एम्बेसेडर नियुक्त करने जा रहे हैं और किसके दबाव में आकर विदेश मंत्रालय ने अपना वक्तव्य बदला कि अब कोई खतरा नहीं है, युद्ध की आवश्यकता नहीं है।

इस देश की सेना और पूरा देश युद्ध करना चाहता था और सेना भी तैयार थी, लेकिन किसके दबाव में आकर आपने अपने वक्तव्य बदला यह मैं जानना चाहता हूं। उनके नाम का खुलासा करें कि किसके दबाव में आकर आपने वार्ता की। जितनी भी वार्ताएं आपने की, वे आर्थिक मुद्दों पर की हैं जबकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भारत में आतंकवाद का था जो कि पास्तिान द्वारा फैलाया जा रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सदस्य का प्रश्न कई खंडों में था....।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: कई खंडों में आपने उत्तर भी दिया है।

श्री दिग्विजय सिंह: कई खंडों में जो प्रश्न था, उसके अलग-अलग उत्तर हैं। पहली बात यह है कि जैसा आपने कहा कि किसी के दबाव में आकर हमने फैसला किया है—ऐसी बात नहीं है।

कुंवर अखिलेश सिंह: अमेरिका के दबाव में फैसला किया गया है।

श्री दिग्विजय सिंह: कोई दबाव में फैसला नहीं हुआ है। दूसरी बात हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति का कमिटमेंट हम लोगों को बताया, उसका जिक्र हमने अभी-अभी किया। उसमें आर्मिटेज साहब भी थे। आपके और लोगों ने भी कहा कि जो बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है, उसको उन्होंने हमें कनवे किया और बताया कि उनकी बात को विश्वास में लिया जाए। जहां तक प्रश्न है कि देश के दूसरे लोगों से विचार-विमर्श नहीं किया गया—यह कहना ठीक नहीं है। इस मसले पर हमेशा देश के तमाम सम्मानित नेताओं से, प्रतिपक्ष के नेताओं से बातचीत की गई और पूरे देश के हित का ध्यान रखते हुए ही कोई कदम इस मसले पर उठाया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाइं।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि बयान में एक संशोधन होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नोटिस नहीं दिया है, जबर्दस्ती प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले हमें तो पूछने दीजिए। वह कैसे पूछ सकते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, आपने मुझे प्रश्न करने के लिए कहा है। वे कैसे प्रश्न कर सकते हैं जबकि आपने मुझे बुलाया है?...*(व्यवधान)* यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि प्रश्न वे कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, मेरी आपसे विनती है कि आपको प्रश्न पूछना है तो जरूर नाम दें। आप एक पार्टी के नेता हैं, मैं आपको इजाजत जरूर दूंगा लेकिन अभी मैंने स्वाइं जी का नाम लिया है। इनका प्रश्न होने के बाद आप प्रश्न जरूर पूछिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं: क्या यह सही है कि अमेरिका ने जो कहा है उसके मुताबिक सीमापार से होने वाली घुसपैठ में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है और अब वह अपने हित में परवेज मुशर्रफ पर आगे कोई दबाव नहीं डालेंगे। यदि यह सही है तो ऐसी स्थिति में सीमापार के इस आतंकवाद को रोकने के लिए हमारा देश कौन से कूटनीतिक उपाय करने जा रहा है?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): यह सही है, जैसाकि माननीय सदस्य ने खुलासा किया है कि यह अमेरिका का मानना है कि सीमापार से होने वाली घुसपैठ में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है। पर यह वह बात नहीं है जो हम भारत सरकार में मानते हैं।

जहां तक मामले को आगे बढ़ाने का सवाल है, अमेरिकी विदेश मंत्री, श्री कौलिन पावेल भारत यात्रा पर आने वाले हैं। उनसे फोन पर मेरी दो बार बात हो चुकी है, एक बार तब जब मैंने विदेश मंत्री के रूप में अपना नया पदभार ग्रहण किया था और फिर जम्मू सिटी में हुए नरसंहार के बाद। हम उनकी यात्रा का लाभ उनसे न केवल सीमापार से होने वाली घुसपैठ और उससे संबंधित अवधारणाओं के मुद्दों पर बल्कि अन्य ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा करके उठाएंगे जो सीमापार के आंतकवाद से जुड़ा एक बड़ा सवाल है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, समय कम है इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि मंत्री जी अपने बयान में संशोधन कर लें। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि जब 13 दिसम्बर को संसद पर हमला हुआ था, उसी वक्त पाकिस्तान पर हमें धावा बोलना चाहिए था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समूह के दबाव में हम ऐसा नहीं कर सके। जब यह दबाव था और उस दबाव में आपके सामने क्या मजबूरी हो गई वह बताने की कृपा करें।

श्री यशवन्त सिन्हा: सर, जहां तक मुझे याद पड़ता है, प्रधान मंत्री जी ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से कोई दबाव था...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सारे मीडिया में यह आया है और सारे समाचारपत्रों में छपा है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि इसका खंडन भी आज तक नहीं आया है।...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, हर बात का खंडन नहीं किया जाता है और ऐसा करना उचित भी नहीं है, लेकिन जैसा अभी मेरे सहयोगी मंत्री ने कहा है, भारत इस मसले में या किसी और मसले में कभी किसी दबाव में काम नहीं कर रहा है। कल हमारे उप-प्रधान मंत्री जी ने इसी सदन में जोर देकर इसी बात को कहा था कि हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए अपने को स्वतंत्र महसूस करते हैं और जो भी कार्रवाई भारत आतंकवाद से लड़ने के लिए उचित समझेगा, वह करेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से ऐसी बयानबाजी बन्द होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा परिषद के नियमों का उल्लंघन

***45. श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेडिकल कालेजों द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर चलाए जा रहे विभिन्न मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद (एम सी आई) द्वारा निर्धारित नियमों/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में कई मेडिकल कालेज इन नियमों का उल्लंघन करके मेडिकल पाठ्यक्रम चला रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से चिकित्सा शिक्षा के समान स्तर बनाए रखने, मेडिकल कालेज खोलने, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम आरम्भ करने, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाने और मेडिकल कालेजों के लिए न्यूनतम मानक अपेक्षाओं के निर्धारण के साथ-साथ दाखिलों की संख्या के निर्धारण के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए हैं-

(1) स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997

(2) मेडिकल कालेज स्थापना विनियम, 1999

(3) अध्ययन अथवा प्रशिक्षण (अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना तथा अध्ययन अथवा प्रशिक्षण (अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) के किसी पाठ्यक्रम में दाखिला क्षमता वृद्धि विनियम, 2000।

(4) वर्ष भर में 50/100/150 दाखिलों के लिए मेडिकल कालेजों हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षा विनियम, 1999।

(5) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने देश में चिकित्सा शिक्षा का एक समान स्तर बनाए रखने के प्रयोजन से विस्तृत सिद्धान्त निर्धारित किए हैं और परिषद की न्यूनतम अपेक्षाओं का संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 के अनुसार पालन किया जाना है। ये विनियम पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम ग्रहण करने के लिए न्यूनतम पात्रता, चयन मानदण्ड, प्रशिक्षण/इंटर्नशिप, परीक्षा आयोजन से संबंधित प्रक्रियाएं, अंक प्रदान करने और परीक्षकों की अर्हताओं का निर्धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 में एम बी बी एस पाठ्यक्रम की विस्तृत पाठ्यचर्या दी गई है।

इन नियमों/विनियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर मेडिल कालेजों/संस्थाओं को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं और लगातार उल्लंघन होने पर परिषद सीटों की संख्या में कमी करने अथवा आगे होने वाले दाखिलों पर रोक लगाने की संस्तुति कर सकती है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अंतर्गत परिषद को किसी मेडिकल कालेज में प्रशिक्षित किए जा रहे छात्रों के संबंध में मेडिकल डिग्री की मान्यता समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

[हिन्दी]

आतंकवादियों के नए अड्डे

***46. श्री नवल किशोर राय:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठनों ने पाकिस्तान के अतिरिक्त अन्य देशों में भी नए अड्डे स्थापित कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आतंकवादी संगठन कौन-कौन से हैं और किन-किन देशों में उनके अड्डे हैं;

(ग) ये अड्डे कब से कार्य कर रहे हैं; और

(घ) सरकार ने किन-किन देशों के साथ इस मामले को उठाया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्थिति निम्न प्रकार है:

म्यांमा

नेशनल सोसलिस्ट कोंसिल आफ नागालैण्ड (खापलांग), एन एस सी एन (के), नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड (एन एस सी एन), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए), यूनाईटिड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ), यूनाईटिड लिबरेशन फ्रंट आफ आसाम (उल्फा) के भारत-म्यांमा सीमा के आसपास अड्डे होने का विश्वास है। ये कुछ वर्षों से कार्य कर रहे हैं किन्तु वे अपना स्थान बदलते रहते हैं इसलिए यह निर्दिष्ट करना संभव नहीं हैं कि क्या ये नए स्थापित हो गए हैं। भारत सरकार ने इस मामले की विभिन्न स्तरों पर म्यांमा की सरकार से शिकायत की है और इस समस्या के समाधान में अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है।

बंगलादेश

हरकत-उल-जेहाद-अल-इस्लामी (हुजै), अल कायदा, एन एस सी एन, उल्फा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए), आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए टी टी एफ) और नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) के कथित रूप से बंगलादेश में अड्डे हैं। ये अड्डे कुछ वर्षों से कार्यरत हैं किन्तु चूंकि ये अपना स्थान बदलते रहते हैं इसलिए यह निर्दिष्ट करना संभव नहीं है कि क्या ये नए स्थापित हो गए हैं। इन आंतकी तत्वों की उपस्थिति पर हमारी हित चिन्ता को बंगलादेश की सरकार ने बांटा है।

नेपाल

सरकार नेपाली प्रदेश के आई एस आई द्वारा दुरूपयोग तथा खुली भारत-नेपाल सीमा पर भारत के हित के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के बारे में चिंतित हैं और इस मामले पर कार्रवाई की गई है। सरकार ने काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारियों को विस्फोटक और नकली भारतीय मुद्रा के साथ गिरफ्तारी के अनेक उदाहरणों पर गौर किया है। ऐसे कार्मिकों को इसके पश्चात् नेपाल की सरकार द्वारा देश छोड़ने के लिए कहा गया है।

भारत सरकार ने नेपाली प्रदेश में आई एस आई गतिविधियों और खुली भारत-नेपाल सीमा के दुरूपयोग से संबंधित मसलों को नेपाल की सरकार के साथ उठाया है। भारत और नेपाल की सरकार इस बात के लिए सहमत है कि वे अपने-अपने प्रदेश का एक-दूसरे के देश के हितों के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं देंगे।

भूटान

उल्फा, नेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन आफ बोडोलैण्ड (एन डी एफ बी) और भूटानी प्रदेश पर (के एल ओ) आंतकवादियों की उपस्थिति भूटान की सरकार के साथ चर्चा का एक विषय रहा है। दोनों पक्षों ने इन मसलों पर चिंता व्यक्त की है। भूटान की सरकार ने यह दोहराया है कि वह अपने प्रदेश के दुरूपयोग की भारत के हितों के विरुद्ध अनुमति नहीं देगी। भारत और भूटान सरकार निकट संपर्क में हैं और इस संबंध में एक-दूसरे को सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

यू.के.

छह प्रमुख आतंकी संगठन जो भारत में सक्रिय हैं अर्थात् लश्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल-मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, बब्बर खालसा, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आई एस वाई एफ) तथा लिट्टे पर यू.के. में आतंकवादी अधिनियम, 2000 के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नीदरलैण्ड

ऐसी खबरे हैं जिनसे संकेत मिलते हैं कि विभिन्न आतंकी/अलागाववादी संगठन जैसे एन एस सी एन (मुवैया), बब्बर खालसा इंटरनेशनल, हिजबुल्लाह और लिट्टे कुछ समय से नीदरलैण्ड में मौजूद हैं, प्रत्येक का एक सुस्थापित अग्र संगठन है। 11 सितम्बर, 2001 को अमरीका पर आतंकवादी हमलों के पश्चात् यह सूचना है कि अल कायदा के देश के विभिन्न इस्लामी संगठनों के साथ संबंद्ध है। नीदरलैण्ड में उल्लिखित आंतकवादी/अलगाववादी संगठनों पर भारत की हित-चिंताएं व्यक्त करते हुए, इस प्रकार के संगठनों के साथ संपर्क रखने वाले व्यक्तियों के लिए शरण/शरणार्थी स्थिति प्रदान करने में अधिकाधिक सावधानी बरतने का अनुरोध करते हुए, तथा इस तथ्य पर बल देते हुए कि इन संगठनों द्वारा भारत के विरुद्ध कार्य करने के लिए नीदरलैण्ड की जमीन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, हम इस मसले को एक नियमित आधार पर नीदरलैण्ड की शाही सरकार के साथ उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान

*47. **श्रीमती प्रेनीत कौर:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पशु कल्याण शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संस्थान में आरम्भ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उनमें किस प्रकार की डिग्री दी जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। यह संस्थान मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय होगा। इसकी वर्तमान स्वीकृत संख्या में एक निदेशक 11 व्याख्याता और 6 सहायक कर्मचारी शामिल हैं। अकादमिक सत्र के जुलाई, 2003 से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) पशु कल्याण में स्नातक की उपाधि (बी.ए.डब्ल्यू.) प्राप्त करने के लिए चार वर्षीय पाठ्यक्रम ग्रहण करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अनुसंधान और प्रयोग तथा औद्योगिक भवनों में कार्यरत सरकारी और गैर-सरकारी पदाधिकारियों, संगठनों के लिए विशिष्टीकृत डिप्लोमा पाठ्यक्रम और लघु तथा मध्य-अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

[हिन्दी]

अवैध बंगलादेशी आप्रवासी

*48. **श्रीमती जसकौर मीणा:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में बांगलादेश के साथ भारत में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के संबंध में कोई बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) भारत सरकार बड़ी संख्या में अवैध रूप से बंगलादेश से भारत में प्रवेश के विषय में अत्यधिक चिन्तित है। भारत बंगलादेश सरकार के साथ प्रत्यावर्तन के मसले के साथ-साथ अवैध उत्प्रवासन के मामले को भी लगातार उठाता रहा है। दोनों देशों ने सीमा प्रबंधन से सम्बद्ध विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श के लिए सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय और बंगलादेश राइफल्स, संयुक्त कार्यकारी दल और गृह सचिव स्तर की वार्ताओं की नियमित बैठकों के माध्यम से संस्थागत संरचना की स्थापना की है। यह नागरिक प्राधिकरण और सुरक्षा बलों के बीच नियमित कार्यक्षेत्र स्तर की बैठकों के अतिरिक्त हैं। अवैध-उत्प्रवास की समस्या को भी भारत ने बंगलादेश की सरकार के साथ संस्थागत संरचना के अतिरिक्त राजनीतिक स्तर पर नियमित रूप से उठाया है।

2. इस मामले को ढाका में 22-25 मार्च, 2002 को बी एस एफ और बंगलादेश राइफल्स के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ताओं के दौरान व्यापक रूप से उठाया गया था। विस्तृत चर्चा के पश्चात्, इस बात पर सहमति हुई कि बंगलादेश सभी प्रकार की सीमा पार अवैध गतिविधियों, जिनमें अवैध उत्प्रवासन भी शामिल है, को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। 16-17 जून, 2002 को बंगलादेश के विदेश मंत्री श्री एम. मोर्शद खान की यात्रा के दौरान, सभी प्रकार की अवैध सीमा-पार गतिविधियां को रोकने के लिए सीमा पार नियंत्रण को कड़ा करने पर भी पुन: विस्तृत चर्चा हुई। सख्त सीमा नियंत्रण से अवैध उत्प्रवासियों की संख्या में कमी होने की उम्मीद है। सरकार स्थिति का जायजा ले रही है।

[अनुवाद]

कम्पनियों द्वारा लाइसेंसों का उपयोग न किया जाना

*49. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री सुबोध मोहते:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विगत वर्षों में सरकार द्वारा दूरसंचार में जारी किए गए अधिकतर लाइसेंसों का प्रयोग नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक कुल कितने लाइसेंस जारी किए गए और किन-किन कम्पनियों को ये जारी किए गए और इन लाइसेंसों की वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न कंपनियों को अब तक जारी लाइसेंसों की संख्या के ब्यौरे और इन लाइसेंसों की मौजूदा स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा (आईएलडीएस) लाइसेंसधारक

क्रम सं.	लाइसेंसधारक का नाम	लाइसेंस करार की प्रभावी तारीख	लाइसेंस की वर्तमान स्थिति
1.	मैं. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	25.2.2002	अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी लाइसेंस के खंड 9.3 के अनुसार आईएलडी लाइसेंसधारक से लाइसेंस करार की प्रभावी तारीख से तीन वर्ष के भीतर न्यूनतम नेटवर्क राल-आउट योजना पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। अभी तक तीन वर्ष पूरे नहीं हुए हैं।
2.	मै. भारती टेलीसोनिक लि.	14.3.2002	
3.	मै. डाटा एक्सेस (इंडिया) लि.	27.3.2002	

मै. विदेश संचार निगम लि. जो अब एक प्राइवेट कंपनी हैं अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदान करने वाली लाइसेंसधारक है।

राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा (एनएलडीएस) लाइसेंसधारक

क्रम सं.	लाइसेंसधारक का नाम	लाइसेंस करार की प्रभावी तारीख	लाइसेंस की वर्तमान स्थिति
1.	मैं. भारती टेलीसोनिक लि.	29.11.2001	सेवा शुरू हो गई।
2.	मैं. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	28.1.2002	राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा के लिए लाइसेंस करार के खंड 9.2 के अनुसार एनएलडी लाइसेंसधारक से करार की प्रभावी तारीख से क्रमशः दो, तीन चार और सात वर्षों के भीतर चार चरणों में न्यूनतम राल-आउट दायित्व पूरे करने की अपेक्षा की जाती है। अभी तक दो वर्ष पूरे नहीं हुए हैं।
3.	मैं. विदेश संचार निगम लि.	8.2.2002	

सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम मैं. भारत संचार निगम लि. भी एनएलडी सेवा प्रदान करने वाली लाइसेंसधारक है।

अवसंरचना प्रदाता-2 (आईपी-2) लाइसेंसधारक

क्रम सं.	लाइसेंसधारक का नाम	लाइसेंस करार की प्रभावी तारीख	लाइसेंस की वर्तमान स्थिति
1.	गैस अथोरिटी आफ इंडिया लि.	15.1.2001	सभी ने अपने लाइसेंसों का प्रचालन शुरू कर दिया है।
2.	मैं. पावर ग्रिड कार्पो. आफ इंडिया लि.	29.1.2001	
3.	मैं. ह्यूजस एस्कोट्स कम्यूनिकेशन्स लि.	25.10.2001	
4.	मैं. टाटा पावर कंपनी लि.	7.9.2001	
5.	मैं. रेल टेल कार्पो. आफ इंडिया लि.	1.2.2002	

बुनियादी टेलीफोन सेवा लाइसेंस

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	लाइसेंसधारक का नाम	प्रभावी तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	20.7.2001	*
2.	आंध्र प्रदेश	मै. टाटा टेलीसर्विसेस लि.	30.9.1997	सेवा शुरू कर दी गई है
		मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	20.7.2001	*
3.	असम	शून्य	–	–
4.	बिहार	मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	20.7.2001	*
5.	दिल्ली	मै. भारती टेलीनेट लि.	29.10.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
		मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	20.7.201	*
		मै. टाटा टेलीसर्विसेस लि.	31.8.2001	*
6.	गुजरात	मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	30.9.1998	सेवा शुरू कर दी गई है
		मै. टाटा टेलीसर्विसेस लि.	31.8.2001	*
7.	हरियाणा	मै. भारती टेलीनेट लि.	8.10.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
		मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	20.7.2001	*
8.	हिमाचल प्रदेश	मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	–वही–	*
9.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	–	–
10.	कर्नाटक	मै. भारती टेलीनेट लि.	29.10.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
		मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	20.7.2001	*
		मै. टाटा टेलीसर्विसेस लि.	31.8.2001	*
11.	केरल	मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	20.7.2001	*
12.	मध्य प्रदेश	मै. भारती टेलीनेट लि.	30.9.1997	सेवा शुरू कर दी गई है
		मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	20.7.2001	*
13.	महाराष्ट्र	मै. ह्यूजस टेलीकाम लि.	30.9.1997	सेवा शुरू कर दी गई है
		मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	20.7.2001	*
14.	पूर्वोत्तर	शून्य	–	–
15.	उड़ीसा	मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	20.7.2001	*
16.	पंजाब	मै. एचएफसीएल इंफोटेल लि.	30.9.1997	सेवा शुरू कर दी गई है
		मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	20.7.2001	*

1	2	3	4	5
17.	राजस्थान	मै. श्याम टेलीलिंक लि.	4.3.1998	सेवा शुरू कर दी गई है
		मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	20.7.2001	*
18.	तमिलनाडु	मै. भारती टेलीनेट लि.	29.10.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
		मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	26.9.2001	*
		मै. टाटा टेलीसर्विसेस लि.	31.8.2001	*
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	20.7.2001	*
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	20.7.2001	*
21.	पश्चिमी बंगाल	मै. रिलायन्स कम्यूनिकेशन्स लि.	20.7.2001	*

*बुनियादी टेलीफोन सेवा के लिए लाइसेंस करार के खंड 9.3 (क) के अनुसार लाइसेंसधारक कंपनी से लाइसेंस की प्रभावी तारीख से चार चरणों अर्थात् दो, तीन पांच और सात वर्षों में न्यूनतम नेटवर्क राल-आउट दायित्वों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। उक्त अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। मै. भारत संचार निगम लि. मुंबई और दिल्ली को छोड़कर सभी सेवा क्षेत्रों का बुनियादी सेवा लाइसेंसधारक है वहीं मैं. एमटीएनएल एक बुनियादी सेवा लाइसेंसधारक है। दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं।

रेडियो पेजिंग सेवा

क. सिटी पेजिंग (27 शहर)

क्रम सं.	शहर	कंपनी का नाम तारीख	प्रभावी	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लि.	27.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		हचीसन मैक्स टेलीकाम	5.8.94	लाइसेंस रद्द कर दिया
		डीएसएस मोबाइल कम्यूनिकेशन्स	30.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		आरपीजी पेजिंग सर्विसेस लि.	11.08.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		इडर पीडब्ल्यूआई कम्यूनिकेशन्स	9.9.96	सेवा शुरू नहीं की गई
2.	अमृतसर	एबीसी कम्यूनिकेशन्स	24.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		बेल्ट्रान टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	15.2.95	सेवा शुरू कर दी गई है
		पुनवायर पेजिंग सर्विसेस लि.	18.4.96	सेवा शुरू कर दी गई है
3.	बंगलौर	पेज प्वाइंट सर्विसेस (इंडिया) लि.	8.7.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		टेलीसिस्टम (इंडिया) प्रा.लि.	24.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		हचीसन मैक्स टेलीकाम	3.8.94	लाइसेंस रद्द कर दिया

1	2	3	4	5
		डीएसएस मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	30.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		इडर पीडब्ल्यूआई कम्यूनिकेशन्स	9.9.96	सेवा शुरू नहीं की गई
4.	भोपाल	इजीकाल कम्यूनिकेशन्स (इंडिया) प्रा.लि.	8.7.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		टेलीकाम इनफारमेटिक्स (इंडिया) लि.	27.10.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		नीदरलैंड्स इंडिया कम्यूनिकेशन्स एन्टरप्राइसेस	31.10.95	सेवा शुरू कर दी गई है
5.	कलकत्ता	इजीकाल कम्यूनिकेशन्स (इंडिया) प्रा.लि.	8.7.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लि.	27.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		मोदी कोरिया कम्यूनिकेशन्स लि.	5.4.95	सेवा शुरू कर दी गई है
		डीएसएस मोबाइल कम्यूनिकेशन्स	30.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		इडर पीडब्ल्यूआई पेजिंग सर्विसेस लि.	9.9.96	सेवा शुरू नहीं की गई
6.	चंडीगढ़	एबीसी कम्यूनिकेशन्स	24.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		हचीसन मैक्स टेलीकाम	5.8.94	लाइसेंस रद्द कर दिया
		मोदी कोरिया टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	19.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		वेस्टर्न पेजर्स प्रा.लि.	13.1.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		इडर पीडब्ल्यूआई कम्यूनिकेशन्स	9.9.96	सेवा शुरू नहीं की गई
7.	चेन्नई	टेलीसिस्टम (इंडिया) प्रा.लि.	24.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		आरपीजी पेजिंग सर्विसेस लि.	11.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		मोदी कोरिया कम्यूनिकेशन्स लि.	19.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		डीएसएस मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	30.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		इडर पीडब्ल्यूआई कम्यूनिकेशन्स	9.9.96	सेवा शुरू नहीं की गई
8.	कोयम्बटूर	टेलीसिस्टम (इंडिया) प्रा.लि.	24.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		ऊषा मार्टिन टेलीकाम लि.	17.5.94	लाइसेंस रद्द कर दिया
		टेलीकाम इनफारमेटिक्स (इंडिया) लि.	27.10.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
9.	दिल्ली	माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लि.	1.5.95	सेवा शुरू कर दी गई है
		एबीसी कम्यूनिकेशन्स	24.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		आरपीजी पेजिंग सर्विसेस लि.	11.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		डीएसएस मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	30.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है

1	2	3	4	5
		इडर पीडब्ल्यूआई पेजिंग सर्विसेस लि.	9.9.96	सेवा शुरू नहीं की गई
10.	एर्नाकुलम	टेलीसिस्टम (इंडिया) प्रा.लि.	24.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		बीपीएल सिस्टम एंड प्रोजेक्ट्स लि.	29.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		ऊषा मार्टिन टेलीकाम लि.	17.5.94	लाइसेंस रद्द कर दिया
		इडर पीडब्ल्यूआई पेजिंग सर्विसेस लि.	9.9.96	सेवा शुरू नहीं की गई
11.	हैदराबाद	इजीकाल कम्यूनिकेशन्स (इंडिया) प्रा.लि.	8.7.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		हचीसन मैक्स टेलीकाम	5.8.94	लाइसेंस रद्द कर दिया
		डीएसएस मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	30.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		पेज प्वाइंट सर्विसेस (इंडिया) लि.	23.6.95	सेवा शुरू कर दी गई है
12.	इंदौर	इजीकाल कम्यूनिकेशन्स (इंडिया) प्रा.लि.	8.7.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		ऊषा मार्टिन टेलीकाम लि.	17.5.94	लाइसेंस रद्द कर दिया
		मोदी कोरिया टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	19.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
13.	जयपुर	एबीसी कम्यूनिकेशन्स	24.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		मोदी कोरिया टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	19.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		ऊषा मार्टिन टेलीकाम लि.	10.7.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		वेस्टर्न पेजर्स प्रा. लि.	13.1.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		इडर पीडब्ल्यूआई पेजिंग सर्विसेस लि.	9.9.96	सेवा शुरू नहीं की गई
14.	कानपुर	एबीसी कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.	24.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		मोदी कोरिया टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	19.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		वेस्टर्न पेजर्स प्रा. लि.	13.1.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		डीएसएस मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	30.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
15.	लखनऊ	मोदी कोरिया कम्यूनिकेशन्स लि.	19.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		डीएसएस मोबाइल कम्यूनिकेशन्स	30.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		वेस्टर्न पेजर्स प्रा. लि.	13.1.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
16.	लुधियाना	एबीसी कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.	24.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		हचीसन मैक्स टेलीकाम	4.5.94	लाइसेंस रद्द कर दिया
		बेल्ट्रान टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	15.2.95	सेवा शुरू कर दी गई है
17.	मदुरई	टेलीसिस्टम (इंडिया) प्रा.लि.	24.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		ऊषा मार्टिन टेलीकाम लि.	17.5.94	लाइसेंस रद्द कर दिया

1	2	3	4	5
18.	मुंबई	पेज प्वाइंट सर्विसेस (इंडिया) लि.	8.7.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		मैट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्रा.लि.	25.4.95	सेवा शुरू कर दी गई है
		माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लि.	27.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		डीएसएस मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	30.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		इडर पीडब्ल्यूआई पेजिंग सर्विसेस लि.	9.9.96	सेवा शुरू नहीं की गई
19.	नागपुर	इजीकाल कम्यूनिकेशन्स (इंडिया) प्रा.लि.	8.7.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		वेस्टर्न पेजर्स प्रा. लि.	13.1.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		बेल्ट्रान टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	31.1.95	सेवा शुरू कर दी गई है
		नीदरलैंड्स इंडिया कम्यूनिकेशन्स	31.10.95	सेवा शुरू कर दी गई है
		एन्टरप्राइसेस प्रा.लि.		
20.	पटना	इजीकाल कम्यूनिकेशन्स (इंडिया) प्रा.लि.	8.7.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		बेल्ट्रान टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	15.2.95	सेवा शुरू कर दी गई है
		टेलीकाम इनफारमेटिक्स (इंडिया) लि.	27.10.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
21.	पुणे	मैट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्रा.लि.	20.7.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		हचीसन मैक्स टेलीकाम	5.8.94	लाइसेंस रद्द कर दिया
		डीएसएस मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	30.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		पेज प्वाइंट सर्विसेस (इंडिया) लि.	23.6.95	सेवा शुरू कर दी गई है
		इडर पीडब्ल्यूआई पेजिंग सर्विसेस लि.	9.9.96	सेवा शुरू नहीं की गई
22.	राजकोट	मैट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्रा.लि.	20.7.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लि.	27.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		ऊषा मार्टिन टेलीकाम लि.	17.5.94	लाइसेंस रद्द कर दिया
		वेस्टर्न पेजर्स प्रा. लि.	13.1.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
23.	सूरत	माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लि.	27.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		वेस्टर्न पेजर्स प्रा. लि.	13.1.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		बेल्ट्रान टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	31.1.95	सेवा शुरू कर दी गई है
		मैट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्रा.लि.	20.7.94	सेवा शुरू कर दी गई है
24.	त्रिवेन्द्रम	टेलीसिस्टम (इंडिया) प्रा.लि.	24.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		बीपीएल सिस्टम एंड प्रोजेक्ट्स लि.	29.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		वेस्टर्न पेजर्स प्रा. लि.	13.1.95	लाइसेंस रद्द कर दिया

1	2	3	4	5
25.	वडोदरा	माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लि.	27.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		हचीसन मैक्स टेलीकाम	3.8.94	लाइसेंस रद्द कर दिया
		वेस्टर्न पेजर्स प्रा. लि.	13.1.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		मैट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्रा.लि.	20.7.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		इडर पीडब्ल्यूआई कम्यूनिकेशन्स लि.	9.9.96	सेवा शुरू नहीं की गई
26.	वाराणसी	एबीसी कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.	24.6.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		मोदी कोरिया टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	19.8.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		बेल्ट्रान टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	15.6.95	सेवा शुरू कर दी गई है
27.	विशाखापट्टनम	इजीकाल कम्यूनिकेशन्स (इंडिया) प्रा.लि.	8.7.94	सेवा शुरू कर दी गई है
		ऊषा मार्टिन टेलीकाम लि.	17.5.94	लाइसेंस रद्द कर दिया
		वेस्टर्न पेजर्स प्रा. लि.	13.1.95	लाइसेंस रद्द कर दिया

सर्किल पेजिंग (19 सर्किल)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	कंपनी का नाम	प्रभावी तारीख	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	अंदमान और निकोबार	मैट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्रा.लि.	5.6.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		नीदरलैंड्स इंडिया कम्यूनिकेशन्स एन्टरप्राइसेस	5.6.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
2.	आंध्र प्रदेश	पुनवायर मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	18.8.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
3.	असम	इजीकाल कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.	5.6.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		नीदरलैंड्स इंडिया कम्यूनिकेशन्स एन्टरप्राइसेस प्रा.लि.	5.6.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
4.	बिहार	शून्य	—	—
5.	गुजरात	पुनवायर मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	31.8.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
6.	हरियाणा	पुनवायर पेजिंग सर्विसेस लि.	18.8.95	सेवा शुरू कर दी गई है
7.	हिमाचल प्रदेश	पुनवायर पेजिंग सर्विसेस लि.	5.6.95	सेवा शुरू कर दी गई है
8.	जम्मू-कश्मीर	एबीसी कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.	5.6.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		नीदरलैंड्स इंडिया कम्यूनिकेशन्स एन्टरप्राइसेस प्रा.लि.	5.6.95	सेवा शुरू कर दी गई है

1	2	3	4	5
9.	कर्नाटक	इंडिया पेजिंग	31.8.95	सेवा शुरू कर दी गई है
		पुनवायर मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	31.8.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
10.	केरल	इंडिया पेजिंग	31.8.95	सेवा शुरू कर दी गई है
		पुनवायर मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	31.8.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
11.	मध्य प्रदेश	पुनवायर मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	30.11.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		मोदी कोरिया कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.	30.11.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
12.	महाराष्ट्र	पुनवायर मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	18.8.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
13.	पूर्वोत्तर	इजीकाल कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.	5.6.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.	5.6.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
14.	उड़ीसा	माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लि.	5.6.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		टेलीसिस्टम (इंडिया) प्रा.लि.	5.6.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
15.	पंजाब	पुनवायर पेजिंग सर्विसेस लि.	25.8.95	सेवा शुरू कर दी गई है
		हचीसन मैक्स टेलीकाम	6.11.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
16.	राजस्थान	पुनवायर मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	27.11.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		मोदी कोरिया टेलीकाम कम्यूनिकेशन्स लि.	27.11.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
17.	तमिलनाडु	इंडिया पेजिंग	25.8.95	सेवा शुरू कर दी गई है
		पुनवायर मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	25.8.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
18.	उत्तर प्रदेश	पुनवायर मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	25.8.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.	24.8.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
19.	पश्चिमी बंगाल	मोदी कोरिया कम्यूनिकेशन्स लि.	5.6.95	लाइसेंस रद्द कर दिया
		इजीकाल कम्यूनिकेशन्स लि.	5.6.95	लाइसेंस रद्द कर दिया

12.7.2002 को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए लाइसेंसों की स्थिति

क्र.सं.	लाइसेंसधारक का नाम	श्रेणी एवं सेवा क्षेत्र	लाईसेंस की तारीख	लाईसेंस की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मै. रिलायन्स इन्फोकाम लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	09.11.98	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
2.	मै. सत्यम इन्फोवे लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	12.11.98	-वही-
3.	मै. इन टू केबल (इंडिया) लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	04.12.98	-वही-

1	2	3	4	5
4.	मै. विप्रो नेट लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	04.12.98	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
5.	मै. सीटूकेबल नेटवर्क लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	07.12.98	–वही–
6.	मै. जीटीएल लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	09.12.98	–वही–
7.	मै. डीआईएसएनईटीडीएसएल लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	23.12.98	–वही–
8.	मै. आयरकान इंटरनेशनल लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	29.12.98	लाईसेंस रद्द कर दी गई है
9.	मै. प्राईमस टेलीकम्यूनिकेशन्स इंडिया लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	05.01.99	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
10.	मै. सीएमसी लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	12.01.99	–वही–
11.	मै. साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्कस आफ इंडिया	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	15.01.99	–वही–
12.	मै. ईआरएनईटी इंडिया	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	15.01.99	–वही–
13.	मै. विदेश संचार निगम लिमिटेड	श्रेणी ''क''	25.01.99	–वही–
14.	मै. पंजाब वायरलैस सिस्टमस लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	29.01.99	सेवा चालू न होने की रिपोर्ट
15.	मै. स्प्रिन्ट आर.पी.जी. इंडिया लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	12.02.99	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
16.	मै. भारती बी.टी. इंटरनेट लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	03.03.99	–वही–
17.	मै. शिवालिंक सर्विसेस प्राइवेट लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	22.3.99	सेवा चालू नहीं हुई है।
18.	मै. इंडिया नेट एक्सचेंज प्राइवेट लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	15.4.99	लाइसेंस रद्द कर दी गई है
19.	मै. सिगमा आनलाईन लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	23.04.99	–वही–
20.	मै. जीओएल इंडिया इंटरनेट सर्विस प्रदाता प्राइवेट लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	07.06.99	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
21.	मै. मनीपाल प्रौवाईडर कन्ट्रोल डाटा इल्कट्रोनिक्स कार्म्स लि. बैंगलौर	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	23.06.99	लाइसेंस रद्द
22.	मै. बी पी एल नेट काम प्राइवेट	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	25.06.99	–वही–
23.	मै. मैसीफिक इंटरनेट (आई) प्राइवेट	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	28.06.99	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
24.	मै. हरीता फाइनेंस लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	13.08.99	–वही–
25.	मै. हाथवेय केबल एवं डाटा काम प्राइवेट लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	13.09.99	–वही–
26.	मै. टाटा इंटरनेट लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	11.10.99	–वही–
27.	मै. स्विफ्टमेल कम्यूनिकेशन्स लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	12.10.99	–वही–
28.	मै. ट्राईडेन्ट नेटकाम सोलूसन्स प्राइवेट लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	05.11.99	–वही–

1	2	3	4	5
29.	मै. आर्बीटिल कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लि.	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	12.11.99	लाइसेंस रद्द कर दी गई है
30.	मै. जम्प इंडिया प्राइवेट लि.	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	24.11.99	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
31.	मै. एचसीएल कामनेट सिस्टम्स एवं सर्विसेस लि.	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	02.12.99	–वही–
32.	मै. स्पैक्टरा नेट लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	10.12.99	–वही–
33.	मै. कामसैट मैक्स लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	24.12.99	–वही–
34.	मै. एस्ट्रो नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लि.	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	17.01.2000	–वही–
35.	मै. एल एंड टी नेटकाम लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	18.01.2000	–वही–
36.	मै. इनटैरा गलोबल लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	31.01.2000	लाइसेंस रद्द कर दी गई है
37.	मै. विलनेट कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लि.	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	07.02.2000	–वही–
38.	मै. ट्रैक आनलाइन प्राइवेट लि.	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	23.02.2000	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
39.	मै. इन्फार्मेशन्सटेक्नोलाजीज (इंडिया) लि.	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	24.02.200	सेवा चालू न होने की रिपोर्ट
40.	मै. जैन स्टूडियोज लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	07.03.2000	लाइसेंस रद्द कर दी गई है
41.	मै. पैट्रीयोट आटोमेशन प्रोजेक्टशन प्राइवेट लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	07.03.2000	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
42.	मै. एन्ट्रिक्स ई एपलीकेशन्स	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	08.03.2000	–वही–
43.	मै. वीडियोकान इन्टरनेशनल लि.	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	21.03.2000	–वही–
44.	मै. ग्लोबल टेलनेट लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	20.04.2000	लाइसेंस रद्द कर दी गई है
45.	मै. एस कुमार्स आनलाईन लि.	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	30.03.2000	–वही–
46.	मै. इंटरनेट प्रोमोटर्स इंडिया लि.	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	31.03.2000	–वही–
47.	मै. नवीन काम (इंडिया) प्राइवेट लि.	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	17.04.2000	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
48.	मै. एटको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	18.04.2000	लाइसेंस अभ्यार्पण के लिए अनुरोध
49.	मै. डेटा इनफोसिस लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	17.04.2000	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
50.	मै. एच सी एल इनफीनैट लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	13.04.2000	–वही–
51.	मै. लानको नेट लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	13.04.2000	लाइसेंस रद्द कर दी गई है
52.	मै. पैरामाउन्ट कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	04.05.2000	सेवा चालू नहीं की गई है
53.	मै. गेटवे सिस्टम्स (इंडिया) प्रा.लि.	अखिल भारतीय श्रेणी "क"	04.05.2000	सेवा चालू होने की रिपोर्ट

1	2	3	4	5
54.	मै. एक्सेल इनफोटेक लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	15.05.2000	सेवा चालू ना होने की रिपोर्ट
55.	मै. प्राईमनेट ग्लोबल लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	17.5.2000	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
56.	मै. सूपर स्पीड सर्विसेज इंडिया लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	19.05.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
57.	मै. बी एस ई एस टेलीकाम लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	31.05.2000	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
58.	मै. डेटा एक्सेस (इंडिया) लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	01.06.2000	–वही–
59.	मै. टोटल नेटवर्क सोलूसन लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	14.06.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
60.	मै. एयरसैल लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	28.06.2000	–वही–
61.	मै. ह्यूजस एसकार्ट कम्यूनिकेशन्स लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	30.06.2000	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
62.	मै. एस टैल कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	14.07.2000	–वही–
63.	मै. साफटैंग कम्प्यूटर्स प्रा.लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	14.07.2000	सेवा चालू ना होने की रिपोर्ट
64.	मै. एक्साट टेक्नोलाजीज प्रा.लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	07.08.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
65.	मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाईजर्स कम्पनी लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	08.08.2000	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
66.	मै. टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	24.08.2000	सेवा चालू नहीं की है।
67.	मै. ईजीनेट ग्लोबल प्रा.लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	30.08.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
68.	मै. आई सर्व इंडिया सोल्यूशन्स प्रा.लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	31.08.2000	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
69.	मै. सैलनैक्सट सोल्यूशन्स लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	31.08.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
70.	मै. एप्पलीटेक इंटरनेट सर्विसेज प्रा.लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	01.09.2000	सेवा चालू ना करने की रिपोर्ट
71.	मै. ब्रोड बैंड सेल्यूशन्स प्रा.लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	05.09.2000	सेवा चालू होने की रिपोर्ट
72.	मै. मिलेनियम टेलीकाम लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	06.10.2000	–वही–
73.	मै. साईक्वेटर टेक्नोलाजीज लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	06.10.2000	–वही–
74.	गुजरात क्रेडिट कार्पोरेशन लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	10.10.2000	–वही–
75.	मै. मैन इंटरएक्टिव नेटवर्क लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	13.10.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
76.	मै. नेटक्रेकर लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	31.10.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
77.	मै. भारत संचार निगम लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	29.09.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
78.	मै. श्याम इंटरनेट सर्विसेस प्रा.लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	06.11.2000	–वही–
79.	मै. वर्ल्ड फोन इंटरनेट सर्विसेस प्रा.लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	09.11.2000	–वही–
80.	मै. एस्सैल श्याम कम्यूनिकेशन्स लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	27.12.2000	–वही–

1	2	3	4	5
81.	मै. स्मार्ट सोल्यूशन्स प्रा.लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	02.02.2000	सेवा चालू नहीं की है
82.	मै. टेलवैब नेटवर्क इंडिया प्रा.लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	05.02.2001	सेवा चालू किए जाने की रिपोर्ट
83.	मै. ह्यूजस टेलीकाम (इंडिया) प्रा.लि.	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	19.02.2001	–वही–
84.	मै. ए सी ई टैक काम लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	17.04.2001	सेवा चालू न किए जाने की रिपोर्ट
85.	मै. जी यू जे इनफो पैट्रो लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	16.05.2001	सेवा चालू किए जाने की रिपोर्ट
86.	मै. भारती सैल्यूलर लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	10.10.2001	सेवा चालू ना किए जाने की रिपोर्ट
87.	मै. भारती एक्वानेट लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	10.10.2001	–वही–
88.	मै. भारती टेलीसोनिक लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	10.10.2001	–वही–
89.	मै. एम्पावर काम लिमिटेड	अखिल भारतीय श्रेणी ''क''	31.10.2000	–वही–
90.	मै. महानगर टेलीफोन निगम लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	06.11.98	सेवा चालू किए जाने की रिपोर्ट
91.	मै. महानगर टेलीफोन निगम लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	06.11.98	सेवा चालू किए जाने की रिपोर्ट
92.	मै. रोल्टा इंडिया लिमिटेड	मुम्बई श्रेणी ''ख''	10.11.98	–वही–
93.	मै. ईएल एक्लप्स नेटवर्क प्रा.लि.	अहमदाबाद श्रेणी ''ख''	12.11.98	लाइसेंस रद्द कर दिया
94.	मै. वेकफील्ड मनैमोनकस इनफोनेट वकर्श प्रा.लि.	पुणे श्रेणी ''ख''	10.11.98	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
95.	मै. ट्राईकान ईल्कट्रोनिक्स प्रा.लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	11.11.98	–वही–
96.	मै. ईन्दूसिन्द केबल टेलीविजन प्रा.लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	04.12.98	लाइसेंस दिया
97.	मै. मनीपाल कन्ट्रोल डेटा इल्कट्रोनिक्स कामर्स लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	07.12.98	–वही–
98.	मै. साउथर्न आनलाईन सर्विसेस प्रा.लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	10.12.99	सेवा शुरू करने की रिपोर्ट
99.	मै. पंजाब कम्यूनीकेशन्स लि.	पंजाब श्रेणी ''ख''	11.12.98	–वही–
100.	मै. इन्टरनेट प्रोमोटर्स इंडिया लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	11.12.98	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
101.	मै. अन्खनेट इनफारमेशन्स प्रा.लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	11.12.98	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
102.	मै. स्वास्तिक नेटविजन टेलीकाम प्रां.लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	14.12.98	–वही–
103.	मै. विलनैट कम्यूनीकेशन्स प्रा.लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	24.12.98	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
104.	मै. साईबरवेव इंटरनेट सोल्यूशन्स लि.	चेन्नई श्रेणी ''ख''	11.01.99	सेवा चालू किए जाने की रिपोर्ट

1	2	3	4	5
105.	मै. माईले कड़पागैम्बल सिस्टम्स प्रा.लि.	चेन्नई श्रेणी ''ख''	18.01.99	सेवा चालू किये जाने की रिपोर्ट
106.	मै. किरलोस्कर कम्पयूटर्स सर्विस लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	21.01.99	सेवा चालू ना किए जाने की रिपोर्ट
107.	मै. ग्राथ कम्पूसाफ्ट स्म्सपोर्ट लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	25.01.99	सेवा चालू किए जाने की रिपोर्ट
108.	मै. ब्लेज नेट प्राइवेट लिमिटेड	गुजरात श्रेणी ''ख''	25.01.99	–वही–
109.	मै. पायनीर आनलाईन प्रा.लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	28.01.99	–वही–
110.	मै. ग्लोबल आनलाईन सर्विसेस प्रा.लि.	हैदराबाद श्रेणी ''ख''	29.01.99	–वही–
111.	मै. नोमस इंटरनेट सिस्टम्स प्रा.लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	02.02.99	–वही–
112.	मै. बी एस ई एस टेलीकाम लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	17.02.99	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
113.	मै. विलनेट कम्यूनीकेशन्स प्रा.लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	18.02.99	–वही–
114.	मै. विलनेट कम्यूनीकेशन्स प्रा.लि.	राजस्थान श्रेणी ''ख''	18.02.99	–वही–
115.	मै. ई-काम आपरचूनीटीज प्रा.लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	03.03.99	सेवा चालू किए जाने की रिपोर्ट
116.	मै. भारती टेलनेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश श्रेणी ''ख''	04.03.99	–वही–
117.	मै. वैल्यूहैल्थ केयर प्रा.लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	05.03.99	–वही–
118.	मै. जिन्दल आनलाईन काम लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	11.03.99	–वही–
119.	मै. डैटा लिंक इमपैक्स प्रा.लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	22.3.99	–वही–
120.	मै. ए आर एम लिमिटेड	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	23.03.99	–वही–
121.	मै. डाटा एनफासिस लि.	राजस्थान श्रेणी ''ख''	23.04.99	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
122.	मै. नेट लिनक्स लिमिटेड	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	06.05.99	सेवा चालू किए जाने की रिपोर्ट
123.	मै. राईजिंग सन इनफानेट प्रा.लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	10.05.99	सेवा चालू ना किए जाने की रिपोर्ट
124.	डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू कम्यूनीकेशन्स लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	21.05.99	सेवा चालू किए जाने की रिपोर्ट
125.	मै. जैनैसिस एजूकेशन प्रा.लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	25.05.99	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
126.	मै. सोल्सटाईश नेटवर्क्स प्रा.लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	26.05.99	–वही–
127.	मै. ट्रैक आनलाईन नेट इंडिया प्रा.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	08.06.99	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
128.	मै. पुख्या टेक्नीकल सोलयूशन्स प्रा.लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	14:06.99	सेवा चालू ना किए जाने की रिपोर्ट
129.	मै. चन्द्रा नेट प्रा.लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	15.06.99	सेवा चालू किए जाने की रिपोर्ट

1	2	3	4	5
130.	मै. राजकोट नेट प्रा.लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	13.07.99	समय बढ़ाने का अनुरोध
131.	मै. डेटा एक्सेस इंडिया प्रा.लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	14.07.99	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
132.	मै. गुजरात स्टेट पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	26.07.99	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
133.	मै. इन्डियन कूटेशेन सिस्टम्स प्रा.लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	26.07.99	-वही-
134.	मै. स्पैक्टरा नेट प्रा.लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	27.07.99	लाईसेंस रद्द कर दिया गया
135.	मै. मग्नाकारप इंडिया लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	28.07.99	-वही-
136.	मै. नन्दा नेट काम प्रा.लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	10.08.99	-वही-
137.	मै. पैटरीयोट आटोमोशन प्रोजेक्टस प्रा.लि.	कोलकता श्रेणी ''ख''	11.08.99	-वही-
138.	मै. पैटरीयोट आटोमोशन प्रोजेक्टस प्रा.लि.	चेन्नई श्रेणी ''ख''	13.09.99	-वही-
139.	मै. पैटरीयोट आटोमोशन प्रा.लि.	महाराष्ट्र श्रेणी ''ख''	13.09.99	-वही-
140.	मै. विलनेट कम्यूनीकेशन्स प्रा.लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	15.09.99	-वही-
141.	मै. सीटी आनलाईन सर्विसेस प्रा.लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	14.09.99	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
142.	मै. कारवी कनसल्टैन्ट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	15.09.99	-वही-
143.	मै. डेटावेयर इंटरनेटवर्क्स प्रा.लि.	केरल श्रेणी ''ख''	20.09.99	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
144.	मै. डाईरेक्ट इंटरनेट प्रा.लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	20.09.99	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
145.	मै. जैन इनफानेट प्रा.लि.	राजस्थान श्रेणी ''ख''	30.09.99	-वही-
146.	मै. आईसीई नेट. नेट लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	11.10.99	-वही-
147.	मै. शिवम डेटाटैक	दिल्ली श्रेणी ''ख''	27.10.99 से 09.03.2001	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
148.	मै. एस एबी एनफाटेक लि.	पंजाब श्रेणी ''ख''	05.11.99	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
149.	मै. डायलनेट कम्यूनीकेशन्स लि.	नई दिल्ली श्रेणी ''ख''	05.11.99	-वही-
150.	मै. फासकल लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	12.11.99	-वही-
151.	मै. जी एन एफ सी लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	15.11.99	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
152.	मै. आलनेट सिस्टमस प्रा.लि.	चेन्नई श्रेणी ''ख''	17.11.99	-वही-
153.	मै. वैरटैक कम्यूनिकेशन्स लि.	राजस्थान श्रेणी ''ख''	24.11.99	सेवा चालू किए जाने की रिपोर्ट
154.	मै. पी बी सी वैन्चर्स लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	26.11.99	-वही-
155.	मै. कन्डूर इनफाटैक प्रा.लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	06.11.99	सेवा चालू ना करने की रिपोर्ट
156.	मै. पालीवाल फाईनेन्सल (पी.) लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	14.11.99	-वही-

1	2	3	4	5
157.	मै. ई आर एण्ड डी सी टेक्नालोजी प्रोमोशन सेन्टर	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	21.12.99	सेवा चालू ना करने की रिपोर्ट
158.	मै. गुजरात इन्फारमेटिक्स लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	23.12.99	लाइसेंस रद्द कर दिया
159.	मै. ब्लूवैब इन्फो सिस्टम प्रा. लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	23.12.99	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
160.	मै. बुरगंडी ट्रेडिंगस प्रा. लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	11.01.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया
161.	मै. एस एस नेटकाम प्रा. लि.	उत्तर पूर्व श्रेणी ''ख''	13.01.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
162.	मै. एम एक्स सोल्यूशन्स प्रा. लि.	केरल श्रेणी ''ख''	13.01.2000	सेवा चालू करने के लिए समय बढ़ाया गया
163.	मै. एम एक्स सोल्यूशन्स प्रा. लि.	चेन्नई श्रेणी ''ख''	13.01.2000	-वही-
164.	मै. वर्ल्ड टेल तमिलनाडु प्रा. लि.	चेन्नई श्रेणी ''ख''	18.01.2000	सेवा चालू ना करने की रिपोर्ट
165.	मै. वर्ल्ड टेल तमिलनाडु प्रा. लि.	तमिलनाडु श्रेणी ''ख''	18.01.2000	-वही-
166.	मै. पैट्रीयाट आटोमोशन प्रोजेक्टस प्रा.लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	28.01.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
167.	मै. पैट्रीयाट आटोमोशन प्रोजक्टस प्रा.लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	28.01.2000	-वही-
168.	मै. भारती कामटेल लि.	हरियाणा श्रेणी ''ख''	01.02.2000	-वही-
169.	मै. मीडिया विडियो लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	01.02.2000	-वही-
170.	मै. महावीर लीयाफिन एण्ड होल्डिंग प्रा. लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	03.02.2000	सेवा चालू ना किए जाने की रिपोर्ट
171.	मै. मैगाबाइट इनफासिस प्रा. लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''		-वही-
172.	मै. नेटवेयर इनफासिस प्रा. लि	दिल्ली श्रेणी ''ख''		-वही-
173.	मै. इनफारमेजिकसर्विसेज प्रा. लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''		-वही-
174.	मै. वैटवेयर इनफासिस प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	24.02.2000	-वही-
175.	मै. नर्मदा साइबरजान प्रा. लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	25.02.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
176.	मै. आन लाईन मीडिया सोल्यूशन्स लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	15.03.2000	-वही-
177.	मैक्सप्रैस कम्यूनीकेशन्स प्रा. लि.	कलकत्ता श्रेणी ''ख''	10.03.2000	सेवा चालू ना करने की रिपोर्ट
178.	मै. नेटमैजिक सोल्यूशन्स प्रा. लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	10.03.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
179.	मै. एम ए सी इनफो प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	14.30.2000	-वही-
180.	मै. जी एण्ड जी नेट कम्यूनीकेशन्स प्रा. लि.	महाराष्ट्र श्रेणी ''ख''	15.03.2000	-वही-
181.	मै. फिनोलैक्स टेक्नालाजीज लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	21.03.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया

1	2	3	4	5
182.	मै. एक्सेस आन लाईन प्रा. लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	23.02.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
183.	मै. ईनडाइस नेट प्रा. लि.	चेन्नई श्रेणी ''ख''	24.03.2000	–वही–
184.	मै. अमी कम्प्यूटर्स	कलकत्ता श्रेणी ''ख''	24.03.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
185.	मै. प्राईम साफ्टैक्स लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	28.03.2000	–वही–
186.	मै. माईगुरु आनलाईन लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	29.03.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
187.	मै. एमसन्स इनफाटैक लि.	पंजाब श्रेणी ''ख''	30.03.2000	सेवा चालू ना करने की रिपोर्ट
188.	मै. सूमागली पब्लीकेशन्स लि.	चेन्नई श्रेणी ''ख''	30.03.2000	–वही–
189.	मै. पायनीर आनलाईन प्रा. लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	31.03.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
190.	मै. भसीन साफ्ट इंडिया प्रा. लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	02.03.2000	–वही–
191.	मै. औम इनफाटैक प्रा. लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	08.03.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
192.	मै. सनरे कम्प्यूटर्स प्रा. लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	05.04.2000	सेवा चालू ना करने की रिपोर्ट
193.	मै. बैंगलौर आनलाईन इंडिया लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	17.04.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
194.	मै. स्टीडफास्ट कम्सट्रेक्शन एण्ड इंजीनियरिंग प्रा. लि.	राजस्थान श्रेणी ''ख''	13.04.2000	सेवा चालू ना करने की रिपोर्ट
195.	मै. सीटी आनलाईन सर्विसेस लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	13.04.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
196.	मै. भारत कनैक्ट प्रा. लि.	नई दिल्ली श्रेणी ''ख''	20.04.2000	–वही–
197.	मै. रैसपान्स इनफारमैटिक्स लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	24.04.2000	सेवा चालू ना करने की रिपोर्ट
198.	मै. उड़ीसा नेटवर्क प्रा. लि.	उड़ीसा श्रेणी ''ख''	27.04.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
199.	मै. एम.पी. नेटवर्क प्रा. लि.	मध्य प्रदेश श्रेणी ''ख''	27.04.2000	–वही–
200.	मै. वैस्ट बंगाल नेटवर्क प्रा. लि.	कलकत्ता श्रेणी ''ख''	27.04.2000	–वही–
201.	मै. उत्तर प्रदेश नेटवर्क प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी सर्किल) श्रेणी ''ख''	27.04.2000	–वही–
202.	मै. वेस्ट बंगाल नेटवर्क प्रा. लि.	पश्चिम बंगाल श्रेणी ''ख''	27.04.2000 एलआर	–वही–
203.	मै. ग्लोबल इलैक्ट्रोटैक्स प्रा. लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	20.04.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
204.	मै. ग्लोबल इलैक्ट्रोटैक्स प्रा. लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	20.40.2000	–वही–
205.	मै. ग्लोबल इलैक्ट्रोटैक्स प्रा. लि.	कलकत्ता श्रेणी ''ख''	20.04.2000	–वही–
206.	मै. फिनोलेक्स टैक्नोलाजीज लि.	महाराष्ट्र श्रेणी ''ख''	18.04.2000	–वही–

1	2	3	4	5
207.	मै. विद्या आनलाईन प्रा. लि.	महाराष्ट्र सर्किल श्रेणी ''ख''	03.05.2000	सेवा चालू ना करने की रिपोर्ट
208.	मै. डेल डी एस एल इंटरनेट प्रा. लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	03.05.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
209.	मै. नैमीनाथ इनफाटैक (इंडिया) प्रा. लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	04.05.2000	–वही–
210.	मै. विशाखा इनफाटैक लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	08.05.2000	सेवा चालू नहीं हुई
211.	मै. साबू आईटैक काम लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	19.05.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
212.	मै. एक्सप्लौरा स्काई नेट लि.	गुजरात सर्किल श्रेणी ''ख''	23.05.2000	लाइसेंस रद्द है।
213.	मै. हाथवे केबल डेटाकाम (पी) लि.	कर्नाटक सर्किल श्रेणी ''ख''	23.05.2000	–वही–
214.	मै. हाथवे केबल डेटाकाम (पी) लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	23.05.2000	–वही–
215.	मै. अप्पोलाजिक सिस्टमस लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	19.05.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
216.	मै. वैद्यनाथ काम वर्ल्डवाईड लि.	कोलकता श्रेणी ''ख''	25.05.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
217.	मै. जी आई जी ए सोल्यूशन्स प्रा. लि.	महाराष्ट्र सर्किल श्रेणी ''ख''	29.05.2000	सेवा चालू ना किए जाने की रिपोर्ट
218.	मै. बिहार नेटवर्क प्रा. लि.	बिहार सर्किल श्रेणी ''ख''	30.05.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
219.	मै. हरियाणा साईबर नेट प्रा. लि.	हरियाणा सर्किल श्रेणी ''ख''	30.05.2000	–वही–
220.	मै. उत्तर प्रदेश सर्विसेज प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किल श्रेणी ''ख''	30.05.2000	–वही–
221.	मै. पंजाब साईबरनेट प्रा. लि.	पंजाब सर्किल श्रेणी ''ख''	30.05.2000	–वही–
222.	मै. बीजीएन सर्विसेज प्रा. लि.	चेन्नई श्रेणी ''ख''	31.05.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
223.	मै. एक्सैल मीडिया प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	31.05.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
224.	मै. वी एक्स एल इन्स्ट्रूमैन्टस लि.	कर्नाटक सर्किल श्रेणी ''ख''	02.06.2000	–वही–
225.	मै. वी एक्स एल इन्स्ट्रूमैन्टस लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	02.06.2000	सेवा चालू करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध
226.	मै. यशनेट सर्विसेज प्रा. लि.	गुजरात श्रेणी ''ख''	12.06.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
227.	मै. फोयनिक्स औवरसीज लि.	दिल्ली श्रेणी ''ख''	12.06.2000	सेवा चालू ना करने की रिपोर्ट
228.	मै. इन्डिया आनलाईन नेटवर्क लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	12.06.2000	–वही–
229.	मै. टीटागढ़ वैगन्स लि.	कलकत्ता श्रेणी ''ख''	21.06.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
230.	मै. एच एफ सी एल इनफोटैल लि.	पंजाब श्रेणी ''ख''	28.06.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
231.	मै. सिसटाईम कम्प्यूटर्स लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	29.06.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
232.	मै. पालीवाल फाइनेंशल सर्विसेज प्रा. लि.	हरियाणा श्रेणी ''ख''	07.07.2000	–वही–

1	2	3	4	5
233.	मै. सुराणा टेलीकाम लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	06.07.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
234.	मै. माइक्रोनेट टेक्नोलाजीज लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	14.07.2000	सेवा चालू ना करने की रिपोर्ट
235.	मै. स्टोन कोर इनफाटैक लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	17.07.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
236.	मै. सेवन स्टार डाट काम प्रा. लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	07.08.2000	सेवा चालू नहीं हुई है।
237.	मै. केरला कम्यूनिकेशन्स नेटवर्क प्रा. लि.	केरल श्रेणी ''ख''	08.08.2000	–वही–
238.	मै. ग्लोबल इल्ट्रोटैक्स प्रा. लि.	केरल श्रेणी ''ख''	09.08.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
239.	मै. एवरग्रीन टैलीकम्यूनीकेशन्स (इंडिया) प्रा. लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	09.08.2000	–वही–
240.	मै. बिल्डिंग नेटवर्क आटोमोशन प्रा. लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	16.08.2000	–वही–
241.	मै. इन टैकनेट लि.	चेन्नई श्रेणी ''ख''	16.08.2000	सेवा चालू ना करने की रिपोर्ट
242.	मै. सीटीमेनस्ट्रीट काम इंडिया लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	18.08.2000	–वही–
243.	मै. एशियानेट सैटेलाईट कम्यूनीकेशन्स प्रा. लि.	केरल श्रेणी ''ख''	24.08.2000	सेवा चालू करने की रिपोर्ट
244.	मै. डीएसएल इन्फानेटस प्रा. लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	31.08.2000	–वही–
245.	मै. एस्ट्रा इन्फानेटस प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	01.09.2000	–वही–
246.	मै. एस्ट्रा इन्फाटैक्स प्रा. लि.	कर्नाटक श्रेणी ''ख''	01.09.2000	–वही–
247.	मै. हाथवे भवानी कैबेटैल एण्ड डेंटाकाम लि.	मुम्बई श्रेणी ''ख''	13.09.2000	–वही–
248.	मै. एन-लोग्यू कम्यूनीकेशन्स प्रा. लि.	चेन्नई श्रेणी ''ख''	09.10.2000	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
249.	मै. एन-लोग्यू कम्यूनीकेशन्स प्रा. लि.	तमिलनाडु श्रेणी ''ख''	09.10.2000	–वही–
250.	मै. एन-लोग्यू कम्यूनीकेशन्स प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश श्रेणी ''ख''	09.10.2000	–वही–
251.	मै. एम्बर आन लाइन सर्विसिस लि.	''ख'' आंध्र प्रदेश	13.10.2000	सेवा शुरू कर दी गई है
252.	मै. डेस्कान कम्सलटेन्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट लि.	''ख'' कलकत्ता	18.10.2000	सेवा शुरू कर दी गई है
253.	मै. टाटा टेलीसर्विस लि.	''ख'' आंध्र प्रदेश	18.10.2000	–वही–
254.	मै. करूतूरी काम लि.	''ख'' कर्नाटक	31.10.2000	सेवा शुरू कर दी है
255.	मै. बीजीएन सर्विसिस प्राइवेट लि.	''ख'' आंध्र प्रदेश	01.11.2000	लाइसेंस रद्द किया गया।
256.	मै. वर्ल्ड वाइड वायरलेस (इंडिया) लि.	''ख'' चेन्नई	01.11.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
257.	मै. वर्ल्ड वाइड वायरलेस (इंडिया) लि.	''ख'' बैंगलौर	01.11.2000	–वही–
258.	मै. वर्ल्ड वाइड वायरलेस (इंडिया) लि.	''ख'' दिल्ली	01.11.2000	–वही–
259.	मै. वर्ल्ड वाइड वायरलेस (इंडिया) लि.	''ख'' मुंबई	01.11.2000	–वही–

1	2	3	4	5
260.	मै. स्पेस आनलाइन प्रा. लि.	"ख" गुजरात	3.11.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
261.	मै. स्पेक्ट्रा पंजाब लि.	"ख" पंजाब	6.11.2000	–वही–
262.	मै. स्पेन्को टेलीसिस्टम एंड साल्यूशन लि.	"ख" मुंबई	7.11.2000	–वही–
263.	मै. इनेबलिंग टेक्नालोजीज प्रा. लि.	"ख" कर्नाटक	8.11.2000	सेवा शुरू कर दी गई है
264.	मै. जेल्ट्रान इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.	"ख" दिल्ली	8.11.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
265.	मै. गुजरात आनलाइन प्रा. लि.	"ख" गुजरात	02.02.2001	–वही–
266.	मै. स्विफ्ट टेलीकाम इंडिया प्रा. लि.	"ख" मुंबई	08.02.2001	लाइसेंस रद्द किया गया
267.	मै. बैनयन नेटवर्क्स प्रा. लि.	"ख" चेन्नई	–वही–	–वही–
268.	मै. इनोवैटिव साइबर टेक्नालोजीज प्रा. लि.	"ख" आंध्र प्रदेश	13.02.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
269.	मै. नेक्सटेज ब्रोडबैंड प्रा. लि.	"ख" दिल्ली	15.03.2001	–वही–
270.	मै. नेक्सटेज ब्रोडबैंड प्रा. लि.	"ख" मुंबई	15.03.2001	–वही–
271.	मै. नेक्सटेज ब्रोडबैंड प्रा. लि.	"ख" आंध्र प्रदेश	15.03.2001	–वही–
272.	मै. गोदरेज इन्फोटेक लि.	"ख" मुंबई	17.04.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
273.	मै. राजस्थान टेलीमैटिक्स लि.	"ख" राजस्थान	30.04.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
274.	मै. इनिक्स पब्लिक पीयरिंग पाइंट प्रा. लि.	"ख" मुंबई	08.06.2001	–वही–
275.	मै. बैंड-एक्स (इंडिया) प्रा. लि.	"ख" मुंबई	26.06.2001	लाइसेंस रद्द किया गया
276.	मै. विराज टेलीकाम लि.	"ख" कर्नाटक	16.07.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
277.	मै. स्पाइडरनेट साफ्टवेयर साल्यूशन्स प्रा. लि.	"ख" महाराष्ट्र	31.05.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
278.	मै. इनेबलिंग टेक्नोलोजिज प्रा. लि.	"ख" मुंबई	30.7.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
279.	मै. इनेबलिंग टेक्नोलोजिज प्रा. लि.	"ख" चेन्नई	30.07.2001	–वही–
280.	मै. इंडिया इन्फोलाइन लि.	"ख" मुंबई	02.08.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
281.	मै. इन्टरनैशनल टेलीफोन एंड सैटेलाइट कार्प इंडिया लि.	"ख" दिल्ली	24.08.2001	–वही–
282.	मै. इन्टरनैशनल टेलीफोन एंड सैटेलाइट कार्प इंडिया लि.	"ख" मुंबई	29.08.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
283.	मै. अनिप्रा कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	"ख" दिल्ली	13.09.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
284.	मै. इनेबलिंग टेक्नालोजिज प्रा. लि.	"ख" आंध्र प्रदेश	13.09.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
285.	मै. इनेबलिंग टेक्नालोजिज प्रा. लि.	"ख" तमिलनाडु	13.09.2001	सेवा शुरू कर दी गई है

1	2	3	4	5
286.	मै. डयलनेट कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	"ख" मुंबई	21.09.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
287.	मै. वीएक्सएल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि.	"ख" कोलकाता	15.10.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
288.	मै. जैन स्टूडियोज लि.	"ख" दिल्ली	22.10.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
289.	मै. इन टेकनेट लि.	श्रेणी "ख" आंध्र प्रदेश	27.01.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
290.	मै. आरटेल कम्यूनिकेशन्स लि.	श्रेणी "ग" भुवनेश्वर	06.11.98	सेवा शुरू कर दी गई है
291.	मै. स्यूरविन इन्टरनेट सर्विसिस प्रा. लि.	श्रेणी "ग" गाजियाबाद	06.11.98	सेवा शुरू कर दी गई है
292.	मै. यूनाइटिड इन्टरनेट कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	श्रेणी "ग" जयपुर	09.11.98	सेवा शुरू नहीं की गई है
293.	मै. बरेली कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	श्रेणी "ग" बरेली	11.11.98	सेवा शुरू कर दी गई है
294.	मै. पालीवाल फिनैंसियल सर्विसिज प्रा. लि.	श्रेणी "ग" करनाल	16.11.98	लाइसेंस रद्द किया गया
295.	मै. सोमानी ओवरसीज लि.	श्रेणी "ग" सूरत	18.11.98	लाइसेंस रद्द किया जा रहा है
296.	मै. अरुण गिरिजा कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	श्रेणी "ग" पटना	23.11.98	सेवा शुरू नहीं की गई है
297.	मै. किंजारू, एपलायंसिस प्रा. लि.	श्रेणी "ग" राजकोट	19.11.98	सेवा शुरू नहीं की गई है
298.	मै. एसएनसी इन्फोटेक प्रा. लि.	श्रेणी "ग" गाजियाबाद	09.11.98	लाइसेंस रद्द किया गया
299.	मै. जवेरचन्द्र साइबर इन्फोटेक प्रा. लि.	श्रेणी "ग" वडोदरा	20.11.98	लाइसेंस रद्द किया जा रहा है
300.	मै. सृष्टि ओपन सिस्टम्स प्रा. लि.	श्रेणी "ग" त्रिवेन्द्रम	12.11.98	सेवा शुरू कर दी है
301.	मै. सुचिभ कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	श्रेणी "ग" सतारा	12.11.98	सेवा शुरू नहीं की गई है
302.	मै. एस.के. डिजिटल टेक्नालाजी प्रा. लि.	श्रेणी "ग" आसनसोल	19.11.98	सेवा शुरू नहीं की गई है
303.	मै. सी.एस. प्रोसोप टेकइन्फोर्मेटिक्स प्रा. लि.	श्रेणी "ग" मदुरई	02.12.98	सेवा शुरू कर दी है
304.	मै. कास्मोस लिंक नेटवर्क प्रा. लि.	श्रेणी "ग" बड़ौदा	04.12.98	लाइसेंस रद्द किया गया
305.	मै. कास्मोस लिंक नेटवर्क प्रा. लि.	श्रेणी "ग" सूरत	04.12.98	लाइसेंस रद्द किया गया
306.	मै. जैन स्टूडियोज लि.	श्रेणी "ग" गाजियाबाद	08.12.98	लाइसेंस रद्द किया गया
307.	मै. गेटवे इन्टरनेट सर्विसिज प्रा. लि.	श्रेणी "ग" राजमुंदरी	17.12.98	लाइसेंस रद्द किया गया
308.	मै. योग क्षेम कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	श्रेणी "ग" इंदौर	22.12.98	लाइसेंस रद्द किया गया
309.	मै. योग क्षेम कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	श्रेणी "ग" भोपाल	22.12.98	लाइसेंस रद्द किया गया
310.	मै. भारती कम्यूनिकेशन्स इंडिया प्रा. लि.	श्रेणी "ग" वालसाद	23.12.98	लाइसेंस रद्द किया जा रहा है
311.	मै. वासनेट कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	श्रेणी "ग" मंगलौर	28.12.98	सेवा शुरू कर दी है
312.	मै. ए-टीम इन्फोर्मेशन टेकनालाजी (प्रा.) लि.	श्रेणी "ग" इरोड	29.12.98	सेवा शुरू कर दी है

1	2	3	4	5
313.	मै. बोहरा प्रतिष्ठान प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' उदयपुर	05.10.99	सेवा शुरू कर दी है
314.	मै. जार्स ओलियोरेजिन्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' मंगलौर	11.01.99	सेवा शुरू कर दी है
315.	मै. जार्स ओलियोरेजिन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गुलबर्ग	11.01.99	सेवा शुरू कर दी है
316.	मै. मास्टर चिप इन्टरनेट सर्विसेज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' निजामाबाद	12.01.99	सेवा शुरू कर दी है
317.	मै. विंटामैस नेटवर्क प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' सलेम	15.01.99	लाइसेंस रद्द किया गया
318.	मै. बाइट्स इन्टरनेट सर्विसेज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' वलसाड	18.01.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
319.	मै. डाटा सेक्यूरिटीज लि.	श्रेणी ''ग'' जयपुर	18.01.99	लाइसेंस रद्द किया गया
320.	मै. बलदेव शिप ब्रेकर्स लि.	श्रेणी ''ग'' भावनगर	27.01.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
321.	मै. वरदा इलक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' नागपुर	27.01.99	लाइसेंस रद्द किया गया
322.	मै. वाइटल कन्टीन्यूटी इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' रांची	10.02.99	सेवा शुरू कर दी है
323.	मै. डब्ल्यू ई बी सर्फ प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' कल्याण	12.02.99	सेवा शुरू कर दी है
324.	मै. वासवी साल्यूशन्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' विशाखापटनम	17.02.99	लाइसेंस रद्द किया गया
325.	मै. स्पेक्ट्रम साफ्ट टेक साल्यूशन्स प्रा. लि. बिल्डिंग	श्रेणी ''ग'' एर्नाकुलम	24.02.99	सेवा शुरू कर दी है
326.	मै. आप्टो नेटवर्क प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गाजियाबाद	04.03.99	सेवा शुरू कर दी है
327.	मै. ई-कनेक्ट साल्यूशन्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' उदयपुर	08.03.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
328.	मै. वारी इन्सट्रूमेन्टस लि.	श्रेणी ''ग'' वालसाद	10.03.99	लाइसेंस रद्द किया गया
329.	मै. जेमिनी कम्यूनिकेशन्स	श्रेणी ''ग'' कोयम्बटूर	19.03.99	लाइसेंस रद्द किया जा रहा है
330.	मै. स्वर्णान्दरा टेकनालोजिज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' विजयवाडा	19.03.99	लाइसेंस रद्द किया गया
331.	मै. वारटेक कम्यूनिकेशन्स लि.	श्रेणी ''ग'' जयपुर	19.03.99	सेवा शुरू कर दी है
332.	मै. शाह नेट टेकनोलोजिज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' नाडियाड	23.03.99	सेवा शुरू कर दी है
333.	मै. अग्रवाल इन्टरनेट सर्विसेज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' इन्दौर	26.03.99	लाइसेंस रद्द किया गया
334.	मै. जे एंड के स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. जम्मू	श्रेणी ''ग'' श्रीनगर	05.03.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
335.	मै. ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	श्रेणी ''ग'' फरीदाबाद	07.03.99	सेवा शुरू कर दी है
336.	मै. ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	श्रेणी ''ग'' कल्याण	07.03.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
337.	मै. वर्ल्ड गेट नेटवर्क्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' सूरत	29.04.99	सेवा शुरू कर दी है
338.	मै. फ्यूचर कन्सलटेन्टस प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' कानपुर	29.04.99	सेवा शुरू कर दी है

1	2	3	4	5
339.	मै. फ्यूचर कन्सलटेन्टस प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' लखनऊ	29.04.99	सेवा शुरू कर दी है
340.	मै. सत्यसाई आनलाइन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' विशाखापटनम	07.05.99	सेवा शुरू कर दी है
341.	मै. नर्मदा साइबर जोन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' भारूच	10.05.99	लाइसेंस रद्द किया गया
342.	मै. चिमन ट्रेड लिंक	श्रेणी ''ग'' नाडियाड	12.05.99	सेवा शुरू कर दी है
343.	मै. आई क्यू इन्फोसिस्टम्ज	श्रेणी ''ग'' नागपुर	13.05.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
344.	मै. टी.सी.आई. भोरूका प्रोजेक्ट्स लि.	श्रेणी ''ग'' जयपुर	17.03.99	लाइसेंस रद्द किया जा रहा है
345.	मै. स्कैड कन्सलटेन्ट्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' वडौदरा	20.05.99	लाइसेंस रद्द किया गया
346.	मै. आई-नाइनटी वन इन्टरकनेक्ट लि.	श्रेणी ''ग'' चंडीगढ़	25.05.99	सेवा शुरू कर दी है
347.	मै. प्लेनेट इन्टरनेट सैटेलाइट (वीवीषी) प्रा.लि.	श्रेणी ''ग'' नाडियाड	25.05.99	सेवा शुरू कर दी है
348.	मै. कंप्यूकाम इंडिया प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' जयपुर	28.05.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
349.	मै. एसटेल कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गुड़गांव	09.06.99	लाइसेंस रद्द किया गया
350.	मै. एस ए बी इन्फोटेक लि.	श्रेणी ''ग'' चंडीगढ़	11.06.99	लाइसेंस रद्द किया गया
351.	मै. भारत नेटवर्क लि.	श्रेणी ''ग'' बड़ौदा	23.06.99	सेवा शुरू कर दी है
352.	मै. एशियानेट सैटेलाईट कम्यूनिकेशन्स लि.	श्रेणी ''ग'' तिरूवंतपुरम	05.07.99	सेवा शुरू कर दी है
353.	मै. एशियानेट सैटेलाईट कम्यूनिकेशन्स लि.	श्रेणी ''ग'' एर्नाकुलम	05.07.99	सेवा शुरू कर दी है
354.	मै. कप्पा इन्फोटेक प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' कोटा	14.07.99	सेवा शुरू कर दी है
355.	मै. एन.एस. नेट सोर्स (आई) प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' विशाखापटनम	21.07.99	सेवा शुरू कर दी है
356.	मै. ली एण्ड नी साफ्टवेयर	श्रेणी ''ग'' भुवनेश्वर	21.7.99	सेवा शुरू कर दी है
357.	मै. स्पेक्ट्रानेट प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गाजियाबाद	27.07.99	लाइसेंस रद्द किया गया
358.	मै. स्पेक्ट्रा नेट प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गुड़गांव	27.07.99	लाइसेंस रद्द किया गया
359.	मै. मिलेनियम इन्टरनेट सर्विसिज	श्रेणी ''ग'' अमृतसर	02.08.99	सेवा शुरू कर दी है
360.	मै. इन्फोनेट सर्विसिज (आई) प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' अमृतसर	06.08.99	लाइसेंस रद्द किया गया
361.	मै. इंडिपेंडेंट बिजनेस मशीन्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' चंडीगढ़	12.08.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
362.	मै. रिडा कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' अलगीढ़	12.08.99	सेवा शुरू कर दी है
363.	मै. अमीबा टेलीकाम प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' कोयम्बटूर	19.08.99	लाइसेंस रद्द किया गया
364.	मै. आनलाइन इन्टरनेट सर्विसिंग प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' चंडीगढ़	07.09.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
365.	मै. केलनेट कम्यूनिकेशन्स सर्विसिज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' त्रिवेन्द्रम	15.09.99	सेवा शुरू कर दी है

1	2	3	4	5
366.	मै. केलनेट कम्यूनिकेशन्स सर्विसिज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' एर्नाकुलम	15.09.99	लाइसेंस रद्द किया गया
367.	मै. कुशाग्र टेलीकाम प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गाजियाबाद	15.09.99	सेवा शुरू कर दी है
368.	मै. अश्यूर्ड वेब टेकनोलोजिज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' भोपाल	20.09.99	सेवा शुरू कर दी है
369.	मै. भास्कर मल्टी नेट प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' जयपुर	20.09.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
370.	मै. कोमट टेकनोलोजिज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' शिमोगा लाइसेंस	21.09.99	लाइसेंस रद्द किया गया
371.	मै. ईएमटीआईसीआई इंजिनियरिंग लि.	श्रेणी ''ग'' नाडियाड	29.09.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
372.	मै. मैक्सवेल ट्रेडलिंक्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' कल्याण	30.09.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
373.	मै. सहजानन्द इन्टरनेट सर्विस प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' सूरत	01.10.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
374.	मै. माई-नेट सर्विसिज इंडिया प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' सालेम	06.10.99	सेवा शुरू कर दी है
375.	मै. एक्सेल मीडिया प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' विशाखापटनम	08.10.99	लाइसेंस रद्द किया गया
376.	मै. सी.एस. प्रोसाफ्टेक इन्फोर्मेटिक्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' तिरूनेलवेली	13.10.99	सेवा शुरू कर दी है
377.	मै. स्टारनेट आनलाइन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' विशाखापटनम	27.10.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
378.	मै. सत्यसाई आनलाइन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' राजामुंद्री	05.11.99	सेवा शुरू कर दी है
379.	मै. नेटकनेक्ट (इंडिया) लि.	श्रेणी ''ग'' मैसूर	11.11.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
380.	मै. शिवम इन्फोवेज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' जोधपुर	22.11.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
381.	मै. क्वेस्ट कन्सलटेन्सी प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' वालसाद	08.12.99	सेवा शुरू कर दी है
382.	मै. टैंडेम इन्फोटेक प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' त्रिवेन्द्रम	09.12.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
383.	मै. सीजे आनलाइन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गाजियाबाद	10.12.99	सेवा शुरू कर दी है
384.	मै. आई लिंक कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गुड़गांव	15.12.99	लाइसेंस रद्द किया गया
385.	मै. तवी ई. काम प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' जम्मूतवी	23.12.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
386.	मै. येनके नेटवर्क प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' होसपेट	23.12.99	सेवा शुरू नहीं की गई है
387.	मै. मारवेल इंडेंटिंग प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' वडौदरा	05.01.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
388.	मै. आरगोसी इन्फोटेक प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' रायगढ़	06.01.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
389.	मै. मिलेनियम इन्टरनेट सर्विसिज आनलाइन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' जालंधर	10.01.2000	सेवा शुरू कर दी है
390.	मै. नेपच्यून साइबर वर्ल्ड प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' राजकोट	13.01.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
391.	मै. डिरेक्ट इन्टरनेट प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गुड़गांव	17.01.2000	सेवा शुरू कर दी है
392.	मै. डिरेक्ट इन्टरनेट प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गाजियाबाद	17.10.2000	सेवा शुरू कर दी है

1	2	3	4	5
393.	मै. आल इंडिया आन-लाइन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' भुवनेश्वर	19.01.2000	सेवा शुरू कर दी है
394.	मै. पैट्रीआट आटोमेशन प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' जमशेदपुर	28.01.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
395.	मै. पैट्रीआट आटोमेशन प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गुवाहाटी	28.01.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
396.	मै. पैट्रीआट आटोमेशन प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' सिलीगुडी	28.01.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
397.	मै. मल्टीटेक कम्प्यूटर प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गुड़गांव	03.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
398.	मै. शेल इन्फोर्मेशन टेकनालाजिज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' अहमदनगर	25.02.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
399.	मै. तुलसी इन्फोवेज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' कानपुर	25.02.2000	सेवा शुरू कर दी है
400.	मै. एस फोर माइक्रोसिस्टम्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' एलेरू (22.05.02)	25.02.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
401.	मै. वरटेक कम्यूनिकेशन्स लि.	श्रेणी ''ग'' देहरादून	07.03.2000	लाइसेंस रद्द किया जा रहा है
402.	मै. दीक्षा साइबर सिटी प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' श्रीगंगानगर	—	सेवा शुरू कर दी है
403.	मै. डिस्कवरी इन्फोवेज लि.	श्रेणी ''ग'' पटना	13.03.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
404.	मै. मुद्रा कन्सलटेन्ट्स लि.	श्रेणी ''ग'' गाजियाबाद	24.03.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
405.	मै. आरटेल कम्यूनिकेशन्स लि.	श्रेणी ''ग'' कटक	29.03.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
406.	मै. सलासर डाट काम टेक लि.	श्रेणी ''ग'' गुड़गांव	30.03.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
407.	मै. सलासर डाटा काम टेक लि.	श्रेणी ''ग'' गाजियाबाद	30.03.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
408.	मै. सुप्रभात टेकनोलिंक प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' भोपाल	31.03.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
409.	मै. कृष्णा राघव आनलाइन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' एलुरू	28.02.2000	सेवा शुरू कर दी है
410.	मै. कैडनेट इन्फो सर्विसिज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' सूरत	03.04.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
411.	मै. नन्दी आनलाइन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' कुरनुल	04.04.2000	सेवा शुरू कर दी है
412.	मै. सेराफिक सिस्टम्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' भुवनेश्वर	03.04.2000	सेवा शुरू नहीं गई है
413.	मै. शिमलेट्स इन्फोवेज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' देहरादून	18.04.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
414.	मै. श्रीधर इन्फोसिस लि.	श्रेणी ''ग'' वाराणसी	18.04.2000	सेवा शुरू कर दी है
415.	मै. स्काईडाट कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' वालसाद	26.04.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
416.	मै. डेलडीएसएल इन्टरनेट प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गुड़गांव	03.05.2000	सेवा शुरू कर दी है
417.	मै. डेल डीएसएल इन्टरनेट प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गाजियाबाद	03.05.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
418.	मै. यूरेका रैपिड कम्यूनिकेशन्स लि.	श्रेणी ''ग'' गुड़गांव	03.05.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
419.	मै. यूरेका नेट डाट काम लि.	श्रेणी ''ग'' लखनऊ	03.05.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है

1	2	3	4	5
420.	मै. क्विक कनेक्ट डाट काम लि.	श्रेणी ''ग'' लुधियाना	03.05.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
421.	मै. मणिपुर इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.	श्रेणी ''ग'' मणिपुर	09.05.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
422.	मै. मिलेनियम इन्टरनेट सर्विसिज आनलाइन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' लुधियाना	11.05.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
423.	मै. वर्ल्डवाइड काम प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' सहारनपुर	17.05.2000	सेवा शुरू कर दी है
424.	मै. साबू आइटेक काम लि.	श्रेणी ''ग'' जयपुर	19.05.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
425.	मै. वेदान्त काम वर्ल्डवाइड लि.	श्रेणी ''ग'' राउरकेला	25.05.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
426.	मै. वेदान्त काम वर्ल्डवाइड लि.	श्रेणी ''ग'' सिलीगुडी	25.05.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
427.	मै. वेदान्त काम वर्ल्डवाइड लि.	श्रेणी ''ग'' गुवाहाटी	25.05.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
428.	मै. नाहरवार मार्केटिंग सर्विसिज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गुड़गांव	25.05.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
429.	मै. आई पाथ इंडिया प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' एर्नाकुलम	26.05.2000	सेवा शुरू कर दी है
430.	मै. डीएलएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	श्रेणी ''ग'' गुड़गांव	31.05.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
431.	मै. साबू आइटेक काम लि.	श्रेणी ''ग'' चंडीगढ़	01.06.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
432.	मै. डिजिटल नागपुर आन लाइन	श्रेणी ''ग'' नागपुर एसएसए	02.06.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
433.	मै. आइकाम सिस्टम्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' रत्नागिरी एसएसए	02.06.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
434.	मै. ड्रीम्ज क्राफ्ट इन्फो सोल्यूशन्स	श्रेणी ''ग'' देहरादून	02.06.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
435.	मै. फिनिक्स ओवरसीज लि.	श्रेणी ''ग'' गाजियाबाद 28.5.2000	12.06.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
436.	मै. स्काई सैट इंडिया प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गुड़गांव	12.06.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
437.	मै. स्वान कम्प्यूटेक प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' कानपुर लाइसेंस 20.3.2002	12.06.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
438.	मै. संचार टेलीनेटवर्क प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' भावनगर	20.06.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
439.	मै. काकटेल इन्टरनेट सर्विसिज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' मेरठ	21.06.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
440.	मै. अभियान मीडिया प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' इन्दौर	21.06.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
441.	मै. इन्फीनिटी काम फिनैंसियल सेक्यूरिटीज लि.	श्रेणी ''ग'' कल्याण	26.06.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
442.	मै. कम्प्यूवेयर रिसोर्सिज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' चंडीगढ़	12.07.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
443.	मै. कैपिटल आनलाइन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' जयपुर	14.07.2000	सेवा शुरू कर दी है

1	2	3	4	5
444.	मै. मिकी आनलाइन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' मुरादाबाद	14.07.2000	सेवा शुरू कर दी है
445.	मै. सिटी आनलाइन सर्विसिज लि.	श्रेणी ''ग'' पांडिचेरी	18.07.2000	लाइसेंस रद्द किया जा रहा है
446.	मै. सीईसी इन-काम लि.	श्रेणी ''ग'' चंडीगढ़	18.07.2000	लाइसेंस रद्द किया जा रहा है
447.	मै. प्रीमियर इन्टरनेट सर्विसिज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' चंडीगढ़	21.07.2000	सेवा शुरू कर दी है
448.	मै. कोचर इन्फोटेक प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' लुधियाना	—	सेवा शुरू नहीं की गई है
449.	मै. कोचर इन्फोटेक प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' अमृतसर	—	सेवा शुरू नहीं की गई है
450.	मै. अंडमान एंड निकोबार टेक्नालाजी लैब (प्रा.) लि.	श्रेणी ''ग'' अंडमान एवं निकोबार	07.08.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
451.	मै. कम्प्यूटर (इंडिया) लि.	श्रेणी ''ग'' पटना	07.08.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
452.	मै. मैगनम आनलाइन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' आगरा	12.08.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
453.	मै. नार्थ ईस्ट आनलाइन सर्विसिज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गुवाहाटी	22.08.2000	सेवा शुरू कर दी गई है
454.	मै. डीलक्स टेलीकाम प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' मेहसाना	—	सेवा शुरू नहीं की गई है
455.	मै. स्पेसएज इन्टरनेट प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गाजियाबाद	30.08.2000	लाइसेंस रद्द किया गया
456.	मै. इशान कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' जामनगर	31.08.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
457.	मै. अपट्रान इंडिया लि.	श्रेणी ''ग'' लखनऊ	05.09.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
458.	मै. मध्यदेश ग्लोबल नेटवर्क प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' नागपुर	13.09.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
459.	मै. डिजिटल वर्चुअल आई एस पी प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' वड़ोदरा	06.10.2000	सेवा शुरू कर दी गई है
460.	मै. सी.एन. साल्यूशन्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' शिमला	09.10.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
461.	मै. काम ''ओ'' मैजिक इन्टरनेट सर्विसिज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' मेरठ	09.10.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
462.	मै. आप्टो नेटवर्क प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' मेरठ	13.10.2000	सेवा शुरू कर दी गई है
463.	मै. वेब केबल टीवी लि.	श्रेणी ''ग'' नगरकोइल	19.10.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
464.	मै. टेकनोक्रूज सोल्यूशन्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' सहारनपुर	31.10.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
465.	मै. एसएबी इनफोटेक लि.	श्रेणी ''ग'' धर्मशाला	31.10.2000	सेवा शुरू कर दी गई है
466.	मै. एसएबी इनफोटेक लि.	श्रेणी ''ग'' करनाल	31.10.2000	सेवा शुरू कर दी गई है
467.	मै. सुजान इंजिनियरिंग प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' वड़ोदरा	01.11.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
468.	मै. वर्ल्डवाइड वायरलेस (इंडिया) लि.	श्रेणी ''ग'' लुधियाना	01.11.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
469.	मै. क्यू-नेट इन्फोसिस्टम्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' एर्नाकुलम	15.11.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है

1	2	3	4	5
470.	मै. डी ई लैला इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' श्रीनगर	17.11.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
471.	मै. इलेक्ट्रानिक्स रिसर्च एंड डेवेलपमेंट सेंटर आफ इंडिया	श्रेणी ''ग'' गाजियाबाद	19.12.2000	सेवा शुरू कर दी गई है
472.	मै. फोरम इन्फोटेक प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' श्रीनगर	27.12.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
473.	मै. क्यूटेल कामटेक लि.	श्रेणी ''ग'' गुड़गांव	29.12.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
474.	मै. लागिन आनलाइन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' मुरादाबाद	03.01.2001	लाइसेंस रद्द किया गया
475.	मै. मिक्की आन लाइन प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' नैनीताल	09.01.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
476.	मै. बेकन ब्रांड बैंड	श्रेणी ''ग'' दुर्ग	02.02.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
477.	मै. बैनयन नेटवर्क्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' वेलौर	09.02.2001	लाइसेंस रद्द किया गया
478.	मै. बैनयन नेटवर्क्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' त्रिची	09.02.2001	लाइसेंस रद्द किया गया
479.	मै. अटलान्टा इन्फोसिस लि.	श्रेणी ''ग'' भरूच	18.04.2001	लाइसेंस रद्द किया गया
480.	मै. उड़ीसा कनेक्ट प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' राउरकेला	18.04.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
481.	मै. आई.एस.पी. साल्यूशन्स (इंडिया) प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' कोयम्बटूर	28.06.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
482.	मै. डोम्बवली इन्टरनेट प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' कल्याण	03.07.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
483.	मै. बीजी ब्रोडबैंड इंडिया प्रा. लि.	श्रेणी ''ख'' गुजरात	07.09.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
484.	मै. माइक्रोएम्प सैटकाम प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' लखनऊ	11.09.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
485.	मै. डेजी एग्रोटेक लि.	श्रेणी ''ग'' भोपाल	12.09.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
486.	मै. डेस्कान लि.	श्रेणी ''ग'' बर्दवान	14.09.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
487.	मै. डिजिटल 2 वर्चुअल आईएसपी प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' खेरा	03.10.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
488.	मै. एशिया एक्सेस प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' विशाखापटनम	11.10.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
489.	मै. स्पीड आन लाइन नेट प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' राजकोट	15.10.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
490.	मै. जैन स्टूडियोज लि.	श्रेणी ''ग'' मेरठ	22.10.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
491.	मै. जैन स्टूडियोज प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' गाजियाबाद	22.10.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
492.	मै. भूमति होटल्स प्रा. लि.	श्रेणी ''ग'' विशाखापटनम	23.10.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
493.	मै. एलजी ट्रेड (इंडिया) लि.	कोयम्बटूर	07.11.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
494.	मै. एन लाग कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	सम्पूर्ण भारत	29.11.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
495.	मै. हेल्म कन्सलटेन्ट्स प्रा. लि.	सहारनपुर	29.11.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
496.	मै. सोलफीएस्को आनलाइन सर्विसिज	बर्दवान	03.12.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है

1	2	3	4	5
497.	मै. इन्फोटेक विजन इंडिया प्रा. लि.	गाजियाबाद	03.12.2001	लाइसेंस रद्द किया गया
498.	मै. सिक्कानेट सर्विसिज प्रा. लि.	लखनऊ	10.12.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
499.	मै. एलार्जी इनवेस्टमेन्टस प्रा. लि.	कोयम्बटूर	02.01.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
500.	मै. स्यूरविन इन्टरनेट सर्विसिज लि.	इन्दौर	14.01.2002	सेवा शुरू कर दी गई है
501.	मै. बी.जी. ब्रोडबैंड इंडिया प्रा. लि.	मुंबई	15.01.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
502.	मै. मेसर्स जीरोवरिज प्रा. लि.	रांची	24.01.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
503.	मै. विलनेट कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	गुजरात	06.02.2002	सेवा शुरू कर दी गई है
504.	मै. ब्रिजव्यू ब्रोडबैंड नेटवर्क प्रा. लि.	शिमला	06.02.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
505.	मै. रेलटेल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	सम्पूर्ण भारत	08.02.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
506.	मै. अक्स ब्रोडबैंट लि.	जयपुर एसएसए	14.02.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
507.	मै. इन्स्टेन्ट केबल नेटवर्क प्रा. लि.	गुड़गांव	01.03.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
508.	मै. स्टार केबल इन्फोनेट प्रा. लि.	मंगलौर	04.03.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
509.	मै. ट्रान्स वर्चुअल प्रा. लि.	गुवाहाटी	04.03.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
510.	मै. लेनसेल आनलाइन प्रा. लि.	राउरकेला	06.03.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
511.	मै. कोरफ्यूसन टेकनालाजिज प्रा. लि.	करनाल	20.03.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
512.	मै. अल्ट्रा माइक्रो कन्सलटैंसी प्रा. लि.	झांसी	21.03.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
513.	मै. मनीपाल कन्ट्रोल डाटा इलेक्ट्रानिक कामर्स लि.	कर्नाटक	21.03.2002	सेवा शुरू कर दी गई है
514.	मै. श्री श्री इन्फोटेनमेन्ट प्रा. लि.	विशाखापटनम	21.03.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
515.	मै. सिलीकान माउन्टेन्स (इंडिया) लि.	महाराष्ट्र	22.03.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
516.	मै. एक्सैट टेक्नालाजिज प्रा. लि.	मुंबई	11.04.2002	सेवा शुरू कर दी गई है
517.	मै. सांख्य नेटवर्क्स प्रा. लि.	गुड़गांव	23.04.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
518.	मै. स्यूरविन इन्टरनेट सर्विसिज लि.	ग्वालियर	29.04.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
519.	मै. स्यूरविन इन्टरनेट सर्विसिज लि.	जबलपुर	29.04.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
520.	मै. स्यूरविन इन्टरनेट सर्विसिज लि.	नागपुर	29.04.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
521.	मै. जेमप्लेक्स इन्टरनेट इंडिया प्रा. लि.	बंगलौर	02.05.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
522.	मै. जेमप्लेक्स इन्टरनेट इंडिया प्रा. लि.	मुंबई	02.05.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है

1	2	3	4	5
523.	मै. वर्ल्डकाम कम्यूनिकेशन्स इंडिया प्रा. लि.	सम्पूर्ण भारत	09.05.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
524.	मै. यूनिटी इलेक्ट्रो सिस्टम्स प्रा. लि.	कोयम्बटूर	15.05.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
525.	मै. स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि. मोदी कार्प टावर	कर्नाटक	15.05.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
526.	मै. स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि.	पंजाब	15.05.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
527.	मै. स्टार एअरनेट ब्रोडबैंड इन्फो प्रा. लि.	नागरकोइल	22.05.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
528.	मै. कैप यूटिलिटी सर्विसिज प्रा. लि. जल्लो खर्ग चौक, कपूरथला (पंजाब) 144601	चंडीगढ़	27.05.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
529.	मै. ब्रोडलेन नेटवर्क्स प्रा. लि.	डोमबिली	04.06.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
530.	मै. ब्रोडबैंड इन्फोकाम लि.	लखनऊ	11.06.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
531.	मै. नान-स्टाप इन्टरनेट प्रा. लि.	उदयपुर	13.06.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
532.	मै. केरला स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेन्ट कार्प लि.	तिरूवनन्तपुरम	14.06.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
533.	मै. एबीटी लि.	कोयम्बटूर	19.06.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
534.	मै. अन्तरिक्ष टेकनलाजिज प्रा. लि.	जम्मू	27.06.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
535.	मै. ब्रोडरेंज एप्लीकेशन इंटिग्रेटिड नेटवर्क साल्यूशन्स प्रा. लि.	बोकारो स्टील सिटी	27.06.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
536.	मै. गैस अथोरिटी आफ इंडिया लि.	सम्पूर्ण भारत	27.06.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
537.	मै. भोजक इन्फोनेट प्रा. लि.	जयपुर	03.07.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
538.	मै. भारती टेलीनेट लि.	दिल्ली	03.07.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
539.	मै. भारती टेलीनेट लि.	कर्नाटक	03.07.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
540.	मै. भारती टेलीनेट लि.	हरियाणा	03.07.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है
541.	मै. भारती टेलीनेट लि.	तमिलनाडु	03.07.2002	सेवा शुरू नहीं की गई है

क्लोज यूजर ग्रुप (सीयूजी) वाणिज्यिक वी सैट लाइसेंस

क्र.सं.	लाइसेंसधारी का नाम	लाइसेंस की स्थिति
1	2	3
1.	मै. ह्यूजेज एस्कोर्ट कम्यूनिकेशन लि.	चालू
2.	मै. कामसैट मैक्स प्रा. लि.	चालू
3.	मै. भारती बीटी प्रा. लि.	चालू
4.	मै. एचसीएल कामनेट प्रा. लि.	चालू

1	2	3
5.	मै. एस्सेल श्याम कामनेट प्रा. लि.	चालू
6.	मै. टेल्सट्रा वी डाट काम प्रा. लि.	चालू
7.	मै. एच.एफ.सी.एल. सैटेलाइट कम्यूनिकेशन लि.	चालू
8.	मै. आरपीजी सैटेलाइट कम्यूनिकेशन लि.	चालू
9.	मै. आई टी आई लि.	चालू
10.	मै. जी.एन.एफ.सी. लि.	चालू
11.	मै. डाटा लाइन एंड रिसर्च टेकलालानिज लि.	रद्द
12.	मै. सैटनेट कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	रद्द
13.	मै. मार्कसैट कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	रद्द
14.	मै. पंजाब वायरलेस कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	रद्द

ख. सर्किल पेजिंग (19 सर्किल)

क्रम सं.	सर्किल का नाम	कंपनी का नाम	प्रभावी तारीख	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	भारती सेल्युलर लि.	29.11.1994	सेवा शुरू कर दी गई है
		स्टेरलिंग सेल्युलर लि.	30.11.1994	–वही–
		महानगर टेलीफोन निगम लि.	10.10.1997	–वही–
		बिरला टाटा एटी एण्ड टी कम्यूनिकेशन्स लि.	05.10.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
2.	मुंबई	बीपीएल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	30.11.1994	सेवा शुरू कर दी गई है
		हचीसन मैक्स टेलीकाम लि.	29.11.1994	–वही–
		महानगर टेलीफोन निगम लि.	10.10.1997	–वही–
		भारती सेल्युलर लि.	28.09.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
3.	कोलकाता	भारती मोबीटेल लि.	30.11.1994	सेवा शुरू कर दी गई है
		उषा मार्टिन टेलीकाम लि.	30.11.1994	–वही–
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	–वही–
		रिलाइबल इंटरनेट सर्विस लि.	27.09.2001	सेवा शुरू नहीं की गई है
4.	चेन्नई	आरपीजी सेल्युलर सर्विस लि.	30.11.1994	सेवा शुरू कर दी गई है
		भारती मोबीनेट लि.	30.11.1994	–वही–

1	2	3	4	5
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
		हचीसन एस्सार साउथ लि.	26.09.2001	–वही–
5.	अंडमान-निकोबार	भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	–वही–
		ऐयरसेल लि.	07.05.2002	–वही–
6.	आंध्र प्रदेश	बिरला टाटा एटीएण्डटी लि.	19.12.1995	सेवा शुरू कर दी गई है
		भारती मोबाइल लि.	22.12.1995	–वही–
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
		हचीसन एस्सार साउथ लि.	26.09.2001	–वही–
7.	असम	रिलायंस टेलीकाम प्रा. लि.	12.12.1995	सेवा शुरू कर दी गई है
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है*
8.	बिहार	रिलायंस टेलीकाम प्रा. लि.	12.12.1995	सेवा शुरू कर दी गई है
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	–वही–
9.	गुजरात	फैसल लि.	11.01.1996	सेवा शुरू कर दी गई है
		बिरला टाटा एटीएण्डटी लि.	12.12.1995	–वही–
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
		भारती सेल्युलर लि.	28.09.2001	–वही–
10.	हरियाणा	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	12.12.1995	सेवा शुरू कर दी गई है
		एयर सेल डिजिलिंक इंडिया लि.	28.12.1995	–वही–
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
		भारती सेल्युलर लि.	28.09.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
11.	हिमाचल प्रदेश	भारती टेलीनेट लि.	12.12.1995	–वही–
		रिलायंस टेलीकाम प्रा. लि.	12.12.1995	–वही–
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
		एस्कोर्ट टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	20.10.2001	–वही–
12.	जम्मू-कश्मीर	भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है*
13.	कर्नाटक	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि.	09.09.1996	सेवा शुरू कर दी गई है
		भारती मोबाइल्स लि.	18.10.1996	–वही–

*सुरक्षा कारणों से सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है।

1	2	3	4	5
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
		हचीसन एस्सार साउथ लि.	26.09.2001	–वही–
14.	केरल	बीपीएल सेल्युलर लि.	19.12.1995	सेवा शुरू कर दी गई है
		एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	12.12.1995	–वही–
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
		भारती सेल्युलर लि.	28.09.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
15.	महाराष्ट्र	बीपीएल मोबाइल सेल्युलर लि.	19.12.1995	–वही–
		बिरला टाटा एटी एण्ड टी लि.	12.12.1995	–वही–
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
		भारती सेल्युलर लि.	28.09.2001	–वही–
16.	मध्य प्रदेश	आरपीजी सेलकाम लि.	15.12.1995	सेवा शुरू कर दी गई है
		रिलायंस टेलीकाम प्रा. लि.	12.12.1995	–वही–
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
		भारती सेल्युलर लि.	28.09.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
17.	पूर्वोत्तर	रिलायंस टेलीकाम प्रा. लि.	12.12.1995	सेवा शुरू कर दी गई है
		हैक्साकाम इंडिया लि.	01.01.1996	सेवा शुरू नहीं की गई है*
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	–वही–
18.	उड़ीसा	रिलायंस टेलीकाम प्रा. लि.	12.12.1995	सेवा शुरू कर दी गई है
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
19.	पंजाब	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि.	09.09.1996	सेवा शुरू कर दी गई है
		भारती मोबाइल लि.	26.12.1995	–वही–
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
		एस्कोर्टस टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	20.10.2001	–वही–
20.	राजस्थान	एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.	01.08.1996	सेवा शुरू कर दी गई है
		हैक्साकाम इंडिया लि.	16.09.1996	–वही–
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
		एस्कोर्ट्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	20.10.2001	–वही–

*सुरक्षा कारणों से सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है।

1	2	3	4	5
21.	तमिलनाडु	बीपीएल मोबाइल सेल्युलर लि.	19.12.1995	सेवा शुरू कर दी गई है
		ऐयरसेल लि.	22.05.1998	–वही–
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
		भारती सेल्युलर लि.	28.09.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	12.12.1995	सेवा शुरू कर दी गई है
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
		भारती सेल्युलर लि.	28.09.2001	सेवा शुरू कर दी गई है
23.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि.	28.12.1995	सेवा शुरू कर दी गई है
		कोशिका टेलीकाम प्रा. लि.	12.12.1995	–वही–
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है
		एस्कोर्ट्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	20.10.2001	–वही–
24.	पश्चिम बंगाल	रिलायंस टेलीकाम प्रा. लि.	12.12.1995	सेवा शुरू कर दी गई है
		भारत संचार निगम लि.	29.02.2000	सेवा शुरू नहीं की गई है

वीएमएस/आडियोटेक्स/यूएमएस लाइसेंसों की सेवा क्षेत्र-वार स्थिति
(30.06.2002 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	कंपनी का नाम	शहर का नाम	प्रभावी तारीख	सेवा चालू की गई	सेवा का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	मै. डायलनेट काम. लि.	नई दिल्ली	27.6.97	सभी स्थानों पर	वीएमएस/आडियोटेक्स/यूएमएस
		मुंबई	25.9.01	सेवा शुरू	–वही–
		कोलकाता	25.9.01	कर दी गई	वीएमएस/आडियोटेक्स
		बंगलौर	25.9.01	है।	–वही–
		अहमदाबाद	25.9.01		–वही–
		लुधियाना	25.9.01		–वही–
		कानपुर	25.9.01		–वही–
		नागपुर	25.9.01		–वही–
		इंदौर	25.9.01		–वही–
2.	मै. साइबर बाजार (इंडिया) प्रा. लि.	बंगलौर	21.10.97	सेवा शुरू	–वही–
		दिल्ली	19.10.01	कर दी गई है	–वही–
		मुंबई	19.10.01	सेवा शुरू नहीं की गई है	–वही–

1	2	3	4	5	6
3.	मै. नवीन. काम (इंडिया) प्रा.लि.	मुंबई	14.8.01	सभी	वीएमएस/आडियोटेक्स/यूएमएस
		बंगलौर	14.8.01	स्थानों पर	–वही–
		पुणे	14.8.01	सेवा शुरू	–वही–
		कोलकाता	14.8.01	कर दी गई	–वही–
		लुधियाना	14.8.01	है।	–वही–
		बड़ौदा	14.8.01		–वही–
		नई दिल्ली	14.8.01		–वही–
		हैदराबाद	14.8.01		–वही–
		चेन्नई	14.8.01		–वही–
		अहमदाबाद	14.8.01		–वही–
		कोची	14.8.01		–वही–
4.	मै. फोनोलोगिस (इंडिया) प्रा. लि.	मुंबई	27.11.01	सेवा शुरू नहीं की गई है	वीएमएस/आडियोटेक्स
5.	मै. हचीसन मैक्स टेलीकाम प्रा. लि.	मुंबई	13.5.96	सेवा शुरू	(वीएमएस/आडियोटेक्स)
		कल्याण	27.6.97	कर दी गई है	–वही–
6.	मै. टाटा टेली सर्विसेस लि.	हैदराबाद	16.8.00	सेवा शुरू कर दी गई है	–वही–
7.	मै. वायसगेट टेक्नोलाजिस इंडिया प्रा. लि.	हैदराबाद	19.6.02	सेवा शुरू नहीं की गई है	–वही–
8.	नेट इंडिया कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	हैदराबाद	20.6.02	सेवा शुरू नहीं की गई है	–वही–

पीएमआरटीएस लाइसेंसधारकों की सेवा क्षेत्र-वार स्थिति
(30.6.2002 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	कंपनी का नाम	शहर का नाम	प्रभावी तारीख	सेवा शुरू कर दी गई है
1	2	3	4	5
1.	आर्यादूत ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.	विशाखापटनम	1.11.95	सेवा शुरू कर दी गई है
2.	जैट एआईयू स्काई लाइन टीपीटी प्रा. लि.	इंदौर	5.12.95	सेवा शुरू कर दी गई है

1	2	3	4	5
3.	आईटीआई लि. बंगलौर	मदुरई	1.11.95	सभी स्थानों पर सेवा
		अहमदाबाद	29.3.96	शुरू कर दी गई है।
		बड़ौदा	29.3.96	
		हैदराबाद	29.3.96	
		चेन्नई	29.3.96	
4.	इकोनेट कम्यूनिकेशन्स, चेन्नई	कोटागिरी	16.11.95	सभी स्थानों पर सेवा
		कोडईकनाल	16.11.95	शुरू कर दी गई है।
		येरकाड		
5.	प्रोकाल प्रा. लि. नई दिल्ली	चंडीगढ़	8.3.96	सभी स्थानों पर सेवा
		जयपुर	8.3.96	शुरू कर दी गई है।
		दिल्ली	8.3.96	
		फरीदाबाद	8.3.96	
		गुड़गांव	8.3.96	
		लुधियाना	8.3.96	
		जालन्धर	8.3.96	
6.	भीलवाड़ा टेलीनेट सर्विसेस लि., नोएडा	मुंबई	14.3.96	सभी स्थानों पर सेवा
		दिल्ली	14.3.96	शुरू कर दी गई है।
		वड़ौदरा	14.3.96	
		कोलकाता	14.3.96	
7.	यूनाईटिड लाइनर एजेन्सिज, नई दिल्ली	दिल्ली	11.3.96	सभी स्थानों पर सेवा
		कोलकाता	11.3.96	शुरू कर दी गई है।
		जामनगर	11.3.96	
8.	जर्मन एक्सप्रेस शिपिंग एजेन्सी प्रा. लि. मुंबई	दिल्ली	11.3.96	सभी स्थानों पर सेवा
		बेलापुर	11.3.96	शुरू कर दी गई है।
9.	स्मार्टेक प्रा. लि., नई दिल्ली	सूरत	10.5.96	सभी स्थानों पर सेवा
		मुंबई	10.5.96	शुरू कर दी गई है।
		पुणे	10.5.96	
		अहमदाबाद	10.5.96	
		वाशी	10.5.96	
10.	अरविंद मिल्स लि.	फरीदाबाद	10.5.96	सभी स्थानों पर सेवा
		नई दिल्ली	10.5.96	शुरू कर दी गई है।
		मुंबई	10.5.96	
		चेन्नई	10.5.96	
		बंगलौर	10.5.96	
		अहमदाबाद	10.5.96	
		सूरत	10.5.96	
		वाशी	10.5.96	
		वडोदरा	10.5.96	

1	2	3	4	5
11.	कंनटेनर मूवमेंट टीपीटी प्रा. लि., मुंबई	दिल्ली	11.3.96	सेवा शुरू कर दी गई है
12.	आर्या आफशोर सर्विसेज प्रा. लि., नई दिल्ली	मुंबई चेन्नई	11.3.96 11.3.96	सभी स्थानों पर सेवा शुरू कर दी गई है।
13.	इंडिया सेटकाम लि. बंगलौर	बंगलौर	29.3.96	सेवा शुरू कर दी गई है
14.	होफिनटेल लि., चेन्नई	चेन्नई हैदराबाद	8.4.96 8.4.96	सभी स्थानों पर सेवा शुरू कर दी गई है।
15.	क्विककाल्स प्रा. लि., नई दिल्ली	चेन्नई बंगलौर हैदराबाद	4.4.96 4.4.96 4.4.96	सभी स्थानों पर सेवा शुरू कर दी गई है।

मेडिकल संस्थानों/डेन्टल कालेजों को अनुमति न मिलना

*50. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री के. येरननायडू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 76 मेडिकल और डेन्टल संस्थानों/कालेजों को छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है, जैसाकि 17 जून 2002 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार, ऐसे संस्थानों/कालेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थानों/कालेजों को अनुमति न देने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): (क) से (ग) जी हां। यह समाचार 2002-03 के दौरान छात्रों को प्रवेश देने के लिए चिकित्सा और दन्त चिकित्सा कालेजों को अनुमति के नवीकरण न करने से संबंधित है। भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 और दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम 1993 के उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार एक वर्ष के लिए किसी चिकित्सा/दन्त-चिकित्सा कालेज को शुरू करने की केन्द्र सरकार की अनुमति प्रदान की जाती है। इस बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं के सृजन के वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि के सत्यापन के पश्चात इस अनुमति का वार्षिक आधार पर नवीकरण किया जाता है। बुनियादी ढांचे के विकास के वार्षिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए कालेज के प्राधिकारियों की असफलता की स्थिति में अनुमति का वार्षिक नवीकरण नहीं किया जाता है। तदनुसार कालेज तब तक छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकता, जब तक कि वे विशेषज्ञ परिषदों और भारत सरकार की सन्तुष्टि तक कमियों को दूर न करे।

इसके अतिरिक्त, अनुमति के नवीकरण की यह प्रक्रिया एक अनवरत प्रक्रिया है और सरकार, जब भी विशेषज्ञ परिषदों की संस्तुतियां प्राप्त हो जाती हैं, उसके बाद अनुमति का नवीकरण करती है। 11.6.2002 को 76 कालेजों (45 दन्त-चिकित्सा कालेजों और 31 चिकित्सा कालेजों) का नवीकरण नहीं किया गया। तथापि, बाद में आज तक 9 दन्त चिकित्सा कालेजों और 4 चिकित्सा कालेजों की अनुमति का नवीकरण किया गया है। जिन मेडिकल कालेजों और डेंटल कालेजों के बारे में 2002-03 के लिए अनुमति का नवीकरण नहीं किया गया है उनके राज्यवार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

2002-03 के दौरान प्रवेश के लिए सभी राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों को प्रत्येक कालेज की स्थिति के बारे में सूचित किया गया है। राज्य सरकारों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किसी चिकित्सा कालेज/दन्त-चिकित्सा कालेज को छात्र आबंटित करने से पहले भारत सरकार से यह जांच करने का परामर्श भी दिया गया है कि क्या उस अमुक कालेज की अनुमति का नवीकरण कर दिया गया है। चिकित्सा और दन्त-चिकित्सा कालेजों में प्रवेश की स्थिति को भी आम जनता के सूचनार्थ इस मंत्रालय को वेबसाइट एचटीटीपी/एमओएचएफ डब्ल्यू.निक.इन पर उपलब्ध कराया गया है, जिसे लगातार अद्यतन किया जाता है। संबंधित विशेषज्ञ परिषदों को भी उन कालेजों, जो 2002-03 के दौरान प्रवेश देने के पात्र हैं, के बारे में जनता को सावधान रखने का परामर्श दिया गया है।

विवरण

ऐसे मेडिकल कालेजों/डेंटल कालेजों के नाम जिनकी 2002-03 के लिए अनुमति का अभी तक नवीकरण नहीं किया गया है

	मेडिकल कालेज		डेंटल कालेज
	1		2
	आंध्र प्रदेश		
1.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	1.	सीवीएस कृष्णामूर्ति तेजा इन्स्टीट्यूट, तिरूपति
2.	इलुरू सीतारामा मेडिकल कालेज, इलुरू, आंध्र प्रदेश	2.	आर्मी कालेज आफ डेंटल साइंसेज, सिकन्दराबाद
3.	एमएनआर मेडिकल कालेज, मेडक, आंध्र प्रदेश	3.	गिटाम डेंटल कालेज, विशाखापट्टनम
4.	एसवीएस महवूबनगर, आंध्र प्रदेश	4.	श्री साई कालेज आफ डेंटल सर्जरी, विकारावाद, आंध्र प्रदेश
		5.	कामिनेनी इन्स्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, नार्केटपल्ली, नलगोंडा, आंध्र प्रदेश
		6.	महात्मा डेंटल कालेज, खम्माम, आंध्र प्रदेश
		7.	साइबर इन्स्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, गुंटूर
	छत्तीसगढ़		
5.	छत्तीसगढ़ इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	8.	छत्तीसगढ़ डेंटल कालेज, राजनांदगांव
	दिल्ली		
6.	वर्धमान महाबीर मेडिकल कालेज, सफरदजंग, नई दिल्ली		
	गुजरात		
7.	सी.यू. शाह मेडिक कालेज, सुरेन्द्र नगर, गुजरात		
8.	म्यूनिसिपल कार्पोरेशन मेडिकल कालेज, सूरत		
	हिमाचल प्रदेश		
9.	डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज, तांडा, हिमाचल प्रदेश	9.	भोजिया डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश
	कर्नाटक		
10.	ख्वाजा बंदा नवाज मेडिल कालेज, गुलबर्ग, कर्नाटक		
11.	एमवीजे मेडिकल कालेज एंड रिसर्च हास्पिटल, बंगलौर		

1	2
12. के.एस. हेगड़े मेडिकल अकाडेमी, मंगलौर	
13. येनेपोया मेडिल कालेज, मंगलौर	
14. बासवेश्वर मेडिकल कालेज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक	
केरल	
15. को-आपरेटिव मेडिकल कालेज, कोच्ची, केरल	
मध्य प्रदेश	
16. आर.डी. गार्डी मेडिकल कालेज, उज्जैन	10. माडर्न डेंटल कालेज एंड रिसर्च सेंटर, इन्दौर
	11. वाज्डी एजूकेशनल सोसाइटीज डेंटल कालेज, इन्दौर
हरियाणा	
	12. बाबा मस्तनाथ डेंटल कालेज, रोहतक
	13. महर्षि मार्कण्डेश्वर कालेज आफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, मुलाना, हरियाणा
महाराष्ट्र	
17. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	14. वाईएमटी डेंटल कालेज, नवी मुम्बई
18. मामेर मेडिकल कालेज, पुणे	15. डा. डी.वाई. पाटिल कालेज एंड हास्पिटल, पम्परी
	16. पं. दीन दयाल उपाध्याय डेंटल कालेज, शोलापुर
	17. एसएमबीटी डेंटल कालेज, गुलेवाड़ी, संगमनेर (अमृत नगर)
उड़ीसा	
	18. वीएम लार्ड जगन्नाथ डेंटल कालेज, भुवनेश्वर
पांडिचेरी	
19. विनायक मिशन्स मेडिकल कालेज, कराईकल, पांडिचेरी	
20. आरूपदई वीडू मेडिकल कालेज, पांडिचेरी	
21. महात्मा गांधी मेडिकल कालेज, पांडिचेरी	
पंजाब	
	19. खालसा डेंटल कालेज, नांगल कलां, पंजाब
	20. बाबा जसवंत सिंह डेंटल कालेज, लुधियाना
	21. लक्ष्मीबाई इन्स्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज एंड हास्पिटल, पटियाला
	22. देश भगत डेंटल कालेज, मुक्तशर

1	2
राजस्थान	
22. महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर	23. दर्शन डेंटल कालेज, उदयपुर 24. जयपुर डेंटल कालेज, जयपुर 25. पेसिफिक डेंटल कालेज, उदयपुर
सिक्किम	
23. सिक्किम मनिपाल यूनिवर्सिटी मेडिकल कालेज, गंगटोक	
तमिलनाडु	
24. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, तूथुकुडी, तमिलनाडु 25. केएपी विश्वनाथन गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, त्रिचि	26. एसआरएम डेंटल कालेज, चेन्नई 27. श्री रामकृष्ण डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, कोयम्बटूर 28. ताई मूगम्बीगाई डेंटल कालेज, चेन्नई
उत्तर प्रदेश	
26. सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ 27. इरा लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ	29. विनायक मिशन डेंटल कालेज, सीतापुर, उ.प्र. 30. डी.जे. कालेज आफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, मोदीनगर 31. एएमएयू डेंटल कालेज, अलीगढ़ 32. अवध इन्स्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, लखनऊ 33. यूपी डेंटल कालेज, लखनऊ 34. हशरन दास डेंटल कालेज, गाजियाबाद 35. कान्ति देवी डेंटल कालेज, मथुरा 36. इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलाजीज, कादराबाद, मोदी नगर

[हिन्दी]

बकाया-राशि

***51. श्री बीर सिंह महतो:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग को कई कम्पनियों से बकाया राशि वसूल करनी है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक बकाया राशि कितनी है और तत्संबंधी कम्पनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बकाया राशि की वसूली करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार द्वारा नोटिस भेज कर, बैंक गारंटियों को भुना कर, लाइसेंसों को समाप्त करके और साथ ही माध्यस्थम कार्यवाही शुरू करके लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि की वसूली करने के लिए उपाय किए गए हैं। रेडियो पेजिंग सेवा के लाइसेंसधारकों से बकाया राशि के निपटान के लिए एक माइग्रेशन पैकेज का प्रस्ताव रखा गया था जिसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

जहां तक स्पेक्ट्रम प्रभारों से संबंधित बकाया राशि का प्रश्न है, यह निर्णय किया गया है कि ऐसी चूककर्त्ता कंपनियों के लिए

आवृत्तियों का नए सिरे से कोई आबंटन नहीं किया जाएगा और न ही उनके लिए किसी नए स्थान हेतु एस ए सी एफ ए (फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) की स्वीकृति ही जारी की जाएगी। विलंबित भुगतानों के लिए 01.04.2002 से दण्ड स्वरूप ब्याज भी वसूल किया जाएगा।

विवरण

बकाया लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	लाइसेंसधारी	सेवा	बकाया राशि		
			लाइसेंस शुल्क	स्पेक्ट्रम प्रभार	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	मै. कोशिका	सेल्यूलर	290.78	33.30	324.08
2.	मै. बिरला एटी एण्ड टी	–वही–	19.94**	0.95	20.89
3.	मै. बीपीएल मोबाइल	–वही–	21.59**	68.74	90.33
4.	मै. एअरसेल डिजीलिंक	–वही–	–	21.20	21.20
5.	मै. स्पाइस	–वही–	–	9.00	9.00
6.	मै. एस्कोटेल	–वही–	–	3.81	3.81
7.	मै. एच. मैक्स	–वही–	–	0.91	0.91
8.	मै. उषा मार्टिन	–वही–	–	0.27	0.27
9.	मै. हैक्साकाम	–वही–	–	5.71	5.71
10.	मै. पेजप्वाइंट	रेडियो पेजिंग	–	0.07	0.07
11.	मै. बीपीएल वायरलेस	–वही–	–	0.37	0.37
12.	मै. एबीसी	–वही–	6.40	0.50	6.90
13.	मै. बेल्ट्रान	–वही–	0.94	0.08	1.02
14.	मै. इंडिया पेजिंग	–वही–	50.60	0.12	50.72
15.	मै. डीएलएस	–वही–	10.38	3.60	13.98
16.	मै. आइडर काम	–वही–	8.58	–	8.58
17.	मै. आइडर पेजिंग	–वही–	17.33	–	17.33
18.	मै. इजीकाल	–वही–	4.81	0.45	5.26
19.	मै. मैट्रिक्स	–वही–	10.42	0.79	11.21

1	2	3	4	5	6
20.	मै. माइक्रोवेव	रेडियो पेजिंग	18.66	0.80	19.46
21.	मै. मोदी कोरिया	–वही–	7.97	1.66	9.63
22.	मै. नाइस	–वही–	2.58	0.01	2.59
23.	मै. आरपीजी	–वही–	5.98	2.11	8.09
24.	मै. टेलीसिस्टेम	–वही–	2.20	0.44	2.64
25.	मै. पुनवायर	–वही–	144.86	1.60	146.46
26.	मै. पुनवायर पेजिंग	–वही–	34.47	0.33	34.80
27.	मै. रालेर ओरियोन	वी सैट	1.73	–	1.73
28.	मै. एस्सेल श्याम	–वही–	0.75	–	0.75
29.	मै. सैटनेट	–वही–	1.10	–	1.10
30.	मै. डाटालाइन	–वही–	1.00	–	1.00
31.	मै. एचएफसीएल	–वही–	0.25	–	0.25
32.	मै. माइक्रोवेव	वायस मेल	0.36	–	0.36
33.	मै. इंडकेम	–वही–	0.09	–	0.09
34.	मै. इकनेट	ई-मेल	0.30	–	0.30
35.	मै. डाटालाइन	–वही–	0.21	–	0.21
36.	मै. डाटाप्रो	–वही–	0.16	–	0.16
37.	मै. अर्चना	–वही–	0.20	–	0.20
38.	मै. एलनेट	–वही–	0.08	–	0.08
39.	मै. बिजनेस इंडिया	–वही–	0.10	–	0.10
40.	मै. आईटीआई लि.	पीएमआरटीएस	–	0.01	0.01
41.	मै. लिंकवेल	–वही–	–	0.005	0.005
42.	मै. उषांक	–वही–	–	0.01	0.01
43.	मै. सैब इन्फो लि.	इंटरनेट	–	0.03	0.03
44.	मै. सीजी फैक्सवेल	–वही–	–	0.03	0.03
45.	मै. अपोलोजिक	–वही–	–	0.02	0.02
46.	मै. वर्ल्डफोन	–वही–	–	0.03	0.03
47.	मै. एशियानेट	टी वी अपलिंकिंग	–	0.14	0.14

1	2	3	4	5	6
48.	मै. उपोदय	टीवी अपलिंकिंग	–	0.11	0.11
49.	मै. विजय ब्राडकास्ट	–वही–	–	0.11	0.11
50.	मै. एशियन फिल्म्स	–वही–	–	0.03	0.03
	कुल जोड़		664.82	157.345	822.165

**ये 30.6.2002 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए लगभग वर्तमान देय राशि (लाइसेंसधारी के स्व-आकलन के आधार पर) है।

टिप्पणी :

(क) नगर रेडियो पेजिंग लाइसेंसधारकों के मामले में राजस्व हिस्से के रूप में लाइसेंस शुल्क चौथे भुगतान वर्ष से भी देय है।

(ख) बकाया देय राशि देय मूल राशियां ही हैं और ब्याज वास्तविक भुगतान की तारीख तक संदेय है।

''फीफा'' विश्व कप-2002

***52. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय टीम ''फीफा'' विश्व कप-2002 में भाग नहीं ले सकी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय फुटबाल टीम फीफा विश्व कप-2002 के लिए योग्यता प्राप्त नहीं कर सकी। इस प्रतियोगिता में केवल उन 32 देशों ने भाग लिया है जिन्होंने इसके लिए योग्यता प्राप्त की थी।

[अनुवाद]

''इस्को'' का पुनरुद्धार

***53. श्री बसुदेव आचार्य: क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के पुनरुद्धार के प्रस्ताव का अनुमोदन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी से संबंधित पुनरुद्धार प्रस्ताव को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को भेज दिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) सरकार ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (इस्को) के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज मंजूर किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कुल्टी कारखाने, जिसे बंद किया जाना है, में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी आर एस) के निधियन के लिए अनुदान भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, बर्नपुर कारखाने में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, खानों और कोयला खदानों के साथ-साथ इन इकाइयों में पूंजीगत व्यय के निधियन के लिए धन जुटाने हेतु सरकारी गारंटी उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। तथापि, यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पिछला बकाया माफ करने और आगामी पांच वर्षों के लिए बिक्री कर (बिना किसी मौद्रिक अधिकतम सीमा के), विद्युत शुल्क, रायल्टी और उपकर तथा नगर पालिका कर से छूट देने के संबंध में अपनी मंजूरी देने की शर्त पर है।

(ग) और (घ) बी आई एफ आर के निदेशानुसार स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने इस्को के लिए आपरेटिंग एजेंसी, आई डी बी आई को सरकार को उपरोक्त मंजूरी पर आधारित पुनर्वास योजना प्रस्तुत की है।

वीजा प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयां

***54. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों द्वारा हाल ही में लगाई गई पाबंदियों के कारण यात्रियों को वीजा पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब ब्रिटेन सहित कुछ देशों ने यात्रियों की सहायता करने हेतु वीजा संबंधी पाबंदियों में ढील दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) कुछ विदेशी मिशनों द्वारा विदेशी यात्रियों को यात्रा संबंधी परामर्श, जारी किये जाने के पश्चात् उन मिशनों में कोंसली कर्मचारियों की कमी की गयी थी जिससे भारतीय यात्रियों को वीजा प्राप्त करने में कठिनाई हुई, विशेषकर पहली बार यात्रा करने वालों के लिए।

(ग) और (घ) यात्रा संबंधी इन परामर्शों को वापस लेने के पश्चात भारतीय यात्रियों को वीजा जारी करने के मामले से संबंधित किसी प्रतिबंध की नई सूचना नहीं हैं। यूनाइटेड किंगडम, जिसने आरंभ में कतिपय श्रेणियों के लिए वीजा जारी किये जाने पर प्रतिबंध लगाया था, ने भी सूची को विस्तारित किया है और अब अधिक से अधिक यात्री यू.के. का वीजा प्राप्त कर रहे हैं।

पशु कल्याण बोर्ड

***55. डा. (श्रीमती) अनिता आर्य:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों में पशु कल्याण बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने पशु कल्याण बोर्ड गठित किये गये हैं और इन बोर्डों को राज्यवार, कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार 24 राज्यों में राज्य पशु कल्याण सलाहकारी बोर्ड स्थापित किए गए हैं। केन्द्र सरकार ने इन बोर्डों को कोई भी निधि आबंटित नहीं की है।

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम

***56. श्री अम्बरीश:**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोपेनहेगन में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में यह घोषणा की गई थी कि अफ्रीका और भारत सहित एशिया के कुछ भागों में अभी भी पोलियो विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में स्वतन्त्रता के 55 वर्षों के बाद भी कौन-कौन से राज्य पोलियोग्रस्त हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश से पोलिया का उन्मूलन करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी निधियां आवंटित की गई हैं; और

(च) देश को पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कुल कितनी विदेशी सहायता मिली?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): (क) दिनांक 21 जून, 2002 को कोपेनहेगन में पोलियो उन्मूलन प्रमाणीकरण के लिए यूरोपीय क्षेत्रीय आयोग की बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोपीय क्षेत्र को पोलियो-मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। उस निर्णय के पश्चात जारी प्रैस विज्ञप्ति में अफ्रीका तथा एशिया में उन्मूलन की स्थिति का विशेषतौर पर उल्लेख नहीं किया गया है। वैसे, यह विषाणु एशिया तथा अफ्रीका के कुछ देशों में अभी भी सक्रिय रूप से मौजूद है।

(ख) अफ्रीका तथा एशिया में पोलियो के रोगियों से संबंधित सूचना इस प्रकार है:-

अफ्रीका		पोलियो के रोगी
देश	वर्ष 2001	वर्ष 2002*
अल्जीरिया	1	0
अंगोला	1	0
इथियोपिया	1	0
मारितानिया	4	0
नाइजर	6	0
नाइजीरिया	56	37
जाम्बिया	3	2
मिस्र	5	0
सोमालिया	7	2
सूडान	1	0

एशिया		पोलियो के रोगी
देश	वर्ष 2001	वर्ष 2002*
भारत	268	86
अफगानिस्तान	11	2
पाकिस्तान	116	22

*विश्व स्वास्थ्य संगठन, एन.पी.एस.पी. से प्राप्त 11 जुलाई तक की स्थिति के अनुसार आंकड़े।

(ग) पोलियो से अभी भी ग्रस्त राज्य निम्नलिखित हैं:-

राज्यों के नाम	पोलियो के रोगियों की संख्या
बिहार	6
दिल्ली	1
हरियाणा	2
महाराष्ट्र	2
उत्तरांचल	1
उत्तर प्रदेश	72
पश्चिम बंगाल	2
कुल	86

(घ) और (ङ) देश में पोलियो का उन्मूलन करना तथा 2005 तक पोलियो मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करना राष्ट्रीय लक्ष्य है। प्रत्येक वर्ष, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वार्षिक कार्यनीति बनाई और कार्यान्वित की जाती है। दसवीं योजना में पल्स पोलियो उन्मूलन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 1450 करोड़ रुपए है (वैक्सीन अधिप्राप्ति हेतु 870 करोड़ रुपए तथा 580 करोड़ रुपए प्रचालन लागत के रूप में)। पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए वैक्सीन की प्राप्ति दाताओं की ओर से यूनिसेफ तथा विश्व बैंक द्वारा की जाती है और राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई सामग्री रूपी सहायता के तौर पर की जाती है। राज्यों को प्रचालन लागत के लिए धन वार्षिक कार्यनीति में परिकल्पित प्रतिरक्षण दौरों की संख्या के आधार पर दिया जाता हैं। प्रचालन लागत के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दिया गया धन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के अतिरिक्त, पोलियो टीकाकरण भी सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम का एक भाग है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार द्वारा वैक्सीन की प्राप्ति केन्द्रीय आधार पर की जाती है और राज्यों को इसकी सप्लाई की जाती है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिली विदेशी सहायता इस प्रकार है:-

1999-2000	—	545 करोड़ रुपए
2000-2001	—	396 करोड़ रुपए
2001-2002	—	398 करोड़ रुपए

विवरण

पिछले तीन वर्षों 1999-00, 2000-01 और 2001-02 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी पी.पी.आई. धन

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.85	2.09	7.45
2.	आंध्र प्रदेश	945.84	457.09	707.86
3.	अरुणाचल प्रदेश	146.65	8.02	46.43
4.	असम	527.61	326.52	309.25
5.	बिहार	1160.05	2206.53	1585.33
6.	चण्डीगढ़	28.00	5.42	8.00

1	2	3	4	5
7.	दादरा और नगर हवेली	23.86	1.56	2.54
8.	दमण और दीव	31.13	0.98	2.04
9.	दिल्ली	102.90	275.02	226.55
10.	गोवा	678.90	5.99	9.26
11.	गुजरात	32.02	590.06	542.72
12.	हरियाणा	270.96	343.79	246.33
13.	हिमाचल प्रदेश	228.38	66.07	100.44
14.	जम्मू व कश्मीर	240.86	96.06	152.59
15.	कर्नाटक	476.17	437.20	539.07
16.	केरल	452.41	130.25	196.24
17.	लक्षद्वीप	22.43	0.60	1.52
18.	मध्य प्रदेश	1725.43	1334.82	736.02
19.	महाराष्ट्र	1064.78	516.61	903.66
20.	मणिपुर	89.58	9.52	58.17
21.	मेघालय	72.68	13.45	73.10
22.	मिजोरम	40.04	3.59	21.50
23.	नागालैंड	70.14	7.59	42.33
24.	उड़ीसा	683.04	411.89	318.00
25.	पांडिचेरी	44.42	4.91	8.46
26.	पंजाब	292.10	312.18	243.46
27.	राजस्थान	890.45	939.58	720.77
28.	सिक्किम	37.01	2.45	13.85
29.	तमिलनाडु	723.46	329.70	492.88
30.	त्रिपुरा	60.64	12.80	68.48
31.	उत्तर प्रदेश	1834.19	3544.13	3186.89
32.	पश्चिम बंगाल	740.90	1104.74	884.50
33.	उत्तरांचल	0.00	0.00	129.11

1	2	3	4	5
34.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	196.63
35.	झारखंड	0.00	0.00	323.64
	कुल	13762.84	13501.21	13105.09

जलमार्गों का विकास

***57. श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा 1980 में प्रमुख जलमार्गों का विकास करने के लिए पहचान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन जलमार्गों को विकसित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन जलमार्गों का समुचित विकास करने हेतु एक निगरानी समिति गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जलमार्गों का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल): (क) जी हां।

(ख) अभी तक तीन जलमार्गों अर्थात् इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा (1620 कि. मी.) धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र (891 किमी) और चम्पाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिम तटीय नहर (205 किमी) को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है और संसाधनों के आबंटन के आधार पर उनका चरणबद्ध विकास कार्य चल रहा है। सरकार राष्ट्रीय परिवहन समिति द्वारा अभिज्ञात किए गए जलमार्गों में से और अधिक जलमार्गों को संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन 10वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए कार्य कर रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास और विनियमन करने के लिए 1985 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की। इन जलमार्गों में अवसंरचना के प्रावधान के लिए विभिन्न स्कीमें चल रही हैं। नये जलमार्गों के संबंध में साध्यता अध्ययन भी समय-समय पर शुरू किए जाते हैं।

[हिन्दी]

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

***58. योगी आदित्यनाथ:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) अक्तूबर, 2001 में बांग्लादेश में हुए चुनावों के पश्चात् सरकार ने बंगलादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए अनेक हमलों की खबरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हालांकि अभी तक की खबरें ऐसे हमलों के बढ़ जाने का संकेत नहीं देती हैं। ढाका स्थित हमारा हाई कमीशन स्थिति पर नजर रख रहा है।

अल्पसंख्यकों पर हुए हमले की सूचनाओं के बाद ढाका स्थिति हमारे हाई कमिश्नर ने तत्काल बंगलादेश सरकार के साथ इस मामले को उठाया। उन्होंने 16 अक्तूबर को बंगलादेश के धार्मिक मामलों के राज्य मंत्री श्री मोशर्रफ हुसैन शाहजहां से मुलाकात की और इस मसले पर चर्चा की। सरकार ने भी 23 अक्तूबर, 2001 को जारी किये गये एक वक्तव्य में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की।

प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री ब्रजेश मिश्र ने प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में 26-27 अक्तूबर, 2001 तक बंगलादेश का दौरा किया और उन्होंने बंगलादेश के प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री के साथ इस मसले को उठाया।

दिसम्बर, 2001 को बंगलादेश के वित्त मंत्री श्री सैफुर रहमान ने जब माननीय प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी तो उन्हें भारत की चिंताओं से अवगत कराया गया। माननीय प्रधान मंत्री ने काठमाण्डू में आयोजित सार्क सम्मेलन के दौरान 4 जनवरी, 2002 को बंगलादेश की प्रधान मंत्री बेगम खालिदा जिया के साथ बैठक में भी इस मसले को उठाया। बैठक के दौरान बंगलादेश के प्रधान मंत्री ने कहा था कि जांच के बाद अनेक मामले दायर किये गये। यह भी सूचना दी गयी कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की सभी खबरों की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा रहा है।

बंगलादेश की सरकार ने इन हमलों को साम्प्रदायिक नहीं अपितु राजनैतिक और कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में चित्रित किया परन्तु हमें आश्वस्त किया कि उन्हें इन मामलों की जानकारी है और उन्होंने अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा में शामिल दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के अनुदेश दिये हैं।

विभिन्न विदेशी सरकारों, जिनमें बंगलादेश को विकास सहायता देने वाले दाता राष्ट्र भी शामिल हैं, ने अपने-अपने राजनयिक मिशनों के जरिये इस मामले को बंगलादेश के अधिकारियों के साथ उठाया है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी एजेंसियों ने बंगलादेश की सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

ईरानी उच्चाधिकारी की यात्रा

***59. श्री पी.आर. किन्डिया:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख ने भारत की यात्रा की थी और भारतीय नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उस अवसर पर किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव महामान्य हसन रूहानी 24 से 28 जून, 2002 तक भारत की यात्रा पर आए। श्री रूहानी ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की और प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री से भेंट की।

(ख) विचार-विमर्श के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जिनमें आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध, निवेश और व्यापार से सम्बद्ध मसलों के साथ राजनीतिक मसलें भी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सुरक्षा के वातावरण के संदर्भ में सुरक्षा से सम्बद्ध मसलों पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्ष दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच सामयिक मसलों पर आवधिक परामर्श को संस्थागत रूप देने पर भी सहमत हुए।

दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निन्दा की और वे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग करने पर सहमत हुए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सम्बद्ध व्यापक अभिसमय को शीघ्र अन्तिम रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। अफगानिस्तान के संबंध में दोनों पक्ष अपने-अपने द्विपक्षीय सहयोग को जारी रखने पर सहमत हुए तथा अफगानिस्तान में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बाह्य हस्तक्षेप के बिना अपने भविष्य का निर्णय करने की अफगानिस्तान के लोगों की महत्ता पर जोर दिया।

भारत और ईरान ने अपने-अपने साझे सुरक्षा के वातावरण एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगी प्रस्तावों का समर्थन किया है। उन्होंने एशिया में सुरक्षा तथा स्थायित्व के संदर्भ में अपने-अपने सहयोग के महत्व पर बल दिया है। दोनों पक्षों ने फिलीस्तीनियों के लाभ और फिलीस्तीनी लोगों के वैध-अधिकारों एवं आकांक्षाओं के लिए अपना सिद्धांतगत समर्थन भी व्यक्त किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एच पी सी एल और बी पी सी एल के साथ शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया का समझौता

***60. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया ने विदेशी बन्दरगाहों से कच्चा तेल ढोने के लिए एच पी सी एल और बी पी सी एल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) विदेशी बन्दरगाहों से शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा कितना कच्चा तेल ढोने में समर्थ होने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) ने बी पी सी एल के साथ एक ठेका किया है। इस ठेके में विदेशी तटों से बी पी सी एल और के आर एल के लिए कच्चे तेल की ढुलाई करना और बम्बई हाई के कच्चे माल का तटीय परिवहन करना शामिल है। यह ठेका वर्ष 2002-2003 के संबंध में है और बी पी सी एल के विकल्प पर 3-3 माह के 2 विस्तारों सहित 6 माह की अवधि के लिए है। भाड़ा और विलम्ब शुल्क दरें बाजार से जुड़ी हुई हैं और इन पर एस सी आई और बी पी सी एल के बीच पारस्परिक रूप से सहमति है। एस सी आई ने विदेशी तटों से कच्चे तेल की ढुलाई करने और देशी कच्चे माल (आर ए वी ए क्रूड) का परिवहन करने के लिए एच पी सी एल के साथ भी एक ठेका करने का निर्णय लिया है। यह ठेका वर्ष 2002-2003 के संबंध में होगा और एच पी सी एल के विकल्प पर 3-3 माह के 2 विस्तारों सहित 6 माह की अवधि के लिए होगा। भाड़ा और विलम्ब शुल्क दर बाजार से जुड़ी होगी और एस सी आई तथा एच सी पी एल के बीच पारस्परिक सहमति के अनुरूप होगी।

(ग) अपने विविधीकृत टनभार के साथ एस सी आई आयातों की आवश्यकता और सभी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम रिफाइनरियों की तटीय परिवहन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। वर्ष 2002 में जोड़े जाने वाले 5 जलयानों और वर्ष 2003 के प्रारम्भ में जोड़े जाने वाले 4 जलयानों से एस सी आई के टैंकर बेड़े के कुल भार में और भी वृद्धि हो जाएगी।

आई.ए.एस. आधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार

401. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मई, 2002 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''आई.ए.एस. आफिसर्स टेन्डर आपालोजी टु हाउस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सी.सी.एस. (आचार) नियमों में यह प्रावधान है कि संसद सदस्यों के पत्रों का जवाब देना या उनके प्रति अनादर दर्शाना एक गंभीर दुर्व्यवहार है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) समाचार में छपा यह मसला, राष्ट्रीय-राजधानी-क्षेत्र-दिल्ली-सरकार का काम-काज देखने की सेवा कर रहे, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, एवं संघ-राज्य-क्षेत्र-संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के आचरण से सम्बद्ध है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं संघ-राज्य-क्षेत्र-संवर्ग में सेवा कर रहे अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के संबंध में गृह-मंत्रालय अनुशासनिक प्राधिकारी है।

(घ) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 से नियंत्रित किए जाते हैं, न कि केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम से। यद्यपि इन नियमों में संसद-सदस्यों के पत्रों का उत्तर नहीं भेजे जाने का कोई प्रावधान विशेष नहीं है, केन्द्र सरकार ने संसद/राज्य-विधानमण्डलों के सदस्यों से बरताव/पत्र-व्यवहार करते समय समुचित प्रक्रिया का निर्वाह किए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, इस बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, संसद-सदस्यों से प्राप्त पत्रों इत्यादि का तत्परता से उत्तर भेजा जाना सुनिश्चित करने के प्रावधान से युक्त अनुदेश निहित हैं।

(ङ) मामले की जांच-पड़ताल करने और गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने का दायित्व, अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में गृह-मंत्रालय का है।

फार्मेसी कालेज

402. श्री किरीट सोमैया: क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पंजीकृत फार्मेसी डिग्री/डिप्लोमाधारी लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में राज्य-वार कितने मान्यता प्राप्त/गैर-मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा फार्मेसी कालेज हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में इन मान्यता प्राप्त/गैर-मान्यता प्राप्त फार्मेसी कालेजों से प्रत्येक वर्ष फार्मेसी में राज्य-वार कितने लोग डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं; और

(घ) फार्मेसी के रूप में न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता के लिए गैट (जी.ए.टी.टी.) द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार पंजीकृत भेषजज्ञों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) अनुमोदित डिग्री/डिप्लोमा फार्मेसी संस्थानों की राज्यवार सूची क्रमश: संलग्न विवरण-II और III में दी गई है। अनुमोदन के लिए भारतीय फार्मेसी परिषद से सम्पर्क करने वाले डिग्री/ डिप्लोमा संस्थानों एवं भारतीय फार्मेसी परिषद से सम्पर्क करने वाले डिग्री/डिप्लोमा संस्थानों एवं भारतीय फार्मेसी परिषद के विचाराधीन मामलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-IV और V में दी गई है।

(ग) प्रत्येक वर्ष अनुमोदन प्राप्त फार्मेसी संस्थानों से 9391 डिग्रीधारी और 21,451 डिप्लोमाधारी भेषजज्ञ निकलते हैं जैसाकि विवरण-II और III में ब्यौरा दिया गया है।

(घ) गैट (जी.ए.टी.टी.) का सेवाओं से संबंध नहीं है। 'गेटस' में भेषजज्ञों की न्यूनतम अर्हता निर्धारित करने का प्रावधान नहीं है।

विवरण-I

31.7.2002 तक देश में पंजीकृत भेषजज्ञों की सूची

1.	आंध्र प्रदेश	31087
2.	असम	8260
3.	बिहार	22672
4.	चंडीगढ़	राज्य फार्मेसी परिषद द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए
5.	छत्तीसगढ़	नया राज्य—फार्मेसी परिषद नहीं है
6.	दिल्ली	13,597
7.	गोवा	प्रस्तुत नहीं किए गए
8.	गुजरात	19508**
9.	हरियाणा	11560
10.	हिमाचल प्रदेश	3715
11.	कर्नाटक	25780
12.	केरल	23564
13.	मध्य प्रदेश	18030
14.	मणिपुर	आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए
15.	महाराष्ट्र	54610
16.	मिजोरम	189*
17.	नागालैंड	1515
18.	उड़ीसा	10792
19.	पांडिचेरी	1623
20.	पंजाब	23155
21.	राजस्थान	14804
22.	सिक्किम	प्रस्तुत नहीं किए गए
23.	तमिलनाडु	39148
24.	त्रिपुरा	3250
25.	उत्तर प्रदेश	23823
26.	उत्तरांचल	नया राज्य—फार्मेसी परिषद नहीं है
27.	पश्चिमी बंगाल	65920
28.	जम्मू - कश्मीर	कोई राज्य—फार्मेसी परिषद नहीं है

**जैसा 1996 में था। राज्य फार्मेसी परिषद से अद्यतन आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

* 31.3.2001 की स्थिति अनुसार।

विवरण-II

फार्मेसी की डिग्री प्रदान करने वाले अनुमोदित संस्थानों की सूची

क्रमांक	राज्य	संस्थानों की संख्या	प्रतिवर्ष दाखिले अर्थात प्रति वर्ष निकलने वाले भेषजज्ञों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	15	820
2.	असम	1	20
3.	बिहार	5	130
4.	गोवा	1	60
5.	गुजरात	8	460

1	2	3	4
6.	हरियाणा	2	105
7.	कर्नाटक	45	2400
8.	केरल	3	140
9.	मध्य प्रदेश	3	140
10.	महाराष्ट्र	37	1890
11.	उड़ीसा	6	360
12.	पंजाब	1	20
13.	राजस्थान	4	200
14.	तमिलनाडु	31	2061
15.	उत्तर प्रदेश	3	145
16.	उत्तरांचल	3	180
17.	चंडीगढ़	1	50
18.	दिल्ली	3	150
19.	प. बंगाल	1	60
		173	9391

विवरण-III

फार्मेसी में डिप्लोमा देने वाले अनुमोदित संस्थानों की संख्या

क्रमांक	राज्य	संस्थानों की संख्या	प्रतिवर्ष दाखिले अर्थात प्रति वर्ष निकलने वाले भेषजज्ञों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	20	1010
2.	असम	2	160
3.	बिहार	7	420
4.	चंडीगढ़	2	100
5.	छत्तीसगढ़	1	30
6.	दिल्ली	8	500
7.	गोवा	1	60
8.	गुजरात	9	640
9.	हरियाणा	10	605
10.	हिमाचल प्रदेश	2	60
11.	कर्नाटक	81	5061
12.	केरल	21	1310
13.	मध्य प्रदेश	6	350
14.	मणिपुर	1	30
15.	महाराष्ट्र	67	4000
16.	मिजोरम	1	30
17.	उड़ीसा	23	1217
18.	पंजाब	16	860
19.	पांडिचेरी	1	20
20.	राजस्थान	10	600
21.	सिक्किम	1	60
22.	तमिलनाडु	44	2963
23.	त्रिपुरा	1	60
24.	उत्तर प्रदेश	13	680
25.	उत्तरांचल	8	250
26.	प. बंगाल	9	335
27.	जम्मू एवं कश्मीर (यू/एस 14)	1	40
	कुल	366	21,451

विवरण-IV

ऐसे संस्थानों की सूची जिन्होंने फार्मेसी पाठ्यचर्या में डिग्री के अनुमोदन के लिए भारतीय फार्मेसी परिषद से सम्पर्क किया है और मामला प्रक्रियाधीन है

क्रमांक	राज्य	संस्थानों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	असम	2
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	1
5.	हरियाणा	5
6.	हिमाचल प्रदेश	4
7.	जम्मू एवं कश्मीर	4
8.	कर्नाटक	5
9.	केरल	26
10.	मध्य प्रदेश	8
11.	महाराष्ट्र	8
12.	उड़ीसा	7
13.	पांडिचेरी	1
14.	पंजाब	8
15.	राजस्थान	5
16.	सिक्किम	1
17.	तमिलनाडु	18
18.	त्रिपुरा	2
19.	उत्तर प्रदेश	20
20.	दिल्ली	5
21.	प. बंगाल	2
		147

विवरण-V

ऐसे संस्थानों की सूची जिन्होंने फार्मेसी पाठ्यचर्या में डिप्लोमा के अनुमोदन के लिए भारतीय फार्मेसी परिषद से सम्पर्क किया है और मामला प्रक्रियाधीन है

क्रमांक	राज्य	संस्थानों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	1
4.	बिहार	3
5.	दिल्ली	12
6.	गुजरात	3
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	6
9.	कर्नाटक	15
10.	केरल	3
11.	मध्य प्रदेश	8
12.	महाराष्ट्र	5
13.	उड़ीसा	9
14.	पांडिचेरी	2
15.	राजस्थान	3
16.	तमिलनाडु	12
17.	त्रिपुरा	1
18.	उत्तर प्रदेश	10
19.	प. बंगाल	1
20.	जम्मू एवं कश्मीर (यू/एस 14)	4
		104

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना

403. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 की तुलना में वर्ष 2002-2003 के लिए पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम, त्रिपुरा और मणिपुर के लिए आवंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रधान मंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितना विकास कार्य किया गया?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, सुरक्षित पेय जल, ग्रामीण आवास, पोषण और ग्रामीण विद्युतीकरण के छह संघटकों के अंतर्गत किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए राज्यों को आबंटित की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से असम, त्रिपुरा और मणिपुर को आबंटित और जारी की गई एसीए के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

पीएमजीवाई के लिए एसीए

(रुपये लाख में)

राज्य	आबंटन 2001-02	जारी की गई राशि 2001-02	आबंटन 2002-03
असम	20112.00	20112.00	19000.00
त्रिपुरा	7084.00	7084.00	5000.00
मणिपुर	5439.00	3602.42	4800.00
पूर्वोत्तर राज्य (कुल)*	57363.00	54594.40	51238.00

*अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।

परिवर्तित पेंशन

404. डा. रामचन्द्र डोम:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री एस. अजय कुमार:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन पेंशनधारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपने पेंशन के एक तिहाई भाग को परिवर्तित करा लिया था और जिन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष के बाद भी पूर्ण पेंशन बहाल करने का लाभ नहीं दिया गया है; और

(ख) अपनी सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें पेंशन बहाली का लाभ न दिए जाने के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्र-सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन की नीति निर्धारित करने की दृष्टि से पेंशन-विभाग, नोडल विभाग है। फिर भी, पेंशन के भुगतान/संवितरण से जुड़ा काम-काज पूर्णत: विकेन्द्रीकृत है। उपर्युक्त के मद्देनजर, पेंशन-विभाग, अपनी पेंशन का एक तिहाई भाग सारांशीकृत करवा चुके पेंशनभोगियों की संख्या से संबंधित आंकड़े और यह जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखता कि उन्होंने 15 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अपनी पेंशन के सारांशीकृत भाग की बहाली की सुविधा ले ली है या नहीं।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी पर इलेक्ट्रानिक हमला

405. श्री जय प्रकाश: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी पर इलेक्ट्रानिक हमले की संभावना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय नागरिक कार्ड जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) सरकार को देश में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों से जुड़े खतरों की जानकारी है। इन खतरों की आशंकाओं के आधार पर संबंधित प्रयोक्ता संगठनों और सरकारी विभागों द्वारा ऐसे खतरों का सामना करने के लिए समुचित रक्षा तंत्र सुनिश्चित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। किंतु, नागरिकों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए और उन्हें बहुप्रयोजनमूलक राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए एक प्रस्ताव गृह मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है।

लंबित पासपोर्ट आवेदन-पत्र

406. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री शिवाजी माने:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री अम्बरीश:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों/क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में कार्यालय-वार कितने पासपोर्ट आवेदन-पत्र लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा पासपोर्ट जारी करने की अवधि निर्धारित करने के बावजूद भी इन कार्यालयों में बड़ी संख्या में पासपोर्ट आवेदन-पत्र लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पासपोर्ट/क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पासपोर्ट जारी करने की प्रतिक्रिया को तेज करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(च) क्या केन्द्र सरकार के पास देश में नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो देश में नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सरकार 35 दिनों के भीतर पासपोर्ट जारी करने का प्रयास करती है, बशर्ते की आवेदन हर प्रकार से पूर्ण और एक स्पष्ट पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाए। पासपोर्टों के जारी होने में विलम्ब तब होता है जब या तो एक स्पष्ट पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है या आवेदक द्वारा दी गई सूचना/कागजात अपूर्ण होते हैं। पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब के अन्य कारण पासपोर्ट कार्यालयों में अनुपातिक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि किए बिना आवेदनों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होना है। पासपोर्ट आवेदनों की संख्या वर्ष 2000 में 25,88,520 आवेदनों से बढ़ाकर वर्ष 2001 में 28,89,577 आवेदन हो गई है, यानि 12% की वृद्धि।

(ङ) पासपोर्टों के जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संसाधन प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण, पासपोर्ट को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजने का प्रावधान, पासपोर्टों की लिखाई मशीन द्वारा करना, और पुलिस जांच रिपोर्ट शीघ्रता से मंगाने के लिए पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा पुलिस प्राधिकारियों के साथ उनके क्षेत्रों में नियमित विचार-विमर्श करने जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय की विचाराधीनता का प्रबोधन साप्ताहिक आधार पर किया जाता है।

(च) जी हां, महोदय।

(छ) विदेश मंत्रालय की स्थाई संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि नए पासपोर्ट कार्यालयों का प्रबन्ध वास्तविक मानक द्वारा किया जाना चाहिए और जहां प्रतिवर्ष न्यूनतम 50,000 आवेदन प्राप्त होने की संभावना हो वहां नए पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने चाहिए। समिति ने सिफारिश की थी कि एक पासपोर्ट कार्यालय जहां तक संभव हो केन्द्रीय रूप से जिलों/राज्यों के निकटस्थ स्थित हो जहां प्रतिवर्ष औसतन 50000 आवेदन प्राप्त होते हों।

(ज) अभी हाल ही में देहरादून (उत्तरांचल), रांची (झारखंड), रायपुर (छत्तीसगढ़), शिमला (हिमाचल प्रदेश) और सूरत (गुजरात) में नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विवरण

30.6.02 की स्थिति के अनुसार विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में लम्बित पासपोर्ट आवेदनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

पासपोर्ट कार्यालय	लम्बित आवेदनों की संख्या**
1	2
अहमदाबाद	27195
बंगलौर	1274
बरेली	454
भोपाल	13
भुवनेश्वर	0
चंडीगढ़	2860
चेन्नई	486

1	2
कोचीन	742
दिल्ली	2292
गाजियाबाद	4998
गुवाहाटी	59
हैदराबाद	219
जयपुर	2352
जालंधर	3145
जम्मू	15
कोलकाता	194
कोजीकोड	4024
लखनऊ	270
मुंबई	1681
नागपुर	44
पणजी	210
पटना	1000
पुणे	0
श्रीनगर	352
थाने	0
त्रिच्ची	1496
त्रिवेन्द्रम	37
विशाखापट्टनम	1760
कुल	57172

**एक आवेदन को एक स्पष्ट पुलिस जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद और सभी प्रकार से आवेदन पूर्ण होने पर ही लम्बित माना जाता है।

[अनुवाद]

उत्तरांचल में टेलीफोन कनेक्शन

407. श्री ए. नरेन्द्र: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरांचल में विशेषकर रुद्रप्रयाग में टेलीफोन कनेक्शन हेतु कितने आवेदन प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार उत्तरांचल में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में कुल 8509 व्यक्ति दर्ज हैं। 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 40 है।

प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए मौजूदा लैंडलाइनों और डब्ल्यूएलएल नेटवर्कों की क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई गई है ताकि चालू वर्ष के दौरान सामग्रियों की उपलब्धता के अध्यधीन 32000 कनेक्शन प्रदान किए जा सकें।

आई.ए.एस. अधिकारी

408. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में कितने आई.ए.एस. अधिकारी हैं; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न देशों में कितने आई.ए.एस. अधिकारी तैनात किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4935 अधिकारी हैं।

(ख) वर्ष 2000 और वर्ष 2001 के दौरान भारत-सरकार के विदेशों में स्थित, बाह्य और आबद्ध पदों पर तैनात तथा सुपुर्द किए गए किसी कार्य विशेष के निर्वहन हेतु, निर्धारित शर्तों पर अवधि विशेष हेतु विभिन्न बाहरी देशों में भेजे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या क्रमश: 31 और 19 है।

घुसपैठ रोकने संबंधी अमरीकी प्रस्ताव

409. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी रक्षा सचिव ने यह कहा है कि जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास अल-कायदा के आतंकवादियों के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं और नियंत्रण रेखा के उस पार से आतंकवादियों के घुसपैठ पर निगरानी रखने हेतु भू-संवेदी उपकरण देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी वार्ता में मुख्य रूप से चर्चा में आये मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) अमरीकी रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने 12 जून, 2002 को नई दिल्ली में कहा कि उन्हें ऐसे संकेत मिले हैं कि असल में नियंत्रण रेखा, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, के आसपास अल कायदा के आतंकवादी सक्रिय हैं। मैं सही-सही नहीं बता सकता कि कितने हैं; कौन हैं और कहां हैं।

रक्षा मंत्री रम्सफेल्ड ने सीमा प्रबंधन के लिए संवेदकों सहित अन्य प्रौद्योगिकी उपकरण उपलब्ध कराने के अमरीकी प्रस्ताव को दोहराया जिन पर आतंकवाद से संबद्ध द्विपक्षीय संयुक्त कार्यकारी दल के जरिए आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग के संदर्भ में भारत और अमरीका के बीच चर्चा की जा रही है।

(ख) रक्षा मंत्री रम्सफेल्ड ने सीमा-पार घुसपैठ को तत्काल, स्पष्टत: और स्थायी रूप से समाप्त करने और पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अपने आश्वासन को दोहराया। उन्होंने राष्ट्रपति मुशर्रफ के वायदों को क्रियान्वित करने में हुई प्रगति के आधार पर भारत द्वारा तनाव कम करने के लिए कदम उठाने के प्रति आशा व्यक्त की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, विशेषकर रक्षा सहयोग के क्षेत्र में।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र और झारखंड में डाकघर

410. **श्री शिवाजी माने:**
प्रो. दुखा भगत:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) उक्त राज्यों में उन गांवों की संख्या कितनी है जहां अब तक डाकघर की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे गांवों में नए डाकघर खोलने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) महाराष्ट्र और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे डाकघरों की संख्या क्रमश: 11168 और 2776 है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में 28857 गांवों में और झारखंड राज्य में 20182 गांवों में डाकघर नहीं हैं। हालांकि, डाक-टिकटों की बिक्री और डाक संग्रहण व वितरण की सुविधा इन राज्यों के सभी गांवों में उपलब्ध है।

(ग) महाराष्ट्र में 30 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई.डी.बी.ओ.) और 5 विभागीय उप डाकघर (डी.एस.ओ.) तथा झारखंड में 10 ई.डी.बी.ओ. खोलने का लक्ष्य रखा गया है। डाकघर खोलना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जम्मू-कश्मीर में विश्व बैंक की सहायता

411. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक जम्मू-कश्मीर में अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना के लिए धनराशि प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू-कश्मीर सरकार को ऐसे अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना हेतु विश्व बैंक से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केरल में आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज

412. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्कृष्ट केन्द्र और कालेजों की अवसंरचना के सुधार में मदद करने के लिए केरल में आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों को अपनाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) केरल सरकार से कोट्टक्कल में एक केन्द्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, केरल सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में यह सहमति हुई है कि इस संस्थान को पहले उन्नत केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए।

[हिन्दी]

टेलीफोन अदालतें

413. **प्रो. दुखा भगत:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार और झारखंड के प्रत्येक जिलों में आयोजित टेलीफोन अदालतों की तिथि और ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इन अदालतों में जिला-वार कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ग) जिला-वार कितने मामले निपटाए गए; और

(घ) टेलीफोन उपभोक्ताओं को दिये गये प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है और टेलीफोन अदालतें आयोजित करने हेतु क्या नियम एवं विनियम निर्धारित किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन

414. **श्री अनन्त नायक:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के अधिसूचित जिलों विशेषकर क्योंझर जिले में पिछले दो वर्षों के दौरान टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन जिलों में आवेदकों को शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) जी हां। बाह्य संयंत्र और पर्याप्त एक्सचेंज क्षमता की अनुपलब्धता के कारण उड़ीसा के क्योंझर जिले की प्रतीक्षा सूची में 543 आवेदक दर्ज हैं। इस प्रतीक्षा सूची को, उन्नयन/नए एक्सचेंजों/डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों द्वारा 31.3.2003 तक निपटा दिया जाएगा बशर्ते कि सामग्रियां उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

झारखंड में टेलीफोन कनेक्शन

415. **श्री लक्ष्मण गिलुवा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार झारखंड में टेलीफोन कनेक्शन के लिए जिला-वार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची के इन व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार, झारखंड में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 14,138 व्यक्ति दर्ज थे। जिला-वार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सभी प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं को मार्च, 2003 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है, बशर्ते कि सामग्रियां उपलब्ध हों।

विवरण

फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार झारखंड दूरसंचार सर्किल में जिला-वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	बोकारो	1762
2.	छत्तरा	215
3.	डालटेनगंज	383

1	2	3
4.	देवघर	1309
5.	धनबाद	1958
6.	डुमका	69
7.	गढ़वा	101
8.	गिरीडीह	139
9.	गोड्डा	243
10.	गुमला	91
11.	हजारीबाग	3508
12.	जमतारा	39
13.	कोडारमा	99
14.	लटचार	57
15.	लोहारदागा	74
16.	पाकुर	12
17.	सरायकेला खरसवागढ़	380
18.	सिमदेगा	111
19.	सिंहभूम पूर्वी	1309
20.	सिंहभूम पश्चिमी	518
21.	रांची	1646
22.	साहिबगंज	115
	जोड़	14138

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश को ए-2 का दर्जा

416. श्री वाई.वी. राव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश को ए-2 दर्जा प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश से इसे ए-1 का दर्जा देने और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी हां, हैदराबाद में स्थित आंध्र प्रदेश की इंटरनेट नोड, प्रक्षेपित इंटरनेट मांग पर आधारित ए-2 स्तर की है।

(ग) जी, हां।

(घ) अपेक्षित परियात होने पर, हैदराबाद में नोड़ उपस्कर की वृद्धि राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन चरण-2 परियोजना में की जाएगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में कर्मचारियों की कमी

417. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में श्रम शक्ति की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के कुछ संवर्गों में स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या की तुलना में जनशक्ति की कमी है। बदलती प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए, स्टाफ संबंधी मानदण्डों की पुनरीक्षा की जा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में स्टाफ की कमी के कारण टेलीफोन सेवाएं प्रभावित नहीं हों, कुछ चुनिंदा संवर्गों में रिक्त पदों को भरा जा रहा है।

[अनुवाद]

फोन प्लस सुविधाएं

418. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने अपने विभिन्न फोन प्लस सुविधाओं के लिए प्रभारों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो जनता को घटी दर पर कौन सी फोन प्लस सुविधाएं उपलब्ध हैं और यह किस तिथि से उपलब्ध हैं; और

(ग) इन सुविधाओं के लिए मौजूदा दर के विरुद्ध कितनी संशोधित दर नियत करने का निर्णय लिया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जहां तक अलग-अलग सुविधाओं का संबंध है, दिनांक 01.09.2001 से निम्नलिखित सेवाओं की दरें घटा दी गई हैं:-

(1) काल अन्तरण सुविधा 20 रुपये प्रतिमाह से दर घटा कर शून्य कर दी गयी है।

(2) कालिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रजेन्टेशन (सीएलआईपी) दर 50 रुपये प्रतिमाह से घटा कर 20 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है।

तथापि, दिनांक 01.09.2001 से 75 रुपये प्रतिमाह की घटी दर पर निम्नलिखित सेवाओं के एक पैकेज की पेशकश की गई है:

1. काल अन्तरण सुविधा
2. हाट लाइन
3. त्रिपक्षीय कान्फ्रेंसिंग
4. अब्रीविएटेड डायलिंग
5. कालिंग लाइन आइडेन्टिफिकेशन्स प्रजेन्टेशन (सीएलआईपी)

पूर्व में केवल प्रथम चार सेवाओं की पेशकश प्रतिमाह 60 रुपये के एक पैकेज के रूप में की गई थी और सी एल आई पी सेवा की पेशकश प्रतिमाह 50 रुपये की दर पर की गई थी।

[हिन्दी]

राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम

419. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार लक्ष्य हासिल करने में सफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उनके मंत्रालय द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत ऋण और राजसहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और प्रत्येक ऐसे कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार के पास कितनी धनराशि बकाया है;

(च) क्या उनके मंत्रालय ने राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम की विफलता के कारणों की समीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो राज्य सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय रूप से परिभाषित विशिष्ट लक्ष्यों को पता लगाई गई इन जरूरतों पर ध्यान देने के लिए विकेन्द्रीकृत नियोजन और कार्यान्वयन के साथ सामुदायिक आधारित आवश्यकता भूल्यांकन दृष्टिकोण से बदल दिया गया है। इससे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में एक प्रतिमान परिवर्तन हुआ है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान (नमूना पंजीयन सर्वेक्षण के अनुसार) राजस्थान के मूल पैरामीटरों के बारे में उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत राजस्थान राज्य को स्कीम-वार जारी की गई कुल धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। भारत सरकार द्वारा राज्य को जारी की गई धनराशियां हमेशा राज्य द्वारा खर्च किए गए व्यय से कम पड़ती हैं। राज्य सरकार द्वारा व्यय किये गये अतिरिक्त व्यय का दावा प्रतिपूर्ति के जरिए किया जाता है और व्यय के अंकेक्षित विवरण को प्रस्तुत करने पर उनको बकाया के रूप में जारी किया जाता है।

(च) और (छ) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में गठित किए गए एक शक्ति प्राप्त कार्य दल ने

18 जून, 2001 और 13 दिसम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठकों में राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की है। यह शक्ति प्राप्त कार्यदल राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में बताए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास में स्वैच्छिक संघों, सामुदायिक संगठनों और पंचायतीराज संस्थाओं को शामिल करते हुए राजस्थान सहित जनांकिकीय रूप के 8 कमजोर राज्यों में सेवाओं की कवरेज और पहुंच बाह्यता में सुधार लाने के लिए केन्द्रित ध्यान दे रहा है।

विवरण-I

क्र.सं.	पैरामीटर	1998	1999	2000
1.	प्रति हजार जनसंख्या पर अशोधित जन्म दर	31.6	31.1	31.2
2.	प्रति हजार जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर	83	81	79
3.	प्रति हजार जनसंख्या पर अशोधित मृत्यु दर	8.8	8.4	8.4@
4.	सुरक्षित प्रसव (प्रतिशत)	22.0*	35.8**	लागू नहीं
5.	गर्भ निरोधक व्याप्तता दर (%)	31.8*	40.3**	लागू नहीं

*राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-1 (1992-93)

**राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99)

@अनन्तिम

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान राजस्थान राज्य को रिलीज किया गया स्कीमवार सहायता अनुदान

क्र. सं.	वर्ष	निर्देशन एवं प्रशासन	प्रशिक्षण			ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा				शहरी परिवार कल्याण सेवा		
			स. नर्स धात्री/ एलएचवी का प्रशिक्षण	स्वा. एवं प.क. प्रशि. केन्द्र	बहुदे. कार्य-कर्त्ताओं का प्रशि.	ग्राम परिवार कल्याण केन्द्र	उपकेन्द्र	ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना	उप जिला स्तर पर प्रसवोत्तर कार्यक्रम	रा.प.क. केन्द्र	रा.प.क. सेवाओं का सुधार	जिला स्तर पर प्रसवोत्तर कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1999-2000	761.35	302.00	41.00	-	1480.00	3630.00	27.95	685.00	130.00	139.00	278.00
2.	2000-2001	715.00	402.00	33.30	24.90	1488.00	4500.00	13.98	685.00	133.00	144.00	278.00
3.	2001-2002	755.00	468.41	45.00	32.00	1733.00	4520.00	13.29	808.00	157.00	160.13	345.00

क्र.सं.	वर्ष	शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व परियोजना	पी ओ एल	मुआवजा	सु.शि. व संचार	क्षेत्र परियोजना	बंध्य-करण पलंग	बकाया	कोल्ड-चेन उप-करण	कुल नकद अनुदान	आपूर्तियां (सामग्रीगत अनुदान)	कुल योग (नकद+ सामग्री)
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	1999-2000	341.74	58.80	563.32	60.03	-	1.35	5792.97	12.69	14307.20	3238.37	17545.57
2.	2000-2001	-	64.65	512.64	57.30	500.00	1.35	4953.43	-	14506.55	4039.05	18545.60
3.	2001-2002	-	57.94	493.50	-	300.00	1.32	2765.69	-	12655.26	3624.75	16280.01

राजस्थान में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना

420. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उन पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) राजस्थान में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकार की भावी योजना क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) राजस्थान सहित देश में लघु उद्योगों के सम्वर्धन हेतु सरकार विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है जैसे एकीकृत बुनियादी संरचना विकास (आई.आई.डी.) स्कीम, उद्यमिता, लघु उद्योग सेवा संस्थान (एस.आई.एस.आई.) के माध्यम से प्रबन्धकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी निपुणता विकास कार्यक्रम, टूल रूम इत्यादि। इसके अलावा सरकार 30.8.2000 को एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा कर चुकी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं-बढ़ी हुई वित्तीय और क्रेडिट सहायता, बेहतर बुनियादी संरचना, बाजार सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु प्रोत्साहन। एक क्रेडिट गारन्टी ट्रस्ट फण्ड का भी सृजन किया गया है जोकि बिना सम्पार्श्विकता के 25.00 लाख रु. तक की राशि के लिए बैंक द्वारा लघु उद्योग यूनिटों को प्रदान किए जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में गारन्टी प्रदान करता है। विशिष्ट सेक्टरों/उप सेक्टरों में ल.उ. यूनिटों द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी परियोजनाओं के संबंध में 12 प्रतिशत की बैंक एन्डिड आर्थिक सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में जयपुर में एक ल.उ. से. सं., एक फील्ड टेस्टिंग स्टेशन तथा नागौर में एक हैंड टूल्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेन्टर है। ल.उ.से.सं. लघु उद्यमियों को उद्यमिता/प्रबन्धकीयता/निपुणता विकास प्रशिक्षण, परामर्श, परियोजना रूपरेखा, विस्तार सेवाएं तथा सामान्य सुविधाएं प्रदान करता है। आई.आई.डी. स्कीम का उद्देश्य लघु/अति लघु यूनिटों की स्थापना हेतु आवश्यक भौतिक बुनियादी संरचना का सृजन करना है। इस स्कीम के तहत जोधपुर, उदयपुर, टोंक तथा नागौर के जिलों में 4 केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं तथा 5.22 करोड़ रु. का केन्द्रीय अनुदान रिलीज किया गया है। फण्ड्स का आवंटन/खर्च करना, स्कीम/कार्यक्रम-वार होता है, तथा वह राज्य-वार नहीं होता है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी में मंदी

421. श्री मोहन रावले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के साथ सीमा संकट के कारण कुछ पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने की सलाह देने के कारण भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) ग्राहकों के दौरे स्थगित होने के परिणामस्वरूप निर्णय लेने में विलम्ब होता है जिससे सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर उद्योग का निर्यात अंश कुछ हद तक प्रभावित होता है। भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के मिशनों के जरिए किसी भी प्रकार की आशंकाओं को दूर करने और पुन: विश्वास कायम करने के लिए संबंधित देशों के साथ यह मामला उठाया है। स्थिति में सुधार हो रहा है।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र की भूमि का हस्तांतरण

422. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र को अपना शहर विकसित करने के लिए उनके द्वारा अर्जित भूमि में से 825 एकड़ भूमि उसे अब तक हस्तांतरित नहीं की गई है जबकि इस भूमि के लिए पहले ही मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां।

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र (बी एस एल) के अनेक अनुरोध और अनुस्मारकों के बावजूद राज्य सरकार ने कथित भूमि अभी तक नहीं सौंपी है और उन्होंने सेल को इसका कोई कारण भी नहीं बताया है।

[अनुवाद]

अपव्यय

423. श्री अमर राय प्रधान: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों में अपव्यय को कम से कम करने हेतु कदम उठाए हैं और पहले ही इसका पता लगा लिया है कि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें विभिन्न सरकारी विभागों में अपव्यय सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष (31.12.2001 की स्थिति के अनुसार) उनके मंत्रालय/विभागों के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ पता लगाए गए ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और उनमें कितने अपव्यय का पता लगाया गया; और

(ग) मंत्रालय द्वारा ऐसे अपव्यय को कम करने/समाप्त करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम, यदि कोई हो, उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

पिछले तीन वर्षों के दौरान, नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में, इस विभाग के संबंध में केवल एक पैरा "अपव्ययपूर्ण व्यय" के बारे में था। इस संबंध में "की गई कार्रवाई की रिपोर्ट" पहले ही वित्त मंत्रालय को भेजी जा चुकी है।

पूर्वोत्तर राज्यों हेतु योजनागत परिव्यय

424. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए असम और पूर्वोत्तर राज्यों हेतु योजनागत परिव्यय को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा कितनी धनराशि के परिव्यय की मांग की गई है और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि के परिव्यय को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा औद्योगिक कृषि और समग्र राज्यवार औसत विकास दर कितनी है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए योजना परिव्यय को अंतिम रूप दे दिया गया है। उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई योजना चर्चाओं में दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यथा सहमत अनुमानित योजना परिव्यय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए औद्योगिक, कृषि तथा समग्र विकास दर हेतु राज्य-वार विकास लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 के मूल्यों पर दसवीं योजना सहमत परिव्यय
1.	अरुणाचल प्रदेश	3,888.32
2.	असम	8,315.24
3.	मणिपुर	2,804.00
4.	मेघालय	3,009.00
5.	मिजोरम	2,300.01
6.	नागालैण्ड	2,227.65
7.	सिक्किम	1,655.74
8.	त्रिपुरा	4,500.00
	कुल	28699.96

डा. बी.आर. अम्बेडकर अस्पताल

425. श्री खगेन दास: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने डा. बी.आर. अम्बेडकर अस्पताल, हपानिया के उन्नयन तथा चरण-1 में सौ बिस्तर और जोड़कर इसकी बिस्तर क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ धनराशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। भारत के संविधान के अंतर्गत "स्वास्थ्य" राज्य का विषय होने के नाते संबंधित राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह लोगों को उनकी आवश्यकता एवं उनके पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

(ग) अस्पतालों के उन्नयन की ऐसी कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दृष्टिहीनता नियंत्रण

426. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री अम्बरीश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए कोई नई कार्य योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा किन-किन राज्यों का पता लगाया गया है जहां इस कार्यक्रम को युद्धस्तर पर शुरू किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) क्या सरकार को दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु अथवा उनके संबंधित राज्यों में क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस वर्ष अब तक राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी हां। दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की गई है और उसे व्यय वित्त समिति/आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमण्डल समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे ग्लोबल विजन-2020 में दी गई रूपरेखा के अनुसार तैयार किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और बहुत से देशों द्वारा दृष्टि अधिकार की पहल की गई है। योजना में मोतियाबिन्द, ग्लूकोमा, मधुमेह और अपवर्तक दोष शामिल हैं। बच्चों में दृष्टिहीनता के निवारण और नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम देश भर में चलाया जा रहा है। असम, बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर तथा उड़ीसा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जहां पर नेत्र परिचर्या सेवाएं पूरी तरह विकसित नहीं हैं और कार्यनिष्पादन कम है।

(घ) भौतिक लक्ष्य और बजट आवंटन राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार किए जाते हैं। राज्य सरकारों से नए क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ङ) और (च) पिछले 3 वर्षों के दौरान रिलीज की गई निधियों तथा वर्तमान वर्ष 2002-03 के दौरान आवंटित बजट संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
नौवीं योजना के दौरान रिलीज की गई धनराशि

राज्य	रिलीज धनराशि (1999-2000)	रिलीज धनराशि (2000-2001)	रिलीज धनराशि (2001-2002)	कुल रिलीज की गई धनराशि	2002-03 के लिए आवंटन
1	2	3	4	5	6
उत्तर पूर्वी राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	15.00	31.50	28.65	75.15	19.00
असम	81.50	182.90	57.50	321.90	105.70
मणिपुर	9.00	41.60	36.15	86.75	24.00

1	2	3	4	5	6
मेघालय	21.00	60.10	66.00	147.10	24.00
मिजोरम	26.50	55.40	25.30	107.20	29.00
नागालैंड	14.00	40.58	47.15	101.73	24.00
सिक्किम	15.25	26.60	5.60	47.45	13.00
त्रिपुरा	35.39	68.80	372.20	476.39	45.65
उप-योग	217.64	507.48	638.55	1,363.67	284.35
अन्य राज्य					
बिहार	154.58	329.92	86.00	570.50	260.00
पंजाब	199.61	117.60	55.20	372.41	135.00
गोवा	14.50	41.20	18.70	74.40	30.00
गुजरात	404.50	384.00	142.04	930.54	215.00
हरियाणा	169.27	178.00	102.00	449.27	119.05
हिमाचल प्रदेश	86.25	131.00	37.00	254.25	83.00
जम्मू व कश्मीर	40.75	106.50	80.80	228.05	83.00
झारखंड	0.00	0.00	15.30	15.30	160.00
कर्नाटक	352.20	290.20	259.20	901.60	273.00
केरल	263.39	270.50	124.50	658.39	160.00
पश्चिम बंगाल	194.10	275.00	123.40	592.50	210.00
उप-योग	1,879.15	2,123.92	1,044.14	5,047.21	1,728.05
संघ राज्य क्षेत्र					
अ. एवं निकोबार द्वीपसमूह	10.67	3.75	8.10	22.52	8.00
चंडीगढ़	11.44	11.00	8.00	30.44	8.00
द. एवं नगर हवेली	2.50	3.75	5.80	12.05	8.00
दमन व दीव	9.40	4.75	4.50	18.65	8.00
लक्षद्वीप	5.72	3.75	4.60	14.07	8.00
पांडिचेरी	20.82	14.50	5.75	41.07	13.00
दिल्ली	42.40	38.13	13.00	93.53	42.00
उप-योग	102.95	79.63	49.75	232.33	95.00

1	2	3	4	5	6
विश्व बैंक परियोजना राज्य					
आंध्र प्रदेश	434.40	521.00	835.80	1791.20	615.00
मध्य प्रदेश	880.81	806.13	498.00	2184.94	405.00
महाराष्ट्र	664.88	581.00	836.00	2081.25	365.00
उड़ीसा	420.25	1,107.00	300.00	1827.25	310.00
राजस्थान	314.18	856.00	912.00	2082.18	291.00
तमिलनाडु	1,009.82	857.00	1,742.25	3609.07	815.00
उत्तर प्रदेश	839.32	603.00	2,098.23	3540.55	415.00
छत्तीसगढ़	—	—	127.00	127.00	230.00
उत्तरांचल	—	—	100.00	100.00	160.00
उप-योग	4563.66	5331.13	7449.28	17344.07	3606.00
कुल योग	6763.40	8042.16	9181.72	23987.28	5713.40

जनसंहार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

427. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत जनसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड संबंधी संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्त्ता और संविदा पक्षकार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि भारत ने संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को स्वीकार कर लिया है तो उसके लिए अपेक्षित विधान के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) इस अभिसमय पर दिनांक 29 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर हुए और इसका अनुसमर्थन 27 अगस्त 1959 को किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस अभिसमय के लिए किसी कार्यान्वयन विधान को लागू नहीं किया गया था क्योंकि भारत का संविधान, भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, इत्यादि जैसे संविधि और मौजूदा कानून में बड़े पैमाने पर की गई हत्या को शामिल करते हुए हत्या जैसे अपराधों को करने वालों को रोकने और दण्डित करने के पर्याप्त प्रावधान हैं।

आपूर्तिकर्त्ताओं का निलंबन

428. श्री रघुनाथ झा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने केन्द्रीय भण्डार के कुछ पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं के विरुद्ध आरोप लगाते हुए केन्द्रीय भण्डार के चेयरमैन को लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आपूर्तिकर्त्ताओं को उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर और आपूर्तिकर्त्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दिए बिना आपूर्ति रोक दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन आपूर्तिकर्त्ताओं को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप अवसर न दिए जाने के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। आरोपों में झूठे पते से कारोबार चलाना, केन्द्रीय भण्डार के कर्मचारियों को धमकाना, आपराधिक मामलों में संलिप्त होना आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भण्डार को माल की आपूर्ति, आपूर्तिकर्त्ता और केन्द्रीय भण्डार के बीच संविदा के आधार पर की जाती है और यह दो पक्षों के बीच एक वाणिज्यिक लेन-देन के रूप में होती है। मौजूदा मामले में संविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ लगता है तथा इस तरह इस मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की कोई भी भूमिका नहीं है।

लैंडिंग ट्रांसपोन्डर्स

429. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इसरो द्वारा निर्मित इन्सैट-4 श्रृंखला के ट्रांसपोन्डरों को गैर-सरकारी संगठनों को किराए पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो कितने ट्रांसपोन्डरों को वाणिज्यिक सेवा के लिए लगाया जाएगा और पट्टे के माध्यम से कितनी धनराशि मिलने की संभावना है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में इन ट्रांसपोन्डरों का उपयोग किया जा सकता है और इन ट्रांसपोन्डरों की अवधि क्या होगी; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) इन्सैट प्रेषानुकरों और गैर-सरकारी प्रचालकों को वाणिज्यिक सेवा के लिए पहले से ही पट्टे पर दिया जा रहा है। इन्सैट-4 श्रृंखला की क्षमता के कुछ भाग को भी ऐसी सेवाओं के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा। पट्टे के माध्यम से प्राप्त होने वाली धनराशि पट्टे पर दी जाने वाली क्षमता पर निर्भर करेगी।

(ग) और (घ) इन्सैट प्रेषानुकरों की कालावधि लगभग 12 वर्ष है। इन प्रेषानुकरों को अत्यन्त लघु द्वारक टर्मिनल (वीसैट) के माध्यम से आंकड़ा और टेलीफोन सेवा के लिए, इन्टरनेट सेवा और दूरदर्शन प्रसारण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

सीमा पार से होने वाली घुसपैठ

430. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में और क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) सीमा-पार घुसपैठ को स्थायी रूप से समाप्त करने की राष्ट्रपति मुशर्रफ की वचनबद्धता के बाद घुसपैठ में कुछ कमी आयी है। तथापि व्यापक रूप से घुसपैठ और पाकिस्तान प्रायोजित हिंसा जारी रही।

(ख) सरकार नियंत्रण रेखा के आसपास सहित अन्य जगहों से सीमा-पार घुसपैठ समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते रहने के प्रति कृतसंकल्प है।

केन्द्रीय भंडार में वित्तीय अनियमितताएं

431. श्री अरुण कुमार: क्या **प्रधान मंत्री** 20 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2745 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मामले में विभागीय जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) इस बारे में स्थिति दर्शाने वाले विवरण-I और II में संलग्न हैं।

विवरण-I

वित्तीय अनियमितता के मामलों (पहले के लंबित चल रहे मामलों) से संबंधित विवरण

क्र.सं.	स्टोर का नाम	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	अनियमितता का स्वरूप	की-गई-कार्रवाई
1.	आर.के. पुरम IX-ए	श्री तमेश्वर सिंह	रोकड़ में 2,25,859.00 रुपए की कमी	(क) आरोपित कर्मचारी को निम्नतर अर्थात् हेल्पर के पद पर अवनत कर दिया गया था। (ख) 30.06.2002 तक 1,65,388.05 रुपए की धनराशि पहले ही वसूल कर ली गई है। 60,470.05 रुपए की शेष धनराशि, 3200/- रुपए की मासिक किस्तों में वसूल कर ली जाएगी।
2.	एन्ड्रयूज गंज	श्री आर.एन. सक्सेना, वरिष्ठ सेल्समैन	अभिकथित मिथ्या चोरी	व्यक्ति को सेवा से बरखास्त कर दिया गया है।
3.	नौरोजी नगर	श्री अनूप सिंह, वरिष्ठ सेल्समैन	स्टाक में 7 लाख रुपए की कमी	(क) पूरी धनराशि वसूल कर ली गई है। (ख) निम्नतर ग्रेड में पदावनति की शास्ति लगा दी गई है।
4.	लेखन सामग्री-प्रभाग	श्री डी.के. जैन, वरिष्ठ प्रबंधक	एक मद-विशेष की खरीद, स्टाक-रजिस्टर में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज की जा रही है	सक्षम प्राधिकारी ने जुलाई, 2002 में श्री डी.के. जैन के विरुद्ध जांच का मामला, आरोपों की आगे और जांच किए जाने के लिए जांच-अधिकारी को वापस भेज देना तय किया है।

विवरण-II

वर्ष 2000 और 2001 में वित्तीय अनियमितता के मामलों का विवरण

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	स्टोर का नाम	अनियमितता का स्वरूप	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	श्री महिन्दर लाल, कनिष्ठ सेल्समैन	प्रभारी, आर.के. पुरम-II	भौतिक सत्यापन के दौरान स्टाक में 1.85 लाख रुपए की कमी का पता लगा।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा, कनिष्ठ सेल्समैन का वेतन 3260-5470 के समय-वेतनमान में दो वर्ष तक 4550/- रुपए से एक वार्षिक वेतन-वृद्धि घटाकर 4470/- रुपए कर दिए जाने की शास्ति लगा दी गई है।

1	2	3	4	5
				81,197.40 रुपए की वसूली कर ली गई है तथा शेष रही धनराशि, मासिक किस्तों में वसूल की जा रही है।
2.	श्री राजपाल उपाध्याय वरिष्ठ सेल्समैन	प्रभारी, कृषि विहार	भौतिक सत्यापन, के दौरान स्टाक में 1.98 लाख रुपए की कमी का पता लगा।	जांच पूरी कर ली गई है तथा जांच-रिपोर्ट की जांच-पड़ताल की जा रही है। 59,585 रुपए की वसूली कर ली गई है तथा शेष रही धनराशि मासिक किस्तों में वसूल की जा रही है।
3.	श्री एम.सी. आचार्य, वरिष्ठ सेल्समैन	लेखन-सामग्री काउंडर-2	भौतिक सत्यापन के दौरान, स्टाक में 41,600 रुपए की कमी।	जांच प्रगत अवस्था में है। पूरी धनराशि वसूल कर ली गई है।

गुजरात में लघु उद्योगों की संख्या

432. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कितने लघु उद्योग हैं;

(ख) राज्य में हाल के दंगों द्वारा कितने लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) उद्योग-वार कितने लघु उद्योगों को रुग्ण घोषित किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन उद्योगों का पुनर्वास/पुनरुद्धार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 31.3.2002 तक पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 1,92,032 है।

(ख) गुजरात सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार राज्य में हाल के दंगों से 753 लघु उद्योग इकाईयां प्रभावित हुई हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्त पोषित रुग्ण लघु उद्योग इकाईयों के बारे में आंकड़े संकलित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार मार्च, 2001 के अंत में गुजरात राज्य में 5408 रुग्ण इकाईयां थीं। गुजरात राज्य के लिए उद्योग-वार ब्यौरा केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ) सरकार को लघु उद्योग इकाईयों के बीच औद्योगिक रुग्णता की पूर्ण जानकारी है और उसने सम्भाव्य जीवनक्षम रुग्ण इकाईयों की समय पर पहचान करने और उनके पुनर्वास के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य-स्तरीय अन्त: सांस्थानिक समितियों (एल.एल.आई.आई.सीज.) के रूप में औद्योगिक तन्त्र, बैंकों एवं राज्य वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वास कक्ष तथा पात्र इकाईयों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विस्तृत मार्ग-निर्देश शामिल हैं। इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस.एस. कोहली की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण लघु उद्योग इकाईयों के पुनर्वास के लिए संशोधित मार्ग-निर्देश तैयार किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण लघु उद्योग इकाईयों की परिभाषा, उनकी संभाव्यता, आदि का निर्णय करने के मानदण्डों में परिवर्तन करना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यान्वयन के लिए सभी बैंकों को 16 जनवरी, 2002 को संशोधित मार्गनिर्देश परिचालित किए हैं।

इसके अतिरिक्त हाल के दंगों से प्रभावित हुई इकाईयों के लिए 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, प्रतिस्थापन एवं मरम्मत करने, बिक्री कर एवं विद्युत शुल्क आस्थगित करने, बीमा दावों का शीघ्रता से निपटान करने, उदारीकृत शर्तों, आदि पर बैंकों से आवश्यकता आधारित नया वित्त लेने के लिए 50,000 रु. की

अधिकतम सीमा सहित 20 प्रतिशत की नकद सब्सिडी प्रदान की जाती है।

कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के कार्यालय-ज्ञापन की समीक्षा

433. **श्री रामजी मांझी:**
श्री रघुनाथ झा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री अरुण कुमार:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग ने वित्त-मंत्रालय (व्यय-विभाग) से परामर्श किए बिना लेखन-सामग्री और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु सुपर बाजार और एन.सी.सी.एफ. को अधिकृत करते हुए वर्ष, 1987 और 1994 में एक आदेश जारी किया था जैसा कि केन्द्रीय भंडार के मामले में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वित्त-मंत्रालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग से जुलाई 14, 1981 के अपने कार्यालय-ज्ञापन की समीक्षा करने और सामान्य वित्त नियमों के उपबंधों को अपनाने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कार्यालय-ज्ञापन की कब तक समीक्षा किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) वित्त-मंत्रालय से परामर्श करके, जुलाई, 1981 में केन्द्र-सरकार के विभागों/केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा वित्त-पोषित निकायों द्वारा लेखन-सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीद अनिवार्य रूप से केन्द्रीय भंडार से ही किए जाने के अनुदेश जारी किए गए। वर्ष, 1987 और वर्ष 1994 में जारी किए गए अनुदेश, सुपर बाजार और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता-परिसंघ (एन.सी.सी.एफ.) को भी इस व्यवस्था के दायरे में लाने की दृष्टि से ही जारी किए गए थे।

(ग) से (ङ) दिनांक 14.07.1981 के कार्यालय-ज्ञापन के प्रावधानों की समीक्षा की जा रही है और इस बारे में कोई निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा।

देश में स्टेडियमों का निर्माण

434. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्टेडियमों के निर्माण हेतु सरकारी अनुदान/वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ख) वर्ष 2001-2002 में कितने स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है;

(ग) सरकार की सहायता से इस समय देश में कितने स्टेडियम निर्माणाधीन हैं;

(घ) क्या इन कार्यक्रमों का विस्तार करने की योजनाएं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन योजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों और खेल निकायों की भागीदारी हेतु नियम और शर्तों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान 16 स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।

(ग) विभिन्न राज्यों में स्थित 213 स्टेडियम इस समय निर्माणाधीन हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) खेलों के क्षेत्र में सक्रिय पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन और खेल निकाय समतुल्य हिस्से के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। गैर-सरकारी संगठनों की जाति, लिंग, वर्ण अथवा धर्म आदि के आधार पर प्रतिबंधित/सीमित सदस्यता नहीं होनी चाहिए।

सी.बी.आई. के छापे

435. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री नरेश पुगलिया:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने हाल ही में सरकारी अधिकारियों, उद्योगपतियों आदि पर अपराध करने जैसे आय से अधिक सम्पत्ति रखने के मामलों के संबंध में राष्ट्रव्यापी छापे मारे हैं जैसा कि 12 जून, 2002 के सभी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी.बी.आई. द्वारा उनके विरुद्ध राज्य-वार अलग-अलग भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज किए गए; और

(घ) सी.बी.आई. द्वारा विभिन्न न्यायालयों में कितनी याचिकाएं दायर की गई और उत्तावधि के दौरान कितने नौकरशाह दंडित किए गए?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने, अपराध किए जाने अर्थात् आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखे जाने के संबंध में दिनांक 11.06.2002 को सरकारी कर्मचारियों, उद्योगपतियों इत्यादि के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी छापे मारे हैं। इसके परिणामस्वरूप, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने विभिन्न संगठनों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध 24 मामले दर्ज किए। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने इन अधिकारियों से, कुछ लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक धनराशि की सम्पत्ति का भी पता लगाया।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्ष के दौरान, भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम के अनुसार दर्ज किए गए मामलों की संख्या, भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1988 के अनुसार, दोष-सिद्धि में परिणत हो गए मामलों की संख्या और इसी अवधि के दौरान विचारण के लिए भेजे गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम के अनुसार दर्ज किए गए मामलों की संख्या	विचारण के लिए भेजे गए मामलों की संख्या	भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम के अनुसार दोष-सिद्धि में परिणत हो गए मामलों की संख्या
1999	609	378	125
2000	663	297	181
2001	700	173	207
कुल	1972	848	513

साइबर अपराध

436. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ माह में आन लाइन अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है और ऐसे अपराधों को रोकने हेतु उठाए गए कदम अप्रभावी सिद्ध हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित करने पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) साइबर अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना से देश में बढ़ते साइबर अपराधों को किस सीमा तक रोका जा सकेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) देश में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की विकास दर देखते हुए आन लाइन अपराधों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) साइबर अपराध आसूचना प्रकोष्ठ वर्ष 2000 से ही केन्द्रीय आसूचना ब्यूरों में कार्यरत है और यह साइबर अपराधों से संबंधित मामलों की जांच कर रहा है।

सफदरजंग अस्पताल का बर्न विभाग

437. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 2002 को 'द टाइम्स आफ इंडिया' में 'सफदरजंग बर्न्स वार्ड मशीन्स डीफेक्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी हां। समाचार में संचित ब्यौरे इस प्रकार हैं-

(1) आई सी यू में वेंटीलेटर का कार्य न करना

(2) पलंग के पास मानीटरों का कार्य न करना

(3) आई सी यू में क्यूबिकल्स का कार्य न करना

(4) शिशुओं और नवजात बच्चों के लिए इनकुबेटरों का प्रयोग नहीं किया जाता

(5) प्रत्येक आई सी यू पलंग के साथ लगे कुछ ओवर हेड लैंप का कार्य न करना

(6) आपरेशन थिएटर के मरम्मत कार्य पूरा न होना

(7) आपरेशन थिएटर में अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था

(8) वार्ड में भीड़-भाड़।

(ग) सुधार एक सतत प्रक्रिया है। फिर भी समाचार में की गई टिप्पणियों पर स्थिति बनाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

समाचार-पत्र की रिपोर्ट के बारे में स्थिति रिपोर्ट

- रेस्पीरेटरी बर्न विभाग में दो अल्ट्रा माडर्न वेंटीलेटर हैं। ये दोनों वेंटीलेटर कार्य कर रहे हैं। इन वेंटीलेटरों में जब भी कोई समस्या आती है तो कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें ठीक किया जाता है।

- विभाग में 7 मानीटर हैं। सभी पूरी तरह कार्य कर रहे हैं और दो मानीटरों में एक पैरामीटर खराब है। लेकिन शेष पैरामीटर पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। उन्हें ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है।

- विभाग में 13 पलंगों वाला आई सी यू है जिसमें अल्ट्रामाडर्न एअर कंडीशनिंग प्रणाली है और 100 प्रतिशत शुद्ध हवा की व्यवस्था है और प्रति मिनट 20 साइकल चेंज और हाइपा-फिल्टर्स हैं। इसके अतिरिक्त 5 क्यूबिकल्स में तापमान और आर्द्रता के लिए अलग-अलग नियंत्रण व्यवस्था है। यह प्रणाली कार्य कर रही है और अस्पताल के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (विद्युत) विंग द्वारा इसका रख-रखाव किया जाता है।

- आई सी यू के प्रत्येक क्यूबिकल में होलोजेन बल्ब वाली ड्रेसिंग लाइट है। बल्ब उपभोज्य होते हैं और उनके खराब होने पर उन्हें बदला जाना होता है। इनका सामान्य अस्पताली प्रक्रिया द्वारा प्रापण किया जाता है। इन लाइटों के लिए 30 नए बल्ब खरीदे गए थे और ये सभी लाइटें कार्य कर रही हैं।

- बर्न आपरेशन थिएटर जो पहले अच्छी हालत में था, अब अल्ट्रा माडर्न आपरेशन थिएटर कम्पलेक्स है जिसमें सेंट्रल आक्सीजन सप्लाई रिकवरी रूम और 3 अलग अपरेशन कक्ष हैं। आपरेशन थिएटर को अब साफ-सुथरा किया जा रहा है और कुछ दिनों में इसका पूरा उपयोग किया जाएगा।

- विभाग ने जले हुए लोगों का वैज्ञानिक उपचार आरम्भ किया है जिसमें 3-स्टेप लेडर आई सी यू, स्टेप डाउन आई सी यू और एक रिकवरी वार्ड शामिल है। वर्तमान वार्ड 22-ए जले हुए उपचार का अंतिम सोपान है। इस वार्ड की मरम्मत की जा रही है। चूंकि जले हुए रोगियों को लगातार भरती किया जाता है और किसी भी स्थिति में दाखिले रोके नहीं गए थे। इसलिए मरम्मत कार्य चरणवार ढंग से चल रहा है। वार्ड के लगभग 2/3 भाग की मरम्मत की जा चुकी है और इसका उपयोग हो रहा है।

- विभाग ने वार्ड से भीड़-भाड़ कम करने के लिए सभी उपाय किए हैं। नए वार्ड 22-ए को पहली बार खोला गया था और प्रत्येक रोगी के पास एक अलग क्यूबिकल है और कम गम्भीर रोगियों के लिए दो रोगियों हेतु एक साझा क्यूबिकल है। सभी क्यूबिकल्स में अपना विंडो टाइप एअर कंडीशनर है जबकि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रणाली प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को भारी घाटा

438. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री जी. गंगा रेड्डी:
श्री बी. वेंकटेस्वरलु:
श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को 1,707 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह घाटा गत वर्ष के 729 करोड़ रुपए के घाटे से दोगुना है;

(ग) यदि हां, तो घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को इस घाटे से उबारने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सेल को हुई हानि के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं:-

* अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण इस्पात की खपत में स्थिरता।
* कम बिक्री प्राप्ति।
* विभिन्न देशों की संरक्षणवादी नीतियों के कारण निर्यात में मंदी।
* आधुनिकीकरण परियोजनाओं में अधिक पूंजी निवेश जिससे ब्याज और मूल्यह्रास पर व्यय में वृद्धि होना; तथा
* उच्च श्रमशक्ति लागत।

(घ) सरकार ने फरवरी, 2000 में सेल के लिए एक वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना पैकेज मंजूर किया था। अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए सेल इस समय निम्नलिखित कदम उठा रहा है:-

* गहन लागत नियंत्रण अभियान जिसमें उत्पादन में सुधार, कोककर कोयले और अन्य कच्ची सामग्रियों की खपत में कमी, विद्युत और ईंधन की खपत में कमी, भण्डार और अतिरिक्त कल-पुर्जों की खपत में कमी तथा अन्य प्रमुख प्रौद्योगिक आर्थिक प्राचलों में सुधार आदि।
* स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी आर एस) का कार्यान्वयन।
* बाजारोन्मुखी उत्पाद-मिश्र, बिक्री तंत्र को बढ़ाना और ग्राहक तुष्टिकरण पर अधिक ध्यान देना आदि।
* ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्ता में सुधार तथा सुरक्षा और पर्यावरण आदि जैसी सांविधिक अपेक्षाओं से संबंधित योजनाएं।
* चल रही योजनाओं को छोड़कर नए निवेश प्रस्तावों पर रोक।

[हिन्दी]

पाक उच्चायोग के कर्मचारी की गिरफ्तारी

439. **डा. अशोक पटेल:**
श्री पदन सेन चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मई, 2002 को पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या पाकिस्तान ने इसके प्रतिकार के रूप में भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी का अपहरण करके उसकी बुरी तरह पिटाई की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ इस मामले को उठाया था; और

(छ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को 31 मई, 2002

को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह एक भारतीय राष्ट्रिक से वर्गीकृत सूचना/दस्तावेज प्राप्त कर रहा था। जैसा अंतर्राष्ट्रीय कानून के मान्यताप्राप्त मानदण्डों के अंतर्गत अपेक्षित है, उसे पाकिस्तान उच्चायोग को सुपुर्द कर दिया गया था। बाद में उसे अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया गया और भारत छोड़ने के लिए कहा गया।

(घ) और (ङ) बदले की भावना से पाकिस्तानी आसूचना अभिकरण के कर्मियों ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के एक स्टाफ सदस्य का 1 जून, 2002 को जबरन अपहरण कर लिया तथा उसे छह घंटे से अधिक समय तक गैर-कानूनी रूप से नजरबंद रखा। उसे बांध दिया और उसकी पिटाई की गई तथा नजरबंद के दौरान लात मारी। बाद में उसे अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया गया और बिल्कुल झूठे तथा आधारहीन आरोपों के आधार पर पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा गया।

(च) सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को राजनयिक संबंधों से सम्बद्ध वीयना अभिसमय 1961 और भारत तथा पाकिस्तान में राजनयिक/कोंसली कार्मिकों के व्यवहार के लिए द्विपक्षीय आचार-संहिता, 1992 के खुले, अमानवीय उल्लंघन के लिए सख्त विरोध दर्ज कराया एवं भारतीय कार्मिकों की रक्षा एवं संरक्षा के लिए पाकिस्तान की बाध्यताओं के प्रति पाकिस्तान को स्मरण दिलाया।

(छ) पाकिस्तान की सरकार ने भारत के विरोध को आधारहीन कह कर रद्द कर दिया जैसा वह अक्सर करता रहता है।

[अनुवाद]

मलेरिया रोधी दवा

440. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलेरिया पर काबू पाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सस्ती दवा क्लोरोक्वीन मलेरिया परजीवी द्वारा प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने के कारण निष्प्रभावी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आटीमिसिनिन आधारित सम्मिश्रण उपचार करने की सिफारिश की है;

(ग) क्या नया उपचार मलेरिया परजीवी को शीघ्रता से मारता है जिससे रोगी तेजी से स्वस्थ होता है और इसके कोई अन्य दुष्प्रभाव नहीं होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) क्लोरोक्वीन दशकों से देश में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मलेरिया रोधी दवाओं में से एक है और अभी भी मलेरिया के गैर-जटिल रोगियों के उपचार के लिए प्रमुख दवा है।

क्लोरोक्वीन प्रतिरोधी क्षेत्रों के पहचान के लिए राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय की पी एफ निगरानी दल के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में अध्ययन किए जाते हैं।

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत औषध नीति में एंटीमिसीनिन और इसके व्युत्पत्ति कारकों को अकेले टीके के रूप में अथवा मुख्य सेव्य औषध के रूप में गंभीर एवं जटिल पी फाल्सीपेरम मलेरिया के मामले में उपयोग करने की अभिकल्पना की गई है क्योंकि ये पी फाल्सीपेरम पर तेजी से असर करते हैं और रोगियों को जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं। इसके दुष्प्रभाव कम होते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संबंध में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है।

अमरीकी वीजा संबंधी विनियमन

441. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका की इमीग्रेशन एण्ड नेचुरलाइजेशन सर्विस के वीजा संबंधी नए विनियमों ने भारत को प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने इस संबंध में अमरीका से कोई आश्वासन मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार छात्रों की श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों के लिए अमरीकी वीजा विनियमों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। छात्र वीजा के लिए अब कोई आवेदक अमरीका से नहीं बल्कि अमरीका के बाहर किसी देश से आवेदन कर सकेगा।

अमरीकी वीजा नीति में यह परिवर्तन भारत सहित अन्य सभी देशों के राष्ट्रिकों पर लागू होता है।

(ग) और (घ) चूंकि भारतीय राष्ट्रिकों के लिए अमरीका द्वारा कोई प्रतिबंधित वीजा नीति अपनाने की कोई सूचना नहीं है अत: अमरीकी आश्वासन का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आरक्षण संबंधी कार्यालय ज्ञापन

442. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आरक्षण संबंधी उन शेष कार्यालय ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है जिनमें विधेयक के माध्यम से संशोधन किया जाना बाकी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक कार्यालय ज्ञापन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में विधेयक कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) आरक्षण से संबंधित किसी भी कार्यालय-ज्ञापन को किसी विधेयक के जरिए संशोधित किए जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) 1997 में जारी किए गए 5 कार्यालय-ज्ञापनों में से 3 कार्यालय-ज्ञापन, संविधान में उपयुक्त संशोधन करके निष्प्रभावी कर दिए गए हैं। पद आधारित-रोस्टरों का चलन आरम्भ किए जाने और पदोन्नति के संबंध में आरक्षण 15.11.1997 से आगे कायम रखे जाने के बारे में शेष दो कार्यालय-ज्ञापनों में निहित प्रावधान और अनुदेश अभी भी लागू हैं।

(ग) और (घ) इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन एक्सचेंज

443. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के समस्तीपुर, राजगिर, बिहार शरीफ, मोतीहारी जिलों सहित विभिन्न जिलों में टेलीफोन एक्सचेंज अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इनमें पूर्ण रूप से सुधार लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं और सभी लम्बित आवेदनों का निपटान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) समस्तीपुर, राजगिर, बिहार शरीफ और मोतीहारी की सज्जित क्षमता कार्यरत कनेक्शन और प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (राजगीर और बिहार शरीफ, नालन्दा जिले के भाग हैं)। प्रतीक्षा सूची मार्च 2003 तक निपटा दिए जाने की संभावना है।

समग्र सुधार के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त केबल बिछायी गई हैं जहां केवल पेयर उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्र तकनीकी रूप से अव्यवहार्य हैं।
2. अगर क्षेत्र व्यवहार्य नहीं है और केबल बिछाने में अधिक समय लगता है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को डब्ल्यूएलएल पर नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं।
3. यदि किसी एक्सचेंज में क्षमता उपलब्ध है परन्तु वहां प्रतीक्षा सूची नहीं है अथवा सीमित है, ऐसी स्थिति में मांग में वृद्धि करने के लिए विशेष विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र.सं.	जिले/एक्सचेंज का नाम	क्षमता	कार्यरत कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची
1.	समस्तीपुर	33108	26586	3835
2.	राजगिर	1000	698	25
3.	बिहार शरीफ	9500	8027	150
4.	पूर्वी चंपारन (मोतीहारी)	44212	31240	7390

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरियों की दशा

444. **श्री अबुल हसनत खां:**
श्री के. येरननायडु:
डा. रामचन्द्र डोम:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जून, 2002 को 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "हैल्थ चैक: सी.जी.एच.एस. आर्टरीज ब्लोक्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें राजधानी की विभिन्न सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरियों की दुर्दशा के बारे में जानकारी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा बनाए गए कृतिक बल ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरियों के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जी हां। 17 जून, 2002 को 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "हैल्थ चेक: सी.जी.एच.एस. आर्टरीज ब्लोक्ड" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें के.स.स्वा. योजना के औषधालयों का दौरा करने के लिए सरकार द्वारा गठित किए गए कार्य दल के निष्कर्षों का संदर्भ दिया गया था।

इस कार्य दल की रिपोर्ट के आधार पर समय की पाबंदी, सफाई रखने और उचित व्यवहार करने के लिए के.स.स्वा. योजना के औषधालयों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

445. **श्री बी.के. पार्थसारथी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में कितने टेलीफोन एक्सचेंज लगाए गए हैं;

(ख) तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में 993 नए टेलीफोन एक्सचेंज चालू कर दिए गए हैं।

(ख) जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान, 150 नए टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला-वार स्थापित नए एक्सचेंज

जिले का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4
अदीलाबाद	20	14	12
अनन्तपुर	12	9	13
चित्तूर	13	16	7
कुड्डापा	10	9	7
पूर्वी गोदावरी	24	8	10
गुन्टूर	25	20	14
हैदराबाद	9	13	6
करीमनगर	17	35	12
खम्माम	21	14	13
कृष्णा	15	13	7
कुरनूल	29	17	5
महबूबनगर	16	27	20
मेडक	11	14	17
नालगोण्डा	23	29	22
नेल्लौर	12	21	19
निजामाबाद	11	25	16

1	2	3	4
प्रकासम	20	27	9
रंगारेड्डी	3	5	10
श्रीकाकुलम	21	5	10
विशाखापट्नम	9	6	5
विजयनगरम	10	8	10
वारंगल	10	25	22
पश्चिमी गोदावरी	17	7	2
जोड़	358	367	268

सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरियां

446. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) की विभिन्न डिस्पेंसरियों की गिर रही दशा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन डिस्पेंसरियों की खामियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने का कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) देश भर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं लाभार्थियों को बहुत हद तक संतुष्ट करती हैं और देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की स्थिति में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक नेटवर्क

447. श्री मानसिंह पटेल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक नेटवर्क संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत-बंगलादेश संबंध

448. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बंगलादेश के साथ वार्ता की है और कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समझौतों का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश राइफल्स के महानिदेशकों सहित और अभी हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री और हमारे राजनीतिक नेताओं के बीच विभिन्न स्तरों पर बांग्लादेश के साथ विचार-विमर्श हुए हैं। तथापि, इन वार्ताओं के दौरान कोई समझौते हस्ताक्षरित नहीं किए गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

क्षयरोग का उन्मूलन

449. **श्री भान सिंह भौरा:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में क्षयरोग के मामले खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक राज्य-वार क्षयरोग के कितने मामले जानकारी में आए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सूचित क्षयरोगियों की संख्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान कमोबेश स्थिर है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 'स्पूटम पाजीटिव' पाए गए क्षयरोगियों और उनके इलाज से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1999 से 2002 के दौरान राज्यवार स्पूटम पाजिटिव पाए गए रोगियों तथा उनका इलाज करने से संबंधित संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	24892	28562	30850
2.	अरुणाचल प्रदेश	414	410	446
3.	असम	209	2059	3037
4.	बिहार	6980	8325	11532
5.	छत्तीसगढ़	—	—	3213
6.	गोवा	515	561	495
7.	गुजरात	34911	30981	32212
8.	हरियाणा	9226	8444	10942
9.	हिमाचल प्रदेश	512	924	1132
10.	जम्मू व कश्मीर	533	830	4862
11.	झारखंड	—	—	878
12.	कर्नाटक	20244	26133	31099
13.	केरल	1534	2314	4473
14.	मध्य प्रदेश	23683	25037	28942
15.	महाराष्ट्र	64966	63797	53410

1	2	3	4	5
16.	मणिपुर	1012	1385	1473
17.	मेघालय	508	665	915
18.	मिजोरम	299	336	369
19.	नागालैंड	643	314	571
20.	उड़ीसा	12106	4480	6004
21.	पंजाब	9783	10670	9336
22.	राजस्थान	22953	23584	33814
23.	सिक्किम	417	489	589
24.	तमिलनाडु	25756	24533	22502
25.	त्रिपुरा	981	5555	928
26.	उत्तरांचल	—	—	3909
27.	उत्तर प्रदेश	65596	62802	80666
28.	प. बंगाल	15595	3721	3688
29.	अ. एवं नि. द्वीपसमूह	210	265	209
30.	चंडीगढ़	23	35	0
31.	दा. एवं न. हवेली	187	182	113
32.	दमन एवं दीव	153	170	101
33.	दिल्ली	26911	17518	18521
34.	लक्षद्वीप	0	5	1
35.	पांडिचेरी	1303	1436	1511
	कुल	373055	356522	402743

[हिन्दी]

आतंकवादियों को पाकिस्तान का आश्वासन

450. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कश्मीरी आतंकवादियों को सहायता देने का आश्वासन दिया है, जैसाकि 8 जून, 2002 को ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) प्रैस में यह रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर के हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की थी और ''कश्मीर के लिए'' पाकिस्तान के राजनयिक और नैतिक समर्थन का आश्वासन दिया था।

(ख) और (ग) ऐसे वक्तव्य पाकिस्तान के जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य मार्गों में प्रायोजित किए जा रहे सीमा पार आतंकवाद के लिए अपनी सफाई देने का व्यर्थ प्रयत्न का एक भाग हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है। सरकार पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमापार आतंकवाद को रोकने और देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखण्डता को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।

[अनुवाद]

श्रम कल्याण कार्यक्रमों को बंद किया जाना

451. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने सरकार को कुछ श्रम कल्याण कार्यक्रमों को बंद करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो बंद किए जाने के लिए सुझाए गए श्रम कल्याण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) वर्ष 2001-02 के लिए वित्त मंत्री के बजट भाषण पर अनुवर्ती कार्रवाई और राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के कार्यान्वयन के उद्देश्य से योजना आयोग ने शून्य आधारित बजट प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में श्रम मंत्रालय की महत्वहीन हुई स्कीमों की छंटनी और समान उद्देश्यों वाली स्कीमों के विलयन की सिफरिश की गई है।

[हिन्दी]

समुद्री-मार्ग के संबंध में त्रिपक्षीय समझौता

452. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस, भारत और ईरान ने एक समुद्री-मार्ग निर्धारित करने के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते पर किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए और इस समझौते के किस तारीख से लागू होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) भारत, इस्लामी गणराज्य ईरान और रूसी परिसंघ ने 12 सितम्बर, 2000 को सेंटपीटर्सबर्ग, रूसी परिसंघ में अंतर्राष्ट्रीय "उत्तर-दक्षिण" परिवहन गलियारे से संबद्ध अन्तर-सरकारी करार संपन्न किया। इस करार का उपयोग इस्लामी गणराज्य ईरान तथा केस्पियन सागर से गुजरते हुए भारत के भागों से रूसी परिसंघ के लिए परिवहन गलियारे के उपयोग द्वारा वस्तुओं की ढुलाई के लिए किया जाएगा। यह करार 16 मई, 2002 से प्रभावी हुई है।

[अनुवाद]

स्कूलों को अनुदान

453. श्रीमती प्रभा राव:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिले के स्कूलों में खेल-कूद को बढ़ावा देने और अंतर-स्कूल प्रतिस्पर्धाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत करने का है;

(ख) यदि हां तो उन जिलों का ब्यौरा क्या है जिनको महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान अनुदान दिया गया है;

(ग) अनुदान देने के लिए क्या मापदंड अपनाए जाते हैं और क्या यह अनुदान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर दिया जाता है या एकमुश्त अनुदान के रूप में;

(घ) यदि हां, तो क्या सभी जिलों में अनुदान का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान कोई अनुदान नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसी सहायता के लिए महाराष्ट्र की राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, महाराष्ट्र सरकार को जिला स्तरीय अंतर-स्कूल प्रतियोगिताओं के

आयोजन के लिए राज्य के 35 जिलों के वास्ते 50,000 रुपये प्रति जिले की दर से 17.50 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था तथा 2001-2002 के दौरान, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 2.00 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

(ग) ''स्कूलों में खेल-कूद के संवर्धन'' की योजना के अंतर्गत, अनुदान प्राप्त करने के लिए, राज्य/संघ शासित क्षेत्र को भारत सरकार के पास एक औपचारिक प्रस्ताव भेजना पड़ता है। जिला तथा राज्य स्तर के टूर्नामेंट, जिला तथा राज्य स्तरीय समितियों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। पिछले साल के लिए जारी किए गए अनुदानों, यदि कोई है, से संबंधित लेखों तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार अनुदान जारी किए जाते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु हथियारों की समाप्ति हेतु अमरीका-रूस समझौता

454. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों के ध्रुवीकरण और भयावह विनाश करने वाले हथियारों से बचाव के लिए हुए समझौते की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह संधि किन-किन शर्तों पर की गई है और विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने और ध्रुवीकरण से बचने के बारे में इसके प्रभाव के संबंध में सरकार का क्या आकलन है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति बुश ने मास्को में 24 मई, 2002 को सामरिक आक्रमणात्मक कटौती (एस.ओ.आर.) संधि और नए सामरिक संबंधों पर घोषणा को संपन्न किया।

(ख) इस संधि के तहत रूस और संयुक्त राज्य 31 दिसंबर, 2012 तक अपने सामरिक नाभिकीय आयुधों में औसत संख्या में कटौती करने और उन्हें सीमित करने के लिए सहमत हो गए हैं जिसकी दोनों पक्षों के लिए अधिकतम संख्या 1700-2200 होगी। भारत ने नाभिकीय शस्त्रों के भण्डार में की गई इस भारी कटौती को नाभिकीय नि:शस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम और नाभिकीय शस्त्रों को खत्म करने तथा सही इरादे से किए जा रहे नि:शस्त्रीकरण के तौर पर लिया है। भारत आशा करता है कि रूस और संयुक्त राज्य के बीच नए सामरिक संबंध की स्थापना से वैश्विक सामरिक स्थायित्व और सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के स्थायी स्वरूप का मार्ग प्रशस्त होगा।

पाकिस्तान द्वारा उग्रवादियों को शरण

455. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है कि पाकिस्तान पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादियों को शरण देता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सूचना अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन और उन अन्य देशों को दे दी गई है जिन्होंने भारत को सीमा पार से चल रहे आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में समर्थन दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) यह सर्वविदित सच्चाई है कि भारत को अस्थिर बनाने के लिए पूर्वोत्तर सहित भारत में सीमापार से आतंकवाद को प्रायोजित करना पाकिस्तान की समग्र नीति का एक अंग रहा है।

(ग) और (घ) सरकार भारत में पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने और इसके द्वारा आतंकवादियों और कानून के भगौड़ों को प्रायोजन और सहायता उपलब्ध कराने के मामले को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में उपयुक्त एवं प्रभावी रूप से लाती रही है।

[हिन्दी]

आयोडीनयुक्त नमक का उत्पादन

456. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयोडीनयुक्त 'फ्री-फ्लो' नमक का उत्पादन करने वाली अनेक घरेलू और विदेशी कंपनियां निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक पता लगाई गई ऐसी कंपनियों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) कोई भी विदेशी कम्पनी आयोडीनयुक्त फ्री-फ्लो नमक का उत्पादन नहीं कर रही है। फ्री-फ्लो नमक का उत्पादन कर रही सभी घरेलू कंपनियों से अपेक्षा है कि वे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और इसके नियमों में निहित प्रावधानों का पालन करें। निर्धारित मापदण्ड के उल्लंघन किए जाने पर समुचित कार्रवाई शुरू की जाती है। गुजरात राज्य की तीन कम्पनियों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया और राजस्थान राज्य में एक फर्म को वैगन कोटा नहीं दिया गया।

राजस्थान के डाकघरों में दूरभाष सुविधा

457. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के सभी डाकघरों और उप-डाकघरों में सार्वजनिक दूरभाष सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के डाकघरों/उप-डाकघरों की, जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) 1451 विभागीय डाकघरों में से 655 डाकघरों में पब्लिक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है। राज्य में अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में पब्लिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) जिलेवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) डाकघरों को पब्लिक टेलीफोन सुविधा भारत संचार निगम लि. द्वारा औचित्य के अनुसार मामलों की उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण

राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा वाले/सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा से रहित डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्रम सं.	जिले का नाम	विभागीय डाकघरों की कुल संख्या	सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा के साथ	सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा के बिना
1	2	3	4	5
1.	अलवर	72	41	31
2.	जयपुर	140	88	52
3.	दौसा	29	26	3
4.	भरतपुर	60	35	25
5.	धौलपुर	19	13	6
6.	करौली	27	2	25
7.	सवाई माधोपुर	30	2	28
8.	अजमेर	108	34	74
9.	भीलवाड़ा	48	2	46
10.	डूंगरपुर	30	22	8

1	2	3	4	5
11.	बांसवाड़ा	23	18	5
12.	चित्तौड़गढ़	47	2	45
13.	बूंदी	21	17	4
14.	टोंक	25	17	8
15.	उदयपुर	59	52	7
16.	राजामाण्ड	23	19	4
17.	कोटा	50	7	43
18.	झालावाड़	22	2	20
19.	बारन	15	1	14
20.	बाड़मेर	35	28	7
21.	बीकानेर	45	20	25
22.	चूरू	50	37	13
23.	झुंझुनू	69	—	69
24.	जोधपुर	71	51	20
25.	जैसलमेर	17	14	3
26.	नागौर	61	9	52
27.	पाली	61	8	53
28.	सीकर	75	—	75
29.	सिरोही	28	25	3
30.	जालौर	26	24	2
31.	श्रीगंगानगर	39	24	15
32.	हनुमानगढ़	26	15	11

प्रति व्यक्ति आय

458. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) क्या इन दोनों क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय का अन्तर बढ़ता जा रहा है; और

(ग) इस अन्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने पर विचार किया जा रहा है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (राष्ट्रीय लेखा प्रभाग) से उपलब्ध सूचना के अनुसार 1980-81

में प्रचलित मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद (एनडीपी) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 1245 रु. और 2888 रु. था। 1993-94 में प्रचलित मूल्यों पर तद्नुरूपी आय 5783 रुपये और 13525 रु. थी। 1993-94 के पश्चात् आय के स्तर में ग्रामीण शहरी अन्तर को दर्शाने वाली कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1980-81 में शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिव्यक्ति एनडीपी ग्रामीण क्षेत्रों के एनडीपी से 2.32 गुणा उच्चतर था। 1993-94 वर्ष के लिए तद्नुरूपी अनुपात 2.34 था।

(ग) पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन और स्थायी मूल्यों सहित अर्थव्यवस्था की विकास दर को तेज करने को ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दिए जाने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता कम होने की संभावना है।

[अनुवाद]

वायरलेस इन लोकल लूप

459. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः**
श्री राममोहन गाड्डेः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दूरदराज के गांवों के निवासियों को वायरलेस इन लोकल लूप हैंडसेट के वितरण द्वारा ग्रामीण भारत को टेलीफोन से जोड़ने को प्रोत्साहन देने की सरकार की योजना से नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है जैसा कि दिनांक 14 जून, 2002 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा नक्सलवादियों द्वारा इन हैंडसेटों का उपयोग करने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

चिकित्सा शिक्षा/अनुसंधान के स्नातकोत्तर संस्थान

460. **श्री ए. वेंकटेश नायकः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के स्नातकोत्तर संस्थान की स्थापना हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा बना लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर अब तक कितना खर्च हुआ है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इसके लिए कितनी निधियों की आवश्यकता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में उन्नत करने का प्रस्ताव है। इस बारे में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल

461. **श्री दिनेश चन्द्र यादवः**
श्री रामजीवन सिंहः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराए जाने संबंधी कमियों की पहचान के लिए शहर के सरकारी अस्पतालों और सी.जी.एच.एस. औषधालयों के प्रबंधन का कोई गहन मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) विभिन्न विभागों के माध्यम से बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने वाले केन्द्रीय सरकार के अस्पताल तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के प्रबंधन का मूल्यांकन करना एक सतत प्रक्रिया है। जब भी कोई कमियां ध्यान में आती हैं, तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित अस्पतालों को सुविधाएं

462. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित राज्य स्तरीय अस्पतालों में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन हेतु राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के मापदण्ड क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित शहरों/नगरों के राज्य स्तर के अस्पतालों में आपाती सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए एक अग्रणी परियोजना के अंतर्गत राज्यों/संघ क्षेत्रों को अधिकतम 150 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता/ सहायतानुदान उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वित्तीय सहायता/सहायतानुदान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होता है:-

(1) राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से आवेदन भेजा जाए।

(2) राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन को सुनिश्चित करना होता है कि विद्यमान संगत सेवाओं का जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाए और कमियों की ओर, यदि हों, ध्यान आकर्षित किया जाए।

(3) राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विद्यमान अवसंरचना के नवीकरण, अतिरिक्त स्थापना, फेरबदल आदि सहित मुख्य कार्य को पूरा करने से संबंधित प्राथमिक अनुमान तैयार कराए जाएं।

(4) खरीदे जाने वाले उपकरणों को दर्शाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपकरणों की खरीद की जाए और उनकी अस्पताल के आस्ति रजिस्टर में प्रविष्टियां की जाएं।

(5) राज्य सरकार को यह वचन देना होगा कि विशेषज्ञ जैसे संवेदनाहरण विज्ञानी, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ, अस्थि विशेषज्ञ और अन्य सहायक स्टाफ को दुर्घटना एवं आपात सेवाओं के अलावा अन्य सुविधाओं के लिए तैनात किया गया है।

(6) राज्य सरकार यह वचन भी देगी कि उपकरणों के अनुरक्षण पर हुआ व्यय उसके द्वारा वहन किया जाएगा।

(7) राज्य सरकार द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

(8) स्वीकृत निधियों को उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा जिसके लिए वे स्वीकृत की गई हैं।

(9) अस्पाल के खातों का राज्य/संघ क्षेत्र के महालेखाकार द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा और उनके द्वारा प्रदत्त उपयोग प्रमाण-पत्र जिस वित्तीय वर्ष में अनुदान स्वीकृत किया गया था, उसकी समाप्ति के छह माह के अन्दर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजना होगा।

(10) स्कीम पर होने वाला अतिरिक्त व्यय, स्टाफ के वेतन, प्रशिक्षण आदि पर हुए व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

विवरण

1999

बिहार

1. पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना के इन्दिरा गांधी केन्द्रीय आपातकालीन इकाई के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए 53.00 लाख रुपये।

हरियाणा

1. जनरल अस्पताल, करनाल में आपात केन्द्र की स्थापना के लिए 150.00 लाख रुपये।

मध्य प्रदेश

1. महाराज यशवन्त राव अस्पताल, इन्दौर में आपात केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 97.00 लाख रुपये।

2000-2001

अरुणाचल प्रदेश

1. पासीघाट जनरल अस्पताल, अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटना एवं आपाती परिचर्या इकाई की स्थापना के लिए 59.00 लाख रुपये।

पांडिचेरी

1. जनरल अस्पताल, माहे में आपाती सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 78.00 लाख रुपये।

सिक्किम

1. एस.टी.एन.एम. अस्पताल, गंगटोक में आपाती परिचर्या इकाई के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 70.00 लाख रुपये।

त्रिपुरा

1. त्रिपुरा सुन्दारी अस्पताल (दक्षिण जिला), उदयपुर में आपाती सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 70.00 लाख रुपये।

उत्तर प्रदेश

1. किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में आपात केन्द्र की स्थापना के लिए 150.00 लाख रुपये।

2001-2002

अरुणाचल प्रदेश

1. जनरल अस्पताल, नाहरलागुन में आपाती सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 116.97 लाख रुपये।

बिहार

1. पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना के इन्दिरा गांधी केन्द्रीय आपातकालीन इकाई के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए 150.00 लाख रुपये।
2. पटना में राजपथ आपात केन्द्र सहित, माडल विक्रम रेफरल केन्द्र में आपातकालीन सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए 150.00 लाख रुपये।
3. औंसी जिला मधुबनी में आपात सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए 62.71 लाख रुपये।

गुजरात

1. जनरल अस्पताल, नाडियाड, जिला खेडा में आपातकालीन सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए 150.00 लाख रुपये।

जम्मू एवं कश्मीर

1. मरगुन्ड, कंगन में श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर आपाती/आपात सेवाओं के विकास के लिए 150.00 लाख रुपये।

केरल

1. जनरल अस्पताल, एरनाकुलम में आपातकालीन सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए 150.00 लाख रुपये।

मिजोरम

1. सिविल अस्पताल लुंगलेई में आपातकालीन सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए 58.30 लाख रुपये।
2. सिविल अस्पताल, एंजोल में आपातकालीन सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए 74.30 लाख रुपये

तमिलनाडु

1. जिला अस्पताल पेराम्बूर में दुर्घटना एवं आपातकालीन सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए 105.00 लाख रुपये।

'एम्स' में अनुसंधान परियोजना

463. श्री जी. गंगा रेड्डी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के 11 जून, 2002 के अंक में 'रिसर्च वर्क एट एम्स बीइंग हैम्पर्ड फार वांट आफ एनिमल्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चिकित्सा अनुसंधान संबंधी प्रयोगों में जानवरों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई कानून है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या वैज्ञानिकों द्वारा केवल मनुष्य के जीवन को ही नहीं बल्कि जानवरों के जीवन को भी बचाने जैसे महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यों में आ रही समस्याओं के स्थायी समाधान की दृष्टि से प्राधिकारियों के साथ कोई बातचीत की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जी हां। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 जीवचिकित्सीय अनुसंधान के लिए पशुओं पर प्रयोग करने के लिए पशुओं के इस्तेमाल करने को वर्जित नहीं करता है। दूसरी ओर इस अधिनियम की धारा 14 में विशिष्टतौर पर यह व्यवस्था है कि इस अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है जो शरीर क्रिया विज्ञानीय ज्ञान अथवा वह ज्ञान जो जीवन को बचाने अथवा उसको

लम्बा करने अथवा पीड़ा को दूर करने अथवा किसी रोग से लड़ने, चाहे वह मानवों, पशुओं अथवा पौधों की हो, के लिए लाभदायक होगा, की नई खोज से प्रगति के प्रयोजन के लिए पशुओं पर प्रयोगों (आपरेशनों को शामिल करते हुए प्रयोगों सहित) के निष्पादन को गैर-कानूनी बनाए। तथापि, इस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत बनाए गए नियम जो वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं, वे इस प्रकार हैं:-

(1) केवल पशु-पालकों से पशुओं का अभिप्रापण।

(2) अनुसंधान के लिए आवश्यक पशुओं के आयात की अनुमति न देना।

(3) संविदा अनुसंधान पर रोक लगाना।

(4) नैदानिक परीक्षण संबंधी कार्यकलापों समेत सभी प्रयोगों के लिए सी.पी.सी.एस.ई.ए. की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है और इस अनुमति को प्राप्त करने के लिए लिया जाने वाला समय।

चिकित्सीय अनुसंधान और नियमों, क्रियाविधियों, इत्यादि में संशोधनों, जिनकी आवश्यकता हो सकती है, के बारे में सी.पी.सी.एस.ई.ए. की भूमिका से संबंधित सभी मामलों को सचिवों की समिति के साथ उठाया गया है।

चिकित्सा देखभाल संबंधी सुविधाएं

464. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दूरदराज क्षेत्रों विशेषकर गुजरात में चिकित्सा देखभाल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वास्थ्य देखभाल उद्योग देश में 30 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखता है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम के अतिरिक्त रोजगार पैदा करने हेतु स्वास्थ्य देखभाल उद्योग की क्षमता का दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां, गुजरात सहित देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या आधारभूत प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती है। जिसमें उपकेन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं। केन्द्र सरकार स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाती है।

उपकेन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए इमारतों का निर्माण करके समन्वित सेवा प्रदाय में अन्तर को समाप्त करने के लिए बाहरी एजेंसियों की वित्तीय सहायता से क्षेत्र विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

* आपरेशन कक्षों/प्रसूति गृहों की मरम्मत/निर्माण के लिए प्रमुख सिविल कार्य करना।
* प्रथम रेफरल एककों में आपातकालीन प्रसूति परिचर्या के लिए उपकरणों/दवाइयों का प्रावधान करना।
* अनुबन्ध के आधार पर नियुक्तियों/संवेदनहारियों/स्त्रीरोग विशेषज्ञों/सुरक्षित मातृत्व परामर्शदाताओं/स्टाप नर्सों/प्रयोगशाला तकनीशियनों, अतिरिक्त सहायक नर्स धात्रियों आदि की सेवाएं किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता देना।
* सहायक नर्स धात्रियों एवं अन्य स्वास्थ्य कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु उन्हें कौशल आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण देना।

स्वास्थ्य मेलों एवं प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य शिविरों आदि के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य स्कीमों के अंतर्गत गुजरात सरकार को वर्ष 2001-02 के दौरान 74.38 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

गुजरात में क्षतिग्रस्त/नष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं के पुनर्निर्माण के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान 'भूकम्प राहत निधि' के रूप में 61.85 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

गुजरात में स्वास्थ्य क्षेत्र प्रबन्धन सुधारों के लिए 1997-98 से क्षेत्र निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 63.44 करोड़ रुपए की निधियां जारी की जा चुकी है।

चेतना, सेवा एवं गुजरात स्वैच्छिक संगठन सरीखे प्रमुख गैर सरकारी संगठन विभिन्न कार्यकलापों के लिए निधियां प्राप्त कर रहे हैं।

इसके अलावा यह भी विचार किया जा रहा है कि चल रही समन्वित बाल विकास स्कीम के साथ ही प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या के लिए बुनियादी सेवाओं को संगठित करने और इनकी प्रदायगी के लिए ग्रामीण स्वयं सेवा दलों का प्रयोग किया जाए। आंगनवाड़ी केन्द्र बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या गतिविधियां, गर्भनिरोधन परामर्श एवं आपूर्ति, पोषण, शिक्षा एवं सम्पूरकता और विद्यालय-पूर्व के क्रियाकलापों में अन्तर स्पष्ट करने के केन्द्र बन सकते हैं। ये ओ आर एस/बुनियादी दवाइयों और गर्भ निरोधकों के लिए भण्डारों के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

(ख) और (ग) जी हां। सरकार को इसकी जानकारी है कि स्वास्थ्य परिचर्या उद्योग में देश में काफी संख्या में रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है। अकेली सरकार लोगों की सभी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उद्योग के साथ सहभागिता का प्रस्ताव है। निम्नलिखित प्रचालनात्मक कार्यनीतियों की अभिकल्पना की गई है जिनसे स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

1. व्यापक कवरेज एवं पहुंच का लक्ष्य बनाते समय उपकेन्द्रों में सहायक नर्स धात्रियों और बहुउद्देश्य कार्यकर्त्ताओं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों के अधिक कार्यभार को कम करने के लिए इलैक्ट्रानिक आंकड़ा प्रविष्टि मशीन लगाकर जिला अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर सात अत्यधिक कमजोर राज्यों में प्रबन्धन सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने की चुनौती के लिए उदाहरणतया निगमित क्षेत्र और उद्योग को लिखा जा सकता है।

2. उत्पादों एवं सेवाओं के लिए व्यावसायिक रूप से अच्छे प्रकार और विपणन अभियानों को चलाने के लिए गैर सरकारी क्षेत्रों से सहभागिता करना। ग्रामीण स्तर से ऊपर की ओर जनसंख्या के सभी वर्गों का लक्ष्य रखना, अन्य शब्दों में गर्भनिरोधकों के सामाजिक विपणन सहित समर्थन एवं सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण को सुदृढ़ बनाना।

3. ग्रामीण स्तर से ऊपर की ओर अन्य उत्पन्न करने वाले कार्यकलापों को बनाए रखने के लिए बाजार उपलब्ध कराना जो समुदाय में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बन्धी सामुदायिक कार्यकलाप करने के लिए निरन्तर प्रेरणा को सुनिश्चित करेगा।

4. ग्रामीण स्तर से ऊपर की ओर दूर दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन को बढ़ाने में सहायता करना।

5. उद्योग में निगमित क्षेत्रों की सामाजिक जिम्मेदारी को कम से कम उसके अपने कार्मिकों के लिए निवारणीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने तक बढ़ाया जाना (यदि 100 कर्मचारी कार्य करते है)।

6. किसी भी व्यक्ति को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य प्रतिचिह्न (लोगो) द्वारा पहचाने गए स्वैच्छिक, सार्वजनिक, निजी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों वाला एक राष्ट्रीय नेटवर्क का सृजन करना/सेवा प्रदान करने वाले को दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी जो कूपन प्रणाली पर आधारित होगी, लाभार्थी द्वारा विधिवत प्रति हस्ताक्षरित होगी और एक सुस्पष्ट प्रणाली द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। सभी क्षेत्रों में प्रतिपूर्ति सेवा प्रदान करने वालों के लिए समान होगी। अन्त में सेवा का उपयोग करने वाला सेवा प्रदानगी के संसाधन का चुनाव करता है। यह सुनिश्चित करने कि उपायों के लिए यह प्रणाली दोषपूर्ण नहीं है, प्रबन्धन विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी।

7. बुनियादी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या तथा बुनियादी शिक्षा के प्रावधान तथा पहुंच के लिए सरकार की सहायता हेतु स्वैच्छिक क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र और निजी निगमित क्षेत्र का एक संघ बनाना।

8. बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में 14-15 वर्ष के बच्चों के लिए निजी रूप से चलाए/प्रबन्धन किए जा रहे प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना। यदि पंचायत द्वारा विद्यालय स्थापित/प्रबन्धित किए जाते हैं तो एक-एक दिन के अन्तर पर निजी निगमित क्षेत्र दोपहर का भोजन, पुस्तकें और/अथवा वर्दियां प्रदान कर सकता है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

465. श्री बी.बी.एन. रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने देश की ज्यादा जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु पुरुषों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी गर्भनिरोधक की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस गर्भनिरोधक की आपूर्ति सभी राज्यों को कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ संयुक्त रूप से पुरुष गर्भनिरोधन के लिए एक नई औषध मोलेक्यूल 'रिसग' (आर आई एस यू जी) विकसित की है।

(ख) रिसग एक मेल सिंगल वास डेफरेंस इंजेक्शन है जो लम्बे समय तक गर्भनिरोधन का कार्य करता है और इसमें प्रतिवर्ती क्षमता है। इसके चरण-1 और चरण-2 नैदानिक परीक्षण पूरे हो गए हैं। इसके चरण-3 के सीमित नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा इसका समन्वय किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पिछड़े जिलों की पहचान

466. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पिछड़े जिलों की पहचान हेतु कुछ नये दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दिशानिर्देशों के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) देश में स्वत: ''पिछड़े जिलों'' की पहचान के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार नहीं किए गए हैं। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन के लिए, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम संबंधी कार्यदल ने चाहा था कि जहां संकेन्द्रित ढंग से मजदूरी और स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा सके, वहां ऐसे जिलों की पहचान के लिए एक कृतिक बल गठित किया जाए। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक कृतिक बल गठित किया है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

467. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश को कम निधियां आबंटित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्र सरकार मोटे तौर पर तीन शीर्षों के अंतर्गत निधियां प्रदान करती है। ये शीर्ष हैं बुनियादी ढांचा (वेतन, किराया, आकस्मिकता आदि के लिए नकद में), सामग्रीगत (गर्भनिरोधकों, औषधों आदि की आपूर्ति), विभिन्न कार्यक्रमों नामत: प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, रोग प्रतिरक्षण, सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण, क्षेत्र परियोजनाएं आदि के कार्यान्वयन के लिए अनुदान। इन शीर्षों के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I एवं II में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) बुनियादी ढांचा एककों के लिए राज्यों को निधियों का रिलीज परिवार कल्याण सेवा प्रदान करने के लिए राज्यों द्वारा स्थापित उपकेन्द्रों, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों आदि जैसे बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है।

मध्य प्रदेश को 2001-2002 के दौरान निधियां रिलीज की गई हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ को अलग से निधियां रिलीज की गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा रिलीज किए गए अनुदान से अधिक व्यय होने पर राज्यों को उनकी प्रतिपूर्ति संबंधित महालेखाकार के लेखा परीक्षित व्यय विवरण प्रस्तुत किए जाने के बाद की जाती है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1991-92 के लिए और 1995-96 से किए गए अतिरिक्त व्यय, यदि कोई हों, के लिए बकाया राशि के दावे हेतु लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

विवरण-I

बुनियादी ढांचे एककों (नकद में), आपूर्तियां (सामग्रीगत) के लिए 1999-2000 से 2001-2002 की अवधि में रिलीज किए गए सहायता अनुदान का राज्यवार ब्यौरा (बकाया राशि को छोड़कर)

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		नकद	सामग्रीगत	कुल	नकद	सामग्रीगत	कुल	नकद	सामग्रीगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	10022.22	3023.31	13045.53	9410.36	3458.96	12869.32	10751.15	3329.24	14080.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	231.20	103.35	334.55	256.18	130.72	386.90	418.00	160.67	578.67
3.	असम	6270.57	1421.68	7692.25	5875.41	1817.62	7693.03	9719.47	1458.50	11177.97
4.	बिहार	11864.89	4868.39	16733.28	12106.72	5957.71	18064.43	8917.47	4959.26	13876.73
5.	गोवा	243.44	82.50	325.94	269.68	125.61	395.29	273.11	68.21	341.32
6.	गुजरात	7205.78	2600.21	9805.99	7201.05	3335.35	10536.40	8433.92	3032.43	11466.35
7.	हरियाणा	2613.45	1019.59	3633.04	2745.98	1420.10	4166.08	2951.71	1269.71	4221.42
8.	हिमाचल प्रदेश	1956.60	338.33	2294.93	1962.77	470.20	2432.97	2271.34	386.99	2658.33
9.	जम्मू-कश्मीर	1803.64	458.21	2261.85	1913.98	539.43	2453.41	2124.31	537.45	2661.76
10.	कर्नाटक	8673.53	2107.70	10781.23	13002.34	2640.17	15642.51	14594.34	2439.98	17034.32
11.	केरल	5487.87	1376.24	6864.11	5478.14	1575.88	7054.02	6115.68	1060.67	7176.35
12.	मध्य प्रदेश	11373.95	4988.02	16361.97	10820.86	5477.07	16297.93	8246.15	4130.38	12376.53
13.	महाराष्ट्र	11668.70	3924.85	15593.55	12117.03	4423.30	16540.33	15382.24	4243.32	19625.56
14.	मणिपुर	907.39	147.96	1055.35	978.87	118.94	1097.81	1424.82	211.66	1636.48
15.	मेघालय	598.21	152.50	750.71	641.79	139.93	781.72	983.37	202.41	1185.78
16.	मिजोरम	368.47	75.80	444.27	456.13	70.32	526.45	794.30	79.50	873.80
17.	नागालैंड	402.78	97.73	500.51	457.72	90.13	547.85	640.38	155.96	796.34
18.	उड़ीसा	6053.65	1765.56	7819.21	6005.45	1630.78	7636.23	6921.94	2013.89	8935.83
19.	पंजाब	2941.14	1246.95	4188.09	3122.93	1284.46	4407.39	3307.57	1303.63	4611.20
20.	राजस्थान	8512.23	3238.37	11750.60	9553.12	4039.05	13592.17	9889.57	3624.75	13514.32
21.	सिक्किम	350.35	68.33	418.68	411.51	38.73	450.24	665.77	73.45	739.22
22.	तमिलनाडु	11656.63	1833.16	13489.79	13746.89	1708.95	15455.84	11758.88	2330.52	14089.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	त्रिपुरा	823.48	177.00	1000.48	899.21	211.06	1110.27	1458.12	219.87	1677.99
24.	उत्तर प्रदेश	19055.43	10356.72	29412.15	19950.77	11338.42	31289.19	18102.52	12322.12	30424.64
25.	प. बंगाल	8391.11	2944.78	11335.89	10813.82	3140.07	13953.89	11469.41	3499.66	14969.07
26.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	3661.06	1432.44	5093.50
27.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	5578.31	1392.54	6970.85
28.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	2615.07	1163.12	3778.19
	कुल (राज्य)	139476.71	48417.24	187893.95	150198.71	55182.96	205381.67	169469.98	57102.33	226572.31

विवरण-II

अन्य कार्यक्रमों (प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, क्षेत्र परियोजनाओं आदि) के लिए राज्यवार रिलीज एवं व्यय

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2254.12	2219.19	5385.98	3394.51	3425.45	1837.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	155.24	233.21	159.11	86.07	152.14	126.17
3.	असम	3175.18	2699.68	2775.74	584.72	2912.66	4118.97
4.	बिहार	1179.34	1084.04	2535.90	1620.14	1675.19	38.92
5.	गोवा	32.33	39.78	9.15	18.61	21.26	5.02
6.	गुजरात	1212.41	824.33	1118.04	1221.12	7737.26	522.13
7.	हरियाणा	691.81	588.67	1559.08	1031.91	1222.35	343.64
8.	हिमाचल प्रदेश	367.44	310.58	385.83	455.89	276.80	58.95
9.	जम्मू-कश्मीर	246.46	919.77	430.62	129.13	320.33	241.69
10.	कर्नाटक	1330.17	3297.90	5470.66	4082.16	6145.39	4828.60
11.	केरल	860.04	603.16	1193.58	887.42	1168.03	624.16
12.	मध्य प्रदेश	2410.99	2110.35	3432.11	1154.48	2360.63	566.27
13.	महाराष्ट्र	1274.99	1695.21	748.39	785.99	2927.51	436.73

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	500.24	198.61	365.98	265.08	659.90	46.76
15.	मेघालय	92.78	81.36	65.45	33.19	127.32	52.95
16.	मिजोरम	543.46	480.10	704.26	699.30	722.70	587.85
17.	नागालैंड	126.81	175.68	146.84	90.12	115.54	116.63
18.	उड़ीसा	1834.94	896.11	1612.97	725.84	2566.77	829.22
19.	पंजाब	296.75	327.12	685.15	364.47	615.51	261.61
20.	राजस्थान	1706.13	1645.01	4809.15	2921.68	5358.59	3083.30
21.	सिक्किम	44.88	56.37	21.51	27.43	56.48	6.36
22.	तमिलनाडु	3126.40	3226.40	4125.08	674.95	1921.00	492.00
23.	त्रिपुरा	238.13	147.09	135.89	156.94	446.87	5.58
24.	उत्तर प्रदेश	3944.59	2868.90	5435.89	4866.46	7738.73	2595.82
25.	प. बंगाल	1218.49	3418.76	3745.63	3449.24	3594.20	2671.81
26.	छत्तीसगढ़	—	—	314.10	—	842.96	—
27.	झारखंड	—	—	37.00	—	448.23	—
28.	उत्तरांचल	—	—	208.59	—	409.01	—
	कुल (राज्य)	28863.52	30147.38	47057.99	29726.85	55968.81	24498.82

मेडिकल कालेज

468. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कुल कितने मेडिकल कालेज हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त मेडिकल कालेजों के आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) देश में इस समय कुल 190 अनुमोदित/मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज काम कर रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए चुनिंदा मेडिकल कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु हाल ही में एक प्रायोगिक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत असम मेडिकल कालेज, डिब्रुगढ़ में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए असम सरकार की वर्ष 2001-2002 के दौरान 1.50 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

(ग) निधियों की उपलब्धता और राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त होने पर यह अपेक्षित है कि विभिन्न मेडिकल कालेजों में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2002-03 के दौरान 10.00 करोड़ रु. (लगभग) की राशि स्वीकृत की जाएगी।

[अनुवाद]

उत्पादन लागत

469. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण अपनी उत्पादन लागत घटाने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय निष्पादन और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए प्रचालन के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न लागत नियंत्रण उपाय शुरू किए हैं:-

* कोककर कोयला और अन्य कच्ची सामग्री की खपत में कमी, भंडार और अतिरिक्त कल-पुर्जों पर कम खर्च/ठेकागत अनुरक्षण और विद्युत तथा ईंधन की खपत में कमी।
* धमन भट्टी उत्पादकता, ऊर्जा खपत, मिल उत्पादन आदि जैसे प्रौद्योगिक-आर्थिक घटकों में सुधार।
* फैरो-मिश्र, रिफ्रैक्ट्रीज, रोल्स आदि के संबंध में खरीद लागत में कमी।
* अन्य प्रशासनिक व्ययों में कमी करने के लिए बचत संबंधी उपाय।

पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वदेशी कोयला, आयातित कोयला, विद्युत आदि जैसे प्राय: सभी प्रमुख आदानों की कीमतों में काफी वृद्धि के बावजूद सेल द्वारा शुरू किए गए लागत नियंत्रण संबंधी उपायों से 2001-2002 के दौरान उत्पादन लागत 1996-97 के स्तर पर बनी रही।

पिछड़े मरूस्थलीय क्षेत्रों का विकास

470. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के पिछड़े मरूस्थलीय जिलों विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर के विकास हेतु किसी योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत किए गए उन प्रस्तावों/अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो कि मंजूरी/स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं;

(घ) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं/योजनाओं की मंजूरी के बाद निधियों का आबंटन कब तक किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राजस्थान राज्य के लिए मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के अंतर्गत स्वीकृत जल संभर और विशेष परियोजनाओं की संख्या क्रमश: 883, 681 और 509 थी। जिनमें से 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में स्वीकृत परियोजनाएं निम्नानुसार थीं:-

		1999-2000	2000-01	2001-02
बाड़मेर	(क) जल संभर परियोजनाएं	32	32	27
	(ख) विशेष परियोजनाएं	94	30	34
जैसलमेर	(क) जल संभर परियोजनाएं	61	68	25
	(ख) विशेष परियोजनाएं	128	68	28
जालौर	(क) जल संभर परियोजनाएं	12	23	21
	(ख) विशेष परियोजनाएं	35	22	21

(ग) से (ङ) वार्षिक बजट आबंटन और चालू जल संभर परियोजनाओं के निष्पादन में किसी जिले के निष्पादन के आधार पर, केन्द्र सरकार, कार्यक्रम जिले के लिए स्वीकृत की जाने वाली नयी परियोजनाओं की संख्या को निर्धारित करती है। डीडीपी के कार्यक्रम आबंटनों का उपयोग चालू जलसंभर परियोजनाओं पर प्रतिबद्ध व्यय को पूरा करने के लिए और नई जल संभर परियोजनाओं की स्वीकृति पर किया जाता है। राज्यों को कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किए जाते।

विशिष्ट अमरीकी व्यक्तियों की यात्रा

471. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष जून के प्रथम सप्ताह में अमरीका के रक्षा उप-मंत्री और तत्पश्चात् अमरीका के उप-विदेश मंत्री और रक्षा

मंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने के लिए नई दिल्ली और इस्लामाबाद की यात्रा की; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ की गई वार्ता का ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम रहा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) अमरीका के डिप्टी सेक्रेटरी आफ स्टेट रिचर्ड आर्मिटिज और अमरीका के रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने क्रमश: 6-7 जून और 11-12 जून को भारत की यात्रा की।

(ख) उन्होंने सरकार को राष्ट्रपति द्वारा सीमापार घुसपैठ को तत्काल, स्पष्ट और स्थायी रूप से रोकने के वायदे और पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी अड्डों को समाप्त करने के आश्वासन के विषय में बताया। उन्होंने राष्ट्रपति मुशर्रफ के वायदे के क्रियान्वयन में प्रगति के आधार पर भारत से सीमापार तनाव में कमी करने के उपायों पर आशा जाहिर की।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज

472. श्री राजो सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में झारखंड और बिहार में कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं और उनकी कुल क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इन दोनों राज्यों में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या दूसरे राज्यों की तुलना में कम है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन राज्यों को अन्य राज्यों के समकक्ष लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) बिहार और झारखंड के टेलीफोन एक्सचेंज और उनकी क्षमताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन राज्यों में मांग पूरी करने के लिए अधिक टेलीफोनों की जरूरत है। सरकार द्वारा इन राज्यों में दूरसंचार सुविधाओं का विकास करने तथा मार्च 2003 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं बशर्ते सामग्रियां उपलब्ध हों।

विवरण

30.6.2002 की स्थिति के अनुसार बिहार और झारखंड में टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या और क्षमता इस प्रकार है:

राज्य का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	क्षमता
बिहार	1030	999754
झारखंड	376	469372

[अनुवाद]

एम.टी.एन.एल. की एन.एल.डी. सेवाएं

473. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. ने लम्बी दूरी की राष्ट्रीय सेवाएं (एन.एल.डी.) शुरू करने की अपनी योजना का परित्याग कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि एम.टी.एन.एल. ने एन.एल.डी. का परित्याग आई.एस.डी. सेवाओं के हित में किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या एम.टी.एन.एल. अपने प्रमुख क्रियाकलापों पर ध्यान केन्द्रित कर अपनी मौजूदा सेवाओं की दूरी और कार्यकुशलता में सुधार करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

प्रतिरक्षा कार्यक्रम

474. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापी प्रतिरक्षा कार्यक्रम का अभी तक पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1985-86 में आरम्भ किया गया था और सभी जिलों में इसे चरणवार ढंग से 1989-90 से लागू किया गया है।

(ग) सरकार इसकी कवरेज में सुधार लाने के लिए, विशेष रूप से कम कार्यनिष्पादन वाले राज्यों को सहायता प्रदान करके, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पहुंच सेवाओं की योजना के जरिए तथा राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दे कर टीकाकरण कार्यक्रम की कवरेज और गुणवत्ता में सुधार लाने के कार्यकलाप आरम्भ किए है। पल्स पोलियो कार्यक्रम से देश में पोलियो के उन्मूलन में भारी सफलता मिली है। सरकार ने हाल ही में देश के कुछ महानगरों और जिलों में हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन का टीका लगाने की एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है।

कश्मीर में सर्वेक्षण

475. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूनाइटेड किंगडम के एक प्रमुख मीडिया संगठन मौरी इंटरनेशनल द्वारा कश्मीर में किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर पर यू.के. आधारित एम.ओ.आर.आई. इन्टरनेशनल द्वारा आयोजित जनमत संग्रह की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

* जम्मू और कश्मीर के 61% निवासी कहते हैं कि वे भारत के साथ रहना पसंद करते हैं।
* जनसंख्या का 2/3 भाग महसूस करता है कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान का हस्तक्षेप खराब है।
* अधिकांश लोग महसूस करते हैं कि जम्मू और कश्मीर में समस्याओं का समाधान युद्ध नहीं है।
* 65% जनसंख्या महसूस करती है कि विदेशी आतंकवादियों की उपस्थिति हानिकारक है।

(ग) जनमत के परिणाम वास्तविकता की पुष्टि करते हैं। बहरहाल, भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य में रहने वालों सहित भारत के लोग अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए मीडिया संगठनों द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों पर निर्भर नहीं करते। भारत का लोकतंत्रात्मक स्वरूप जनता को अपने मत की अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों ने अनेक अवसरों पर अनेक प्रतिनिधि चुनावों के माध्यम से अपने लोकतंत्रात्मक अधिकारों का प्रयोग किया है।

गुजरात में टेलीफोन सेवाएं

476. श्री रामसिंह राठवा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के सभी जिलों में टेलीफोन सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो राज्य में जिलेवार ऐसे कितने गांव हैं जहां ऐसी फोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या राज्य के प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा कोई समय-सीमा तय की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) 3120 गांवों को छोड़कर गुजरात के सभी जिलों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान कर दी गयी हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हैं।

(ग) और (घ) शेष गांवों को दिसम्बर, 2002 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है, बशर्ते कि सामग्री उपलब्ध हो।

विवरण

गुजरात राज्य में टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है

क्र.सं.	गौण स्विचिंग क्षेत्र (एसएसए)	टेलीफोन सुविधायुक्त जस्व जिले	टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की कुल संख्या
1.	अहमदाबाद	अहमदाबाद गांधीनगर	78
2.	अमरेली	अमरेली	24
3.	भडुच,	भडुच, नर्मदा	276
4.	भावनगर	भावनगर	83
5.	भुज	कच्छ	223
6.	गोधरा	पंचमहल दाहोद	821
7.	हिम्मतनगर	साबरकंठा	71
8.	जामनगर	जामनगर	71
9.	जूनागढ़	जूनागढ़ पोरबन्दर दीव संघराज्य क्षेत्र	120
10.	नादियाड	खेडा (एनएडी) आनंद	3
11.	मेहसाणा	मेहसाणा पाटन	25
12.	पालनपुर	बानसकंठा	135
13.	राजकोट	राजकोट	8
14.	सूरत	सूरत	256
15.	सुरेन्द्रनगर	सुरेन्द्रनगर	3
16.	वड़ोदरा	वड़ोदरा	554
17.	वलसाड	वलसाड नवसारी दांग, दादर नगर हवेली और दमन (संघ शासित क्षेत्र)	369
	जोड़		3120

सी.एस.ओ. की परिकल्पना

477. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुलनात्मक राज्य घरेलू उत्पाद (कम्पैरैबल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टस) अर्थात् सी.एस.ओ. और संबंधित राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी ब्यूरो (ब्यूरो आफ इकोनामिक्स एण्ड स्टैटिस्टिक्स) द्वारा परिमित राज्य घरेलू उत्पादों के बीच कोई विसंगति है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) राज्य घरेलू उत्पाद (एस डी पी) के अनुमानों के संकलन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य अर्थ और सांख्यिकी निदेशालयों (डी ई एस) की है। ये अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानों के संकलन के लिए अपनाई गई मानकीकृत अवधारणाओं और परिभाषाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किए जाते हैं। राज्यों द्वारा तैयार किए गए राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान मुख्यतया कुछ मामलों में आंकड़ा स्रोतों, और विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के असंगठित घटक में शुरू की गई आर्थिक गतिविधियों की कवरेज से संबंधित अंतर के कारण सही मायने में तुलनीय नहीं हैं।

तथापि, योजना और नीति उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए योजना आयोग और वित्त आयोग जैसे अभिकरणों को राज्य घरेलू उत्पाद के तुलनीय अनुमानों की आवश्यकता होती है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन इस उद्देश्य के लिए चालू मूल्यों पर राज्य घरेलू उत्पाद के तुलनीय अनुमान संकलित करता है। वर्ष 1998-99 के लिए चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों के दो सैटों के बीच के राज्य-वार अंतर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1998-99 हेतु प्रचलित मूल्यों पर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किए गए तुलनीय राज्य घरेलू उत्पाद तथा संबंधित अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों द्वारा तैयार किए गए राज्य घरेलू उत्पाद (एस.डी.पी.) के अनुमानों में अन्तर

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	तुलनीय अनुमान (के.सां.सं.) कुल जीएसडीपी	राज्य अंकमाला अनुमान (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) कुल जीएसडीपी	प्रतिशत का अन्तर
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	115942	114937	0.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	1516	1527	-0.7
3.	असम	25811	25558	1.0
4.	बिहार	75834	66253	14.5
5.	गोवा	6114	उपलब्ध नहीं	
6.	गुजरात	107179	104216	2.8
7.	हरियाणा	45420	43535	4.3
8.	हिमाचल प्रदेश	11708	9920	18.0
9.	जम्मू और कश्मीर	15369	12571	22.3

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	92799	85286	8.8
11.	केरल	59799	56247	6.3
12.	मध्य प्रदेश	98182	90899	8.0
13.	महाराष्ट्र	217456	213147	2.0
14.	मणिपुर	2776	2608	6.4
15.	मेघालय	2901	2887	0.5
16.	मिजोरम	1378	1246	10.6
17.	नागालैंड	2894	2385	21.3
18.	उड़ीसा	37897	34095	11.2
19.	पंजाब	56958	54414	4.7
20.	राजस्थान	73908	72894	1.4
21.	सिक्किम	868	755	15.0
22.	तमिलनाडु	122265	119063	2.7
23.	त्रिपुरा	4211	3814	10.4
24.	उत्तर प्रदेश	167498	170780	-1.9
25.	पश्चिम बंगाल	117638	115719	1.7
	संघ शासित क्षेत्र			
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	46131	47194	-2.3
2.	पांडिचेरी	3199	3022	5.9

पाक नागरिकों को यात्रा में रियायत

478. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को सड़क मार्ग, से वायुमार्ग से या किसी अधिकृत चैक पोस्ट से पाकिस्तान वापस जाने के लिए उन्हें और रियायत की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत का विचार पाकिस्तान में रह रहे भारतीयों को भी इसी तरह की रियायत दिए जाने का पाकिस्तान से आग्रह करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) जनरल मुशर्रफ की स्थायी आधार पर सीमा-पार घुसपैठ को समाप्त करने संबंधी प्रतिबद्धता की मान्यता में, भारत ने 10 जून, 2002 को औपचारिक रूप से पाकिस्तानी वायुयानों पर ऊपर से उड़ान पर प्रतिबन्ध को उठाने की घोषणा की जिसे जनवरी, 2002 में हमारी संसद पर 13 दिसम्बर के हमले के पश्चात् लगाया था। तथापि, निर्णय में दोनों देशों के बीच वायु संपर्कों की बहाली शामिल नहीं थी।

[हिन्दी]

परमाणु युद्ध की रणनीति

479. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परमाणु युद्ध से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए देश के अस्पताल समुचित रूप से सुसज्जित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई रणनीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रासायनिक, जैविक और परमाणु युद्ध के आसन्न से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा तैयारी कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) परमाणु युद्ध से बहुत सी दुर्घटनाएं और मौतें होंगी जिनके लिए व्यवस्था करना किसी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के लिए कठिन होगा। स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं भी नष्ट हो जाएंगी अथवा उन्हें नुकसान होगा। इससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमेगनेटिक पल्स से संचार प्रणाली तथा एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की कार्यप्रणाली भी प्रभावित होगी।

तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आकस्मिक योजना तैयार की गई है जिससे रासायनिक, जैविक और परमाणुयुद्ध से पैदा होने वाली स्थिति से निपटा जा सके। इस योजना को सभी सम्बन्धित नोडल और सहायक विभागों के साथ समन्वय से लागू करने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। इस योजना की प्रमुख बातें हैं– आपदा प्रबन्धन समूह तथा एक तकनीकी समिति का गठन जो सीमित परिचर्या के लिए अस्पतालों का चयन, आपदा प्रबन्धन के लिए सम्भारतंत्र प्रणाली, किए जाने वाले जनस्वास्थ्य उपायों, एन बी सी उपस्करों की सूची, संदूषित रोगियों की देखरेख और उन्हें सन्दूषणमुक्त करने तथा आपाती औषधों के बारे में सलाह देगी।

इस्पात का उत्पादन और निर्यात

480. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999, 2000, 2001 के दौरान जून, 2002 तक देश में इस्पात उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त भवधि के दौरान लौह और इस्पात के निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें उत्पादन वर्ष 2002 (जून, 2002 तक) में शुरू हुआ है और आज तक उनमें कितना उत्पादन हुआ है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पिग आयरन और स्पंज आयरन के उत्पादन का ब्यौरा क्या है और इनके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है तथा इससे कितना लाभार्जन हुआ है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 के दौरान और जून, 2002 तक देश में हुए परिसज्जित इस्पात के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(दस लाख टन)

वर्ष/अवधि	उत्पादन
1999-2000	27.17
2000-2001	29.27
2001-2002	30.61
अप्रैल-जून, 2002*	7.68

*अनंतिम

(ख) 1999-2000 से 2002-2003 (जून तक) की अवधि के दौरान कच्चे लोहे और परिसज्जित इस्पात के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(दस लाख टन)

वर्ष/अवधि	निर्यात#	
	कच्चा लोहा	परिसज्जित इस्पात
1999-2000	0.29	2.67
2000-2001	0.23	2.66
2001-2002	0.24	2.73
अप्रैल-जून, 2002*	0.10	0.61

*अनंतिम

#आंशिक रूप से अनुमानित

(ग) 2002 में गौण क्षेत्र में कुछ ही लघु इस्पात उत्पादक आए हैं। इन इकाइयों के उत्पादन का ब्यौरा अभी नहीं मिला है।

(घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान कच्चे लोहे और स्पंज लोहे के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(दस लाख टन)

वर्ष/अवधि	उत्पादन	
	कच्चा लोहा	परिसज्जित इस्पात
1999-2000	3.18	5.35
2000-2001	3.40	5.48
2001-2002	3.95	5.66

विद्यमान बाजार परिस्थितियों से अतिरेक क्षमता, तेजी से गिरता मूल्य स्तर और मांग के अभाव से संदर्भित अवधि के दौरान स्पंज लोहे और कच्चे लोहे के संयंत्रों का वित्तीय निष्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। वित्त, विद्युत और कोक की उच्च लागत ने भी इन संयंत्रों के निवल लाभ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

[अनुवाद]

दूध में मिलावट

481. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न भागों में विशेषकर गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में सिंथेटिक दूध बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूध में मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात, दिल्ली तथा हरियाणा राज्यों से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) ऐसे दूध और दूध के उत्पादों की बिक्री खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अंतर्गत पहले से ही प्रतिबंधित है, जिनमें ऐसे पदार्थ मिले होते हैं जिनके मिलावट की छूट खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली में नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

विवेकाधीन कोटे से टेलीफोन कनेक्शन

482. श्री तूफानी सरोज: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में, विशेषकर जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी में, विवेकाधीन कोटे से कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ख) क्या उक्त टेलीफोन कनेक्शन वास्तविक रूप से मुहैया करा दिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शेष टेलीफोन कनेक्शन कब तक मुहैया करा दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चिकित्सीय उत्पादों पर भारी लेवी

483. श्री एच.डी. देवगौड़ा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एच आई वी, एड्स, हेपेटाइटिस, टी.बी. जैसे गंभीर जानलेवा रोगों के लिए आटो एनालाइजर्स से और एलिजा डायग्रोस्टिक टेस्ट किट्स जैसे जीवन रक्षक चिकित्सीय उत्पादों के घरेलू निर्माताओं पर भारी लेवी लगा दी है;

(ख) क्या अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कोई आयात शुल्क अदा किए बिना उन्हें इन जीवन रक्षक उत्पादों के आयात की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय निर्माताओं से अनेक अभ्यावेदन और लघु उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और अन्यों से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी नहीं।

इस शर्त के साथ कि निर्माता ने सेनवेट (केन्द्रीय मूल जमा कर) ऋण सुविधा का लाभ न उठाया हो, आटो एनेलाइजरों और इलिसा नैदानिक किटों सहित चिकित्सीय उपकरणों पर चार प्रतिशत का मामूली उत्पाद शुल्क लगाया गया। तथापि, इन उपकरणों इत्यादि के घरेलू निर्माण के लिए आवश्यक पुर्जे और सहायक पुर्जों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से मुक्त रखा गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) नैदानिक परीक्षण किटों सहित चिकित्सीय उपकरणों पर उत्पाद शुल्क लगाने पर पुन: विचार करने का अनुरोध करते हुए देशी निर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

चबाकर खाने वाले तम्बाकू पर प्रतिबंध

484. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चबाकर खाने वाले तम्बाकू से अधिक से अधिक रोगियों को मुंह का कैंसर हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चबाकर खाने वाले तम्बाकू पर प्रतिबंध लगाने का है क्योंकि इससे मुंह का कैंसर फैलता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) धुएं रहित रूप में तम्बाकू का उपयोग मुखीय कैंसर के होने में जोखिम रहित कारणों में से एक है। देश में तम्बाकू के उपयोग के कारण मुखीय कैंसर की अनुमानित संख्या में से 46,600 व्यक्तियों को यह रोग धुएं रहित तम्बाकू के उपयोग के कारण हुआ।

(ख) और (ग) इस समय चबाने वाले तम्बाकू पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अंशदायी पेंशन योजना

485. श्री गजैया मल्याला: क्या **प्रधान मंत्री** 13 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1680 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशन संबंधी उच्चस्तरीय विशेषज्ञ-दल की विभिन्न सिफारिशों के प्रभावों की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) पेंशन के बारे में गठित किए गए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ-दल की विभिन्न सिफारिशों में अन्तर्निहित प्रभावों की सरकार जांच कर रही है।

डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण

486. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1995-2000 के बीच शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण डाक सेवाओं के संदर्भ में आधुनिकीकरण कार्यक्रमों की समीक्षा से इस बात का पता चला है कि डाक विभाग अपने वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी हां। आधुनिकीकरण के कुछ कार्यक्रमों में डाक विभाग द्वारा बजट-निधि का उपयोग करने में बचत की गई थी।

(ख) डाक-तार लेखा परीक्षा द्वारा 1995-2000 के डाक विभाग के बजट निष्पादन की पुनरीक्षा के दौरान बजट-निधि के उपयोग में 24.6 प्रतिशत तक कमी तथा आधुनिकीकरण की कुछ योजनाओं के संबंध में 19 प्रतिशत तक वास्तविक लक्ष्य प्राप्त न करने के बारे में टिप्पणी की गई। कमी के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रक्रियात्मक विलंब, लक्ष्यों में संशोधन के कारण परिवर्तित आबंटन शामिल हैं।

तमिलनाडु में आई.आई.डी. केन्द्र

487. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में कितने आई.आई.डी. केन्द्र विकसित किए गए हैं;

(ख) ये केन्द्र कहां-कहां हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कुछ और आई.आई.डी. केन्द्र विकसित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु में, पांच एकीकृत आधारभूत संरचना विकास केन्द्र संस्वीकृत किए हैं, जो मदुरै जिले में उरंगमपथी, कोयम्बतूर जिले में किट्टमलायन, कांचीपुरम जिले में थिरूमुडिवक्कम, छेंगई एम जी आर जिले में कट्टूर अवाडी और थिरूवेल्लौर जिले में विचूर में स्थित है। इन पांच आई.आई.डी. केन्द्रों में से, चार कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है। कोयम्बटूर जिले में किट्टमलायन के एकीकृत आधारभूत संरचना विकास केन्द्र पर विकासात्मक कार्य अभी आरंभ किया जाना है।

(ग) ये आई.आई.डी. केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों के आधार पर संस्वीकृत किए जाते हैं। तमिलनाडु सरकार से आई.आई.डी. केन्द्रों की स्थापना के लिए और कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में टेलीफोन कनेक्शन

488. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार जम्मू और कश्मीर के बड़े शहरों, जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची की स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उपलब्ध कराए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) दूरसंचार के क्षेत्र में हुई मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर को कितना धन मुहैया कराया गया; और

(घ) जम्मू और कश्मीर के लिए सरकार के विचाराधीन/स्वीकृत नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) 30.4.2002 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षा सूची की स्थिति निम्नानुसार है:

नगर/जिला मुख्यालय का नाम	प्रतीक्षा सूची
श्रीनगर	6956
जम्मू	488
बारामूला	888
अनन्तनाग	1222
सोपोर	1427
कुपवाड़ा	330
पुलवामा	826
बदगाम	331
कथुआ	121
ऊधमपुर	394
डोडा	06
राजौरी	शून्य
पुंछ	68
लेह	154
कारगिल	108
जोड़	13319

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतीक्षा सूची में क्रमश: कुल 23661 तथा 16788 व्यक्ति दर्ज हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष प्रदान किए गए नए टेलीफोन कनेक्शन तथा खर्च की राशि नीचे दी गई है:-

वर्ष	प्रदान की गई सीधी एक्सचेंज लाइने (डीईएल)	खर्च की गई राशि
1999-2000	49,278 अदद	175.56 करोड़ रुपए
2000-2001	43,512 अदद	87.39 करोड़ रुपए
2001-2002	22,158 अदद	110.18 करोड़ रुपए
जोड़	1,14,948 अदद	373.13 करोड़ रुपए

(ग) दूरसंचार क्षेत्र की मुख्य उपलब्धियों तथा जम्मू और कश्मीर के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान प्रदान की गई कुल निधियों के ब्यौरे निम्नवत है:-

दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियां	2000-2001	2001-2002
नेट स्विचन क्षमता में वृद्धि	62655 लाइने	47000 लाइने
नए एक्सचेंज	15 अदद	18 अदद
चालू एमसीपीसी, वीएसएटी	12 अदद	15 अदद
आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी)	119 रूट कि.मी.	236 रूट कि.मी.
माइक्रोवेव	395 रूट कि.मी.	336 रूट कि.मी.
आबंटित निधियां	87.39 करोड़ रु.	175.56 करोड़ रु.

(घ) वर्ष 2002-2003 के लिए जम्मू और कश्मीर की विकास योजना के अंतर्गत, मौजूदा क्षमताओं में निम्नलिखित क्षमताएं जोड़ी जाएंगी:-

(1)	नेट स्विचन क्षमता में वृद्धि	47,800 लाइनें
(2)	प्रदान की जाने वाली सीधी एक्सचेंज लाइनें	48,000
(3)	नए एक्सचेंज	10
(4)	आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी)	700 रूट कि.मी.
(5)	माइक्रोवेव	300 रूट कि.मी.

इसके अलावा, इस अवधि के दौरान ऊधमपुर-श्रीनगर आप्टिकल फाइबर केबल परियोजना भी चालू की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं का विस्तार

489. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002-2003 के दौरान महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर मराठवाड़ा और जालना में डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण और उनका विस्तार करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ अब तक कितना धन आबंटित किया गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने मराठवाड़ा और जालना सहित महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए एक कार्य योजना बनाई है।

जहां तक, महाराष्ट्र में डाक नेटवर्क के विस्तार का संबंध है, इस संबंध में आबंटित लक्ष्य निम्नानुसार है:

	महाराष्ट्र	औरंगाबाद क्षेत्र मराठवाड़ा और जालना सहित
शाखा डाकघर खोलना	30	8
विभागीय उप डाकघर खोलना	5	1
पंचायत एंचार सेवा केन्द्र खोलना	150	40
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर के लिए आधारभूत उपस्कर	100	20

वार्षिक योजना 2002-2003 के अंतर्गत विभाग की महाराष्ट्र डाक सर्किल में 16 डाकघरों के आधुनिकीकरण और नेटवर्किंग की योजना है।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नौकरशाहों का स्थानांतरण

490. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मई, 2002 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में ''सीनियर ब्यूरो-क्रैट्स वान्ट आउट आफ गुजरात, मैनी गो आन लीव'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) जी, हां। समाचार में छपा मसला, गुजरात-संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की राज्य के अंतर्गत अथवा राज्य से बाहर तैनाती और उपर्युक्त अधिकारियों को छुट्टी की स्वीकृति से संबंधित था। किसी राज्य-संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उस राज्य के अंतर्गत तैनात करना और उन्हें छुट्टी स्वीकृत करना, उस राज्य की सरकार के अधिकार-क्षेत्र में होता है। फिर भी, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भारत-सरकार में विभिन्न स्तरों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती की जाती है, क्योंकि प्रत्येक राज्य-संवर्ग में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व कोटे के अधिकारी होते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पंचायतों को डाकतार सुविधाएं

491. श्री बीर सिंह महतो: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल की उन ग्राम पंचायतों का जिला-वार ब्यौरा क्या है जहां डाक तार सुविधाएं उपलब्ध नहीं है;

(ख) गत तो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में जिला-वार कितनी पंचायतों में संचार सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं और दूरभाष कार्यालय खोले गये हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार किए गये समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) पश्चिम बंगाल की सभी ग्राम पंचायतों में डाक के दैनिक वितरण, संग्रहण तथा डाक टिकटों एवं डाक लेखन सामग्री की बिक्री की डाक सुविधा उपलब्ध है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान पश्चिम बंगाल की किसी भी पंचायत में कोई डाकघर नहीं खोला गया। वर्ष 2001-2002 के दौरान 49 पंचायतों में डाकघर खोले गए। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में 39 शाखा डाकघल खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तथापि, शाखा डाकघरों का खोला जाना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

तारघरों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

पंचायतों की जिलावार संख्या जहां वर्ष 2001-02 के दौरान नए डाकघर खोले गए

क्रम सं.	जिले का नाम	खोले गए डाकघरों की संख्या
1.	मुर्शिदाबाद	8
2.	24 परगना (उत्तर)	2
3.	24 परगना (दक्षिण)	1
4.	नादिया	2
5.	बीरभूम	2
6.	बांकुरा	5
7.	पुरूलिया	5
8.	मिदनापुर (पूर्व)	2
9.	मिदनापुर (पश्चिम)	3
10.	बर्दवान	2
11.	हुगली	1
12.	हावड़ा	1
13.	मालदा	6
14.	दक्षिण दिनाजपुर	3
15.	कूचबिहार	2
16.	जलपाईगुड़ी	3
17.	दार्जिलिंग	1
	कुल	49

कोलकाता पत्तन पर गाद निकालने का कार्य

492. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में गाद निकालने का कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार लक्षित नौवहन मार्गों की स्थिति सुधारने में विफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) और (ख) कोलकाता पत्तन में निकर्षण कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है। तथापि, उपयुक्त संशोधन स्थानीय स्थितियों जैसे कि नदी तल के स्वरूप, ज्वारीय प्रवाह के पैटर्न, पुन: छिछला स्थान बन जाने, मौसम की सामान्य स्थिति, समुद्र की स्थिति और डम्पिंग स्थल की निकटता आदि तथा निकर्षण किए जाने वाले क्षेत्र के आधार पर किए जाते हैं।

(ग) कोलकाता पत्तन न्यास नौचालनात्मक चैनलों की गहराई सुधारने में अधिकांशत: सफल हुआ है। तथापि, लगातार वांछित स्तर पर गहराई बनाए रखना संभव नहीं हो पाया है।

(घ) कोलकाता पत्तन के मुख्य निकर्षण कार्य-कलाप हुगली नदी, जोकि अत्यंत सक्रिय और गतिशील नदी है, के किनारे पर समुद्र से ऊपर की ओर लगभग 133 कि.मी. की दूरी पर स्थित हल्दिया गोदी प्रणाली तक सीमित हैं। इस नदी में मौसम, अपलैंड डिस्चार्ज, इसकी वितरक और सहायक नदियों की हाईड्रॉलिक स्थितियों, निकर्षण प्रयास और पुन: गाद भरने, नदी तल परिवर्तनों जिसके परिणामस्वरूप निकर्षण किए गए क्षेत्रों में पुन: गाद भर जाती है और मौसम संबंधी स्थितियों आदि के आधार पर लगातार आकृतिमूलक परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए लक्षित गहराई को हमेशा प्राप्त करना अथवा उसे वांछित स्तर पर बनाए रखना संभव नहीं हो पाया है। इसलिए सरकार ने एक व्यापक नदी नियामक स्कीम अनुमोदित की है जिसमें निकर्षण और नदी सुधार कार्य दोनों संयुक्त रूप से शामिल हैं। ऐसी संभावना है कि स्कीम पूरी होने के बाद हल्दिया को जाने वाले नौचालनात्मक चैनल की गहराई में एक मीटर का सुधार होगा।

[अनुवाद]

होम्योपैथिक सुविधाएं

493. श्री अमर रायप्रधान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत एक होम्योपैथिक चिकित्सक और एक होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को चिकित्सा केन्द्र, संसदीय सौध में तैनात किया गया है और उनके लिए बृहस्पतिवार का दिन निर्धारित किया गया है;

(ख) रोजाना यह सुविधा उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं; और

(ग) संसदीय सौध में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के होम्योपैथिक स्कंध में होम्योपैथिक औषधियों की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) पार्लियामेंट हाऊस एनेक्सी स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा केन्द्र में सप्ताह में एक बार एक होम्योपैथिक फिजिशियन और एक होमियो फार्मासिस्ट तैनात किए जाते हैं।

लोक सभा सचिवालय से अनुरोध किया गया है कि वह पार्लियामेंट हाऊस एनेक्सी स्थित चिकित्सा केन्द्र में अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराए ताकि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टरों की तैनाती इस प्रकार की जा सके कि वे चिकित्सा केन्द्र में सभी कार्य दिवसों को उपलब्ध हो सकें।

पार्लियामेंट हाऊस एनेक्सी स्थित चिकित्सा केन्द्र के होम्योपैथिक डाक्टर लाभार्थियों को तत्काल आवश्यक दवाएं प्रदान करते हैं और नुस्के पर लिखी गई रूटीन दवाएं रोगी साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के होम्योपैथिक एकक से प्राप्त करते हैं।

मलेरिया रोधी कार्यक्रम

494. **श्री सी. श्रीनिवासन:**
डा. जयन्त रंगपी:
श्री एम.के. सुब्बा:
श्री अनन्त नायक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्य-वार, वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी और जारी की गयी;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनके मामले में केन्द्र सरकार ने वित्तीय सहायता राशि में भारी कटौती की है;

(ग) इस कटौती के क्या कारण हैं;

(घ) चालू वर्ष में मलेरिया के कारण अब तक कितने लोग मर चुके हैं;

(ङ) क्या तमिलनाडु सरकार ने वेतनमानों से इतर चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर बड़ी धनराशि खर्च की है और केन्द्र सरकार ने अब तक इस प्रकार खर्च की गई धनराशि के 50 प्रतिशत भाग का पुनर्भुगतान नहीं किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता के आबंटन एवं रिलीज से संबंधित विषय संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के आबंटन के मामले में कोई कटौती नहीं की जाती है। राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का आबंटन तकनीकी अपेक्षाओं, वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य सरकारों के पास सामग्री के स्टाक की उपलब्धता के अनुसार निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान जून, 2002 तक विभिन्न राज्यों से 95 मौतों की सूचना प्राप्त हुई है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण के पैटर्न के अनुसार तमिलनाडु सरकार को कीटनाशकों, मलेरिया-रोधी औषधों, लार्वानाशकों आदि के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन लागत और अन्य आकस्मिक व्यय को पूरा करती है।

विवरण

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2001-2002 के दौरान आबंटन और व्यय के राज्य/संघ क्षेत्र-वार वितरण के संबंध में विवरण

(रु. लाख में)

	राज्य/संघ क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-02	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
	1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	322.86	663.50	539.67	644.13	249.00	408.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	303.27	229.22	343.91	293.79	486.93	364.67
3.	असम	2267.01	2616.73	5514.11	2657.86	1983.27	2377.47
4.	बिहार	481.35	578.66	383.07	83.20	357.37	525.94
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	570.71	620.62
6.	गोवा	10.93	4.54	8.71	0.98	6.08	6.17
7.	गुजरात	489.04	349.95	399.34	211.24	92.70	115.63
8.	हरियाणा	259.03	160.95	197.22	78.35	18.43	18.42
9.	हिमाचल प्रदेश	46.11	92.45	90.30	89.06	2.20	36.78
10.	जम्मू एवं कश्मीर	52.73	103.40	86.96	84.28	22.96	69.62
11.	झारखंड	—	—	—	—	561.28	585.62
12.	कर्नाटक	602.66	229.29	352.68	233.36	291.34	369.55
13.	केरल	117.72	49.63	84.35	75.92	39.24	42.78
14.	मध्य प्रदेश	893.40	443.28	533.83	711.53	788.25	1090.25
15.	महाराष्ट्र	282.97	181.51	289.41	286.74	468.50	518.50
16.	मणिपुर	403.05	219.53	520.37	235.72	358.91	275.28
17.	मेघालय	306.70	212.27	337.64	303.58	381.41	290.37
18.	मिजोरम	309.56	190.05	385.11	235.26	433.94	345.85
19.	नागालैंड	240.83	308.33	290.38	278.91	346.91	368.08
20.	उड़ीसा	329.67	436.17	280.43	547.64	557.34	824.12
21.	पंजाब	288.96	148.45	230.77	148.31	49.38	94.09
22.	राजस्थान	1146.16	1075.71	786.12	286.86	397.56	788.45

1		2	3	4	5	6	7
23.	सिक्किम	11.65	7.90	10.65	0.12	0.11	0.14
24.	तमिलनाडु	392.31	114.19	174.92	133.90	99.77	85.72
25.	त्रिपुरा	375.89	379.31	599.05	480.94	542.45	505.76
26.	उत्तर प्रदेश	622.18	527.80	591.15	544.11	540.44	637.44
27.	उत्तरांचल	—	—	—	—	23.64	39.19
28.	पश्चिम बंगाल	296.26	501.99	354.86	454.44	464.88	701.72
29.	दिल्ली	75.40	20.10	90.97	100.45	97.57	89.57
30.	पाण्डिचेरी	10.32	11.28	22.03	13.56	13.43	8.30
31.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	116.46	111.28	208.13	231.75	226.84	220.78
32.	चंडीगढ़	47.25	34.55	50.00	44.81	41.06	35.51
33.	दादर एवं नगर हवेली	25.94	34.85	40.03	18.12	40.67	40.67
34.	दमन एवं दीव	16.42	12.97	18.86	9.90	16.08	18.64
35.	लक्षद्वीप	5.81	5.82	10.98	5.57	6.35	5.29
	कुल	11210.00	10055.84	13826.00	9524.39	10577.0	12525.87
काला-अजार		1000.00	1000.00	1000.00	999.98	1200.00	767.29
स्था./अनुसंधान प्रचार		690.00	541.35	624.00	578.75	673.00	571.78
ई ए सी		12000.00	6064.95	10000.00	8125.89	10000.00	8113.38
एन डी सी पी		100.00	—	50.00	—	50.00	—
	कुल योग	25000.00	17662.14	25500.00	19229.01	22500.00	21978.32

रेस कोर्स के घोड़े

495. डा. (श्रीमती) अनिता आर्य: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेस कोर्स के घोड़ों के साथ घुड़-दौड़ के दौरान बहुत क्रूरता बरती जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अत्याचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) रेस कोर्स के घोड़ों पर अत्याचार की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) प्रदर्शनीय अथवा अदाकारी पशुओं को प्रशिक्षित करने के इच्छुक व्यक्तियों को पंजीकरण मुहैया करवाने के लिए अदाकारी

पशु नियमावली, 1973 अधिसूचित किया जा चुका था। इसके अलावा, अदाकारी पशु (पंजीकरण) नियमावली, 2001 अधिसूचित की गई थी ताकि चाबुक एवं नालबन्दी के लिए मानक निर्दिष्ट करके अश्वों सहित अदाकारी पशुओं का सही रखरखाव व देखभाल की जा सके। उपरोक्त नियमावली के दिनांक 8.1.2002 के अनुवर्ती संशोधन भी रेस के उपरान्त अनिवार्य पशु-चिकित्सा जांच तथा रेस में उपयोग किए जाने वाले चाबुक की उपयोग संख्या को सीमित करने की अपेक्षा करते हैं। रेस के घोड़ों की स्थिति के निरीक्षण हेतु प्रशिक्षित जांचकर्त्ता नियुक्त किए गए हैं।

बांग्लादेश द्वारा अपराधियों की सूची सौंपा जाना

496. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश ने उन अपराधियों की सूची भेजी है जिनकी वहां तलाश है और उनके भारत में छुपे होने का संदेह है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे से दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। बांग्लादेश ने उन 15 बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की एक सूची भेजी है जो बांग्लादेश में अपराध करने के सिलसिले में वांछित हैं और उन पर भारत में मौजूद होने का आरोप है। उनकी पहचान और गिरफ्तारी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बांग्लादेश की सरकार से अतिरिक्त ब्यौरों की मांग की गई है। भारत सरकार आपराधिक और गैर-सामाजिक तत्वों की धरपकड़ में बांग्लादेश की सरकार को पूरा सहयोग देने के लिए वचनबद्ध है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पशु जन्म दर नियंत्रण संबंधी नियम

497. श्री पी.सी. थामस: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के उद्देश्य से पशु जन्म दर पर नियंत्रण रखने संबंधी नियम को अधिसूचित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी हां। नियमावली में मानवीय तरीकों द्वारा कुत्तों को पकड़ने, नसबंदी से पूर्व बीमार कुत्तों का इलाज, नसबंदी के बाद टीकाकरण, आपरेशन उपरांत उचित देखभाल, नसबंदी किए गए कुत्तों की शिनाक्त/निशानी लगाने अथवा गोदने तथा जहां से उन्हें पकड़ा गया हो, उस स्थान पर उन्हें छोड़ने का प्रबन्ध किया गया है। नियमावली की अन्य प्रमुख विशेषताएं जनता की सहभागिता तथा स्वयंसेवी संगठनों का शामिल होना है।

पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की भूमिका

498. श्री भीम दाहाल: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने क्या भूमिका निभायी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में वर्ष-वार/राज्यवार कितनी इकाइयों का पुनरुद्धार किया गया;

(ग) क्या इन राज्यों में इसके द्वारा अपनी गतिविधियों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) लघु क्षेत्र को नए एवं विद्यमान परियोजनाओं हेतु और आधुनिकीकरण एवं विवधीकरण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता विस्तारित करता है जो अखिल भारतीय आधार पर, जिसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं, प्रचालन में हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में सिडबी द्वारा प्रदान की गई सहायता निम्नोक्त है:-

राज्य	1999-2000			2000-2001			2001-2002		
	इकाइयों की संख्या	संस्वीकृत राशि	संवितरित राशि	इकाइयों की संख्या	संस्वीकृत राशि	संवितरित राशि	इकाईयों की संख्या	संस्वीकृत राशि	संवितरित राशि
अरुणाचल प्रदेश	191	1.46	1.48	213	1.67	1.67	270	2.13	2.13
आसाम	1607	13.31	13.07	703	34.62	20.16	1170	23.35	19.36
मणिपुर	606	4.79	4.18	50	6.39	7.27	91	1.52	1.52
मेघालय	107	4.43	4.02	89	7.52	5.43	17	2.94	4.72
मिजोरम	90	1.06	1.00	81	1.90	1.51	44	1.04	0.81
नागालैंड	1	1.48	1.48	189	3.80	2.82	390	2.53	2.47
त्रिपुरा	406	5.01	5.10	335	7.85	6.50	49	1.43	1.27
सिक्किम	183	2.45	3.72	86	1.10	1.09	87	1.25	1.24
कुल	3191	33.99	34.05	1746	64.85	46.45	2118	36.19	33.52

(ग) और (घ) सिडबी, लघु उद्योग क्षेत्र को सफल वृद्धि की सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार नई कार्य नीतियां अपनाता रहा है। सिडबी लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नई पहलें जारी रखेगा और नए कार्यकलाप पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम सहित समस्त देश को कवर करेंगे।

[हिन्दी]

बुद्ध की प्रतिमाओं का पुनर्निर्माण

499. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान बामियान में ढहायी गयी बुद्ध प्रतिमाओं को फिर से बनाने की ताईवान ने पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में अपना योगदान देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) सरकार ने एक प्रैस रिपोर्ट देखी है जिसमें कहा गया है कि एक ताइवानी गैर सरकारी संगठन ने अफगानिस्तान में दो बामियान बुद्ध प्रतिमाओं के पुनर्निर्माण के लिए धन की पेशकश की है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पीड़ित पशुओं के लिए एम्बुलैन्स सेवा

500. श्रीमती प्रेनीत कौर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पीड़ित पशुओं के लिए एम्बुलैंस सेवा के प्रावधान की एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी एम्बुलैंसें स्वीकृत की गयी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। इस योजना का मूल उद्देश्य इस क्षेत्र में कार्यरत सक्षम सरकारी और गैर-सरकारी संगठन को उपयुक्त सहायता देने के प्रावधान द्वारा समूचे देश में पीड़ित पशुओं के लिए आपात एम्बुलैंस सेवा उपलब्ध कराना है, इस योजना के अंतर्गत 90 प्रतिशत लागत अधिकतम 3.50 लाख रुपये तक केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार आधार पर स्वीकृत एम्बुलैंसों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	एम्बुलैंसों की संख्या
1.	1999-2000	68
2.	2000-2001	28
3.	2001-2002	37

[हिन्दी]

शाखा डाकघर

501. **श्रीमती जसकौर मीणा:**
योगी आदित्यनाथ:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री भीम दाहाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान देश में विशेषकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में कितने डाकघर खोले गये और कितने डाकघरों का उन्नयन किया गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) ग्रामीण, आदिवासी, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंड संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। पिछड़े इलाकों की कोई अलग श्रेणी नहीं है।

(ख) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश में खोले गए और दर्जा बढ़ाए गए शाखा डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

डाकघर खोलने के मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड:

1.1 जनसंख्या

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 अनुमानित आय

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की 33 $^{1}/_{3}$ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय डाकघर की लागत का 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

2. विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में :

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400/- रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/- रु. है।

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान खोले गए तथा दर्जा बढ़ाए गए शाखा डाकघर

क्रम सं.	सर्किल	खोले गए शाखा डाकघरों की संख्या		दर्जा बढ़ाए गए शाखा डाकघरों की संख्या	
		2001-2002	2002-2003 (30.6.2002 की स्थिति के अनुसार)	2001-2002	2002-2003 (30.6.2002 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3	–	–	–
2.	असम	35	–	2	–
3.	बिहार	38	–	–	–
4.	छत्तीसगढ़	25	–	1	–
5.	दिल्ली	2	–	–	–
6.	गुजरात	18	–	2	–
7.	हरियाणा	–	–	1	–
8.	हिमाचल प्रदेश	5	–	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	13	–	–	–
10.	झारखण्ड	–	–	1	–
11.	कर्नाटक	13	–	1	–
12.	केरल	2	–	–	–
13.	मध्य प्रदेश	21	–	–	–
14.	महाराष्ट्र	65	–	3	–
15.	उत्तर पूर्व :				
	अरुणाचल प्रदेश	1	–	1	–
	मणिपुर	–	–	–	–
	मेघालय	5	–	1	–
	मिजोरम	4	–	–	–
	नागालैंड	2	–	–	–
	त्रिपुरा	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
16.	उड़ीसा	14	–	1	–
17.	पंजाब	6	–	4	–
18.	राजस्थान	20	–	3	–
19.	तमिलनाडु	5	–	–	–
20.	उत्तर प्रदेश	38	–	1	–
21.	उत्तरांचल	15	–	–	–
22.	पश्चिम बंगाल	51	–	2	–
	सिक्किम (पश्चिम बंगाल)	3	–	–	–
	कुल	404	–	24	–

[अनुवाद]

सुनिश्चित पदोन्नति (ए.सी.पी.) योजना

502. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत सुनिश्चित पदोन्नति (ए.सी.पी.) योजना के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के फार्मासिस्टों को छोड़कर सभी श्रेणियों में कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) क्या फार्मासिस्टों ने प्रदर्शन किया है, इसके कार्यान्वयन की मांग से संबंधित एक ज्ञापन मंत्री जी को प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के फार्मासिस्टों के लिए सुनिश्चित पदोन्नति (ए.सी.पी.) योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मेसिस्टों ने माननीय मंत्री को उनके संवर्ग में ए.सी.पी. योजना के कार्यान्वयन के लिए अलग से कोई ज्ञापन नहीं दिया है। तथापि, अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी संघ ने अपने 22-सूत्रीय मांग पत्र के कार्यान्वयन के लिए निदेशक (के.स.स्वा. योजना) को एक ज्ञापन दिया है जिसमें के.स.स्वा.यो. के एलोपैथिक फार्मेसिस्टों को ए.सी.पी. देना शामिल है। चूंकि के.स.स्वा.यो. में एलोपैथिक फार्मेसिस्टों के ग्रेड के लिए प्रोन्नति संबंधी पदानुक्रम में अनियमित स्थिति चल रही है, इसलिए इस स्थिति को ठीक करने के लिए इस मामले पर व्यय विभाग से परामर्श लेते हुए विचार किया जा रहा है।

अलौह इस्पात संयंत्र बन्द करना

503. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अलौह इस्पात संयंत्र बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 2001-02 के दौरान अलौह इस्पात संयंत्र ने अपने घाटों को काफी कम किया है हालांकि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले अन्य इस्पात संयंत्रों में घाटे में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) फिलहाल मिश्र इस्पात संयंत्र (ए.एस.पी.) को बंद करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के अन्य इस्पात संयंत्रों की तुलना में ए एस पी का वित्तीय निष्पादन निम्नलिखित है:-

निवल हानि/लाभ (करोड़ रुपए)

	2000-2001	2001-2002
मिश्र इस्पात संयंत्र	(-) 184	(-) 149
भिलाई इस्पात संयंत्र	342	477
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	(-) 236	(-) 262
राउरकेला इस्पात संयंत्र	(-) 445	(-) 1036
बोकारो इस्पात संयंत्र	(-) 155	(-) 153
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	(-) 68	(-) 103

आतंकवाद के विरुद्ध भारत-ईरान सहयोग

504. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ईरान क्षेत्र में फैले आतंकवाद से निपटने में सहयोग देने पर सहमत हो गए हैं और इस बुराई से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के व्यापक अभिसमय को शीघ्र अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों सहित सामान्य संबंधों को और सुदृढ़ करने हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) भारत और ईरान आतंकवाद की महाविपदा से साझे तौर पर चिन्तित हैं। अप्रैल, 2001 में हमारे प्रधानमंत्री की ईरान की यात्रा के दौरान सम्पन्न तेहरान घोषणा में आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की गई है। इस घोषणा में उन राज्यों की भी भर्त्सना की गई है जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा उग्रवाद को सहायता देते हैं, उकसाते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं तथा उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया गया है कि वे आतंकवाद को रोकने के लिए अपने प्रयासों को और तेज करें। घोषणा में भारत और ईरान ने अपने-अपने इस संकल्प को दोहराया कि वे आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति तथा कानूनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए काम करेंगे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सम्बद्ध व्यापक अभिसयम को शीघ्र अंतिम रूप देना भी शामिल है।

ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव की जून, 2002 की हाल की यात्रा के दौरान भारत तथा ईरान ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों की भर्त्सना की तथा वे इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने में सहयोग करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने अपने इस संकल्प को दोहराया कि वे आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति कायम करने एवं कानूनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए काम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के सम्बद्ध व्यापक अभिसमय को शीघ्र अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर बल देंगे।

(ग) भारत और ईरान के बीच घनिष्ठ तथा नियमित अन्योन्यक्रिया हुई जिसका उद्देश्य व्यवसाय संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार तथा विविधिकरण करना है। उच्चस्तरीय राजनीतिक आदान-प्रदानों, दोनों देशों के बीच संयुक्त व्यवसाय परिषद की नियमित बैठकों के जरिए और भारत ईरान संयुक्त आयोग के मंच के माध्यम से इसे प्राप्त कर लिया गया है। संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक मई, 2002 में हुई जिसमें पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, व्यापार, उद्योग, परिवहन एवं संचार कृषि तथा ग्रामीण विकास, संस्कृति, कोंसली, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं सूचना के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के समग्र आयाम की समीक्षा की गई। इस अवसर पर संयुक्त व्यवसाय परिषद की एक बैठक भी हुई।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति

505. श्री अम्बरीश: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के मुख्य सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) इस समिति को क्या उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं;

(घ) इस समिति द्वारा संबंधित विषय पर अब तक कौन-कौन से मुख्य सुझाव और सिफारिशें की गयी हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 17 जनवरी, 2002 को एक सलाहकार समिति का गठन किया था।

तत्पश्चात् संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (सीआईटी) नामक नया मंत्रालय बनने पर 7 जनवरी, 2002 को सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है।

(ख) इस समिति के अध्यक्ष संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं तथा सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) तथा सचिव, दूर संचार विभाग (डीओटी) इसके सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उद्योग के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भी इस समिति के सदस्य हैं।

(ग) सलाहकार समिति को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारत को सर्वाधिक अधिमान्यता प्राप्त स्थान बनाने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करने में सरकार को सहायता देने का दायित्व सौंपा गया है, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गति बढ़ाकर रोजगार के अवसरों का सृजन करके राष्ट्रीय सम्पदा में वृद्धि की जा सके। उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समिति निम्नलिखित उपाय सुझाएगी:

(1) अनुसंधान एवं विकास कार्यों तथा मानव संसाधन विकास के माध्यम से इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में विशिष्ट/महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना।

(2) तीव्र विकास के जरिए ज्ञान पर आधारित सूचना समाज का निर्माण करने और इलेक्ट्रानिक शासन, इलेक्ट्रानिक वाणिज्य, सूदूर शिक्षा के क्षेत्र में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का विस्तार करने, अंकीय लाइब्रेरी का निर्माण करने, सुदूर चिकित्सा सुकर बनाने आदि के लिए नीतिगत उपाय और कार्ययोजनाएं तैयार करना।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की संख्या में सुधार के लिए उपाय सुझाना।

(4) ग्रामीण एवं अलाभकारी क्षेत्रों को विशेष महत्व देते हुए देश में एक छोर से दूसरे छोर तक बैण्ड विड्थ की डिलीवरी के लिए उपाय सुझाना।

(5) अंतिम छोर तक इंटरनेट सम्पर्क एवं ब्राडबैण्ड सम्पर्क के विस्तार के लिए उपाय सुझाना।

(6) दूर संचार के क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के उपाय सुझाना, जिसका विशेष उद्देश्य कीमतों में कमी करना, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा आम आदमी और जनता के लिए गुणात्मक और वहन योग्य दूर संचार सेवाएं उपलब्ध कराना है।

(घ) और (ङ) इस समिति द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

1. विद्यमान क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालयों का सूचना प्रौद्योगिकी में उच्चतर अधिगम और उत्तमता संस्थान के रूप में दर्जा बढ़ाना।

2. दूरसंचार विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) के लिए उच्च गति की आंकड़ा संचार सेवाएं।

3. हार्डवेयर और साफ्टवेयर उद्योग के विकास को सहायता देने के लिए ई-शासन को बढ़ावा देना।

4. काल केन्द्रों के लिए जो भारतीय कम्पनियों द्वारा बाहर के लिए कार्य करते हैं, स्रोत के रूप में कार्य करने वाले सभी पूर्णतया निजी स्वामित्वाधीन आधार पर विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क।

5. सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर क्षेत्र का विकास, विशेषरूप से एकीकृत परिपथों के विनिर्माण के लिए बृहद् संविरचना सुविधाओं की स्थापना करना।

6. विदेशी नागरिकों के लिए उच्चतर और समकालीन अध्ययन के लिए भारत को अधिमान्यताप्राप्त विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारतीय शैक्षणिक संस्थानों जैसेकि आईआईटी, आईआईएम आदि की क्षमता में वृद्धि करना।

7. विभिन्न कार्यविधियों जैसेकि प्रशिक्षु अधिनियम कारखाना/ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण, सीमा शुल्क बंधक, लैपटाप ले जाने के लिए समान नियमावली आदि का सरलीकरण।

8. भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी विकास।

9. म्यूचुअल फण्ड उद्योग के अनुसार उद्यम पूंजी को बढ़ावा देना ताकि और अधिक मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सके।

10. सीमा-शुल्क संबंधी सेवाएं दिन में 24 घण्टे, सप्ताह में 7 दिन और वर्ष में 365 दिन विशेष रूप से मुख्य स्थानों पर उपलब्ध कराना।

अधिकांश सुझाव/सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं और संबंधित विभागों/मंत्रालयों की कार्य योजना में इन पर विचार किया गया है।

सिंधु जल संधि

506. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि, 1960 के तथाकथित उल्लंघनों को अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम को सौंपने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) नई दिल्ली में 28 मई से 1 जून तक हुई स्थायी सिंधु आयोग की बैठक के दौरान पाकिस्तान का मानना था कि वह इस बात के प्रति संतुष्ट नहीं है कि बागलिहर संयंत्र परियोजना की रूपरेखा संधि के प्रावधानों के अनुरूप है और वह इस मामले को किसी निष्पक्ष विशेषज्ञ को सौंपने का प्रस्ताव कर रही है।

(ख) स्थायी सिंधु आयोग की अगली बैठक में इस परियोजना और पाकिस्तान की किसी आपत्ति पर चर्चा करने का विचार है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास

507. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश में कोई जेटी और पोतघाटों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों पर इन घाटों का निर्माण किया गया है अथवा किया जा रहा है और इन पर कितनी लागत आयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार नदियों के किनारे ऐसे विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए ऐसे विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ एकीकृत काकीनाडा नहर, इलुरू नहर, कोमामुरू नहर और बुकिंघम नहर वाली काकीनाडा-मरकऊनम नहर प्रणाली के विकास के लिए तकनीकी आर्थिक साध्यता अध्ययन किया गया है जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर जेट्टियां उपलब्ध कराना भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति आधार पर अनुमोदित स्कीम की 50% लागत के रूप में ऋण सहायता का लाभ उठाया जा सकता है।

देश में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से सरकार ने एक अंतर्देशीय जल परिवहन नीति को अनुमोदन प्रदान किया है जिसके अंतर्गत आई डब्ल्यू टी क्षेत्र में भाग लेने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश और वित्तीय प्रोत्साहन भी शामिल हैं।

हेपेटाइटिस-बी

508. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि निजी उपयोग की वस्तुओं, जैसे टूथब्रुश, तौलिया या रूमाल इत्यादि से होने वाले संक्रमण के जरिये देश में हेपेटाइटिस-बी रोग तेजी से फैलता जा रहा है, जैसाकि 14 जून, 2002 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रोग को फैलने से रोकने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) हेपेटाइटिस-बी असुरक्षित यौन, असुरक्षित रक्ताधान, असुरक्षित इंजेक्शनों से इत्यादि और माता से बच्चे में फैलता है। हेपेटाइटिस-बी सुरक्षित रक्ताधान, सुरक्षित यौन, सुरक्षित क्रियाओं इत्यादि से निवारणीय है। हेपेटाइटिस-बी के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है। हेपेटाइटिस-बी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- सभी रक्त बैंकों में रक्त के अनिवार्य परीक्षण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित यौन को बढ़ावा देने का परामर्श दिया जाता है।

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी अभियान चलाए जाते हैं।

- प्रत्येक इंजेक्शन के लिए पृथक विसंक्रमित सिरिंजों और सुईयों के उपयोग के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

- राष्ट्रीय रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शहरों/जिलों में हेपेटाइटिस-बी के विरुद्ध बच्चों को रोगप्रतिरक्षित करने की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है।

- उच्च जोखिम में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के अस्पताल के कार्मिकों को हेपेटाइटिस-बी के विरुद्ध रोग प्रतिरक्षित किया जा रहा है।

आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराना जाना

509. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री एन. जर्नादन रेड्डी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को ब्रिटेन से धन मुहैया कराया जा रहा है जैसाकि 27 जून, 2002 के 'इंडियन एक्सप्रैस' और 10 जून, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचारों के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या आतंकवादियों को इस तरह की मदद उपलब्ध कराना रोकने के उद्देश्य से सरकार ने इस मामले को ब्रिटेन के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा अन्य और कौन से कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। इस आशय की विश्वसनीय सूचनाएं हैं कि भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के समर्थकों द्वारा मानवीय हितों को बढ़ावा देने के नाम पर लगातार धन एकत्र किया जा रहा है।

(ग) और (घ) यू.के. सरकार को इस मामले से पूर्णत: अवगत करा दिया गया है। विदेशी और राष्ट्रकुल मामलों के संसदीय अंडर सेक्रेटरी आफ स्टेट ने संसद में कहा कि "पुलिस ऐसे गुटों के लिए चंदा उगाही" से संबंधित सभी विश्वसनीय रिपोर्टों की जांच कर रही है और पर्याप्त सूबत मिलने पर कार्रवाई करेगी। सरकार ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ समुचित स्तरों पर इस मामले को उठाती रहेगी।"

बी.एस.एन.एल. द्वारा वी.पी.टी.

510. श्री नरेश पुगलिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने के मामले में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) को भारी घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. ने अब दूरसंचार विभाग से यह कहा है कि या तो उसके अर्थक्षमताविहीन प्रचालनों पर आये खर्च का भुगतान किया जाये अथवा उसे अपने ग्रामीण सेवा प्रदाय तंत्र को बंद कर देने की अनुमति दी जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी हां।

(ख) चूंकि भारत संचार निगम लि. 1.10.2000 को गठित किया गया था, अत: 31.3.2001 तक 6 महीने की अवधि और वर्ष 2001-02 की अनुमानित हानि नीचे प्रस्तुत है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	हानि की रकम
1.10.2000 से 31.3.2001	1,928
2001-2002	4,052

(ग) जी हां। भारत संचार निगम लि. ने सरकार से हानिग्रस्त ग्रामीण नेटवर्क को चलाने में हुई हानियों की पूर्ति करने के लिए कहा है।

(घ) (1) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि भारत संचार निगम लि. ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार की मांग पूरी करे, सरकार इस

बात पर सहमत हो गई है कि भारत संचार निगम लि. को निम्नलिखित अदायगियों से छूट प्रदान की जाए:

(1) 7,500 करोड़ रु. की अधिमानी इक्विटी पर या 31.3.2004 तक और 31.3.2002 तक 5,000 करोड़ रु. की इक्विटी शेयर पूंजी पर लाभांश की अदायगी। वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए इक्विटी पर लाभांश क्रमश: 50 प्रतिशत और 25 प्रतिशत तक माफ कर दिया जाएगा।

(2) लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम प्रभारों को, सरकार द्वारा यथा निर्णीत, ग्रामीण टेलीफोनी प्रचालनों और सामाजिक रूप से वांछित अन्य परियोजनाओं के संबंध में हुई हानियों को 31.8.2003 तक की प्रतिपूर्ति के प्रति, समायोजित किया जाएगा।

(3) 7,500 करोड़ रु. के सरकारी ऋण पर 31.3.2004 तक मूल धन और ब्याज के भुगतान (रीपेमेंट) पर ऋणस्थगन लगाया जाएगा, जिसे भारत संचार निगम लि. के पूंजीगत ढांचे के भाग के रूप में निर्धारित किया गया है।

(2) भारत संचार निगम लि. द्वारा मांगे गए अनुदान के प्रति सरकार ने वर्ष 2001-02 के दौरान भारत संचार निगम लि. द्वारा प्रदान की गई ग्रामीण टेलीफोनी के संबंध में अव्यवहार्य सेवाओं के लिए योजनागत ऋण के रूप में 720 करोड़ रु. की रकम देने पर सहमति व्यक्त की है।

भारत का साफ्टवेयर निर्यात

511. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि जर्मनी भारत का नया साफ्टवेयर बाजार बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि जर्मनी ने भी सूचना प्रौद्योगिकी को 'ग्रीन कार्ड' देना शुरू कर दिया है जिससे भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कम्पनियों में काफी उत्साह पैदा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या जर्मनी को साफ्टवेयर निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन अन्य देशों के बारे में ब्यौरा क्या है जिन्हें भारत साफ्टवेयर का निर्यात कर रहा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) यूरोपीय बाजार में जर्मनी सदैव ही भारत के लिए साफ्टवेयर निर्यात का एक आकर्षक स्थल रहा है। जर्मनी के लिए साफ्टवेयर सेवा निर्यात के आंकड़े इस प्रकार है:

वर्ष	निर्यात
1998-99	420.00 करोड़ रु.
1999-00	687.66 करोड़ रु.
2000-01	1080.86 करोड़ रु.

(ग) जी, हां। जर्मनो ने सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के लिए एक विशिष्ट ग्रीन कार्ड योजना शुरू की है। इससे व्यवसाय की प्रक्रिया सरल हुई है तथा जर्मनी के साथ व्यवसाय करने के लिए और अधिक कम्पनियों को प्रोत्साहन मिला है।

(घ) जी, हां।

(ङ) ब्यौरे भाग (क) तथा (ख) में दिए गए हैं।

(च) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं संबंधित सेवाओं के निर्यात के प्रमुख स्थल
(2000-2001 की तुलना में 1999-2000)

मूल्य करोड़ रु.
(मि.यू.एस. डालर)

स्थल	2000-2001		1999-2000		अंतर (%)	
	मूल्य	क्षेत्रीय योग का %	मूल्य	क्षेत्रीय योग का %	मूल्य के रूप में	हिस्सेदारी के रूप में %
1	2	3	4	5	6	7
संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा	17067.04 (3710.23)	62.06	11418.14 (2655.38)	66.00	49.47 (39.72)	-5.97

1	2	3	4	5	6	7
यूरोप (यूरोपीय संघ देश)	6125.11 (1331.55)	22.27	3621.78 (842.27)	20.94	69.12 (59.09)	6.39
सिंगापुर, हांगकांग एवं अन्य दक्षिण एशियाई देश	1493.54 (324.68)	5.43	675.68 (157.13)	3.91	121.04 (106.63)	39.06
जापान, कोरिया एवं अन्य सुदूर पूर्वी देश	907.25 (197.23)	3.30	501.42 (116.61)	2.90	80.94 (69.14)	13.83
आस्ट्रेलिया एवं अन्य महासागरीय देश	822.20 (178.74)	2.99	203.72 (47.38)	1.18	303.59 (277.27)	153.90
मध्य पूर्वी देश	440.36 (95.73)	1.60	193.15 (44.92)	1.12	127.99 (113.12)	43.43
यूरोप (गैर यूरोपीय संघ के देश)	378.70 (82.33)	1.38	393.67 (91.55)	2.28	-3.80 -(10.08)	-39.48
अफ्रीकी देश	224.34 (48.77)	0.82	265.66 (61.78)	1.54	15.55 (21.06)	-46.88
लैटिन अमेरिका	35.99 (7.82)	0.13	24.87 (5.78)	0.14	44.71 (35.27)	-8.96
रूस एवं सीआईएस देश	5.47 (1.19)	0.02	1.91 (0.44)	0.01	186.39 (167.71)	80.16
योग	27500.00 (5978.26)	100.00	17300.00 (4023.26)	100.00	58.96 (48.59)	
औसत विनिमय दर 1 अमरीकी डालर	46.00		43.00			

[हिन्दी]

रेडियोधर्मी सामग्री की सुरक्षा

512. डा. अशोक पटेल:
श्री जयप्रकाश:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आई.ए.ई.ए.) ने भारत को रेडियोधर्मी सामग्री की चोरी के बारे में सतर्क रहने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त चेतावनी के मद्देनजर इस सामग्री की सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) उपर्युक्त के बावजूद, विकिरण से बचाव के संबंध में एक सुस्थापित व्यवस्था भारत में मौजूद हैं और

विकिरणसक्रिय सामग्रियों को नियंत्रित और मानीटर करने के लिए प्रभावी उपाय मौजूद हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग किसी भी अवांछित रूप से अथवा लावारिस पड़े विकिरणसक्रिय स्रोत को ढूंढने और ऐसे स्रोतों से उत्पन्न किसी भी आपातस्थिति से निपटने के लिए साधन-सम्पन्न है।

अलमाटी सम्मेलन

513. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
श्री ए. नरेन्द्र:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जून के आरंभ में एशिया में अंतर संवाद तथा विश्वासकारक उपाय (सी आई सी ए) विषय पर अलमाटी-कजाकिस्तान में हुए सम्मेलन में भाग लिया;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में एशिया में शांति कायम करने तथा विश्वास का वातावरण बनाने के लिए क्या निर्णय लिए गए थे;

(ग) वहां इकट्ठे हुए नेताओं के साथ हुई प्रधानमंत्री की बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त सम्मेलन के चलते भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की भी कोई बातचीत हुई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम रहा है; और

(च) सभी प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करने की घोषणा में, सीमापार से आतंकवाद फैलाये जाने तथा घुसपैठ को बढ़ावा देने पर भारत के रूख का प्रतिबिम्बन और इसमें सहमति कहां तक झलकती है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। 2 से 5 जून की कजाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 4 जून को सी आई सी ए (एशिया में अन्योन्यक्रिया तथा विश्वासोत्पादक उपायों से सम्बद्ध सम्मेलन) के शासनाध्यक्षों एवं राज्याध्यक्षों के शिखर-सम्मेलन में भाग लिया।

(ख) और (ग) शिखर-सम्मेलन में पारित दस्तावेजों में ''अलमाती अधिनियम'' और ''नागरिकों के बीच आतंकवाद को समाप्त करने एवं बातचीत संवर्धित करने से सम्बद्ध सी आई सी ए घोषणा'' शामिल है। ये युद्ध रोकने, सुरक्षा तथा सहयोग एवं आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के दस्तावेजों के रूप में विश्वासोत्पादक उपायों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) अलमाती अधिनियम और आतंकवाद से सम्बद्ध घोषणा दोनों पर्याप्त रूप से आतंकवाद से सम्बद्ध भारत के हितों को परिलक्षित करते हैं। अलमाती अधिनियम की विषय-वस्तु में बाह्य समर्थन द्वारा अलगाववाद को सहायता पहुंचाने और उसे उकसाने की अपूर्व रूप से भर्त्सना निहित है। आतंकवाद से सम्बद्ध घोषणा में स्पष्ट रूप से आतंकवाद की निंदा की गई है और साथ ही इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि ''आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष सार्वभौम, व्यापक और सतत होना चाहिए न कि चुनिंदा अथवा भेदभावपूर्ण और इसमें दोहरे मानदण्ड नहीं अपनाए जाने चाहिए।''

[अनुवाद]

आतंकवाद का मुकाबला

514. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ भारत ने आतंकवाद को रोकने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) उनके अपने देशों में आतंकवाद को रोकने के लिए उनके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या जून, 2002 में स्पेन के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) महोदय, सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) जी हां महोदय। भारत ने स्पेन के साथ 20 जून, 2002 को प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों ही देश इसको लागू करने के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में लगे हुए हैं।

[हिन्दी]

सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण

515. **श्री रामदास आठवले:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरसंचार विभाग की दिल्ली और अन्य राज्यों में अवस्थित भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान और आज तक, ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उक्त अवैध निर्माण को कब तक हटा दिया जायेगा; और

(ङ) भविष्य में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। गत 3 वर्षों के दौरान ऐसे चार (4) स्थानों की सूचना मिली है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त स्थानों को खाली कराने के लिए संबंधित पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। सभी स्थानों पर चार दीवारी/तार (फेन्सिंग) लगाने का निर्णय भी लिया गया है।

[अनुवाद]

संयुक्त गश्त

516. **श्री दलपत सिंह परस्ते:**
श्री सुंदरलाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलमाटी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संयुक्त रूप से गश्त लगाने का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) पाकिस्तान यह कहता रहा है कि वह स्थायी आधार पर घुसपैठ को रोकेगा और यह प्रमाणित करने की कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानीटरिंग व्यवस्था होनी चाहिए कि क्या घुसपैठ जारी है या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मानीटरों संबंधी प्रस्ताव न तो व्यावहारिक है न ही संभव है।

यदि पाकिस्तान घुसपैठ और सीमा-पार आतंकवाद रोकने संबंधी अपनी वचनबद्धता को अमली जामा पहनाने के बारे में गंभीर है तथा अपनी मंशा की गंभीरता को सिद्ध करने का इच्छुक है, तो संयुक्त गश्त उसकी कथित वचनबद्धता को प्रमाणित करने की पाकिस्तान की गंभीरता के लिए एक संभावित तंत्र प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ने अलमाती में सी आई सी ए शिखर सम्मेलन के दौरान उल्लिखित प्रस्ताव पेश किया था।

आंध्र प्रदेश में इंटरनेट सुविधा

517. **श्री बी.के. पार्थसारथी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के किन-किन शहरों में वर्ष 2000-2001 के दौरान इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है और वर्ष 2002-2003 के दौरान जिलावार किन-किन शहरों में यह सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने संलग्न विवरण-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 22 शहरों में इन्टरनेट नोडों को स्थापित करके मार्च, 2000 तक आंध्र प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों सहित सभी शहरों में इन्टरनेट सुविधा प्रदान कर दी थी। अत: 2002-2003 के दौरान ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में कुछ शहरों में अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं (आई एस पी) द्वारा इन्टरनेट नोड स्थापित किए गए हैं। इन शहरों की एक सूची संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

विवरण-I

आंध्र प्रदेश के शहरों के नाम जहां मार्च 2002 तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंटरनेट नोड लगाए गए हैं

क्र.सं.	शहरों के नाम
1.	आदिलाबाद
2.	अनंतपुर
3.	कुड्डपा
4.	एलुरू
5.	गुंटूर
6.	हैदराबाद
7.	करीम नगर
8.	कुर्नूल
9.	खम्माम
10.	महबूब नगर
11.	नालगोंडा
12.	नेल्लूर
13.	निजामाबाद
14.	ओंगोल
15.	राजमुंदरी
16.	संगारेड्डी
17.	श्रीकाकुलम
18.	तिरूपति
19.	विजयनगरम
20.	विजयवाड़ा
21.	विशाखापत्तनम
22.	वारंगल

विवरण-II

31.3.2002 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश के शहरों के नाम जहां बीएसएनएल के अलावा आई एस पी द्वारा इंटरनेट नोड लगाए गए हैं

क्र.सं.	शहरों के नाम जहां इंटरनेट नोड स्थित हैं
1.	आदिलाबाद
2.	अनंतपुर
3.	कुड्डपा
4.	एलुरू
5.	गुंटूर
6.	हैदराबाद
7.	काकिनाडा
8.	करीम नगर
9.	खम्माम
10.	कुर्नूल
11.	नेल्लूर
12.	निजामाबाद
13.	ओंगोल
14.	राजमुंदरी
15.	सिकंदराबाद
16.	तांकु
17.	तिरूपति
18.	विजयवाड़ा
19.	विशाखापत्तनम
20.	वारंगल

आई.ए.एस. अधिकारियों का काडर बदलना

518. श्री पवन कुमार बंसल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उनके गृह राज्य में अपना काडर बदलवाने की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें इस तरह से काडर बदला गया तथा किन मामलों में ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया और इस तरह से काडर बदलवाने/काडर बदलने के अनुरोध को अस्वीकार करने का आधार क्या रहा;

(ग) विवाह तथा पूर्वोत्तर-नीति से इतर आधार पर गृह राज्य से बाहर काडर बदलवाने के मामलों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के दम्पत्तियों के तीसरे राज्य में काडर बदलवाने के मामलों का ब्यौरा क्या है, जबकि नीति के अनुसार, अधिकारी पति या पत्नी के काडर को क्रमश: उसकी पत्नी या पति के काडर में स्थानांतरित किया जा सकता है, यदि इससे नीति में विचलन हुआ हो तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) इस बारे में 1995 में मौजूदा नीति लागू करना आरंभ किए जाने के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी भी अधिकारी का अपने गृह राज्य में अंत:संवर्ग-स्थानांतरण नहीं किया गया है।

(ख) वर्ष, 1999 से वर्ष, 2001 तक की अवधि के दौरान, गृह-राज्य में अंत:संवर्ग-स्थानांतरणों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से प्राप्त हुए 6 अनुरोध, नीति के अंतर्गत नहीं आने के कारण अस्वीकार कर दिए गए।

(ग) वर्ष, 1999 से वर्ष, 2001 तक की अवधि के दौरान, किसी अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य से विवाह अथवा पूर्वोत्तर नीति से इतर आधार पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी भी अधिकारी का अंत:संवर्ग-स्थानांतरण नहीं किया गया है।

(घ) वर्ष 1999 से वर्ष, 2001 तक की अवधि के दौरान, भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों का तीसरे अर्थात् अन्य संवर्ग में अंत:संवर्ग-स्थानांतरण किया गया है। तीसरे अर्थात् अन्य संवर्ग में अंत:संवर्ग-स्थानांतरण तभी किया जाता है, जब दोनों ही संबंधित संवर्ग, पति और पत्नी में से किसी एक को स्थानांतरण पर लेना स्वीकार नहीं करें।

राममनोहर लोहिया अस्पताल की दंत चिकित्सा इकाई

519. **श्री के. येरननायडू:**
श्री डी.वी.जी. शंकरराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित राममनोहर लोहिया अस्पताल की दंत चिकित्सा इकाई के काम-काज की स्थिति शोचनीय है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस इकाई के आयातित उपकरण समुचित देखरेख के अभाव में अप्रयुक्त ही पड़े हुए हैं;

(ग) क्या इस इकाई की देखरेख का जिम्मा किसी निजी कम्पनी को सौंपा गया था और उसकी सेवा संतोषप्रद नहीं रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस इकाई का काम-काज ठीक न होने के कारण निर्धन मरीजों को कठिनाई झेलनी पड़ रही है; और

(च) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी नहीं।

(ख) कोई भी आयातित उपकरण ऐसा नहीं है जिसका उपयोग नहीं हो रहा हो और डेंटल ओ पी डी में लगे सभी आयातित उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं।

(ग) उपकरणों के अनुरक्षण का काम अपेक्षित कोडल औपचारिकताओं का पालन करते हुए वार्षिक अनुरक्षण संविदा के अंतर्गत प्राइवेट फर्मों/पंजीकृत डीलरों को दिया गया है और उनके द्वारा उपकरणों का संतोषजनक ढ़ंग से रख-रखाव किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) डेंटल ओ पी डी के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जब भी जरूरत होती है समुचित कदम उठाए जाते हैं।

[हिन्दी]

शिकायत निवारण केन्द्र

520. **श्री मानसिंह पटेल:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में उपचार के सम्बन्ध में मरीजों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किन्हीं शिकायत-निवारण केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत छह महीनों के दौरान दिल्ली में सरकारी अस्पतालों से सम्बन्धित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(घ) मरोजों की शिकायतों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीफोन एक्सचेंजों में अनुबंध प्रणाली

521. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का टेलीफोन एक्सचेंजों में अनुबंध प्रणाली को पुन: शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण सरकार को भारी राजस्व की हानि उठानी पड़ सकती है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लेने के पूर्व सरकार ने ऐसे सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं। टेलीफोन एक्सचेंजों में कोई अनुबंध प्रणाली नहीं है। इन्हें हमारे अपने ही स्टाफ के द्वारा चालू किया जाता है। अनुबंध प्रणाली हर समय केबल बिछाने के लिए अपनायी जाती रही है और इसे कभी भी समाप्त नहीं किया गया, इसलिए इसे पुन: शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

युद्धबंदी

522. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कितने अधिकारी और जवान युद्धबंदी के रूप में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों की जेलों में यातना भोग रहे है और वे कितने समय से बंदी है;

(ख) उन्हें मुक्त कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर क्या-क्या प्रयास किये गये हैं;

(ग) भारतीय सशस्त्र सेनाओं के ऐसे कितने अधिकारी और जवान है जिनके नाम लापता के रूप में दर्ज किये गये हैं और वे कब से लापता है और इन गुमशुदा अधिकारियों तथा जवानों का पता लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय रैडक्रास सोसायटी और अन्य एजेंसियों द्वारा भारत को क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) माना जाता है कि पाकिस्तानी जेलों में 54 भारतीय रक्षा कार्मिक हैं जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद से लापता हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री स्तर सहित अन्य स्तरों पर इन लापता रक्षा कार्मिकों को रिहा करने और उन्हें वापस भेजने के मामले को निरंतर उठाया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने अपनी कैद में उनकी उपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं किया है। सरकार लापता भारतीय रक्षा कार्मिकों की रिहाई और वापसी सुनिश्चित करने के लिए इस मामलों को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाती रहेगी। पाकिस्तान के साथ सभी मामलों का द्विपक्षीय तौर पर समाधान करने की अपनी नीति के आलोक में सरकार द्वारा किसी तीसरे पक्ष से सहायता की मांग नहीं की गयी।

विदेशी सहायता से स्वास्थ्य परियोजनाएं

523. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री रामसिंह कस्वां:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्यवार ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जिन्हें विदेशी सहायता के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आज तक विदेशों से कितनी सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या कुछ स्वास्थ्य परियोजनाएं अभी भी केन्द्र सरकार की मंजूरी और आवश्यक कार्रवाई हेतु लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

डाक शुल्क में वृद्धि

524. **श्रीमती प्रभा राव:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1 जून, 2002 से डाकशुल्क में सौ प्रतिशत तक की वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस असामान्य वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति का भुगतान किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) सरकार ने 1 जून, 2002 के सात डाक सेवाओं की डाक दरों में वृद्धि की है। संशोधित दरें और साथ ही दरों में प्रतिशत वृद्धि संलग्न विवरण में दी गई हैं। डाक विभाग का वर्ष 2001-2002 का अनुमानित घाटा लगभग 1543 करोड़ रु. है। विभाग का घाटा प्रचालन कार्यों की, जो काफी हद तक मैनुअल है, लागत में निरंतर वृद्धि के कारण है। किफायती डाक सेवाएं प्रदान करने के सामाजिक दायित्व को पूरा करने के साथ ही दरों में संशोधन द्वारा, विशेषकर जिनका समाज के अधिक सम्पन्न लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, अतिरिक्त राजस्व जुटाना अनिवार्य है।

(ग) इन दरों में संशोधन के कारण संभावित अतिरिक्त राजस्व 235.67 करोड़ रु. प्रतिवर्ष है।

विवरण

1.6.2002 से प्रभावी संशोधित दरें तथा डाक सेवाओं में वृद्धि का प्रतिशत

क्रम सं.	मद	मौजूदा दर (रु.)	संशोधित दर (रु.)	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	पत्र			
	20 ग्राम से अनधिक भार के लिए	4.00	5.00	
	प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम या उसके भाग के लिए	4.00	5.00	25%
2.	*पत्र कार्ड*	2.00	2.50	25%
3.	*मुद्रित पोस्टकार्ड*	3.00	6.00	100%
4.	*प्रतियोगिता पोस्टकार्ड*	5.00	10.00	100%
5.	*बुक पैटर्न तथा सैंपल पैकेट*			
	पहले 50 ग्राम या उसके भाग के लिए	3.00	4.00	33.33%
	प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम या 50 ग्राम से अधिक उसके किसी भाग के लिए	4.00	3.00	25% कमी
6.	पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट			
	पहले 100 ग्राम या उसके भाग के लिए	2.00		

1	2	3	4	5
	प्रत्येक अतिरिक्त 100 ग्राम या 100 ग्राम से अधिक उसके किसी भाग के लिए	3.00		
	1/- रु. से 20/- रु. तक की मूल्य वाली पत्रिकाएं		पहले 100 ग्राम और उसके भाग के लिए 2.00 रु. प्रत्येक अतिरिक्त 100 ग्राम और उसके भाग के लिए 3.00 रु.	कोई परिवर्तन नहीं
	21/- रु. से 50/- रु. तक की मूल्य वाली पत्रिकाएं		पहले 100 ग्राम और उसके भाग के लिए 4.00 रु. प्रत्येक अतिरिक्त 100 ग्राम और उसके भाग के लिए 5.00 रु.	100% 66.66%
	51/- रु. और उससे अधिक की मूल्य वाली पत्रिकाएं		पहले 100 ग्राम और उसके भाग के लिए 8.00 रु. प्रत्येक अतिरिक्त 100 ग्राम और उसके भाग के लिए 9.00 रु.	300% 200%
7.	*पार्सल*			
	पहले 50 ग्राम या उसके भाग के लिए	16.00	19.00	18.75%
	प्रत्येक अतिरिक्त 500 ग्राम या 500 ग्राम से अधिक उसके किसी भाग के लिए	15.00	16.00	6.66%

अमरीकी प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा

525. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले नौ महीनों की अवधि के दौरान कई अमरीकी अधिकारियों और राजनेताओं ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से मुकाबला करने में सहयोग करने के संदर्भ में, भारत-अमरीका सम्बन्धों में निश्चित तौर पर प्रगति जाहिर होती है; और

(ग) यदि हां, तो इन यात्राओं का ब्यौरा क्या है और अमरीकी प्रतिनिधियों से हुई बातचीत का क्या परिणाम रहा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) भारत और अमरीका ने उस लक्ष्य के अनुसरण में व्यापक आधारित एवं उच्चस्तरीय द्विपक्षीय अन्योन्यक्रिया की स्थापना

की है जिसका हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बुश ने भारत अमरीकी संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को पूरा करने के संबंध में नवम्बर, 2001 में वाशिंगटन डी सी में उल्लेख किया। इन आदान-प्रदानों में द्विपक्षीय संबंधों में समग्र आयाम सहित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने की साझी वचनबद्धता शामिल है।

(ग) अक्तूबर, 2001 से अमरीका के जिन उच्चस्तरीय अमरीकी आगन्तुकों ने भारत की यात्रा की उनमें विदेश मंत्री कोलिन पावेल, रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेड, विदेश उपमंत्री रिचर्ड आर्मिटेज, पर्यावरण संरक्षण अभिकरण के प्रशासक क्रिस्टिन वाइटमेन, खजाना उप मंत्री केनेथ डाम, अमरीकी संयुक्त स्टाफ प्रमुखों के अध्यक्ष रिचर्ड मायेर्स, आतंकवाद का प्रतिकार करने वाले समन्वयक राजदूत फ्रांसिस टेलर, रक्षा नीति अण्डर सेक्रेटरी डगलस फीथ, सार्वभौम मामलों के अण्डर सेक्रेटरी आफ स्टेट पाउल डोब्रिएनेस्की, अफगास्तिान से सम्बद्ध अमरीकी राष्ट्रपति के दूत जालमेय खलिलजाद, दक्षिण एशिया मामलों से सम्बद्ध सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टिना रोका, और अमरीकी प्रशासन के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल हैं।

इन यात्राओं से भारत-अमरीकी संबंध सुदृढ़ हुए हैं और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मसलों के संबंध में आपसी समझ-बूझ तथा सहयोग बढ़ा है।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज हेतु भवन

526. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में मंदसौर, नीमच और रतलाम में उन स्थानों के नाम क्या है जहां टेलीफोन एक्सचेंजों के नये भवनों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या उपकरणों की कमी के कारण इन भवनों में काम शुरू नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन भवनों में काम कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों के उन स्थानों के नाम निम्नानुसार हैं जहां नये टेलीफोन एक्सचेंज भवनों का निर्माण किया गया है:

मंदसौर जिला	–	नारायणगढ़
नीमच जिला	–	जीरन, रतनगढ़
रतलाम जिला	–	ताल, अलोटे, बाजना, रतलाम (कस्तूरबानगर)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

527. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(ख) उक्त क्षमता कब तक बढ़ाये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। अगले वित्त वर्ष के अंत तक 2,41,200 की और क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि सामग्री उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

पोत भंजन स्क्रैप

528. प्रो. दुखा भगत: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में पोत भंजन स्क्रैप के बढ़ते आयात की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पोत भंजन स्क्रैप के यहां आने से इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) देश में पोत भंजन स्क्रैप के आयात में वृद्धि नहीं हुई है जो निम्नलिखित पिछले चार वर्षों के पोत भंजन संबंधी आंकड़ों से देखा जा सकता है:-

(दस लाख टन)

वर्ष	एल डी टी
1998-99	3.368
1999-2000	3.063
2000-2001	2.205
2001-2002	2.900

(ग) चूंकि पोत भंजन से प्राप्त किया गया री-रोलेबल स्क्रैप प्रमुख उत्पादकों आदि द्वारा उत्पादित सेमीज का विकल्प है, अत: पोत भंजन स्क्रैप का आना इस्पात उद्योग को प्रभावित तो करता है किंतु एक सीमित सीमा तक ही।

(घ) सरकार ने भंजन के लिए आयातित पोतों पर सी वी डी और एस ए डी को माफ करने सहित मूल सीमा शुल्क को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया है।

रोजगार के अवसरों का सृजन

529. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयात और विदेशी निवेश आदि से लाइसेंस और नियंत्रण समाप्त करने के बाद देश में संगठित क्षेत्र द्वारा सृजित रोजगार के अवसरों के सृजन का कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार रोजगार के अवसरों के सृजन में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर क्या अपेक्षाएं हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) संगठित क्षेत्र में रोजगार, 1991 में 26.73 मिलियन से बढ़कर 1999 में 28.11 मिलियन हो गया है।

(ग) संगठित क्षेत्र में रोजगार कुल रोजगार का लगभग 8.34 प्रतिशत है, जिसमें 5.77 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र का तथा 2.57 प्रतिशत निजी क्षेत्र का है। सार्वजनिक क्षेत्र में नई नौकरियों के अवसरों के सृजन का कार्यक्षेत्र सीमित है जबकि इसकी तुलनात्मक कम रोजगार लोच के कारण निजी क्षेत्र के शेयर की सीमांतिक वृद्धि की अपेक्षा की जाती है।

अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई

530. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) नौवीं योजना के दौरान कितनी लंबाई के अंतर्देशीय जलमार्ग का निर्माण किया गया; और

(ग) देश में अंतर्देशीय जलमार्ग सुविधाओं के प्रोत्साहन हेतु शुरू की गई/प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुक्करसर): (क) भारत का नाव्य अंतर्देशीय जलमार्ग लगभग 14,500 कि.मी. है, जिसका लगभग 5700 कि.मी. यांत्रिक यानों के लिए उपयुक्त है।

(ख) 9वीं योजना में किसी नये राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा नहीं की गई थी।

(ग) महत्वपूर्ण परियोजनाओं में वार्षिक नदी संरक्षण कार्य सहित बंडालिंग, ड्रेजिंग, चैनल मार्किंग, टलवेज सर्वे, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 और 2 पर नदी संबंधी सूचनाएं जारी करना, वार्षिक अनुरक्षण ड्रेजिंग, दिवस चैनल मार्किंग, राष्ट्रीय जलमार्ग-3 पर नदी संबंधी सूचना जारी करना, रा.ज.-1 पर गायघाट, पटना में और रा.ज.-2 पर पांडु में स्थायी टर्मिनल का निर्माण, रा.ज.-3 पर 11 स्थानों पर टर्मिनलें, तीन राष्ट्रीय जलमार्गों पर रात्रि नौचालन सुविधाएं, ड्रेजर, सर्वे लांचें, टग, आवास बोट्स की आवश्यकता, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 एवं 2 के लिए फ्लोटिंग जेट्टी के रूप में प्रयुक्त होने वाली पांतूनों का अधिग्रहण, पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौचालन संस्थान की स्थापना इत्यादि शामिल हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज

531. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के खीरी (लखीमपुर) में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या आवश्यकता से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार खीरी (लखीमपुर) में कितने ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं; और

(घ) नये टेलीफोन कनेक्शन हेतु कितने आवेदन लंबित है और सभी कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आज की स्थिति के अनुसार खीरी (लखीमपुर) में काम कर रहे ग्रामीण, टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या 71 है।

(घ) नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 1437 आवेदन लंबित है और इन्हें शीघ्रातिशीघ्र निपटा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

अंतर्देशीय जल परिवहन

532. श्री वाई.वी. राव: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा की गई नई पहल के अनुसार अंतर्देशीय जल परिवहन खर्चीली और भीड़भाड़ वाले परिवहन प्रणाली हेतु सहायक सिद्ध होगा;

(ख) यदि हां, तो नई पहल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतर्देशीय जल परिवहन में किस तरीके से सुधार लाये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी हां।

(ख) और (ग) अ.ज.प. क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और अ.ज.प. अवसंरचना विकास और अंतर्देशीय जलयानों के स्वामित्व और प्रचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अ.ज.प. नीति को अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें निजी क्षेत्र के लिए अनेक नीति संबंधी उपायों और प्रोत्साहनों को शामिल किया गया है। अंतर्देशीय जल परिवहन साधन में यातायात बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने निवेशकों को कर में छूट मुहैया की है। राष्ट्रीय जलमार्ग में प्रचालित होने वाले सभी जलयानों के लिए मूल्यह्रास दर समुद्रगामी जलयानों की तरह 25 प्रतिशत निर्धारित की गई है। फेयरने का विकास और नदी प्रशिक्षण संबंधी कार्य के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं और वर्तमान में महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल वाले स्थानों पर स्थायी टर्मिनलों के निर्माण का कार्य चल रहा है। यातायात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने जलयान निर्माण इमदाद योजना प्रारंभ की है जिसमें भारतीय शिपयार्डों में निर्मित अंतर्देशीय जलयानों के लिए 30 प्रतिशत इमदाद दी गई है।

[हिन्दी]

काउंटर सर्विस कार्यक्रम का आधुनिकीकरण

533. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग काउंटर सर्विस कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिकीकरण कार्य चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान "डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग" योजना के अंतर्गत इस सेवा का 150 डाकघरों तक विस्तार करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अब तक 506 मुख्य डाकघरों तथा 1260 अन्य विभागीय डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	डाकघर
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	12
2.	असम	4
3.	सेना डाक सेवा (बेस सर्किल)	2
4.	बिहार	5
5.	छत्तीसगढ़	3
6.	दिल्ली	2
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	8
9.	हिमाचल प्रदेश	2

1	2	3
10.	हरियाणा	3
11.	झारखण्ड	3
12.	जम्मू व कश्मीर	3
13.	कर्नाटक	10
14.	केरल	8
15.	महाराष्ट्र	16
16.	मध्य प्रदेश	5
17.	मेघालय	2
18.	उड़ीसा	8
19.	पंजाब	3
20.	राजस्थान	8
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	15
23.	उत्तरांचल	3
24.	उत्तर प्रदेश	12
25.	पश्चिम बंगाल	11
	कुल	150

[अनुवाद]

गाद निकालने वाली चीनी कंपनियां

534. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी पत्तनों द्वारा आमंत्रित निविदाओं में सहभागिता हेतु चीन की गाद निकालने वाली कंपनियों को अनुमति देने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) से (घ) माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रकट नहीं की जा सकती।

सी-डाट साफ्टवेयर विकास केन्द्र

535. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सी-डाट साफ्टवेयर विकास केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

भारत और विदेशों में मेडिकल कालेजों में प्रवेश

536. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1969-91 बैचों (अर्थात् 1997 तक) जब भारतीय चिकित्सा परिषद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सोवियत संघ भेजती थी, इंटर्नशीप करना जरूरी नहीं था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद को किन परिस्थितियों में 1998 के दौरान रोटरी इंटर्नशिप लागू करने के लिये बाध्य होना पड़ा;

(घ) क्या वर्ष 2001 तक सोवियत संघ जाने वाले छात्रों के लिये कोई जांच परीक्षा नहीं थी; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2002 के दौरान जांच परीक्षा शुरू करने के क्या कारण थे और वर्ष 1996-97 से 2000-2001 तक रूस और सी.आई.एस. देशों में मेडिकल में प्रवेश लेने वाले भारतीय छात्रों पर क्या पश्चगामी प्रभाव पड़ेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सभी छात्रों के संबंध में इन्टर्नशिप अनिवार्य रही है। प्रारंभिक अवस्थाओं में जब पूर्ववर्ती यू.एस.एस.आर. में आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए छात्रों को प्रायोजित किया जाता था, तब क्लिनिकल पाठ्यक्रम के छठे वर्ष के दौरान इन्टर्नशिप करने की अनुमति दी जाती थी जिसमें 9 महीने की इन्टर्नशिप भारत में की जाती थी और रोवियत आयुर्विज्ञान संस्थाओं से डिग्री प्राप्त करने के बाद स्थायी पंजीकरण प्रदान करने से पहले छात्रों को और 3 महीने की अवधि की इन्टर्नशिप करनी होती थी। बाद में चूंकि यह पाया गया कि पूर्ववर्ती यू.एस.एस.आर. की संस्थाओं में क्लिनिकल पाठ्यक्रम 6 वर्ष की अवधि का है, इसलिए यह निर्णय किया गया कि छात्र इन संस्थाओं से एम.डी. डिग्री प्राप्त करने के बाद भारत में एक वर्ष की इन्टर्नशिप करेंगे बशर्ते उन्होंने ऐसी एम.डी. डिग्री प्राप्त करने से पहले एक वर्ष की तैयारी (प्रिपरेटरी) और 6 वर्ष का क्लिनिकल प्रशिक्षण पूरा किया हो।

(घ) और (ङ) जांच परीक्षा आयोजित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में संशोधन सितम्बर, 2001 में किया गया था और इस संशोधन को संगत विनियमों द्वारा प्रभावी किया गया था जो 15 मार्च, 2002 से प्रभावी हुए हैं जिनके तहत, विदेशी आयुर्विज्ञान अर्हता प्राप्त करने वाले और 15 मार्च, 2002 के बाद भारत वापिस आने वाले छात्रों अथवा उन छात्रों, जो पहले ही भारत आ गए हैं, और जिन्होंने भारत में एक वर्ष की इन्टर्नशिप करने के लिए अंतिम पंजीकरण हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में 15 मार्च, 2001 को अथवा उसके बाद आवेदन किया है, को या तो अनंतिम पंजीकरण अथवा स्थायी पंजोकरण, जैसा भी मामला हो, के लिए जांच परीक्षा में बैठना होता है। विनियमों को पिछली तारीख से प्रभावी नहीं किया गया है लेकिन ऐसे छात्रों, जिन्हें अभी तक या तो अनंतिम अथवा स्थायी प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, को विदेशी आयुर्विज्ञान अर्हता प्राप्त करने के बाद, जांच परीक्षा में बैठना होगा। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 8 मार्च, 2002 के फैसले में ऐसे भारतीय नागरिकों, जिन्होंने विदेश में आयुर्विज्ञान डिग्रियां प्राप्त की है, और जो 15 मार्च, 2001 से पहले भारत वापिस आ गए हैं, के पंजीकरण के लिए कुछ छूटें देते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के संशोधन को ध्यान में रखा है सभी अन्य छात्रों के बारे में विनियमों को 15 मार्च, 2002 से प्रभावी करने की स्वीकृति दी है।

वल्लरपदम कंटेनर टर्मिनल परियोजना

537. **श्री टी. गोविन्दन:**
श्री वी.एस. शिवकुमार:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वल्लरपदम अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के विकास संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) से (ग) जी हां। कोचीन पत्तन न्यास ने वल्लारपदम स्थित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के विकास के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्ताव पर निर्णय यथा समय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन सुविधायें

538. **श्री राजो सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में टेलीफोन और एस.टी.डी. सुविधा वाले गांवों की जिलेवार संख्या कितनी है;

(ख) कितने गांवों में ये सुविधायें अब भी उपलब्ध कराई जानी शेष हैं;

(ग) बिहार के सभी गांवों में ये सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) आज की स्थिति के अनुसार बिहार के 37,051 गांवों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सभी एक्सचेंजों में एस टी डी सुविधा उपलब्ध है और ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के उपभोक्ताओं/अभिरक्षकों को मांग पर एसटीडी कनैक्शन दिया जा सकता है।

(ख) से (घ) सुविधारहित शेष सभी 1,424 गांवों को दिसंबर, 2002 तक दूरसंचार सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है बशर्ते कि ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) हेतु अभिरक्षक उपलब्ध हों।

विवरण

बिहार के उन गांवों की संख्या जहां टेलीफोन प्रदान कर दिए गए हैं

जिले का नाम	टेलीफोन सुविधा-युक्त गांवों की संख्या
1	2
बक्सर	808
भोजपुर	988
पश्चिम चम्पारन	1335
बांका	1518
भागलपुर	998
छपरा	1555
गोपालगंज	1371
सिवान	1428
दरभंगा	1063
मधुबनी	1029
अरबल	383
औरंगाबाद	1654
जहानाबाद	421
गया	2464
नवादा	475
वैशाली	1400
कटिहार	1184
अररिया	598
पूर्णिया	1028
किशनगंज	712
खगड़िया	241
बेगूसराय	686
पूर्वी चम्पारन	1275
मुंगेर	504
जमुई	1240
लखीसराय	344
शेखपुरा	224
मुजफ्फरपुर	1702
शिवहर	177
सीतामढ़ी	771
पटना	1284
नालंदा	999
सहरसा	430
सुपौल	502
मधेपुरा	366
समस्तीपुर	1061
सासाराम	1652
भभुआ	1181
कुल जोड़	37051

[अनुवाद]

एक करोड़ नौकरियों के सृजन हेतु आमूल सुधार

539. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दस वर्षों में प्रति वर्ष 1 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों के सृजन संबंधी प्रधानमंत्री के निर्देश को पूरा करने के लिए योजना आयोग के एक पैनल ने गैर-कारपोरेट और कृषि क्षेत्र में विपणन, प्रशिक्षण और ऋण के संबंध में आमूल सुधार की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अनुपालन में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री

तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा गठित रोजगार अवसरों संबंधी कार्य दल ने विपणन, प्रशिक्षण इत्यादि क्षेत्रों में अगले 10 वर्षों में प्रतिवर्ष 10 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों के सृजन के लिए विस्तृत सिफारिशें की हैं। इस रिपोर्ट की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) कार्य दल की सिफारिशें भावी दस वर्षों की मध्यावधि के लिए की गई थी और इसमें व्यापक नीति सुधारों को शामिल किया जाना था। तदन्तर, इन सिफारिशों की जांच विशेष दल द्वारा की गई (दसवीं योजना अवधि में प्रतिवर्ष 1 करोड़ रोजगार अवसरों की लक्ष्य प्राप्ति संबंधी विशेष दल) जिसका गठन नीतियों का सुझाव देने के लिए किया गया जिससे दसवीं योजना अवधि के भीतर ही परिणाम मिल सकेंगे। विशेष दल की रिपोर्ट को केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के विचारार्थ अग्रेषित कर दिया गया है।

अभिघात केन्द्र

540. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में सभी सरकारी अस्पतालों में अभिघात केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन अस्पतालों के नाम क्या हैं जहां अभिघात केन्द्र हैं और सिर की चोट वाले मरीजों के इलाज हेतु इनमें से प्रत्येक अस्पताल में कितने स्नायु शल्य चिकित्सक हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे अस्पतालों में स्नायु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आज की स्थिति के अनुसार, दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोई अलग ट्रोमाकेन्द्र उपलब्ध नहीं है। वैसे, सफदरजंग अस्पताल और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ट्रोमा रोगियों सहित दुर्घटना और आपाती सेवाएं प्रदान करने के लिए सुसज्जित हैं। सफदरजंग अस्पताल और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में न्यूरो-शल्य चिकित्सकों की संख्या नीचे दी गई है:-

सफदरजंग अस्पताल	–	4
डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	–	4

(घ) उपरोक्त 8 मदों में से तीन पद तदर्थ आधार पर भरे हुए हैं। इन पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को मांग भेजी गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने इन पदों को विज्ञापित कर दिया है।

आंकड़ों को सुरक्षित रखने संबंधी अधिनियम

541. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आंकड़ों को सुरक्षित रखने हेतु अधिनियम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में आंकड़ा संरक्षण के लिए उपयुक्त विधान तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इसकी रिपोर्ट सितम्बर/अक्टूबर 2002 तक पूरी होने की उम्मीद है।

ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवायें

542. श्री राम सिंह राठवा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बीच काफी असमानता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस असमानता को पाटने और ग्रामीण क्षेत्रों में और स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सरकार को देश में ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में कमी की जानकारी है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं की स्थापना के अलावा इनका प्रबंधन भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तदनुसार राज्यों को अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करने की सलाह दी जा रही है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों को इन केन्द्रों के काम-काज में सुधार के लिए सहायता हेतु विभिन्न तरीकों से, निम्न प्रकार से कदम उठा रही है:-

(1) राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के अंतर्गत कुछ राज्यों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों का उन्नयन किया जा रहा है और इन्हें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अच्छे गुण स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु सुसज्जित किया जा रहा है।

(2) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना/आधारभूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत, जन स्वास्थ्य अवसंरचना की मरम्मत और नवीनीकरण हेतु, औषधों के क्रय और आवश्यक उपभोज्य वस्तुओं और आकस्मिकताओं इत्यादि हेतु तथा परिचर्या की गुणवत्ता के सुधार के लिए धन जारी किया जा रहा है।

(3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अवसंरचना की प्रदायगी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता के साथ क्षेत्र विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(4) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

* प्रथम रैफरल इकाई, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या और उप-केन्द्र स्तर के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु उपकरणों/दवाइयों/वैक्सीनों का प्रावधान।

* आपरेशन कक्ष/लेजर कक्ष/जल एवं विद्युत सप्लाई के उन्नयन के लिए मरम्मत/निर्माण हेतु मुख्य सिविल कार्य।

* संज्ञाहरण विज्ञानियों/स्त्री रोग विज्ञानियों/सुरक्षित मातृत्व परामर्शदाताओं/स्टाफ-नर्सों/प्रयोगशाला तकनीशियनों/अतिरिक्त ए.एन.एम. इत्यादि को संविदा पर रखने/नियुक्तियां करने/किराए पर लेने हेतु वित्तीय सहायता।

* ए.एन.एम. और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों की क्षमता निर्माण हेतु दक्षता-आधारित सेवारत प्रशिक्षण।

* ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य शिविरों, आऊटरीच-सेवा-योजना और बहुत से कार्यक्रमों यथा-नवजात परिचर्या कार्यक्रम, दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं हेतु अनुकूलतम पहुंच के लिए योजनाएं।

कर्नाटक में सी.जी.एच.एस. औषधालय

543. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सी.जी.एच.एस. औषधालयों की बहुत कम संख्या के मद्देनजर प्रमुख शहरों में सी.जी.एच.एस. औषधालयों की स्थापना का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने राज्य में नये औषधालयों की स्थापना हेतु कोई कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मुख्यालय को इस संबंध में कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्नाटक राज्य में बंगलौर ही एक ऐसा शहर है जहां वर्तमान में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

संसाधनों और कार्मिक शक्ति की कमी के कारण फिलहाल कर्नाटक राज्य में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के और औषधालय खोलना संभव नहीं होगा।

जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक

544. श्री सुबोध मोहिते: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में जेनेवा में सम्पन्न हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो बैठक के मुख्य निष्कर्ष क्या थे;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नई स्वास्थ्य नीति में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) जी, हां। भारत ने मई, 2002 में जेनेवा में सम्पन्न हुई 55वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा किया गया। 55वीं विश्व स्वास्थ्य विभाग का कार्यवृत्त मिलने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

इस्पात संयंत्रों का कार्य-निष्पादन

545. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के अंतर्गत प्रत्येक इस्पात संयंत्र का वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन क्या रहा है और इसकी लक्ष्य उपलब्धियां क्या रही हैं;

(ख) दसवीं योजनावधि के दौरान उनमें से प्रत्येक को लाभप्रद बनाने हेतु क्या-क्या कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं और उनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि के निवेश की योजना बनाई गई है;

(ग) क्या इस्पात संयंत्रों के पुनरुत्थान हेतु श्रम शक्ति को कम किया जाना आवश्यक समझा गया है;

(घ) प्रत्येक संयंत्र में आज तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) के अंतर्गत अथवा अन्य कारणों से कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है;

(ङ) क्या कुछ समय पूर्व राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि खर्च की गई थी; और

(च) यदि हां, तो उक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है और किन-किन मदों पर धनराशि खर्च की गई थी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के इस्पात संयंत्रों का वास्तविक और वित्तीय निष्पादन निम्नलिखित है:-

वास्तविक निष्पादन

विक्रेय इस्पात : हजार टन

संयंत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
बीएसपी	3270	3410.6	3500	3307.2	3450	3382.3
डीएसपी	1532	1402.0	1520	1495.8	1510	1527.1
आरएसपी	1238	1170.3	1490	1294.4	1450	1353.7
बीएसएल	3210	3246.2	3430	3312.7	3310	3200.1
एएसपी	70	83.2	90	78.6	85	84.4
एसएसपी	120	148.4	120	129.3	105	62.5
वीआईएसपी	60	69.1	65	85.0	90	86.7
सेल	9500	9530	10215	9703	10000	9697

वित्तीय निष्पादन :

(करोड़ रुपए)

संयंत्र/इकाई	निवल लाभ (+)/हानि(-) 1999-2000		निवल लाभ (+)/हानि(-) 2000-2001		निवल लाभ (+)/हानि(-) 2001-2002 (अनंतिम)	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
बीएसपी	+155	+92	+198	+342	+301	+477
डीएसपी	-414	-651	-430	-236	-272	-262
आरएसपी	-577	-704	-439	-445	-258	-1036
बीएसएल	+165	-120	+258	+49	+338	-459
एएसपी	-63	-260	-59	-184	-89	-149
एसएसपी	-151	-142	-110	-155	-122	-153
वीआईएसपी	-33	-91	-38	-68	-26	-103
अन्य केन्द्रीय इकाईयां/कार्यालय	+118	-84	-80	-32	-22	-22
सेल	-800	-1720	-700	-729	-150	-1707

(ख) दसवीं योजनावधि के दौरान सेल द्वारा कुल 5000 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की योजना है जिसके लिए धन की व्यवस्था सेल स्वयं करेगा। इकाई-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

इकाई	करोड़ रुपए
बीएसपी	1340
डीएसपी	786
आरएसपी	924
बीएसएल	1543
अन्य	407
योग	5000

कार्बन इस्पात उत्पादन के महत्वपूर्ण कारोबार पर ध्यान केन्द्रित करने सहित इस निवेश से कंपनी की लाभप्रदता में सुधार होगा।

(ग) और (घ) सेल ने कर्मचारियों की छंटनी नहीं की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत पृथक किए गए कर्मचारियों का संयंत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

संयंत्र/इकाई	1999-2000	2001-2002
बीएसपी	3397	1354
डीएसपी	3184	413
आरएसपी	2619	1251
बीएसएल	1233	1611
एएसपी	1529	410
एसएसपी	61	69
आरएमडी	1004	1000
सीएमओ	470	203
आरडीसीआईएस	37	104
सीईटी	16	30
एमटीआई	8	21
सीओ	59	44
योग	13617	6510

*2000-2001 के दौरान कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नहीं थी

(ङ) और (च) राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर 3964.03 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत शुरू की गई कुछ प्रमुख योजनाएं सिंटर संयंत्र-II, बी ओ एफ शाप, एस एम एस-I और II में सतत ढलाई शाला और प्लेट मिल तथा तप्त मिल का संशोधन आदि थीं।

[हिन्दी]

टेक्निशियन की गलती

546. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में दिनांक 4 जून, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा में ''नशे में धुत टैक्निशियन ने आक्सीजन रोकी, डेढ़ दर्जन बच्चे मौत के मुंह में जाते जाते बचे'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अस्पतालों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों से प्राप्त सूचना के अनुसार कलावती सरण बाल अस्पताल में दिनांक 2.6.2002 को प्रात: काल (2.30 पूर्वाह्न) लगभग 4-5 मिनट के लिए आक्सीजन की आपूर्ति भंग होने का पता चलते ही तत्काल किसी भी मौत को रोकने के लिए वार्डों/यूनिटों में उपलब्ध आक्सीजन के सिलिंडरों को चालू कर दिया गया था। यह रूकावट केन्द्रीकृत आक्सीजन आपूर्ति यूनिट में ड्यूटी पर तैनात पाइपलाइन आपरेटर की लापरवाही के कारण हुई जिसे नशे की हालत में पाया गया। उसे तत्काल निलम्बित कर दिया गया। इसके अलावा, अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में उसे प्रमथ दृष्टया दोषी पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध विभागीय जांच की गई।

(ग) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों ने सूचित किया है कि आई.सी.यू., वार्डों आदि जैसे उनके विशिष्ट क्षेत्रों में उपलब्ध अतिरिक्त आक्सीजन सिलिण्डरों को ऐसी घटना के समय चालू कर दिया जाता है। इसके अलावा, मेनिफोल्ड कक्ष के कार्यकरण की मानीटरिंग करने और नियमित अंतराल पर आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तैनात किया जाता है।

[अनुवाद]

कैंसर, हृदय और गुर्दा संबंधी रोगों का उपचार

547. श्री मोहन रावले:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कैंसर, हृदय और गुर्दा के रोगियों की संख्या में दिनोदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार के अस्पतालों में उनके विशेष उपचार हेतु नवीनतम उपकरण उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ये उपचार गरीब और मध्यवर्गीय लोगों के लिए अत्यधिक खर्चीले हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना है कि इन रोगियों को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों/संस्थानों में सामान्य लागत पर उपचार उपलब्ध कराया जाए; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के पास उपलब्ध राष्ट्रीय कैंसर पंजीयन कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार कैंसर के रोगियों की संख्या में थोड़ी किन्तु नगण्य वृद्धि हुई है। वैसे, दिल एवं गुर्दे के रोगियों से संबंधित कोई आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते।

(ख) स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। तथापि, कैंसर दिल तथा गुर्दे के रोगियों के उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कालेजों में सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस मंत्रालय ने कार्डियो-वास्कुलर रोगों के निवारण, जागरूकता, शीघ्र पहचान तथा उपचार के लिए कार्डियो-वास्कुलर रोग/आघात से संबंधित एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया था। इस परियोजना को इसके प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्यकलापों के साथ मिला दिया गया है।

देश भर में गुर्दे से संबंधित रोगों की शीघ्र पहचान तथा उपचार के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र की द्वितीयक एवं तृतीयक परिचर्या वाले अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत यह मंत्रालय निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिसके लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

1. सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में अर्बुदविद्या (आंकोलाजी) विंग का विकास।
2. कोबाल्ट थिरेपी एकक की स्थापना करना।
3. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता देना।

(ग) से (ङ) गरीब रोगियों हेतु इन बीमारियों के लिए उपचार की सुविधाएं केन्द्रीय और राज्य सरकारी अस्पतालों में नाममात्र के शुल्कों पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त इस मंत्रालय की राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि नामक एक योजना है जिसके तहत गंभीर रोगों जैसे कैंसर, कार्डियाक समस्याओं और गुर्दों के रोगों जिसमें अतिविशिष्टता वाले अस्पताल में उपचार किया जाना अपेक्षित है और जिन पर अत्यधिक व्यय होता है, जो सामान्यत: गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले बड़ी संख्या में लोगों के साधनों से परे हैं, से ग्रस्त गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

(रुपए करोड़ में)

		1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
1.	अर्बुद विद्या विंग का विकास	4.76	7.79	9.59	8.70	18.15
2.	कोबाल्ट योजना	5.00	3.20	7.37	11.62	11.14
3.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता	9.60	18.13	16.06	27.00	11.32

डाकघरों में कर्मचारियों की कमी

548. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में विभिन्न डाकघरों में लंबे समय से कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आवश्यक संख्या में कर्मचारियों को कब तक पदस्थापित किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) डाक विभाग के गुजरात सर्किल में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, इस्तीफे आदि से होने वाली रिक्तियों के कारण स्टाफ की सामान्य कमी है।

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती की कार्रवाई एक अनवरत प्रक्रिया है। पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया चल रही है तथा इन रिक्त पदों को यथासमय भर दिया जाएगा। जहां तक सीधी भर्ती का संबंध है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/8/2001-पीआईसी दिनांक 16.5.2001 में ये निदेश दिए हैं कि सीधी भर्ती के रिक्त पद वर्ष के दौरान सीधी भर्ती के लिए होने वाली रिक्तियों के एक तिहाई की सीमा तक स्क्रीनिंग कमेटी के अनुमोदन के पश्चात् भरा जाए बशर्ते कि यह विभाग की कुल स्वीकृत संख्या के एक प्रतिशत से ज्यादा न हों। स्क्रीनिंग कमेटी ने इस विभाग के लिए वर्ष 2000 एवं 2001 के लिए सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों का अनुमोदन कर दिया है। भर्ती की कार्रवाई चल रही है तथा स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित सीधी भर्ती के रिक्त पदों को यथासमय भर दिया जाएगा।

संघ लोक सेवा आयोग

549. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **प्रधान मंत्री** 29 अगस्त, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 540 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रो. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समिति की मुख्य सिफारिशें, सिविल सेवा-परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की पात्रता से संबद्ध मापदण्डों, प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षाओं की योजनाओं, व्यक्तित्व-परीक्षण, सेवाओं के आबंटन और सेवा में प्रवेश के पश्चात् सेवाओं में आने वाले अधिकारियों के प्रशिक्षण और उनके प्रबंधन के मुद्दों जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। सरकार को मिली इस समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

दूरसंचार संबंधी उत्पादन में कमी

550. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई स्थित दूरसंचार कारखानें में उत्पादन में कमी आई थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित किये गये लक्ष्यों और हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उत्पादन के स्तर को बढ़ाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान बड़े उत्पादों के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	लक्ष्य (करोड़ रु. में)	उपलब्धि (करोड़ रु. में)
1999-2000	80.00	72.27
2000-2001	90.00	79.63
2001-2002	76.00	72.14

(ग) दूरसंचार फैक्ट्रियां बीएसएनएल की आंतरिक उत्पादन इकाइयां है जो केवल निम्न प्रौद्योगिकी की मदों का उत्पादन करती हैं। बीएसएनएल को निजी आपरेटरों से मिल रही प्रतिस्पर्द्धा तथा आधुनिकीकरण एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी के प्रयोग की आवश्यकता को देखते हुए, फैक्ट्री उत्पादों की मांग में कमी आ रही है। बीएसएनएल नये उत्पाद शुरू करने की व्यवहार्यता तलाश रहा है और इस क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान आप्टिकल फाइबर की सहायक सामग्री के विनिर्माण का निर्णय पहले ही ले लिया गया है।

एमटीएनएल द्वारा सेल्यूलर और डब्ल्यू.एल.एल. नेटवर्क

551. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) का विचार दिल्ली और मुंबई में अपने सेल्युलर और वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) नेटवर्क का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो सेल्युलर और वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) में उपलब्ध लाइनों की संख्या कितनी है;

(ग) इन लाइनों की संख्या में कब तक वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इसमें अनुमानत: कितनी लागत आएगी और क्या सरकार का विचार इन दोनों सेवाओं हेतु शुल्क में कमी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा क्षमता नीचे दिए अनुसार है:-

	नई दिल्ली	मुंबई
जीएसएम (ग्लोबल सिस्टम मोबाइल)	1 लाख	1 लाख
डब्ल्यू एल एल (वायरलेस इन लोकल लूप)	50,000	50,000

(ग) बढ़ाये जाने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता तथा इन्हें कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है, इसका विवरण नीचे दिया गया है:-

	नई दिल्ली	मुंबई
जी एस एम	1.25 लाख दिसंबर, 02 तक	1.25 लाख दिसंबर, 02 तक
डब्ल्यू एल एल	1 लाख फरवरी, 03 तक	1 लाख फरवरी, 03 तक

(घ) और (ङ) अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने में अंतर्निहित अनुमानित लागत नीचे बताए गए अनुसार होगी:

	नई दिल्ली	मुंबई
जी एस एम	46.4 करोड़	56.2 करोड़
डब्ल्यू एल एल	85 करोड़	95 करोड़

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार डब्ल्यू एल एल सेवा हेतु किराया पहले ही 450 रु. प्रति माह से कम करके 200 रु. प्रति माह कर दिया गया है। (हैंडसेट हेतु 50 रु. अलग से) सेल्यूलर सेवा के लिए इस समय टैरिफ बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

त्वरित पासपोर्ट सेवा

552. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'त्वरित पासपोर्ट सेवा' दिल्ली में असफल हो गई है और अन्य स्थानों पर भी इसकी शुरूआत में विलंब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं। नामित स्पीड पोस्ट केन्द्रों में पासपोर्ट आवेदन-पत्र जमा कराने की योजना का शुभारंभ 5 मार्च, 2001 से किया गया। दिल्ली में 6 डाकघर पासपोर्ट आवेदन-पत्र स्वीकार कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. के यूनानी औषधालय

553. श्री अमर रायप्रधान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के अलावा दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सभी चिकित्सा पद्धतियों के सी.जी.एच.एस. के औषधालयों/इकाइयों में स्थानीय खरीद प्रणाली अपनाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रणाली को दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सी.जी.एच.एस. की यूनानी औषधालयों/इकाइयों में कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत यूनानी पद्धति की औषधियों की स्थानीय खरीद की प्रणाली दिनांक 18.4.2002 से शुरू की गई है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

पहाड़ी क्षेत्रों में घोड़ों और खच्चरों का प्रयोग

554. डा. (श्रीमती) अनिता आर्य: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्यटन हेतु पहाड़ी क्षेत्रों में घोड़ों और खच्चरों का उनके मालिक द्वारा दुरूपयोग होता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी हां, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन हेतु घोड़ों और खच्चरों के दुरूपयोग से संबंधित रिपोर्टें समय-समय पर प्राप्त होती रहती है।

(ख) जिला प्रशासनों और स्थानीय निकायों द्वारा इन मामलों में समुचित कार्रवाई की जाती है।

बाल स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम

555. श्री भीम दाहाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को बाल स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान आबंटित धनराशि का इन राज्यों द्वारा पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए धन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है। इस धनराशि में बाल स्वास्थ्य के लिए निर्मुक्तियां भी शामिल हैं। बाल स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकलाप, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक भाग है। बाल स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकलापों के लिए विशेष रूप से अलग से कोई निर्मुक्तियां नहीं की जाती हैं।

(ख) से (घ) राज्यों को उपलब्ध कुल नकद अनुदान में से लगभग 46 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया जिसका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। कम उपयोग के कारण निम्नलिखित हैं:- (1) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य शिविरों, दाई प्रशिक्षण, आउटरीच के सुदृढ़ीकरण जैसी कुछ स्कीमों के परिचालन में विलंब, (2) बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा, मेघालय, तमिलनाडु आदि जैसे राज्यों में कार्यकलापों का मंदगति से चलना, (3) लंबी प्रापण प्रक्रियाएं जिनसे स्टाफ की भाड़े पर रखने और प्रापण को पूरा करने में मुश्किल होती है और राज्यों द्वारा अपेक्षाकृत कम मानीटरिंग और पर्यवेक्षण होता है। इसके अतिरिक्त पी.पी.आई. (पल्स पोलियो प्रतिरक्षण) कार्यकलापों के तीव्रीकरण से इस अवधि के दौरान अन्य प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यकलापों की ओर से ध्यान कुछ हट गया है।

स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश प्रदान करने के अतिरिक्त, स्कीमों की विशेषताएं समझाने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकारियों और परामर्शदाताओं को भेजा जा रहा है। कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बना दिया गया है और विकेन्द्रीकृत किया गया है। स्कीमों के बारे में फील्ड कार्मिकों को अवगत करने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों आदि राज्यों में संयुक्त समीक्षाएं आयोजित की गई हैं। राज्यों को प्रजनन और बाल स्वास्थ्य स्कीम के बारे में अपने जिला प्राधिकारियों को समझाने और दिशा-निर्देश देने के लिए सक्षम बनाने हेतु समीक्षा बैठकें आयोजित करने हेतु धन सुलभ किया गया है। राज्यों के कार्यनिष्पादन की नियमित समीक्षा भी राष्ट्रीय तौर पर की जा रही है और दिशानिर्देश प्रदान किए जा रहे हैं।

विवरण-I

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-नकद और सामग्री रूपी आबंटन के ब्यौरे

(रुपए लाख में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000			2000-01			2001-02			महायोग
		वस्तुगत	नकद	योग	वस्तुगत	नकद	योग	वस्तुगत	नकद	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	2280.24	1961.98	4242.22	2488.26	1662.15	4150.41	2555.30	2026.72	4582.02	12974.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	98.79	155.24	254.03	121.45	175.72	297.16	154.98	135.26	290.24	841.43
3.	असम	1297.92	727.83	2025.75	1632.12	474.86	2106.98	1308.94	1222.93	2531.87	6664.60
4.	बिहार	4704.37	1385.88	6090.25	5469.56	2711.64	8181.20	4867.76	1676.45	6544.21	20815.67
5.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	449.35	449.35	486.35
6.	गोवा	43.71	41.11	84.82	107.67	10.40	118.07	45.66	22.08	67.74	270.62
7.	गुजरात	1805.25	726.28	2531.53	2260.26	983.39	3243.65	1936.03	7438.20	9374.23	15149.41
8.	हरियाणा	691.63	895.38	1587.01	1028.44	1664.30	2692.74	880.23	1222.35	2102.58	6382.33
9.	हिमाचल प्रदेश	216.87	312.48	529.35	327.66	427.02	754.68	289.97	278.97	568.94	1852.97
10.	जम्मू और कश्मीर	388.82	346.54	735.36	466.42	555.39	1021.81	442.00	321.30	763.30	2520.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	कर्नाटक	1587.55	537.58	2125.13	2077.70	1671.15	3748.85	2055.00	1186.39	3241.39	9115.36
12.	केरल	908.23	764.87	1673.10	1301.07	1217.74	2518.81	907.88	770.43	1678.31	5870.22
13.	मध्य प्रदेश	3633.27	1836.42	5469.69	3708.37	3553.34	7261.71	2656.67	1295.96	3952.63	16684.04
14.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	314.10	314.10	0.00	844.07	844.07	1158.17
15.	महाराष्ट्र	3273.53	1403.87	4677.40	3464.77	1256.71	4721.48	3331.47	1931.91	5263.38	14662.26
16.	मणिपुर	138.44	500.98	639.42	95.08	421.71	516.79	194.66	660.86	855.52	2011.73
17.	मेघालय	148.52	107.84	256.36	125.79	65.64	191.43	193.93	128.28	322.21	770.00
18.	मिजोरम	43.53	563.80	607.33	55.75	729.58	785.33	67.31	722.99	790.30	2182.96
19.	नागालैंड	96.48	145.78	242.26	77.58	146.96	224.54	133.01	116.51	249.52	716.32
20.	उड़ीसा	1387.12	1132.50	2519.62	1205.60	1524.79	2730.39	1655.66	1871.10	3526.76	8776.77
21.	पंजाब	861.70	426.26	1287.96	852.84	686.25	1539.09	928.38	616.63	1545.01	4372.06
22.	राजस्थान	2537.67	1255.65	3793.32	2877.31	2313.58	5190.89	2532.43	2959.83	5492.26	14476.47
23.	सिक्किम	48.34	49.78	98.12	31.29	43.07	74.36	58.36	57.30	115.66	288.14
24.	तमिलनाडु	1563.99	1475.36	3039.35	1095.89	2373.39	3469.28	2002.78	540.00	2452.78	9051.41
25.	त्रिपुरा	151.71	255.43	407.14	176.34	166.18	342.52	192.67	450.28	642.95	1392.61
26.	उत्तर प्रदेश	7558.30	3990.12	11548.42	8595.57	4654.45	13250.02	9567.68	7234.00	16801.68	41600.12
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	208.59	208.59	0.00	409.98	409.98	618.57
28.	पश्चिम बंगाल	2576.80	1455.89	4032.69	2459.93	2073.46	4533.39	3118.51	1931.32	5049.83	13615.91
29.	अं. और निको. द्वी. समूह	25.52	33.57	59.09	18.29	31.04	49.33	18.02	35.62	53.64	162.06
30.	चंडीगढ़	21.38	43.07	64.45	38.37	117.61	155.98	26.81	23.20	50.01	270.44
31.	दादरा एवं नगर हवेली	10.43	26.43	36.86	11.41	3.88	15.29	13.15	11.02	24.17	76.32
32.	दमन और दीव	8.35	32.05	40.40	5.44	4.87	10.31	8.18	8.61	16.79	67.50
33.	दिल्ली	354.68	127.31	481.99	458.10	311.22	769.32	367.17	297.60	664.77	1916.08
34.	लक्षद्वीप	6.81	28.72	35.53	3.90	21.44	25.34	10.56	9.87	20.43	81.30
35.	पांडिचेरी	25.36	49.28	74.64	28.43	21.79	50.22	29.13	21.58	50.71	175.56
	योग	38495.31	22795.27	61290.58	42666.66	32634.40	75301.06	42550.29	38928.95	81479.24	218070.88

आंकड़े अनंतिम

विवरण-II

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-निधियों के उपयोग की स्थिति

(रुपए लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पिछले वर्षों का बकाया	99-02 के दौरान विमुक्तियां	निधियों की उपलब्धता	व्यय	व्यय, उपलब्धता के % के रूप में
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1184.02	5650.86	6834.88	3560.25	52.09%
अरुणाचल प्रदेश	356.85	466.21	823.06	551.72	67.03%
असम	441.27	2425.62	2866.89	1418.18	49.47%
बिहार	1057.53	5773.98	6831.51	2626.10	38.44%
झारखण्ड	0.00	486.35	486.35	0.00	0.00%
गोवा	64.35	73.59	137.94	83.01	60.18%
गुजरात	1412.14	9147.86	10560.00	2009.68	19.03%
हरियाणा	957.98	3782.03	4740.01	2506.37	52.88%
हिमाचल प्रदेश	540.01	1018.47	1558.48	837.71	53.75%
जम्मू और कश्मीर	342.40	1223.22	1565.62	756.91	48.35%
कर्नाटक	878.04	3395.11	4273.16	2709.28	63.40%
केरल	999.23	2753.04	3752.27	1905.09	50.77%
मध्य प्रदेश	1695.14	6685.72	8380.87	3722.70	44.42%
छत्तीसगढ़	0.00	1158.17	1158.17	0.00	0.00%
महाराष्ट्र	523.83	4592.49	5116.32	1853.80	36.23%
मणिपुर	118.83	1583.55	1702.38	576.98	33.89%
मेघालय	184.98	301.77	486.75	222.87	45.79%
मिजोरम	146.23	2016.37	2162.60	1806.28	83.52%
नागालैंड	106.34	409.25	515.59	432.24	83.83%
उड़ीसा	746.12	4528.39	5274.51	1433.49	27.18%
पंजाब	552.15	1729.14	2281.29	1198.30	52.53%
राजस्थान	1415.00	6529.06	7944.06	2945.13	37.07%
सिक्किम	60.26	150.15	210.42	104.64	49.73%

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु	744.21	4388.75	5132.96	1833.99	35.73%
त्रिपुरा	181.74	871.89	1053.63	543.80	51.61%
उत्तर प्रदेश	4056.49	15878.57	19935.06	13037.20	65.40%
उत्तरांचल	0.00	618.57	618.57	0.00	0.00%
पश्चिमी बंगाल	696.25	5460.67	6156.93	3600.38	58.48%
अंदमान और निकोबार द्वीप	43.25	100.23	143.48	86.75	60.46%
चंडीगढ़	27.49	183.88	211.37	54.33	25.71%
दादरा और नागर हवेली	25.98	41.33	67.31	32.73	48.63%
दमन और दीव	41.27	45.53	86.80	26.41	30.43%
दिल्ली	195.22	736.13	931.35	243.24	26.12%
लक्षद्वीप	41.76	60.03	101.79	36.21	35.57%
पांडिचेरी	82.94	92.64	175.58	108.61	61.86%
योग	19919.30	94358.62	114277.92	52864.40	46.26%

आंकड़े अनंतिम

[हिन्दी]

रूस द्वारा यूरेनियम की बिक्री

556. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 9 जून, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित समाचार के अनुसार अमेरिका ने भारत के परमाणु बिजली संयंत्रों हेतु रूस द्वारा यूरेनियम ईंधन की बिक्री का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के परमाणु बिजली संयंत्रों के लिए यूरेनियम ईंधन की आपूर्ति को सुनिश्चित बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) सरकार ने अमीरका द्वारा नाभिकीय आपूर्तिकर्त्ता समूह के भीतर, जिसके दोनों सदस्य हैं, भारत के लिए रूस की यूरेनियम ईंधन आपूर्ति के बारे में रूस से विरोध करने संबंधी खबरें देखी हैं। तथापि, भारत सरकार से कोई शिकायत नहीं की गई है।

(ग) सरकार ने भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए नाभिकीय ईंधन की आपूर्ति संबंधी पर्याप्त व्यवस्था की हुई हैं।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद

557. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं और दसवीं योजना के दौरान सभी राज्यों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं योजना के दौरान सभी राज्यों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के संबंध में वास्तविक आंकड़े एकत्र किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वृद्धि दर लक्ष्य के अनुरूप थी;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा दसवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की लक्षित विकास दर समग्र रूप से पूरे देश के लिए औसत रूप से 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित की गयी थी। राज्य-वार विकास लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में राष्ट्र के लिए 8 प्रतिशत वार्षिक औसत विकास लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। राज्य-वार विकास लक्ष्य हासिल करने की भी प्रतिबद्धता की गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी संबंधी कार्य चल रहा है।

(ग) और (घ) जी हां, वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 1993-94 के स्थिर मूल्यों पर अनुभूत राज्य-वार सकल राज्य घरेलू उत्पाद विकास (जीडीपी) दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) और (च) राज्यों में प्राप्त की गई विकास दर की तुलना लक्ष्य से नहीं की जा सकती, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(छ) दसवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

स्थिर मूल्यों (1993-94) पर जीएसडीपी की विकास दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 से 1999-2000
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4.4%
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.1%
3.	असम	2.5%
4.	बिहार	5.0%
5.	गोवा	उपलब्ध नहीं
6.	गुजरात	2.3%
7.	हरियाणा	4.6%
8.	हिमाचल प्रदेश	6.5%
9.	जम्मू और कश्मीर	5.5%
10.	कर्नाटक	8.2%
11.	केरल	5.5%
12.	मध्य प्रदेश	4.6%
13.	महाराष्ट्र	5.1%
14.	मणिपुर	6.8%
15.	मेघालय	6.3%
16.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं
17.	नागालैण्ड	उपलब्ध नहीं
18.	उड़ीसा	6.3%
19.	पंजाब	4.7%
20.	राजस्थान	3.7%
21.	सिक्किम	9.6%
22.	तमिलनाडु	7.2%
23.	त्रिपुरा	8.4%
24.	उत्तर प्रदेश	4.2%
25.	पश्चिम बंगाल	7.6%
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	उपलब्ध नहीं
27.	चंडीगढ़	10.8%
28.	दिल्ली	10.5%
29.	पांडिचेरी	15.3%
	अखिल भारतीय जीडीपी	5.8%

चिकित्सा संस्थानों द्वारा पशुओं पर किए जा रहे प्रयोग

558. **श्रीमती प्रेनीत कौर:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे चिकित्सा संस्थानों की संख्या कितनी है जो अपने पशुघरों में उपलब्ध पशुधन से पशुओं पर चिकित्सा अनुसंधान संबंधी प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या इन पशुओं को सही ढंग से रखा जा रहा है और उनकी जांच की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर, उत्तर प्रदेश में आठ चिकित्सा संस्थान है। इन आठ संस्थानों में से, चार संस्थानों में पशुघर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) पशुघरों में पशुओं के सही ढंग से रख रखाव की जांच मेडिकल कालेज प्राधिकारियों तथा संबंधित राज्य सरकारों के चिकित्सा शिक्षा विभाग और पशुओं पर प्रयोग नियंत्रण व पर्यवेक्षण समिति (सीपीसीएसईए) द्वारा गठित संस्थागत पशु आचार नीति समितियों द्वारा की जा रही है।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों का कार्यकरण

559. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सी.जी.एच.एस. औषधालयों के असंतोषजनक कार्यकरण और लाभार्थियों हेतु औषधियों की खरीद में केमिस्ट और औषधालय के कर्मचारियों के बीच सांठगांठ की शिकायतें मिलती रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के काम-काज के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ मामलों में उत्तर भेजे गए हैं और उन्हें बंद कर दिया गया है। तथापि, कुछ मामलों में शिकायतें जांच किए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और जब अंतिम निर्णय लिया जाता है, आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और शिकायतकर्त्ता को विधिवत सूचित कर दिया जाता है।

पाकिस्तान की प्रतिबद्धता

560. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री ब्रह्मानंद मंडल:
श्री अधीर चौधरी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तानी राष्ट्रपति द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने आतंकवादी शिविरों को बंद करने और सीमा रेखा के पार से घुसपैठ रोकने संबंधी वादा करने से मना किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन देशों से परामर्श किया है जिन्होंने भारत को पाकिस्तानी राष्ट्रपति को वादे का संदेश पहुंचाया था;

(ग) यदि हां, तो इस पर इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त मुद्दों पर पाकिस्तान के बदलते रूख से उपजी परिस्थितियों से मुकाबला करने हेतु क्या राजनयिक प्रयास किये जा रहे है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) 22 जून, 2002 को न्यूजवीक को दिये गये साक्षात्कार के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ ने स्थायी रूप से सीमा-पार घुसपैठ रोकने की अपनी वचनबद्धता से पीछे हटने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि नियंत्रण सीमा के आस-पास ''वर्षों तक कोई घटना'' नहीं घटेगी अथवा आतंकवादी अड्डों को बंद किया जाएगा।

(ख) और (ग) परिणामस्वरूप, अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्यूजवीक साक्षात्कार की रिपोर्टों के विपरीत जनरल मुशर्रफ ने अमरीकी विदेश उप मंत्री रिचर्ड आर्मिटेज को आश्वासन दिया कि वे स्थायी आधार पर सीमा-पार घुसपैठ पर रोक लगायेंगे। यह भी कहा गया कि जनरल मुशर्रफ

ने राष्ट्रपति जार्ज बुश, विदेश मंत्री कालिन पॉवल के साथ अपनी बातचीत में स्थायी आधार पर सीमा-पार घुसपैठ रोकने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। यूनाइटेड किंगडम ने भी जनरल मुशर्रफ द्वारा साक्षात्कार में किये गये दावे का खंडन किया।

(घ) सरकार भारत में पाकिस्तान द्वारा सीमा-पार आतंकवाद के प्रायोजन को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते रहने के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

नकली दवाएं

561. **श्री बीर सिंह महतो:**
श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री महेश्वर सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के अधिकतर राज्यों में दवा विक्रेताओं एवं निदानालयों द्वारा नकली दवाओं की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक की तारीख तक मारे गए छापों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनसे जब्त की गई नकली दवाओं की राज्य-वार मात्रा कितनी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। देश के कुछ भागों से नकली औषधियों के विनिर्माण एवं व्यापार की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ख) राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना (फीडबैक) के अनुसार केमिस्टों/विनिर्माताओं जिनके विरुद्ध घटिया किस्म की औषधियों की बिक्री करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई है, के नामों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I पर है जबकि वर्ष 2000-01 तथा दिनांक 1.4.2001 से 26.11.2001 के दौरान नकली औषधियों के विनिर्माण एवं व्यापार के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों सहित पता लगाई गई नकली औषधियों का ब्यौरा विवरण-II पर है।

(ग) चूंकि नकली औषधियों का विनिर्माण एवं बिक्री मुख्यत: एक गुप्त कार्यकलाप है, इसलिए राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं, को निम्नलिखित दिशानिर्देशों को अपनाने की सलाह दी गई है:—

1. (क) राज्य औषधि सलाहकारी समिति, जिसमें सभी पणधारी (स्टेकहोल्डर्स) भागीदार होते हैं, को स्थापित करने/फिर से सक्रिय बनाने की सिफारिश की गई है। (ख) पुलिस की सहायता से पृथक आसूचना-सह-विधिक तंत्र की स्थापना। (ग) औषधियों के नमूनों की शीघ्र विश्लेषण (घ) संदिग्ध विक्रेताओं पर नजर रखना। (ङ) फार्मास्यूटिकल उद्योगों का सहयोग प्राप्त करना (च) राष्ट्रीय औषधि सर्वेक्षण गुणवत्ता मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वेक्षण नमूनों को एकत्र करना।

2. केन्द्र सरकार ने राज्यीय प्रयोगशालाओं की औषधि परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं, इसमें बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा कम्प्यूटर नेटवर्क, जो परियोजना कार्यान्वयनाधीन है, के जरिए सूचना प्रणाली में सुधार लाना है।

3. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 12-13 जुलाई, 2001 को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद् की बैठक में नकली, अपमिश्रित तथा जाली औषधियों के विनिर्माण तथा बिक्री के खतरे से निपटने के मामले को विशेष रूप से उठाया है। यह संकल्प पारित किया गया कि अवैध कार्यकलापों की मानीटरिंग संबंधित औषधि नियंत्रण संगठन में विशेष आसूचना प्रकोष्ठ द्वारा करने के लिए तथा फार्मा उद्योग, व्यापार तथा पुलिस का सहयोग प्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

4. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने समस्या कितनी बड़ी है इसकी जांच करने तथा सुधारक उपाय का सुझाव देने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट इस माह में प्रस्तुत की जा चुकी है।

विवरण-I

उन कैमिस्टों/विनिर्माताओं के नामों को दर्शाने वाला विवरण, जिनके विरुद्ध 1999-2000 और 2000-2001 की अवधि में औषध और प्रसाधन सामग्री नियम का उल्लंघन करते हुए मानक किस्म की औषध न बेचने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई है

राज्य का नाम	क्र.सं.	कैमिस्ट का नाम	विनिर्माता का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
कर्नाटक	1.	(1) श्री काशीनाथ, प्रोप. और मै. शिवलीला मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, बागदल, जिला बीदर का अर्हक व्यक्ति	मैसर्स ब्लेस्सन कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश।	अभियोजन शुरू किया गया।
	2.	(2) डा.के.के. चंडप्पा, मैनेजिंग डायरेक्टर, और श्री के.एच. धनन्जय आई/सी आफ मै. विश्वभारती नर्सिंग होम, हनुमन्था नगर, बंगलौर	मै. लायोवक लैब, 26 जफरभोय इंड. एस्टेट, बम्बई-59 मै. ई-मार्क (आई) लि., डा. अन्नेश बसंत रोड, वरली, बम्बई-18	अभियोजन शुरू किया गया।
गोवा	3.	–	1. स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्युटिकल लि., जी 18 कन्वेंट रोड, कोलकाता	अभियोजन शुरू किया गया।
	4.	–	2. ब्राइट ड्रग इंडस्ट्रीज लि., 45-ए, सैक्टर एफ. सांवर रोड, इंदौर-452003	अभियोजन शुरू किया गया।
	5.	–	3. ओशो फार्मा प्रा.लि. अहमदाबाद, गुजरात	अभियोजन शुरू किया गया।
आंध्र प्रदेश	6.	मै. गणेश मेडिकल एजेंसीज तिरूपति और उसके पार्टनर और मै. ओमकार मेडिकल, विजयवाड़ा और उसके पार्टनर	मै. कोरटेन फार्मास्युटिकल्स, थाणे	30.12.2000 को आरोप पत्र दाखिल किया गया।
		मै. ओमकार मेडिकल विजयवाड़ा और उसके पार्टनर और मै. गणेश मेडिकल एजेंसीज, तिरूपति, मै. गणेश मेडिकल एजेंसीज, तिरूपति	मै. कोरटेन फार्मास्युटिकल्स, थाणे	अभियोजन का आदेश 30.08.2000 को दिया गया।
	7.	(1) मै. साईराम मेडिकल एजेंसीज, हैदराबाद (2) मै. श्रीरामअजन्या, मेडिकल एजेंसीज, नरसारा ओपेट	मै. साइन्बायोटिक्स लि., बड़ौदा	16.05.2000 को आरोप पत्र दाखिल किया गया।

1	2	3	4	5
		(3) मै. विनायक मेडिकल एजेंसीज, ओन्गोले (4) मै. मारूति मेडिकल एंड फेन्सी स्टोरीज, अद्दांकी (5) मै. मेडिकल एड्स फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, मलकपेटा, हैदराबाद		30.12.2000 को आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	8.	(1) मै. रेणुका मेडिकल कारपोरेशन, चिराला (2) मै. श्री एन्टरप्राइजेज, गुन्टूर (3) मै.सन राइस फार्मा गुन्टूर (4) मै. श्री बालाजी, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स, सिकन्दराबाद (5) मै. प्रसाद मेडिकल्स, चिराला (6) मै. राम मेडिकल्स, तेनाली (7) मै. विगनेश्वरा मेडिकल एजेंसीज, गुन्टूर (8) मै. च. गनाडिसेट्टी मेडिकल स्टोर्स, चिराला (9) मै. श्री देवी डिस्ट्रीब्यूटर्स, तेनाली	मै. डा. रेड्डीस लेबोरेटरीज, हैदराबाद	अभियोजन आदेश जारी किया गया।
	9.	(1) मै. साई राम मेडिकल एजेंसीज, इंदरबाग, हैदराबाद और 03 अन्य (3) मै. साई सारथ फार्मा, विजयवाड़ा	मै. कैप्सूलेशन सर्विस लि. मुम्बई द्वारा मै. ग्लैक्सो इंडिया लि.	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	10.	मै. श्रीनिवास मेडिकल एजेंसीज, तेनाली मै. श्रीवासवी फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स, हिन्दपुर और उसके पार्टनर (1) मै. श्री शिवशक्ति फार्मा, हैदराबाद (2) मै. सिलीजन फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, ओनगोले (3) मै. रगवेन्द्रा मेडिकल एजेंसीज विजयवाड़ा (4) मै. हरी किरन मेडिकल एजेंसीज, नन्दयाल	मै. जर्मन रेमेडिस, मुम्बई -तदैव- -तदैव-	अभियोजन आदेश जारी किया गया। -तदैव- -तदैव-

1	2	3	4	5
		(5) मै. भगवान मेडिकल्स, कुड्डपा (6) मै. गिरीरीज टैक्सटाइल्स, नई दिल्ली		
	11.	मै. प्रवीण एजेंसीज, इन्दरबाग, हैदराबाद	मै. स्मिथ कलाइन बीकेम एशिया प्रा.लि., मैसूर	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
		मै. साई एजेंसीज, अफजलगुन्ना, हैदराबाद	-तदैव-	अभियोजन आदेश जारी किया गया।
	12.	श्री राकेश शर्मा जामबाग, हैदराबाद	मै. कोडिला हैल्थ केयर लि., अहमदाबाद	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	13.	(1) मै. भव्य मेडिकल एजेंसीज, ओनगोले (2) मै. श्री रककृष्णा मेडिकल एजेंसीज, तेनाली (3) मै. संजीवनी मेडिसिन्स, नरसरओपेट (4) मै. साई मेड सिस्टमस, विशाखापट्टनम (5) मै. हरीका मेडिकल एजेंसीज, ओन्गोले (6) मै. आदिलक्ष्मी मेडिकल एजेंसीज, गुन्टूर	मै. कारे लैब प्रा.लि., गोवा	अभियोजन आदेश जारी किया गया।
	14.	मै. वेंकटेश्वरी मेडिकल सिंडिकेट, भीमवरम	मै. ओस्कर फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि., नई दिल्ली	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	15.	मै. वेंकटेश्वरा मेडिकल कारपोरेशन तनुकु एंड मै. नव ज्योती मेडिकल हाल तनुकु	मै. ओस्कर फार्मास्युटिकल्स लि., नई दिल्ली	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	16.	मै. तेजा मेडिकल एजेंसीज विजयवाड़ा	मै. एस.पी. फार्मा., हैदराबाद	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	17.	मै. ओम श्री साई राम मेडिकल एजेंसीज, नरसराओपेट	मै. अरिस्टो फार्मास्युटिकल्स लि., मध्य प्रदेश	अभियोजन आदेश जारी किया गया।

1	2	3	4	5
	18.	(1) विष्णु प्रिया मेडिकल कारपोरेशन, ओन्गोले (2) मै. वम्सी फार्मास्यूटिकल्स, नरसराओपेट (3) मै. शिवकामेश्वन मेडिकल एजेंसीज नरसराओपेट (4) मै. विजया लक्ष्मी मेडिकल एजेंसीज, नरसराओपेट	मै. बिद्दले स्वयर लि., मुम्बई	अभियोजन आदेश जारी किया गया।
	19.	मै. श्री मेडिकल एंड जनरल स्टोर, पश्चिम मर्रेडपल्ली, सिकन्दराबाद	मै. रेनबेक्सी लेबोरेटीज लि., देवास, मध्य प्रदेश	अभियोजन आदेश जारी किया गया।
	20.	मै. श्री मेडिकल एंड जनरल स्टोर पश्चिम मर्रेडपल्ली, सिकन्दराबाद	मै. डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लि., हैदराबाद	अभियोजन आदेश जारी किया गया।
		(1) मै. सुभाष फार्मा, हैदराबाद (2) मै. बालाजी मेडिकल कारपोरेशन सिकन्दराबाद (3) मै. सन राइस फार्मा गुन्टूर	मै. डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लि., हैदराबाद	अभियोजन आदेश जारी किया गया।
	21.	मै. गुप्ता फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, हैदराबाद	मै. मार्टिन एंड हैरी लेबोरेटरीज लि., गुड़गांव, हरियाणा	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	22.	मै. श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल एंड जनरल स्टोर मखतल, महबूबनगर और 02 पार्टनर	मै. होस्चेस्ट राउसेलवेट प्रा.लि., मुम्बई	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
		मै. प्रकाश मेडिकल एजेंसीज, नैल्लोर	मै. होस्चेस्ट राउसेलवेट प्रा.लि., मुम्बई	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	23.	मै. एस वी आर मेडिकल एजेंसीज करीमनगर	मै. विन मेडिकेयर मोदी पुरम	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	24.	मै एस वी आर मेडिकल एजेंसीज करीमनगर	मै. केडिला हैल्थ केयर लि., अहमदाबाद	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	25.	मै. लक्ष्मी मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, विजयवाड़ा	मै. हिक्स फार्मा, विजयवाड़ा	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	26.	मै. अहल्यामेडिकल एंड जनरल स्टोर, मछलीपट्टनम	मै. महावीर लेबोरेटरीज, हैदराबाद	आरोप पत्र दाखिल किया गया।

1	2	3	4	5
	27.	मै. श्री सुब्बा गुरू योगेन्द्र बोटल्स एंड फार्मास्युटिकल्स, विजयवाड़ा	मै. ए एम के फार्मास्युटिकल्स लेबोरेटरीज, कटक	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	28.	मै. लक्ष्मी वेंकटेरमणा मेडिकल एंड फेन्सी स्टोर्स, नरसराओपेट	मै. ब्रुफिन लेबोरेटरीज, गुजरात	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
हिमाचल प्रदेश	29.	मै. ठाकुर मेडिकल स्टोर्स, पहाड़ मंडी, हिमाचल प्रदेश	मै. संजीवनी परेन्टल्स नवी मुम्बई	अभियोजन शुरू किया गया।
	30.	मै. अमन मेडिकल स्टोर्स, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	मै. टार्क फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि., पटियाला, पंजाब	अभियोजन शुरू किया गया।
	31.	मै. नोबल ट्रेडर्स, मंडी, हिमाचल प्रदेश	मै. एक्शन लैब प्रा.लि., नसरेला, पंजाब	अभियोजन शुरू किया गया।
	32.	मै. गुप्ता मेडिकल स्टोर, रवालसर, मंडी, हिमाचल प्रदेश	मै. डुयफुल लैब प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान	अभियोजन शुरू किया गया।
	33.	मै. चौधरी मेडिकल स्टोर, गोहर मंडी, हिमाचल प्रदेश	मै. विवा लैब प्रा.लि., कलोल मेहसाना, गुजरात	अभियोजन शुरू किया गया।
	34.	मै. थेमिस कैमिकल्स वापी, गुजरात	मै. हिम मेडिकल स्टोर, मनाली, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	अभियोजन शुरू किया गया।
	35.	मै. किम फार्मा प्रा.लि. अम्बाला कैंट (हरियाणा)	मै. चौधरी मेडिकल स्टोर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	अभियोजन शुरू किया गया।
हरियाणा	36.	श्री सुनील कुमार, भिवानी	मै. मेडिक्योर, भिवानी	अभियोजन शुरू किया गया।
	37.	श्री सुनील कुमार, भिवानी	मै. इव्श ड्रग इंडिया, धार (मध्य प्रदेश)	अभियोजन शुरू किया गया।
	38.	श्री प्रताप सिंह, हरियाणा मेडिकल स्टोर, मतलोदा, पानीपत	मै. पान फार्मा, गुजरात	अभियोजन शुरू किया गया।
	39.	श्री प्रताप सिंह, हरियाणा मेडिकल स्टोर, मतलोदा, पानीपत	मै. बायो-केम लैब, नई दिल्ली	अभियोजन शुरू किया गया।
	40.	श्री प्रताप सिंह, हरियाणा मेडिकल स्टोर, मतलोदा, पानीपत	मै. एक्सल फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि., थाणे (महाराष्ट्र)	अभियोजन शुरू किया गया।

1	2	3	4	5
	41.	डा. जिले सिंह, हिसार	लैबल नहीं लगाया गया।	अभियोजन शुरू किया गया।
दिल्ली	42.	मै. राज मेडिकोस, भागीरथ पैलेस, दिल्ली	मै. न्यूटेक लेबोरेटरीज, भिवाडी	अभियोजन शुरू किया गया।
	43.	मै. कमलदीप, भागीरथ पैलेस, दिल्ली	मै. क्रिस्टल फार्मास्युटिकल्स, अम्बाला	अभियोजन शुरू किया गया।
	44.	मै. रायल फार्मा, भागीरथ पैलेस	मै. जिन फार्मा, दिल्ली	औषधि विनिर्माता को औषधि वापस लेने की अनुमति
	45.	मै. नरूला मेडिकोल, मदनगीर, नई दिल्ली	मै. आई जे फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि., जौनापुर, नई दिल्ली	विनिर्माण अनुमति एक माह के लिए लंबित
	46.	मै. श्री मेडिकल स्टोर नवीन शाहदरा, दिल्ली	मै. अल्पा फार्मास्युटिकल्स, फरीदाबाद	डी सी, हरियाणा के द्वारा विनिर्माण अनुमति दो माह के लिए लंबित
	47.	मै. मोडर्न एजेंसीज, भागीरथ पैलेस, दिल्ली	मै. यू.के. फार्मा, शाहदरा, दिल्ली	विनिर्माण अनुमति रद्द कर दी गई।
	48.	मै. नवीन इंटरनेशनल पहाड़गंज, नई दिल्ली	मै. यूनीसूल प्रा.लि. इंड. एरिया सोनीपत	अभियोजन शुरू किया गया।
	49.	मै. अकाय एजेंसीज, भागीरथ पैलेस, दिल्ली	मै. ग्लायनिन फार्मास्युटिकल्स, चंडीगढ़	डी सी चंडीगढ़ द्वारा विनिर्माण अनुमति वापस ली गई
	50.	मै. दुर्गा मेडिकल स्टोर, इंदर पुरी, नई दिल्ली	मै. इल्डर फार्मास्युटिकल्स लि., न्यू मुम्बई द्वारा विनिर्मित प्रतीत होती है।	अभियोजन शुरू किया गया।
	51.	मैसर्ज माडर्न एजेंसीज, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली	मैसर्ज बाली रिसर्च फार्मा, दिल्ली	विनिर्माता फर्म को चेतावनी दी गई
	52.	मैसर्ज सुपर बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली	मैसर्ज आलपीन इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली	विनिर्माण अनुमति रद्द कर दी गई
गुजरात	53.	मैसर्ज जे.पी. इंटरप्राइसस, अहमदाबाद	मैसर्ज हिन्दुस्तान मेडिसिन प्रोडक्ट, बरौनी	अभियोजन शुरू किया गया।

1	2	3	4	5
	54.	मैसर्ज जे.पी. फार्मा, अहमदाबाद	मैसर्ज हिन्दुस्तान मेडिसिन प्रोडक्ट, बरौनी	अभियोजन शुरू किया गया
	55.	मैसर्ज अशोक केमिस्ट, बड़ोदरा	मैसर्ज सलमान फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड वड़ोदरा	-तदैव-
	56.	मैसर्ज भरोच मेडिकल एजेंसी, भरोच	मैसर्ज हिन्दुस्तान मेडिसिन	-तदैव-
	57.	मैसर्ज जे.पी. इंटरप्राइसस, अहमदाबाद	मैसर्ज हिन्दुस्तान मेडिसिन प्रोडक्ट, बरौनी	-तदैव-
	58.	मैसर्ज जे.पी. फार्मा., अहमदाबाद	मैसर्ज हिन्दुस्तान मेडिसिन प्रोडक्ट, बरौनी	-तदैव-
	59.	मैसर्ज महावीर मेडिकल स्टोर, वस्मा, नवासरी	मैसर्ज रायल फार्मेसी, गनडवी, नवासरी	-तदैव-
	60.	मैसर्ज मारूति मेडिकल कोरप. भावनगर	मैसर्ज कलिफटन लेबोरेटरीज प्राइ. लिम. वसई, जिला थाने	-तदैव-
	61.	मैसर्ज पटेल ड्रग्स हाऊस, भावनगर	मैसर्ज कलिफटन लेबोरेटरीज प्राइ. लिम. वसई, जिला थाने	-तदैव-
	62.	मैसर्ज रामनाथ मेडिकल एजेन्सी, अहमदाबाद	मैसर्ज कलिफटन लेबोरेटरीज प्राइ. लिम. वसई, जिला थाने	-तदैव-
	63.	मैसर्ज भारत मेडिकल सप्लाई को. मुम्बई	मैसर्ज कलिफटन लेबोरेटरीज प्राइ. लिम. वसई, जिला थाने	-तदैव-
	64.	मैसर्ज श्रीजी मेडिकल स्टोर, गोधरा, भावनगर	मैसर्ज ए के आर फार्मास्यूटिकल्स, बरौनी	-तदैव-
	65.	मैसर्ज जे.पी. इंटरप्राइसस, अहमदाबाद	मैसर्ज राठी लेबोरेटरीज (हिन्दुस्तान) प्राइ. लिमि., पटना	-तदैव-
	66.	मैसर्ज वोरा मेडिकल, वयारा	मैसर्ज पिलको फार्मा. प्राइ. लिमि., कानपुर	-तदैव-
	67.	मैसर्ज पद्मावती फार्मा. सप्लाई, अहमदाबाद	मैसर्ज राठी लेबोरेटरीज (हिन्दुस्तान) प्राइ. लिमि., पटना	-तदैव-

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर	68.	मैसर्ज यूनिवर्सल ट्रेडिंग कोर्प. जामिया मस्जिद, श्रीनगर	मैसर्ज बायोमेडिका इंट. भटिंडा, पंजाब	अभियोजन शुरू किया गया।
	69.	मैसर्ज जावा इंटरप्राइजेस, श्रीनगर	मैसर्ज एशियन सर्जिकल्स डरोनिंग कोरप. कांथ, मुरादाबाद	-तदैव-
	70.	मैसर्ज जहूर इंटरप्राइजेस, बारामूल्ला	मैसर्ज सिगनिट लैब. प्राइ. लिमि. 212 अगारनगर, लुधियाना	-तदैव-
	71.	पुलवामा हास्पिटल	मैसर्ज कोर हैल्थकेयर, राजपुरा, गुजरात	-तदैव-
	72.	मैसर्ज एस.डी. हास्पिटल, कूपवारा	मैसर्ज पाम फार्मास्यूटिकल्स, ए-37/1, इंड. एरिया, सिकन्दराबाद, उत्तर प्रदेश	-तदैव-
	73.	गर्वमेंट हास्पिटल, गांधी नगर, जम्मू	मैसर्ज एसोसिएटिड फार्मा. वर्क्स कीर्ति नगर, नई दिल्ली	-तदैव-
	74.	श्री मदल लाल निवासी हीरानगर, जिला कटूआ		-तदैव-
	75.	मैसर्ज शर्मा मेडिकल हाल, जोरियन, जम्मू	हिचम के पीछे मैसर्ज मेडिकर, भिवानी	अभियोजन चलाने के लिए मामले पर कार्रवाई की जा रही है।
पंजाब	76.	व्यक्तिगत नाम नहीं बताया गया है।	हिचल के पीछे मैसर्ज मेडिकयूरा, भिवानी	अभियोजन सुरू किया गया।
	77.	मैसर्ज जे पी हास्पिटल, होशियारपुर (पंजाब)	विनिर्माता का नाम नहीं बताया गया है।	-तदैव-
	78.	श्री तरनजीत सिंह सुपुत्र पियारा सिंह और श्री सतिंदर सिंह सुपुत्र श्री वसान सिंह, विलागर मिटा सूर्या, गुरदासपुर (पंजाब)	-तदैव-	-तदैव-
	79.	व्यक्तिगत नाम नहीं बताया गया है।	मैसर्ज गोल्ड स्टार फार्मास्यूटिकल्स प्राइ. लिमि., गांव डग्गू, फिरोजपुर रोड, मोगा	-तदैव-

1	2	3	4	5
	80.	डा. के एन शर्मा सुपुत्र श्री सूरज भान, आनर, आफ शर्मा नर्सिंग होम, काकरवल चौक, धूरी जिला संगरूर	विनिर्माता का नाम नहीं बताया गया है।	अभियोजन शुरू किया गया।
	81.	श्री राम गोपाल सुपुत्र श्री हुकम चन्द, परो. गोपाल क्लिनिक सामने पी एच सी धनूला, संगरूर	-तदैव-	-तदैव-
	82.	व्यक्तिगत नाम नहीं बताया गया है।	मैसर्ज वेनटेक्स फार्मास्यूटिकल्स (आई), पटियाला	-तदैव-
	83.	मैसर्ज दिल्ली मेडिकल स्टोर, दिलखुश मार्किट, जालन्धर	विनिर्माता का नाम नहीं बताया गया है।	-तदैव-
	84.	मैसर्ज देवेन्द्र मेडिकल हाल, भगीची हेत राम, पटियाला	-तदैव-	-तदैव-
	85.	मैसर्ज श्याम पाली क्लिनिक, नर्सिंग होम, ट्रंक मार्किट, राजपुरा, पटियाला	-तदैव-	-तदैव-
	86.	व्यक्तिगत नाम नहीं बताया गया है।	मैसर्ज स्काईसंस लैबस. प्राइ. लिमि. रोहतक रोड, गोहाना (हरियाणा)	-तदैव-
	87.	मैसर्ज अमन फार्मा-एजेंसी, पिंडी स्ट्रीट, लुधियाना	मैसर्ज हार्वेस्ट मारियन रूसल लिमि., मुम्बई	-तदैव-
	88.	(1) गजन्दिर पाल सिंह सुपुत्र मुकुन्द लाल, पिंडी स्ट्रीट, लुधियाना (2) मैसर्ज भाई जी ट्रेडर्स, भागीरथ प्लेस, दिल्ली	विनिर्माता का नाम नहीं बताया गया है।	-तदैव-
	89.	मैसर्ज पवित्र मेडिकल हाल, जलालाबाद, फिरोजपुर	-तदैव-	-तदैव-
	90.	व्यक्तिगत नाम नहीं बताया गया है।	मैसर्ज मेफरो फार्मा., मोहाली, जिला रोपड़	-तदैव-
	91.	श्री मोहम्मद रफिक सुपुत्र मोहम्मद सादिक निवासी गांव नेली, डाक खाना मनया कोट, रजौरी (जम्मू और कश्मीर)	विनिर्माता का नाम नहीं बताया गया है।	-तदैव-

1	2	3	4	5
	92.	श्री गुरूदर्शन सिंह सुपुत्र श्री गुरूदयाल सिंह, गांव पाहरा सुरदासपुर	विनिर्माता का नाम नहीं बताया गया है।	अभियोजन शुरू किया गया।
	93.	श्री सुनिन्दर सिंह सुपुत्र श्री निर्माण सिंह, प्रोप. मैसर्ज जगजीत मेडिकल स्टोर, न्यूशेरा माजा सिंह जिला गुरदासपुर	-तदैव-	-तदैव-
	94.	श्री गुरदायल सिंह सुपुत्र श्री पूरन सिंह, गांव डाक खाना मनावता, जिला अमृतसर	-तदैव-	-तदैव-
	95.	मैसर्ज मेहता मेडिकल स्टोर, कोटकपुरा, जिला फरीदकोट	(1) मैसर्ज अदीसन फार्मा-स्यूटिकल्स, फतेहगढ़ चूरियन रोड़, अमृतसर (2) मैसर्ज पंकज फार्मा., भटिंडा	-तदैव-
उड़ीसा	96.	मैसर्ज दयाल इंटरप्राइज, मंगलाबाग, कट्टक	(1) मैसर्ज न्यू बंगाल ड्रग हाऊस, रामबारी घोष लेन, कट्टक (2) मैसर्ज अपेक्स फार्मास्यूटिकल्स, न्यू इंड. इस्टेट जगतपुर, कट्टक	-तदैव-
राजस्थान	97.	–	डब्ल्यू.एच. फार्मास्यूटिकल्स (प्रा.) लि. मालनपुर (मध्य प्रदेश)	-तदैव-
	98.	–	मैसर्स इंदिरा हथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि., जयपुर	-तदैव-
	99.	मैसर्स भार्गव डिस्ट्रीब्यूटर, जयपुर एंड मैसर्स राजमल विजयराज दांगी, श्री दुंगार	मैसर्स आर.एस. फार्मास्यूटिकल्स, जैतपुरा, जयपुर	-तदैव-
	100.	–	मैसर्स मार्डन हैण्डलूम प्रोड्यूसर को-ओपरेटिव सोसाइटी लि., जयपुर	-तदैव-
	101.	मैसर्स सिमको रेमेडीस, दवा बाजार, इंदौर, मैसर्स मेडीट्रेड एजेंसीज, दवा बाजार, इंदौर एंड मैसर्स जैन ट्रेडर्स, मंगलपुरा, झलवारा	मैसर्स सिस्टोचिम लेबोरेट्रीज लि. गाजियाबाद	-तदैव-

1	2	3	4	5
	102.	मैसर्स जय अम्बे मेडिकल्स, कोटा	मैसर्स रेमेडीज फार्मास्यूटिकल्स (1) लि. दिल्ली	अभियोजन शुरू किया गया।
	103.	मैसर्स न्यू अंगोला मेडिकल हाल, अजमेर	मैसर्स हिन्दुस्तान फार्मा प्रा.लि. गुजरात	अभियोजन शुरू किया गया।
	104.	मैसर्स मेडी फार्मा, अलवर एंड मैसर्स विक्टोरी फार्मास्युटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर, कोटा	मैसर्स ग्लायनोर फार्मास्यूटिकल्स, चंडीगढ़	अभियोजन शुरू किया गया।
	105.	मैसर्स जैन एजेंसी, जयपुर एंड मैसर्स खत्री डिस्ट्रीब्यूटर हिंडन सिटी	मैसर्स गुजरात तुरसे लेबोरेट्री, मेहसाना	अभियोजन शुरू किया गया।
	106.	मैसर्स पारसनाथ मेडिकल कार्नर, बंसवाडा, मैसर्स मनीश ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर, बांसवाडा, मैसर्स महेश्वरी मेडिकल एजेंसीज, रतलाम एंड मैसर्स स्वास्तिक मेडिकल एजेंसीज, इंदौर	मैसर्स होम फार्मेसी, इंदौर	अभियोजन शुरू किया गया।
	107.	मैसर्स गणपति मेडिकोज, वेवर एंड मैसर्स हर्श मेडिकल्स, अजमेर	मैसर्स हावेल कैप, इंडिया लि.	अभियोजन शुरू किया गया।
	108.	मैसर्स आशीश मेडिकल एंड जनरल स्टोर परतापुर (बसवाडा)	मैसर्स देना फार्मा-अंकलेश्वर	अभियोजन शुरू किया गया।
	109.	मैसर्स मित्तल डिस्ट्रीब्यूटर, बीकानेर	मैसर्स गुजरात मेडिकल्स प्रा.लि. अहमदाबाद	अभियोजन शुरू किया गया।
	110.	मैसर्स नैनानी मेडिका. कोटा एंड मैसर्स जनता मेडिकल हाल, बुंदी	मैसर्स बुरोध वेलकम (आई) लि. मुम्बई	अभियोजन शुरू किया गया।
	111.	मैसर्स इंडियन मेडिकल हाल, जयपुर एंड मैसर्स नागपाल एजेंसीज, हनुमानगढ़	मैसर्स कैमेन मेडिसिन प्रा.लि. मुम्बई एंड मैसर्स की-वेस्ट मेडीसिन्स प्रा. लि. मुम्बई	अभियोजन शुरू किया गया।
	112.	श्री भगवानदास राथी, भीमल, जालौर	मैसर्स सुनेजा फार्मास्यूटिकल्स	अभियोजन शुरू किया गया।
	113.	मैसर्स सुरेन्द्र मेडिकल एजेंसीज, श्री गंगा नगर एंड मैसर्स जैश्री फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, जयपुर	मैसर्स पार्थ पेरेंटल्स	अभियोजन शुरू किया गया।

1	2	3	4	5
	114.	मैसर्स साराभाई केमिकल्स, जयपुर, मैसर्स अनी फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, जयपुर एंड मैसर्स जुबली मेडिकल स्टोर, जयपुर	मैसर्स ट्रेफर फार्मास्यूटिकल्स, नवसारी	अभियोजन शुरू किया गया।
केरल	115.	मैसर्स माइक्रोमेडिको टी.डी. रोड, एरनोकुलम	मैसर्स विक्रम लेबोरेट्रीज, मुजफ्फर नगर	मामला दर्ज किया गया।
मिजोरम	116.	लालबैकवेला मैसर्स ओरिएन्ट मेडिको, बांगकान	मैसर्स मन्दर फार्मा	अभियोजन शुरू किया गया।
	117.	सी- उराकुंगा मैसर्स न्यू फार्मेसी, न्यू मार्केट	मैसर्स मन्दर फार्मा	अभियोजन शुरू किया गया।
	118.	लालमलश्वामी मैसर्स एल.सी. ड्रग स्टोर थम्पई	मैसर्स मन्दर फार्मा	अभियोजन शुरू किया गया।
असम	119.	मैसर्स अमर फार्मास्यूटिकल्स, सिलापत्र, जिला लखीमपुर	मैसर्स एम. मेडिसिन ट्रेडर्स प्रा. लि. मेरठ-2	सी जी एम के न्यायालय में न्यायाधीन
	120.	मैसर्स सर्जिकल फार्मा एस.सी. गोस्वामी रोड, गोवाहाटी	मैसर्स एम. मेडिसिन ट्रेडर्स प्रा. लि. मेरठ-2	सी जी एम के न्यायालय में न्यायाधीन
	121.	पोस्ड फ्राम वन मि. एम.के. गोस्वामी (वेन्डर) फ्राम नागान	मैसर्स सेठ फार्मास्यूटिकल्स (प्रा.) लि. कोलकाता	सी जी एम के न्यायालय में न्यायाधीन
तमिलनाडु	122.	मैसर्स शालोम मेडिसिन, श्री राम नगर, वेस्ट टनबराम, चेन्नई 45	-	फार्म 25 तथा 28 में लाइसेंसों का निरसन एवं अभियोजन शुरू किया गया
	123.	मैसर्स क्रिस्टल फार्मास्युटिकल्स, अम्बाला सिटी		अभियोजन शुरू किया गया।
	124.	मैसर्स मेडीक्रफ्ट्स चेन्नई-8		लाइसेंस रद्द किया गया
	125.	मैसर्स मेहता रेमेडीस चेन्नई-8		लाइसेंस रद्द किया गया
	126.	मैसर्स पोजिटिव फार्मा, चेन्नई-8		लाइसेंस रद्द किया गया
	127.	मैसर्स साऊर्थन कारपोरेशन, चेन्नई-8		लाइसेंस रद्द किया गया

1	2	3	4	5
	128.	मैसर्स श्री देवी फार्मास्युटिकल्स, चेन्नई-8		लाइसेंस रद्द किया गया
	129.	–	मैसर्स बन्टम ड्रग्स, 2/532, महात्मा स्ट्रीट, गोमाथीबुरम, मदुरै	अभियोजन शुरू किया गया मामला दर्ज किया गया और 1000/- रुपए के कुल जुर्माने के साथ आई टी आर सी में समाप्त हुआ
	130.	–	मैसर्स गणेश फार्मास्यूटिकल्स नं. 7 आईलू बालूश्वामी अय्यर स्ट्रीट, साऊथ वेली स्ट्रीट, मदुरै	अभियोजन शुरू किया गया न्यायिक दण्डाधिकारी के माननीय न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई
	131.	–	मैसर्स क्रिस्टल फार्मास्यूटिकल्स, अम्बाला सिटी	अभियोजन शुरू किया गया
महाराष्ट्र	132.	मैसर्स महेश मेडिकल एजेंसीज, जलगोन	मैसर्स सत्री ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. सिलवासा	अभियोजन शुरू किया गया
	133.	मैसर्स रमेश मेडिकल एंड सर्जिकल्स, जलगोन	मैसर्स काबरा ड्रग्स लि. इंदौर म.प्र.	अभियोजन शुरू किया गया
	134.	मैसर्स अन्नास मेडि. सर्विसेज, सोलापुर एंड मैसर्स मुल्टी सेल्स, इंदौर	मैसर्स ओरकल ड्रग्स इंदौर	अभियोजन शुरू किया गया
	135.	मैसर्स मेट्रो एजेंसीज, गोल कालोनी, नासिक	मैसर्स वाल्कान फार्मा इंदौर एम.पी.	अभियोजन शुरू किया गया
	136.	मैसर्स शामीवाना फार्मास्युटिकल्स सर्जिकल्स, गोला नं. 9 अंधेरी इंडस्ट्रियल स्टेट, वीरा देसाई रोड, अंधेरी (इस्ट) मुम्बई-58	मैसर्स सिंग फार्मास्यूटिकल्स, जी. आई. डी.सी. उमरगान, गुजरात	अभियोजन दर्ज किया गया (औषधि गलत ब्रान्ड की है क्योंकि विनिर्माता फर्जी है)
मध्य प्रदेश	137.	मैसर्स अशोका मेडिकल स्टोर्स, देवसर, सीधी	–	न्यायालय के समक्ष मामला दर्ज किया गया
	138.	मैसर्स सूर्या मेडिकल एजेंसीज, जबलपुर	–	न्यायालय के समक्ष मामला दर्ज किया गया
	139.	मैसर्स कपिल इंटप्राइजेज, सतना		न्यायालय के समक्ष मामला दर्ज किया गया

विवरण-2

उन मामलों जिनमें संबंधित राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा 2000-2001 तथा 1.4.2001 से 26.11.2001 तक की अवधि के दौरान नकली औषधियों के विनिर्माण तथा व्यापार के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों सहित नकली औषधियों के खेप का पता लगाया गया है, के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

दिल्ली

(1) इस सूचना के आधार पर कि एक व्यक्ति विदेशी नागरिकों के साथ औषधियों के अवैध व्यापार में संलिप्त था, औषधि नियंत्रण विभाग, दिल्ली तथा दिल्ली पुलिस द्वारा उस पर नजर रखी गयी। दिनांक 9.9.2000 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसके स्वामित्व में सात औषधियों का स्टाक पाया गया। तत्पश्चात् 10.9.2000 को एक गोदाम पर संयुक्त रूप से छापा भी मारा गया। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध, न्यायालय में अभियोजन शुरू किया जा चुका है।

(2) दिल्ली पुलिस तथा औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने दिनांक 3-4 जुलाई, 2001 को भागीरथ प्लेस, दिल्ली में तथा इसके आसपास के विभिन्न स्थानों से नकली औषधियों का विशाल स्टाक पकड़ा। औषधियों के उठाए गए नमूनों को विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है और की गई जांच-पड़ताल के पश्चात् तीस हजारी दिल्ली के न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई है।

गुजरात

अप्रैल, 2001 की अवधि के दौरान एक व्यक्ति को नकली औषधियों का विनिर्माण करते हुए पाया गया। इसके पहले कि वह व्यक्ति नकली औषधि की बिक्री करता, उसे आगे की पूछताछ के लिए पुलिस अपराध शाखा को सौंप दिया गया। जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबन्धों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान

वर्ष 2000-2001 की अवधि के दौरान, नकली औषधियों के खेप के एक मामले का पता लगाया गया। पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 1.4.2001 से 16.11.2001 तक की अवधि के दौरान दो मामलों का पता लगाया गया। पुलिस द्वारा पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

महाराष्ट्र

(1) वर्ष 2000-2001 की अवधि के दौरान एक व्यक्ति के नकली औषधियों के विनिर्माण में संलिप्त होने की सूचना मिली। दो व्यक्तियों को अनुवर्ती जांच-पड़ताल के आधार पर गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में दिनांक 11.5.2001 को एक मामला दर्ज किया गया।

(2) दिनांक 26.6.2000 को एक लाइसेंस प्राप्त विनिर्माता द्वारा नकली औषधियों के विनिर्माण करने की सूचना मिली। अनुवर्ती जांच-पड़ताल के पश्चात् तीन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वैसे, इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई।

उत्तर प्रदेश

(क) वर्ष 2000-2001 की अवधि के दौरान सरकारी विश्लेषक, उत्तर प्रदेश/केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता द्वारा 19 नमूनों वाले दो मामलों को नकली घोषित किया गया है। चूककर्त्ताओं/पक्षों के विरुद्ध अभियोजन आरम्भ करने के लिए संबंधित औषधि निरीक्षकों (उत्तर प्रदेश) को अनुदेश दिये जा चुके हैं।

(ख) नकली औषधियों के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, एक को कानपुर में तथा दूसरे को बरेली में। मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रग्स, सेन्टर, बिरहाना रोड, कानपुर तथा इसके मालिक के विरुद्ध कानपुर में अभियोजन शुरू किया गया है।

कर्नाटक

दिनांक 1.4.2001 से 26.11.2001 तक की अवधि के दौरान 4 नकली औषधियों वाले एक मामले का मंगलोर, कर्नाटक में अवस्थित विक्रेताओं में पता लगाया गया है। जांच-पड़ताल पूरी होने के पश्चात् औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबन्धों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

आंध्र प्रदेश

दिनांक 1.4.2001 से 26.11.2001 तक की अवधि के दौरान 21 नकली औषधियों वाले 4 मामलों का पता लगाया गया है। जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबन्धों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बिहार

दिनांक 1.4.2001 से 26.11.2001 तक की अवधि के दौरान नकली औषधियों के दो मामलों का पता लगाया गया। जांच-

पड़ताल पूरी होने के बाद, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों का पुनर्गठन

562. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अलाय स्टील प्लांट विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट आफ भागवटी के पुनर्गठन के संबंध में मैकेन्जी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 1998 में मै. मैकेन्जी एंड कंपनी को कंपनी के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता योजना तैयार करने का कार्य सौंपा था। इसके भाग के रूप में, परामर्शदाताओं ने मिश्र इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र तथा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड नामक सेल की विशेष इस्पात इकाइयों की भी जांच की।

(ख) और (ग) इन तीन संयंत्रों के संबंध में मै. मैकेन्जी ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

मिश्र इस्पात संयंत्र (ए एस पी)

इस इकाई के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई इसको बंद करना होगी। यदि इसे बंद किया जाना संभव नहीं है तो जनशक्ति में कमी, तप्त धातु के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से अंतरण आदि जैसे उपायों के जरिए हानि को कम करने की योजना होनी चाहिए।

विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वी आई एस पी):

वी आई एस पी के संबंध में की जाने वाली मुख्य कार्रवाई इसका स्तत्वहरण करना है ताकि संयुक्त उद्यम (जे वी) भागीदारी निर्यात बाजारों को खोल सके तथा इसके मूल्य में वृद्धि करते हुए संयंत्र में और अधिक निवेश करे।

सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी):

सेलम इस्पात संयंत्र के संबंध में संयुक्त उद्यम बनाना सर्वोत्तम कार्रवाई है। इस्पात के उत्पादन हेतु पश्चगामी एकीकरण उपलब्ध करवाकर तथा नए निर्धारित बाजार खोलकर संयुक्त उद्यम भागीदारी इस इकाई को दीर्घकाल के लिए व्यवहार्य बना सकता है।

नेपाल के महाराज का दौरा

563. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री अम्बरीश:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री रामपाल सिंह:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री पी.आर. खूंटे:
श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल के महाराज ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान सरकार के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया;

(ख) यदि हां, तो किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और किन क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति हुई;

(ग) क्या सरकार ने उनके राजतंत्र में विद्रोह की चुनौती से निपटने के लिए उन्हें सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में भारत द्वारा नेपाल को किस तरीके से सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या नेपाल के महाराजा के साथ भारत-नेपाल सीमा पर आई एस आई और अन्य उग्रवादी गतिविधियों में आयी तेजी पर भी चर्चा की गई थी; और

(च) यदि हां, तो नेपाल द्वारा दोनों देशों की सीमाओं पर जारी उक्त गतिविधियों के उन्मूलन में किस सीमा तक सहायता देने का आश्वासन दिया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (च) महामहिम नरेश ज्ञानेन्द्र बीर बिक्रम शाह देव, नेपाल नरेश ने राष्ट्रपति के आमंत्रण पर जून, 23-28, 2002 के बीच भारत की राजकीय यात्रा की। राज्याभिषेक के पश्चात यह राजा ज्ञानेन्द्र की पहली विदेश यात्रा थी। यात्रा के दौरान राजा ज्ञानेन्द्र ने भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की। गृह

मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा और मानव संसाधन मंत्री तथा उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने राजा ज्ञानेन्द्र से मुलाकात की। उन्होंने विपक्ष के नेता से भी मुलाकात की। उन्होंने कोलकाता और गुवाहाटी की भी यात्रा की।

यात्रा के दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण में अनेक विषयों पर चर्चा हुई। भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण और समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों पर बल दिया गया। नेपाल के आर्थिक विकास और देश में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व को बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया गया।

चर्चाओं के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठा। राजा ज्ञानेन्द्र और भारतीय नेतृत्व दोनों ने क्षेत्र में शांति और स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आतंकवाद के संकट से निपटने हेतु संयुक्त प्रयास करने के अपने संकल्प को दोहराया।

भारतीय नेतृत्व ने नेपाल में और सीमा पार भारत में जारी आई.एस.आई. की गतिविधियों पर नेपाल से अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। इस संदर्भ मे गहरे समन्वयन और सतकर्ता को बढ़ाए जाने पर बल दिया गया। राजा ज्ञानेन्द्र ने इस संबंध में सहयोग को बढ़ाने का आश्वासन दिया और यह बात दोहराई कि नेपाल भारत के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों के लिए अपने क्षेत्र का गलत प्रयोग नहीं होने देगा।

राजा ज्ञानेन्द्र ने माओवादी विद्रोह के विरुद्ध नेपाल की लड़ाई में भारत के सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त की और देश में सामान्य स्थिति और व्यवस्था बहाल करने के लिए नेपाल सरकार द्वारा उठाए गए कदमों हेतु भारत का सहयोग जारी रखने का अनुरोध किया। भारतीय नेतृत्व ने देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने प्रयासों में नेपाल का सहयोग देना जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराया।

भारत ने माओवादी हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की है और देश में सामान्य स्थिति और व्यवस्था बनाए रखने में नेपाल सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन किया है। भारत नेपाल द्वारा अपेक्षित सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें नेपाल की शाही सेना और स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स को उपस्कर और प्रशिक्षण देना शामिल है। हमारी सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है और भारत नेपाल सीमा से सटे राज्यों को सीमा के पास अत्यधिक सतर्कता बरतने को कहा गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर स्पेशल सर्विस ब्यूरो (एस एस बी) कार्मिकों को तैनात किया गया है।

सकल निबद्ध टनभार

564. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है कि भारतीय पोतों के सकल निबद्ध टनभार में कमी न आए;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निबद्ध भारतीय नौवहन के क्षेत्र में उच्च स्तर बनाए रखने हेतु क्या पहल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) भारतीय नौवहन के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार पोतों की खरीद हेतु धनपोषण के विशिष्ट प्रयोजन के लिए एक धनपोषण अभिकरण सृजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने भारतीय नौवहन समीक्षा हेतु श्री राकेश मोहन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो इससे संबंधित समस्याओं को कम करने हेतु उपायों के लिए सुझाव देगी। समिति ने टनेज टैक्स को आरंभ करने का सुझाव दिया है जो विश्व के मुख्य नौचालन राष्ट्रों द्वारा अपनाया जाता है। समिति की सिफारिशों की स्वीकृति के लिए पहले ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में दूरभाष सेवाएं

565. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विभिन्न जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आंध्र प्रदेश दूरसंचार के अंतर्गत दूरसंचार नेटवर्क के त्वरित विस्तार हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश, सर्किल के 29460 गांवों में से 23401 गांवों (1112 जनजातीय गांवों सहित) में दूरसंचार सेवा का विस्तार बीएसएनएल द्वारा किया गया है और मै. टाटा टेलीकाम सर्विसेस लिमिटेड दूरसंचार विभाग के साथ हुए अपने लाइसेंस करार के अनुसार शेष 6059 गांवों (3683 जनजातीय गांवों सहित) में दूरसंचार सुविधा प्रदान करेगा।

(ग) चालू वर्ष के दौरान बीएसएनएल की 2.33 लाख लाइन स्विचन क्षमता की वृद्धि करने और लैंड लाइन/वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) द्वारा 2.28 लाख टेलीफोन कनैक्शन देने की योजना है, बशर्ते कि सामग्री उपलब्ध हों। चालू वर्ष के दौरान मोबाइल टेलीफोन सेवाएं शुरू करने की भी योजना है।

नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना

566. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यह विचार है कि चिकित्सा स्नातकों हेतु दो वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापन्न अनिवार्य होगा और यह कार्य चिकित्सा परिषद करेगा;

(ग) यदि हां, तो इस नीति की अन्य मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(घ) इनके क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी हां, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में कहा गया है कि राज्य सरकारें स्नातक डिग्री देने से पहले अनिवार्य दो वर्ष की ग्रामीण तैनाती सख्ती से लागू कर सकती हैं। कुछ राज्य सरकारों ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले से पहले अथवा आरंभिक नियुक्ति के समय ग्रामीण सेवा को पहले ही अनिवार्य बना दिया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 स्वास्थ्य परिचर्या के सभी पहलुओं को कवर करती है और इसमें वित्तीय संसाधनों, इक्विटी राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रदानगी, जन स्वास्थ्य अवसंरचना, स्वास्थ्य परिचर्या व्यावसायियों की शिक्षा, स्वास्थ्य अनुसंधान, विभिन्न स्टेक होल्डरों-गैर सरकारी संगठनों, सिविल-सोसायटी की भूमिका, खाद्य और औषधियों के लिए गुणवत्ता मानकों का प्रवर्तन, महिलाओं का स्वास्थ्य आदि से संबंधित नीति निर्धारण शामिल हैं। इस नीति को व्यापक रूप से केन्द्र और राज्यों दोनों में जिला स्तर तक परिचालित किया गया है। संबंधित राज्य सरकारों को नई नीति को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

567. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 20 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2574 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राज्य सरकारों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बकाया धनराशि जारी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त बकाया धनराशि को उनको कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) राज्य सरकारों को देय बकाया रकम पर लेखा परीक्षित व्यय के अनुसार स्वीकार्य रकम, जैसा कि दिनांक 20.3.2002 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2574 के उत्तर में बताया गया है, पहले ही जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, आज तक राज्य सरकारों से प्राप्त हुए बकाया के सभी दावों की रकमें भी राज्यों को जारी कर दी गई हैं। इस वर्ष (2002-03) के दौरान आज तक बकाया के रूप में जारी की गई रकमों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	राज्य	लाख रुपये में
1	2	3
1.	असम	501.76
2.	बिहार	6042.12
3.	गुजरात	3771.26
4.	हरियाणा	448.05
5.	कर्नाटक	2490.02

1	2	3
6.	केरल	3094.32
7.	महाराष्ट्र	3200.66
8.	उड़ीसा	6406.98
9.	राजस्थान	1717.73
10.	तमिलनाडु	2856.82
11.	त्रिपुरा	1490.76
12.	उत्तर प्रदेश	6759.62
	कुल	38780.10

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत-पाक समझौता

568. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्रीमती प्रभा राव:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री श्रीनिवास पाटील:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने के दृष्टिकोण से कुछ कदमों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पाकिस्तान ने भारत के इस सद्भावना प्रदर्शन के प्रति किस तरीके से प्रतिक्रिया की है; और

(घ) दूसरे राष्ट्रों द्वारा दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे से दूर रखने में क्या भूमिका निभाई गयी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जनरल मुशर्रफ द्वारा स्थायी आधार पर सीमापार घुसपैठ को समाप्त करने की प्रतिबद्धता को मान्यता प्रदान करते हुए भारत ने 10 जून, 2002 को पाकिस्तानी विमान पर वायुसीमा के प्रयोग पर लगे प्रतिबंध को हटाने की औपचारिक घोषणा की जिसे हमारी संसद पर 13 दिसंबर के हमले के पश्चात् जनवरी, 2002 में लगाया गया था। हालांकि, इस निर्णय में दोनों देशों के बीच वायु संपर्क पुन: बहाल करना शामिल नहीं था।

(ग) तनाव कम करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए इस कदम के लिए पाकिस्तान ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

(घ) 13 दिसंबर और 14 मई के आतंकवादी हमलों के परिणामस्वरूप सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे सीमापार के आतंकवाद के प्रायोजन के तथ्य की ओर प्रभावकारी ढंग से लाने के लिए राजनयिक और अन्य उपाय किए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक रूप से सीमापार घुसपैठ और आतंकवाद में पाकिस्तान का हाथ होना स्वीकार किया है। यह मांग सतत रूप से बनी हुई है कि पाकिस्तान को सीमापार आतंकवाद और घुसपैठ को स्थायी रूप से बंद करना ही होगा।

12 जनवरी और 27 मई को घुसपैठ रोकने की पाकिस्तान की प्रतिबद्धताएं, पाकिस्तान की जमीन को आतंकवादी गतिविधियों के प्रयोग में न लाने देने अथवा कश्मीर के नाम पर किसी संगठन को पाकिस्तान में आतंकवाद को अंजाम देने की अनुमति नहीं प्रदान करने जैसे उपाय उस समय तनाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण थे।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

569. श्री के. येरननायडू:
श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु पुरुषों के लिए एक नये गर्भनिरोधक का अविष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस गर्भनिरोधक की समुचित प्रभावोत्पादकता और बड़े पैमाने पर इसकी स्वीकार्यता की पुष्टि की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

570. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में उच्च स्तर की आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करने हेतु अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश करने के लिए उन्हें आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना कब तक आरंभ की जाएगी; और

(घ) उक्त योजना के द्वारा भारतीय मूल के कितने व्यक्तियों के आकर्षित होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) अगस्त, 2000 में इंडियन डायसपोरा पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन अन्य बातों के साथ-साथ भारत में आर्थिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकीय विकास में भारतीय मूल के लोगों और अनिवासी भारतीयों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए किया गया था। दिसम्बर, 2001 में सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र के संबंध में भी कई सिफारिशें की। उसमें की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की संलिप्तता

571. **श्रीमती प्रभा राव:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पाकिस्तान की आसूचना एजेंसी आई एस आई और कश्मीर के कुछ कट्टर आतंकवादी समूहों के बीच ''सीधा संपर्क'' है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जून, 2002 में कनाडा में आयोजित समूह 8 के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में कश्मीर मुद्दे एवं आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभियान पर चर्चा की गई है; और

(घ) यदि हां, पाकिस्तान के लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के संबंध में विश्व समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। यू.के. के विदेश और राष्ट्रकुल मामलों के मंत्री श्री जैक स्ट्रा ने 10 जून, 2002 को हाउस आफ कामन्स में एक वक्तव्य में कहा, ''भारत लंबे समय से यह दोषारोपण करता रहा है कि आतंकवाद को पाकिस्तान की उत्तरोत्तर सरकारों और विशेषकर इंटर सर्विसेज इन्टेलिजेंस डायरेक्ट्रेट (आई एस आई डी), पाकिस्तान की मुख्य एजेंसी का गुप्त समर्थन मिलता रहा है।'' महामान्या की सरकार स्वीकार करती है कि आई एस आई डी और इन समूहों के बीच स्पष्ट संबंध है।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद मे शामिल होने तथा उसके द्वारा नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी गुटों को दिये जा रहे समर्थन की जानकारी है। इसी कारण 31 मई, 2002 को जी-8 विदेश मंत्री के वक्तव्य में पाकिस्तान से कहा गया कि अपनी वचनबद्धताओं के अनुसरण में वह नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ समाप्त करने और अपने नियंत्रण के क्षेत्रों से सक्रिय आतंकवादी गुटों पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करें।

पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण

572. **श्रीमती रेणूका चौधरी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने वर्ष 2002 में प्रक्षेपास्त्रों का श्रृंखलाबद्ध रूप से परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और अन्य विश्व महाशक्तियों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां। पाकिस्तान ने मई, 2002 में श्रृंखलाबद्ध मिसाइल परीक्षण किए थे।

(ख) 25 मई को, पाकिस्तान ने एक द्रव ईंधन, मध्यम-दूरी (1500 किलोमीटर) हत्फ V (गौरी) मिसाईल का परीक्षण किया।

अगले दिन, एक ठोस ईंधन, अल्प दूरी (290 किमी) हत्फ III (गजनवी) मिसाईल का परीक्षण किया। 28 मई को, पाकिस्तान ने एक अल्प दूरी (180 किमी) हत्फ IV (अब्दली) मिसाईल का परीक्षण किया। पाकिस्तान ने सभी तीन सतह से सतह बेलिस्टिक मिसाईलों के परीक्षणों के सफल होने का दावा किया।

(ग) पाकिस्तान के श्रृंखलाबद्ध मिसाईल परीक्षण करने संबंधी निर्णय की प्रतिक्रिया में, भारत ने कहा था कि वह ''इन मिसाईली हरकतों से प्रभावित नहीं है, विशेषरूप से उस समय जबकि सभी प्रदर्शन उधार लिया हुआ या आयातित क्षमता है।'' भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ''पाकिस्तानी नेतृत्व के वास्तविक मानस'' को पूर्ण रूप से समझने का अनुरोध किया। राष्ट्रपति बुश ने पाकिस्तान के मिसाईल परीक्षणों पर ''सख्त आपत्तियां'' व्यक्त की। रूस ने इन परीक्षणों को पाकिस्तानी नेतृत्व के बयानों से ''भिन्नता'' के रूप में लिया और पाकिस्तान से ''ऐसी कार्रवाईयां न करने जिनके परिणामस्वरूप तनाव में बढ़ोत्तरी हो'' कहा। जापान ने पाकिस्तान से ''संयम'' बरतने का अनुरोध किया। ई यू ने भी परीक्षण करने संबंधी पाकिस्तान के निर्णय पर चिंता व्यक्त की।

[हिन्दी]

दूरभाष कनेक्शनों का स्थानांतरण

573. प्रो. दुखा भगत: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में दूरभाष कनेक्शन के स्थानांतरण में कितना समय लगता है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दूरभाष के स्थानांतरण में निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में दूरभाष के स्थानांतरण में हुए विलंब संबंधी मामलों की संख्या कितनी है और विलंब के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) संसद सदस्यों से दूरभाष स्थानांतरण के लिए प्राप्त अनुशंसा पत्रों की संख्या कितनी है और वैसे मामलों की संख्या कितनी है, जिनमें उनकी सिफारिशों के बावजूद पन्द्रह दिन के अन्दर दूरभाष कनेक्शनों को स्थानांतरित नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) महानगर टेलीफोन निगम लि. टेलीफोनों का स्थानांतरण सामान्यत: 15 दिनों के कर देता है। कुछ मामलों में तकनीकी कारणों से यह कार्य इस समय-सीमा के भीतर करना संभव नहीं होता। अधिसंख्य मामलों में निम्नलिखित कारणों से विलंब होता है:-

(1) स्थानांतरण की अपेक्षा वाले क्षेत्रों में ''केबल-पेयर'' उपलब्ध न होना;

(2) उपभोक्ता द्वारा अधूरे कागजात/सूचना देना; व

(3) उपभोक्ता पर बकाया लंबित राशि।

भारत संचार निगम लिमिटेड के संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है व सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) सूचना प्राप्त की जा रही है वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

फाइलेरिया रोग का उन्मूलन

574. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व एशिया के दस देशों में से आठ देशों में फाइलेरिया वहां का स्थानिक रोग है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत उनमें शामिल है; और

(ग) इस रोग के उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम देश में 206 फाइलेरिया नियंत्रण यूनिटों और 198 फाइलेरिया क्लिनिकों के जरिए उच्च स्थानिकमारी वाले शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित है। यह समस्या कहां-कहां फैली है, जानने के लिए 27 सर्वेक्षण यूनिटें कार्य कर रही हैं।

वार्षिक एकल खुराक व्यापक औषध उपयोग के जरिए फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए संशोधित कार्यनीति का कार्यान्वयन 30 स्थानिकमारी वाले जिलों में शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

डी.एन.ए. औषधियों के लिए लाइसेंस

575. श्री वाई.वी. राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषधि नियंत्रकों को जैव संसाधित औषधियों के लिए लाइसेंस जारी न करने के निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो डी.एन.ए. औषधियों की लाइसेंसिंग प्रणाली के केन्द्रीकरण के क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, नहीं। पर्यावरण प्रभाव विषयों आदि पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. संख्या 1039 के तहत औषधी और फार्मास्युस्टिकलों सहित रिकोम्बीनेंट से उत्पन्न उत्पादों के लिए जी.ई.ए.सी. क्लीयरेंस अपेक्षित है। अधिसूचना के अनुसार, डी.एन.ए. से उत्पन्न औषधों के स्थानीय विनिर्माताओं को मोलीकूलर कैरकटराइजेशन, जीन मैनुपलेशन तकनीकों, इमप्यूरटी प्रोफाइल और इम्यूनी कैमिकल प्रोपर्टीज आदि की जांच पर आधारित अपने उत्पादों का प्री-क्लीनिकल पशु प्रयोग करने के लिए आर.सी.जी.एम. (जीन मैनुपलेशन संबंधी समीक्षा समिति) का अनुमोदन लेना अपेक्षित है। उसके बाद नियम 122 ख और औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों की अनुसूची ''म'' के अनुसार मानवों पर अध्ययन शुरू करने और अनुमोदन के लिए आवेदकों से डाटा सहित आवेदन औषध महानियंत्रक (भारत) को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। आवेदक पर्यावरण मंत्रालय में जेनेटिक इंजिनियरिंग अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) को भी आवेदन प्रस्तुत करते हैं।

नियमों के अनुसार, निर्यात/विनिर्माण के लिए अनुमोदित औषध को 4 वर्षों की अवधि के लिए नई औषध के रूप में माना जाता है।

विशेषज्ञ पैनल से डाटा की जांच और मूल्यांकन और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से जी.ई.ए.सी. क्लीयरेंस के बाद आवेदकों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है जो तब राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करते हैं।

भेषजज्ञ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा

576. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेषजज्ञ के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत करने के निर्णय को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ भेषजज्ञ कम्पनियों ने अपने हिस्से को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने हेतु विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को आवेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अब तक मंजूरी प्राप्त ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) यह निर्णय भेषजज्ञ कम्पनियों के लिए किस सीमा तक सहायक रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) वर्ष 2001 की कड़ी के प्रैस नोट संख्या 4, दिनांक 21.5.2001, जिसमें अनिवार्य लाइसेंसिंग को आकर्षित करने वाले अथवा रिकम्बीनेंट डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को शामिल करने के कार्यकलापों और विशिष्ट कोशिका/टीशू लक्षित फार्मूलेशनों को छोड़ कर औषधों और फार्मास्यूटिकल्स के विनिर्माण हेतु स्वचालित माध्यम से शत प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है, को जारी करने के बाद एफ.आई.पी.बी. और आर.बी.आई. द्वारा 309.89 करोड़ रुपये के कुल निवेश की मंशा के साथ विदेशी सहयोग (इसके स्वचालित माध्यम के अंतर्गत) के लिए कुल 41 मामले अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से 4 मामले विदेशी इक्विटी को बढ़ाकर 6.69 करोड़ रुपये की निवेश मंशा वाले औषध और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 100 प्रतिशत करने हेतु एफ.आई.पी.बी. द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। इस क्षेत्र में 1.8.1991 से 31.5.2002 तक 2916.81 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाले कुल 257 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण

577. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री आर.एल. जालप्पा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कई महीनों से देश के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर कर्नाटक में एच.आई.वी./एड्स के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में एच.आई.वी./एड्स के बढ़ते मामलों की रोकथाम करने हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ''यूनिसेफ'' कर्नाटक को नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है; और

(च) यदि हां, तो कर्नाटक को आपूर्ति की जाने वाली नि:शुल्क दवाओं की मात्रा कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक राज्य सहित सूचित एड्स रोगियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। सूचित एच.आई.वी./एड्स रोगियों की संख्या में वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित है:- (1) एच.आई.वी./एड्स रोगियों की भर्ती उपचार करने वाली संस्थाओं की संख्या में वृद्धि; (2) स्वैच्छिक परामर्श और जांच केन्द्रों की संख्या में वृद्धि और (3) एच.आई.वी./एड्स उपचार सुविधाओं के बारे में लोगों में अधिक जागरूकता।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2002-2003 के लिए कर्नाटक राज्य में एच.आई.वी./एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्य-योजना अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को प्रस्तुत की गई थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में कार्यक्रम-कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए 1099.22 लाख रुपये की सहायता के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। कर्नाटक राज्य की जरूरतों के अनुसार यूनिसेफ मां से बच्चे में होने वाले एच.आई.वी. संक्रमण के निवारण के लिए नेवीरेपाइन औषध की मुफ्त आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है।

विवरण

भारत में सूचित एड्स रोगियों की वार्षिक संख्या राज्य-वार

वर्ष मई, 1986 से सितम्बर, 2001 तक

क्रम सं.	राज्य	1986 से सि. 1992 तक	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8*	17
2.	आंध्र प्रदेश	1	0	0	4	19	15	7	2	485	732	1265
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	1	0	1	8	0	9	3	11	62	30	125
5.	बिहार	0	0	0	0	0	0	5	12	38	63	118
6.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	124	114	189	427
7.	दादरा व नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
9.	दिल्ली	31	14	19	25	27	90	13	0	64	358	641
10.	गोवा	2	6	4	0	0	0	0	7	10	46	75
11.	गुजरात	2	16	0	6	104	6	2	1	245	877	1259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	हरियाणा	1	0	0	0	0	0	0	0	47	141	189
13.	हिमाचल प्रदेश	2	1	6	0	0	0	0	16	15	51	91
14.	जम्मू - कश्मीर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15.	कर्नाटक	0	7	19	25	12	55	39	47	541	516	1261
16.	केरल	16	60	0	0	26	3	1	0	56	105	267
17.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	1	18	2	39	6	68	76	116	294	139	759
19.	महाराष्ट्र	93	31	156	760	520	930	824	64	348	2728	6454
20.	मणिपुर	4	18	46	31	55	147	0	61	364	307	1033
21.	मेघालय	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8
22.	मिजोरम	0	0	0	0	0	5	0	7	3	5	20
23.	नागालैण्ड	0	0	0	4	0	6	0	19	51	131	211
24.	उड़ीसा	0	0	2	0	0	0	0	0	52	28	82
25.	पांडिचेरी	6	0	0	94	24	8	9	0	0	0	141
26.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	52	31	4	135
27.	राजस्थान	1	0	0	2	0	51	25	27	106	136	348
28.	सिक्किम	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	4
29.	तमिलनाडु	92	61	192	37	199	521	532	2730	4206	6484	15054
30.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	1	7	0	0	48	53	16	41	93	202	461
32.	पश्चिमी बंगाल	5	12	10	12	11	7	0	0	0	668	725
33.	अहमदाबाद नगर निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	189
	कुल	260	252	457	1047	1051	1983	1602	3337	7234	14139	31362

[अनुवाद]

राजस्थान में डाक-तार सुविधाएं

578. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में डाक और तार सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में

डाक और तार सेवाओं का विस्तार तथा उन्नयन करने का है; और

(घ) उन ग्राम पंचायतों का ब्यौरा क्या है जिन्हें चालू वित्त वर्ष के दौरान डाक और तार सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) बाड़मेर और जैसलमेर जिलों सहित राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और तार की पर्याप्त सुविधा है। 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 9630 डाकघर और 204 पंचायत संचार सेवा केन्द्र काम कर रहे हैं, इनमें बाड़मेर जिले के 471 डाकघर और जैसलमेर जिले के 141 डाकघर भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) राजस्थान सर्किल को 75 नए पंचायत संचार सेवा केन्द्र और 18 शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य आबंटित किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में दो-दो पंचायत संचार सेवा केन्द्र और एक-एक शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। नए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों और शाखा डाकघरों का खोला जाना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तारघरों से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंडोनेशिया के साथ समझौता ज्ञापन

579. श्री टी. गोविन्दन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इंडोनेशिया के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) अप्रैल, 2002 में इंडोनेशिया की राष्ट्रपति मेगावती सुकर्णोपुत्री की यात्रा के दौरान (1) भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटेक) के अंतर्गत जकार्ता में संरक्षण क्षेत्र के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना और (2) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा इंडोनेशिया के नेशनल इन्स्टिट्यूट आफ एरोनाटिक्स तथा स्पेस के बीच बाह्य अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए हाल ही में दो समझौता ज्ञापन सम्पन्न किए गए थे।

इसके अतिरिक्त अप्रैल, 2002 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सरकारी और राजनयिक पासपोर्ट धारकों को वीजा से छूट से सम्बद्ध एक करार भी सम्पन्न किया गया।

पोत मरम्मत सुविधाएं

580. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में पोत मरम्मत सुविधाओं में सुधार हेतु उपायों की सिफारिश करने हेतु पोत परिवहन संबंधी एक निशेषज्ञ समूह गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि पोत मरम्मत सुविधाओं में मानकीकरण के अभाव में पोत परिवहन क्षेत्र को नुकसान हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो देश में इन सभी पोत मरम्मत कार्यों का मानकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) से (ग) इस मंत्रालय ने वर्ष 1998 में महानिदेशक (नौवहन) की अध्यक्षता में एक जहाज निर्माण संबंधी शीर्ष समिति का गठन किया था और इसकी रिपोर्ट अप्रैल, 2000 में प्राप्त हुई थी। शीर्ष समिति ने अपनी कई सिफारिशों में यह सिफारिश भी की थी कि देश में जहाज मरम्मत सुविधाओं को मजबूत किया जाना चाहिए और जहाज मरम्मत उद्योग को अवसंरचना का दर्जा देकर इसका आधुनिकीकरण आसान बनाया जाना चाहिए।

(घ) जी नहीं। इसका प्रमुख कारण है कि भारत में उपलब्ध मरम्मत सुविधाओं का मापदंड बड़े स्तर की मरम्मत जैसे कि जलयानों के निर्जल गोदीकरण आदि को प्रभावी रूप से हैंडल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए भारतीय पोतमालिक विदेश में अपने पोतों की मरम्मत कराने को वरीयता देते हैं।

(ङ) देश में सभी पोत मरम्मत प्रचालनों का मानकीकरण करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम इस प्रकार हैं:-

1. इस समय भारत में उपलब्ध जहाज मरम्मत सुविधाएं सिंगापुर, दुबई और चीन में उपलब्ध सुविधाओं की तुलना में अत्यंत छोटी हैं। जब पोत मरम्मत से संबंधित विशाल अवसंरचना उपलब्ध हो और पोत मरम्मत के लिए पर्याप्त संख्या में कई क्रयादेश मौजूद हों, केवल तभी पोत मरम्मत प्रचालनों के मानकीकरण की गुंजाइश हो सकती है। तथापि, शिपयार्डों द्वारा पोत मरम्मत प्रचालनों का मानकीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दो प्रमुख शिपयार्डों अर्थात् कोचीन शिपयार्ड लि., कोचीन और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम में जहाज मरम्मत सुविधाओं को योजना स्कीमों के अनुसार आधुनिक बनाया जा रहा है। मुम्बई और कलकत्ता पत्तनों में भी जहाज मरम्मत सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है।

2. डिजाइन और निर्माण के स्तर पर ''उपकरण और मशीनरी का मानकीकरण'' करने से नौवहन क्षेत्र के लिए जहाज मरम्मत और अनुरक्षण संबंधी समय और लागत कम करने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय पोत डिजाइन एवं अनुसंधान केन्द्र (एन एस डी आर सी) जोकि इस मंत्रालय के प्रशासनिक मंत्रालय में एक स्वायत्त सोसायटी है, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के लिए 18 जलयानों के मुख्य इंजन, जनरेटर सैट, कम्प्रेसर और पम्प, जी एम डी एस एस उपस्कर आदि जैसे सभी प्रमुख मशीनरी और उपस्करों के मानकीकरण में सक्रिय रूप से शामिल है।

3. जलयान के जहाज मरम्मत संबंधी इतिहास, बाजार में विभिन्न उपस्कर/मशीनरी/अतिरिक्त पुर्जों की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न कारकों से संबंधित सूचना की उपलब्धता से जहाज मरम्मत प्रचालनों में समय और लागत घटाने में मदद मिलेगी। एन एस डी आर सी ने ''ड्राई डाकिंग इनफारमेशन रिट्रीवल सिस्टम'' नाम से एक साफ्टवेयर विकसित किया है जो जलयानों और इसके उपस्कर के जहाज मरम्मत तैयारी की जानकारी पता करने में मदद करता है जिससे मालिकों को भावी मरम्मतों की तैयारी करने में सहायता मिलती है। एन एस डी आर सी ने एक साफ्टवेयर पैकेज ''प्लांड मैंटेनेंस सिस्टम'' भी विकसित किया है जो अनन्य रूप से प्रमुख उपस्कर के अनुरक्षण के लिए है। उपर्युक्त दोनों पैकेज जलयानों की अनुरक्षण आवश्यकताओं की प्रत्याशा और तैयारी में मालिकों को मदद देने के लिए हैं जिससे समय और लागत की बचत होती है। इसके अतिरिक्त एन एस डी आर सी ''प्रोडेक्ट स्ट्रक्चर डायरेक्टरी स्टैंडर्ड फार शिप्स'' का विकास करने के लिए बी आई एस और आई एस ओ के आई एस ओ/टी सी 8 के साथ मिल कर काम कर रहा है।

कर्नाटक में लघु उद्योगों का बंद होना

581. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कारणों यथा बिजली की कीमत में वृद्धि तथा महंगी मजदूरी इत्यादि के कारण कर्नाटक में बहुत से लघु उद्योग बंद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन इकाइयों को पुन: चालू करने और उन्हें मजबूत बनाने हेतु प्रोत्साहन देने की मंजूरी दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) कलोजड यूनिटों के संबंध में सूचना का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है। तथापि, वाणिज्यिक बैंकों वित्तपोषित की जाने वाली रूग्ण लघु उद्योग यूनिटों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डाटा का संकलन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के यहां उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार मार्च, 2001 के अन्त तक कर्नाटक राज्य में 4400 रूग्ण यूनिटें थी।

(ग) और (घ) सरकार लघु उद्योग यूनिटों के बीच औद्योगिक रूग्णता की घटना के बारे में पूर्ण रूप से सजग है तथा विभिन्न उपाय किए गए हैं ताकि समय रहते उनका पता लगाया जा सके तथा संभाव्य जीवनक्षम यूनिटों का पुनर्वास किया जा सके जिसमें इसके साथ-साथ शामिल है राज्य-स्तरीय अन्तर-संस्थागत समितियां (एस.एल.आई.आई.सी.) के रूप में संस्थागत तंत्र, बैंकों तथा राज्य वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वास एकक बनाना तथा पात्र यूनिटों को पुनर्वास सहायता विस्तारित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को विस्तार से कहना। इसके अलावा, रूग्ण/कलोजड यूनिटों के पुनर्वास के लिए कर्नाटक सरकार अधिकतम 2.50 लाख रु. की राशि के अध्याधीन परियोजना लागत के 25% की दर से सीड मार्जिन मनी के रूप में सहायता प्रदान कर रही है, बन्द अवधि के दौरान नियत प्रभारों का अधित्याग करना, ऊर्जा बिलों के बकायों की अदायगी को किस्तों में करना तथा बन्द अवधि के दौरान ब्याज का अधित्याग करना।

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए मासिक किराया

582. श्री सुबोध मोहिते: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि. ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए मासिक किराये में वृद्धि करने की टी आर ए आई के निर्णय को लागू न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए टी आर ए आई द्वारा और क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के दूरसंचार टैरिफ आदेश (20वां संशोधन) दिनांक 14 मार्च, 2002 में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए किराये की राशि प्रति माह 250 रु. से बढ़ा कर 310 रु. और नि:शुल्क कालों की संख्या प्रति माह 75 से घटा कर 30 कर दी गई है। तथापि, यह टैरिफ आदेश ट्राई के आदेश में दी गई परिभाषा के अनुसार उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की श्रेणियों में विभाजित/वर्गीकृत कर सकने में सामने आ रही कठिनाई के कारण एमटीएनएल द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, यह महसूस किया गया कि बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के वर्तमान दौर में टैरिफ में वृद्धि करने पर ग्राहकों की संख्या कम हो सकती है और वे ग्राहक दूसरे प्रतिस्पर्धी कंपनियों की सेवाएं ले सकते हैं।

अत: एमटीएनएल इस समय मौजूदा टैरिफ ढांचे को ही बनाए हुए है।

(घ) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए मानक पैकेज में ट्राई ने बिलिंग चक्र के प्रत्येक माह में अनुमत नि:शुल्क कालों की संख्या घटा कर ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 45 और शहरी उपभोक्ताओं के लिए 30 कर दी है जबकि पहले के मानक पैकेज में यह संख्या क्रमश: 75 और 60 मीटर्ड काले थी।

(ङ) चूंकि ट्राई के दूरसंचार टैरिफ आदेश (20वां संशोधन) 2002 में ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है, अत: प्रचालक इस स्तर से नीचे टैरिफ निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

गांवों में लघु उद्योग

583. **श्री मोहन रावले:** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काम की तलाश में ग्रामवासियों के शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिए प्रत्येक गांव में कम से कम एक लघु उद्योग स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) लघु उद्योगों की स्थापना करना एक वैयक्तिक उद्यमियों का क्रियाकलाप है और केन्द्रीय सरकार किसी लघु उद्योग की स्थापना नहीं करती है। तथापि, विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से लघु उद्योगों का संवर्धन करना सरकार का एक सजग नीति निर्णय रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्पोर्ट्स ला कालेज

584. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विशेषकर गुजरात राज्य ने वर्तमान मौजूदा खेल नीति के अंतर्गत खेलने को बढ़ावा देने हेतु स्पोर्ट्स कालेज/स्कूल खोलने/शुरू करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार, फिलहाल स्पोर्ट्स ला कालेज/स्कूल खोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय हाकी दल का विदेशी दौरा

585. श्री राजो सिंह: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय हाकी दल द्वारा किए गए विदेशी दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक विदेशी दौरे पर भारतीय हाकी फेडरेशन द्वारा कितना खर्च किया गया है; और

(ग) इन दौरों की क्या उपलब्धियां रहीं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) भारतीय हाकी टीम द्वारा किए गए विदेशी दौरों, भारतीय हाकी परिसंघ द्वारा किया गया व्यय जिसमें ऐसे प्रत्येक दौरे पर सरकारी सहायता शामिल है, तथा ऐसे दौरों के जरिए प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	विदेशी दौरों का ब्यौरा	सरकारी सहायता सहित भारतीय हाकी परिसंघ द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा (रुपये में)	उपलब्धियां
1	2	3	4
1999			
1.	अखबार-अल-योम प्रथम हाकी टूर्नामेंट 2-9 फरवरी, 99 काहिरा (मिश्र)	9,15,642	दूसरा स्थान
2.	भारत पाक टैस्ट श्रृंखला पाकिस्तान 15-25 फरवरी, 1999	35,26,047	–
3.	भारत जर्मन टैस्ट श्रृंखला भारत-बेल्जियम टैस्ट श्रृंखला जर्मनी/बेल्जियम 8-20 जून, 1999	24,92,315	विजेता (भारत बेल्जियम टैस्ट श्रृंखला)
4.	जूनियर चैलेंज ओपन टूर्नामेंट पोजनान (पोलैण्ड) 10-29 अगस्त, 1999	26,87,369	दूसरा स्थान
5.	भारत-दक्षिण अफ्रीका टैस्ट श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका 12-21 अगस्त, 1999	19,78,881	–
6.	जिम्बाब्वे, केन्या एवं यूगाण्डा टूर्नामेंट 24 अगस्त-10 सितम्बर, 1999	9,32,796	विजेता
7.	4 राष्ट्रों का टूर्नामेंट केनबरा/सिडनी 16-26 सितम्बर, 1999	23,24,610	–
8.	5वां एशिया कप कुआलालम्पुर 18 से 28 नवम्बर, 1999	19,94,859	तीसरा स्थान
2000			
1.	4 राष्ट्रों का टूर्नामेंट-स्पेन तथा भारत-कनाडा-बेल्जियम टेस्ट श्रृंखला 6-15 जनवरी, 2000 बार्सिलोना	28,11,347	टेस्ट श्रृंखला विजेता

1	2	3	4
2.	दसवां सुल्तान अजलान शाह कप 16-26 फरवरी, 2000 क्वालालम्पुर, मलेशिया	13,02,588	कांस्य पदक
3.	अखबार-अल-योम दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट 13-19 फरवरी, 2000 काहिरा-मिश्र	16,60,261	तीसरा स्थान
4.	प्रशिक्षण शिविर-मुरविल्लुम्भ और 4 राष्ट्रों का डबल लेग हाकी टूर्नामेंट सिडनी/पर्थ 20 मार्च से 16 अप्रैल, 2002	55,88,387	विजेता
5.	चौथा जूनियर पुरुष एशिया कप, 3-14 मई, 2000 क्वालालम्पुर मलेशिया	22,29,693	दूसरा स्थान
6.	16 वर्ष से कम आयु के लड़कों का ए.एच.एफ. कप 16-26 जून, 2000 सिंगापुर	20,83,354	स्वर्ण पदक
7.	4 राष्ट्रों का हाकी टूर्नामेंट, 16-20 अगस्त, 2000 पोजनान (पोलैण्ड)	16,98,438	दूसरा स्थान
8.	प्रशिक्षण कार्यक्रम-मुरविल्लुम्भ और सिडनी ओलम्पिक्स-2000-18 अगस्त से 7 सितम्बर, 2000	50,78,369	रैंकिंग-7
2001			
1.	अखबार-अल-योम तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट 23 फरवरी से 02 मार्च, 2001 काहिरा-मिश्र	13,45,234	स्वर्ण पदक
2.	पी.एम. स्वर्ण कप 10-20 मार्च, 2001 ढाका (बांग्लादेश)	4,13,239	विजेता
3.	समारांच कप- 4 राष्ट्रों का हाकी टूर्नामेंट, मास्को 12-16 जून, 2001	13,01,360	विजेता
4.	भारत-मलेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड टेस्ट श्रृंखला 2-25 जून, 2001	40,52,008	-
5.	ए.एच.एफ. ब्वायज यूथ (18 वर्ष से कम आयु) 1-10 जून, 2001 - इपोह (मलेशिया)	13,47,672	स्वर्ण पदक
6.	4 राष्ट्रों का टूर्नामेंट-मिल्टन (कीनीज) 10वां विश्व कप-क्वालीफायर-एडिनबरा, 17-29 जुलाई, 2001	5714,664	विजेता विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया
7.	11वां सुल्तान अजलान शाह कप 2-12 अगस्त, 2001 क्वालालम्पुर	11,18,513	-
8.	जूनियर चैलेंज ओपन टूर्नामेंट 13-19 अगस्त, 2001 पोजनान (पोलैण्ड)	20,49,848	दूसरा स्थान

1	2	3	4
9.	पांचवां राष्ट्रीय जूनियर इन्वीटेशनल हाकी टूर्नामेंट 26 अगस्त से 2 सितम्बर, 2001 क्वालालम्पुर	5,70,110	दूसरा स्थान
10.	सातवां जूनियर विश्व कप 9-21 अगस्त, 2001 होबर्ट-आस्ट्रेलिया	45,53,586	स्वर्ण पदक
11.	प्रथम पुरुष चैम्पियन चैलेंज टूर्नामेंट 7-15 दिसम्बर, 2001 क्वालालम्पुर	26,01,722	विजेता

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों में खिलाड़ियों की संख्या

586. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन खिलाड़ियों का ब्यौरा क्या है जो सरकारी उपक्रमों में कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का सरकारी उपक्रमों में क्रिकेट खिलाड़ियों को रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है क्योंकि उनकी आय अन्य खिलाड़ियों की तुलना में बहुत अधिक होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय सरकारी उपक्रमों में कार्यरत खिलाड़ियों से संबंधित ब्यौरों का कोई रिकार्ड नहीं रखता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार की नीति युवा व्यक्तियों को खेलों को आजीविका के रूप में अपनाने के वास्ते प्रेरित करने तथा अनेक प्रोत्साहन देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करना है।

बिलिंग हेतु ग्रामीण क्षेत्र

587. श्री पी.सी. थामस: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में किन क्षेत्रों को जनवरी, 2002 के पश्चात फोन बिलिंग तथा अन्य सुविधाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि और भी बहुत से ग्रामीण क्षेत्र हैं जिन पर फोन बिलिंग तथा अन्य सुविधाओं के लिए विचार नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सभी स्थान ग्रामीण क्षेत्र हैं:

* ऐसे स्थान जहां नगरपालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड है या जो अधिसूचित कसबाई क्षेत्र हैं, या
* ऐसे स्थान जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों:
* 5000 की न्यूनतम आबादी
* काम में लगे पुरुषों की आबादी का कम से कम 75% गैर कृषि व्यवसाय में लगे हों, और
* आबादी का घनत्व कम से कम 400 प्रति वर्ग किमी (1000 प्रति वर्ग मील) हो।

इस परिभाषा के अनुसार केरल में ग्रामीण क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में रियायती ग्रामीण टैरिफ पर फोन बिलिंग करने पर विचार किया जाता है।

(घ) से (च) जी हां। शिकायतें मुख्य रूप से निम्नलिखित स्वरूप की होती हैं:

(1) भारत की जनगणना के अनुसार किए गए वर्गीकरण पर होने वाले उपभोक्ता विवाद।

(2) जनगणना रिपोर्ट के अनुसार कुछ मामलों में किसी एक पंचायत के कुछ वार्ड ग्रामीण हैं और अन्य वार्ड शहरी हैं। जब इन दोनों क्षेत्रों में एक ही टेलीफोन एक्सचेंज से सेवा प्रदान की जाती है तो ग्राहक टैरिफ लागू करने में विभेदी रवैया अपनाने की शिकायत करते हैं।

तथापि सभी शिकायतों की जांच की जाती है और मौजूदा नियमों की अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

नया अत्याधुनिक उपग्रह विकसित करना

588. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दूर-संवेदन क्षेत्र में भारती की महत्वपूर्ण स्थिति बनाये रखने हेतु नये अत्याधुनिक उपग्रहों को विकसित करने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो नये उपग्रहों को प्रक्षेपित करने हेतु किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है; और

(ग) नये उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारत भूमि तथा जल संसाधन प्रबन्ध, बड़े पैमाने पर मानचित्रण उपयोग और समुद्र तथा मौसम विज्ञानीय उपयोगों से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों से सीधे संबंध उपयोगों के लिए उन्नत लक्षणों सहित सुदूर संवेदन उपग्रहों को विकसित करने की प्रक्रिया में है।

(ग) प्रयोक्ता समुदाय को सेवाओं में निरन्तरता प्रदान करने के लिए क्रमबद्ध रूप से उन्नत उपग्रहों की उपर्युक्त श्रृंखला को आगामी वर्षों में प्रमोचित करने की योजना है। यह आशा की जाती है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मेटसैट-1, रिसोर्ससैट-1, कार्टोसैट-1 और 2, ओशनसैट-2 और मेघाट्रोपिक्स जैसे उन्नत उपग्रहों को प्रमोचित किया जायेगा।

बुनियादी टेलीफोन सुविधाओं हेतु लम्बित आवेदन

589. श्री भीम दाहाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बुनियादी टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के क्षेत्र में कार्य करने हेतु अनुमति मांगने के लिए केन्द्र सरकार के पास कितने आवेदन लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन आवेदनों को शीघ्र मंजूर किए जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार के पास ऐसा कोई आवेदन लम्बित नहीं है जो बुनियादी टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के क्षेत्र में कार्य हेतु अनुमति लेने से संबंधित हो।

(ख) और (ग) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ओ आई सी में भारत का प्रवेश

590. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को इस्लामी देशों के संगठन का सदस्य बनाने के लिए कतर के प्रस्ताव को खारतूम में संगठन की हाल ही में हुई बैठक में अस्वीकार कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) कतर के विदेश मंत्री महामहिम शेख हमद बिन जस्सिम बिन जबोर अल-थानी, ने इस्लामी सम्मेलन संगठन के विदेश मंत्रियों की 25-27 जून, 2002 तक खारतूम में संपन्न पूर्ण बैठक में अपने भाषण में इस्लामी सम्मेलन संगठन में भारत के प्रवेश की पहली बार पर्यवेक्षक के रूप में इसके पश्चात किसी बाद की तिथि को संगठन की पूर्ण सदस्यता का प्रस्ताव किया था। यह

सूचित किया गया है कि कतर के विदेश मंत्री ने यह प्रस्ताव उन गैर-सदस्य राज्यों जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय हैं, के साथ संगठन के संबंधों तथा सुरक्षा और स्थायित्व के बारे में एक नए दृष्टिकोण के रूप में संस्कृतियों के बीच समझबूझ और सभ्यतागत संवाद संवर्धित करने की आवश्यकता की कल्पना के संदर्भ में किया था। तथापि, उपलब्ध समाचार के अनुसार, कतर ने बाद में इस प्रस्ताव को वापस ले लिया।

(ग) हम इसे इस तथ्य की मान्यता के रूप में देखते है कि संसार में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय भारत में है। जबकि हमारे इस्लामी सम्मेलन संगठन के अधिकांश राज्यों के साथ उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंध हैं। भारत इस संगठन का कोई सदस्य नहीं है और इसकी सदस्यता के लिए उसने विचार नहीं किया है।

[अनुवाद]

औषधियों की गुणवत्ता

591. श्री वी. वेन्निसेलवन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औषधियां खराब गुणवत्ता के कारण विदेशी औषधियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप भारत के औषधि निर्माता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय कम्पनियों की औषधियों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं। भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग देश की बल्क औषधों की 70 प्रतिशत जरूरत और फार्मूलेशनों की लगभग सारी मांग को पूरा करने में समर्थ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय औषधों और फार्मास्युटिकल्स एवं उत्कृष्ट रसायनों के निर्यात में पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज की गई वर्षवार वृद्धि इस प्रकार है:-

वर्ष	करोड़ रुपये में
1998-99	6256.07 रुपये
1999-2000	7230.16 रुपये
2000-2001 (अनंतिम)	8729.89 रुपये

(घ) औषधों की गुणवत्ता अन्तर्भूत रूप से गुणवत्ता प्रबन्धन की समग्र नीतियों से संबद्ध है जो उत्तम विनिर्माण पद्धतियों को अपनाने पर निर्भर करती है। भारत सरकार ने देश में प्रत्येक औषध विनिर्माता द्वारा अनुसरण करने हेतु उत्तम विनिर्माण पद्धतियों की अपेक्षाओं का उन्नयन करने हेतु दिनांक 11 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 894 (अ) के तहत् औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची "ड" को संशोधित किया है।

अनुसंधान प्रयोगशालाओं में पशुओं पर अत्याचार

592. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री के. येरननायडू:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसंधान प्रयोगशालाओं/संस्थाओं में पशुओं पर अत्याचार में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या अनुसंधान उद्देश्यों के लिए पशुओं के उपयोग पर मौजूदा प्रतिबंध से बी सी जी टीका, सर्प विष-रोधी टीके और कई अन्य महत्वपूर्ण टीकों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में मामले का समाधान करने के लिए एक समिति गठित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं तथा इस समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) अनुसंधान प्रयोगशालाओं/संस्थाओं में पशुओं पर अत्याचार की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य के लिए समिति (सी पी सी एस ई ए) ने उत्तम प्रयोगशाला कार्य

के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं। सी पी सी एस ई ए ने पशुओं के प्रजनन और पशुओं पर प्रयोग के लिए भी नियम बनाए हैं। सी पी सी एस ई ए के नामिती ने विभिन्न संस्थाओं/प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया और उनमें पाई गई कमियों पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित संस्थाओं का ध्यान दिलाया गया।

(ग) और (घ) अनुसंधान उद्देश्यों के लिए पशुओं के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सी पी सी एस ई ए द्वारा बनाए गए नियम केवल व्यवस्थापन प्रकृति के हैं। संस्थाओं/प्रयोगशालाओं से नियमों का अनुसरण करने तथा विभिन्न टीकों के उत्पादन को सरल बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करने की अपेक्षा है।

(ङ) ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जीवनरक्षक औषधियों की कमी

593. **श्री बीर सिंह महतो:**
श्री पी.आर. किन्डिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों मे अंतरंग (इनडोर) रोगियों के लिए जीवन-रक्षक औषधियां तथा अन्य अनिवार्य सामग्रियां उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में अस्पतालों द्वारा खरीदी गई जीवनरक्षक औषधियों तथा अन्य सामग्रियों का अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकारी अस्पतालों में इन औषधियों की कमी का लाभ उठाकर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के आस-पास निजी केमिस्ट दुकानें फैल गई हैं और गरीब रोगियों को लूट रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पशुओं के लिए अस्पताल/आश्रय स्थल

594. **डा. (श्रीमती) अनिता आर्य:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पशुओं की देखभाल हेतु अस्पताल/आश्रय स्थल का प्रावधान करने के लिए एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आश्रय स्थल के निर्माण संबंधी कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी हां, पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय स्थलों का प्रावधान संबंधी योजना का मूल उद्देश्य देश के सभी जिलों में पशुओं की देखभाल एवं सुरक्षा की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु आश्रय स्थलों की स्थापना एवं उनका रखरखाव करना है। इस योजना के घटक हैं- आश्रय स्थल, स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र चिकित्सा उपकरण, औषधियां और पानी की हौद। इस योजना के अंतर्गत स्वयं सेवी संगठनों/संस्थानों और सांविधिक जैसे स्थानीय निकायों को लागत के 90 प्रतिशत तक और अधिकतम 25.00 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है तथा शेष 10 प्रतिशत अंशदान प्रार्थी द्वारा दिया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत आश्रय स्थलों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	आश्रय स्थलों हेतु प्रस्तावों की संख्या
1.	1999-2000	80
2.	2000-2001	77
3.	2001-2002	91

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

595. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उन कंपनियों को रियायत देने की स्वीकृति प्रदान करने की योजना बनाई है जो फोन का अत्यधिक उपयोग करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मासिक किराया प्रणाली को समाप्त करने और काल प्रभारी प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने हाल ही में भारी छूट देने के संबंध में सभी बुनियादी सेवा प्रचालकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारी छूट की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दी गई है:

(1) छटू की अनुमति, मासिक किराए को छोड़कर, 500/- रुपये और इससे अधिक से बिल की राशि पर ही दी जाएगी;

(2) भारी छूट संबंधी सभी स्कीमें बुनियादी सेवा प्रचालकों के सम्पूर्ण सेवा क्षेत्र अर्थात् एक दूरसंचार सर्किल के अंतर्गत आने वाले सभी उपभोक्ताओं को उपलब्ध होनी चाहिए।

(ग) और (घ) टीआरएआई अधिनियम 1997 के अनुसार, टीआरएआई, (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित, दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार केवल टीआरएआई को दिया गया है। जैसाकि टीआरएआई ने बताया है, मासिक किराया प्रणाली समाप्त करने और केवल काल प्रभार प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कारण ये हैं कि उपभोक्ताओं को अलग-अलग टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदान को यह एक निर्धारित लागत वहन करनी पड़ती है। यह लागत उपभोक्ताओं द्वारा वहन की जानी चाहिए चाहे वे काल करें अथवा नहीं। यदि किराए को केवल काल प्रभार से बदला जाता है, तो टेलीफोन उन उपभोक्ताओं के लिए नि:शुल्क हो जाएगा जो काल नहीं करते हैं। इस प्रकार कम काल करने वाले उपभोक्ताओं के मामले में सेवा प्रदाता द्वारा खर्च की गई न्यूनतम लागत की राशि के मुकाबले वसूली गई राशि कम हो जाएगी।

पीसीओ-एसटीडी बूथों के नेटवर्क का विस्तार

596. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पीसीओ-एसटीडी बूथों के नेटवर्क के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरे देश में उनके पीसीओ/एसटीडी बूथों के संचालन को जारी रखने के लिए युवाओं को कौन से अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने बाजार में टेलीफोन कालों में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के संबंध में कोई चर्चा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) पीसीओ/एसटीडी बूथों का आबंटन और नेटवर्क का परिणामी विस्तार एक नियमित प्रक्रिया है। वर्तमान नीति के अनुसार एसटीडी पीसीओ बूथों को सभी पात्र आवेदकों को उनके पंजीकरण के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उदारतापूर्वक आबंटित किया जाता है। ऐसे स्थानों पर जहां टेलीफोनों को लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है, एक्सचेंज क्षमता का किसी भी सीमा तक पीसीओ आबंटित किए जाते हैं। अन्य सभी स्थानों पर एक्सचेंज क्षमता का 10% पीसीओ के आबंटन के लिए प्रयोग किया जाता है। नए पीसीओ खोलने के लिए दो पीसीओ के मध्य दूरी, स्थान तथा भवन के आकार आदि के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) पीसीओ फ्रेंचाइजियों को पीसीओ चलाने के लिए कमीशन दिया जाता है। उन्हें जनता से नियमानुसार सेवा प्रभार वसूल करने की भी अनुमति दी जाती है। फ्रेंचाइजियों को निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं भी दी गई हैं ताकि अधिकाधिक लोग पीसीओ चलाना पसन्द करें:-

(1) फैक्स मशीनों पर लाइसेंस शुल्क हटा दिया गया है।

(2) एसटीडी पीसीओ पर क्रान्फ्रेंस सुविधा दी गई है।

(3) पीसीओ चलाने के लिए पीसीओ फ्रेंचाइजियों द्वारा की गई प्रतिभूति जमा पर ब्याज की अनुमति दी गई है।

(4) उन शहरों/नगरों में जहां निजी प्रचालकों से प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, उन्हीं परिसरों में अतिरिक्त एसटीडी पीसीओ आबंटित किए जाते हैं।

(5) पीसीओ फ्रेंचाइजी को उनके चाहने पर एक लोकल लाइन कलैक्टिंग बाक्स (सीसीबी) पीसीओ भी आबंटित किया जाता है।

(6) चैक द्वारा पीसीओ बिलों का भुगतान करने की अनुमति दी गई है।

(7) पीसीओ फ्रेंचाइजियों द्वारा डाक टिकटों तथा लेखन सामग्रियों को बेचने की अनुमति दी गई है।

(8) पीसीओ फ्रेंचाइजियों को वीसीसी (वर्चुअल कालिंग कार्ड) कार्ड बेचने की अनुमति दी गई है।

(9) भुगतान न करने के कारण पीसीओ कनैक्शन काटे जाने के मामले में, लंबित देयों के भुगतान के 24 घंटे के भीतर पीसीओ चालू करना होता है।

(10) पीसीओ बिल विस्तृत विवरणों के साथ जारी किए जाते हैं।

(11) पीसीओ की सुरक्षा का प्रबंध किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, उन शहरी क्षेत्रों में जहां सेल्यूलर पीसीओ प्रचालित किए जाते हैं तथा जहां प्रतिस्पर्धा होती है, वहां प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए (मेट्रो) शहरों के लिए लागू नहीं) देय कमीशन 20% के स्थान पर 22% होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में देय कमीशन 25% है। जिन स्थानों पर बुनियादी सेवा प्रचालकों से प्रतिस्पर्धा हो, उन स्थानों के लिए बीएसएनएल के मुख्य महा प्रबंधकों को 25% तक अधिक कमीशन देने की शक्तियां भी दी गई हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय विकास परिषद्

597. श्री सुंदरलाल तिवारी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय विकास परिषद् का उद्देश्य क्या है और इसकी बैठकें कितने अंतराल से होती है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से धनराशि के आबंटन विषयक मापदंडों को परिवर्तित करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस विषय में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन दिनांक 6 अगस्त, 1952 को मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प द्वारा निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु किया गया था:-

(1) समय-समय पर राष्ट्रीय योजना की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करना;

(2) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार-विमर्श करना; और

(3) लोगों की सजग भागीदारी एवं सहभागिता सुनिश्चित करने के उपाय, प्रशासनिक सेवाओं की क्षमता में सुधार, अल्प विकसित क्षेत्रों एवं समुदाय के वर्गों का पूर्ण विकास सुनिश्चित करने तथा सभी नागरिकों द्वारा समान रूप से बलिदान के जरिए राष्ट्रीय विकास हेतु संसाधनों के निर्माण सहित राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपायों की सिफारिश करना।

प्राय: जब भी आवश्यक होगा परिषद् की बैठक होगी तथा किसी भी मामले में कम से कम वर्ष में दो बार बैठक होगी। अब तक राष्ट्रीय विकास परिषद् की 49 बैठकें हो चुकी हैं।

(ख) से (ङ) कुछ राज्यों द्वारा राज्यों का सामान्य केन्द्रीय सहायता के आवंटन हेतु गाडगिल फार्मूले में संशोधन की मांग की गई है। इस संबंध में, योजना आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों से उनके विचार और सुझाव मांगे हैं। राज्यों के विचारों में काफी मतभेद हैं। सामान्य रूप से, विकसित राज्यों ने निष्पादन पर अत्यधिक महत्व देने की मांग की है, कम विकसित राज्यों ने पिछड़ेपन पर अत्यधिक महत्व देने की मांग की है। अत: पूर्ण योजना आयोग ने दिनांक 27 और 29 जून, 2001 को संपन्न हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ गाडगिल फार्मूले के संशोधन के मुद्दे पर चर्चा की और राज्य-सरकारों के बीच विचारों के मतभेद तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस पर और अधिक चर्चा किए जाने तथा एनडीसी द्वारा विकल्पों पर विचार किए जाने से पूर्व मतैक्य बनाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

सीमापार से आतंकवाद को रोकने के लिए भारत-अमरीका सहयोग

598. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और इसे रोकने के उद्देश्य से आसूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी में साझीदारी के मुद्दे पर अमरीका के साथ द्विपक्षीय सहयोग का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय पर जून, 2002 में भारत की यात्रा पर आए अमरीकी उपविदेश मंत्री के साथ चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां। जनवरी, 2000 में स्थापित आतंकवाद विरोधी कार्रवाई पर भारत-संयुक्त राज्य संयुक्तकार्य दल ने अन्य बातों के साथ-साथ गुप्त सूचना को बांटने और आतंकवाद का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने पर बल दिया गया है। इस संदर्भ में सीमा-पार घुसपैठ पर रोक लगाने की समग्र क्षमताओं के विकास हेतु सेंसर-आधारित प्रौद्योगिकियों को प्रदान करने के संयुक्त राज्य के प्रस्ताव की जांच सरकार कर रही है। 11-12 जुलाई, 2002 को वाशिंगटन डी.सी. में आयोजित अपनी पांचवीं बैठक में दोनों पक्ष आतंकवाद विरोधी कार्रवाई संबंधी प्रौद्योगिकियों और उपस्कर में सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमत थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यात्रा चेतावनी

599. श्रीमती प्रभा राव:
श्री जे.एस. बराड़:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक देशों ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन देशों की गलतफहमी दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां महोदय। अमेरिका. यू.के., फ्रांस, स्वीडन आस्ट्रिया, इटली, नीदरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, कोरिया गणतंत्र, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, कुवैत और रोमानिया ने क्षेत्र में उत्पन्न तनाव को देखते हुए अपने नागरिकों को भारत में यात्रा न करने की सलाह जारी की है।

(ग) इस मामले में हमने सम्बन्धित विदेशी सरकारों को अपने दूतावासों, जो नियमित रूप से उनके सम्पर्क में थे, के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ अपनी गलतफहमियों को दूर करने के इरादे से पूर्ण स्थिति के बारे में जानकारी दे दी है।

गर्भाशय और वीर्य का उपयोग

600. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इच्छुक दाताओं के गर्भाशय और वीर्य का उपयोग करके परखनली शिशु और सहायक प्रजनन तकनीक से पैदा होने वाले नवजातों को वैध ठहराने के लिए कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी जायदाद और अन्य अधिकारों की जांच की है तथा उन्हें सुनिश्चित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय रोग सहायता निधि

601. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय रोग सहायता निधि की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने अस्पताल शामिल किये गये हैं; और

(ग) अस्पतालों के चयन के लिए क्या मानदंड हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे और प्रमुख जीवन घातक रोगों से पीड़ित रोगियों को एक बारगी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जिससे कि वे आवश्यक चिकित्सीय उपचार प्राप्त कर सकें, 1996-97 के दौरान भारत सरकार से 5 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक अंशदान के साथ राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि की स्थापना की गई है।

भारत सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की बीमारी सहायता निधियों के लिए भी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को सहायता अनुदान देने की एक योजना के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रति मामला 1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता वाले मामले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की बीमारी सहायता निधियों द्वारा निपटाए जाते हैं और प्रति मामला 1.5 लाख रुपए से ऊपर की वित्तीय सहायता वाले मामले राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि द्वारा राज्य स्तरीय बीमारी सहायता निधि/चिकित्सीय राहत सोसायटी की सिफारिश पर निपटाए जाते हैं।

अलग-अलग व्यक्ति, निगमित निकाय और परोपकारी संगठन भी राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि और राज्य निधियों को अंशदान दे सकते हैं।

(ख) और (ग) किसी सरकारी/निजी/अति विशिष्टता प्राप्त अस्पताल में उपचार करा रहे लाभार्थियों को राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि के अधीन सहायता प्रदान की जा सकती है। वैसे, सरकारी अस्पतालों को अधिमान दिया जाता है। जहां तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निधियों का संबंध है, राज्य बीमारी सहायता निधि में शामिल किए जाने वाले अस्पतालों के बारे में निर्णय करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का कार्य है।

नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन-पत्र

602. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्ट-वेस्ट हाई-वे आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क की स्थापना के लिए नेपाल को सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु नेपाल को कितनी आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौता ज्ञापन-पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब तक लागू होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने नेपाल सरकार को भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के अंतर्गत टर्नकी आधार पर नेपाल के ईस्ट-वेस्ट हाइवे पर सिंक्रोनस डिजिटल हायरआर्की (एसडीएच) आधारित आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) परियोजना का प्रस्ताव किया है।

परियोजना का अनुमानित मूल्य 84 करोड़ रुपए है जो लगभग 1000 कि.मी. के रूट लिंक को कवर करेगी तथा पूर्व में भद्रापुर से लेकर पश्चिम में नेपालगंज तक ईस्ट-वेस्ट हाइवे के 81 स्टेशनों को जोड़ेगी। इस परियोजना की सम्पूर्ण लागत नेपाल को सहायता अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) नेपाल के दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार और नेपाल की शाही सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 12.4.2002 को हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता-ज्ञापन में नेपाल के ईस्ट वेस्ट हाइवे पर आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) आधारित सूचना सुपर हाईवे की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

(ङ) परियोजना को दो वर्ष की अवधि में कार्यान्वित करने की संभावना है।

[हिन्दी]

गांधी संग्रहालय पर वेबसाइट

603. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी के संबंध में महत्व रखने वाली एक वेबसाइट 'गांधी म्यूजियम' बनायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस वेबसाइट को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) जी, नहीं। किंतु, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय नामक एक पंजीकृत संस्था ने 'गांधी म्यूजियम' नाम से एक वेबसाइट तैयार की है। इस वेबसाइट को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

एड्स का टीका

604. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में वसिनिया अंकारा एमवीए नामक एड्स के टीके का परीक्षण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस टीके का ब्यौरा क्या है और इस परीक्षण के क्या परिणाम हैं; और

(ग) यह टीका कब तक आम जनता के लिए जारी कर दिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) आशोधित वैक्सीनिया अंकारा (एम.वी.ए.) आधारित एच.आई.वी. वैक्सीन विकास की अवस्था में है जिसमें अनेक जटिल एवं पेचीदा कार्रवाइयां निहित हैं और यह नैदानिक परीक्षण के चरण में नहीं पहुंचा है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

अनुबंध और श्रेणीकरण प्रणाली

605. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खिलाड़ियों को भुगतान करने के लिए "अनुबंध और श्रेणीकरण प्रणाली" ईजाद की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, खिलाड़ियों को भुगतान करने के लिए अनुबंध और श्रेणीकरण प्रणाली संबंधी मामला अभी भी इसके विचाराधीन है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

606. श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सूची को बड़ा बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों के एक्जिक्यूटिव प्राधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी लोक सभा एवं राज्य सभा समितियों की अनुशंसा पर अद्यतन नवीनतम दिशा निर्देशों (अप्रैल, 2002) में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुमेय कार्यों की सूची में कार्य के निम्नलिखित मदों को जोड़ा गया है:-

(1) सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त लेकिन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के लिए शैक्षिक प्रकृति के श्रव्य-दृश्य साधनों का क्रय, बशर्ते इनकी सुरक्षा के लिए उचित स्थान एवं प्रावधान हो।

(2) स्थानीय निकायों के लिए नाइट स्वायल डिस्पोजल प्रणाली का क्रय।

(3) बाढ़ एवं तूफान प्रभावित क्षेत्रों के लिए मोटर बोटो का क्रय।

(4) पशुओं की देखभाल/कल्याण संबंधी कार्य जेसे भवनों/आश्रय स्थलों का निर्माण, एंबुलैंस, चिकित्सा उपकरण का प्रावधान और आधारभूत सुविधाओं का विकास जैसे पेयजल, जल निकास इत्यादि का प्रावधान।

उपर्युक्त के अलावा पंजीकृत सोसाइटियों एवं ट्रस्टों को भी, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुमेय कार्यों को करने की अनुमति दे दी गई है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों का उपयोग संबंधित संसद सदस्य की अनुशंसा पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में राज्य सरकार के सहयोग के रूप में केवल उन कार्यों के लिए भी किया जा सकता है, जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुमेय हैं।

(ग) और (घ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अद्यतन दिशा-निर्देश राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों, सभी जिला प्रमुखों, और संसद सदस्यों सहित सभी संबंधितों को परिचालित कर दिए गए हैं।

आतंकवादियों को धनराशि

607. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री राधामोहन सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादियों को पाकिस्तान उच्चायोग और भारत में भूतपूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त के माध्यम से धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास यह सिद्ध करने के लिए परिस्थितिजन्य प्रमाण हैं कि पाकिस्तान उच्चायोग और इसके उच्चायुक्त की गतिविधियां जेनिवा समझौते की भावना के विरुद्ध थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पाकिस्तान उच्चायोग और भूतपूर्व पाक उच्चायुक्त के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र में विरोध दर्ज कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में सीमा पार आतंकवाद को उकसाने और प्रेरित करने की अपनी नीति के एक भाग के रूप में, पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करता है। आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषित करना पाकिस्तान की आतंकवाद के लिए एक प्रतिपादित आधारसंरचना है।

(ग) से (ङ) जब तक आतंकवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाए, भारत आतंकवाद को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति वचनबद्ध है। हमारी संसद पर 13 दिसम्बर को हुए आक्रमण के पश्चात्, सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध कई राजनयिक उपायों की घोषणा की थी जिनमें दोनों देशों के हाई कमीशनों के स्टाफ में 50% की कटौती और नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के हाई कमीशन के अधिकारियों और स्टाफ की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध शामिल है।

भारत वार्ता और सांमजस्य, जो शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के अनुरूप हो, के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।

चिकित्सीय लापरवाही

608. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में हाल के वर्षों में चिकित्सीय लापरवाही के कारण मौतों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आई इस प्रकार की घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जहां तक दिल्ली के तीन केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों अर्थात् डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान चिकित्सीय लापरवाही के कारण हुई मौत की कोई घटना दर्ज नहीं की गई है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

महापत्तन न्यास अधिनियम में संशोधन

609. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महापत्तन न्यास अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ सांसदों/राज्य सरकारों/संगठनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) से (ङ) महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 2001 दिनांक 31.8.2001 को संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन करना है। महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 2001 को विभाग से संबंधित परिवहन तथा पर्यटन पर संसदीय स्थायी समिति को जांच तथा रिपोर्ट के लिए भेजा गया है।

तम्बाकू निषेध सप्ताह

610. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष मई-जून में अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध सप्ताह मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो योजना का और इसके अंतर्गत शुरू किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2001-2002 के दौरान देश में तम्बाकू के कारण हुई मौतों का प्रतिशत और संख्या कितनी है; और

(घ) तम्बाकू के वैकल्पिक उपयोग को खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) दिनांक 31 मई, 2002 को "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" मनाया गया।

(ख) तम्बाकू के कुप्रभावों का प्रचार करने तथा इसके उपभोग को निरूत्साहित करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों तथा देश भर में अनेक कार्यशालाएं/संगोष्ठियां तथा सांस्कृतिक/खेल-कूद कार्यकलाप आयोजित किए गए।

(ग) वर्षवार आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। वैसे, अनुमान है कि भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 8 लाख व्यक्ति तम्बाकू के उपभोग के कारण मरते हैं।

(घ) चबाने अथवा धूम्रपान के प्रयोजनों के अलावा तम्बाकू का बहुत ही सीमित उपयोग है।

यूरोपीय संघ द्वारा दूत भेजना

611. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने भारत और पाकिस्तान में दूत भेजने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय लक्जमबर्ग में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक में लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत ने इस कदम का स्वागत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) यूरोपीय संघ सामान्य मामले परिषद ने विदेश मंत्रालयी स्तर की लक्जमबर्ग में हुई बैठक में यूरोपीय संघ द्वारा भारत और पाकिस्तान के लिए काम करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अन्यों के साथ मिलकर तात्कालिक संकट को समाप्त करने और भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रयासों को समर्थन देने की अपनी वचनबद्धता की पुष्टि की है। यूरोपीय संघ परिषद को 21 और 22 जून, 2002 को सेविली में हुई बैठक में घोषणा करते हुए कहा गया कि दोनों देशों को अपने मतभेद आपसी बातचीत से हल करने चाहिएं और सुझाव दिया गया कि यूरोपीय संघ उच्च प्रतिनिधि श्री सोलाना क्षेत्र का शीघ्र दौरा करें।

(घ) और (ङ) यूरोपीय संघ उच्च प्रतिनिधि का संभावित दौरा आपसी सुविधाजनक समयानुसार विचाराधीन है।

नई एड्स नीति

612. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई एड्स नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह नई नीति पुरानी नीति से किस प्रकार भिन्न है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

(1) महामारी को और अधिक फैलने से रोकना तथा महामारी के प्रभाव को न केवल संक्रमित व्यक्तियों वरन् सभी स्तरों पर आम जनसंख्या की स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर कम करना। यह नीति 2007 तक नए संक्रमणों के शून्य स्तर को प्राप्त करने के लिए आम जनसंख्या में एच.आई.वी./एड्स के संक्रमण स्तरों के प्रभावकारी नियंत्रण की संकल्पना करती है;

(2) एच.आई.वी. संक्रमण को रोकने और व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिज्ञा की प्रभावशाली रूप से पुनरावृत्ति हेतु;

(3) सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तरों यथा केन्द्रीय मंत्रालयों और भारत सरकार की एजेन्सियों, राज्य सरकारों, नगर-निगमों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों, पंचायती संस्थानों और स्थानीय संकायों पर इसे निश्चित रूप से राष्ट्रीय प्रयास बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों के मध्य स्वामित्व की भावना पैदा करना;

(4) एच.आई.वी./एड्स के निवारण हेतु एक समर्थ सामाजिक-आर्थिक वातावरण पैदा करना, एच.आई.वी./एड्स ग्रस्त लोगों को परिचर्या और सहायता प्रदान करना और स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली की पहुंच के अधिकार, शिक्षा, रोजगार और गोपनीयता के अधिकार सहित उनके मानव अधिकारों का संरक्षण/प्रोत्साहन, एच.आई.वी./एड्स की समस्याओं के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए एक परिवर्द्धित सामुदायिक पहल के लिए अनेक गैर सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संस्थाओं की सहायता जुटाना;

(5) वित्तीय और उत्तरदायित्वों के उचित प्रशासनिक प्रत्यायोजन के साथ एच.आई.वी./एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का फील्ड स्तर पर विकेन्द्रीकरण करना;

(6) राज्य सरकारों, नगर-निगमों, पंचायत संस्थानों और कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों में कार्यक्रम प्रबंधन क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण करना;

(7) अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों यथा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, क्षयरोग नियंत्रण, एकीकृत बाल विकास योजना और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के साथ कार्यान्वयन स्तर पर संस्तर एकीकरण लाना;

(8) स्वास्थ्य शिक्षा कानूनी स्थिति और आर्थिक संभावनाओं को सुधार कर महिलाओं, बच्चों और सामाजिक रूप से अन्य कमजोर वर्गों को एच.आई.वी. संक्रमण की चपेट में आने से रोकना;

(9) एच.आई.वी. संक्रमित लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या का उचित और समान प्रावधान प्रदान करने हेतु और समाज में कलंकीकरण, भेदभाव और अलग रखने की भावना को दूर करने के लिए बाध्यकारी जन स्वास्थ्य तर्काधार की ओर ध्यान आकृष्ट करना;

(10) वैक्सीनों, औषधों, स्वास्थ्य परिचर्या की नई बन रही प्रणालियों और अन्य वित्तीय और प्रबंधकीय आदानों में अनुसंधान के क्षेत्र में सहायता और सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय एजेन्सियों के साथ निरंतर पारस्परिक कार्रवाई करना;

(11) देश में स्वैच्छिक रक्त दान के प्रोत्साहन के जरिए आम जनसंख्या हेतु उचित और सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना; और

(12) लोगों के बीच, विशेषकर विद्यार्थियों, जवानों और अन्य यौन सक्रिय वर्गों के मध्य एच.आई.वी. के संचरण की प्रकृति के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करने और निवारण हेतु सुरक्षित व्यावहारिक पद्धतियों के लिए एच.आई.वी. संक्रमण को बेहतर रूप से समझने को प्रोत्साहन देना।

(ग) पहले ऐसी कोई अनुमोदित नीति नहीं थी।

[हिन्दी]

अवैध उड़ानें

613. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''सैम एविएशन'' पिछले कई वर्षों से अपनी उड़ानें भारतीय वायु क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित कर रही थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कुछ व्यक्तियों ने वर्ष 1998 में ही इस संबंध में सरकार को सूचित किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त सूचना के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) एक अभिकरण अर्थात सैम ऐविएशन विदेशी कम्पनी कजाखस्तान मैसर्ज जी एस टी एआरो की उड़ानों के संचालन के लिए उसके भारतीय अध्यक्ष के रूप में सम्बन्धित भारतीय प्राधिकरण से अनापत्ति लेता था। 28 मार्च, 2002 को विदेश मंत्रालय को कजाखस्तान गणराज्य के राजदूतावास से एक मौखिक टिप्पणी से यह जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ चार्टर उड़ानों के चालकों द्वारा ऊपर से उड़ान भरने और अवतरण अनुज्ञा के लिए उनकी राजनयिक मौखिक टिप्पणियों की प्रतियों को प्रयोग में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि 1998 में कोई ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऊपर से उड़ान भरने और असारणीबद्ध उड़ानों के अवतरण के मामलों को रोकने के लिए अनापत्ति जारी करने के संबंध में मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जाने हैं।

[अनुवाद]

विकास दर

614. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व वर्षों अर्थात 1980-81 से 1990-91 की तुलना में सुधारों के पश्चात की अवधि में गुजरात और महाराष्ट्र में विकास दर क्या थी;

(ख) सुधार पश्चात की अवधि के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र की वार्षिक विकास दरों में गिरावट अथवा वृद्धि के क्या स्पष्ट कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी की विकास दर के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की 1980 के दशक और 1990 के दशक के विकास दर इस प्रकार है:-

राज्य	1980 के दशक की विकास दर	1990 के दशक की विकास दर
गुजरात	6.4	6.7
महाराष्ट्र	6.3	6.5

(ख) और (ग) सुधार पश्चात की अवधि के दौरान विकास दर सुधार पूर्व की अवधि की तुलना में केवल सीमांत रूप से उच्च है, अत: इन राज्यों के लिए सुधार पश्चात की अवधि के दौरान विकास दर में सीमांत वृद्धि के लिए कोई विशेष कारण बतलाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

राज्यों के लिए धनराशि

615. श्री थावर चन्द गेहलोत: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा स्वीकृत वार्षिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निर्धारित अवधि के दौरान कौन-कौन से राज्यों ने स्वीकृत योजना परिव्यय का उपयोग नहीं किया; और

(घ) राज्यों द्वारा स्वीकृत योजना आवंटित धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा स्वीकृत वार्षिक योजना परिव्यय और राज्य सरकारों द्वारा खर्च/उपयोग में लाई गई राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जैसा कि विवरण में निर्दिष्ट है कि इस अवधि के दौरान अधिकांश राज्य स्वीकृत योजना परिव्ययों का उपयोग नहीं कर सके थे। व्यय में कमी का मुख्य कारण पर्याप्त संसाधन जुटाने में राज्यों की असमर्थता है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 1999-2000		वार्षिक योजना 2000-2001		वार्षिक योजना 2001-2002	
		मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5480.00	4,748.40	7708.00	6660.14$	8,378.00	7,816.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	665.00	468.40	640.00	510.92	661.00	660.91
3.	असम	1750.00	1,404.59	1520.00	1520.00$	1,710.00	1,710.00*
4.	बिहार	3630.00	2,675.68	3100.00	1638.22	2,644.00	2,644.00*
5.	छत्तीसगढ़@	–	–	–	–	1,312.00	1,312.00*
6.	गोवा	281.19	236.90	332.00	360.78	460.00	460.00*
7.	गुजरात	6550.00	6,492.10	7600.00	7010.00$	7,267.85	6,500.00
8.	हरियाणा	2300.00	1,676.41	1920.00	1718.31	2,150.00	1,814.17
9.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	1,623.51	1382.00	1720.00$	1,720.00	1,744.51
10.	जम्मू और कश्मीर	1750.00	1,506.37	1753.00	1537.90	2,050.00	2,050.00*
11.	झारखंड@	–	–	–	–	2,250.00	2,250.00*
12.	कर्नाटक	5800.00	6,362.90	7250.00	6785.37	8,941.56	7,903.79
13.	केरल	3250.00	2,946.34	3317.00	2493.25$	3,015.00	2,260.00
14.	मध्य प्रदेश	4004.00	3,589.17	3295.58	3177.38	3,630.00	3,937.76
15.	महाराष्ट्र	12162.00	10,418.59	11500.00	9586.00	10,834.00	10,834.00*
16.	मणिपुर	475.00	452.61	451.00	429.57$	520.00	352.65

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मेघालय	465.00	343.28	480.00	462.84	487.00	472.82
18.	मिजोरम	360.00	378.02	401.26	371.93	410.00	441.51
19.	नागालैण्ड	315.00	306.17	326.00	317.70	405.00	411.47
20.	उड़ीसा	3309.17	2,484.00	2665.00	2562.07	3,000.00	2,300.00
21.	पंजाब	2680.00	1,753.17	2420.00	2147.14$	3,021.00	3,021.00*
22.	राजस्थान	4750.00	3,600.95	4146.00	3772.90	5,031.00	4,642.35
23.	सिक्किम	250.00	193.25	250.00	218.39	300.22	300.22
24.	तमिलनाडु	5250.00	5,413.75	5700.00	5776.52	6,040.00	5,200.00
25.	त्रिपुरा	475.00	452.51	485.00	474.12	560.00	560.00*
26.	उत्तर प्रदेश	11400.00	6,572.21	9025.00	5956.40	8,400.00	4,872.47
27.	उत्तरांचल@	–	–	–	–	1,050.00	1,050.00*
28.	पश्चिम बंगाल	5787.00	3,927.71	4026.59	5631.04	7,186.13	5,693.31
	कुल (राज्य)	84738.36	70026.99	81693.43	72838.89	93433.76	83215.42

*संशोधन की मांग नहीं की गई, अनुमोदित परिव्यय दोहराया गया।
$राज्य सरकार द्वारा वास्तविक व्यय सूचित नहीं किया गया, अनुमोदित/संशोधित परिव्यय लिया गया।
@राज्य नवम्बर, 2000 में बने थे।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्रीमती वसुंधरा राजे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति: (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5794/2002]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): महोदय, मैं हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5795/2002]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं-

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 44 तीसरा सत्र 1992, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5796/02
2. विवरण संख्या 33 ग्यारहवां सत्र 1994, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5797/02
3. विवरण संख्या 29 बारहवां सत्र 1994, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5798/02
4. विवरण संख्या 20 सोलहवां सत्र 1996, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5799/02

ग्यारहवीं लोक सभा

5. विवरण संख्या 28 दूसरा सत्र 1996, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5800/02
6. विवरण संख्या 26 तीसरा सत्र 1996, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5801/02
7. विवरण संख्या 24 छठा सत्र 1997, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5802/02

बारहवीं लोक सभा

8. विवरण संख्या 25 दूसरा सत्र 1998, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5803/02
9. विवरण संख्या 20 तीसरा सत्र 1998, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5804/02
10. विवरण संख्या 20 चौथा सत्र 1999, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5805/02

तेरहवीं लोक सभा

11. विवरण संख्या 17 दूसरा सत्र 1999, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5806/02
12. विवरण संख्या 17 तीसरा सत्र 2000, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5807/02
13. विवरण संख्या 13 चौथा सत्र 2000, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5808/02
14. विवरण संख्या 11 पांचवां सत्र 2000, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5809/02
15. विवरण संख्या 10 छठा सत्र 2001, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5810/02
16. विवरण संख्या 7 सातवां सत्र 2001, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5811/02
17. विवरण संख्या 5 आठवां सत्र 2001, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5812/02

    (खण्ड एक और दो)
18. विवरण संख्या 3 नौवां सत्र 2002, ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5813/02

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, मैं औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2002 जो 1 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 311(ञ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5814/02]

अपराह्न 12.03 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री डेन्जिल बी. एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर आते हैं। बेगन नूर बानो अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकती हैं।

...(व्यवधान)

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): महोदय, यहां पोटा के दुरूपयोग का एक बहुत गंभीर मामला है*...(व्यवधान)*

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मामला है*...(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, आप पहले ही बेगम नूर बानो को अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने के लिए कह चुके हैं*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सभी को यह जानकारी है कि नियमों के अनुसार, ध्यानाकर्षण नोटिस को वरीयता दी जाती है। इसीलिए मैंने बेगम नूर बानो को अपना ध्यानाकर्षण नोटिस लाने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, देश में सूखे के कारण हालात बहुत खराब हो रहे हैं। देश के समस्त किसान बर्बाद हो गए हैं। यदि यही स्थिति रही, तो सूखे के कारण दो महीने के अंदर पूरे हिन्दुस्तान और विशेषकर उत्तर प्रदेश में भुखमरी फैल जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: पहले नियमानुसार मैंने ध्यानाकर्षण पर बोलने के लिए बेगमनूर बानो को बोलने की अनुमति प्रदान की है। इस विषय पर कल हम बी.ए.सी. में विचार करेंगे और चर्चा के लिए इसे सोमवार को ले सकते हैं। कृपया, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण नोटिस को चर्चा के लिए लेने से पहले*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब हम ध्यानाकर्षण पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पश्चात्, 'शून्य काल' होगा। आप उस समय अपना मुद्दा उठा सकते हैं। मैं उस समय आपको अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैं पहले ही उनका नाम पुकार चुका हूं।

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू: महोदय, कृपया मुझे इस ध्यानाकर्षण मुद्दे पर एक मिनट का समय दें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ध्यानाकर्षण के इस नोटिस को कांग्रेस पार्टी ने दिया है। यह प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है। इस पर हमारी अपनी राय है। इसलिए, मैं आपसे इस पर नियम 193 के अधीन चर्चा कराने का आग्रह कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही बेगम नूर बानो को अपना ध्यानाकर्षण उठाने के लिए कह चुका हूं।

...(व्यवधान)

बेगम नूर बानो (रामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

''भारत में प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के बारे में सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति।''*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया आप इस बात को समझें। इस विषय वस्तु को पहले माननीय सदस्य को पढ़ने दें। यदि वह इसे नहीं पढ़ती हैं तो आपको विषय वस्तु का कैसे पता चलेगा?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब तक यह सभा की संपत्ति नहीं बनता तब तक इस मुद्दे पर मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूगा। माननीय मंत्री जी को नोटिस पढ़ने दें और उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अनुरोध क्या है।

बेगम नूर बानो: अध्यक्ष महोदय, मैं लोक महत्व के निम्नलिखित मामले पर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में सूखे के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: महोदय, माननीय सदस्या बेगम नूर बानो को परेशान न होने दें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय पर चर्चा ले रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, आप इस इश्यू को 'जीरो आवर' में उठाने के लिए हमें मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। मैं इस विषय पर चर्चा ले रहा हूं।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, हमने हाजीपुर रेलवे जोन के मामले पर एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया हुआ है, उसका क्या हुआ?...*(व्यवधान)* बिहार में जन आंदोलन शुरू हो गया है।...*(व्यवधान)* हाजीपुर रेलवे जोन के बारे में सरकार हेराफेरी करना चाहती है। कैबिनेट में मामला पुनर्विचार के लिए ले जाने के लिए वहां जन-आंदोलन शुरू हो गया है। ...*(व्यवधान)* वहां बड़ा भारी आंदोलन हो रहा है।...*(व्यवधान)* हमने इस संबंध में एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया हुआ है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, इनको शायद यह मालूम नहीं है कि यह मामला कैबिनेट में वापिस चला गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने भी रेलवे जोनों के पुनर्गठन संबंधी नोटिस दिया है...*(व्यवधान)* मैं इस संबंध में नोटिस दे चुका हूं। आपको हमें भी अनुमति प्रदान करना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: महोदय, यह क्या है? कृपया माननीय सदस्या बेगम नूर बानो को अपनी बात जारी रखने की अनुमति प्रदान करें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब लोग बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया यह बात समझें कि अध्यक्ष महोदय बोलने के लिए खड़े हैं। पहले आपको बैठना होगा। कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही कह चुका हूं कि सभा में अनुशासन होना चाहिए। माननीय सदस्यों को अनुशासित होना चाहिए। मुझे स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मैं उन्हें ले रहा हूं। आप सभी को नियमों की जानकारी है। आप सभा में वरिष्ठ सदस्य हैं। क्या मुझे आपको प्रक्रिया क्या है यह बताने की आवश्यकता है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप जानते नहीं हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें पहले ही बोलने की अनुमति दे चुका हूं। वह आपकी पार्टी से हैं। आपको यह बात समझनी चाहिए कि मैंने ही उन्हें बोलने की अनुमति दी है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी पार्टी का सदस्य बोले? आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें अनुमति प्रदान की है। कम-से-कम सभा की महिला सदस्य के प्रति शिष्टाचार रखें।

...(व्यवधान)

बेगम नूर बानो: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके नोटिस पर बाद में बोलने वाला हूं। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, यहां पर रेल मंत्री जी मौजूद हैं। हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि जोन के मामले में अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है?...*(व्यवधान)* यह बड़ा गंभीर मामला है। बिहार में जन-आंदोलन चल रहा है। हम चाहते हैं कि रेल मंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करें कि मामला क्या है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय पर चर्चा लेने वाला हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री हमें बतायें कि यह मामला कहां लटका हुआ है। इस संबंध में अखबारों में तरह-तरह के बयान आ रहे हैं। कभी बंगाल में आंदोलन हो रहा है तो कभी बिहार में आंदोलन हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैंने रेलवे की लापरवाही, जिसके भयंकर परिणाम निकले जैसा कि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पता चला है, से संबंधित स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है...*(व्यवधान)* मुझे इस मामले को उठाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में

भारत में प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के बारे में सरकार का निर्णय

[अनुवाद]

बेगम नूर बानो (रामपुर): महोदय, मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि माननीय मंत्री इस संबंध में वक्तव्य दें:-

"भारत में प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की अनुमति देने के बारे में सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति।"...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैंने रेलवे द्वारा गंभीर लापरवाही के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती): महोदय, कृपया एक मिनट के लिए मुझे बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, सूखे के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मैं तीन दिन से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे रहा हूं। उस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।...*(व्यवधान)* सूखा वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय, सूखे के कारण आज पूरे देश में भयावह स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हजारों करोड़ रुपये की फसल बर्बाद हो चुकी है। जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गये हैं। केन्द्र सरकार केवल मूक दर्शक बनी हुई है।...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार ने सूखे से निपटने के लिए अब तक कोई पहल नहीं की। आज बिजली का संकट है। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है जिससे वे अपने खेतों को पानी दे सकें। इतना ही नहीं, किसानों की जो फसल बर्बाद हुई, उसके कारण आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं।...*(व्यवधान)* हमने इस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। *...(व्यवधान)* यह सबसे अहम मुद्दा है।...*(व्यवधान)* आज आवश्यकता है कि सदन में तत्काल चर्चा कराकर सूखे का मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार युद्धस्तर पर कार्यवाही करे।

अध्यक्ष महोदय: आप सदन में थे। आपके नेता ने विषय उठाया। मैंने कहा कि मैं इस विषय पर चर्चा दे दूंगा। चर्चा लेने के बाद भी आप ऐसे कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, ध्यानाकर्षण करने में ये लोग जो भी कह रहे हैं। उसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): मैं भी इसका समर्थन कर रहा हूं। यदि प्रिंट मीडिया का सीधा-सीधा डिसइन्वैस्टमैंट होगा तो पूरे अखबार बिकेंगे। हम इसका समर्थन करते हैं कि सरकार प्रिंट मीडिया के मामले को गंभीरता से ले।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मुलायम सिंह जी ने टेलीफोन से शुरू किया, किसानों पर गए, प्रिंट मीडिया में आए, अभी डिफैंस भी आएगा।...*(व्यवधान)* पांच-सात विषय एक दिन में मत उठाइए, प्रैस वालों को छापने में दिक्कत हो जाएगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस ध्यानाकर्षण को नियम 193 के अधीन चर्चा में बदल दिया जाए ताकि हम सब इसमें भाग ले सकें, क्योंकि इस विषय पर हम सब अपने-अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। इसे नियम 193 के अधीन चर्चा में बदल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रिंट मीडिया के बारे में

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें। यह सब क्या है? आप अध्यक्षपीठ का सम्मान करना नहीं चाहते। मुझे बहुत दुख है लेकिन सभा में प्रश्न पूछने का यह कोई तरीका नहीं होना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, कृपया बैठ जाइए। मैं आपके स्थगन प्रस्ताव नोटिस के बारे में ही बात कर रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। मुझे अलग-अलग मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव के लिए तीन नोटिस मिले हैं। मैंने उन्हें देख लिया है। इन मुद्दों पर मैं स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं दे सकूंगा, लेकिन 'शून्य काल' के दौरान मैं इन पर बोलने की अनुमति दूंगा। क्योंकि ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। जहां तक प्रिंट मीडिया के मुद्दे का सवाल है। श्री शरद पवार और.....

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला: कृपया उस विषय का उल्लेख कीजिए, जिस पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: स्थगन प्रस्ताव का नोटिस गोधरा कांड रिपोर्ट पर दिया गया है।

श्री जी.एम. बनातवाला: जी, हां— न्यायलयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट।

अध्यक्ष महोदय: हां।

श्री जी.एम. बनातवाला: एस-6 बोगियों में काफी पेट्रोल था। रेल-अधिकारियों ने बोगियों में इतनी मात्रा में पेट्रोल ले जाने की अनुमति दी कैसे, जिससे बोगियों को जलाया गया है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपके नोटिस को अनुमति नहीं दे रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ, मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान बोलने की अनुमति भी दे रहा हूं। आप थोड़ी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते? कृपया इंतजार करे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब प्रिंट मीडिया पर चर्चा में श्री शरद पवार को अपना सुझाव देना है।

श्री शरद पवार: महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यह ध्यानाकर्षण है। साफ सी बात है कि हर राजनैतिक दल का प्रतिनिधि इस चर्चा में भाग लेना चाहेगा। अत:, मेरा निवेदन यह है कि कृपया इस चर्चा को नियम 193 के अधीन चर्चा में परिवर्तित कर दीजिए ताकि हरेक को अवसर मिल सके...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आप फिर वही बात कह रहे हैं। जिसका अनुरोध आप पहले ही कर चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप भी मुझसे अनुरोध कर चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: मैं श्री शरद पवार के सुझाव से सहमत हूं। इसे नियम 193 के अधीन चर्चा में परिवर्तित कर दिया जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके नेता यहां हैं। उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं भी श्री शरद पवार की इस बात से सहमति रखता हूं कि यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: इसमें हमारी भी सीधी-सीधी सहमति है। प्रिंट मीडिया होगा तो पूरे अखबार को खतरा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अपने भी यही विनती है कि विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय पर बहुत सारे सदस्य पार्टीसिपेट करना चाहते हैं। मेरे सामने दो रास्ते हैं— एक तो यह कि मैं इसे नियम 193 के अंतर्गत कन्वर्ट कर सकता हूं और चर्चा ले सकता हूं, तुरंत भी ले सकता हूं। अभी भी ले सकता हूं

[अनुवाद]

बशर्ते सरकार को कोई आपत्ति न हो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए। यदि सरकार को इस पर कुछ कहना है तो वह मुझ से कह सकती है। अन्यथा, मुझे यथानुसार आज के नोटिस को लेना होगा। मैं नियमों में बंधा हूं। मैं नोटिस को लेने से इनकार नहीं कर रहा हूं मैं इस ले सकता हूं। पहले कांग्रेस पार्टी की नेता और अन्य सदस्यों से सलाह लूंगा और फिर सरकार का मत जानकर इस पर अंतिम निर्णय लूंगा। मैं नहीं चाहता कि इस बीच कोई भी खड़ा होकर मुझे परामर्श दे।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, आपने इस मामले को सभा के समक्ष रखकर बिलकुल ठीक किया है। यदि सरकार इस पर नियम 193 के अधीन चर्चा कराने के लिए सहमत है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। हम केवल यह सुझाव देना चाहेंगे कि हमारी पार्टी के सदस्यों ने इस मुद्दे का अध्ययन किया और फिर नोटिस दिये हैं। उन्हें प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने की अनुमति दी जाये और फिर अन्य सदस्यों को भी अनुमति मिले। दोनों तरफ से पांच सदस्यों ने अपने-अपने नाम दिए हैं और वे आपके पास हैं। पहले उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए तत्पश्चात् दूसरों को अनुमति मिलनी चाहिए।

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस विषय में किसी भी नियम के तहत चर्चा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। स्पीकर इस चीज के मालिक हुआ करते हैं और वे तय करते हैं कि कौन से नियम के अंतर्गत चर्चा ली जाये। आपने कालिंग अटेंशन के तहत चर्चा ली है। एक तरीका यह हो सकता है कि जिन लोगों के नोटिसेज 193 के अंतर्गत आये हैं, उनको भी आप इसी पर अपनी बात कहने का मौका दे दें और यही चर्चा थोड़ी और लम्बी हो जाये या जो भी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं, वे बोल लें। अगर आप चर्चा कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर दें। सरकार की ओर से किसी तरह की कोई आपत्ति, किसी तरह की कोई पाबन्दी हम चर्चा पर लगाना नहीं चाहते। जैसा सदन चाहे, जैसा आप चाहें, मैं तैयार हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप इस पर मुझे कहना चाहेंगे?

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है। हम किसी भी नियम के तहत इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यदि हम केवल सदस्यों की संख्या अधिक करने के लिए इसे नियम 193 के अंतर्गत क्या चाहते हैं तो मेरा विचार यह है कि हमें ऐसा अपवाद नहीं रखना चाहिए; क्योंकि जहां तक ध्यानाकर्षण सूचना का संबंध है, लोक सभा में इसके लिए एक नियम है— कि जिन सदस्यों के नाम सूची में हों केवल वे ही प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार आप नियम का उल्लंघन करने दें तो फिर जब अगली बार कोई विषय उठेगा तब फिर ऐसी ही मांग रखी जाएगी और इसे एक पूर्वोदाहरण माना जाएगा। यद्यपि हम हमेशा कहते हैं कि इसे एक पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा। तथापि ऐसा होता है। फिर भी महोदय, यदि आपकी इच्छा है तो हमें सीधे ही इसे नियम 193 के अधीन लेना चाहिए और जिन-जिन माननीय सदस्यों के नाम सूची में पहले हैं वे चर्चा शुरू करें और शेष सदस्य उनके पश्चात् अपनी बात कहें।

अध्यक्ष महोदय: क्या हम इसे नियम 193 के अधीन ले लें?

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, यह थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा कि क्रमश: एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के ही पांच सदस्य बोलें!

श्री शिवराज वि. पाटील: वे तो केवल प्रश्न पूछेंगे।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, आप मानेंगे कि नियम 193 के अधीन यह थोड़ा अजीब सा लगेगा कि एक ही राजनैतिक दल के पांच सदस्य क्रमश: एक के बाद एक इस पर बोलें। प्रत्येक को बोलने दिया जाए, लेकिन वे थोड़ा बाद में बोल सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मेरा केवल यही कहना है कि वे लम्बे, विस्तृत भाषण नहीं देने जा रहे। उनके भाषण केवल उन्हीं

प्रश्नों तक सीमित होंगे जिनके लिए अनुमति मिलेगी। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री की मुश्किल समझता हूं। फिर भी उन्हें पूर्वता दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: क्या हम नियम 193 लें?

श्री प्रमोद महाजन: यदि आप इसे नियम 193 लेते हैं तो आपको नियम 193 के स्वरूप का अनुपालन करना चाहिए अथवा यदि आप ध्यानाकर्षण नोटिस से संबंधित नियम लेंगे तो आपको ध्यानाकर्षण नोटिस के स्वरूप का अनुपालन करना चाहिए। आप एक साथ दोनों को नहीं ले सकते। कृपया नियमों का घालमेल मत कीजिए!

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, सामान्यतया, मेरी समझ में यही आया है कि यदि इसे नियम 193 के अधीन चर्चा में परिवर्तित किया जाता है तो सरकार भी इससे सहमत होगी। इस मुद्दे पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यदि ये नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करती हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। इन्हें शुरू करने दीजिए। यदि कांग्रेस की तरफ से कोई प्रश्न है, तो वे प्रश्न पूछें ताकि हरेक दल इस चर्चा में भाग ले सकें। इसे नियम 193 के अधीन परिवर्तित करने की अनुमति दी जाए।

श्री शरद पवार: आप चर्चा का समय कल या परसों निर्धारित कर सकते हैं। जब भी सुविधाजनक लगे।

अध्यक्ष महोदय: यदि आज वे फुर्सत में हैं तो मुझे इस पर दोपहर में चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप फुर्सत में हैं तो परामर्श करने के बाद दोपहर में मैं समय निर्धारित करूंगा और हम व्यवस्थित चर्चा कर सकते हैं?

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर समुचित ध्यान दें। यदि यह सचमुच महत्वपूर्ण है तो सदस्यों को अच्छी तरह तैयार रहना चाहिए। वे तुरंत चर्चा शुरू करेंगे। इस पर चर्चा करने में क्या समस्या है?

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको आज दोपहर में चर्चा करने में कोई आपत्ति है? वे चर्चा शुरू करेंगी।

श्री शिवराज वि. पाटील: आपके जो भी सुझाव होंगे हम इसे स्वीकार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैंने एक निर्णय लिया है— आज दोपहर में इस विषय पर चर्चा होगी। निर्धारित समय की घोषणा होगी और तब माननीय मंत्री उत्तर देंगे। चर्चा नियम 193 के अधीन होगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: इसका आप समय बता दें या टाइम फिक्स कर दें।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: यदि आप उन्हें समय बता दें तो वे वापस आ सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस पर चर्चा करने के लिए मैं 5 बजे का समय निर्धारित कर रहा हूं। यह नियम 193 के अधीन होगी।

अपराह्न 12.20 बजे

आतंकवाद निवारण अधिनियम (पोटा) के कथित दुरूपयोग के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम 'शून्य काल' के दौरान चर्चा करेंगे। हां, आप अपनी बात कहें।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लानी): महोदय, मुझे ऐसे दुखद विषय पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस सभा के एक माननीय सदस्य को 'पोटा' के अंतर्गत दंडित किया गया है और वे सलाखों के पीछे हैं।

महोदय, मैं इस सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा किस प्रकार 'पोटा' का दुरूपयोग किया गया है।

महोदय, मेरे नेता एम.डी.एम.के. के महासचिव श्री वैको को 'पोटा' के अधीन 11 जुलाई, 2002 को गिरफ्तार किया गया और वे बेल्लोर कारागार में है। श्री वैको सभा में गुजरात की घटनाओं पर चर्चा में भाग ले रहे थे तो उस समय प्रतिपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने हस्तक्षेप किया था और उन्हें 'लिट्टे' का समर्थक बताया था। विपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों को स्पष्ट करते समय मेरे नेता, श्री वैको ने लिट्टे के संबंध में अपने रुख को स्पष्ट किया था। उन्होंने इन्हीं बातों को इस वर्ष 29 जून को मदुरै जिले के तिरूमंगलम में आयोजित सार्वजनिक सभा में उल्लेख किया।

महोदय, 'पोटा' के अधीन तमिलनाडु सरकार द्वारा श्री वैको की गिरफ्तारी एक लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई है। सभा में 'पोटा' पर चर्चा के दौरान सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसे राजनीतिक कारणों हेतु और राजनीतिक दलों के विरुद्ध दुरूपयोग की इजाजत नहीं दी जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, यह एक राज्य का विषय है।...*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन: महोदय, तमिलनाडु सरकार द्वारा अभी 'पोटा' का दुरूपयोग किया गया है मैं अपनी पार्टी और यहां उपस्थित प्रत्येक सदस्य की ओर से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का 'पोटा' के दुरूपयोग के विरुद्ध सदस्यों की रक्षा और एम डी एम के पार्टी के श्री वैको की रिहाई हेतु क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): महोदय, माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से हम भी सहमत हैं...*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन: महोदय, बहुत सारी समस्याऐं हैं जिसे तमिलनाडु राज्य में सुलझाया जाना शेष है। इन मसलों से तमिलनाडु के लोगों का ध्यान हटाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने ऐसी कार्रवाई का सहारा लिया है। कावेरी जल विवाद को अभी तक सुलझाया नहीं गया है। बस भाड़ों और बिजली प्रभारों में भी वृद्धि की गई है। इसी तरह की अन्य दूसरी समस्यायें हैं। एम डी एम के पार्टी ने तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध जनमत सर्वेक्षण कराया था और इन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के प्रयास में सरकार ने ऐसी कार्रवाई की है। लोगों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय तमिलनाडु सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाना शुरू कर दिया है। श्री वैको की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है और इन मामलों पर ऐसी स्थिति में ध्यान देना होगा। इसी के कारण आज श्री वैको के साथ ऐसा हुआ है और कल किसी भी व्यक्ति को इस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए केन्द्र सरकार को सुरक्षा केल लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं इस पर जवाब देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

डा. सी. कृष्णन: महोदय, आज श्री वैको को इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है और कल किसी भी व्यक्ति को इस 'पोटा' के अंतर्गत सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। मैं केन्द्र सरकार से इस संबंध में सदस्यों की रक्षा पर अपना मत व्यक्त करने के लिए कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह मुद्दा महत्वपूर्ण होने के नाते मैं कुछ सदस्यों को इस पर बोलने की अनुमति देने जा रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): मैंने प्रार्थना की थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में सूखे की वजह से स्थिति अत्यधिक भयावह हो रही है। सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, कोई काम नहीं हो रहा है। खरीफ की फसल की बुवाई जिन किसानों ने की थी, वह फसल सूख गई है, डीजल महंगा हो गया है, बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, नलकूप सूखे पड़े हैं, क्योंकि पानी का स्तर नीचे चला गया है।

अध्यक्ष महोदय: इस पर चर्चा होगी।

श्री रामजीलाल सुमन: यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। पूरे देश में सूखे की भयावह स्थिति बन रही है। बहुत गम्भीर मामला है। मौसम विभाग ने मानसून आने की जितनी भी घोषणाएं की थीं, सब गलत साबित हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आप सरकार को निर्देश दें कि वह सदन में बताए कि इस बारे में क्या कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं इस विषय पर जब सुबह मुलायम सिंह जी ने कहा था तो मैंने व्यवस्था दी थी कि इस विषय पर चर्चा होगी। उस समय आप चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं, इसमें मेरे लिए कोई अड़चन नहीं है। यह बहुत महत्व का विषय है और इस विषय की चर्चा सदन में जरूर हो जाएगी। अभी जो यहां पोटा का विषय शुरू हुआ है- ''अरेस्ट आफ मिस्टर वाइको'', इस विषय पर मैं प्रभुनाथ सिंह जी से कहूंगा कि वह अपने विचार हमारे सामने रखें।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महोदय, यह चर्चा सोमवार को शुरू होगी। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार को निर्देशित करें।...*(व्यवधान)* महोदय, बहुत भयावह स्थिति है, इससे अराजकता फैलगी, खून-खराबा होगा।...*(व्यवधान)* इस समय जो हालात बने हुए हैं, इससे स्थिति और बिगड़ेगी। हम आपका संरक्षण चाहते हैं, आप सरकार को निर्देशित करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं इस पर उत्तर दूंगा...*(व्यवधान)* मुझे उत्तर देने का अधिकार है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): महोदय, प्रभुनाथ सिंह जी के बाद मुझे बोलने का मौका दिया जाए। दिल्ली में पानी और बिजली का हाहाकार मचा हुआ है और कांग्रेस सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी हुई है।...*(व्यवधान)* दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह की बात को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं इस मुद्दे पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब तक मैं विशेषकर इस मुद्दे को निपटा नहीं लूं आपको किसी अन्य मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं है।

श्री के. येरननायडू: महोदय, मैं इस मुद्दे पर पहले ही सूचना दे चुका हूं। श्री रामजीलाल सुमन ने जो कहा है इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उस पर चर्चा शुरू नहीं की है। आप जानते हैं कि उस पर चर्चा होने जा रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह के बोलने के अलावा अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मुझे आपके अनुमति की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति देने जा रहा हूं। आपको इस विषय पर बोलने की निश्चय ही अनुमति दी जाएगी। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं हरेक व्यक्ति से सहयोग चाहता हूं। आपके सहयोगी को 'पोटा' के अधीन गिरफ्तार किया गया है। क्या आप इस पर सभा में चर्चा करना चाहेंगे? मैं इस पर गंभीरता से चर्चा करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्य, माननीय श्री वैको को तमिलनाडु की सरकार ने पोटा कानून के तहत गिरफ्तार किया है। जिस दिन पोटा कानून सदन में आया था,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, आप बहुत ही संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, हम एकदम शार्ट में बोलेंगे। जिस दिन सदन में पक्ष और विपक्ष की तरफ से चर्चा चल रही थी, उसी दिन कुछ माननीय सदस्यों ने यह आशंका जाहिर की थी कि इस कानून का दुरूपयोग होगा। माननीय श्री वैको ने जिस ढंग से एक पत्र सभी माननीय सदस्यों को भेजा है और मुझे भी मिला है, मुझे लगता है कि सभी को मिला होगा। उस पत्र में उन्होंने पूर्ण रूप से जिक्र किया है कि वह कहीं से इस दोष के लायक नहीं हैं, जिसके कारण उन पर पोटा लगाया जाए। तमिलनाडु की सरकार ने बदले की भावना से श्री वैको को गिरफ्तार किया है। हम चाहेंगे कि केन्द्र सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और इस कानून में संशोधन करे।...*(व्यवधान)* पोटा कानून में जो भी त्रुटियां एवं गलतियां हैं, उनमें सरकार संशोधन करे। इसमें केन्द्र सरकार शीघ्र हस्तक्षेप करके श्री वैको को जेल से निकालने के लिए प्रयास करे, यह हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं।

महोदय, हमें लगता है कि इस सवाल पर सदन भी पूर्ण रूप से सहमत है। श्री वैको को जो गिरफ्तार किया गया है, यह इनके साथ अन्याय हुआ है, तमिलनाडु की सरकार ने बदले की भावना से कार्यवाही की है यह एक बहुत ही गलत परम्परा कायम हो रही है कि किसी भी राजनैतिक नेता को बदले की भावना से गिरफ्तार किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुन: आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इस कानून में संशोधन करें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 'पोटो' को आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों के निवारण हेतु एक कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था। इसे राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध एक हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जब इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया था तो डी एम के पार्टी की ओर से हमने आशंका जताई थी कि इसे राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। हम गृह मंत्री जी से एक विधिवत आश्वासन चाहते हैं कि इसका राजनीतिक विरोधियों के लिए नहीं उपयोग किया जाएगा।

अभी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 'पोटा' के अंतर्गत अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसलिए राज्य सरकार भी निकट भविष्य में 'पोटा' के अंतर्गत अनेक लोगों को गिरफ्तार करने पर विचार कर रही है।

चूंकि श्री वैको, एक माननीय संसद सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, हम आज इसे संसद में एक मुद्दा बना रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को व्यक्तिगत द्वेष और राजनीतिक कारणवश गिरफ्तार किया गया है।

महोदय, तमिलनाडु सरकार द्वारा यह 'पोटा' का दुरूपयोग है। तमिलनाडु सरकार द्वारा श्री वैको की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष और उनके राजनीतिक गतिविधियों को रोकने का एक स्पष्ट मामला है।

इस मामले में 'पोटा' अंतर्गत के एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए विशेष न्यायालय गठित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक अभियुक्त को हिरासत में लेने के लिए एक दंडाधिकारी सक्षम नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, यह क्या है। वे 'शून्य काल' के दौरान पढ़ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: आप अध्यक्ष महोदय नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, 'शून्य काल' के दौरान पढ़ने का कोई नियम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.एच. पांडियन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको भी बोलने की अनुमति प्रदान करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: लेकिन महोदय, 'शून्य काल' के दौरान पढ़ने का कोई नियम नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: कौन कहता है कि मैं पढ़ रहा हूं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.एच. पांडियन, कृपया चुप हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, विशेष न्यायालय के कार्यकरण के बारे में अभी तक कोई नियम तैयार नहीं किया गया है? इस प्रकार दंडाधिकारी द्वारा एक हिरासत गैर-कानूनी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दंडाधिकारी ने मूल रूप से इस मामले में पांच अभियुक्तों को हिरासत में भेज दिया, छुट्टी के लिए आवेदन दिया और चले गए। ऐसा लगता है कि उन्होंने अभियुक्तों को आगे हिरासत में भेजने से मना कर दिया। यह कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका पर दबाव डालने का एक स्पष्ट मामला है।

अध्यक्ष महोदय: श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम कृपया संक्षेप में बताएं। आप सभी बातों को नहीं पढ़ सकते।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, कृपया इस विषय पर बोलने के लिए सभी सदस्यों को अनुमति प्रदान करें।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): महोदय, उनका कहना है कि न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव में रखा गया है। वे ऐसा कैसे कह सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय: वे राजनीतिक दबाव की आलोचना करना चाहते हैं न कि न्यायपालिका की।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: यही बात उन्होंने कही थी। *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, आपको किसी संसद सदस्य को इस तरह पढ़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, राजनीतिक कारणों से की गई कार्रवाई को रोकने हेतु हमें पोटा में और भी सुरक्षोपाय करने चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, हमारे नेता डा. कलायंगर ने कल प्रेस में कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी से पहले कानून विशेष की एक प्रक्रिया की जानी चाहिए।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम में ऐसे आपातकालीन प्रावधान किए गए थे कि गिरफ्तार करने हेतु वारंट जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी राज्य का गृह सचिव होना चाहिए।

हम, डी एम के पार्टी के लोगों ने उस समय भी जोर दिया था जब पोटो विधेयक पर विचार किया जा रहा था कि गिरफ्तारी के आदेश जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी संबंधित राज्य का गृह सचिव होना चाहिए। अन्यथा, पोटा का बार-बार दुरूपयोग होगा।

अतएव, हम माननीय गृह मंत्री से इस सम्माननीय सभा के एक माननीय सदस्य श्री वैको की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य चाहते हैं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री ई. पोन्नुस्वामी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): आपने कहा था कि मुझे जीरो आवर में मौका दिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको परमिशन देने वाला हूं। अभी मैंने पोन्नुस्वामी को इजाजत दी है। आप बैठिए।

श्री रघुनाथ झा: कब देंगे?

अध्यक्ष महोदय: यह चर्चा महत्वपूर्ण है। मैं इसके बाद आपको मौका दूंगा।

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम): मुझे यह अवसर देने हेतु महोदय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, अब मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अभी बोलना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कि आप जवाब दें।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, आप सभी को अनुमति दे रहे हैं परन्तु मुझे नहीं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

श्री पी.एच. पांडियन: उत्तर के अधिकार के रूप में, मुझे अब बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री ई. पोन्नुस्वामी बोलने के लिए खड़े हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, श्री पांडियन जी सभापति के पैनल में भी हैं। उन्हें प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन जी, आप राज्य विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कृपया समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको उनके बाद अवसर दूंगा। अब, कृपया आप बैठ जाइए।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: महोदय, हम आतंकवाद की रोकथाम के लिए कोई भी कानून बनाने में हम सरकार के साथ हैं। हमने इस कानून का समर्थन दो माह पहले भलमनसाई में किया था, वह भी केवल आतंकवाद की रोकथाम के लिए, न कि इस अधिनियम का दुरूपयोग करके किसी राजनीतिक विरोधी को गिरफ्तार करने के लिए।

इस अधिनियम में, राजनीतिक बैर के रूप में राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार करने अथवा मात्र राजनीतिक लाभ प्राप्त करने और राजनीतिक नेताओं से बदला लेने का कोई प्रावधान नहीं है। हमने इस कानून को दो माह पूर्व बनाया है। हमने इस कदम का इस उम्मीद से पूर्णत: समर्थन किया था कि- राजनीतिक लाभ प्राप्त करने या बदला लेने में इसका कभी भी दुरूपयोग नहीं किया जाएगा।...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)* हमने उस कदम का समर्थन किया था और किसी भी रूप में होने वाले आतंकवाद को प्रारंभ में ही कुचलने हेतु उठाए गए किसी भी कदम का समर्थन करते रहेंगे।

आज न केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने हेतु, बल्कि दुर्भाग्यवश राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों अथवा विरोधियों से बदला लेने के लिए, जनता की समस्याओं/मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय तमिलनाडु सरकार ने श्री वैको को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के लोग कावेरी जल के बिना अकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। तमिलनाडु की जनता कई अन्य समस्याओं का सामना कर रही है। तमिलनाडु सरकार जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए दुर्भाग्य से एक राजनीतिक नेता को उत्पीड़ित करने हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों का दुरूपयोग कर रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से यह पर्याप्त है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री ई. पोन्नुस्वामी: मैं इस सम्माननीय सभा से इस कानून में संशोधन करने का अनुरोध करता हूं, ताकि राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार न किया जा सके बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा सके।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: अध्यक्ष महोदय, यह कानून भारत की सम्प्रभुता एवं एकता की रक्षा करने हेतु संसद द्वारा पारित किया गया था।...*(व्यवधान)*

श्री ई. पोन्नुस्वामी: महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा से श्री वैको की रिहाई और उक्त कानून में उपयुक्त संशोधन करने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री ई. पोन्नुस्वामी: पोटा का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आज श्री वैको को गिरफ्तार किया गया है, परन्तु हम नहीं जानते कि कल विपक्ष शासित राज्यों में किसे गिरफ्तार किया जाएगा। इसलिए, पोटा का उपयोग केवल सभी तरह के आतंकवाद को रोकने के लिए किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून निर्माताओं को कानून तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष जी, मैंने भी नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं खड़ा हूं, आप बैठिए। मेहरबानी करिये। रघुनाथ जी, मैं आपके द्वारा लाए गए विषय पर इजाजत दे सकता हूं लेकिन जो विषय शुरू किया गया है, वह अलग है। मैं आपको इजाजत देने के खिलाफ नहीं हूं लेकिन यदि एक समय पर चार सदस्य बोलेंगे, तो यह कैसे होगा?

श्री रघुनाथ झा: लेकिन आपने श्री पाण्डियन को अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय: श्री पाण्डियन की पार्टी की सरकार के एक्शन पर चर्चा है, इसलिए मैंने उन्हें इजाजत दी है।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन: अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

जो कोई भी अधिनियम की धारा 21(3) का उल्लंघन करता है वह गिरफ्तार किए जाने का पात्र है- चाहे वह संसद सदस्य हो अथवा मंत्री या और कोई हो। यदि वह धारा 21(3) का उल्लंघन करता है, तो गिरफ्तारी का पात्र है। उक्त प्रावधान निम्नानुसार है:

> "यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है अथवा यदि वह किसी आतंकवादी संगठन और फिर इसकी गतिविधियों का समर्थन करने को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से किसी बैठक को सम्बोधित करता है,....."

इस प्रकार जो भी इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो वह गिरफ्तारी का पात्र है- चाहे वे पांडियन जी हो या अन्य कोई हो। *...(व्यवधान)* वह कोई भी हो और वह जहां कहीं भी हो, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है- चाहे वह पी एम के पार्टी में हो अथवा किसी अन्य पार्टी में हो अथवा इस सभा के किसी अन्य भाग में हो।...*(व्यवधान)*

हमने इस कानून को भारत की सम्प्रुभता एवं अखंडता की रक्षा के लिए पारित किया है। मैं बस यही जानना चाहता हूं। दो माननीय सदस्य जो राजग सरकार के घटक हैं ने अभी भाषण दिया है। वे राजग सरकार के घटक हैं। क्या सरकार के घटक दल का कोई सदस्य कानून के इस प्रावधान पर हमला कर सकता है? आपने यहां इस कानून को पारित किया है और आप इसको पारित करने वालों में शामिल थे। क्या उक्त कानून आप पर लागू नहीं होता? क्या यह केवल बाहरी लोगों पर लागू होता है? क्या यह केवल बाहरी लोगों पर ही लागू होता है? आप कृपया मुझे यह बताइए- क्या यह केवल बाहरी लोगों के लिए है?

ऐसा नहीं है। इसीलिए, किसी भी आपराधिक कानून में पहली पंक्ति 'जो कोई' शब्द से शुरू होती है। संसद सदस्य कोई अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं है, "जो कोई, संसद सदस्य के अलावा....."

तदनुसार, एक संसद सदस्य को तब गिरफ्तार किया गया था जब वे लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने वक्तव्य दिया है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। यह मेरे पास है। उन्होंने कहा

[श्री पी.एच. पांडियन]

कि वे लिट्टे का समर्थन करते रहें। यह 'तमिल ईलम' के बारे में है। यह 'तमिल बिहार' अथवा 'तमिल बंगाल के बारे में नहीं है। इसीलिए मेरी नेता माननीय मुख्यमंत्री डा. पुरात्ची थालैवी- ने यह कार्रवाई की।

उन्होंने टाडा को लागू किया था और उन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड में आरोपी को गिरफ्तार किया था। उन पर मुकद्दमा चलाया गया और दोषी ठहराया गया है। आप जानते होंगे कि टाडा के कारण राजीव जी के हत्यारों को दोषी नहीं ठहराया गया। इसलिए, संयुक्त अधिवेशन के दौरान हमने टाडा को ईमानदारी से कार्यान्वित करने का समर्थन किया। हमें यह बात जान लेनी चाहिए कि...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): तब तो सभी को गिरफ्तार किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: जो भी इस कानून का उल्लंघन करेगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। किसी को भी अनावश्यक रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। यदि मैं संसद सदस्य होते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का उल्लंघन करता हूं तो मैं इस विशेषाधिकार अथवा छूट का दावा नहीं कर सकता कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्या आप तिहाड़ जेल में बंद अपराधियों का समर्थन करेंगे? चाहे वह कोई भी हो, उन्होंने धारा 302 का उल्लंघन किया है। यदि कोई संसद सदस्य हत्या करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता और जेल में बंद किया जा सकता है। कृपया यहां समर्थन न करें। संसद उनका बचाव नहीं करती। अदालत के समक्ष अपना बचाव करना उनके ऊपर है कि क्या साक्ष्य के द्वारा उनके विरुद्ध पोटा का प्रयोग हटाया जाये। दंडाधिकारी के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन्हें रिमांड पर रखा गया है। मुकद्दमा चलाया जाने वाला है। क्या हम मुकद्दमा चलाने जा रहे हैं। हम यहां मुकद्दमा चलाने के लिए नहीं हैं। यह एक आपराधिक कार्रवाई है।

इस सम्बन्ध में, मैं पूछना चाहता हूं कि अपराध की परिभाषा क्या है। सोमनाथ जी, क्या आप जानते हैं कि अपराध की परिभाषा क्या है।...*(व्यवधान)* दंड का भय दिखाकर कानून द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य अपराध है। यह कानून द्वारा निषिद्ध है। उनके भाषण भड़काने वाले हैं। वह लिट्टे का समर्थन करते रहे हैं। उन्होंने 7 तारीख को अपने वक्तव्य में भी कहा है कि उन्होंने संसद में लिट्टे की वकालत की है।

उन्होंने यहां विशेषाधिकार का दुरूपयोग किया है लेकिन उन्हें बाहर संरक्षण नहीं नहीं मिल सकता। वह सभा में संरक्षण चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह सभा के अन्दर लिट्टे का समर्थन कर रहे थे लेकिन सभा के बाहर उन्हें आपराधिक संरक्षण नहीं मिल सकता है...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: इसका दुरूपयोग रोका जाना चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन: यह दुरूपयोग का प्रश्न नहीं है। जब किसी कानून को लागू किया जाता है तो यह न्यायालय का कर्त्तव्य है कि विचारण करे। आपराधिक विधि में राजनीतिक विरोध को परिभाषित नहीं किया गया है। कानून तोड़ने वाला कानून बनाने वाला नहीं हो सकता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि आपने अपनी बात पहले ही रख दी है।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: यदि वह 'लिट्टे' के उद्देश्य की वकालत करते हैं या 'लिट्टे' का समर्थन करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी जायज है। उन्हें रिमांड में लिया जाना जायज है। उन्हें इसका समाधान कहीं और से ढूंढना होगा। वह यहां समाधान हेतु नहीं आ सकते। कुछ नेताओं को आपराधिक विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें यहां समाधान नहीं मिल पाया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन को बोलने दीजिए। आप उन्हें अनावश्यक रूप से बाधित क्यों करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: वह अध्यक्ष नहीं हैं...*(व्यवधान)* हम संसद के 544 सदस्यों ने इस कानून को विदेशी लोगों के लिए अधिनियमित नहीं किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, आपने अपनी बात स्पष्ट तौर पर रख दी है।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: उनके भाषण से धारा 21 और अधिनियम के खण्ड 3 की भावनाओं को ठेस् पहुंची है।...*(व्यवधान)* उनकी गिरफ्तारी जायज थी। रिमांड जायज था। मजिस्ट्रेट ने धारा 167 के अंतर्गत उन्हें रिमांड पर लिया है...*(व्यवधान)*। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। यह सभा अपील हेतु मंच नहीं है। वहां चुनी हुई सरकार है। वहां मुख्य मंत्री है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: स्वाइं जी, आप बैठिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): यह समर्थन ही करते रहेंगे। इन्होंने पोटा का समर्थन किया और इन्हीं पर लगा। पोटा का हमने भी समर्थन किया था हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन: वहां एक चुनी हुई सरकार है। हम सरकार पर उद्देश्य नहीं आरोपित कर सकते हैं। उनका कहना है कि वहां राजनीतिक उद्देश्य था। यह राजनीतिक उद्देश्य क्या था? उन्हें कहने दीजिए कि उन्होंने यह शब्द नहीं कहा। उन्हें कहने दीजिए कि उन्होंने थिरूमंगलम में भाषण नहीं दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किसी को भी दो मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं है।

श्री पी.एच. पांडियन: वह राजनीतिक विरोधी नहीं हैं। उन्हें हाल में हुए चुनाव में मात्र 500 मत प्राप्त हुए हैं। क्या आपका कहना है कि वे राजनीतिक विरोधी हैं? नहीं। उनकी जमानत जब्त हो गई। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में पड़े मतों को मिलाकर भी वे अपनी जमानत नहीं बचा सके।

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, यह विषय से अलग बात है।

श्री पी.एच. पांडियन: यह मंच इस मुद्दे पर वाद-विवाद करने के लिए नहीं है। संसद में इस पर वाद-विवाद नहीं किया जा सकता है। संबंधित सदस्य कह सकते हैं कि उन्हें अमुक-अमुक आधार पर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सदस्य यहां उनका बचाव नहीं कर सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी और रिमांड जायज है...*(व्यवधान)* उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उनके सम्पर्क लिट्टे से जुड़े हैं। इस अवसर पर कांग्रेसियों को आगे आना चाहिए। मेरे नेता डा. पुरात्ची थैलेवी ने राजीव की हत्या के मामले में दोषियों पर मुकद्दमा चलाया है। क्या आप यह चाहते हैं कि किसी अन्य प्रधानमंत्री की हत्या हो?

अध्यक्ष महोदय: कृपया, जो कुछ श्री पांडियन कहते हैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है आप बैठिए।

श्री रामानन्द सिंह (सतना): माननीय गृह मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी गिरफ्तारी सही है या नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप बोलिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं कैसे शुरू करूं?

अध्यक्ष महोदय: आप शुरू नहीं करेंगे तो वे बोलते रहेंगे। अब रामदास जी खड़े हो गए। अब उनको समझाइए।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हमने शुरू से कहा था कि संविधान लागू होने के तत्काल बाद इस तरह के खतरनाक कानूनों को बनाते वक्त हमेशा राष्ट्रहित की दुहाई दी गई और हमेशा अपने राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ उनका दुरूपयोग किया गया। ये जो सत्तापक्ष में बैठे हैं, जनसंघ के श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी हमने उदाहरण दिया था कि सबसे ज्यादा उन्होंने विरोध किया था इस संसद में जब संविधान लागू हुआ। कम्युनिष्ट पार्टी के लोगों ने जब किसानों की लड़ाई लड़ी तो उनके खिलाफ भी इस तरह के खतरनाक कानूनों का दुरूपयोग किया गया। इसके बाद चाहे रासुका हो या मीसा हो या डी.आई.आर. हो, इनको सारे अनुभव हैं कि देशहित का केवल बहाना लेकर अपने राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ ऐसे कानूनों का दुरूपयोग किया गया जिसके भुक्तभोगी हम सब हैं और उधर बैठे लोग भी हैं और हम सब 1975 में जेल काट चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने खुद संयुक्त अधिवेशन में स्वीकार किया कि उसका दुरूपयोग हुआ। उस वक्त संयुक्त अधिवेशन में हमने प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से कहा था कि जो राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जब उसने इसको अस्वीकार कर दिया है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए पोटो कानून या पोटो लागू नहीं होना चाहिए। पोटो का उपयोग पाकिस्तान समर्थित जो देश विरोधी संगठन हैं, मुख्यत: उनके खिलाफ ही होगा और मुख्यत: पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आंतकवादियों के खिलाफ ही यह कानून है। लेकिन उस समय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को यह पता नहीं था उनके खिलाफ तो कुछ किया नहीं जा सकता। आप देखिए क्या हालत हुई राजीव नगर में। अब वही स्थिति आ गई है। सबसे ज्यादा वैको साहब ने पोटो का समर्थन किया था और वे यहां तक बोल गए कि जो पोटो-विरोधी हैं, वे देश-विरोधी हैं। लेकिन आज मुझे उनका समर्थन करना पड़ रहा है, उनके पक्ष में खड़े होना पड़ रहा है क्योंकि हमारी एक नीति है, हमारा एक सिद्धांत है कि ऐसे कानूनों का राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ खुल्लम-खुल्ला दुरूपयोग होता है। पांडियन साहिब अच्छे वकील हैं, स्पीकर रह चुके हैं,

[श्री मुलायम सिंह यादव]

हम उनको मानते हैं लेकिन मैं उनको सावधान करना चाहता हूं कि एक समय आएगा जब आप भी इस खतरनाक कानून से नहीं बचेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन: किसी भी आपराधिक विधि में राजनीतिज्ञ को परिभाषित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं इसे बहिर्ग समझूं?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: एक उदाहरण यह है कि मारन साहब मिनिस्टर बने हुए हैं। रासुका का सबसे पहले समर्थन करने वाले वही थे, और रासुका भी सबसे पहले मारन साहब पर ही लागू हुआ था। इसलिए इस पर आज गंभीरता से विचार करें।

मुझे इस बात की खुशी है कि सभी दलों के लोग मेरी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं कि पोटा का दुरूपयोग हुआ है। पोटा के दुरूपयोग के संबंध में मेरी इस बात को लगभग सभी दलों के लोग स्वीकार कर रहे हैं। इस बारे में यहां प्रस्ताव भी आया है। लेकिन अब भी सरकार को कन्फ्यूजन है और सरकार पोटा में संशोधन चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि पोटा में संशोधन नहीं बल्कि पोटा को पूरी तरह वापस लेना चाहिए। अभी मेरी राय में, वर्तमान में जो आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. कानून हैं, वे दुनिया के सबसे खतरनाक कानून हैं। इनसे खतरनाक कानून कोई नहीं है। उन कानूनों के माध्यम से या उनके अधीन इतने कड़े प्रावधान हैं कि जितनी बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा चाहें आप दे सकते हैं। अंग्रेजी हुकूमत भी इन्हीं कानूनों के ऊपर चली और उस समय इनके अंतर्गत फांसी की सजा भी दी गई और फांसी देने का अब भी प्रावधान है तथा दी जाती हैं। आप इन कानूनों के तहत किसी को फांसी की सजा आज भी दे सकते हैं।

पोटा के संबंध में हमें प्रारंभ से आशंका थी, हमारा शुरू से मतभेद था और अब भी है कि उसका दुरूपयोग हो रहा है। हम भुक्तभोगी हैं। इसलिए हमने पोटा का विरोध किया था। मैं अध्यक्ष जी आपसे भी कहूंगा कि आप हस्तक्षेप कीजिए और इसे समाप्त कराइए। मैं सरकार में बैठे लोगों से भी कहना चाहता हूं कि समय एक सा नहीं रहता है। आप आज उधर हैं हम इधर हैं। हो सकता है कल ऐसा समय आ जाए कि जो आज इधर हैं वे उधर चले जाएं और आप जो सरकार में हैं वे इधर आ जाएं। मैं कहना चाहता हूं और मेरी प्रार्थना है कि आज ऐसा मौका आया है कि पोटा को समाप्त कराइए और उसके तहत वाइको की गिरफ्तारी को रद्द कराइए और उन्हें रिहा कराइए। मैं आपसे भी कहूंगा कि समय एक सा नहीं रहता है। इसमें 500 या 5000 की बात नहीं है। हमने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं। हमें कहा गया कि हम खत्म हो गए हैं, हमारा राजनीतिक वनवास हो गया है, लकिन मुलायम सिंह आज यहां खड़ा है। मैंने बहुत भोगा है। पता नहीं चलता है कि जनता कौन सी करवट लेगी और क्या परिवर्तन आएगा।

महोदय, मैं सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि कभी बदले की भावना से पोटा का इस्तेमाल आपके खिलाफ भी किया जा सकता है और आपको भी जेल के अंदर जाना पड़ सकता है और तब मुलायम सिंह को फिर आपका पक्ष लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपका यह कानून आपको ही भारी पड़ेगा। मैं पांडियन साहब से भी कह रहा हूं कि आप भी अपने मुख्य मंत्री को समझाइए। तमिलनाडु में दो दल, अदल-बदल के आ रहे हैं। आज वे सत्ता में हैं कल को वे विपक्ष में आ सकती हैं। वहां तो दो का शासन रहा है कभी डी.एम.के. पार्टी का और कभी ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी का। इसने परिवर्तन का रास्ता खोल दिया है।

जब हम इमर्जेंसी में बन्द किए गए थे, तब भय का इतना आतंक था कि कोई चिड़िया भी नहीं बोल सकती थी। मैं आज भी कहता हूं कि उस समय इंदिरा गांधी जैसा ताकतवर दूसरा नेता नहीं था। आज हम मानते हैं कि उस समय उन्हें हर वर्ग का समर्थन प्राप्त था। लेकिन ऐसी लोकप्रिय नेता को भी मुंह की खानी पड़ी। राजीव के जमाने में या इंदिरा के जमाने में कांग्रेस को भले ही बहुमत मिला, लेकिन कांग्रेस उस चोट से अभी तक उबर नहीं सकी है।

महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं कि जयललिता, इंदिरा गांधी जैसी लोकप्रिय नेता नहीं हैं। इसलिए सावधान होइए और इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। आज मौका है, श्री वाइको को तत्काल रिहा कीजिए और पोटा कानून को बाकायदा रद्द कराइए। इसके चलते भी आप पाकिस्तानी आतंकवादियों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यह हमारी अपील है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ रहा है। किसानों की हालत बहुत खराब हो रही है।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदय, वहां तो मायावती मुख्य मंत्री हैं। उनकी सरकार में इनकी पार्टी के मंत्री हैं। माननीय सदस्य मायावती का नाम नहीं ले रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में सूखे की भयंकर स्थिति है। उसकी ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना नितान्त आवश्यक है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बता दिया कि इस पर चर्चा होने वाली है। कृपया आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): अध्यक्ष महोदय, यह उस सार्वजनिक अभिलेख का मामला है जो सारे देश को अच्छी तरह मालूम है कि कांग्रेस ने 'पोटा' को लाने के प्रयास का जबरदस्त विरोध किया था। हमने इसके संबंध में कारण बताए हैं। लेकिन यह देखकर कि हम संयुक्त अधिवेशन में हार गए इसलिए देश भर की कांग्रेस सरकारें उस संवैधानिक प्रणाली का अनुकरण करती रही हैं जिसके अंतर्गत यदि संसद द्वारा कोई अधिनियम बनाया जाता हैं तो यह राष्ट्र की विधि का अंग बन जाता है और उस कानून को लागू करना राज्यों के संवैधानिक कर्त्तव्य का अंग बन जाता है, चाहे इन राज्यों में कोई भी सरकार क्यों न हो।

सही बात यह है जैसा कि श्री पांडियन ने कुछ समय पहले ही कहा था कि 'पोटा में ऐसे प्रावधान है जिनका स्पष्ट उल्लंघन संसद के ही एक सदस्य द्वारा किया गया है।

संसद के सदस्य को मिली संसदीय विमुक्ति के अंतर्गत इस बात का उसे पूरा अधिकार प्राप्त है कि इस पावन सदन में वह जो भी कहना चाहता है कह सकता है। लेकिन जिस संगठन का जिक्र वह इस सभा में कर रहे हैं और उसे उस सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित संगठन के रूप में शामिल किया जाता है जिसका कि वह एक अंग है और यह संगठन उसका उग्र समर्थक था तब मुझे ऐसा लगता है कि यह कृत्य एकदम गैर-जिम्मेदारी और पूर्णत: पाखण्ड भरा अधिनियम होगा या इस सभा के पावन प्रांगण से बाहर जाने के लिए उसकी जिम्मेदारी ऐसी ही होगी जहां पर वह ऐसे संगठन का समर्थन करती है जिसे हम आतंकवादी मानते हैं।

माननीय विदेश मंत्री हमारे साथ हैं। वह जानते हैं कि वह और उनके अधिकारी विश्व भर में विभिन्न देशों में जहां 'लिट्टे' ने शरण ली है वकालत कर रहे हैं कि उन्हें भी लिट्टे को उसकी संलिप्त गतिविधियों के कारण प्रतिबंधित किए जाने के भारतीय उदाहरण को अपनाना चाहिए। माननीय विदेश मंत्री हाल ही में श्रीलंका से वापस लौटे हैं जहां उन्होंने श्रीलंका सरकार से, मेरे दृष्टिकोण से पूर्णत: शान्ति प्रक्रिया के आग्रह हेतु प्रोत्साहित किया है।

इस शान्ति प्रक्रिया में क्या निहित है? इसके संबंध में दो धारणाएं हैं। एक यह कि श्रीलंका की एकता और अखण्डता जो कि पावन है और उसे बनाए रखा जाना चाहिए। दूसरा श्रीलंका की एकता और अखण्डता को बनाए रखने का एकमात्र रास्ता श्रीलंका में तमिल लोगों से निष्पक्ष और अच्छा व्यवहार करना है। अब इसके आलोक में यह कहना कि वह लिट्टे का समर्थन करते हैं यह नहीं है कि वह तमिल लोगों का समर्थन करते हैं। लिट्टे, भारतीय कानून और सरकार जिससे वह संबंधित है की नजरों में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। भारत के न्यायालयों की नजर में लिट्टे का नेता फरार व्यक्ति है और वह ऐसा व्यक्ति है जिसे हमारे न्यायालयों ने सजा सुना रखी है। सरकार श्री प्रभाकरन के विरुद्ध प्रत्यार्पण आदेश पर अटल है।

इन परिस्थितियों में श्री वैको ने इस बात को गलती से नहीं कहा होगा जिनको इस सभा में अन्य सदस्यों के अलावा मैंने भी बार-बार कहा कि उनका प्रयोजन गलत है। वह इस सभा से बाहर चले गए और वरिष्ठ संसद सदस्य होने के नाते जिस व्यक्ति को कानून का पर्याप्त ज्ञान हो और जैसा सभा में उन्होंने व्यवहार किया है। उसी कानून का उल्लंघन करके जिसकी उन्होंने वकालत की है और उनकी सरकार द्वारा तैयार की गई प्रतिबंधित संगठनों की सूची का उल्लंघन करते हुए उन्होंने वहां जाकर खुलेआम वक्तव्य दिए जो कि इस समय के वर्तमान 'पोटा' का स्पष्ट उल्लंघन है।

अब क्या यह गिरफ्तारी सही ढंग से की गयी है या गलत ढंग से, इस बारे में निर्णय करना संसद का विषय नहीं है। यह निर्णय करना न्यायालय का विषय है। जो कुछ अभी कुछ समय पहले श्री पलानीमनिक्कम ने कहा है सही है तो न्यायालय ही यह निर्णय कर सकता है। लेकिन जैसा कि इस सभा में पलानीमनिक्कम ने किया उस पर बात करें तो वह आये और न्यायपालिका को यह कह कर गालियां देने लगे कि उन पर राजनीतिज्ञों द्वारा राजनैतिक दबाव डाला जाता है। यह टिप्पणी ऐसी है जिसे हमें इस सभा में नहीं सुनना चाहिए। इसलिए, मैं आग्रह करता हूं...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, मैंने इन शब्दों का तकनीकी रूप से प्रयोग किया है। मैं बताता हूं 'कार्यपालिका द्वारा'...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने नहीं कहा है।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्र का कानून सावधानी पूर्वक बनाया जाना चाहिए। यह सत्ता पक्ष और उनके समर्थकों की ओर से घोर उपेक्षा का कार्य है कि उन्होंने ऐसा कानून पारित किया है जिससे स्पष्ट है कि वे बिखर सकते हैं। जब हम इसे कह रहे थे कि यह कैसे बिखरेगा तो हमारा मुंह प्रक्रिया संबंधी संसद के संयुक्त अधिवेशन के ऐसे निर्णय से बंद कर दिया जो कि ऐसे मामले में पहले कभी नहीं किया गया है। वे अपने ही

[श्री मणिशंकर अय्यर]

बिछाए जाल में फंस गए हैं। अब न्यायालयों को इस विशिष्ट मामले की गुत्थी खोलनी है। लेकिन इस सुझाव पर कि हमने एक व्यक्ति को बचाने के लिए कानून में संशोधन किया है, क्या यह इस देश में कानूनी व्यवस्था का भाग है? यदि कानून में कोई कमी है तो ऐसा साधारण रूप से एक व्यक्ति के लिए नहीं इस देश के लोगों के लिए करना चाहिए। वह व्यक्ति संसद के जिम्मेदार सदस्य है। वह कानून जानते हैं। वह लिट्टे के पूर्ववृत्त को जानते है।

अपराह्न 1.00 बजे

वह यह भी जानते हैं कि सभा के बाहर उनके द्वारा लिट्टे का खुला समर्थन के परिणाम क्या होंगे...*(व्यवधान)* फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इसलिए उन्हें इन परिणामों का सामना करना ही होगा।

इन जटिलताओं के आलोक में यद्यपि माननीय गृह मंत्री द्वारा शून्य काल में वाद-विवाद का उत्तर देने की प्रक्रिया नहीं है तथापि मैं समझता हूं कि जिन गृह मंत्री को ऐसे बर्बर कानून लाने के लिए खुद प्रधानमंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया है को सभा में आकर हमें बताना चाहिए कि राष्ट्र का कानून क्या है। उन्हें हमें यह भी बताना चाहिए कि क्या इस संसद द्वारा पारित कानून को लागू करने के लिए तमिलनाडु सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार का कर्त्तव्य नहीं है। इस प्रश्न के बारे में संसद को निर्णय नहीं लेना है कि ऐसा सही किया गया है या नहीं। न्यायपालिका को यह निर्णय करना है। हमें आशा है कि सभी राजनीतिक दल उस संवैधानिक ढांचे का सम्मान करेंगे जिसके अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जो कि संसद का सदस्य है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि संसद के माननीय सदस्य को गिरफ्तार एवं बंदी बनाकर रखा गया, इसी प्रकार हम सब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन, महोदय, इससे कतिपय संवैधानिक मामले उठते हैं मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने इनको नोट कर लिया होगा।

हमने गिरफ्तारी के दो दिन बाद पाया कि सरकार बिल्कुल चुप रही है। तब हमने समाचार में देखा कि सरकार ने इसके निरनुमोदन कर दिया है। यदि मैं गलत हूं तो कई माननीय मंत्री जो यहां बैठे हैं इसे सही कर सकते हैं। यदि इसने निरनुमोदन किया है तो ऐसा किस आधार पर किया गया है। प्रश्न यह है कि अधिकतर विपक्षी दलों द्वारा इसका सख्त विरोध करने के बाद भी इस संसद ने इसे पारित कर दिया। उन्होंने विधान पारित करना और लागू करना उचित समझा। जिसकी मुझे आशंका थी। वह सच निकला...*(व्यवधान)*

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): यह केबिनेट का नहीं है। यह राजग की बैठक में किया गया था...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: यदि आप केबिनेट और राजग के बीच अंतर करें तो यह ठीक है। यही स्थिति है। यदि आप राजग के सदस्य हैं यदि आप गैर-भाजपा आदमी हैं तो आप सब परजीवी बन रहे हैं। हम उसके बारे में जानते हैं। वास्तव में भाजपा ही है जो यहां निर्णय लेती है। सभी परजीवी हैं। आपकी कोई स्वयं की पहचान नहीं है...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। कम से कम दो या तीन मिनट तक मैं बोलूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य कुछ बातें कहते रहे हैं। मैं भी इसका समर्थन नहीं करता। हमें इसके बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या ऐसे मामले में ऐसा कानून लागू किया जाएगा। हमने कहा है कि यह एक बर्बर कानून है। मुझे याद है कि मैंने यहां खड़े होकर यही कहा था। श्री वैको हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वह बहुत जोश में कूद रहे थे। उन्होंने हमें जन-विरोधी कहा था। क्योंकि हम इस कानूनन का विरोध कर रहे थे आज, वह इसके शिकार हो गए हैं। उन्हें आज हम सबको पत्र भेजना पड़ा। कुछ माननीय सदस्यगणों को मुद्दा उठाना पड़ा है। इस विधेयक के समर्थकों ने यह बर्बर शक्ति सरकार के हाथों में सौंप दी है। हम यहां निर्णय लेने वाले कौन होते हैं। यह प्रश्न बहुत अधिक मौलिक है। यदि भारत सरकार के अनुसार वह गिरफ्तारी न्यायसंगत है तो मंत्रि-परिषद में उस दल का कोई सदस्य नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? यदि यह न्यायसंगत नहीं है तो यह न्यायसंगत क्यों नहीं है? उस संबंध में आप क्या करने जा रहे हैं। हां, ये कहेंगे: "हम क्या कर सकते हैं? राज्य सरकार को इसे लागू करना है।" तब आपने वह शक्ति क्यों दी?

पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि वह कभी भी पोटा का प्रयोग नहीं करेगी क्योंकि हमारे अनुसार यह अवैध कानून है; यह जगंल का कानून है। यह बर्बर कानून है। अत: मैं यहां सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि क्या ऐसे कानून एक सभ्य राष्ट्र के कानून की किताब में होने चाहिएं या नहीं? यदि हम एक सभ्य राष्ट्र हैं तो इस कानून को तुरंत अभिलेखों से और इस देश के कानून की किताब से मिटा देना चाहिए। इसी की आवश्यकता है। मेरे मित्रों अब आपको कष्ट हुआ है। मैं खुश नहीं हूं कि श्री वैको हिरासत में हैं। परन्तु उन्हें किसने शक्तियां प्रदान की हैं? आप बेशर्मी से

लिए बहुत उत्सुक थे। हमें बताया गया था कि इस देश में प्रत्येक आतंकवादी गतिविधि को रोका जाएगा। परन्तु कालचक्र में क्या हुआ? राजीवनगर और कासिमपुरा में क्या हुआ? मैंने यह प्रश्न पूछा था। उप प्रधान मंत्री उस प्रश्न को टाल गए क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था।

महोदय, उनके अनुसार सरकारी प्राधिकार का दुरूपयोग हुआ है परन्तु कृपा करके उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस देश में किसी को भी विधिक शक्तियों का दुरूपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाए। यदि उनमें कोई राजनीतिक दोषानुभूति है, यदि उनमें कोई राजनीतिक नैतिकता है तो उनका कर्त्तव्य है कि यहां बैठे हुए राजनीतिक नेताओं से प्रार्थना करें कि कानून की किताब से इस कानून को निकाल दें और इसे तुरंत निरसित करें।

अत: मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं और जैसा कि हमने हमेशा कहा है कि स्थिति से निपटने के लिए इस देश में पर्याप्त कानून हैं। उन कानूनों को लागू होने दीजिए और इस बर्बर कानून को कानून की किताब में नहीं होना चाहिए। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम श्री वैको को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए निरपराध ठहरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने लिट्टे के संबंध में जो दृष्टिकोण अपनाया है उस पर हमें गम्भीर आपत्ति है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): इन लोगों को बोलने का हक है क्या ये सारे देश के कानून और संविधान को तोड़कर बैठे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यह कानून आतंकवादी संगठनों को इस देश में कार्य करने से रोकने और उन लोगों को जो कि आतंकवाद को उकसा रहे हैं तथा धन दे रहे हैं, गिरफ्तार करने के लिए पारित किया था न कि राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार करने के लिए। यदि कोई कार्यकारी प्राधिकारी कानून लागू कर रहा है तो उनमें सामान्य समझ होती है...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस कानून को पारित करने हेतु समर्थन दिया है। अब, ये इसके उपयोग का विरोध कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू: महोदय, किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने से पूर्व हमें कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। हमने इस कानून को संसद के संयुक्त सत्र में राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार करने के लिए पारित नहीं किया था बल्कि वास्तविक आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए पारित किया था। इसलिए, हम श्री वैको की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। यही हमारे दल का विचार है...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, इनके दल ने इस कानून को पारित करने में समर्थन दिया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू: महोदय, इस कानून के अंतर्गत हमें पी डब्ल्यू जी तथा लिट्टे जैसे संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करनी है, राजनीतिज्ञों के विरुद्ध नहीं।

श्री पी.एच. पांडियन: माननीय अध्यक्ष महोदय, लिट्टे भारत सरकार की पहुंच से बाहर है। वे विदेश में हैं। परन्तु यहां उनके स्थानीय समर्थक हैं और उन स्थानीय समर्थकों ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन, जो श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए भारत में आया था, का समर्थन किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री किरीट सोमैया को बोलने के लिए पुकारा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, पोटा का पूरा नाम 'प्रिवेंशन आफ टेररीज्म एक्ट' है। परन्तु मैं समझता हूं कि तमिलनाडु में इसका अर्थ भिन्न है और यह है 'पोलिटिक्स आफ टेररीज्म एक्ट'।

महोदय, इस कानून के अंतर्गत हमें राजनीतिक अत्याचारों की रोकथाम करने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: किरीय सोमैया जी, आप यह बतायें कि पोटा के अंतर्गत वाइको जी के विरुद्ध जिन प्रावधानों को लागू किया गया, उन प्रावधानों को आपकी सरकार ने रखा था या नहीं रखा था?

श्री किरीट सोमैया: हां, हमने यह प्रावधान जरूर रखा था। प्रिवेंशन आफ पोलिटिकल एट्रासिटीज का प्रावधान इसमें रखा है। कोई भी कानून हो, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आई.पी.सी. हैं, लेकिन कानून कानून है। कानून का दुरूपयोग अलग चीज है। कल जाकर कोई 302 में निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर बन्द करके उसके खिलाफ गलत एफ.आई.आर. फाइल कर देंगे, तब वह भारतीय दंड संहिता का दुरूपयोग है। यहां पर जो कानून है, वह कानून योग्य है या नहीं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, कानून के राजनीतिक दुरूपयोग की बात हो रही है। पोटा का मतलब प्रिवेंशन आफ टैररिज्म है, न कि पोलिटिकल फायदे के लिए इसका दुरूपयोग किया जाए। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। मुझे लगा था कि कांग्रेस पार्टी और कंफ्यूजन दोनों एक समानार्थी शब्द बन गए हैं। एक ओर कांग्रेस कह रही है कि हम इस कानून का समर्थन नहीं करते हैं, दूसरी ओर कह रही है कि जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं, वहां हम इसका उपयोग नहीं होने देंगे और तीसरी तरफ तमिलनाडु की सरकार ने एक्ट का उपयोग किया तो क्या गलत किया, इस प्रकार का प्रश्न उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. का स्पष्ट मत है कि पोलिटिकल फायदे के लिए इस एक्ट का जो दुरूपयोग हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। अगर आज इस प्रकार का दुरूपयोग होता तो जो संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था, उसके बारे में क्या होगा, जो नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए या इस प्रकार की गतिविधियों को बंद करने के लिए पोटा का उपयोग होगा, तो उसका क्या होगा? क्या हम श्री वैको की संसद पर आतंकवादी हमले से तुलना कर सकते हैं।

मैं चाहता हूं कि बाकी दलों के लोग भी इस विषय पर स्पष्ट मत व्यक्त करें और पोटा का जो दुरूपयोग हो रहा है, उसको रोककर तुरंत वाइको साहब को, सिर्फ उनको ही नहीं, उनके साथ जो असंख्य सामान्य राजनीतिक कार्यकर्त्ता भी जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई की मांग करें। जो ओपोनेंट पोलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए इसका दुरूपयोग हो रहा है, उसको रोकना चाहिए, ऐसी मैं स्पष्ट मांग करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जम्मू-कश्मीर राज्य को तीन खंडों में विभाजित करने की बात कही है, क्या यह भी वर्तमान में देशद्रोह की बात नहीं है तो और क्या है उनको भी पोटा के अंदर गिरफ्तार करेंगे?

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, जब इस बर्बर कानून पर चर्चा हो रही थी तो सम्पूर्ण विपक्ष को आशंका थी कि इसे लागू करते समय इसका दुरूपयोग किया जाएगा और इसे राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा।

श्री पी.एच. पांडियन: आप विरोधी क्यों कहते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: अपने भाषणों के दौरान मैंने स्पष्ट रूप से इस सभा में कहा था कि इस कानून का राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध उपयोग किया जाएगा और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को इस अधिनियम के अंतर्गत विशेषरूप से निशाना बनाया जाएगा। अब विपक्ष की आशंकाएं पूर्णतया सही साबित हो गई हैं। यद्यपि हम विवादों, भाषणों और श्री वैको और उनके दल के विचारों से पूर्णतया असहमत हैं फिर भी हम उनकी गिरफ्तारी की घोर निंदा और विरोध करते हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं और मांग करता हूं कि बर्बर कानून को वापस लेने का यह सही समय है।

मैं राजग के सदस्यों से अपील करता हूं कि कृपया हमारा साथ दें। उन्हें इस बर्बर कानून को वापस लेने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव डालना चाहिए। महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि देश के बेहतर हितों के लिए यह कानून तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और निरस्त किया जाना चाहिए।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत वरिष्ठ सहयोगी और संसद सदस्य श्री वैको की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने श्री वैको और सभी क्षेत्रीय दलों को सावधान किया था कि उन्हें इस बर्बर कानून के पक्ष में मत नहीं देना चाहिए क्योंकि इसे अल्पसंख्यकों तथा हमारे विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा। श्री वैको ने पोटा के पक्ष में मतदान करते हुए जो भी किया वह बहुत गलत था। परन्तु इस समय मुझे सूचना मिली है कि श्री वैको को जेल में चिकित्सा सुविधा, अच्छा भोजन, बर्तन और शौचालय सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: यहां तक कि उन्होंने इसके बारे में भी नहीं कहा...*(व्यवधान)* यह क्या है? क्या आप उनके लिए एयरकंडीशनर चाहते हैं?

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: उनके पास कोई मच्छरदानी नहीं है...*(व्यवधान)* इसके अलावा, इसका एक कश्मीरी पत्रकार के विरुद्ध भी प्रयोग किया गया है जिसकी हम निंदा करते हैं। यही कारण है कि कल प्रेस इतना दबा हुआ था कि इसने कश्मीर की घटना की निंदा संबंधी बहस के बारे में विपक्ष की राय के संबंध में एक शब्द भी नहीं लिखा। प्रेस में एक भी शब्द नहीं आया। इसका दमन किया गया है। एक हुर्रियत नेता भी जेल में बंद कर दिए गए हैं।

मेरा विनम्र निवेदन है कि यह कानून निरस्त किया जाना चाहिए और श्री वैको को जेल से बाहर निकल जाने देना चाहिए। वह एक वरिष्ठ संसद सदस्य हैं और उन्होंने कानून का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने जो कहा है उसमें कुछ नहीं है...*(व्यवधान)* कल तक लिट्टे एक वैध राजनैतिक संस्था थी। योग्य प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांझी और श्री राजीव गांधी ने चकराता में उन्हें सैन्य प्रशिक्षण और गोला-बारूद संबंधी प्रशिक्षण दिया था और उन्हें सहायता देने हेतु उनकी सरकार द्वारा सब कुछ किया गया था...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मैं समझता हूं कि यदि श्री वैको को बहुत लम्बे समय तक जेल में रखा गया तो इससे तमिल लोगों की भावनाएं भड़केंगी। जो लोग श्री वैको की गिरफ्तारी का समर्थन करते हैं वे तमिल हो सकते हैं परन्तु वे द्रविड़ नहीं हो सकते।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पानी और बिजली का हाहाकार मचा हुआ है, हमें इस पर बोलने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: आपको कल इस पर बोलने का मौका मिलेगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, श्री वैको इस सदन के पुराने सदस्य हैं, इस नाते हमारी उनकी प्रति सिम्पैथी है। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में जो कहा कि हम एलटीटीई का समर्थन करते हैं,...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: उन्होंने कहां कहा?...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमने टीवी में सुना है। पोटा कानून की धारा 21(3) में है कि जो आतंकवाद का समर्थन करेगा, उस पर पोटा लागू हो जाएगा। हम लोग पोटा के घोर विरोधी थे और अभी भी हैं, आप इसे खत्म कर दें। आप कानून लाएं, हम लोग खत्म करने को तैयार हैं, अन्यथा अगर किसी सरकार ने उसे लागू किया तो उसे भारत सरकार भी ईमानदारी से लागू करे। जितने लोग टेरेरिज्म का सपोर्ट करने वाले हैं, उन सब को पोटा के तहत गिरफ्तार करें, जैसे इनकी पार्टी के नेता गिरफ्तार हुआ। ये मंत्री कैसे बने हुए हैं, ये पोटा के तहत गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं। श्री अरुण जेटली, भाजपा के प्रवक्ता भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए उन्हें भी पोटा के 21 नम्बर क्लाज में गिरफ्तार होना चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि इन्होंने ऐसा कानून बनाया, जैसे मकड़ी जाल बनाती है तो वह अपने ही जाल में फंस कर खत्म हो जाती है। इन्होंने जो पोटा कानून बनाया है, यह या तो खत्म हो, अन्यथा ईमानदारी से लागू किया जाए, जिससे भाजपा के बहुत से लोग पोटा के तहत जेल में चले जाएं, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष महोदय, पोटा के अंदर हमारे साथी श्री वैको को गिरफ्तार किया गया है, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इसका विरोध करता हूं, क्योंकि यह राजनीतिक गिरफ्तारी है। इसका दुरूपयोग एवं मिसयूज हुआ है। पोटा कानून आतंकवादी गतिविधियों और टेरेरिज्म को रोकने के लिए बनाया है, किसी माननीय सदस्य, विधायक या राजनेता की गिरफ्तारी के लिए नहीं बनाया है। मेरा कहना है कि तमिलनाडु सरकार ने इसका मिसयूज किया है। इस कानून का मिसयूज न हो, इस कारण इसमें सैंटर को दखल देना चाहिए और गृह मंत्री को इस पर बयान देना चाहिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, डीएमके के नेता वैको जी को पोटा के अंतर्गत अरैस्ट किया गया। इस बारे में हमें चिन्ता है। हम लोगो ने कहा था कि पोटा का मिसयूज हो सकता है। इस कारण पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया था और कहा था कि पोटो नहीं आना चाहिए। इसके बाद भी एनडीए को लोगों ने इसका समर्थन किया और कहा कि यह कानून आना चाहिए, वह कानून आ गया और वह स्वयं अन्दर चले गए। एलटीटीई का समर्थन करना अच्छी बात नहीं है। जिस आर्गेनाइजेशन पर बैन हो, उसका खुलेआम समर्थन करना अच्छी बात नहीं है। इस कारण पोटा का कानून रद्द करना चाहिए और वैको जी को जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए। यदि वैको जी जल्दी बाहर नहीं आएंगे तो बाकी के बहुत से लोग अन्दर जा सकते हैं। इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.18 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.18 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुई*]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम ध्यानाकर्षण लेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में कच्चे रेशम के उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याएं

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदया, मैं वस्त्र मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:-

''देश में कच्चे रेशम के उत्पादकों के समक्ष पेश आ रही समस्याएं और इस संबंध सरकार द्वारा उठाए गए कदम।''

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): महोदया, प्रारंभ में मैं इस मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार को इन मुद्दों के बारे में पहले से ही जानकारी है और सरकार ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए हैं।

रेशम उत्पादन एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिसका अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान है। यह रेशम की कृषि, रिलिंग, ट्विस्टिंग, रंगाई और बुनाई क्रियाकलापों में लगभग 60 लाख व्यक्तियों को जीविका प्रदान करता है और देश की निर्यात आय में 500 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक का योगदान देता है। देश में अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन लगभग 17000 टन तक पहुंच गया है और इसका विश्व में रेशम उत्पादन में चीन के बाद दूसरा प्रमुख स्थान है।

रेशम विकास एक समवर्ती विषय है। केन्द्र रेशम उत्पादन में राज्य सरकारों को अनुसंधान व विकास, बीज, तकनीकी और प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करता है और साथ ही केन्द्रीय रूप से प्रायोजित अनेक योजनाओं केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं से किसानों और डीलरों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हाल ही में प्रौद्योगिकियों के एक ऐसे नये पैकेज को शुरू किया गया है जो रेशम उत्पादन की उत्पादकता को लगभग ढाई गुणा बढ़ा देगा जिससे किसानों तथा रीलरों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

महोदया, दुर्भाग्य की बात यह है कि इस समय:

- विश्व अर्थव्यवस्था ने मंदी के दबाव का सामना किया है।
- उदारीकरण पर, अपरिष्कृत रेशम का आयात बढ़ा है ताकि मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा किया जा सके, जबकि इसकी कीमतों में लगातार गिरावट आई है।
- हथकरघा उद्योग में राज्य शीर्ष समितियों की वित्तीय कठिनाईयों के कारण अनबिके स्टाक का भंडार पड़ा हुआ है।

निस्संदेह, इन कारकों का घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अपरिष्कृत रेशम और रेशम कोसों की बिक्री में पिछले वर्ष लगभग 33% तक की कीमतों में गिरावट आई है जिसके कारण किसानों और रीलरों को कठिनाई और चिंता हुई विशेषकर उन किसानों को जिन्होंने हाल में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और रीलिंग उपकरणों में निवेश किया है।

सरकार ने इस स्थिति की कड़ी मानिटरिंग कर रही है। इसने पहले से ही अनेक कदम उठाये हैं:

- यह देखने के लिए जांच शुरू कर दी गई है कि क्या चीन रेशम की कोई डंपिंग कर रहा है।
- किसानों और रीलरों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जा रही है। 9वीं योजना की तुलना में 10वीं योजना के रेशम उत्पादन क्षेत्र के बजट में 30% की वृद्धि करके इसे 450 करोड़ रुपये कर दिया गया है और इसमें से 186 करोड़ रुपए अथवा 41% की राशि पृथक रूप से केन्द्रीय रूप से प्रायोजित प्लान योजनाओं के लिए रख दी गई है।
- केन्द्रीय रोशम बोर्ड ने राज्य सरकार की गारंटी की शर्त पर कोसों की खरीद के लिए कर्नाटक रेशम औद्योगिक निगम को 1.5 करोड़ रुपए का उधार ऋण देने के प्रति सहमति प्रकट की है।
- आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

महोदया, मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस तथ्य से सहमत होंगे कि सरकार को अपरिष्कृत रेशम उत्पादकों की समस्याओं की जानकारी है और इसने अपरिष्कृत रेशम और निचले स्तर तक के संसाधकों, दोनों के हितों को ध्यान में रख कर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर उपयुक्त उपाय किये हैं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): सभापति महोदया, मुझे आपके माध्यम से यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार उचित प्रतिक्रिया नहीं कर रही है।

माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि इससे कृषि, रीलिंग, ट्विस्टिंग, बुनाई और अन्य गतिविधियों में लगभग 60 लाख लोगों को विशेषत: कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आजीविका प्राप्त होती है। सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है आर दूसरा सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में विशेषत: अनन्तपुर और चित्तूर में अधिकांश किसान लघु और सीमान्त किसान हैं। उनकी आजीविका लघु कृषि पर निर्भर है। वर्तमान वर्ष के बजट में सीमा शुल्क को 40 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। अपरिष्कृत रेशम भी चीन से भारत में आयात किया जा रहा है; नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते तस्करी भी हो रही है। रेशम कीट पालन करने वाले किसानों के लिए सरकार द्वारा तस्करी को न रोक पाना भी एक परेशानी है। सीमा शुल्क में कमी दूसरी परेशानी है। हाल ही में जब मेरे मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू और मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय वस्त्र मंत्री से मिले थे तब हमने इन सभी समस्याओं को स्पष्ट किया था। यदि आप शीघ्र न्याय करते हैं तो किसानों को शीघ्र राहत मिलेगी। यदि आप देर से कुछ करते हैं तो किसानों को लाभ नहीं मिलेगा।

छ: महीने पहले जो रेशम कोया गुणवत्ता के आधार पर 120 रु. से 160 रु. प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रहा था वह अब 60 रु. से 90 रु. प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहे हैं और रेशम धागे की कीमत एक वर्ष पूर्व के 1300 रु. प्रति किलोग्राम के स्तर से गिर कर लगभग 900 रु. प्रति किलोग्राम हो गई है।

यहां तक कि चीन से घटिया किस्म का अपरिष्कृत रेशम आयात किया जा रहा है। यहां तक कि रीलर्स भी आयातित रेशम को खरीद रहे हैं। यह अत्यन्त सस्ती दरों पर आ रहा है। वे हमारे कृषक समुदाय से रेशम नहीं ले रहे हैं। अत: मैं निम्नलिखित मुद्दों पर भारत सरकार को सुझाव देता रहा हूं।

1. चालू वर्ष के केन्द्रीय बजट में आयातित रेशम पर शुल्क को 40 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत किया गया था। वर्तमान खतरनाक परिस्थिति के मद्देनजर बिना किसी विलम्ब के शीघ्र ही शुल्क को बढ़ाकर लगभग 60 प्रतिशत किया जाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कृषक समुदाय को लाभ नहीं पहुंचेगा।

2. विश्व व्यापार संगठन/एम.एफ.ए. समझौते की पाटनरोधी उपबंधों को अविलम्ब लागू किया जाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अन्तर्गत आपको पाटन शुल्क भी शामिल करना है। आपको विश्व व्यापार संगठन का पाटनरोधी उपबन्ध लागू करना होगा।

3. अपरिष्कृत रेशम/रेशम के धागों के आयात हेतु सभी शुल्क मुक्त लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाए। देश में रेशम के धागों का पर्याप्त भण्डार है और निर्यातकों को शुल्क प्रदत्त धागों का उपयोग करने के लिए ड्यूटी ड्रा बैक जैसे अन्य लाभ दिए जा सकते हैं।

4. सरकार को देश में अपरिष्कृत रेशम/रेशम के धागे की नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते तस्करी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए।

5. कर्नाटक में के एस आई सी, के एच डी सी, के एस एम बी, आंध्र प्रदेश में सेरिफेड और तमिलनाडु में तान्सिल्क जैसी राज्य स्तरीय एजेन्सियों से कोया और धागों की खरीद करने के लिए कहा जाना चाहिए। केन्द्र सरकार और केन्द्रीय रेशम बोर्ड को राज्य सरकारों की परिक्रामी धनराशि से कोया तथा रेशम के धागों की खरीद में सहायता करनी चाहिए जिससे किसानों तथा रीलरों को लाभाकरी मूल्य प्राप्त हो सके।

6. कोया और रेशम के धागे का न्यूनतम समर्थन मूल्य गुणवत्ता और उत्पादन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

7. रीलरों और बुनकरों के लिए बनी सभी योजनाओं को युद्ध स्तर पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। ताकि सभी उपलब्ध राजसहायता प्राप्त कर उपयोग की जा सके।

महोदया, आंध्र प्रदेश में विशेषत: अनन्तपुर और चित्तूर में गत वर्ष के दौरान मूंगफली, धान इत्यादि फसलें नष्ट हो गई हैं। अनन्तपुर देश में जैसलमेर के बाद सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है।

महोदया, इस वर्ष भी मानसून नहीं आया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश में भी किसी भी जलाशय में पानी नहीं है। किसान बिजली की कमी, वर्षा की कमी इत्यादि जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और देश के दक्षिणी हिस्से में इस प्रकार की स्थिति है। अत:, ऐसी स्थिति में भारत सरकार...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया अब उनसे प्रश्न पूछिए।

श्री के. येरननायडू: महोदया, मैंने ही सभी प्रश्न पूछे थे। मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि आप देर से कुछ करते हैं तो उस समय तक किसान सब कुछ खो बैठेंगे।

मैंने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको लगभग 20 दिन पहले अभ्यावेदन दिया था। हालांकि अब तक सीमा शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। आपको सीमा शुल्क बढ़ाने का पहला कदम उठाना

[श्री के. येरननायडू]

होगा। इस तरह आप कुछ व्यय बचा सकते हैं। शेष पहलुओं को हम एक-एक करके ध्यान दे सकते हैं। अत: यह स्थिति है।

महोदया, आंध्र प्रदेश के लोगों विशेषकर रेशम कीट पालन कृषक समुदाय की तरफ से मैं अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार रेशमकीट पालकों की रक्षा के लिए शीघ्र कदम उठाए। अन्यथा अपूरणीय क्षति उठानी पड़ेगी। कुछ क्षेत्रों में तो किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। अत: इन आत्महत्याओं को रोकने और उनके परिवारों का आजिवीका, उनको रोजी-रोटी से वंचित होने से रोकने के लिए इन मुद्दों के संबंध में न्याय दिलाने के लिए सरकार को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

श्री एच.डी. देवगौड़ा (कनकपुरा): सभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने हेतु पुकारे जाने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैंने 10 तारीख को किसानों के मुद्दे उठाने के लिए नियम 193 के अंतर्गत सूचना दी थी। मैं बहस नहीं करना चाहता। हम वहां जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। यही किसानों का भाग्य है।

महोदया, अब इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में बदल दिया गया है। मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्णय को मानना पड़ेगा।

मेरे पूर्व सहयोगी श्री येरननायडू ने यह मुद्दा उठाया। यह समवर्ती सूची का विषय है जैसा कि वस्त्र मंत्रालय का कार्यभार देख रहे मंत्री महोदय ने कहा है। दोनों राज्यों की सरकारें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और इन दोनों ही राज्यों में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। श्री येरननायडू आप यह बात भूल गए हैं। आपने कहा है कि केवल आंध्र प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दोनों राज्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं लेकिन वे किसानों के जीवन बचाने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उनके वक्तव्य की तरफ दिलाना चाहूंगा। उनके वक्तव्य में से ही मैं यह सवाल कर रहा हूं। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा है: ''इन कारकों ने घरेलू मूल्यों पर निश्चित रूप से बुरा प्रभाव डाला है। गत वर्ष कच्चा रेशम और रेशम कोया (ककून) की बिक्री में लगभग 33 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जिससे किसानों एवं धागा बनाने वाले विषेशकर कृषि अवसंरचना एवं चरखा से सूत कातने संबंधी उपकरणों में निवेश करने वाले, परेशान एवं चिन्तित हैं।'' मैं सीधे माननीय मंत्री महोदय से आदर पूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों एवं धागा बनाने वालों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन करने में एक वर्ष लग गए? माननीय मंत्री महोदय ने 60 लाख व्यक्तियों का उल्लेख किया। कुल रेशम का 80 प्रतिशत कर्नाटक में पैदा किया जाता है। हम अत्यन्त बेहतर गुणवत्ता के रेशम का उत्पादन करते हैं। यह संख्या केवल 60 लाख व्यक्तियों तक सीमित नहीं है - मुझे नहीं मालूम कि माननीय मंत्री महोदय को यह सूचना कहां से मिली पूरे देश में 25 लाख परिवार इस कार्य में लगे हैं। विशेषकर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक रेशम के बड़े उत्पादक राज्य हैं और 80 प्रतिशत रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। क्या आपको स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक वर्ष चाहिए? इस सरकार के वित्त मंत्री ने ड्यूटी 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया है? इससे किसको मदद पहुंचायी जानी है? क्या यह सरकार किसानों के लिए है? मैं यह सवाल पूछता हूं। मैं अपना धैर्य नहीं खोना चाहता? क्या यह सरकार किसानों के लिए है? आप सारे मामले का मूल्यांकन एक साल में करेंगे। गत वर्ष चीन से 6,797 टन कच्चे रेशम का आयात किया गया। मेरे कार्यकाल में श्री येरननायडू वहां मंत्रिमंडल में थे - 2,911 टन आयात किया गया था। आपके कार्यकाल में उदारीकरण हुआ है। चीन से 2911 टन आयात किया गया था। मुझे मालूम है कि इसका आयात अंत्य उत्पाद का उत्पादन करने के लिए किया गया होगा जिसका उपयोग निर्यात के उद्देश्य के लिए किया जाएगा। मैं यह नहीं कहता कि आप इसे पूर्णत: रोक दें। आपने इसे घटा दिया है और गत वर्ष 6,970 टन का आयात किया गया इसके अतिरिक्त यह नेपाल एवं बंगलादेश से होकर भी आ रहा है। इसे रोकने वाला कोई नहीं है। मशीनरी क्या कर रही है, कृपया इसका उत्तर दीजिए।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मुझे मालूम है कि नियम 197 के अंतर्गत जिसके अधीन माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, मुझे लम्बा भाषण नहीं देना चाहिए। लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

राज्य सरकार असहाय है। आप वित्तीय आक्टंन के संबंध में आंध्र प्रदेश का विभिन्न प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। आपका राजनीतिक जीवन का निर्वाह श्री येरननायडू के कारण ही हो रहा है। आपको कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले 18 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने दल का एकमात्र सदस्य हूं।

सभापति महोदया: देवगौड़ा जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एच.डी. देवगौड़ा: महोदय, मुझे अफसोस है। आज माननीय मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना है। अन्यथा आज मैं यहां के सारे नियमों का उल्लंघन करके सभा के बीचों-बीच बैठना चाहता हूं। मुझे कोई परवाह नहीं है। आप मुझे सभा से बाहर भी निकलवा सकती हैं। यह जनता के हित में नहीं है। मैं किसानों एवं धागा बनाने वालों की स्थिति नहीं देख सकता। वे फसल हटा रहे हैं। सत्तापक्ष के किसी भी सदस्य को राज्य के कोलार, तुमकुर,

बंगलौर, मैसूर जैसे नौ जिलों में भेजिए ताकि वह वहां किसानों की स्थिति देख सकें।

माननीय मंत्री स्वयं मेरे साथ चल सकते हैं। यदि मैंने अतिश्योक्ति में एक भी शब्द बोला होगा तो मैं इस सभा से क्षमा मांग लूंगा।

हमें क्या करना चाहिए? मुझे अध्यक्ष महोदय, के यहां जाना पड़ा और उनसे अनुरोध करना पड़ा कि इस मामले पर विचार किया जाए। अंतत: उन्होंने यह मामला उठाने की अनुमति दे दी। अब आप क्या करना चाहते हैं? आपने कहा है "सीएसबी, कर्नाटक रेशम उद्योग निगम को राज्य सरकार की गारंटी पर कोया खरीदने के लिए 1.5 करोड़ रुपये का ऋण आसान शर्तों पर देने के लिये सहमत हो गया है। आप 1.5 करोड़ रुपये दे रहे हैं और वह भी शर्तों पर। यदि आज आप किसी बैंक में जाएं तो वे आपसे कहेंगे कि वे अन्य उद्देश्यों के लिए कितनी भी मात्रा में ऋण दे देंगे। 25 लाख किसानों का जीवन बचाने के लिए किसी राज्य सरकार के निगम को आप राज्य सरकार की गारंटी पर 1.5 करोड़ रुपये का ऋण दे रहे हैं। इससे मेरा खून खौल रहा है। महोदया, यहां हम उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने और 500 रुपये लेने के लिए नहीं आए हैं। हम यहां इसके लिए नहीं आए हैं। माननीय मंत्री महोदय कृपया यह बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। श्री येरननायडू, आपने आयातित रेशम पर शुल्क 60 प्रतिशत बढ़ाने को कहा है। यह 100 प्रतिशत होना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? आज जो माल तस्करी या बिना शुल्क के आयात किया गया है वहीं पड़ा हुआ है और वह दो वर्ष से अधिक समय के लिए पर्याप्त है...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: मैंने 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का अनुरोध किया था। इसीलिए मैंने इसकी गणना 60 प्रतिशत की।

श्री एच.डी. देवगौड़ा: आपने ठीक गणना की। आप केन्द्रीय राजनीति में भी अच्छे सौदेबाज हैं...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि इसे तुरन्त रोका जाना चाहिए। कोई प्रश्न ही नहीं है।...*(व्यवधान)* हां आप ऐसा कर रहे हैं और ऐसा प्रत्येक राज्य की सरकार के लिए है। वह ऐसा व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि अपने राज्य के लिए कर रहे हैं। मैं उन्हें सलाह देता हूं। लेकिन मेरे राज्य के मुख्यमंत्री उनके साथ ऐसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं वह स्वर्ग ही उतार लाएंगे। मैं इस पर किसी अन्य अवसर पर बोलूंगा। मेरी चिन्ता यह है कि आपके पास माल इतना ज्यादा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कोई फुर्सत का दिन निकालकर मेरे साथ चलें। हम एक साथ चलेंगे और उनकी दशा देखेंगे। यदि उन्होंने अपनी फसल हटाई नहीं होगी तो मैं इस सभा से क्षमा मांग लूंगा। मैं निरीह धागा बनाने वाले लोगों की स्थिति नहीं देख सकता जो चन्नापटना, रामनगर और अन्य स्थानों के मुसलमान हैं। माननीय मंत्री महोदय आप इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं कि ऐसा होता रहे?

सभापति महोदय: इन क्षेत्रों में बहुत सी महिलाएं भी इस कार्य में लगी हुई हैं।

श्री एच. डी. देवगौड़ा: माननीय मंत्री महोदय, कृपया बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। यह केवल 1.5 करोड़ रुपये का सवाल नहीं है।

श्री के. येरननायडू: सभापति महोदया भी कर्नाटक की ही रहने वाली हैं और उन्हें सब कुछ पता है।

सभापति महोदय: मैंने कहा कि राज्य में बहुत सारी महिलाएं भी इस कार्य में लगी हुई हैं।

श्री एच.डी. देवगौड़ा: इसलिए आपने मुझे अनुमति दी और दूसरी बार अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मंत्री महोदय, इसका जवाब दीजिए। यह स्थगित किया जाना चाहिए लेकिन डब्ल्यूटीओ और उदारीकरण के द्वारा नहीं। उदारीकरण क्या है? क्या यह हमारे देश के किसानों की कीमत पर होगा और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कीमत पर होगा? मेरे माननीय मित्र ने अन्य मुद्दों का भी सुझाव दिया है। आप इस सोच में न रहें कि यह राज्य का विषय है। यह समवर्ती सूची का विषय है।

आप इसे भूल जाइए। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य 140 रुपये से 150 रुपये तक होना चाहिए। आप पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में रखकर उत्पादन लागत की गणना करें। जब आप और आयात नहीं करेंगे तो उन्हें कम से कम कुछ राहत तो मिलेगी।

मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि किसानों को परेशानी में न डालें। नहीं तो वे मर जाएंगे। कर्नाटक 80 प्रतिशत से अधिक रेशम का उत्पादन कर रहा है। मैं इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहता। मेरा मन व्यथित है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि देवगौड़ा केवल किसानों के लिए बोलते हैं। मुझे पता है कि सारा संसार मुझे किस प्रकार का श्रेय देता है। आवंटन राशि बढ़ाकर 450 करोड़ रुपये और 186 करोड़ रुपये कर दी गई है। इस धनराशि का 41 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अलग रख लिया गया है लेकिन राज्यों का क्या होगा? उनके पास वेतन भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं, मैं अन्य मुद्दे नहीं उठाना चाहता। इससे आप आहत हो सकती हैं।

सभापति महोदया: नहीं, मैं अध्यक्षपीठ पर आसीन होने के बाद निष्पक्ष हूं।

श्री एच.डी. देवगौड़ा: उन्होंने कहा है कि उनके पास भी धन नहीं है। उनकी कोई समस्या नहीं है। हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि केन्द्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। मुझे यह ज्ञात है। मैं अपनी बात पर दृढ़ रहूंगा। कृपया बताएं कि आपने स्थगित करने के बारे में क्या कहा है। उन्होंने इसका उल्लेख किया है और मैं वे सारी बातें दोहराना नहीं चाहता। पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए और निर्यात स्थगित किया जाना चाहिए। तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। इस समय माननीय मंत्री महोदय को तस्करी रोकने और आयात रोकने का आश्वासन सभा को देना चाहिए। देश में केवल चार व्यक्ति ही आयात करने वाले हैं। मुझे पता है। जब मैं पद पर था तो उन्होंने मुझे भी प्रभावित करने का प्रयास किया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। आयातक और निर्यातक अपने तरीके से कार्य करेंगे। साथ ही कर्नाटक रेशम उद्योग निगम को 1.5 करोड़ रुपये का ऋण आसान शर्तों पर दिया गया है। यह हमें इस प्रकार क्यों दिया जा रहा है जैसे कि हम सुबह होटलों में बख्शिश देते हैं? यह किसानों का जीवन बचाने के लिए राज्यों को राज्य सरकारों की गारंटी पर दिया जाएगा। मुझे नहीं पता इस धन से किसानों को कैसे बचाया जाएगा।

श्री राणा को भी ग्रामीण किसानों की पृष्ठभूमि का पता है। मेरा उनसे अनुरोध है कि इस उद्योग को बचाने के लिए रेशम-कीट पालन को भी बचाया जाए। यही वह उद्योग है जिससे अल्पसंख्यकों समेत विभिन्न समुदायों के लघु किसानों, लघु धागा बनाने वालों को मदद मिलेगी। कृपया उनकी सहायता कीजिए और इस सभा में स्पष्ट आश्वासन दीजिये। कृपया उन्हें इस बिडम्बना से बचाइये।

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदया: माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री के.एस. मुनियप्पा और श्री आर.एल. जालप्पा के नामों को मंजूरी दी है। आप दोनों पांच-पांच मिनट बोल सकते हैं। प्रश्न पूछिये। समस्या का उल्लेख किया जा चुका है।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): सभापति महोदया, मुझे बोले का अवसर देने हेतु आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं कोलूर जिले का हूं, जो कर्नाटक में रेशम का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है। कर्नाटक में रेशम के कुल उत्पादन का एक तिहाई से अधिक कोलूर जिले में होता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा ने ठीक ही कहा है कि पश्चिम बंगाल से केरल तक रहने वाले 25 लाख परिवार और 1.5 करोड़ से अधिक की जनसंख्या रेशम उद्योग पर निर्भर है चाहे वे चरखी बनाने का कार्य करते हों, बुनाई का कार्य करते हों, या गुथाई का कार्य करते हों।

इन सब चीजों के अलावा कर्नाटक में 50% परिवार रेशम उद्योग पर आश्रित हैं। पिछले एक वर्ष से किसान रेशम की खेती बंद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति 1993-94 से उत्पन्न हुई जब उदारीकरण शुरू किया गया।

उस समय हमने तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव और वस्त्र मंत्री श्री वेंकटस्वामी से स्थिति का अध्ययन करने हेतु एक दल भेजने का अनुरोध किया था। उन्होंने तुरन्त एक मंत्री की अध्यक्षता में दल भेजा। वे कर्नाटक के विशेषकर उन क्षेत्रों जैसे बंगलौर ग्रामीण जिला, कोलूर, चित्रदुर्ग, तुमकुर गये और उन्होंने पाया कि कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों में भी जल स्तर 500 फीट से 600 फीट तक नीचे चला गया है। मंत्री महोदय ने इन स्थानों का दौरा किया और किसानों की स्थिति का अध्ययन किया। तत्पश्चात् उन्होंने रेशम के पाटन को चाहे वह तिब्बत से हो रहा या चीन से, रोकने हेतु काफी समुचित उपाय किये।

सभापति महोदया: श्री मुनियप्पा, आपको प्रश्न पूछना है। यह वाद-विवाद नहीं है, यह केवल ध्यानाकर्षण है।

श्री के.एच. मुनियप्पा: मैं प्रश्न पूछूंगा। मुझे इस सरकार की असफलता और जिन क्षेत्रों में उसे सुधार करना है, उस बारे में इस सम्मानीय सभा को सूचित करना है।

उस समय भी कोकून का मूल्य 100 रुपये से कम हो गया था। अब यह 50 या 60 रुपये से भी कम हो गया है। उन्होंने इसे स्थिर करने की कोशिश की और उस तिथि में गत वर्ष तक इसका मूल्य 120 रुपये से 160 रुपये के बीच घटता-बढ़ता रहा अब यह 50 या 60 रुपये से नीचे चला गया है।

जैसा कि आपने ठीक ही कहा है, हमें कुछ सुझाव देने हैं। आपको बुनकर क्षेत्र के हितों की रक्षा करनी है। उन्हें जिस चीज की भी जरूरत है, आपको उपलब्ध करानी चाहिए। तब तक रेशम उद्योग की सुरक्षा हेतु हमारे देश को 6,000 मीट्रिक टन रेशम की जरूरत है। आपको बुनाई उद्योग के हितों की रक्षा करनी है और उन पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि आयात के नाम पर 18,000 मीट्रिक टन रेशम हमारे देश में पाटा जा रहा है। विफलता का यही कारण है। बुनकर समुदाय, रेशम उत्पादकों और बुनकरों की सुरक्षा में यह सरकार पूरी तरह असफल रही है क्योंकि वहां कोई भी नियंत्रण नहीं है।

यह बात ठीक है कि उदारीकरण हो रहा है। कुछ ऐसे प्रावधान है जिनका सरकार इस्तेमाल कर सकती है। जैसाकि

श्री येरननायडू ने सुझाव दिया है आपको 30% या 40% शुल्क की बजाय 70% शुल्क लगाना होगा। आयात शुल्क घटकर 30% हो गया है, यह पर्याप्त नहीं है। आपको आयात पर 70% शुल्क लगाना होगा और तभी आप रेशम उत्पादकों के हितों की सुरक्षा कर सकेंगे।

सभापति महोदया: आपको प्रश्न पूछने हैं।

श्री के.एच. मुनियप्पा: मैं प्रश्न पुछूंगा। आज कल आप उत्पादन में वृद्धि का समर्थन कर रहे हैं। भारत सरकार इसका समर्थन कर रही है। हम इसका स्वागत करते हैं। आप आवासीय इकाइयों के निर्माण में 25 हजार रुपये की सहायता दे रहे हैं और राज्य सरकार भी राजसहायता के रूप में 25000 रुपए दे रही है। एक ओर आप यह सहायता दे रहे हैं लेकिन दूसरी ओर किसानों की इसमें रुची नहीं है। मूलत: आपको किसानों के हितों की सुरक्षा करनी है और तब इन चीजों को देने की जरूरत होगी। जिसकी भी उन्हें आवश्यकता है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड में हमने सुझाव दिया है कि लघु और मध्यम किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए इन चीजों की सख्त जरूरत है। भारत सरकार राजसहायता के रूप में 25000 रु. दे रही है। और राज्य सरकार भी राजसहायता के रूप में इतनी ही राशि दे रही है।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। भारत सरकार को मेरा सुझाव है कि राज्यों के बाजारों से आप जितना प्रतिशत एकत्रित कर रहे हैं उसे किसानों के हितों में राज्यों को देना होगा। इस धनराशि से कोकून के किसानों, उत्पादकों, और लुंडी बनाने वालों के हितों की रक्षा हेतु मूल्य स्थरीकरण कार्यक्रमों में लगाना होगा। किसानों के हितों की रक्षा के लिए आपको एक नया तंत्र बनाना ही होगा। अन्यथा, इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। रेशम उद्योग में काफी धनी और बड़े लोग हैं, जो समूची प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे और जिसके परिणामस्वरूप लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सभापति महोदया: कृपया आप अपना सवाल पुछिए। आप भाषण दे रहे हैं। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। कृपया अपना सवाल पूछिए।

श्री के.एच. मुनियप्पा: एक और कुछ सहायता देकर आप विकास को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी ओर सुधार को हतोत्साहित कर रहे हैं। महोदय, मैं जानना चाहूंगा की सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* मुझे पता है कि यह चर्चा नहीं है, लेकिन इस मामले में हमारी बात सुनिए क्योंकि हम किसान हैं और रेशम उत्पादक हैं और हम इस समस्या से परिचित हैं जब मूल्य दोगुना हो जाएंगे तब क्या होगा।

सभापति महोदया: श्री मुनियप्पा, कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री के.एच. मुनियप्पा: सभापति महोदया, विशेषकर कर्नाटक राज्य में विश्व की सबसे बढ़िया गुणवत्ता के रेशम का उत्पादन होता है। अत: सरकार को राज्य में रेशम उत्पादक किसानों के हितों की सुरक्षा करनी है। जापान इस क्षेत्र में मुकाबले में पीछे रह गया है। चीन अन्य देशों को अपने उत्पाद भेज देता है। अत: भारत आगामी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेशम बाजार में पहले स्थान पर होगा। अत: सरकार को रेशम उद्योग के हितों की सुरक्षा करनी चाहिए।

महोदया, सर्वप्रथम आयातित रेशम पर 70% शुल्क लगाया जाना चाहिए। दूसरी बात रेशम उत्पादकों से जितना धन एकत्रित किया जाता है उतने ही धन का योगदान रेशम उद्योग की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

महोदया, रेशम उद्योग के विकास के लिए विश्व बैंक ने 550 करोड़ रु. की सहायता दी है। इस धन का समुचित उपयोग नहीं किया गया। पूर्व वस्त्र मंत्री, श्री जालप्पा ने इस बात का पहले उल्लेख किया कि इस धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया।

सभापति महोदया: श्री मुनियप्पा कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री के.एच. मुनियप्पा: महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है।

सभापति महोदया: श्री मुनियप्पा, मेरे पास सीमित समय है। ध्यानाकर्षण में आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते हैं।

श्री के.एच. मुनियप्पा: महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि रेशम के उत्पादन, लुंडी बनाने और उसके बुनाई के क्षेत्र में विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि विश्व बैंक ने इस उद्देश्य के लिए 550 करोड़ रु. की सहायता दी थी। सरकार द्वारा रेशम उद्योग के सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, ताकि वे जापान और चीन जैसे अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता कर सकें। अंत में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यदि सरकार रेशम उत्पादकों के हितों की सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा करती है तो रेशम की लुंडी बनाने वालों और रेशम बुनकरों की स्वत: सुरक्षा हो जाएगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे देश में रेशम उद्योग पर आश्रित 1.5 करोड़ लोगों के हितों की सुरक्षा करें और यह भी जानना चाहूंगा की उनके हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

सभापति महोदया: श्री जालप्पा, कृपया विशेष प्रश्न ही पूछिए। आप इस समस्या से अवगत हैं। आप वस्त्र मंत्री भी रह चुके हैं।

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबलपुर): सभापति महोदया, मैं श्री मुनियप्पा का इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं कुछ समय के लिए वस्त्र मंत्री था और इसलिए, आपसे अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर बोलने के लिए मुझे दो मिनट का समय और दीजिए। सभापति महोदया, आप कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं और आपको यह बात अच्छी तरह पता है कि गत वर्ष और इस वर्ष ठीक से मानसून न आने के कारण किसान किस बुरी स्थिति में हैं। कुटकी कीट से संक्रमित होने के कारण करीब 80% नारियल के पेड़ खराब हो गये। काफी और सुपारी की फसलों के दाम पहले ही गिर गये थे और अब रेशम उद्योग, जो लघु और सीमांत किसानों की आजीविका का मुख्य साधन है, के भी दाम गिर गये हैं।

सभापति महोदया, मैंने माननीय मंत्री महोदया के वक्तव्य को बहुत ध्यान से सुना। पहले वाक्य में ही उन्होंने कहा कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे किस तरह की जांच कर रहे हैं। बाजार चीनी कपड़े और चीनी रेशम से पटे पड़े हैं। इन दोनों का या तो आयात किया जाता है या इनकी भागलपुर के रास्ते नेपाल और बांग्लादेश से तस्करी की जाती है। माननीय मंत्री महोदय किस तरह की जांच कर रहे हैं?

जब मैं मंत्री था तो मैंने नेपाल, भागलपुर और बांग्लादेश से रेशम की तस्करी को रोकने हेतु प्रवर्तन निदेशालय को लिखा था। किसी ने इस पर आगे कार्रवाई नहीं की। किसान भी आरामपूर्वक जीवन-यापन करना चाहते हैं। उन्होंने बायोबोल्टाइन को अपना लिया है। वे मल्टीबोल्टाइन भूल रहे हैं जब मैंने विशेषज्ञों से बात की, उन्होंने मुझे सलाह दी कि यदि हमें चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो हमें अपने रेश की गुणवत्ता बेहतर करनी होगी। जब मैं मंत्री था तो, मैंने बहुमुखी रीलिंग मशीनों को प्रोत्साहन दिया ताकि गांठें न बनें और आसानी से बुनाई की जा सके। यह तरीका अभी भी अपनाया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण उपाय था।

सभापति महोदया, क्या आपको शुद्ध रेशम के बारे में जानकारी है। इसमें चमक होती है। कर्नाटक में उत्पादिक रेशम में विशेष चमक होती है और लोग इसे पसंद करते हैं। दुर्भाग्य से यह क्षेत्र दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा गारंटी देने पर वह डेढ़ करोड़ रुपए दे रहे हैं। यह राशि तो कुछ भी नहीं है बल्कि मुर्गी को दाना चुगाने के बराबर है। हम इतनी कम राशि नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार आयातित रेशम पर कम से कम 70 प्रतिशत शुल्क लगाए और देश में रेशम की तस्करी पर रोक लगाए। तब तक, हम अपने किसानों की रक्षा करने में समर्थ नहीं होंगे। इस अल्प राशि से समस्या का समाधान नहीं होगा।

सब जगह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलार में हाल ही में उन्होंने 'कोलार बंद' का आह्वान किया। कोलार जिले में बसों को चलने से रोक दिया गया था, यात्रियों, रोगियों को बहुत असुविधा हुई और कुछ निजी वाहनों को जला दिया गया। यही मामला आंध्र प्रदेश का भी है। इसके बावजूद मंत्री महोदय कहते हैं कि वह जांच कर रहे हैं। इस तरह की जांच से मदद नहीं मिलेगी। उन्हें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। उन्हें प्रधानमंत्री से इस बारे में बात करनी चाहिए कि शुल्क 70 प्रतिशत तक बढ़ाया जाये। तभी वे हमारी रक्षा कर सकते हैं अन्यथा नहीं।

सरकार अब प्रौद्योगिकी उन्नयन नीधि के लिए कुछ राशि दे रही है। जब मूल्य गिर रहे हैं तो कौन आपकी प्रौद्योगिकी उन्नयन निधी चाहेगा? आपने इसके लिए काफी धनराशि बचा रखी है लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए इसका पांचवां हिस्सा भी व्यय किया जा सकेगा। यदि बाजार में कोई क्रेता नहीं हो तो सामान कौन खरीदेगा।

मेरे शहर डोडबलमापुर में, करीब 14,000 विद्युत करघा थे और उनमें से करीब 10,000 शुद्ध रेशम पर चल रहे थे। अब, वहां हमें मुश्किल से 1000 विद्युत करघा दिखते हैं। वे करीब 800 रु. की लागत से एक साड़ी तैयार करते हैं जबकि सूरत और अन्य स्थानों में इसे 360 रु. में बेचा जाता है। वे ऐसा करने में समर्थ हैं क्योंकि उन्हें उत्पादित रेशम मिल रहा है और वे पोलिस्टर और साधारण (ड्यूप) धागे को मिला रहे हैं। एक का वजन ज्यादा होता है और दूसरे का वजन कम। हमारे रेशम की कीमत ज्यादा होती है जबकि सूरत और अन्य स्थानों में उपयोग किए जाने वाले रेशम की लागत जहां ये तैयार किए जाते हैं, कम होती है। हम कैसे टिके रह सकते हैं?

मेरे शहर, बंगलौर और अनेकल में कई लोग अपने करघे बेच रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, क्या अभी भी आप मामले की जांच करवा रहे हैं? भगवान के लिए कृपया इस निन्द्राजनक स्थिति से बाहर आएं। कृपया स्थिति को समझें। कृपया आयात शुल्क में वृद्धि सुनिश्चित करें। वह हमारे लिए पर्याप्त होगा। किसी प्रलोभन की जरूरत नहीं है। यह डेढ़ करोड़ रुपए की अल्प राशि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप मदद ही करना चाहते हैं, तो कृपया बहुअंतक लुंडियों को प्रोत्साहित करना जारी रखें, जो मैंने श्री देवगौड़ा की सरकार के समय किया था।

उस समय लुंडी बनाने वालों (रीलर) का 10 प्रतिशत योगदान होता था, 10 प्रतिशत भारत सरकार की राज सहायता थी; 10 प्रतिशत कर्नाटक सरकार की राजसहायता थी और 70 प्रतिशत

बिना ब्याज के ऋण के माध्यम से आता था जिसे 10 वार्षिक किस्तों में देना था।

अपराह्न 3.00 बजे

योजना बनाई गई थी। उस योजना का क्या हुआ, मुझे नहीं पता।

मैं माननीय मंत्री से उस मामले में छानबीन करने का निवेदन करूंगा। इससे रेशम की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। उन्हें 'बाइवोल्टाइन' के उत्पादन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। अब वे शहतूत को उखाड़ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वैसा न करें। हमारे मुख्य मंत्री ने इस संबंध में माननीय मंत्री को पत्र लिखा है। वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने वाले हैं। संभवत: उन्होंने उनसे मिलने का समय भी ले लिया है। वह माननीय मंत्री से मिलने वाले हैं और मैं भी अन्य संसद सदस्यों के साथ इस विनाश से हमें बचाने हेतु ठोस रवैया अपनाने के लिए निवेदन करने हेतु उनसे मिलने वाला हूं।

अंत में, सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य श्री एच.डी. देवगौड़ा की इस बात का से सहमत नहीं हूं कि हमारी सरकार के पास वेतन का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। हमने नारियल गरी की खरीद समर्थन मूल्य देकर थी; हजारों टन मक्के की खरीद समर्थन मूल्य देकर थी और हम रागी पर भी समर्थन मूल्य दे रहे हैं जो पूर्व की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। लेकिन हमने ऐसा किया।

केवल इस अपवाद को छोड़कर शेष सभी बातों के लिए मैं श्री देगवौड़ा की बातों से सहमत हूं।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

श्री के.एच. मुनियप्पा: जब श्री देवगौड़ा मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने यह कदम नहीं उठाया था। लेकिन हमने ऐसा किया।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा: सभापति महोदय, रा सिल्क मैन्युफैक्चरर्स और ककून ग्रोअर्स के बारे में जो चिंता यहां व्यक्त की गई हैं जो भी खासकर...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा: मैडम, उन्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए क्योंकि मुझे हिन्दी ठीक से समझ नहीं आती...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा: जो उन्होंने यहां चिंता जताई है, मैं उससे सहमत हूं और माननीय श्री देवेगौड़ा जी ने जो इसके बारे में अपनी भावनाएं और बातें रखी हैं, उनकी भी मैं कद्र करता हूं। जो भी आज स्थिति पैदा हुई है सरकार इसके बारे में बहुत ही चिंतित है और जो हमारे ककून ग्रोअर्स रीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी इस परिस्थिति में हम कैसे मदद कर सकते हैं, इसके बारे में हम चाहे वह कर्नाटक के मुख्य मंत्री आयें तो उनके साथ हम बात करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू आये थे, उनके साथ भी हमने बात की और जैसा माननीय श्री देवेगौड़ा जी ने बताया कि जो भी उनके और सुझाव होंगे उनके आधार पर.....

सभापति महोदया: उनके साथ चलेंगे।

श्री काशीराम राणा: अगर समय मिला तो साथ चलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे क्षेत्र में जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस बारे में हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे, इस बारे में उन्हें मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यों द्वारा यहां कई बिन्दु उठाए गए। उनमें से एक ककून के वर्तमान मूल्य के बारे में था। अपने भाषण में श्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा कि यह 50 रु. से 60 रु. तक है। लेकिन यह सही नहीं है।

श्री के.एच. मुनियप्पा: मैंने कहा कि न्यूनतम मूल्य 50 रु. है।

श्री के. येरननायडू: औसतन यह 50 रु. से 60 रु. तक हो सकता है।

श्री के.एच. मुनियप्पा: हम इसे बाजार में बेच रहे हैं। हम क्रेताओं की बात कर रहे हैं। न्यूनतम मूल्य 50 रु. से 60 रु. के बीच है। अच्छी गुणवत्ता का मूल्य 80 रु. से 90 रु. तक हो सकता है।

श्री काशीराम राणा: आज की मूल्य सूची अभी मेरे पास है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि माननीय सदस्य ने सभा में जो भी कहा है। मैं निश्चित रूप से मामले की जांच करवाऊंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदया: राणा साहब, इंक्वायरी करने में अभी एक साल और लगेगा।

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा: माननीय सदस्य ने ककून और कच्चे रेशम के वर्तमान मूल्य के बारे में उल्लेख किया था। कच्चे रेशम निर्माताओं को ककून उत्पादकों की तुलना में अधिक मूल्य मिल रहा है।

जहां तक आयात शुल्क का संबंध है, सभी माननीय सदस्य इसे 70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पूर्व का आयात शुल्क पुन: बहाल करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है। यह 30 प्रतिशत है और 5.5 प्रतिशत को मिलाकर 35.5 प्रतिशत है। हम इसे बढाकर 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक करना चाहते हैं। इसलिए, प्रभावी रूप से यह 44.4 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार को एक तरफ ककून उत्पादकों के मामले को देखना होगा तो दूसरी तरफ उद्योग को। करीब 10 प्रतिशत आयात शुल्क बढ़ने से आयात लागत 300 रु. से भी अधिक हो जाएगी। इसलिए, कच्चे रेशम की लागत अवश्य बढ़ेगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि आयात शुल्क को पुन: बहाल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

माननीय सदस्यों की तरफ से यह मांग की गई थी कि हमने ओ.जी.एल. के अंतर्गत आयात को निलंबित कर दिया है। हम आधुनिकोकरण और वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं, और सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे देश में कच्चे रेशम की मांग और पूर्ति में करीब 10 हजार मीट्रिक टन या इससे भी ज्यादा का अंतर है। हमारी आवश्यकता करीब 27,000 मीट्रिक टन तक ही है। 14000 मिट्रीक टन से 17000 मीट्रिक टन तक उत्पादन बढ़ाने के प्रयास में हमें सफलता मिली है। इसलिए, करीब 10,000 मीट्रिक टन का अंतर है और इसे पूरा करने के लिए हमें आयात करना पड़ेगा।

वे यह कह रहे थे कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आत्महत्या की घटनाएं हुई थीं; लेकिन मुझे विश्वास नहीं होगा कि इसी कारण ऐसी घटनाएं घटी होंगी। हमें देखना पड़ेगा कि यदि हम ओ.जी.एल. के अंतर्गत आयात निलंबित कर देते हैं तो वस्तुस्थिति क्या होगी। एक तरफ तो हमें ककून उत्पादकों या निर्माताओं को बचाना होगा और वित्तीय सहायता करनी होगी तो दूसरी तरफ हमें रेशम उद्योग की सहायता करनी होगी, जिससे रेशम धागे, फैब्रीक, वस्त्रों आदि के निर्यात से देश को करीब 2,400 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।

वर्ष 2000-01 में कच्चे रेशम के आयात का मूल्य करीब 475.15 करोड़ रु. हो गया; जबकि वर्ष 2001-02 में यह करीब 620.78 करोड़ रुपए था।

श्री के.एच. मुनियप्पा: आप कृपया हमें बताएं कि मीट्रिक टन में यह कितना है।

श्री काशीराम राणा: श्री मुनियप्पा, मैं कच्चे रेशम के आयात संबंधी आंकड़े का ब्यौरा दे रहा हूं। वर्ष 1996-97 में यह 2,911 मीट्रिक टन था। उन्होंने जो कहा वह सही था। श्री देवगौड़ा ने भी वही कहा। वर्ष 2001-02 में हमने 6,700 मीट्रिक टन तक कच्चे रेशम का आयात किया। हमने धागे, रेशे, कच्चे रेशम के आयात पर 790 करोड़ रु. व्यय किए। और विदेशी मुद्रा के रूप में रेशम से निर्मित वस्तुओं के निर्यात से 2400 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। इसलिए, मैं सरकार की स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा। हम पूर्व के आयात शुल्क को पुन: बहाल करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: सदस्यगण बेकार पड़े भंडारों की बात नहीं कर रहे हैं। विशाल भंडार बेकार पड़ा है।

श्री काशीराम राणा: मैं उसी मुद्दे पर बोलने जा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: महोदया, माननीय मंत्री सरकारी आंकड़ा दे रहे हैं, जो कि 6,700 मीट्रिक टन है। इसे कैसे हासिल किया गया? ऐसा आयात शुल्क में कटौती के कारण हुआ है। क्या सरकार ने हमारे देश में किस हद तक तस्करी हो रही है, इसका मूल्यांकन किया है? देश में दोगुने से भी ज्यादा तस्करी के सामान उपलब्ध हैं और इसलिए कीमत में तीव्र गिरावट हुई है। क्या सरकार ने प्रत्येक वर्ष हो रही तस्करी के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है? शुल्क में 40 प्रतिशत तक की कटौती के कारण हम 6700 मिट्रीक टन का आयात कर सकेंगे। कुछ हद तक 40 प्रतिशत तक वृद्धि भी विचाराधीन है। यदि यह कुछ महीने पहले ही किया गया होता तो हम कृषक समुदाय की कुछ हद तक रक्षा कर सकते थे। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि और प्रतीक्षा किए बिना सरकार को सीमाशुल्क में 44, 50 अथवा 60 प्रतिशत तक वृद्धि करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: जो भी राशि हो सदस्यगण चाहते हैं कि आप यहीं निर्णय लेकर घोषणा करें।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): हमें हथकरघा उत्पादकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री के.एच. मुनियप्पा: मैं सहमत हूं कि भारत सरकार आयात की अनुमति दे रही है परन्तु यह मात्रा 6000 मी. टन नहीं है। यह 18,000 मी. टन है और यह आयात भारत सरकार की

सहायता के बिना है। सरकार उसे नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र का पता लगा सकती है। हम बुनकरों के पक्ष में हैं। सरकार को जितनी मात्रा की आवश्यकता हो वह उतना आयात कर सकती है परन्तु उससे अधिक नहीं। सरकार को इसे नियंत्रित करने हेतु एक तंत्र का पता लगाना चाहिए और यदि नियंत्रण (रेगुलेटिंग) शुल्क वह तंत्र है तो सरकार निश्चित तौर पर इसे नियंत्रित कर सकती है।

श्री काशीराम राणा: मैंने पहले ही कहा है कि सरकार उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): लगभग 75 प्रतिशत रेशम की तस्करी की जा रही है। हमारे देश में चल रही तस्करी के बारे में आपका क्या कहना है। उसे रोका क्यों नहीं जा रहा है। यही बुनियादी प्रश्न है।

सभापति महोदया: सदस्यगण कह रहे हैं कि निर्यात की उतनी समस्या नहीं है जितनी कि तस्करी की है।

श्री काशीराम राणा: जहां तक कच्चे रेशम का संबंध है तो ओ जी एल प्रणाली शुरू करने के पश्चात् इसकी तस्करी में दिन प्रति-दिन कमी हो रही है। नेपाल सीमा अथवा बांग्लादेश सीमा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप इस तरह व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते। हमें और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी विचार करना है।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा: सभापति महोदया, जैसा मैंने बताया, स्मगलिंग को चैक करने की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। यदि हम और ज्यादा ड्यूटी लगा देते हैं तो क्या हाल होगा। इसका भी ध्यान रखना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह: कृपया इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा: जैसा आपने कहा है जो स्टाक है उसे क्लीयर करने के लिए जैसा मैंने कहा 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई है। हम उसको और बढ़ाएंगे। कर्नाटक गवर्नमेंट से भी हमने कहा है कि यह जो प्रपोजल है इसके लिए आप गारंटी दें, तो हम और पैसा दे सकते हैं। इतना ही नहीं हमने कर्नाटक गवर्नमेंट से कहा है कि आप हमें स्टाक क्लीयर करने के बारे में और स्कीमें भेजिए। यदि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सहायता करने की अवश्य मदद करेगी।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा: मैं माननीय मंत्री द्वारा अपना उत्तर पूरा किए जाने तक बीच में नहीं बोलना चाहता था। मैं चाहता हूं कि ये मुझे सुस्पष्ट उत्तर दें। इन्हें उद्योगों को बचाना है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। यह आवश्यकता की पूर्ति हेतु लगभग 7,000 मी. टन आयात चाहते हैं। इन्होंने कहा था कि हमारा उत्पादन मुश्किल से 17000 मी. टन है जबकि हम 25,000 मी. टन चाहते हैं। मैं इनसे सीधे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। चीन भारत के रेशम उद्योग को नष्ट करना चाहता है।

श्री किरीट सोमैया: इसकी कैसे अनुमति दी जा सकती है। ऐसा तो घंटों तक चलता रहेगा।

सभापति महोदया: यदि आपने इन्हें बाधा नहीं पहुंचाई होती तो यह अब तक अपनी बात समाप्त कर चुके होते।

श्री एच.डी. देवगौड़ा: चीन पूरे बाजार पर कब्जा करना चाहता है। उनका पूरा उद्देश्य हमारे रेशम उद्योग को नष्ट करके सम्पूर्ण बाजार पर कब्जा करना है। इसके बारे में मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है। हम भी उनके बारे में कुछ जानते हैं।

कृपया मुझे उत्तर दें कि क्या उद्योगों को बचाते हुए आप इस बात से भी सहमत होंगे कि किसानों को बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप इतनी बात स्वीकार करेंगे? क्या आप हमें बताएंगे कि आप कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने जा रहे हैं? मैंने यह मांग की थी। शुल्क के बारे में आपने कहा था कि आपको उद्योग और किसानों के बीच संतुलन बनाना है और आप केवल 40 प्रतिशत तक जा सकते हैं। मैं इसे मानता हूं।

श्री किरीट सोमैया: महोदया, ऐसा कैसे चल सकता है? हम माननीय सदस्य की वरिष्ठता का आदर करते हैं। परन्तु हमें नियमों का भी पालन करना है। माननीय मंत्री अपने कक्ष में एक विशेष बैठक बुला सकते हैं जहां वह सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं।

श्री एच.डी. देवगौड़ा: यह कक्ष का मामला नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया तर्क-वितर्क न करें। कृपया अब मंत्री जी की बात सुनें। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री किरीट सोमैया: आप सबको बार-बार एक ही प्रश्न उठाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? ऐसा नहीं चल सकता।

सभापति महोदया: इस स्थिति में यदि आप सभा की कार्यवाही चलाना चाहते हैं तो आप आएं और यहां बैठें। मैं छोड़ दूंगी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें एक दूसरे को नहीं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: महोदय, यह आपके द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री एच.डी. देवगौड़ा: मैंने उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि यह हमसे सहमत नहीं होंगे। आज 50 रुपए प्रति कोया का बाजार मूल्य है परन्तु वह सहमत नहीं हैं। ठीक है। इन्हें हम पर विश्वास नहीं है। इन्हें अधिकारियों से कुछ रिपोर्ट लेनी चाहिए थी। परन्तु मुझे बतायें कि क्या आप राज्य सरकार के सहयोग से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए तैयार हैं क्योंकि यह समवर्ती विषय है। मेरे मित्र श्री जालप्पा बता रहे थे कि आप कोपरा खरीदें। कोया भी क्यों न खरीदें?...*(व्यवधान)* आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना चाहिए। यदि आप इससे सहमत हैं तो केन्द्र और राज्य दोनों को किसानों और उद्योग की रक्षा करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे?

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आप सबको बुलाकर बात करिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा: सरकार रेशम के विनिर्माताओं और कोया उत्पादकों को बचाने के लिए ही नहीं बल्कि उनके भंडारों की निकासी के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

इसलिए हमारा केन्द्रीय सिल्क बोर्ड भंडार की निकासी करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए मंजूर करने के लिए सहमत हो गया है और यदि सरकार से वित्तीय समर्थन अथवा वित्तीय सहायता की और अधिक आवश्यकता है तो हम कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव भेजने का अनुरोध करेंगे ताकि हम इस भार को बराबर बांट लें।

सभापति महोदया: मुख्य मंत्री आ-जा रहे हैं। वे सभी आपसे प्रस्ताव के साथ मिलेंगे। मामला यहीं खत्म हो जाता है। अब, नियम 193 के तहत चर्चा शुरू की जाए। बेगम नूर बानो चर्चा शुरू कर सकती हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदया, नियम 377 के तहत मामलों का क्या हुआ?

सभापति महोदया: उनको सभा पटल पर रखा माना जाए।

अपराह्न 3.20 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

(एक) महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण फैला रही सीमेंट फैक्टरी को अन्यत्र ले जाए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.जी. महाजन (जलगांव): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जलगांव, महाराष्ट्र में एक ओरयन्ट सीमेंट फैक्टरी चल रही है, जिसके कारण फैक्टरी के आसपास के क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित हो रहा है और इस क्षेत्र के निवासी अनेक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसके कारण वहां के निवासियों में भारी रोष व्याप्त है और वे इस सीमेंट फैक्टरी को हटाने की मांग काफी समय से करते आ रहे हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि जनहित में जलगांव संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाली ओरयन्ट सीमेंट फैक्टरी को तुरंत अन्यत्र स्थापित किये जाने के लिये उचित आदेश पारित करने का कष्ट करें।

(दो) झारखंड में रांची में एक बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान झारखंड की राजधानी रांची में बाईपास के न होने से यहां के लोगों की दिक्कत की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस राजधानी की आबादी 15 लाख के करीब है एवं बाईपास के न होने से यहां का यातायात कई घंटों तक जाम रहता है एवं झारखंड के कई जिलों एवं कई राज्यों के शहरों के बीच व्यवसायिक वाहन इस क्षेत्र से गुजरते हैं। इस संबंध में मैं सदन का ध्यान कई बार दिला चुका हूं, परंतु इस संबंध में कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। कई छोटे शहरों में बाईपास हैं एवं एक राज्य की राजधानी में बाईपास का न होना आश्चर्यजनक लगता है।

---

*सभा पटल पर रखे गये।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि झारखंड की राजधानी रांची में एक बाईपास तत्काल बनवाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाये।

(तीन) जम्मू-तवी एक्सप्रैस को राजस्थान में अजमेर तक चलाए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, अजमेर राजस्थान की हृदयस्थली में स्थित है। अपनी धार्मिक, शैक्षिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन तथा साम्प्रदायिक सौहार्दता की दृष्टि से यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का नगर है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा तीर्थराज पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शनार्थ देश विदेश से प्रति वर्ष लाखों यात्रियों का अजमेर आना होता है। अपनी विशिष्ट धार्मिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति के कारण अजमेर का भारत माता के सरताज जम्मू कश्मीर से रेलवे की दृष्टि से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। जम्मू के पास स्थिति वैष्णों देवी और अजमेर के पास स्थित पुष्कर दोनों ही करोड़ों लोगों की आस्था के केन्द्र रहे हैं।

वर्तमान में जम्मू तवी एक्सप्रेस (2413/2414) जिसे पूजा एक्सप्रेस भी कहा जाता है। वह नियमित रूप से जयपुर-जम्मू के बीच चलती है। यह गाड़ी दिनभर जयपुर में खड़ी रहती है। यदि इस गाड़ी को जयपुर से अजमेर तक बढ़ा दिया जाये तो अजमेर पुष्कर, वैष्णों देवी (जम्मू) से जुड़ जायेंगे। हजारों कश्मीरी लोग अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर जियारत करने आते हैं। अत: जम्मू तवी एक्सप्रेस का अजमेर तक चलना अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि जम्मू तवी एक्सप्रेस को अजमेर तक चलाया जाये।

(चार) राजस्थान के जोधपुर शहर में रक्षा मंत्रालय द्वारा आवाप्त भूमि में से होकर ग्रामवासियों के लिए रास्ता दिए जाने की आवश्यकता

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जोधपुर में जोधपुर शहर के आसपास रक्षा मंत्रालय ने काफी जमीन आवाप्त की है। आवाप्त की गयी जमीन के साथ ही रास्ते भी बंद हो गये हैं, जिससे कई गांवों के लोग परेशान हो रहे हैं। आवाप्त भूमि सिर्फ रिहायश के लिए है। यदि रिहायशी क्षेत्रों के पास के रास्ते ही बंद हो जायेंगे तो गांव की जनता का शहर में आना-जाना मुश्किल हो जायेगा।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में जो रास्ते बंद किये गये हैं, उन्हें तुरंत खोला जाये ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

(पांच) संचयनी फाइनेंस के निवेशकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): संचयिनी फाइनेंस में लाखों निवेशक अपने खून पसीने से कमाई गई धनराशि से की गई बचत को खो चुके हैं। ब्याज और जमा राशि की अदायगी बंद कर दी गई है। तत्काल कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक और डी सी ए के साथ वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकार से कार्रवाई करने की मांग है ताकि निवेशकों की उनकी धनराशि वापिस मिल सके।

(छह) केरल में तिरूअनंतपुरम में मुख्यालय रखते हुए रेलवे का एक जोन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): हाल ही में सरकार ने अनेक नए रेल मंडल बनाए हैं। किन्तु केरल में ऐसा कोई मंडल (जोन) नहीं बनाया गया है। केरल व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है और रेलवे हेतु राजस्व अर्जन करता है। महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं अब भी लम्बित पड़ी हैं। कुछ परियोजनाएं तो अभी शुरू होनी हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक प्रत्येक राज्य में अलग-अलग मंडल (जोन) हैं। केरल तेजी से देश में महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र बन रहा है और विदेशों से यहां सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। इसके महत्व और स्थान को देखते हुए केरल में रेलवे जोन बनाना अत्यधिक जरूरी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और त्रिवेन्द्रम को इसका मुख्यालय बनाया जाए।

(सात) राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना तौनात किए जाने से किसानों को उनकी फसल और पशुधन को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): मैं सरकार का ध्यान पाकिस्तान से लगे राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के किसानों/लोगों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सशस्त्र सेनाओं के लम्बे समय तक वहां तैनात रहने और उनके खेतों में बारूदी सुरंगें बिछाने से उनकी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से चरमरा गई है और उनकी जीविका के स्रोतों को नष्ट कर दिया है।

यहां इस बात का उल्लेख करना अनिवार्य है कि सीमावर्ती क्षेत्र के गरीब लोगों की जीविका के मुख्य स्रोत पशुपालन और कुछ कृषि है। भारत-पाकिस्तान की सीमा के साथ-साथ उनके खेतों में सशस्त्र सेनाओं को तैनात करने और वहां बारूदी सुरंगे बिछाने के कारण वे अपने खेतों में नहीं पहुंच पाते। अधिक मौतें

[कर्नल (सेवानिवृत सोनाराम चौधरी]

होने के कारण सीमावर्ती ग्रामों में पशुधन की संख्या में भारी कमी आई है।

ऐसी स्थिति में भारत सरकार से निम्नलिखित कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने का अनुरोध करता हूं।

(क) पशुधन की मौतों का मौके पर अध्ययन करने और तत्काल राहत उपायों का सुझाव देने के लिए एक विशेष दल बाड़मेर और जैसलमेर भेजा जाए।

(ख) अपंग पशुधन के लिए राहत शिविर/आश्रम तुरंत स्थापित किए जाएं और घायल पशुओं को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए पशुचिकित्सकों को लगाया जाए।

(ग) प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत उपाय किए जाएं। उन्हें वित्तीय पैकेज दिए जाएं।

(आठ) नागपुर में मुख्यालय रखते हुए एक अलग रेलवे जोन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): सात नए रेलवे जोनों को बनाए जाने की हाल की घोषणा से नागपुर के लोगों की आकांक्षाओं को भारी ठेस पहुंची है क्योंकि वे नागपुर में मुख्यालय सहित एक अलग रेलवे जोन बनाए जाने के लिए सरकार से आग्रह करते रहे हैं। नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है और उसकी जनसंख्या लगभग 35 लाख है। अर्थव्यवस्था और कार्यकुशलता की आवश्यकताओं के अनुरूप वर्तमान आकार जनसंख्या, कार्यभार, सुगमता यातायात प्रणाली और अन्य संचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए नागपुर में मुख्यालय सहित एक अलग रेलवे जोन बनाए जाने की अति आवश्यकता है।

ऐसी प्रतीत होता है कि विस्तृत जांच और नागपुर के मध्य में स्थित होने और अन्य परंपरागत लाभों को ध्यान में रखे बिना ही एक राज्य में रायपुर और बिलासपुर में मुख्यालयों सहित दो नए जोन बनाए गए हैं।

मुझे 1999 में आश्वासन दिया गया था कि रेलवे जोनों के पुनर्गठन की समीक्षा करते समय नागपुर के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से नागपुर में मुख्यालय सहित एक अलग रेलवे जोन बनाए जाने का अनुरोध करता हूं।

(नौ) पश्चिमी बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में मंडलीय रेल प्रबंधक (डी आर एम) कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि पूरे पूर्वोत्तर नेपाल, भूटान और सिक्किम का मुख्य केन्द्र है, में मंडलीय रेल प्रबंधक कार्यालय खोला जाना पूर्णत: तर्कसंगत है। पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की दिल्ली, कोलकाता और दक्षिण भारत को जाने वाली सभी रेलगाड़ियां न्यूजलपाईगुड़ी से गुजरती है। इसके अतिरिक्त न्यूजलपाईगुड़ी से तीन उप लाइनें यथा (1) हल्दीबाडी-न्यूजलपाईगुड़ी, (2) न्यू जलपाईगुड़ी-अलीरपुरद्वार वाया सिलीगुड़ी और (3) न्यूजलपाईगुड़ी-दार्जिलिंग निकलती है। न्यूजलपाईगुड़ी में पूरी रेलवे पटरियां तीन गेज की हैं। पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के किसी स्टेशन की तुलना में न्यूजलपाईगुड़ी से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। के.आई.आर. का मंडलीय मुख्यालय वर्तमान में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में स्थित है जबकि न्यूजलपाईगुड़ी, माल्दा-टाउन से बराबर दूरी पर है और के.आई.आर. विमानपत्तन, मेडिकल कालेज, नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय न्यूजलपाईगुड़ी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और सभी सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं।

इसलिए, मैं आपसे मामले की जांच करने का अनुरोध करता हूं ताकि इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति मिल सके और परियोजना चालू हो सके।

(दस) प्रोफेसर इमेरिट्स की छात्रवृत्ति प्रदान करने के प्रयोजन से दूर-दराज के क्षेत्रों के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षाविदों को विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षाविदों के समकक्ष माने जाने की आवश्यकता

श्री वाई.वी. राव (गुंटूर): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उत्कृष्ट शिक्षाविदों को प्रोफेसर इमेरिट्स स्कौलरशिप प्रदान करता है। तथापि मैं इस अवसर पर यहां यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान योग प्रोफेसरों और शिक्षाविदों को स्कौलरशिप देता है जिन्होंने विश्वविद्यालय में कार्य किया हो और सेवानिवृत्त हुए हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में कार्य किया है और अपने विषय में उत्कृष्ट शोध किया है। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे शोध करने वाले विद्वानों को प्रोफेसर इमेरिट्सशिप प्रदान करके प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। हमारे प्रयास छोटे स्थानों में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने का होना चाहिए और यह कार्य का एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी जांच की जानी चाहिए। इसलिए मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले की जांच करके उन उत्कृष्ट शिक्षाविदों के साथ न्याय करें, जो दूरस्थ स्थानों में कार्य करते हैं और सेवानिवृत्त होते हैं और कुछ योग्य अभ्यर्थियों को प्रोफेसर इमेरिट्सशिप दी जाए। यह ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शोध कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने में सार्थक होगा।

[हिन्दी]

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चहुंमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे फूलपुर संसदीय क्षेत्र के मऊआइमा, लाल गोपाल गंज, फूलपुर, हंडिया नगर पंचायतों में पावरलूम तथा कुटीर उद्योग का कार्य होता है। सम्पूर्ण फूलपुर संसदीय क्षेत्र के किसान कृषि कार्य में अग्रणी हैं। पूरे क्षेत्र में पावरलूम, कुटीर उद्योग तथा कृषि कार्य बिजली के अभाव में बाधित हो रहा है। इस कारण यहां के हजारों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि पं. जवाहर लाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, केशव देव मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधान मंत्री वी.पी. सिंह, डा. राम मनोहर लोहिया, श्री जनेश्वर मिश्रा जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की कर्म स्थली फूलपुर संसदीय क्षेत्र में भारी उद्योग लगाए तथा पावरलूम, कुटीर उद्योग एवं कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए बिजली मुहैया कराये। यहां के लोगों के स्वास्थ्य के लिए केन्द्रीय सरकार अस्पताल खुलवाये जिससे कि यहां के लोग अपना स्वास्थ्य लाभ उठा सकें।

[अनुवाद]

(बारह) फिल्म निर्माताओं द्वारा ऐतिहासिक फिल्मों के निर्माण में ऐतिहासिक चरित्रों की सच्ची कहानी का चित्रण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): सम्राट अशोक पर फिल्म बनाने वाले निर्देशकों और निर्माताओं ने इस महान शासक के उन सभी कार्यकलापों की पूर्णत: अनदेखी कर दी जिन्होंने, उसे मानव इतिहास के महानतम नामों में से एक नाम दिया है। उसके चरित्र पर बनाई गई फिल्में उसके व्यक्तिगत प्रेम और परिणय जीवन की विस्तृत कल्पना तक ही सीमित रही। उन्होंने उस सम्राट अशोक के एक ऐसे तथ्य की भी अनदेखी कर दी कि वह चन्द्र अशोक से धर्म अशोक कैसे बना जिसने युद्ध विजय का मार्ग छोड़कर धर्म विजय का मार्ग अपनाया।

इसी प्रकार से शहीद भगत सिंह पर बनी दो फिल्में भी आम गानों और नतृत्य क्रमों सहित उसके प्रेम प्रसंगों के काल्पनिक ब्यौरे पर ही बनाई गई और उनमें उनकी राष्ट्रभक्ति, बहादुरी और बलिदान अनदेखा ही रहा। अन्त में, जिन्होंने 'देवदास' नामक वर्तमान फिल्म बनाई है उनका शरतचन्द्र की कहानी से कुछ लेना-देना नहीं है और वे फिल्म को ऐसी ओर ले जाए जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस पर 50 करोड़ रुपये का अपव्यय किया है। मूल कहानी से कुछ सीमा तक विपथन की अनुमति है लेकिन फिल्म बनाने वालों ने पूरी कहानी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि फिल्म निर्माता ऐतिहासिक हस्तियों की सही कहानी दिखाएं।

[हिन्दी]

(तेरह) बिहार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, बिहार के विभाजन के बाद राज्य में आय का स्रोत प्राय: समाप्त हो गया है। बिहार राज्य के वार्षिक विकास की वृद्धि दर देश में सबसे कम है। जरूरत है कि इसे यथाशीघ्र दूसरे राज्यों के बराबर लाया जाये। योजना आयोग ने भी अनुभव किया है कि बिजली, सिंचाई, वन विस्तार, बाढ़ नियंत्रण ऐसे क्षेत्र हैं, जहां तुरंत सुधार की जरूरत है और यदि ये सुधार कर दिए जायें तो बिहार राज्य को अन्य राज्यों के बराबर खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। आज बिहार में गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी है, जिसके कारण भारी संख्या में जन पलायन है, जो बिहार के साथ-साथ अन्य राज्यों के लिए भी संकट पैदा कर रहा है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य की उपरोक्त समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए विशेष सहायता राशि कम से कम 800 करोड़ रुपया पहले चरण में देने की व्यवस्था की जाये।

(चौदह) आतंकवाद का सामना करने के उद्देश्य से राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए हरियाणा सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): अध्यक्ष महोदय, सीमा पार के आतंकवाद ने देश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। विदेशी आतंकवादियों का मुख्य निशाना राजधानी दिल्ली होने के साथ-साथ दिल्ली से सटे प्रदेश भी इसके कुप्रभाव से बच नहीं पा रहे हैं। नियोजित अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि पड़ौसी प्रदेशों की पुलिस में तालमेल बनाया जाये। प्रशिक्षण के साथ-साथ सुरक्षा कर्मियों के लिए बेहतर शस्त्र, बेहतर गतिशील संसाधन आवश्यक हैं। तभी वे आज के बिगड़े वातावरण में अपना कर्त्तव्य पूरा कर पायेंगे। हरियाणा राज्य सरकार की ओर से पुलिस आधुनिकीकरण

के लिए केन्द्र सरकार से धन के लिए आग्रह किया गया है। साथ ही मौजूदा केन्द्र सरकार की राज्य सरकार को धन देने की रीति-नीति में भी परिवर्तन करने का भी आग्रह किया गया है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि अविलम्ब हरियाणा सरकार की प्रार्थना-पत्र पर अमल करने के लिए कार्यवाही की जाये।

[अनुवाद]

(पन्द्रह) पश्चिमी बंगाल में झारग्राम और पुरूलिया के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): पुरूलिया जिले के बड़े भाग में रेलवे लाइने नहीं हैं। पुरूलिया के लोगों की झारग्राम और पुरूलिया के बीच नई रेलवे लाइन बिछाए जाने की मांग लम्बे समय से रही है। इस प्रयोजनार्थ सर्वेक्षण कार्य भी कर लिया गया है। इस कार्य से हल्दिया शहर को बोकारो स्टील शहर और झारखंड के धनबाद को जोड़ने के लिए यह निकटतम रेल मार्ग होना। इन पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में इस प्रस्तावित रेलवे लाइन से क्षेत्र के विकास में सहायता होगी और रेलवे को इससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि झारग्राम और पुरूलिया के बीच यथा सम्भव नई रेल लाइन बिछाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

अपराह्न 03.21 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

[अनुवाद]

भारत में प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के बारे में सरकार का निर्णय

बेगम नूर बानो (रामपुर): महोदया, सबसे पहले, मैं आपको भारत में प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के बारे में सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के अधीन चर्चा में बदलने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं। क्योंकि इसे और अधिक सदस्य चर्चा में भाग ले पायेंगे।

मैंने मंत्री जी के वक्तव्य की प्रति पढ़ी है मैं, अब मंत्री जी के वक्तव्य पर कुछ स्पष्टीकरण मांगती हूं।

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): सभापति महोदया, मैंने कोई स्टेटमेंट दी ही नहीं है। कालिंग अटैंशन होता तो मैं स्टेटमेंट देती। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

बेगम नूर बानो: मुझे आपके द्वारा परिचालित वक्तव्य की एक प्रति मिली है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर यह कालिंग अटैंशन होता तो मैं यहां स्टेटमेंट पढ़ती और उसके ऊपर सवाल होते। लेकिन मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ी।...*(व्यवधान)* नियम 193 के अंतर्गत चर्चा होने की बात ही नहीं थी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का इसलिए वक्तव्य परिचालित किया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: जब नियम 193 के अंतर्गत चर्चा हो रही है तो ठीक है, नियम का पालन होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: ठीक है, उनके पास पड़ी है, तो वे बोलेंगी।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, ऐसे कैसे होगा। कालिंग अटैंशन था, कालिंग अटैंशन पर जो स्टेटमेंट मैं यहां पढ़ती, उस पर सवाल होते। मैंने कोई स्टेटमेंट पढ़ी ही नहीं है तो वे रैफर क्या कर रही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: ठीक है। वक्तव्य से उल्लेख न करें। इसे नियम 193 के अधीन चर्चा में बदल दिया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: नियम 193 के तहत चर्चा चलाइये।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): चर्चा की सुविधार्थ, मैं कहना चाहता हूं कि सदस्यों को वक्तव्य जारी किए गए हैं। यह एक बात है। यदि मंत्री जी को सदस्यों द्वारा वक्तव्य से जिक्र करने पर आपत्ति है तो मंत्री जी यह मान लें कि सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उनके वक्तव्य से संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: बिल्कुल, ये मेरी स्टेटमेंट को रैफर न करते हुए उसमें से कुछ निकलता है तो कहें।...*(व्यवधान)* मैंने स्टेटमेंट पढ़ी ही नहीं है।

सभापति महोदया: वह स्टेटमेंट सर्कुलेट करके हाउस में दे दी थी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: क्योंकि कालिंग अटैंशन था, कालिंग अटैंशन में मुझे बोलने दिया जाता। लेकिन मैंने वह स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: इसलिए, कृपया वक्तव्य का जिक्र न करें।

बेगम नूर बानो: सरकार द्वारा प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सरकार की अनुमति से मेरी पार्टी वास्तव में बहुत ही उद्वेलित और चिंतित है। मैं समझती हूं कि हम सभी चाहते हैं कि स्वतंत्रता आन्दोलन में प्रिंट मीडिया ने सहायता की थी और वह भारत को आजादी दिलाने में सक्रिय रूप से संलग्न रहा था।

अपराह्न 3.24 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* हुए]

प्रिंट मीडिया को जनतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय संस्थान माना जाता है। 1955 में कांग्रेस सरकार ने प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश की अनुमति न दिए जाने का निर्णय लिया था। अब प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता को हम नहीं समझ सके हैं। यदि यह निवेश वाणिज्यिक वित्तीय संस्थाओं के लिए आकर्षक रहा होता तो उन्होंने निवेश अवसर को मोह लिया होता। जाहिर है कि हम समझते हैं कि इसका कारण यह है कि विदेशी संस्थाएं चाहती हैं कि विचार प्रक्रिया में उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जो कि राष्ट्रीय हित में नहीं है। और महोदया, यह अत्यधिक खतरनाक है। कोई भी व्यक्ति जो किसी पत्र को लिख पढ़ सकता है या काफी पढ़ा-लिखा होता है वह वास्तव में अखबार में जो छपा होता है उसे पढ़ने में रुचि रखता है। अन्ततोगत्वा, कुछ अवधि के पश्चात् विचार-प्रक्रिया प्रभावित होती है।

प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश चाहने वाली इस सत्तारूढ़ सरकार का यह चिंतन ही अपने आप में भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। खासकर बच्चों और शिक्षित वर्ग के लिए। हम भावी पीढ़ी को शिक्षित रखने में रुचि रखते हैं। यदि कोई बच्चों का सोचने का नजरिया बदल सकता और भविष्य बदल सकता, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा।

आप अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रानिक मीडिया अथवा इंटरनेट सिर्फ खास तबके के लिए है लेकिन प्रिंट मीडिया की पहुंच समाज के हर स्तर तक है। प्रिंट मीडिया की पहुंच आम आदमी तक है। यदि कोई बात प्रकाशित होती है और यदि इसे कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो वह पढ़ सकता है। इसलिए यदि हर बात विदेशियों के हित में होगी यदि विदेशियों को इसमें शामिल किया जाता है, यदि विदेशी निवेश इसमें शामिल हैं तो यह उन्हें बेच दिया जाएगा और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक बात है। जो कोई व्यक्ति पढ़ा-लिखा है, वह इस बात को समझ सकता है। मैं समझता हूं यह ऐसी बात है जिस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा यह भी पता चला है कि प्रारंभ में पत्रिकाओं और जर्नलों को अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाएगा इससे सिर्फ अंग्रेजीभाषी लोगों को मदद मिलेगी। यह शहरी क्षेत्र को ही उपलब्ध होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को जानने वाले अधिकतम लोगों को लाभ उपलब्ध कराने के लिए क्या पहल की गई है? जाहिर है कि यह इसी रूप में हर जगह जाएगी।

आप इस बात का कैसे पता लगायेंगे कि इस निवेश के पीछे कौन-कौन से लोग शामिल हैं। यह भावी पीढ़ी भी हो सकती है या यह भी संभव है कि कोई आतिवादी गुट या कोई अन्य देश भी इसे अपने नियंत्रण में ले सकता है। धन कहीं से भी आ सकता है। आप इसे कैसे रोकेंगे? मैं समझता हूं जैसे देश में हालात चल रहे हैं उसके रहते ऐसी सोच भी चिंताजनक है।

मेरा अनुभव है कि ये बहुत ही ठोस बातें हैं जिसे मैं कहना चाहता था मैं आश्वस्त हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे। माननीय मंत्री महोदया ने टेलीविजन से पहले ही कतिपय कार्यक्रमों को हटा दिया है। महोदया, एक समय आपने टेलीविजन से कतिपय कार्यक्रमों को इसलिए हटा दिया था क्योंकि आपके अनुसार वे हमारे बच्चों के लिये देखने लायक नहीं थे। और यह ऐसे कार्यक्रम नहीं थे जिसमे हमारी भावी पीढ़ी को शामिल किया

[बेगम नूर बानो]

जा सके। अब आप ऐसा करने की अनुमति कैसे प्रदान कर सकते हैं जिससे पांच या छह वर्ष के बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। चूंकि समय आ रहा है जब जीवन के किसी भी मुकाम पर बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। मैं माननीय मंत्री से इस बारे में पूछना चाहूंगा वे इसका कैसे पता लगायेंगे? अत: इस संबंध में मुझे यही सब कहना है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय सभापति जी, एक बहुत अच्छे महत्व के विषय को माननीय सदस्या ने प्रारम्भ किया है। आपने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं भी उस चिन्ता के प्रति सहमत हूं।

हमारे लोकतंत्र में वर्तमान पत्र, मीडिया का चौथी जागीर करके, फोर्थ एस्टेट करके अलग विषय माना हुआ है। मैं मानता हूं कि इस विषय के महत्व को ध्यान में रखकर भविष्य की पीढ़ी के ऊपर कुछ ऐसा परिणाम न हो, जिससे लोकतंत्र को कुछ खतरा हो, उसके प्रति चिन्ता व्यक्त करना स्वाभाविक है, स्वागतयोग्य कार्य है। लेकिन कभी-कभी मैं यह सोचता हूं कि कभी भी कोई एफ.डी.आई. का, फारेन इन्वेस्टमेंट का, मल्टीनेशनल की जब भी कभी चर्चा आती है, क्या तभी हमारी इस प्रकार की देशभक्ति या चिन्ता जागृत होती है, क्या हमारा, लोकतंत्र इतना कमजोर है कि कोई एक कम्पनी, कोई एक पर्टिकुलर सैगमेंट या पर्टिकुलर सैक्टर, जिसमें कोई फारेन इन्वेस्टमेंट हम ओपन कर दें तो तुरन्त हमारे देश के लोकतंत्र के ऊपर, देश की एकता के ऊपर, देश के भविष्य के ऊपर और देश की संस्कृति के ऊपर एकदम खतरा हमें नजर आता है।

[अनुवाद]

कभी-कभी मैं भ्रमित हो जाता हूं। हमें स्पष्ट होना चाहिए और यह स्पष्टता सभी राजनैतिक दलों में होनी चाहिए। वर्ष 1991 में हमने बिल्कुल भिन्न दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। भारतीय अर्थव्यवस्था में हम भारतीय उद्योग के विकास को विभिन्न चरणों में परिभाषित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

1947 में पहले महात्मा गांधी जी यह कहते थे कि स्वतंत्रता तो मिलेगी, लेकिन स्वतंत्रता मिलते ही आबादी के लिए क्या करेंगे इसलिए उन्होंने जमनादास बजाज को, जिन्हें मैं एक पीढ़ी मानता हूं, एक जेनरेशन मानता हूं, तब के उद्योगपतियों को कहा कि आप उद्योग लगाओ। उसमें कितना फायदा होगा, यह न सोचो, लेकिन हिन्दुस्तान में उद्योग लगने चाहिए। उसके बाद हमने विभिन्न दिशाओं में जाना शुरू किया। हम स्वतंत्र हुए, अपने जाइंट सेन्टर का प्रयोग शुरू किया। सरकार ने कहा इंडियन इंटरप्रिन्योर होंगे, उसके साथ सरकार के भी उपक्रम होंगे।

[अनुवाद]

आजादी के बाद हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था और संयुक्त क्षेत्र के साथ शुरूआत की। 1969 में उन्होंने अचानक दिशा बदल दी।

[हिन्दी]

उस समय की सरकार को, तत्कालीन लीडरशिप को ऐसा लगा। मैं इस विषय को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। अगर ऐसा होता तो मैं कहता,

[अनुवाद]

1969 में कौन प्रधानमंत्री था? उस समय कौन सी पार्टी सत्तारूढ़ थी? 1991 में एक बार फिर उन्होंने अचानक दिशा बदल दी। यह निर्णय किसने लिया? उस समय कौन प्रधान मंत्री था? उस समय कौन सी पार्टी सत्ता में थी? मैं इस चर्चा को राजनीतिक रंग देना नहीं चाहता हूं।

महोदय, 1969 में हमने विकास के एकाधिकारवादी प्रकृति के साथ शुरूआत की थी। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में एकाधिकार था।

[हिन्दी]

उस समय हमें कितने स्कूटर मिलते थे, केवल एक ही था हमारा बजाज और वह भी लेने के लिए हमें दस साल तक लाइन में खड़ा होना पड़ता था। यहां रास्तों पर उस समय केवल एम्बैसडर और फिएट कारों के सिवाय दूसरी कोई गाड़ी नजर नहीं आती थी। टेलीफोन के डिब्बे को मारना पड़ता था, तो कभी दिन में एक-दो बार घंटी बजती थी।

[अनुवाद]

मैं इस संबंध में विवाद करना नहीं चाहता हमारे यहां न सिर्फ सरकारी क्षेत्र में एकाधिकारवादी संस्कृति थी बल्कि निजी क्षेत्र में भी एकाधिकारवादी संस्कृति थी।

[हिन्दी]

टेलीकम्यूनिकेशन में क्या स्थिति थी, एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. का ही लेना पड़ेगा और वे जब चाहें, चार्जेज बढ़ा देते थे।

[अनुवाद]

सरकार निजी क्षेत्र में भी इस चीज को प्रोत्साहन दे रही थी। लाइसेंस राज अथवा एकाधिकार था।

[हिन्दी]

अगर देश में एक लाख कार बननी हैं तो चार कम्पनीज को लाइसेंस दिया जाएगा कि एक कम्पनी 25,000 कारें बनाएगी। उसके बाद चाहे तो वह घटिया बनाएं या बढ़िया, लेनी पड़ती थी। दस साल में दस हजार रुपए डिपाजिट कराने पड़ते थे, ब्याज फिर भी नहीं मिलता था।

मैं सूचना और प्रसारण मंत्री जी पर कोई टीका नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पहले एक दूरदर्शन था। वह दूरदर्शन कैसे चलता था, दूर से दर्शन, नजदीक मत आना, पता ही नहीं चलता था कि उसमें क्या आता था।

[अनुवाद]

इस क्षेत्र में पूर्णत:, एकाधिकार था। तब 1991 में सरकार अथवा सभा ने दूसरे तरीके से सोचना शुरू किया। रशिया खत्म हो गया। उसकी मोनोपलस्टिक इकोनामी जो थी, उसमें फेल्योर आया।

1969 में इंगलैंड ने भी दुबारा सोचना शुरू किया। इसलिए हमने विश्व के साथ चलना शुरू किया। 1991 में हमने आर्थिक व्यवस्था बदल दी। हमने अपने एकाधिकारवादी संस्कृति को प्रतिबंधित कर दिया और उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी।

[हिन्दी]

कभी-कभी मेरे मित्र टीका करते हैं, चर्चा करते हैं यह 1955 का रिवर्सल है। 1955 का रिवर्सल किसने किया, क्या 1951 में एक ही निर्णय हुआ था, 1947 में कोई निर्णय नहीं हुए थे। 1947 से 1969 तक कितने ही निर्णय हुए। उन सबको हमने 1969 से 1989 तक रिवर्स किया। 1989 के बाद पहले हुए निर्णयों को हमने रिवर्स किया। क्या दूरदर्शन में सरकारी मोनोपली नहीं थी, क्या टेलीफोन में मोनोपली नहीं थी, उस समय भी डेंजर, सिक्योरिटी आदि पर भाषण हुए थे।

[अनुवाद]

इसलिए यह परिवर्तन न तो 1955 में किया गया और न ही 2002 में। हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है और इसलिए हमें विश्व अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिलाकर चलना है।

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंकिंग सेक्टर में भी मोनोपली है। राष्ट्रीयकरण किसने किया?

[अनुवाद]

1991 में क्या बदलाव नहीं किया गया था। उस समय यह सरकार नहीं थी। जो लोग सरकार में थे।

[हिन्दी]

1996 में बैंक में सरकार की 100 परसेंट इक्विटी को 61 परसेंट पर लाने का बिल अगर किसी ने मन्जूर किया है, विधेयक मन्जूर किया, तो हमारे मित्र पक्ष ने किया। मैं उस पर टीका नहीं करना चाहूंगा। यह एक सतत प्रक्रिया है। आप हर तरह का फायदा नहीं उठा सकते। आप दोनों नहीं कर सकते हो। कभी-कभी सदन से बाहर जाकर जब हम यंग जनरेशन से चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कि आप समझेंगे नहीं, हर समय रोते रहेंगे। हमेशा आप सुरक्षा के लिए प्रयास करेंगे। हर एक को प्रोटैक्शन चाहिए, नौजवान को चाहिए, विद्यार्थी को चाहिए, इन्डस्ट्रियलिस्ट को चाहिए, सरकार में ब्युरोक्रेट्स को चाहिए - ये रोने का धन्धा आप बन्द करेंगे या नहीं। ऐसा वर्ष 1991 में था और 1966 में भी था। 1996 में क्या यह परिवर्तन नहीं था। जब हमने 1995 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते पर हस्ताक्षर पर किया था तो क्या यह इसका उलटा नहीं था? आपके पास मार्ग-निर्देश हैं जिसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर हमें रोना होता, तो हम कहते कि 1995 में इन्होंने यह नहीं किया, 1996 में इन्होंने यह नहीं किया और 1991 में इन्होंने यह नहीं किया। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। यह एक लोकतांत्रिक ढांचा है। हम प्रत्येक व्यक्ति से यह कहना चाहते हैं कि हमें यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। हमें मानस बदलना चाहिए। फारन मीडिया वाला आएगा, तो हमें बरबाद करके चला जाएगा। ईस्ट-इंडिया कम्पनी बनाकर चला जाएगा। आपको संभावना पैदा करनी है और प्रोत्साहन देना है। यंग जनरेशन को कहना चाहिए कि हम चैलेंज एक्सैप्ट करें।

[अनुवाद]

यह विश्व व्यापार संगठन है। इसके क्या फायदे हैं? आपको इसकी व्याख्या करनी है और न कि डब्ल्यू टी ओ की खामियों को इंगित करना? क्या आप इसे बदलने जा रहे हैं? क्या आप इसे बदल सकते हैं? क्या आप इसे उलट सकते हैं। नहीं।

[श्री किरीट सोमैया]

[हिन्दी]

रोना-धोना क्यों कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन सैक्टर में यह चमत्कार है। आज प्रश्नकाल में श्री प्रमोद महाजन जी बता रहे थे कि टैलीकम्युनिकेशन सैक्टर में लिब्रलाइजेशन से हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। क्या यह चुनौती नहीं है? हम मोबाइल लेकर विदेश में जाते हैं। वहां पर, मुलायम सिंह जी मुझे माफ करेंगे, इटावा नहीं, पास के किसी जिले से अपना कार्यकर्त्ता फोन करता है, आप बार्सिलोना में हैं, न्यूयार्क में हैं, वह कार्यकर्त्ता आश्चर्यचकित रह जाता है। कहता है, नेता जी आप इंग्लैंड में हैं, आप वहां से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

क्या यह एक चुनौती नहीं है? क्या यह मृग मरीचिका नहीं है? क्या यह प्रौद्योगिकी नहीं है? यह किसने किया है? यह हमने किया है? इन्फार्मेशन टैक्नोलाजी में चमत्कार हमने किया है। अगर हम डरते रहते, तो यह नहीं होता। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत विश्व के कुछेक देशों से अग्रणी होने जा रहा है। जब हम चर्चा प्रारम्भ करते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह एक परिवर्तन नहीं है। तार्किक रूप से यह एक कदम और आगे है।

[हिन्दी]

महोदय, हम इलैक्ट्रोनिक मीडिया ओपन कर रहे हैं। आप कहेंगे, जी-टीवी तुम भले ही यहां हो, तुम्हारी सारी लागत मोरिशियस, सिंगापुर या मलेशिया में रुकेगी। आप कहेंगे, स्टार-टीवी आप भले ही यहां हो, हम देखेंगे, लेकिन आपका पैसा फारन का होगा। आप इंडिया में टैक्स नहीं कर पायेंगे। आप यहां शेयर कम्पनी निकालेंगे और मोरिशियस में रूट खोल देंगे। हम इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए द्वारा खोलेंगे। तब हम इंटरनेट के लिए खोलेंगे। इस संचार क्षेत्र के लिए खोलेंगे। ऐसी स्थिति में पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई राक्षस आ जाएगा। ऐसा कोई राक्षस नहीं है, जो हिन्दुस्तान को खरीद सके। कोई नहीं खरीद सकता है। मेरी समझ में नहीं आता है, हाथी के दांत दिखाने के और, खाने के और।...*(व्यवधान)*

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): लगता है, आधे अंग्रेज तो बन चुके हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बैठ कर मत बोलिए।

श्री किरीट सोमैया: शुक्ला जी, 1991 में जब आप इस तरफ पार्टी में थे, तो 1995 में डब्ल्यू टी ओ साइन किया। 1993 में इलैक्ट्रोनिक मीडिया को निर्मित किया, उस समय पर आपकी देशभक्ति जागृत होती।...*(व्यवधान)*

मैं आपसे अपील करूंगा कि आज उसके रिजल्ट देखने के बाद कांग्रेस कार्य समिति यह मान्य करे, प्रस्ताव करे कि हमने 1991 से 1996 तक जो डिसीजन लिया, उसके रिजल्ट बहुत घातक आ रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जब आपकी माननीय अध्यक्षा होंगी तब आप रेजोल्यूशन करें और लोगों से माफी मांगे कि हमने देश के साथ कुठाराघात एवं विश्वाघात किया, देश की हत्या की और देश को अंग्रेजों के पास लेकर गए। मैं प्रार्थना करूंगा, आप कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसने विरोध किया और किसने नहीं किया। मैं कई विभिन्न लोगों को उद्धृत कर सकता हूं। मैं यह मानता हूं कि वाद-विवाद जरूर है। इस विषय के दो अंग हैं - अगर टाइम्स आफ इंडिया एक बात कहता है तो इंडियन एक्सप्रैस दूसरी बात कहता है, हिन्दी का एक दैनिक तीसरी बात कहता है। हमारी सरकारी पेपर के मालिक एक बात करते हैं तो दैनिक जागरण हिन्दी, वर्तमान पेपर दूसरी बात करते हैं। इसमें अंतर है और चर्चा की संभावना है तथा इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो डिफरेंस व्यक्त करते हैं उन्होंने जो सावधानी बरतने के लिए कही है, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उसका भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप यह जानना चाहेंगे कि किस-किस ने विरोध किया और किस-किस ने सपोर्ट किया तो उसकी भी बड़ी लिस्ट मैं आपको दे सकता हूं। अगर इंडियन एक्सप्रैस के चीफ एडीटर शेखर गुप्ता अंग्रेज हैं, इंडिया टुडे के प्रभु चावला, पायोनियर के चंदन मित्रा, दैनिक जागरण के नरेन्द्र मोहन और विनोद मेहता आउटलुक के अंग्रेज हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

[अनुवाद]

एक अखबार समूह का व्यापार संस्करण हरेक क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तर्क देते हैं और वे ऐसा कहते हैं।

[हिन्दी]

साबुन हो या चप्पल हो, एफडीआई क्यों नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

यह अंग्रेजी समाचार-पत्र प्रतिदिन संपादकीय और समाचार लिखते हैं कि हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश चाहते हैं। जो साबुन बनाने में चाहिए, चप्पल और सिर के तेल में चाहिए, रिटेल में चाहिए। वही बिजनेस न्यूजपेपर बड़े बिजनेस ग्रुप का न्यूजपेपर करता है। प्रिंट मीडिया में फारेन डायरेक्ट इनवेस्ट की बात आती है, उसके कारण उनकी आर्थिक मोनोपली के ऊपर कोई कम्पीटिशन निर्माण हो जाएगा।

वे इस मुद्दे पर दूसरे तरह से तर्क देना शुरू कर देते हैं। मैं उनकी बात समझ नहीं पाता जब वे कहते हैं एक बिजनेस समूह हैं, एक बिजनेस अखबार है जो विरोध कर रहा है और साथ ही साथ समान रूप से दूसरे बिजनेस समूह अखबार एफडीआई की मांग कर रहे हैं। सरकार ने क्या किया है? सरकार ने कहा है कि मात्र 26 प्रतिशत की अनुमति है और नियंत्रण भारतीय अध्यक्षों, भारतीय संपादकों का रहेगा।

[हिन्दी]

मैं माता हूं, इसमें भी अगर कोई चेंज करने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की हो तो मुझे मंजूर है। लेकिन तब हम यह सोचें कि नहीं, छोटे-छोटे अखबार हैं, उनके पास प्रिंटिंग मशीनरी नहीं है। उन्हें इनवेस्टमेंट चाहिए। वे अगर इक्विटी में इनवेस्टमेंट लेंगे, उनके ऊपर कोई वित्तीय बोझ नहीं है क्योंकि यदि आप लाभ अर्जक करने हैं तभी आप लाभांश वितरित करेंगे। क्योंकि उनकी प्रोफिटेबिल्टी एवं क्वालिटी नहीं है। उनके पास पैसा एवं मशीनरी नहीं है, इसलिए वे अच्छे रिपोर्टर एवं जर्नलिस्ट नहीं रख सकते हैं। अच्छे कोलमनिस्ट इनवाइट नहीं कर सकते। यदि वे बैंक ऋण के लिए जाते हैं तो बैंक ऋण क्या है आज उन्हें 15-16 एवं 18 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है।

[अनुवाद]

इसके साथ ही बड़े समूह के पास इक्विटी हो सकती थी और इसीलिए उन पर वित्तीय बोझ पड़ता है। अगर फारेन एफडीआई इनवेस्टमेंट स्टार्ट होगा तो उसे 26 प्रतिशत इक्विटी मिलेगी, बिना किसी वित्तीय बोझ के।

[हिन्दी]

जब उन्हें प्रोफिट होगा तो डिविडेंड देंगे और 26 प्रतिशत मिलने के कारण, जो छोटे एवं मीडियम अखबार हैं, लैंग्वेज पेपर हैं, उन्हें नया जीवन मिलेगा। उन्हें कम्पीटिशन में अपने ही भाईयों के साथ खड़ा रहने का अधिकार मिलेगा। कौन तर्क कर रहा है। मैट्रो सिटीज में जो नम्बर एक के पेपर हैं, वे एक टाइप से आर्गु करते हैं और इसमें जो नम्बर दो टाइप के पेपर्स हैं, जिनका क्रमांक दो है, वे दूसरी आर्गुमेंट देते हैं। लेकिन हमें यहां इस प्रकार के तर्कों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं। यशवन्त सिन्हा जी यहां नहीं है3। 1998 में एनडीए की सरकार आई।

[अनुवाद]

वर्ष 1998 में हमारी विदेशी मुद्रा भंडार की क्या स्थिति थी। वर्ष 1989-90 में हमारी क्या स्थिति थी? 1996 में क्या समस्या थी।

[हिन्दी]

हम हर साल या दो-तीन साल के बाद फारेन एक्सचेंज का रोना रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हमने वह दिन भी देखे जब सोना गिरवी रखना पड़ा। आज सरकार की नीति और डायनमिक डायरैक्टिव के कारण फारेन एक्सचेंज जो चार-पांच महीने पहले 50 बिलियन तक था वह 8 महीने में 8 बिलियन डालर बढ़ गया है। आज हमारे पास 60 बिलियन डालर की विदेशी मुद्रा भंडार है।

[हिन्दी]

इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आज हिन्दुस्तान की तिजोरी में 3 लाख करोड़ रुपए का फारेन एक्सचेंज पड़ा है।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): हमारे यहां जो सूखा पड़ा है, उसे वहां दे दीजिए।

श्री किरीट सोमैया: आपकी बात सही है। हम यहां भी खर्च करने वाल हैं लेकिन आपने पिछले 50 साल में इतना विदेशी कर्जा लिया है उसे चुकाने के बाद जो पांच साल में फारेन एक्सचेंज इकट्ठा होगा उससे यह काम भी कर देंगे। आपने देश को बरबाद करने का काम किया है। हम जरूर इसे वापस करेंगे।

[अनुवाद]

कृपया चिन्ता न करें। हम आपके सुझाव की प्रशंसा करते हैं।

[हिन्दी]

पिछले दस साल में लोगों की इलैक्ट्रानिक मीडिया विजुअल के प्रति रुचि बढ़ी है।

[अनुवाद]

नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार प्रिंट मीडिया में 40 प्रतिशत पाठकगण हैं। मैं एक वाक्य उद्धृत करूंगा कि ''मौखिक निष्कर्ष यह इंगित करेगी कि टेलीविजन देश में सामान्यत: सर्वाधिक माध्यम स्वीकार्य के रूप में उभरा है। 72 प्रतिशत लोग इसे देखते हैं।

[श्री किरीट सोमैया]

[हिन्दी]

आज न्यूज पेपर्स को प्रतियोगिता में आगे लाना होगा जो एक अच्छा कदम है। आज 75 मिलियन टीवी हाउसेज हैं यानी साढ़े पांच करोड़। चार करोड़ घरों में केबल पहुंच चुका है। वहां इनवैस्टमेंट होगा।

[अनुवाद]

क्या वे हमारी संस्कृति और हमारी मौजूदा पीढ़ी को प्रभावित नहीं कर रहे हैं? क्या यह चुनौती नहीं है?

[हिन्दी]

मुझे लगता है कि यदि हम चैलेंज के सामने प्रिंट मीडिया को बढ़ावा देंगे तो किस को फायदा होगा? चार-पांच न्यूज पेपर्स को छोड़कर बाकी न्यूज पेपर्स में नए जाब क्रिएट होंगे, नए इनवैस्टमेंट होंगे, क्वालिटी में सुधार आएगा और जर्नलिस्ट्स को बहुत बड़ी संख्या में अच्छी पगार मिलेगी। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा कदम उठाया गया है। मैं मानता हूं कि सरकार ने जो कदम इस संबंध में उठाया है, वह अच्छा है। टाइम्स आफ इंडिया वर्सिज मिड-डे की दृष्टि से हम इसे देखना नहीं चाहते। मैं यह नहीं कहूंगा कि मिड-डे ग्रुप जो पब्लिक इशू लेकर आया है, उसने कैम्पेन किया। मैं उसे इस दृष्टि से भी देखना नहीं चाहूंगा।

[अनुवाद]

हमें एक नये अखबार और नई पीढ़ी को प्रोत्साहन देना चाहिए। यदि यह सामने आ रहा है तो हमें इसे दबाना नहीं चाहिए। हमने बाकी सब सैक्टर्स में इश्योरेंस सैक्टर में, फाइनान्स सैक्टर में, प्रोफैशनल सैक्टर में 1991-98 के दौरान हमने सभी क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को खोला है।

[हिन्दी]

प्रिन्ट मीडिया में एफआईआई की बात अगर आई तो हाहाकर मच गया। सरकार को यह ध्यान में रखना होगा।

[अनुवाद]

शेष 74 प्रतिशत में शेष कंपनी, मारीशस कंपनी या वित्तीय संस्थाओं अथवा किसी अन्य विधि के माध्यम से निवेश नहीं होना चाहिए। इसे अनुमति नहीं प्रदान की जानी चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसे गाइडलाइन्स में इनक्लूड करना पड़ेगा। इंश्योरेंस सैक्टर में यह जो रखा गया है। संचार क्षेत्र में खामी है। लेकिन बीमा क्षेत्र इस गलती से सबक सीखेगी और इसे शामिल करेगी। इंश्योरेंस सैक्टर में 26 परसैंट कैप है और रीमेनिंग 74 परसैंट में कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। इस संबंध में गाइडलाइन्स और रूल्स रैगुलेशन इशू हों।

नहीं, आपने जो कहा है उसे मैं पढ़ता हूं। बल्कि तब आपसे मैं एक और वाक्य जोड़ने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

इंश्योरेन्स सैक्टर की गाइडलाइन्स इसमें ली जायेंगी, लेकिन उनमें भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एक इंडियन कंपनी किरीट सोमैया की होगी, वह 76 का पार्ट होगी, लेकिन किरीट सोमैया की कंपनी का फारेन पार्टनर होगा। फारेन इनवैस्टमैन्ट होगा या किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया की कंपनी होगी, उसमें इनवैस्टमैन्ट होगा।

[अनुवाद]

बीमा क्षेत्र ने विशेष रूप से यह प्रतिबंध लगाया है और इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है।

[हिन्दी]

इसके साथ ही मैं एक विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप चार मैट्रो सिटीज के अखबारों की हालत देख लीजिए।

[अनुवाद]

यह एक एकाधिकारी व्यवस्था को विकसित करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

अभी हम अखबार के लिए एम.आर.टी.पी. में नहीं जा सकते, यह 15 साल पहले भी डेढ़ रुपये था और आज भी डेढ़ रुपये हैं। छोटे अखबारों को हम जिंदा नहीं रहने देंगे। दुनिया के अनेक देशों में डेवलपिंग कंट्रीज में हमने यह अलाऊ किया है। अगर हम 1989-1990 में होते तो खड़े होकर भाषण नहीं कर सकते थे। लेकिन एक बार हमने जब ग्लोबलाइजेशन एक्सैप्ट कर लिया है तो मैं मानूंगा कि एक अखबार कोई भी विषय अपने ढंग से छापता है। महात्मा गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह किया था, तब दांडी मार्च निकाला था, तभी एक शीर्षस्थ और अग्रणी अंग्रेजी अखबार ने लिखा— महात्मा गांधी जी नाटक कर रहे हैं। क्या नमक से देश को आजादी मिलने वाली है। वह अखबार आज भी पहले दो-चार में से एक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अखबारों को

सभी प्रकार के अपने विचार लिखने का अधिकार है। लेकिन यहां जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा।

[अनुवाद]

यह प्रिंट बनाम दृश्य नहीं है। यह छोटा बनाम बड़ा नहीं है। यह एक्सप्रेस ग्रुप बनाम टाइम्स आफ इंडिया नहीं है। यह इकानामिक टाइम्स बनाम बिजनेस स्टैण्डर्ड नहीं है। यह टाइम्स आफ इंडिया, मुंबई बनाम मिड-डे नहीं है। यह एक चुनौती है। यह विकास बनाम पिछड़ापन है। यह सुरक्षा बनाम प्रतिस्पर्धा के लिए एक चुनौती है। अंत में मैं यह कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि बेहतर हो आप चुनौती को स्वीकार करें।

[हिन्दी]

हम देश में यह भावना तैयार करें कि किसी भी प्रकार का इनवैस्टमैन्ट आयेगा, हम देश में आने वाले इनवैस्टमैन्ट को डायरेक्शन देंगे कि इसे यहां लगायें। देश ने कम्युनिकेशन से लेकर दूरदर्शन के क्षेत्र में जिस प्रकार से क्रान्ति की है, जिस प्रकार से हमने फारेन एक्सचेंज रिजर्व डेवलप किया है, उसी दिशा में हम आगे जाएं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के वाक्य से अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा - जो 20वीं सदी अमरीका की थी, यह 21वीं सदी हम हिन्दुस्तान की बनाकर दिखायें।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): सभापति महोदय, लेकिन यदि इस ओर से हस्तक्षेप नहीं होता और माननीय अध्यक्ष महोदय के इस संबंध में निर्णय लेने के फलस्वरूप हमें ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जनसंचार माध्यम के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का मामला है। दुर्भाग्यवश आजादी के अनेक दशकों के बाद भी हमारे पास कोई व्यापक मीडिया नीति नहीं है। मुझे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित ऐसी ही एक राष्ट्रीय मीडिया नीति समूह का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था यह ग्रुप कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा लेकिन सरकार द्वारा इन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया।

बाद में मेरे आदरणीय सहयोगी श्री शरद पवार की अध्यक्षता में प्रसारण क्षेत्र के संबंध में नियमों, मानदंडों और विनियमों से संबंधित एक दूसरे निकाय का गठन किया गया। वहां भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके क्योंकि सरकार ऐसी नीति के संबंध में गंभीर नहीं थी।

अब आज प्रिंट मीडिया क्षेत्र के लिए मौजूदा मीडिया नीति में चुपके से और जल्दबाजी में बदलाव के प्रयास किये जा रहे है। किसलिए?

16 फरवरी, 2001 को भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रिंट मीडिया क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से इंकार कर दिया? 16 फरवरी, 2001 से हमने मंत्रिमंडल के ही अनेक अति विशिष्ट व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न विचार सुने।

हमें विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता है लेकिन इस क्षेत्र में किसकी कमी है? हमने एनरान को प्रति-गारंटी दी थी। उनके 13 दिन के शासन में योजनावकाश के दौरान उन्होंने एनरान को अनुमति प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल की विशेष बैठक बुलाई थी और अब हम एनरान के संबंध में जानते हैं कि क्या हो रहा है? हमें बताया गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अनुशासन और कंपनियों के संचालन (कार्पोरेट गवर्नेंस) के बारे में हमें बताएंगे। एनरान, एंडरसन, वर्ल्डकाम और जेराक्स के साथ क्या हुआ, क्या हम यहां उसकी वापसी चाहते हैं और क्या हमें वे कंपनियों के संचालन (कार्पोरेट गर्वनेंस) और अनुशासन के विषय में हमें बताएंगे?

हमें किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता है। प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोलने की वकालत करने वाले लोगों का कहना है कि लघु और मध्यम स्तर के अखबार में बहुत मुश्किल में है उन्हें वित्तीय सहायता की सख्त आवश्यकता है और वे डांवाडोल स्थिति में हैं। इसकी वकालत करने के लिए कौन आगे आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण और इंडिया टुडे यह लघु और मध्यम स्तर के अखबारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्या संसद को ऐसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना विचार व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे आदरणीय सहयोगी और नेता सोमनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति है। इस समिति की बहुमत से सिफारिश थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह सर्वसम्मत थी। असहमति के स्वर भी रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत अधिक सदस्यों ने सिफारिश का अनुमोदन किया। हम स्थायी समिति में भाग क्यों ले रहे हैं? इसने एक बार सरकार और संसदीय कार्य मंत्री से स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकारने के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा कि 93 प्रतिशत सिफारिशे स्वीकार की गई। उन्होंने कहा कि अधिकांश मामलों में सरकार स्थायी समितियों की सिफारिशों को स्वीकार करती है।

जब हम बीमा विधेयक पर चर्चा कर रहे थे तो मंत्री महोदय ने कहा कि जब स्थायी समिति द्वारा एक बार कह दिया गया है कि अस्थायी और ऐसी अन्य बातों को अनुमति दी जानी चाहिए

[श्री रूपचन्द पाल]

तो सरकार इससे कैसे पीछे हट सकती है। सरकार सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हट सकती क्योंकि स्थायी समिति ने कुछ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सिफारिशें की थी। अब यह स्थायी समिति की बहुमत से सिफारिश है? आप इसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। स्थायी समिति एक लघु संसद है। इससे कैसे इंकार किया जा सकता है।

मैं किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। माननीय मंत्री स्वयं कह रही हैं कि "मुझे ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं। समिति को उनकी जांच करने दें।" दूसरी सभा के विशेषकर एक सदस्य सभी कार्यवाहियों की अवहेलना कर सभी मानदंडों का उल्लंघन कर सभापति के बारे में टीका-टिप्पणी कर जनसंचार माध्यमों के सामने खुल्लम खुल्ला आ रहे हैं जो न सिर्फ गलत बात है बल्कि किसी सभ्य आदमी से ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मुझे ऐसे सभी बातों के कहने का खेद है।

सरकार को अचनाक ही यह तथ्य समझ में या है कि राष्ट्र प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता है। राष्ट्र विद्युत क्षेत्र एवं अवसंरचना में ऐसे निवेश के लिए इंतजार कर सकता है। जब सारा राष्ट्र कृषि, उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र में बुरे दौर से गुजर रहा है तो राष्ट्र निवेश के लिए इतंजार कर सकता है परन्तु राष्ट्र प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नहीं रुक सकता। हम जानते हैं कि राष्ट्र क्यों नहीं इतंजार कर सकता है। कुछ लोगों ने इस देश से भारी रकम को बाहर ले जाकर विदेशी बैंकों में जमा करा दिया है। वे उस धन को वापस लाकर यहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में निवेश करना चाहते हैं। हम उन नामों को जानते हैं। हम जानते हैं कि लोगों की इसमें इतनी रुचि क्यों है। यह सरकार चौथे स्तम्भ की सम्पूर्ण अवधारणा को नष्ट करने के लिए बेताब है। स्वतंत्रता के पांच दशकों बाद बिना किसी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के इस देश में 50,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड समाचारपत्र हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

उनका कहना है कि जब इलेक्ट्रानिक मीडिया में ऐसा हो सकता है तो प्रिंट मीडिया में क्यों नहीं। इसमें भारी अंतर है।

महोदय, इस समिति जैसे कि भारतीय प्रेस परिषद, प्रथम प्रेस आयोग के समक्ष कई विशेषज्ञों ने बड़ी संख्या में गवाह के रूप में अपने विचार रखे। द्वितीय प्रेस आयोग ने तो प्रिंट मीडिया क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने वाले किसी भी कानून का प्रतिबंध तक किया है। क्या इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी, एडीटर्स गिल्ड, इत्यादि उत्तरदायी लोग नहीं हैं? क्या उनके पास प्रिंट मीडिया के बारे में कोई अनुभव नहीं है। उनके विचारों की क्यों उपेक्षा की जानी चाहिए? क्या इंडियन एक्सप्रेस, कुछेक लोग, कुछेक संपादक और माननीय मंत्री जी द्वारा अनुसूचित पांच नाम इस देश की जनता से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने विशेषकर कांग्रेस पार्टी, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, अपने विचार प्रकट किए हैं। वामपंथी पार्टियों ने भी अपने विचार रखे हैं। ये सभी दल सभा के इस पक्ष से संबंधित हैं। केवल थोड़े से ही लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, स्वदेशी जागरण मंच, बी एम एस के नेताओं ने भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का खुलकर विरोध किया है। इतनी जल्दबाजी क्यों है? प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में मूलभूत अंतर है। इलेक्ट्रानिक मीडिया दृश्यों पर आधारित है, परन्तु अभी भी जब आप संपादकीय पढ़ते हैं, तो प्रिंट मीडिया विशेषकर स्थानीय प्रेस के आधार पर जनमत तैयार होता है और आम बहस की जाती है। उसे अधिकार में लिया जाएगा। किसलिए? क्या यह लाभकारी क्षेत्र है कि वे यहां आएंगे और विभिन्न प्रदेशों के दैनिक समाचारपत्रों में निवेश करेंगे? इसका उत्तर 'नहीं' है। भारतीय परिस्थितियों में यह लाभकारी नहीं है परन्तु दूसरे क्षेत्र में यह लाभकारी है। यह सरकार के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। यह सरकार को बना एवं गिरा सकता है। यह विशिष्ट क्षेत्र एवं सम्पूर्ण देश के चुनावों का निर्धारण कर सकता है।

महोदय, मैं श्रीमान् जान मेजर का उदाहरण दे सकता हूं। क्या हुआ जब श्रीमान जान मेजर ने 'डायरेक्ट टू होम' के क्षेत्र में रूपर्ट मर्डोक को अनुमति न देने का निर्णय लिया? कुछ समाचार-पत्र, श्रीमान् जान मेजर के विरुद्ध खुलकर सामने आए थे और यह दर्शाने के लिए पुस्तकें लिखी गई कि वे किस प्रकार सरकारों को बना एवं गिरा सकते हैं और किस प्रकार राजनीतिक पटल से महत्वपूर्ण हस्तियों को मिटा सकते हैं। हमारे जैसे देश में क्या होगा? वे सभी प्रकार के उत्तरदायी परामर्श की उपेक्षा करते हुए ऐसा करने जा रहे हैं।

हम पाते हैं कि इस सरकार ने न केवल चौथे स्तंभ का विनाश करने का निर्णय लिया था, वे अब प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि कोई भी किसी एक का निवेश कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के लिए है न कि अन्यों के लिए? उनका कहना है कि नहीं, नहीं, यह उचित है। हमारे पास इसका बचाव है। इसके क्या बचाव हैं? कौन नियंत्रित करेगा? उनका कहना है कि 26 प्रतिशत की सीमा पर्याप्त है। पर्दे के पीछे कई सारे समझौते हो सकते हैं।

जब श्री स्वराज पाल एस्कार्ट्स मामले में भारत आए थे, तो वापस लौटते समय उन्होंने बड़ी ही गंभीर टिप्पणी की कि भारतीय कंपनी का नियंत्रण 3.5 प्रतिशत शेयरों द्वारा किया जा रहा है, कुछ वस्त्र कंपनियों का नियंत्रण आठ प्रतिशत शेयरों द्वारा किया जा रहा है, कुछ का नियंत्रण 3.5 प्रतिशत द्वारा किया जा रहा है। कुछ का आठ प्रतिशत द्वारा और कुछ का छह प्रतिशत द्वारा। कंपनी कार्य विभाग के साक्ष्यों के माध्यम से हम बड़ी संख्या में ऐसे उदाहरण दे सकते हैं।

कंपनियों का नियंत्रण 26 प्रतिशत से कम के शेयरधारकों द्वारा किया जा सकता है। यह कहा जा रहा है कि नहीं, उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। एनरान प्रतिष्ठित कंपनी थी, वर्ल्डकाम सर्वाधिक प्रतिष्ठित कंपनी है, जेरोक्स अत्यधिक प्रतिष्ठित कंपनी है, एंडरसन अत्याधिक प्रतिष्ठित कंपनी है। और यह कहा गया है कि उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ क्या हुआ है? एक-एक करके हमारे संसाधनों का शोषण करने के बाद वे पूंजी बाजार से गैर सूचीबद्ध हो रही हैं और सरकार के पास इसका नियंत्रण करने की कोई शक्ति और अधिकार नहीं है। यह कहा गया है कि उद्घोषणा के और मानदण्ड होंगे। हमारे उद्घोषणा मानदण्डों की बात कौन सुन रहा है? अभी भी हमें हाल के घोटाले से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति के निष्कर्षों का पता लगाना बाकी है। परन्तु हम पूर्व के बारे में जानते हैं। आपके उद्घोषणा मानदण्डों का अनुपालन कौन कर रहा होगा? क्या वे किसी नियामक के किन्हीं निर्देशों का पालन कर रहे हैं? प्रत्येक नियामक यह स्वीकार कर रहा है कि वे नि:सहाय है। एक नियामक यह कह रहा है कि यह मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसलिए सरकार एक नियामक निकाय के बारे में सोच रही है। परन्तु कौन किसको नियंत्रित करेगा? वे मुख्य नियामक के बारे में भी विचार कर रहे हैं। परन्तु ऐसी स्थिति में कुछ भी सहायक साबित नहीं होने वाला क्योंकि भारतीय परिस्थिति में भी हम पाते हैं कि कोई घराना विशेष प्रधानमंत्री कार्यालय पर हावी हो सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय को छोड़ते हुए, सरकार के विशिष्ट विभाग में महत्वपूर्ण पद को छोड़ने के दौरान एक नौकरशाह ने खुले रूप में स्वीकार किया है। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। आप माफिया धन की रोकथाम कैसे कर सकते हैं और आप कैसे केवल उचित स्रोतों से धन प्राप्त कर सकते हैं? गृह मंत्रालय ने स्थायी समिति के समक्ष क्या साक्ष्य दिया है? हालांकि मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है, क्या गृह मंत्री ने मंत्रिमंडल में इसका समर्थन किया अथवा नहीं, परन्तु प्रेस दस्तावेजों के अनुसार, हम पाते हैं कि गृह मंत्री ने इसका समर्थन किया है। गृह मंत्रालय के लोगों ने साक्ष्य के दौरान कहा है कि भारत-पाक के बीच वर्तमान स्थिति और हमारी सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर, इसे इस समय आम नहीं किया जाना चाहिए। गृह मंत्री का ऐसा साक्ष्य है। हम मंत्री से यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि उन्होंने माफिया धन को किस प्रकार रोके जाने का प्रस्ताव किया है।

वे कहते हैं कि विदेशी निगमों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह अत्यंत हास्यास्पद है। मैं जानना चाहता हूं कैसे। वह किसकी आय है? ये विदेशी निगम नहीं है जिनकी प्रभाव डालने में कोई रूचि नहीं है कि कौन आयेगा। केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी। और यदि यह कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी नहीं है, तो वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, जो बाजार पर कब्जा करने के लिए अपने विज्ञापनों के माध्यम से सरकारी निर्णयों को प्रभावित करती है, इस क्षेत्र को, इस विदेशी निवेश को प्रभावित करेंगी।

यह कहा गया है कि हम देखेंगे कि इसमें कोई गलत प्रतिस्पर्धा न हो। आप इस पर कैसे नजर रख सकते हैं कि इसमें कोई गलत प्रतिस्पर्धा नहीं होगी? न्यूयार्क टाइम्स अथवा दी वाशिंगटन पोस्ट की कुल बिक्री चार-पांच बिलियन डालर से ज्यादा के स्तर तक पहुंच गयी और हमारी सर्वाधिक बिक्री 700 से 800 करोड़ रुपए तक है। ऐसी स्थिति में, वे बता रहे हैं कि वे नियामक निकाय के माध्यम से आचार संहिता के माध्यम से, उचित कानून के माध्यम से इसकी रोकथाम कर पाने में सक्षम होंगे। वे कहते हैं, सांस्कृतिक आक्रमण का खतरा अथवा संभाव्यता कहां है। आज भी हम भारतीय स्थिति में प्रकाशित हो रहे छद्म विज्ञापन पाते हैं। मंत्री महोदय मादक पेय एवं सिगरेटों के विज्ञापन के बारे में बहुत चिंतित है, परन्तु फिर भी छद्म तरीके से विज्ञापन प्रकाशित हो रहे हैं। जो इस विषय को समझते हैं, इसे बेहतर जानते हैं। उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से पूर्णत: भिन्न है। वे प्रधान मंत्री के बारे में भी बताने में नहीं झिझकते। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी विशिष्ट पत्रकार को कुछ लिखने से रोकना देश के लिए अच्छा है।

बल्कि यह तो गलत है। परन्तु अभी भी मूल्यांकन, मूल्य प्रतिक्रिया, मूल्य प्रतिमानों एवं विचारों एवं सांस्कृतिक मानकों के पृथक ढांचे हैं चाहे वह सेक्स के संबंध में हो अथवा हिंसा के संबंध में हो। फ्रांस में भी ऐसा होता है - कोई हमें बता रहा था - कि वैश्वीकरण के दिनों में वे फिल्मों एवं अन्यों को मुक्त कर रहे हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। आस्ट्रेलिया ने अपने देश में किसी प्रकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी है। क्या आस्ट्रेलिया वैश्वीकरण का इच्छुक नहीं है? फ्रांस ने फ्रेंच फिल्मों में अमेरिकी प्रभावशीलता का विरोध किया है। क्या वे वैश्वीकरण का इच्छुक नहीं है। यही समस्या है।

माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि सुधारों के संबंध में आम सहमति होनी चाहिए। जी हां, हम इससे सहमत हैं। हम सहमत हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सुधार किए जाने आवश्यक हैं जैसे कि पुराने भूमि संबंधों के मामलों में सुधार किए जाने चाहिए। हम इसमें विश्वास करते हैं। परन्तु आम सहमति कहां है? यदि प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के मतों की उपेक्षा की जा रही है, स्थायी समिति के बहुमत से लिए गए निर्णयों पर विचार नहीं किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, श्री एम एस के नेताओं और स्वदेशी जागरण मंच के मतों की भी उपेक्षा की जा रही है, तो इस पर आम सहमति कैसे हो सकेगी?

[श्री रूपचन्द पाल]

मेरे विचार से, सरकार सभी चीजों को नष्ट करने के लिए तैयार है। चौथे स्तंभ का निजीकरण अथवा इसे निवेश के लिए खोला जाना विधायिका के लिए खतरनाक है, कार्यपालिका के लिए खतरनाक है और न्यायपालिका के लिए भी खतरनाक है और न्यायपालिका के लिए भी खतरनाक है। कौन विधायक होगा और कौन विधायक नहीं होगा इसका निर्धारण विदेशी मीडिया द्वारा सृजित जनमत द्वारा किया जाएगा। मैंने आपको इसका एक उदाहरण दिया है। चिली के मामले में हम जानते हैं कि कैसे न केवल किसी विशिष्ट नेता की बुराई की गई और अंततः उन्हें मार डाला गया, परन्तु हत्या की तैयारी विदेशी प्रिंट मीडिया द्वारा की गई थी। यह खतरनाक बात है। हम सरकार का तर्क स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि सरकार को स्थायी समिति की सिफारिशों पर पुनर्विचार करना चाहिए।

हमें धन की आवश्यकता नहीं है। हमारे बैंक धन से भरे पड़े हैं। यदि आप छोटे और मध्यम क्षेत्र को सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो, आप नया कारपोरेशन एक नया वित्त कारपोरेशन क्यों नहीं गठित करते? यह नया विचार नहीं है। इससे संबंधित विधेयक 1973 से लंबित है। आप उनकी सहायता के लिए एक नया विशेष वित्त निगम गठित कर सकते हैं। बैंक धन से भरे पड़े हैं।

प्रौद्योगिकी के संबंध में हमें यह कहना है कि हमारे पास प्रौद्योगिकी मौजूद है। कभी-कभी हम अपनी प्रौद्योगिकी की आपूर्ति दूसरों को करते हैं। साफ्टवेयर के क्षेत्र में लगे हमारे लोग कैलिफोर्निया एवं सिलिकन वैली में भी हावी हैं। हमारे लोग वहां हैं। हमें गर्व है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अभिसारित प्रसारण, कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं इन सभी क्षेत्रों में हम हावी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी आप प्रौद्योगिकी के लिए विदेशियों की ओर ताक रहे हैं। हमें किसी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं है, यदि सरकार के पास सम्यक् ज्ञान, सम्यक् योजना, सम्यक् कार्यक्रम एवं सम्यक् दिशा है।

एक बहुजातीय, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज में इन विदेशी निवेशकों के प्रवेश से हमारे सार्वजनिक जीवन, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का वातावरण खराब होगा और यह देश की एकता और अखण्डता के लिये खतरनाक होगा।

महोदय, इस चेतावनी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि सरकार जल्दबादी में हो सकती है। लेकिन राष्ट्र इस तरह के निर्णय को बर्दास्त नहीं करेगा। देश के लोग लिये जाने वाले इस विनाशकारी निर्णय के विरुद्ध एकजुट होकर विरोध करेंगे। यदि सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करती है, तो हमें खुशी होगी। अन्यथा जब तक सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती है और इसे वापस नहीं लेती तो हम उसका विरोध करते रहेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के अधीन चर्चा में बदल दिया गया है। सबसे पहले मुझे यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उप स्थायी समिति का सदस्य था और अब भी सदस्य हूं जिसने इस मुद्दे से संबंधित पहलुओं की करीब 15 महीने पड़ताल की। यह कार्य गत वर्ष जनवरी महीने में शुरू हुआ और स्थायी समिति ने इस वर्ष मार्च में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। सुनवाई के लिये प्रमुख पत्रकारों और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों को बुलाया गया। स्थायी समिति ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को भी उपस्थित होने के लिये कहा और इस सभा में एक भारी भरकम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुझे विश्वास है कि कई सदस्यों ने रिपोर्ट देखी होगी। उस रिपोर्ट में मेरा विशेष योगदान है क्योंकि रिपोर्ट में मेरा एक नोट जोड़ा गया है। स्थाई समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का समर्थन नहीं किया गया है। स्थाई समिति की रिपोर्ट में कई विमत टिप्पण भी किये गये हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में मैंने एक नोट दिया है और अपने विचार व्यक्त किये हैं।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री महताब, क्या आप इस बात को मान रहे हैं?

श्री रूपचंद पाल: केवल व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: किस नियम के अंतर्गत?

श्री रूपचंद पाल: महोदय यह एक मान्य परंपरा, नियम और मानदंड है कि किसी संसदीय समिति का सदस्य वाद-विवाद में भाग तो ले सकता है लेकिन समिति में हुये विचार-विमर्श का आमतौर पर उल्लेख नहीं कर सकता है। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री शरद पवार (बारामती): महोदय, यह सामान्य परम्परा है कि किसी ऐसे समिति के सदस्य जिसने किसी विशेष विषय पर विचार-विमर्श किया हो और उस समिति की रिपोर्ट संसद को सौंप दी गयी हो तो वह उस विषय पर नहीं बोलता है क्योंकि उसे पहले ही अवसर मिल चुका होता है और यदि उसने अलग राय रखी हो, जो कि समिति की रिपोर्ट में दर्ज हो तो, मुझे लगता है कि उसका उल्लेख करना अनुचित है। यही परम्परा है। यदि संभव हो तो हमें इसे बनाए रखना चाहिये।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, श्री रूपचंद पाल के संबंध में भी यह बात उठायी जानी चाहिये। उन्होंने कई समिति की बैठकों में हिस्सा लिया था और फिर वे सभा में भी बोले हैं...*(व्यवधान)* उन्होंने यही काम किया और फिर सभा में हुई चर्चा में हिस्सा भी लिया...*(व्यवधान)* उन्होंने सभा पटल पर उन्हीं बातों का उल्लेख किया।

श्री रूपचंद पाल: मैं इस समिति का सदस्य नहीं हूं...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: इस समिति के नहीं, बल्कि किसी अन्य समिति के...*(व्यवधान)* आप उनसे पूछिये, वे आपको बतायेंगे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री महताब, आपको स्थाई समिति में हुये विचार-विमर्श को यहां उद्धृत नहीं करना चाहिये।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं केवल तथ्य रख रहा हूं। मैं स्थाई समिति में हुई चर्चा का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। समिति में अन्य लोगों ने जो विचार व्यक्त किये, उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

मेरा केवल यह कहना है कि मैंने स्थाई समिति में विमत नोट नहीं दिया है...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरीदेव (कालाहांडी): यदि इस सभा में रखे जाने के बाद स्थाई समिति की रिपोर्ट सभा की सम्पत्ति होती है इसलिए इसे उद्धृत किया जा सकता है।

सभापति महोदय: श्री महताब, आप वहां संसद सदस्य के रूप में बोल सकते है लेकिन स्थाई समिति के सदस्य के रूप में नहीं।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं केवल यही कह रहा हूं कि रिपोर्ट लोक प्रपत्र है...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: यदि आप तैयार हो तो मैं अपनायी जाने वाली प्रक्रिया पर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब: मुझे अध्यक्षपीठ की ओर से निर्देश आना चाहिये।

श्री शिवराज वि. पाटील: परम्परा यह है कि आमतौर पर समिति में हुई चर्चाओं का संसद में उल्लेख नहीं किया जाता है। यह पहली बात है। दूसरी बात, यदि समिति ने रिपोर्ट दे दी हो और संसद सदस्य के विचार विमर्श के विरुद्ध हो, तो वह बोल सकता है। लेकिन यदि सदस्य के विचार रिपोर्ट के अनुरूप हैं तो उससे बोलने की अपेक्षा नहीं की जाती।

श्री भर्तृहरि महताब: मेरा कहना यह है कि श्री शिवराज वि. पाटील स्थायी समिति की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: यदि आप रिपोर्ट से सहमत है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। यदि आप रिपोर्ट से सहमत नहीं है तो आप बोल सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: इसमें एक पेंच है। यह विमत नोट नहीं है, लेकिन मैं निष्कर्ष से सहमत हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: तो आपने रिपोर्ट स्वीकार नहीं की है।

श्री भर्तृहरि महताब: मेरा केवल यह कहना है। वर्ष 1993 में इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर एक गलती की गई थी। प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति न देकर एक अन्तर्विरोध उत्पन्न किया गया है। आप मीडिया की एक अन्य शाखा के अधिकार से इन्कार कर रहे हैं। वर्ष 1953 या 1955 में इलेक्ट्रानिक मीडिया समय के गर्भ में था। उस समय इसका आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन वर्ष 1955 के अब तक इसमें काफी प्रगति हो चुकी है। कई परिवर्तन हुये हैं। वर्ष 2002 में एक निर्णय लिया जा रहा है और मैं प्रिंट मीडिया में इस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का समर्थन नहीं करता। यही मेरा निष्कर्ष है और यही मैंने कहा है। मैं मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पूरी तरह विरोध करता हूं। यही मेरा मत है। प्रिंट मीडिया में भी दो या तीन समूह हैं। जैसा कि यहां कहा गया है कि यहां बड़े और एकाधिकारवादी घराने हैं और वे एकाधिकार बनाये रखना चाहते हैं। साथ ही जब आप इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रहे हैं जो केबल नेटवर्क के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में फैल चुका है, तो लघु और मध्यम समाचार पत्रों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यह मेरा मानना है।

जैसा कि ठीक ही कहा गया है, कौन निवेश करने जा रहा है? क्या प्रिंट मीडिया इतना लाभकारी कारोबार है कि काफी लोग हमारे देश में दौड़ पड़ेंगे और अधिक धन कमाने हेतु इस क्षेत्र में निवेश करेंगे? दूसरी बात यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पैसे के लिये नहीं आयेगा तो किस लिये आयेगा? इसका केवल यही उत्तर है सत्ता के लिये, विभिन्न देशों में मीडिया की अपनी सत्ता होती है।

[श्री भर्तृहरि महताब]

यही मुख्य कारण है जैसा कि श्री रूपचंद पाल ने ठीक ही उद्धृत किया है, अमरीका ने एक कानून बनाया है कि केवल अमरीकी नागरिक ही विभिन्न मीडिया क्षेत्रों में व्यापार कर सकता है। मेरे विचार से इस निर्णय के बाद वर्तमान सरकार को कतिपय सुधारात्मक उपाय करने होंगे।

ठीक ही कहा गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया की सहायता हेतु एक कोष बनाया जाए। दूसरी बात भारतीय प्रिंट मीडिया में बेहतर प्रौद्योगिकी आ रही है। हमारी मुद्रण प्रौद्योगिकी ने यूरोप, अमरीका और अफ्रीका के बाजारों पर कब्जा कर लिया है। दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में काफी मशीनरी की आपूर्ति की जा रही है। यदि यही स्थिति है, यदि बाहर से या वित्तीय संस्थानों से धन प्राप्त करना, एक मुख्य समस्या है तो इसकी व्यवस्था हमारी सरकार, हमारे समाज और हमारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जा सकती है।

तीसरी बात, जिस पर हम सब सहमत हैं वह कार्मिकों के बारे में है। इसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र में 26 प्रतिशत विदेशी निवेश हो सकता है लेकिन समाचार पत्र का संपादक भारतीय होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिये क्योंकि समाचार पत्र का नियंत्रण भारतीय हाथों में रहे। वर्ष 1953 में पहले प्रेस आयोग से यही स्थिति है। तबसे इस बात को बार-बार दोहराया गया है और हमारे समाज के कई प्रबुद्ध व्यक्ति की इस विचार से सहमत होंगे।

महोदय, मैं अन्य पहलुओं पर विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी इस पर कई अन्य लोगों को बोलना है। मेरी चिंता बस इतनी है। आज समाचार-माध्यम जगत में दो वर्ग हैं - एक तो इलेक्ट्रानिक मीडिया जिसमें निवेश का अनुमति पिछले नौ-दस वर्ष से ही दी गई है, और दूसरा है - प्रिंट मीडिया। अब, बुनियादी सवाल यह है, और जिस पर आज समाज में बहस भी चल रही है, कि या - जैसा श्री किरीट सोमैया ने कहा - हम प्रिंट मीडिया को भी इक्विटी और शेयर के कारोबार में जाने दें? यदि यह भी जाता है, तो क्या यह हमारे देश के भीतर, देश के नियमों के तहत ही होगा अथवा हम इसमें निवेश के लिए दूसरों को भी अनुमति देंगे? यदि स्थिति ऐसी बनेगी तो हमारे लिए विकट समस्या खड़ी हो जायेगी। इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए और कराई जा भी रही है।

महोदय, एक और बात जिस पर मैं माननीय सभासदों का ध्यान दिलाना चाहता हूं, यह है कि स्वतंत्रता के पहले के काल के हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता को कम नहीं आंका जाना चाहिए। स्वतंत्रता-पूर्व जबकि सूचना-प्रकाशन समाज के कुछेक वर्गों तक ही सीमित था, तब भी लोगों को यह पता था कि फलां-फलां समाचारपत्र अंग्रेजों के लिए लिख रहा है, जबकि उस समय ऐसे दो-चार समाचार पत्र ही रहे होंगे जो राष्ट्रवादी थे। कि कौन किसके लिए लिख रहा है और कौन किसके लिए क्या कर रहा है। अब, इसी प्रकार, प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश होने लगे तो, यह कहना गलत नहीं होगा, कि लोग उन समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से प्रभावित होंगे। अंततः, समाचार पढ़कर लोग यह जान ही जायेंगे कि अमुक समाचार इरादतन बनाया गया है या फिर अमुक इस कारण से छापा गया है। यही कारण है कि हरेक समाचारकर्मी प्रिंट मीडिया में कुछ लिखते वक्त, या इलेक्ट्रानिक मीडिया में कुछ बोलते वक्त, बड़ा सावधान रहता है। ऐसा नहीं होता कि वह किसी के हाथ की कठपुतली की तरह काम करे! लेकिन, साथ-ही-साथ, हमें भी कानून बनाते समय सावधानी बरतनी होगी।

महोदय, इसी कारण से मैं इतना कहकर ही अपनी बात समाप्त करूंगा, कि एक यदि फैसला हो जाएगा तो फिर हम 1955 के विनिर्णय को पुनः लागू नहीं कर सकेंगे। इसके समय में काफी चीजें बदली हैं और यदि सरकार ने 1955 के विनिर्णय की समीक्षा की तो उसमें अन्य बातों को भी शामिल करना होगा। हमारे आचार-व्यवहार, हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उपाय करने पड़ेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति महोदय, भारत में प्रिन्ट मीडिया में हम जिस तरह से विदेशी निवेश की अनुमति देने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में कुछ बातें रखूंगा और संक्षिप्त में रखूंगा।

यह सही है, माननीय मंत्री जी कह सकते है कि हिन्दी के छोटे अखबारों को प्रोत्साहन मिलेगा, आरम्भ में प्रधानमंत्री जी से बात हुयी थी तथा मैंने पत्र भी लिखा था। लेकिन उसके खतरनाक नतीजे तेजी से सामने आए इसलिये हम पूरी तरह इस विधेयक का प्रबल विरोध करते हैं। यह आपको पता है, आर्थिक नीतियों के लिए, हम और आप शुरू से विरोधी थे। अब सारे का सारा दोष कांग्रेस पर मढ़ देना उचित नहीं हैं। ठीक है गलती की है, लेकिन तब बी जे पी ने कितना विरोध किया था। स्वदेशी जागरण मंच का अभियान पूरे हिन्दुस्तान में बी जे पी ने छेड़ दिया, लेकिन आपने अपने रास्ते क्यों बदले। क्या मजबूरी थी, किस ने मजबूर किया, यह सवाल है? कांग्रेस सरकार की ओर से 91-92 में जो गलती हुई, जिसका अभी जिक्र किया जा रहा था, लेकिन उम्मीद तो बी जे पी की सरकार से थी भाजपा को देशभक्ति की भावना के संबंध में टिप्पणी करने का अधिकार तब था जब भा.ज.पा. अपने रास्ते पर कायम रहती, आपने तो विदेशी विनिवेश की भरमार कर दी। यह सही है कि जिस वक्त हम लोगों ने विरोध

किया था तो कांग्रेस पार्टी की सरकार की गति थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन भाजपा सरकार की गति बहुत तेजी से चारों तरफ हुई।

अपराह्न 4.31 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

महोदय, सबसे ज्यादा खतरा यह पैदा हो गया, क्योंकि आर्थिक गुलामी के सहारे ही हमेशा राजनीतिक गुलामी आती है आज हम कई अवसरों पर देख चुके हैं कि भाजपा सरकार अपने देश की सीमा की रक्षा भी इसलिए नही कर पा रहे हैं क्योंकि गुलामी में पूरी तरह हमारा देश जकड़ता जा रहा है। हम उस पर बार-बार चर्चा करना नहीं चाहते, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम अपनी सीमा की रक्षा भी नहीं कर सकते। इसी की वजह से एक उदाहरण आपके सामने, महाराष्ट्र सरकार का आया था। जब मुख्य मंत्री जी ने उसका विरोध किया था तो अमेरिका के राजदूत ने फटकार दिया था कि अगर आपने विरोध किया तो हम आर्थिक मदद देना बंद कर देंगे। क्या यह सच नहीं है? आर्थिक गुलामी के सहारे राजनीतिक गुलामी आती है और जब प्रिन्ट मीडिया पर भी 26 फीसदी विदेशी कब्जा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा।

महोदय, आज कितने लोग अखबार पढ़ने वाले हैं। आज 76 फीसदी जनता अखबार पढ़ रही है और 76 फीसदी लोगों के दिमाग को बदलने वाला काम होगा, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। यह अखबार कोई उद्योग नहीं है, यह जनता की ट्रस्ट है। इसमें आपको फर्क करना पड़ेगा और आपसे हम कतई उम्मीद नहीं करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बहस को महत्वपूर्ण समझा इसलिए जल्दी में तत्काल बहस करा दी। आपने अच्छा किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर समय होता तो आपको हम अखबार पढ़ कर सुना देते कि आप क्यों बदल गई। हमारी बहन उमा भारती जी इस समय यहां बैठी नहीं हैं वह भी स्वदेशी जागरण मंच की राय की थी। प्रधानमंत्री जी का स्वदेशी जागरण मंच पर पूरा का पूरा नियंत्रण था।...*(व्यवधान)* यह विदेशी जागरण मंच है। इसके बाद और ज्यादा जागृति की जाएगी।...*(व्यवधान)* ये सुधर रहे हैं, क्या सुधारना गलत है? जयप्रकाश जी ने बड़े-बड़े डकैतों तक को सुधार दिया।...*(व्यवधान)* इन्हें भी हम काफी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, चेयर से भी थोड़ी-थोड़ी बातें करें।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यह 1955 की केबिनेट का, पंडित नेहरू के जमाने का फैसला है। बिना संसद को विश्वास में लिए, बिना संसद में बहस कराए, सीधे राष्ट्रपति जी के यहां अपना अध्यादेश जारी करके लागू कर दिया। संसद की, जनप्रतिनिधियां की इससे कितनी बड़ी उपेक्षा एवं अवमानना हुई है। संसद जनता का दर्पण हैं, इसका कोई महत्व ही नहीं रहा। एक तरफ कुछ संस्थाएं और कुछ अन्य लोग संसद की गरिमा को गिराने में लगे हुए हैं। हम सब के लिए यह चुनौती है। यह सरकार संसद की उपेक्षा करेंगे, यहां बहस नहीं होने देंगे, यह मामूली बात नहीं हैं। यहां ठीक कहा गया कि यह जो स्थाई समिति है वह भी मिनी लोक सभा, मिनी संसद है और इसकी उपेक्षा हो रही है। जो स्थाई समिति संसद की है, उसने पुरजोर इसका विरोध किया है। उसका विरोध करने के बाद भी सूचना मंत्री जी 26 फीसदी निवेश करने जा रही है। अमेरिका भाजपा सरकार का आदर्श है लेकिन अमेरिका अपने मीडिया में विदेशी पूंजी और निवेश की अनुमति नहीं देता। अमेरिका के बलबूते आप आतंकवाद रोकना चाहते हैं और हिन्दुस्तान को मालदार बनाना चाहते हैं। आपको देश के किसानों की परवाह नहीं है। देश का आर्थिक दृष्टि से विकास करने में अगर कोई सहयोग दे सकता है तो किसान दे सकता है। किसान ही विदेशी कर्जे से छुटकारा दिलवा सकता है लेकिन आज भाजपा सरकार उस किसान की उपेक्षा कर रही हैं। भाजपा सरकार अमेरिका को अपना आदर्श मानते हैं लेकिन अमेरिका अपने देश की मीडिया में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दे रहा और न ही भविष्य में करेगा। भाजपा सरकार इस दिशा में अमेरिका से बहुत आगे निकल गयी। इसलिए सुषमा स्वराज जी को धन्यवाद और बधाई। इस सरकार ने तो इसमें अमेरिका को पीछे कर दिया।

आज छोटे-मोटे कम पढ़-लिखे लोग भी अखबार पढ़ते हैं। लगभग 16-17 करोड़ लोग आसानी से हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू अखबार पढ़ रहे हैं। ऐसे 16 करोड़ लोग रोजाना अखबार पढ़ने वाले लोग हैं। उन्हें जिस प्रकार चाय, नाश्ता और खाना चाहिए उसी तरह सवेरे अखबार चाहिए। ऐसे 16-17 करोड़ हिन्दी अखबार पढ़ने वाले लोग हैं जबकि हमारा देश पूरी तरह शिक्षित नहीं है। उसके बाद भी इतने अखबार पढ़ने वाले लोग हैं। आप उनके दिमाग को मत बदलिए और ऐसा प्रयास मत करिए जिससे लोग पूरी तरह विदेशी सभ्यता और संस्कृति अपना लें। प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनके अन्दर विदेशी मानसिकता का निर्माण मत कीजिये।

यहां अखबारों का सवाल है। देश के 34 बड़े अखबारों का सर्कुलेशन 76 फीसदी है। उन्होंने विदेशी निवेश को देश के हित में नहीं बताया। हमारे साथी चले गए हैं। वह जिन का नाम ले रहे थे वह हमारे शुभचिन्तक हैं लेकिन वह देश की कीमत पर दोस्ती नहीं निभाएंगे। जिनके अभी नाम लिए गए वे आपके और मेरे भी दोस्त हैं। यहां देश का सवाल है। उनकी इसके पीछे क्या

[श्री मुलायम सिंह]

मंशा है? 26 फीसदी जो विदेशी पूंजी निवेश किया जा रहा है, उसके पीछे सरकार की असली नीयत क्या है? पिछले सत्र में गुजरात को लेकर जब बहस हो रही थी तब मीडिया की आलोचना की जा रही थी। किन अखबारों की जा रही थी? टाइम्स आफ इंडिया, हिन्दू और हिन्दुस्तान टाइम्स। इनका इसी सदन में भाजपा सरकार ने विरोध किया था तथा उनको धमकी दी क्योंकि उन्होंने गजुरात घटना का सही जिक्र किया था। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे अखबारों पर नियंत्रण करने के लिए और उन्हें सबक सिखाने की क्या सरकार की नीयत तो नहीं है क्योंकि अखबारों ने गुजरात घटनाओं की सही तस्वीर देश के सामने रखी थी। उन तीन अखबारों का नाम लिया गया जिन्होंने वातावरण बिगाड़ा लेकिन उन तीन अखबारों में निष्पक्ष रिपोर्ट देश की जनता के सामने रखी। गोधरा की घटना की कुछ छिपी रिपोर्टें अब और आ गई हैं। लेकिन मैं इस अवसर पर उस पर नहीं बोलना चाहता कि आग लगाने के लिये कहां पैट्रोल था, कहां से डीजल आया? उन पर दोबारा चर्चा करने का समय आ गया है कि सच्चाई क्या है। वह देश और दुनिया के सामने आना चाहिए लेकिन मैं इस समय इस पर बहस नहीं करूंगा। पूरी तरह से संसद की उपेक्षा करके इस तरह प्रिन्ट मीडिया में विदेशी निवेश की अनुमति देना देश के लिए खतरनाक है। आज हालत यह है कि जो बात अखबारों में निकल जाती है पहले दिन उसकी सफाई देना हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। आम जनता कहां बदल पाएगी। पूरे मीडिया पर विदेशी नियंत्रण का मतलब है कि हम पूरी तरह से अब आर्थिक दृष्टि से गुलाम हो ही रहे हैं लेकिन साथ-साथ उसमें जकड़ गए हैं। विदेश पूंजी और विदेशी कम्पनियों के माध्यम से आज पूरा अंकुश हमारी अर्थव्यवस्था पर है। इसे स्वीकार करना पड़ेगा। आपको याद होगा जब दक्षिण एशिया के देश मलेशिया में दो, या तीन साल पहले वहां के प्रधान मंत्री जी ने खुलकर कहा था कि इन विदेशी कंपनियों ने हमें आर्थिक दृष्टि से ही नहीं लूटा है बल्कि हमारे देश की राजनीति में दखलंदाजी भी की है। आज वही हालत हिन्दुस्तान के अंदर शुरू हो गई है। इसलिए कृपा करके सूचना मंत्री जी कम से कम मीडिया को बचाये रहिये - यह लोग कहते थे कि नौजवान बड़े काबिल हैं, नौजवान आज निराश हैं, उदास हैं और गुस्से में हैं। आप एक करोड़ रोजगार देंगे लेकिन धीरे-धीरे आप सार्वजनिक क्षेत्रों को बेच रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि रोजगार के अवसर बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। इससे देश कहां जा रहा है। इससे कितना बड़ा असंतोष फैलेगा। इसलिए हम समझते हैं कि सरकार की नीयत यह न हो कि मीडिया के माध्यम से जो नौजवानों का रोष है, जो उनमें निराशा है, उन्हें रोजगार मिलने की कोई आशा नजर नहीं आ रही है, कहीं यह उसे दबाने की कोशिश तो नहीं है। इसलिए कृपा करके मंत्री जी आप इसकी आज ही खुलकर घोषणा कर दीजिए। कहीं कुछ अखबारों को सबक सिखाने के लिए तो ऐसा नहीं हो रहा है? किसी को लाभ पहुंचाने का आरोप हम आप पर नहीं लगा रहे हैं। लेकिन यह जरूर लगता है कि कुछ अखबारों से सरकार की नाराजगी थी और ऐसा लगता है कि यदि बदले की भावना से काम शुरू हो जायेगा तो यह देश के लिए बहुत गंभीर खतरा है और सुरक्षा की दृष्टि से देश को सबसे बड़ा खतरा होगा, अगर प्रिन्ट मीडिया में विदेशी निवेश की अनुमति दी गयी।

अध्यक्ष जी, आप गरिमापूर्ण चेयर पर बैठे हैं, लेकिन आपके ही लोग हैं जो इस मामले में हमारी राय से सहमत हैं, आपके बहुत से साथी हमारी राय के हैं। इसलिए मैं कहूंगा, रावले जी, आप कहां देख रहे हैं। आप खड़े होकर इसका विरोध कीजिए। इस मामले में श्री बालासाहेब ठाकरे कभी-कभी ठीक बोलते हैं। हमारा उनसे गंभीर मतभेद रहता है, लेकिन कई मुद्दों में हम और ठाकरे जी एक राय के हैं। इसलिए सदन के सब माननीय सदस्यों से मेरी अपील है कि सरकार को बताइये और समझाइये। सूचना मंत्री सुषमा जी पर मैं थोड़ा हक समझता हूं कि मैं उन्हें समझा सकता हूं, हो सकता है मेरी बात उनकी समझ में आ जाए। इसलिए सूचना मंत्री जी आप हमारा अनुरोध स्वीकार कीजिए। इससे देश की सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रिन्ट मीडिया में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति मत दीजिए। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शरद पवार (बारामती): अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से यहां श्री किरीट सोमैया की स्पीच सुनकरे मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि आज पहली बार मैंने उनके विचारों में परिवर्तन देखा है। मुझे याद है जब 1987 में मैंने मुम्बई शहर में चैम्बर आफ कामर्स में एक स्पीच दी थी, जिसमें खराब आर्थिक परिस्थिति को दुरूस्त करने के लिए सरकार के कुछ क्षेत्रों से विदड्रा होने की बात मैंने कही थी। मैंने एक सैन्टेन्स का इस्तेमाल किया था, जिस पर मेरे ऊपर बड़ा हमला हुआ था - सरकार को दुकानदारी बंद करनी चाहिए, निजी क्षेत्रों को सरकार ने ज्यादा मौका देना चाहिए और विदेशी तकनीक, ज्ञान यदि कोई आता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। यह स्पीच देने के बाद मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के श्री किरीट सोमैया, जो मुम्बई के अध्यक्ष थे, उनकी पार्टी ने सदन के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया और सदन में प्रतिपक्ष के एक नेता थे, जिनका नाम श्री मनोहर जोशी था, उन्होंने इस विषय पर सदन में बड़ी बहस की और एक दिन सरकार भी चलाने का काम शरद पवार जी और उनके सहयोगी देंगे, इस तरह का हमला मेरे ऊपर किया था। यह सब परिस्थिति, ये सब स्पीचिज...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): यह मनोहर जोशी कौन थे।

श्री शरद पवार: बड़े समझदार थे। ऐसी विचारधारा रखने वाले हमारे सब साथियों में इतना बदलाव आ गया।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष जी, यह स्पष्ट होना चाहिए, हम इसकी जानकारी लेना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: मैं श्री मुरली मनोहर जोशी जी का नाम नहीं ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं अध्यक्ष हूं, इसलिए जवाब नहीं दे सकता हूं।

श्री शरद पवार: मुझे खुशी है कि इसमें बहुत परिवर्तन आ रहा है। किरीट सोमैया जी ने दो बातें कहीं। पहली यह कि आप प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में इन्वैस्टमेंट का क्यों विरोध करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि 1991-92 में जब इस देश की आर्थिक परिस्थितियों में बहुत बदलाव आया, तब आप लोग कहां बैठे थे। उन्होंने जो दो सवाल खड़े किए, उनसे मैं सहमत हूं। यह बात सच है कि हम विरोध करते हैं और जब हम लोग हुकूमत में थे, तब हम इसका समर्थन करते थे। समर्थन हमने जरूर किया। 1991-92 में देश की आर्थिक परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में जमीन-आसमान का फर्क है। तब पूरी अर्थव्यवस्था संकट में थी, देश का सोना गिरवी रखा गया था, फारेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया था और तब डा. मनमोहन सिंह जी ने देश के वित्त मंत्री के नाते इसी संसद में एक नया रास्ता देश को दिखाया जिससे पांच सालों में देश की आर्थिक परिस्थितियों में बहुत बदलाव आया जिसे पूरे देश और दुनिया ने देखा। जो कदम उन्होंने उठाया था, वह समझदारी से सोचकर उठाया गया कदम था। जहां तक कोई क्षेत्र खोलने की आवश्यकता थी, वहां तक जाने की तैयारी रखी थी और जहां रोकने की आवश्यकता थी, वहां रोकने का भी प्रयास किया था। सभी क्षेत्रों में विदेशी निवेश तब अलाउ नहीं किया था।

कृषि क्षेत्र को देखिये। कृषि क्षेत्र में फारेन इनवैस्टमेंट की बात कभी सुनी नहीं थी, मानी नहीं थी क्योंकि इस देश के 70 प्रतिशत लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं। मुझे चिन्ता है कि नई कृषि नीति जो इस सरकार ने सदन के सामने रखी, उसमें कृषि क्षेत्र में भी मल्टीनेशनल्स को इजाजत देने की बात की जा रही है। अभी तक निर्णय लिया नहीं है मगर इस बारे में सोचते हैं, यह बात सदन के सामने रखी है, देश के सामने रखी है, जो मुझे बड़ी खतरनाक लगती है। हिन्दुस्तान के 70 प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हुए हैं जो कि एवरेज होल्डिंग वाले किसान हैं, दो-चार एकड़ भूमि रखने वाले किसान हैं। इस क्षेत्र में अगर मल्टीनेशनल फर्म्स कंपनी और वे पैसा देकर जमीन को अपने कब्जे में लेंगी तो हिन्दुस्तान में इस क्षेत्र से जुड़े 70 प्रतिशत लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देने की बात 1991-92 में की गई थी क्योंकि ऐसा करने की आवश्यकता थी। तब हम लोगों ने कुछ कदम उठाए थे, जैसे अपने तबीयत दुरूस्त रखने के लिए हम सुबह चलते हैं। मुझे याद है मैं जब पूना शहर में रहता था, मेरे निवास के पीछे एक बड़ा पहाड़ है। हम कभी-कभी सुबह वहां पहाड़ पर जाते थे अपनी तबीयत ठीक रखने के लिए। उस पहाड़ पर जाते थे लेकिन एक लिमिट तक जाते थे, पहाड़ के आगे नहीं जाते थे क्योंकि आगे गिरने की परिस्थिति पैदा होती थी। वहां तक हम कभी नहीं गए। आज देश के आर्थिक क्षेत्र में जब नीति तैयार करने की बात आती है, जहां तक देश की आर्थिक तबीयत ठीक रखनी चाहिए, वहां तक चलने के लिए किसी ने रूकावट पैदा नहीं की, हम लोगों ने विरोध नहीं किया मगर जहां जो के बाद खुदकुशी की परिस्थिति पैदा हो जाए, उसको रोकने का काम करना होगा। आज प्रिंट मीडिया में हम लोगों ने फारेन डायरेक्ट इनवैस्टमेंट की इजाजत दी, मुझे लगता है कि यह देश के लिए खुदकुशी होगी और इसलिए हम इसका एक तरह से विरोध करने की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सोमैया जी ने कहा कि डब्ल्यू.टी.ओ. की बात हुई। मैं मानता हूं कि जब दुनिया नजदीक आ रही है, दुनिया का व्यापार दुनिया के लिए खुला हो रहा है, तब भारत भी कोई अलग रास्ते पर नहीं जा सकता, अलग तरह से बैठ नहीं सकता। इसलिए डब्ल्यू.टी.ओ. में भारत भी हिस्सेदार है, परन्तु इसके साथ-साथ भारतवर्ष का राज चलाने वाले लोगों की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि यहां के प्रोड्यूसर हैं, यहां जो किसान और उद्योगपति हैं, उनके हितों की रक्षा हमें करनी चाहिए। उनके हितों की रक्षा के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे।

अभी इससे पहले देवेगौड़ा जी सिल्क पैदा करने वाले किसानों के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने बहुत बुनियादी बात कही। चाहे वह कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र, जो किसान सिल्क क्षेत्र में काम करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बिलकुल तबाह हो गई है, क्योंकि बाहर से जो यहां इम्पोर्ट होता है, उस पर रोक लगाने का डब्ल्यू.टी.ओ. में एक प्रावधान है, लेकिन उसका आधार लेकर, यहां से जो कदम उठाने की आवश्यकता थी वे नहीं उठाए गए और यह परिस्थिति है जो कि डब्ल्यू.टी.ओ. का समर्थन करने वाले देशों में, जो देश सबसे आगे हैं, वे देश भी अपने देश में उत्पादन करने वाले लोगों को बचाने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, जितने भी सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता

[श्री शरद पवार]

होती है, वे उठाते हैं और ऐसा करने में यदि डब्ल्यू.टी.ओ. के एग्रीमेंट को नजरअंदाज करना पड़े, तो वह भी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में पिछले तीन सालों में अमरीका में जो बजटरी प्राविजन हैं, वे पहले से चार गुने से भी ज्यादा हो गए हैं और दिसम्बर, 2001 के बाद कृषि क्षेत्र में अमरीका में सबसिडी बन्द होने वाली थी, लेकिन आज वही अमरीका इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धनराशि अपने बजट में सबसिडी के लिए दे रहा है। स्टील इंडस्ट्री का हाल देखिए। हिन्दुस्तान में स्टील का उत्पादन ज्यादा हो गया। यही नहीं दुनिया में भी ज्यादा हो गया, लेकिन जो अमरीकी डब्ल्यू.टी.ओ. के बारे में बहुत प्रचार करने वाला देश था उसी अमरीकन सरकार ने अपने देश में स्टील इम्पोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा ड्यूटी लगाने का काम किया। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। जो वहां उत्पादन करने वाले लोग हैं उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए और यह अच्छी बात है कि वे देश अपने उत्पादकों के हितों की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. में जो रास्ते हैं उनको आधार लेकर हमें भी अपनी देश के उत्पादकों की रक्षा करनी चाहिए।

हमें भी अपने देश के उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान के अनुसार इम्पोर्ट पर ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि दुनिया जिस रास्ते से जा रही है हमें भी सिर्फ उसी रास्ते पर जाना चाहिए। जिस क्षेत्र के लोगों का सत्यानाश हुआ है, उसे हमें खुली आंखों से देखना चाहिए, लेकिन हमारे देश की सरकार इस ओर उस दृष्टि से नहीं देख रही है। इसलिए इस पर हमारा विरोध है। मैं पालिसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं लिबरलाइजेशन के खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन

[अनुवाद]

किसी को भी घरेलू उत्पादकों के बुनियादी हितों की रक्षा किये बगैर उदारीकरण की नीति न तो लागू करनी चाहिए, न ही उसका समर्थन करना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, विगत अनेक वर्षों से प्रिंट मीडिया में फारेन इनवेस्टमेंट की बात हो रही है। यहां कई सदस्यों ने इसका सदियों पुराना इतिहास बताया। प्रथम प्रैस कमीशन 1954 में नियुक्त हुआ और उसने इस बारे में अपनी बात साफ कही कि अनेक क्षेत्रों में हम बाहर के लोगों को एलाऊ कर सकते हैं मगर इस क्षेत्र में नहीं कर सकते, क्योंकि यह पैसा कमाने वाला क्षेत्र नहीं है बल्कि प्रिंट मीडिया जनमानस तैयार करने की एक जबर्दस्त शक्ति होती है। यह माध्यम जनमत तैयार करने का माध्यम है। इस क्षेत्र में कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आएगा। यदि इस क्षेत्र में कोई आएगा, तो हिन्दुस्तान के जनमत को एक अलग रास्ते पर ले जाने और यहां की हुकूमत पर अपना कब्जा रखने के लिए आएगा। हमें जो नीतियां चाहिए उसमें मदद करने के लिए इस क्षेत्र में कोई नहीं आएगा बल्कि जनमत को प्रभावित करने और सरकार को अपने कब्जे में करने के लिए बाहर के लोग आएंगे। इसलिए हमें बाहर के लोगों को इजाजत नहीं देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है 13 सितम्बर, 1955 को बालकृष्ण केसकर जी, तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। उन्होंने इसी सदन में इस बारे में बहुत बड़ी स्पीच दी थी और इस बारे में देश की नीति क्या है, वह सब बताया था। दूसरा प्रैस कमीशन 1982 में नियुक्त हुआ था। जिसके प्रमुख जस्टिस के.के. मैथ्यू थे। जस्टिस मैथ्यू ने इस बारे में एक बात सरकार और देश के सामने रखी। उसमें यह बात साफ कही गयी कि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को हमें कभी इजाजत नहीं देनी चाहिए। उन्होंने तब लिखा था कि:

[अनुवाद]

> "एक ऐसा विशेष विधिक प्रावधान हो जिसके तहत किसी भी समाचार पत्र उपक्रम में शेयरों या ऋण के रूप में किसी भी प्रकार का विदेशी निवेश न होने की व्यवस्था रहे।"

[हिन्दी]

जस्टिस के.के. मैथ्यू की इस रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट ने और तब की सरकार ने स्वीकार किया था। यहां बतलाया गया कि यह फ्रीडम आफ प्रैस है। मुझे लगता है कि इस बारे में हमें थोड़ा गहराई से सोचने की आवश्यकता है। संविधान की धारा 19 में कही गयी। यह बात सच है कि फ्रीडम आफ स्पीच और ऐक्सप्रैशन की गारंटी है। जब हमें फ्रीडम आफ स्पीच और एक्सप्रैशन की इजाजत मिलती है तब इसके साथ-साथ मीडिया में कुछ लिखने की भी इजाजत मिलती है। मगर इस प्रोविजन का लाभ सिर्फ भारतीय लोगों को है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का वीरेन्द्र वर्सेज स्टेट आफ पंजाब 1958 का डिसीजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ कही है कि फ्रीडम आफ स्पीच एंड ऐक्सप्रैशन का अधिकार इस संविधान के माध्यम से सिर्फ हिन्दुस्तान में रहने वाले भारतीयों को है, विदेशी नागरिकों को नहीं है। निर्णय में यह बात बिल्कुल साफ है। यहां ओपोनियन तैयार करने का यह जो माध्यम है, इसका कंट्रोल हम विदेशी लोगों के हाथ में देने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि संविधान के प्रोविजन को हम नजरअंदाज करने की परिस्थिति पैदा करते हैं।

अभी रूपचन्द्र पाल जी ने जो बात कही, उससे मैं सहमत हूं। दुनिया में कहीं भी कुछ छोटे शहरों को छोड़कर, कहीं भी प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में विदेशी इन्वेस्टमेंट एलाऊ नहीं है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका यू.के. फ्रांस, इटली और जापान में कहीं नहीं है। यदि ऐसा है, तो मैं अपनी जानकारी दुरूस्त कर लूं। जापान में भी जो कुछ रिस्ट्रक्शन्स लगाये गए हैं, इसमें फारेन आनरशिप और ब्राडकास्टिंग राइट्स के बारे में उन्होंने कुछ रूल्स बनाये हैं जिससे बाहर के लोगों को वहां इन्वेस्ट करना उतना आसान नहीं है जिसका उल्लेख रूपड मरडाक ने किया है। श्री रूपड मरडाक इस क्षेत्र के बड़े जबर्दस्त व्यक्ति थे। वे आस्ट्रेलिया के नागरिक थे। उनके सामने फाक्स टेलीविजन नेटवर्क करने का एक सपना था, जिसको पूरा करने के लिए वह अमेरिका गये। अमेरिकन सरकार ने उसको इसकी इजाजत दी। जब श्री रूपड मरडाक अमेरिका के नागरिक बन गये तब उनको मौका मिला। इससे पहले उनको मौका नहीं मिला। आज अमेरिका में भी यह परिस्थिति थी जिसे नजरअंदाज करना हमारे लिए ठीक नहीं है।

बहुत से लोगों ने इस पर लिखा है कि बाहर से बहुत पैसा आयेगा, टेक्नोलाजी आयेगी। आज हिन्दुस्तान के अखबारों को बाहर की टेक्नोलाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लंदन का ''टाइम्स'' देखिये और यहां का ''टाइम्स आफ इंडिया'' देखिये। यहां के टाइम्स आफ इंडिया की क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी या कम से कम उसके आसपास तो लगेगी। यहां टेक्नोलाजी के बारे में कुछ कमी नहीं है। यह बात सच है कि यहां 50 हजार से ज्यादा न्यूज़ पेपर्स निकलते हैं। उनमें से मुझे लगता है कि कम से कम 100 या 200 न्यूज पेपर्स को छोड़ने के बाद बाकी सब न्यूज पेपर्स की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब होती है। उनके पास पैसे की कमी है। एक बार विदेशी पैसा आयेगा और उनमें से कुछ लोगों को वहां इन्वेस्टमैंट करके टोटल कंट्रोल उनके हाथ में जायेगा तो मुझे विश्वास है कि हमारे यहां जो 40 या 50 हजार न्यूजपेपर्स निकलते हैं, उनमें से बहुत से न्यूजपेपर्स बंद हो जायेंगे। वे कम्पीटिशन या सामना नहीं कर सकेंगे। हम देखते हैं कि इसी दिल्ली शहर में, मुझे मालूम नहीं कि वे आजकल है या नहीं मगर कुछ साल पहले टाइम्स आफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स में एक संघर्ष हुआ था।

अपराह्न 5.00 बजे

दोनों बड़ी जबर्दस्त ताकत वाले थे, दोनों ने कीमत कम की। दोनों ने ही एक रुपये का टाइम्स आफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स कुछ साल या कुछ महीने बेचा। मगर बाकी न्यूजपेपर्स पर उसका असर हुआ और वे बंद होने लगे। उनकी ताकत थी शायद इसलिए वे यह संघर्ष कर सके। जब देश के बाहर से पैसा यहां आएगा और इस तरह कीमत का संघर्ष शुरू करेंगे तो मुझे विश्वास है कि दो-तीन महीने में इनमें से 70-80 प्रतिशत न्यूजपेपर्स बंद हो जाएंगे और उनका टोटल कंट्रोल देश के बाहर के अमीर लोगों, जो हिन्दुस्तान में अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं, के हाथ में चला जाएगा। उस समय हम लोगों को बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमको बड़ी समझदारी से इस बारे में सोचने की आवश्यकता है।

यहां बताया गया कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने भी इसका समर्थन किया, कुछ लोगों का नाम भी लिया गया। यह बात सच है कि जब मल्टी नैशनल्स यहां आएंगे तो उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, उनको ज्यादा सुविधा मिलेगी लेकिन कुछ लोगों को ही सुविधा मिलेगी। मगर उन लोगों को भी बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज इसी क्षेत्र में परिस्थिति बदल रही है। इससे पहले पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए कई कमीशन्स ऐप्वाइंट की गई थी, वेज बोर्ड ऐप्वाइंट किए गए थे। वेज बोर्ड और बाकी कमीशन्स को बाय-पास करने के लिए कुछ बड़े लोगों ने इस क्षेत्र में नया रास्ता निकाला है और वह रास्ता कान्ट्रैक्ट सिस्टम आफ ऐप्वाइंटमैंट का है। अब ऐडीटर्स भी कान्ट्रैक्ट सिस्टम द्वारा आता है, ब्यूरो चीफ भी कान्ट्रैक्ट सिस्टम से आता है, सीनियर जर्नलिस्ट भी कान्ट्रैक्ट सिस्टम से आता है। चार-पांच साल का कान्ट्रैक्ट होता है। थोड़ी-बहुत तनख्वाह ज्यादा मिलती होगी मगर उनके सिर पर हमेशा तलवार लटकी रहती है कि किस दिन घर जाना पड़े। उनके जीवन में स्वास्थ्य की परिस्थिति नहीं रहती, पैसा मिलता है लेकिन सिक्युरिटी नहीं मिलती। मुझे लगता है कि जिन दिन हम पत्रकारों की सिक्युरिटी खत्म करेंगे, आज वे जो काम ईमानदारी से करते हैं, उस दिन उनके ऊपर इसका असर होगा। उनको टैम्परेरी पैसा मिलने की स्थिति हो सकती है, इसलिए कुछ लोग खुश होंगे। मगर एक बार हायर एंड फायर ऐप्रोच जबर्दस्ती शुरू करने के बाद उनको किस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यहां बताया गया कि इस पर बहुत प्रीकाशन्स लिए गए हैं। बाहर के लोग आएंगे लेकिन ऐडीटर हमारा रहेगा, बोर्ड आफ डायरैक्टर्स भी हमारे रहेंगे। जब अंग्रेज आए थे तब आई.सी.एस. अधिकारी भारतीय थे। दो-चार अंग्रज इधर-उधर बैठते थे, बाकी सब आई.सी.एस. अधिकारी भारतीय थे। मगर अंग्रेज जो चाहते थे, वही काम यहां होता था। इसलिए ऐडीटर कल शायद हिन्दुस्तानी रहेगा मगर उसका कंट्रोल जिस विदेशी के हाथ में होगा, वही यहां की नीति तैयार करेगा और वैसी नीति हमारे सामने आएगी। कहा

[श्री शरद पवार]

गया है कि 26 प्रतिशत से ज्यादा शेयर नहीं है, यह ठीक है, लेकिन प्रतिशत ही क्यों लिया, 25 प्रतिशत, 24 प्रतिशत क्यों नहीं लिया। 26 प्रतिशत में स्पेशल रैजोल्यूशन करने का अधिकार है और बोर्ड में स्पैशल रैजोल्यूशन करने का अधिकार आपने एक बार विदेशी लोगों के हाथ में दे दिया तो उनका कंट्रोल हो जाता है। टाटा ग्रुप 8 प्रतिशत से चलता है, टाटा ग्रुप की टोटल इन्वैस्टमैंट 8-9 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है फिर भी वे ग्रुप चला सकते हैं और यहां हम 26 प्रतिशत दे रहे हैं। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि 74 प्रतिशत उनके हाथ में नहीं है, 74 प्रतिशत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, 26 प्रतिशत डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट और बाकी जिसकी इन्वैस्टमैन्ट है, उसको पैसा देकर सिर्फ उनके वोटिंग राइट का एग्रीमैंट करना, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, टोटल न्यूजपेपर्स का कंट्रोल वे अपने हाथ में आराम से लेने का रास्ता ढूंढ लेंगे। कई क्षेत्रों में इस तरह की परिस्थिति आज भी इस देश में पैदा होती है और इसलिए मुझे लगता है कि यह सब परिस्थिति नजरअंदाज करना देश के लिए घातक हो जायेगा। जब यहां बी.बी.सी. आ गई, तब शुरू में भारत सरकार ने कण्डीशन डाली थी कि चीफ आफ ब्यूरो हिन्दुस्तानी होना चाहिए। आज हम ब्यूरो का चीफ हिन्दुस्तानी यहां नहीं देखते, अंग्रेज देखते हैं। मार्क टुली, जो हिन्दुस्तान की मिट्टी से बहुत समृद्ध होने वाले पत्रकार था, वह यह परिस्थिति देखकर हिन्दुस्तान छोड़कर वापस चला गया, क्योंकि उनको भी यह बात सहन करना मुश्किल हो गया था।

यहां स्टार की बात कही गई। कितना वैस्टर्न इम्पैक्ट आज स्टार टी.वी. में होता है, यह भी हम लोगों को सोचना होगा। जो न्यूज हम देखते हैं, वहां जो लड़कियां न्यूज देने वाली हैं, आप उनका चेहरा देखिये, उनकी पोशाक देखिये। हमें उसमें कहीं साड़ी देखने को नहीं मिलती। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मगर एक टोटल इम्पैक्ट, एक माहौल विदेशी करने की तैयारी यहां होती है, यह हम सब लोग यहां देखते हैं। यहां इसका उल्लेख किया गया कि इन्फोर्मेशन और ब्राडकास्टिंग की जो स्टेंडिंग कमेटी है, उस स्टेंडिंग कमेटी में इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हुआ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों को बुलाया गया और होम मिनिस्ट्री के लोगों ने यह कहा, पेज 31, पैराग्राफ 59-

[अनुवाद]

''गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के समक्ष कहा कि चूंकि जनता किसी नियम को लिखित तौर पर अधिक स्वीकार करती है। अतएव, गलत सूचना देने की किसी भी घटना का उस पर बहुत व्यापक प्रभाव होगा और फिर इसे नियंत्रित करना और अधिक कठिन होगा। अत:, गृह मंत्रालय के विचार से आंतरिक सुरक्षा की स्थिति प्रिंट मीडिया सैक्टर को खोल देने के लिए उपयुक्त नहीं है।''

यहां यह कहा गया है कि आंतरिक सुरक्षा की स्थिति प्रिंट मीडिया सैक्टर को खोल देने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह वक्तव्य गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा आठ महीने पूर्व समिति के समक्ष दिया गया था।

[हिन्दी]

आठ महीने पहले की या आज की परिस्थिति में क्या बदलाव आ गया, सीमा की परिस्थिति सुधरी, आतंकवाद कम हो गया, पड़ौसी देश जो हर हफ्ते कुछ न कुछ समस्या पैदा कर सकता है, उन्होंने अपना कुछ रवैया बदला, मगर इतनी क्या जल्दबाजी हुई। इस परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो भी हमसे एक निर्णय लेने की बात उन लोगों ने की। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी महत्वपूर्ण लोगों ने इसका विरोध किया है। सबसे बड़े आर्गेनाइजेशन इंडियन न्यूजपेपर्स सोसायटी (आई.एन.एस.) ने अपोज किया, एडीटर्स गिल्ड ने अपोज किया, प्रैस काउंसिल आफ इंडिया ने अपोज किया, आप जिनसे सलाह लेते हैं, उस स्वदेशी जागरण मंच ने अपोज किया, जिनका संदेश आप हमेशा लेते हैं, उस आर.एस.एस. ने अपोज किया। जिनकी मदद से आप सरकार चलाते हैं, उन चन्द्रबाबू नायडू ने अपोज किया, जिनकी मदद से यह सरकार चलती है और जो इस सरकार को हमेशा मुम्बई से सलाह देते हैं, उन बाला साहेब ठाकरे जी ने एडीटोरियल लिखकर इस बारे में अपनी भावना बड़ी जबरदस्त लैंग्वेज में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका समय पूरा हो गया।

श्री शरद पवार: मैं मुम्बई पहुंचकर उनको बताऊंगा कि बाला साहेब का नाम लेने के बाद आपने मुझे टोका था।

अध्यक्ष महोदय: ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उनका नाम लेते ही आपका टाइम खत्म हो गया।

श्री शरद पवार: बहुत सी राजनैतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया है। यह फोर्थ एस्टेट है, इस पर हमें समझदारी से निर्णय लेना होगा। यहां बताया गया कि आर्थिक नीति पर हम लोगों को राजनीति नहीं लानी चाहिए, यह सलाह हमें यहां दे दी गई। नेशनल इंटरैस्ट की कभी भी बात हो, हम वहां राजनीति नहीं

लाएंगे और नेशनल इंटरैस्ट के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, बैठकर डिस्कस करके कोई कदम उठाना चाहते हैं तो इस बारे में हम लोगों की तैयारी जरूर रहेगी। मगर इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया, न आपने पार्लियामेंट को कान्फीडेंस में लिया, न किसी पार्टी को कान्फीडेंस में लिया।

आज ही मैंने सुना कि वाइस प्रेसीडेंट आफ इंडिया के लिए कोई केंडीडेट आपकी पार्टी ने, सरकार की पार्टी ने फाइनल किया है। यह ठीक है, वह आपका अधिकार है, मगर इतना बड़ा निर्णय लेते समय विपक्ष के लोगों को कान्फीडेंस में न लेने की तैयारी इस सरकार की हो, वह सरकार हम लोगों से सहयोग की अपेक्षा करे तो यह बात गलत है, इतना ही मैं कहता हूं। यह ऐसा एक निर्णय है, जो देश के ऊपर बहुत खराब परिणाम करने वाला है, इसलिए इस पर आपको फिर सोचना चाहिए और आपके साथियों की इस बारे में जो विचारधारा है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसे देखते हुए इसमें परिवर्तन करना चाहिए।

इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): अध्यक्ष महोदय, भारत में प्रतिभा-पलायन का प्रघटन 1960 के दशक में शुरू हुआ। उस समय, एक इंजीनियर अमरीका गया। वह पूर्ण नवयुवा था। वहां पहुंचकर उसने अपने परिवार बाल-बच्चों को भुलाकर, संयुक्त राज्य अमरीका की सामाजिक संरचना में प्रतिष्ठित होने के लिए खून-पसीना एक कर दिया। उस समय उसकी दो संताने थीं- एक लड़का और एक लड़की। वे वहीं पले-बढ़े। लेकिन उस इंजीनियर के पास यह देखने तक का समय नहीं था कि उसके बच्चे काम कर रहे हैं और किस प्रकार के वातावरण में वे बड़े हो रहे हैं। लगभग 20 साल मेहनत करके उसने वहां के समाज में काफी प्रतिष्ठा हासिल कर ली और काफी धन भी कमाया। अचानक, एक रात उसने देखा कि उसकी पुत्री काफी रात गये घर लौट रही है। वह अपनी पुत्री से पूछता है, "तुम इतनी देर रात कहां थी?" उसकी लड़की जवाब देती है: "मैं एक लड़के के साथ घूमने गयी थी।" अब वह आदमी गुस्से से भरकर पूछता है:" तुम मेरे आज्ञा के बिना बाहर कैसे गयी?" लड़की विस्मय से प्रश्न करती है:" यह अमेरिका है, हरेक ही डेटिंग पर घूमने जाता है, और मैं भी गयी! इसमें गलत क्या है? दूसरे ही दिन, वह भारतीय व्यक्ति, जो 20 साल पहले अमरीका चला गया था, अपनी पुत्री के साथ भारत वापस आता है और 'द टाइम्स आफ इंडिया', 'द हिन्दु' और 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' जैसे अखबारों के वैवाहिक विज्ञापन वाले स्तंभों में इस आशय का एक विज्ञापन जारी करवाता है कि उसे अपनी लड़की के लिए एक पंजाबी, कश्यप गोत्र का वर चाहिए! जब 20 साल बाद भी अमरीका निवासी भारतीय यह भूल नहीं पाया कि वह भारतीय है तो आप यह उम्मीद कैसे करते हैं कि प्रिंट मीडिया में केवल 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे देने भर से हमारे मूल्य, विचारशैली और भारत के रस्मों-रिवाज ही बदल जायेंगे?

महोदय, बेगम नूर बानो का कहना था कि इंटरनेट का एक सीमित वर्ग ही उपयोग करता है, जबकि समाचारपत्र सर्वजन ही देखते हैं। हो सकता है कि यह आज सत्य हो। आज हम उसे साक्षर कहते हैं जिसे पढ़ना-लिखना आता है। लेकिन पांच वर्ष बाद जिसे कम्प्यूटर चलाना नहीं आता होगा, उसे निरक्षर माना जायेगा! पांच वर्ष बाद की स्थिति यह होगी कि हरेक आदमी को कम्प्यूटर चलाना आने लगेगा। आज भी स्थिति यह है कि इंटरनेट हमारे शयन कक्ष तक प्रवेश कर गया है। बी.बी.सी. और सी.एन.एन. जैसे विदेशी चैनल भी हम नित्य ही देख रहे हैं। लेकिन, क्या इन्होंने हमारे मूल्यों और परम्पराओं को बदल डाला है? किसी भारतीय का विदेशीपना केवल ऊपरी होता है। यदि वह अमरीका में काम करता हो और उसने काफी धन कमा लिया हो, तो सबसे पहले तो वह एक मंदिर बनवा देता है। यदि वह दक्षिण भारतीय हो तो तिरूपति बालाजी का मंदिर बनवाएगा, उड़ीसावासी हो तो जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाएगा, इसी तरह कोई स्वामीनारायण मंदिर बनवाएगा और कोई बंगालवासी भारतीय काली बाड़ी बनवा देगा।

महोदय, श्री रूपचन्द पाल अभी यहां नहीं हैं। लगभग दो वर्ष हुए, जब हम इस सदन में बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने भाषण दिया था और उस समय मैंने काफी ध्यान से उसे सुना था। आप उनके आज के भाषण और उस दिन के भाषण, जिस दिन हम बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, की तुलना कीजिए। उन्होंने यही बातें कहीं थी और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था कि विदेशी आएगा,

[हिन्दी]

खा जाएगा, ले जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा।

[अनुवाद]

लेकिन सच्चाई क्या है? विगत वर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम ने 62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो उसके इतिहास में

[श्री खारबेल स्वाइं]

अभूतपूर्व थी। ऐसा बीमा क्षेत्र को मिलने के बाद हुआ, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के बाद हुआ। इसलिए, यह कहना कि प्रिंट मीडिया में केवल 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने से भारत की चूले हिल जाएंगी - एक गलत बात है। श्री शरद पवार ने भी अपने भाषण में यही बात कही। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। कोई विदेशी भारत क्यों आता है? वह यहां निवेश क्यों करता है? इसका कहना है कि वह यहां धन के लिए निवेश नहीं करता, बल्कि शक्तिमत्ता के लिए करता है। अवश्य मैं मानता हूं कि अखबार-जगत में काफी शक्ति विहित है। लेकिन, मेरा कहना यह है कि क्या लोग केवल उसी बात का ही विश्वास करते हैं जो समाचारपत्रों में छपती है? गुजरात और श्री नरेन्द्र मोदी के बारे में भी कई बातें अखबारों में छपी थी!

क्या लोगों ने उन पर विश्वास किया। ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया जो भी छाप देगा, लोग उसे मान ही लेंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई अखबार भारत के खिलाफ कुछ लिखने लगे तो लोग वह भी पढ़ेंगे। हमने देखा है कि भारत में अनेक समाचार-माध्यमों ने कई सरकारों के विरुद्ध कितनी ही बातें लिखी। फिर भी एक के बाद एक सरकारें आती रही। उन्होंने चुनाव जीते। अत:, जो भी प्रिंट मीडिया राष्ट्र के प्रति सत्यवादिता रखेगा अपनी विश्वसनीयता बनाए रखेगा - केवल वही बचा रहेगा। केवल इसी प्रकार के समाचारपत्र बचे रहेंगे। आप श्री महताब से पूछिए। इन्हें भी इस बारे में जानकारी है। ये एक समाचारपत्र के संपादक हैं। इनका अखबार केवल अपनी विश्वसनीयता के दम पर चल रहा है। इनके पिता एक महान व्यक्ति थे। यही कहना है कि यह अखबार चल रहा है, न कि पैसे के कारण! इन्होंने एक और बात कही कि भला बैंक हमें पैसा क्यों नहीं देते? समाचारपत्रों को धन उपलब्ध कराने के लिए क्यों न एक बैंकिंग आयोग बनवा दिया है? ठीक है। इन्होंने उड़ीसा राज्य वित्त निगम से ऋण लिया है। जब 1988 में जब मैंने लोक सेवक की अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़ी, तो अपने गृहनगर में एक प्रैस लगायी। मैंने भी 18 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पैसा लिया। समय की बात है, वह अखबार नहीं चला। पिछले महीने वह नीलाम हो गया। मैं उसे चला नहीं पाया।

मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं। मुझे जानकारी मिली कि अलग-अलग देशों में, इस उद्योग को चार से पांच प्रतिशत के साथ ब्याज पर ही बैंक ऋण उपलब्ध हो जाता है। आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई. और अन्य बड़े वित्तीय संस्थान मीडिया के शेयर नहीं उठाते। उनकी ब्याज-दरें काफी ऊंची हैं। फिर ये अखबार कैसे चलें? श्री महताब ने कहा कि यह कोई मलाईदार व्यापार नहीं है। मैं जानता हूं कि यह मलाईदार व्यापार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में भला कौन सामने आएगा? मैं जानता हूं कि अधिक लोग सामने नहीं आयेंगे। कम से कम ऐसी संभावना बने कि कुछ इक्विटी हो - तो भी हम कोई रास्ता ढूंढें। हम कोशिश कर सकते हैं। प्रयास कर सकते हैं। कोई न कोई तो आयेगा ही। अन्यथा, फिर आपको उसी संस्थान के पास जाकर 18 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा उठाना होगा, जिसको चुकाना भारी बात है। यह संभव नहीं है।

मेरा कहना यह है - क्या हम एक ऐसा बैंकिंग आयोग बना सकते हैं जो प्रिंट मीडिया को कम ब्याज-दर पर, तथा अन्य औद्योगिक संस्थानों को अपेक्षाकृत उच्च ब्याज-दर पर ऋण उपलब्ध कराये? क्या यह संभव है? तब क्या कोई अदालत में जाकर यह आपत्ति नहीं करेगा कि "ऐसा भेदभाव क्यों? मीडिया के लिए कम ब्याज-दर क्यों, और मेरे लिए क्यों नहीं?" ऐसा होगा। अत:, साफ सी बात है कि कम ब्याज-दर पर ऋण देने वाला कोई बैंकिंग आयोग बनाना हमारे बस की बात नहीं होगी। अब, एक राष्ट्रीय पाठक संख्या सर्वेक्षण किया गया। प्रिंट मीडिया की पाठक संख्या 17 मिलियन और बढ़ी है। 163 मिलियन से बढ़कर यह 180 मिलियन हो गई है। समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जो 131 मिलियन से बढ़कर 156 मिलियन हो गयी है। मैं सोचता हूं कि इसके विकास की और भी संभावनाएं हैं क्योंकि 248 मिलियन वयस्क साक्षर हैं। वे कोई समाचारपत्र अथवा पत्रिका नहीं पढ़ते। इसीलिए, इसमें एक लाभ की बात है। हम उन्हें लक्ष्य बना सकते हैं बशर्ते कि हमारे पास कुछ धन हो। हम विकास कर सकते हैं। हम यह कहते हैं कि 50,000 समाचार-पत्र हैं। आप श्री महताब जी से पूछ सकते हैं। वह आपको बतायेंगे कि उनके समाचारपत्रों में रिपोर्टर कैसे जीवन यापन करते हैं। क्या उन्हें उचित वेतन मिलता है? वह अपने लोगों को वेतन कैसे प्रदान कर पाते हैं? क्या वह सक्षम हैं? मैं सक्षम नहीं था। मैं नहीं सोचता कि वह भी प्रत्येक व्यक्ति को इसे प्रदान करने में सक्षम हैं। इसलिए, पत्रकार आपके पास टिके रहे। इसके बारे में मैंने अधिक उल्लेख नहीं किया। इसलिए, यदि प्रिंट मीडिया के लिए अधिक धनराशि अधिक पूंजी की संभावना है तो कम-से-कम यहां एक संभावना होगी।

मैं जानता हूं कि धोखेबाज हर जगह हैं। लेकिन कम-से-कम एक आदमी जो ईमानदार है और जो अपने रिपोर्टरों को प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आरंभ होने के पश्चात् इसमें 150 करोड़ रुपये से लेकर 170 करोड़ रुपये तक का निवेश आ सकता है और विशेष पत्रिकाओं में 74 प्रतिशत इक्विटी होगी। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। जिस दिन सरकार ने इसका निर्णय लिया था उस एक दिन में विशेष रूचि की ओवरड्राइव और 'बेटर फोटोग्राफी' आदि जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाली टाटा इंफो मीडिया के स्टाक मूल्य में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 126.80 रुपये की थी।

बहुत से उपबंध और सुरक्षोपाय किए गए हैं। निदेशक मंडल के तीन-चौथाई सदस्य भारत के निवासी होने चाहिए और सभी संपादक भारत के निवासी होने चाहिए। हम यह कैसे कह सकते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति आयेगा, विदेश से कोई अन्य समाचार रिपोर्टर अथवा संपादक अथवा ब्यूरो प्रमुख आयेगा? यह एक सुरक्षोपाय है? दूसरा सुरक्षोपाय यह है कि एक सबसे बड़े भारतीय शेयर धारक के पास 26 प्रतिशत से अधिक की इक्विटी होनी चाहिए।

माननीय श्री शरद पवार जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास 26 प्रतिशत से अधिक की इक्विटी है उसे विशेष मत का हक है। इसलिए यह उपबंध किया गया है कि एकल भारतीय शेयर धारक के पास 26 प्रतिशत से अधिक की इक्विटी होनी चाहिए और सरकार प्रत्येक निवेशक की विश्वसनीयता की पूरी जांच करेगी। शेयर धारिता के स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी और बाद में इसका खुलासा करने की अनुमति नहीं होगी। मैं समझता हूं, सरकार द्वारा किये गये ये सुरक्षोपाय पर्याप्त हैं।

मैं सोचता हूं, इस तरीके से क्षेत्रीय प्रेस लाभान्वित होगा, छोटे और मझौले समाचारपत्रों को भी अपना प्रसार क्षेत्र बढ़ाने का अवसर मिलेगा और इस पर दो, तीन अथवा चार समाचारपत्रों का एकाधिकार नहीं रहेगा, जो यह चाहते हैं कि उनका एकाधिकार बना रहे और कोई भी उभर न पाये। इसलिए ऐसे ही समाचारपत्र वस्तुत: इसका विरोध कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि कोई अन्य समाचारपत्र उभरे और किसी अन्य छोटे और मझौले समाचारपत्र को उभरने और उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिले।

अंत में, मैं अपनी बात यह कहकर समाप्त करूंगा कि भारत दक्षिण-पूर्व एशिया में एकमात्र कार्यशील लोकतंत्र है जिसके पास पारंपरिक रूप से मुक्त प्रेस है, एक प्रचार-प्रसार का केन्द्र बनने के लिए इसकी आदर्श स्थिति है। यह वैसे ही समाचार पत्रों, वैसी ही पत्रिकाओं को आकर्षित करेगा जो सिंगापुर और अन्य स्थानों पर प्रकाशित किए जा रहे हैं। इससे मूल्य घटेंगे और भारत प्रकाशन का केन्द्र बनेगा और इससे रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।

अंतत:, जब इन विदेशी समाचारपत्रों का प्रकाशन भारत में भी होगा - जो पहले से ही अधिक मूल्य पर उपलब्ध हैं - जब इन्हें यहां मुद्रित किया जायेगा तब ये कम मूल्य पर उपलब्ध होंगे और विश्व भर में सकारात्मक प्रेस उभरेगा। भारत सरकार के संबंध में भी सकारात्मक प्रेस उत्पन्न होगा और सकारात्मक प्रेस की राजनैतिक रूप से इस संवेदनशील समय में भारत सरकार के संबंध में अहम भूमिका होगी।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। आज हम प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि महान स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव द्वारा वर्ष 1955 में मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये इस निर्णय में संशोधन करके उन्होंने ठीक काम नहीं किया है। इस निर्णय को बहुत जल्दबाजी में लिया गया है और यह देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रेस और मीडिया किसी देश का चतुर्थ स्तम्भ होते हैं। यदि मैं यह कहूं कि मीडिया भारत के लोकतन्त्र की आत्मा है और इसे विदेशी प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए तो मेरा यह कहना गलत न होगा।

इससे देश की लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था कमजोर हो जायेगी। इस नीतिगत निर्णय को लिये जाने के पश्चात् इसका हर तरफ विरोध हुआ है। मेरे मित्रों ने सभा के समक्ष सभी ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। वे यह कहते हैं कि इस पुराने निर्णय को वर्ष 1955 में लिया गया था और हमें इसमें संशोधन करना चाहिए। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 1991 से 1996 के बीच, - जब श्री पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार थी - इस मुद्दे को सरकार के समक्ष लाया गया था और इस पर चर्चा की गयी थी लेकिन इसे बहुत ही स्पष्ट कारणों से स्वीकार नहीं किया गया था। अब तो उनके सहयोगी भी - जिनके बल पर यह सरकार टिकी हुई है - इसका विरोध कर रहे हैं।

दिनांक 26 जून, 2002 के नयी दिल्ली के बिजनैस स्टैण्डर्ड नाम के एक समाचार पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि दो वरिष्ठ मंत्री - विदेश मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा और कुमारी उमा भारती - ने भी यह कहा है कि वे इसके पक्ष में नहीं हैं। यदि यह बात सही है तो इसके लिए इतनी जल्दबाजी क्यों की गयी? यह निर्णय क्यों लिया गया? लोग अनाप-शनाप बातें कर रहे हैं। इस निर्णय को लेकर कुछ आशंकाएं और संदेह हैं।

[कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी]

संसदीय स्थायी समिति में इस मुद्दे पर चर्चा की गयी थी। इस स्थायी समिति को किसी भावना से ही गठित किया गया था। इसे हम एक लघु संसद कहते हैं। इसमें इस पर चर्चा की गयी थी। कुछ एक लोगों को छोड़कर यह एक सर्वसम्मत रिपोर्ट थी। इस समिति के अधिकांश सदस्यों ने यह कहा है कि इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद, उन्होंने यह बात नहीं मानी और उन्होंने यह निर्णय लिया। उन्होंने केवल थोड़े से सदस्यों के मतों को आधार बना लिया। उन्होंने स्थायी समिति की रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया। हम यह जानते हैं कि यह सरकार बहुत-सी अन्य स्थायी समितियों के विचारों को अस्वीकार कर रही है और निर्णय लिये जा रही है।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहूंगा वह इस वक्तव्य में उल्लेख की गई बातों के संबंध में है। मैं केवल वही पढ़ रहा हूं जिसे एक स्थान पर कहा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बाहर यह आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था:

''चिंता मत करो। इन सभी मामलों पर हम वरीयता के आधार पर सिलसिलेवार चर्चा करेंगे।'' यदि ऐसी बात है तो, यदि इस पर मामला-दर-मामला विचार किया जायेगा तो यह एक चयनात्मक, छल युक्त और विवादास्पद मामले का रूप ग्रहण कर लेगा। बहुत से अन्य मंत्रालयों में भी ऐसा किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदया पर व्यक्तिगत रूप से कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं।

महोदय, हम विदेशी मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। किसी ने यह प्रश्न उठाया है। किसी विदेशी पत्रिका ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य के संबंध में कुछ टिप्पणियां छापी हैं। उनका इससे कोई सरोकार नहीं। मैं अमेरिका में था। सब मैंने यह एक समाचारपत्र में पढ़ा तो मुझे बहुत दु:ख हुआ। यदि आप इस तरह बाजार खोलेंगे तो भगवान न जाने आगे क्या होगा। कुछ स्थानों पर आपने आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यह एक बहुत वैध कारण है। हम यह जानते हैं कि आज तक, अधिकांश प्रकाशित विकसित देश इस महान देश के कार्यनिष्पादन और प्रगति से खुश नहीं है। वे यह महसूस कर रहे हैं कि जहां तक उपलब्धियों का संबंध है, 21वीं सदी में भारत उनके लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। वे पहले से ही शरारत करते आ रहे हैं। वे आतंकवादी देश की सहायता कर रहे हैं। वे धूर्त देश की सहायता कर रहे हैं। यदि आप उनके लिए बाजार को खोलते हैं तो वे यहां बहुत अहितकर कार्य करेंगे।

मुझे मालूम है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का लगभग 850 किलोमीटर लम्बा क्षेत्र पाकिस्तान के निकट पड़ता है। वहां से लोग आ रहे हैं। काफी लोग पकड़े गये हैं। यदि प्रिंट मीडिया उदार होगा तो वे किसी-न-किसी प्रकार का समाचार छापते रहेंगे। अधिकांश लोग निरक्षर हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं। वे उनका दिमाग भरेंगे यही पूर्वोत्तर में भी हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा करना छोटे और सीमांत समाचार पत्रों के हितों के लिए हानिकारक होगा। इससे न केवल वे प्रभावित होंगे बल्कि इसका बड़े समाचारपत्रों पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए, यह निर्णय देश के हित में नहीं है। जो भी आशंकाएं अथवा शंकाएं हैं वे सुनी जानी चाहिए। यह एकपक्षीय निर्णय है अथवा एक गलत सुझाया गया निर्णय है। इस पर कोई आम सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। ऐसा संसद में बिना चर्चा के किया गया। यह राष्ट्र हित के लिए हानिकारक है। इसीलिए, जैसे कि मेरे मित्रों और अन्य पार्टियों ने कहा है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए और प्रिंट मीडिया की रक्षा के लिए इस निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल व्यवसाय के रूप में मत कीजिये। आप कई स्थानों पर उनका वित्तपोषण कर रहे हैं। आप जहां भी यह देखें कि प्रिंट मीडिया स्तरीय नहीं है तो आप सदैव इसका वित्त पोषण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री कालवा श्रीनिवासुलु (अनन्तपुर): महोदय, प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के एनडीए सरकार के निर्णय को उद्धृत करने के लिए मैं माफी चाहता हूं। यह तेलुगु देशम पार्टी के विचारों के खिलाफ है। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भारतीय अखबारों का एकाधिकार, कैसे टूटेगा। राष्ट्रीय स्तर के एकाधिकार को विश्वस्तरीय एकाधिकार से चुनौती नहीं दी जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अखबारों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अखबार चलाने के लिए ढेर सारी समस्याओं से जुझना पड़ता है क्योंकि यह व्यवसाय नहीं है। पत्रकार केवल वेतन के लिए ही नौकरी नहीं कर रहे हैं। यह एक पेशा है इसलिए यह कहना कि प्रमुख संपादकीय पदों पर भारतीय होंगे, बहुत प्रासंगिक नहीं है।

किन्तु, संभव है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी और फिर उसमें विदेशियों की भागीदारी अधिक हो जाएगी जैसाकि हमने बीमा और अन्य क्षेत्रों में देखा है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया का हवाला दिया जाता है कि उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से कोई नुकसान नहीं है। कौन जानता है? जहां तक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के बीच विसंगतियों का सवाल है, उसे भी इलेक्ट्रानिक मीडिया से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को वापस लेकर दूर किया जा सकता है।

हम विदेशी निवेश को इस देश के गरीब लोगों के उत्थान हेतु अपने देश के विकास के लिए आमंत्रित करते हैं, न कि अपनी संस्कृति और अपने नैतिक मूल्यों को नष्ट करने के लिए।

हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने या हमारे देश के हित में कोई भी विदेशी निवेशक अपना धन नहीं लगाएगा। वह अपने नफे नुकसान को ध्यान में रखकर अखबारों को चलाएगा। यही कारण है कि तेलुगु देशम पार्टी इस निर्णय का विरोध कर रही है। सरकार को यह निर्णय वापस ले लेना चाहिए और अपने नैतिक मूल्यों से लवरेज हमारे भारतीय अखबार उद्योग को बचाना चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भागीदारी को अनुमति देने के निर्णय का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। सरकार द्वारा अपनाई गई यह एक गलत नीति है। इसके निम्न कारण हैं:-

लोकतंत्र में यह चौथा स्तम्भ सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में है। इस चौथे स्तम्भ के अलावा हमारे पास कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी है और उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार यही आजादी प्रेस को दी गई है। यह एक ऐसा अधिकार है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, इस अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि 1973 में उच्चमत न्यायालय ने केशवानन्द मामले में कहा था कि मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का अधिकार संसद को नहीं है। यह प्रेस को दी गई एक प्रकार की मौलिक स्वतंत्रता है। क्या यह संविधान सम्मत रूप से सही है कि हम इस चर्चा में सरकार को अपने विचारों से अवगत कराएं? इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद सरकार ने 26 प्रतिशत का स्वामित्व विदेशी प्रिंट मीडिया को देने की अनुमति दे दी है। यह लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है।

मैं कहना चाहता हूं कि बिना किसी संवैधानिक अधिकार के विदेशी स्वामित्व से उन्हें प्रेस की आजादी का अतिक्रमण करने की छूट देना होगा। वे अपना अभिमत तैयार करने जा रहे हैं। वे अपनी संस्कृति को विकसित या उसका प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। प्रेस सूचनाओं के संग्रह और उसके प्रचार का माध्यम होता है। जब वे विश्व के विभिन्न भागों से सूचनाओं का संग्रह करेंगे और हमारी सूचनाओं को विश्व के विभिन्न भागों में प्रसारित करेंगे तो क्या इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा कि नहीं? मैं जोर देकर यह बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र ऐसे में खत्म हो जाएगा क्योंकि विदेशी स्वामित्व के अंतर्गत न्यूयार्क या लंदन या भिन्न-भिन्न देशों के राजधानियों में बैठे विदेशी संपादक अखबारों की चापलूसी करने वाली सत्ताधारी पार्टी को बढ़ावा देने और विपक्षी पार्टी का दमन करने के लिए अपने स्थानीय संपादकों को मजबूर करेंगे। इस तरह भारत के भविष्य के लिए यह एक खतरनाक संकेत है। यदि यह सही होता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस फार्मूला को स्वीकार कर लिए होते। इसलिए पुराने विचार सुनहरे विचार है, जैसा कि एक कहावत है, ''ओल्ड इज गोल्ड (पुरातन व्यवस्था सुनहरी व्यवस्था है।)'' फिर क्यों इस सरकार के दिमाग में विदेशी स्वामित्व को आमंत्रित करने का यह नया विचार आ गया? जैसा कि यहां उद्धृत किया गया है, हमारे पास पचास हजार समाचार पत्र हैं। इनमें कुछ देशी भाषा के समाचार पत्र हैं; इनमें से कुछ बहुत ही प्रचलित हैं। विदेशी स्वामित्व वाले अखबार उनमें से भी कुछ अखबारों सावधिओं या पत्र-पत्रिकाओं को अपनी रूचि या अपने फायदे के लिए हथियाना चाहेगा।

समाचारपत्र कोई उद्योग नहीं है, प्रेस कोई उद्योग नहीं है। यदि इसे एक उद्योग के रूप में घोषित किया गया होता तो उच्चतम न्यायालय ने इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग को तोड़े जाने के दिल्ली के तत्कालीन ले. गवर्नर के आदेश को निरस्त नहीं किया होता। इंडियन एक्स्प्रेस के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यहां तक कहा है कि बिल्डिंग को तोड़ा जाना भी प्रेस की आजादी पर प्रहार है। आप प्रेस के बिल्डिंग नहीं तोड़ सकते हैं।

इस तरह प्रेस की आजादी पर विदेशी अतिक्रमण से हमारा लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा, हमारी सरकार का संसदीय और मंत्रिमंडल स्वरूप समाप्त हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि मंत्रिमंडल ने कैसे और किन कानूनी प्रावधान के तहत इसका अनुमोदन कर दिया है जबकि यह कोई उद्योग तो है नहीं और न ही यह वाणिज्य का कोई आइटम है। यह वाणिज्यिक आइटम नहीं है। आप दैनिक अखबारों पर कर नहीं लगा रहे हैं। वे अखबार छापते हैं और इसका परिचालन करते हैं क्योंकि भारत के सभी लोग अपने स्थानीय अखबारों का अनुसरण करते हैं। जब ये संतोषजनक ढंग से चल रहे हैं, तो फिर क्यों इसमें 26 प्रतिशत की भागीदारी लाई जाएगी? क्या ऐसा ही है कि यदि यह भागीदारी 25 प्रतिशत की होती तो उन्हें किसी प्रस्ताव पर मत व्यक्त करने या वीटो पावर का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होता? संसद की स्थायी समिति ने उस खतरनाक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की है जो भारत में 26 प्रतिशत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दिए जाने से उभरेगी।

महोदय, प्रेस बैरन (प्रेस का दबदबा) भी हो सकता है। वे सरकार या विपक्ष के सर में सर मिलाकर चल सकते हैं। जो भी हो जब हमारे माननीय नागरिक प्रेस की आजादी के अधिकार का आनंद उठा रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके लिए केवल चार मिनट का समय था। मैंने आपको एक मिनट का और समय दे दिया है।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, पहले मुझे चार मिनट का समय दिया गया था। और समय लेने के लिए मुझे 20 मिनट तक आग्रह करना पड़ा। फिर भी मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त करूंगा।...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए।

महोदय, आप भारतीय अखबारों के इतिहास को जरूर जानते होंगे। उसमें कहा गया है कि जो राज्य सीमावर्ती उपद्रवों से जुझ रहे हैं वहां प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए थी। हमारी भौगोलिक स्थिति अलग हैं, हमारा राजनीतिक संगठन अलग है और समीकरण अलग है। हमारी सीमा के इर्द-गिर्द हमारे ढेरों सारे दुश्मन हैं। विदेशी स्वामित्व का चयन करते समय कैसे आप पता लगाएंगे कि हमारे देश के लिए कौन पराया है या कौन दुश्मन है? इंग्लैण्ड और अमेरिका में कतिवय दिशानिर्देश है। विदेशी स्वामित्व को नकारने और प्रिंट मीडिया में विदेशी के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए सरकार के पास अन्तर्निहित शक्ति होती है। इसी तरह, इस बात को प्रचारित नहीं किया गया है। संसद इस बात के लिए नहीं है कि प्रिंट मीडिया का 26 प्रतिशत विनिवेश किया जाए। हम मालिक नहीं है। सरकार मालिक नहीं है। फिर कैसे आप 26 प्रतिशत निवेश की अनुमति दे सकते हैं। मालिक बैरन होते हैं। हमने सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों का विनिवेश किया। हम भारतीय नौवहन निगम का विनिवेश करने जा रहे हैं। हमने बाल्को का विनिवेश किया है। वे सभी सरकारी संपत्ति हैं। यह सरकारी संपत्ति नहीं है। इसमें आप बिना कोई निवेश किए 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देकर इसका विनिवेश करने जा रहे हैं। 'द टाइम्स आफ इंडिया' में सरकार का कोई निवेश नहीं है और न ही इसे सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन दिया गया है। इसी तरह 'द हिन्दुस्तान टाइम्स', ' द ट्रिब्युन', 'द हिन्दू', ' द इंडियन एक्सप्रेस' को सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। उन लोगों ने अखबार शुरू किया और परिचालित किया। उन्होंने सूचना संग्रह की और इसे प्रचारित किया। उन्होंने भारत में सभी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। अब उनकी स्वतंत्रता को विदेशी निवेशकों से खतरा है।

हमारे भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में कई पाठ्यक्रम हैं। विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। क्या उन पत्रकारों को विदेशी निवेशकों द्वारा नौकरी दी जा रही है। जैसाकि श्री शरद पवार ने कहा, हमारे पत्रकारों को विदेशी निवेशको द्वारा नियुक्त करने या नामित करने या ठेके के आधार पर रोजगार देने की कोई गारंटी नहीं है। कुछ समय के लिए वे उन्हें कुछ वेतन देकर रख लेंगे पर कुछ ही दिनों बाद वे उन्हें निकाल बाहर कर देंगे। पत्रकार के रूप में ये लोग भारतीयों के हाथों में ही सुरक्षित हैं। ये किसी विदेशी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। जैसाकि आप जानते हैं, यदि भारत भारतीयों के हाथों में होगा, तभी यह सुरक्षित रह सकेगा। उसी प्रकार, यदि भारत की यह चौथी व्यवस्था किसी विदेशी के हाथों में चली जाएगी, तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। कैसे आप हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति, हमारी सुरक्षा स्थिति, हमारे राजनीतिक समीकरणों और संगठनों के बारे में किसी विदेशी स्वामित्व वाले लोगों को लिखने की अनुमति देंगे। कैसे आप उन्हें हमारे कार्यकलापों के बारे में संपादकीय लिखने की अनुमति देंगे। यह कोई उद्योग नहीं है। यह कोई वाणिज्यिक क्षेत्र नहीं है। इसलिए, ऐसी परिस्थिति में सरकार को अपने इस रवैये को वापस ले लेना चाहिए और हमारी मीडिया को यथावत चलते रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। आप उन्हें कुछ प्रोत्साहन दे सकते हैं। आप उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं। आप हमारी संसद में किसी विदेशी को आने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। आप किसी विदेशी को हमारी कार्यपालिका का अंग नहीं बना सकते हैं। आप किसी विदेशी को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना सकते हैं। भले ही वह इंग्लैण्ड के हल्सब्युरी कानूनों की जानकारी क्यों न रखता हो, फिर भी वह उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो सकता है क्योंकि कतिपय मामलों में वह उच्चतम न्यायालय में विदेशी कानून की बात करेगी। इसलिए विदेशी आक्रमण के प्रहार से कार्यपालिका की रक्षा करने, संसद की रक्षा करने, न्यायपालिका को बचाने के लिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह चौथी व्यवस्था, न्यायपालिका, संसद और कार्यपालिका जैसे संस्थानों पर आक्रमण है। कलम तलवार से ताकतवर होती है। इस तलबार को किसी विदेशी स्वामित्व में न दे।

आप समझते हैं कि विदेशी निवेश से भारत का विकास हो सकेगा। आप यह समझते हैं कि विदेशियों के पास अधिक दिमाग है। हम भारतीयों के पास भी अधिक दिमाग है। यदि कोई अमेरिकी विदेश मंत्री, यदि कोई अमेरिकी वित्त मंत्री आ जाए और यहां बैठे तो, क्या आपके कहने का मतलब है कि वह हमारे मंत्री से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? क्या आप उन्हें इस बात की इजाजत दे सकेंगे? आप किसी विदेशी वित्त मंत्री को यहां बैठने की अनुमति नहीं दे सकते हैं? उसी तरह, हमें इस प्रस्ताव को यही विराम दे देना चाहिए। यह प्रस्ताव विचाराधीन है या यह अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, यह हमें नहीं पता है। यदि यह विचाराधीन है, तो इसे यहीं विराम दे दीजिए। यदि मंत्रिमंडल ने इस पर निर्णय ले लिया है, तो भी इस निर्णय को हमारे भारतीय राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के हित में बदल दीजिए। धन्यवाद, मैं इस गलत नीति का विरोध करता हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय, मैं नियम 193 के अंतर्गत होरही इस रूचिकर चर्चा में भाग लेने पर गौरवान्वित हूं और मुझे खुशी है कि यह चर्चा उस पक्ष की ओर से शुरू की गई है। पिछले कुछ समय से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के बीच लड़ाई चल रही है। आज हम यह चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 26 प्रतिशत प्रिंट मीडिया में लगाए जाने की अनुमति दी जाए या नहीं।

अपराह्न 5.49 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन हुए*]

मजेदार बात यह है कि प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संस्थागत विदेशी निवेश की अनुमति नहीं जबकि इलेक्ट्रानिक मीडिया में शत-प्रतिशत निवेश की अनुमति है। भारत में तो यदि आपको अनुमति न भी हो तब भी आप इलेक्ट्रानिक मीडिया पर आ सकते हैं या जो चाहें वह देख सकते हैं।

लेकिन प्रिंट मीडिया मे ऐसा करने की अनुमति नहीं है। जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खिलाफ हैं उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और उनका कहना है कि माननीय गृहमंत्री भी इसके खिलाफ हैं। माननीय सदस्य श्री शरद पवार ने भी यही उल्लेख किया है।

वस्तुत: माननीय गृह मंत्री ने यह कभी नहीं कहा कि सीमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति को प्रस्तुत किए गए टिप्पण में गृह मंत्रालय ने स्पष्टत: कहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जो भी सुझाव आएंगे उन पर मामला-दर-मामला निगरानी रखी जाएगी।

यही तर्क दिया जाता है कि यदि विमानपत्तनों के रख-रखाव और निर्माण के क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में और अब नाभिकीय क्षेत्र जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है तो 26 प्रतिशत भागीदारी से राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ सकती है। एक दूसरी बात यह है कि प्रमुख समाचार पत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खिलाफ हैं। एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें पत्रकार वर्ग के 70 प्रतिशत लोगों ने प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का समर्थन किया। चार-पांच बड़े समाचार पत्र मालिकों और एकाधिकार वादियों ने ही इसका विरोध किया था। अन्यथा, पत्रकार वर्ग इससे उत्साहित है क्योंकि इससे उनका वेतन बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा और वे पत्रकारिता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भी प्राप्त कर सकेंगे। यहां मजेदार बात यह है कि इन समाचार पत्रों की प्रकाशन सामग्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारे समाचार पत्रों में एक पृष्ठ होता है जिसमें वे पाकिस्तानी समाचार पत्रों से उद्धरण दे रहे हैं। 'द लंदन टाइम्स' से ली गई खबरें पूरे एक पृष्ठ पर प्रकाशित की जाती है। इस प्रकार, प्रकाशन सामग्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किन्तु, जहां तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संबंध है तो इस क्षेत्र के बड़े-बड़े उद्योगपति और एकाधिपत्य जमाने वाले लोग ही हैं जो सोचते हैं कि उनका एकाधिकार प्रभावित हो जाएगा।

माननीय सदस्य का कहना है कि यह धन का प्रश्न नहीं है। मेरे विचार से धन इस सब का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यदि आप प्रमुख शहरों, बड़े शहरों और महानगरों को देखें तो पाएंगे कि तीन या चार समाचार पत्रों का ही तमाम विज्ञापनों पर एकाधिकार है और विज्ञापन इन्हीं पत्रों में ही मिलते हैं। यदि प्रतिस्पर्धा होती है और 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जाता है तो यह सबके लिए खुल जाएगा, तथा अधिक प्रतिस्पर्धा होगी और छोटे समाचार पत्र भी आगे आएंगे।

एक अन्य आरोप यह था कि प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मंत्रिमंडल के 1955 के संकल्प के विरुद्ध हैं। प्रिंट मीडिया में सीमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी भी प्रकार से मंत्रिमंडल के 1955 के संकल्प के विरुद्ध नहीं है। भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में अपनी राय व्यक्त कर दी है। प्रथम प्रैस आयोग ने स्पष्ट कहा है कि यदि प्रबंधन और संपादकीय नियंत्रण मुख्यत: भारतीयों के हाथों में ही रहता है तो इससे भारतीय स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा और स्वामित्व में परिवर्तन नहीं होगा। वर्ष 1955 का मंत्रिमंडलीय संकल्प विदेशी समाचार पत्रों के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के विरुद्ध है। भारत सरकार के 2002 के मंत्रिमंडलीय संकल्प में भारत में विदेशी समाचार पत्रों के प्रकाशन की मनाही है।

एक अन्य आरोप यह है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय नागरिकों का मत परिवर्तन कर देगा।

यह सुझाव गलत है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय नागरिकों का मत परिवर्तन कर देगा। टेलीविजन अत्यधिक शक्तिशाली माध्यम है। जैसा कि मैंने पहले ही इलेक्ट्रानिक मीडिया में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। अब तो प्रसारण में भी 40 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। न तो टेलीविजन ही भारतीय नागरिकों का मत परिवर्तन कर पाया है और न ही प्रसारण। इंटरनेट पर विदेशी सामग्री भी उपलब्ध है। श्री खारबेल स्वाइं ने यह बात कही थी कि अब से पांच वर्ष बाद वही लोग शिक्षित होंगे जो इंटरनेट और कम्प्यूटर का लाभ ले सकेंगे। आज

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर]

भी आप कम्प्यूटर पर 'लाग आन' करके विश्व का कोई भी समाचारपत्र देख सकते हैं। मैंने यही कहा है कि जब आप प्रकाशन सामग्री पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते तो आप पाबंदियां क्यों लगाना चाहते हैं और प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध क्यों चाहते हैं?

अंत में, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश से डरी हुई है।*.....

इसकी उन्हें कभी परवाह नहीं रही। मेरी समझ में नहीं आता कि इस बारे में ये इतने परेशान क्यों हैं? मुझे ऐसा लगता है कि...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, यह अनावश्यक है। ...*(व्यवधान)* इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालना होगा।...*(व्यवधान)* उन्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: मैं श्रीमती गांधी का बहुत आदर करता हूं और और मुझे लगता है कि अगर वह...*(व्यवधान)* मैं उनकी बात का ही समर्थन कर रहा हूं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): तब तो हमें यह भी कहना है कि श्री आडवाणी पाकिस्तान से हैं। उनके मामले में नागरिकता का मुद्दा नहीं उठेगा।...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: मैं इनका समर्थन कर रहा हूं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने क्या कहा?

श्री ए.सी. जोस: उनका कहना है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। .....इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* यह बड़ी अजीब बात है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके द्वारा कही गई बात सहित इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि सौ वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी...*...* और वे इस बारे में खुश हैं।*...* ये प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से डरे हुए क्यों हैं?

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय, सरकार ने प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति का निर्णय लिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आज वह विदेशी नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें भारत का नागरिक घोषित किया है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: मैंने ऐसा नहीं कहा था।

[हिन्दी]

श्री इकबाल अहमद सरडगी: महोदय, आज सुबह से जो डिबेट थी, वह बड़े पीसफुल अंदाज में बगैर किसी शख्सियत पर तनकीद किये हुए चल रही थी, लेकिन अभी हमारे एक आनरेबिल मैम्बर ने सारी डिबेट को डाइवर्ट कर दिया और एक अननैसेसरी कंट्रोवर्सी के रूप में उन्होंने पेश किया है, जिस पर मेरा एतराज है। मैम्बर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं समझता हूं कि वह शब्द उन्हें वापस लेना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैंने उस हिस्से को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है।

[हिन्दी]

श्री इकबाल अहमद सरडगी: डिसइन्वैस्टमेंट के बारे में 1955 में जो डिसीजन लिया गया था, फारेन इन्वैस्टमेंट को एलाऊ न करने के लिए, जिसके बारे में बहुत सारे रीजन्स दिये गये हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है?

सभापति महोदय: जिस संदर्भ में आपने कहा वह सद्भावना के अनुरूप नहीं था। यदि इसी को सामान्य तरीके से कहा जाए तो कोई आपत्ति नहीं करेगा।...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: मैंने उनका समर्थन किया है। वे प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खिलाफ हैं।...*(व्यवधान)* फिर भी वे इसके बारे में खुश हैं।

सभापति महोदय: यदि यह सभा के किसी वर्ग को बुरा लगता है तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालने का आदेश देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: मेरा कहना है कि उनका आशय सही नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है।...*(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय: यह उनके लिए असुविधाकारी नहीं है। मैंने इस उद्देश्य से इसे कार्यवाही वृत्तांत से नहीं निकाला है। यह अनावश्यक है और हम प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री इकबाल अहमद सरडगी: डिबेट में हिस्सा लेते हुए किरीट सोमैया जी ने एक बात कही कि 1955 से आज तक करीब पचास साल में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और उनके अनुसार यह बदलाव भी होना चाहिए तथा प्रेस को इंडियन मोनोपली से निकाल कर विदेशी मोनोपली को देना चाहिए। यह बात उन्होंने दूसरे ढंग से कही, इस पर मुझे एतराज है। 1955 में जो निर्णय लिया गया, वह देश के हित में और देशभक्ति के लिए किया गया था। 1955 से पहले, 1947 में और आजादी के पहले जो इंडिया में प्रेस था, अगर वह नहीं होता, तो अंग्रेजों के खिलाफ हम वह वातावरण नहीं बना सकते थे, जो देशभक्ति के गीतों और जज्बातों के जरिए बना था। वह जज्बात हमारा इंडियन प्रेस ही दे सकता है, फारेन डोमिनेटेड प्रेस नहीं दे सकता, क्योंकि यह कोई कामर्स नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस नहीं है। यह प्रेस हमारी सोसाइटी के पल्सेज की तर्जुमानी करता है। हमारी इंडियन सोसाइटी का यह एक युनिक फीचर है, जिसमें कोई सेक्शन हैं, कई कल्चर हैं, कई मजहब हैं, कई भाषाएं हैं, कई प्रोविंसेज हैं, गरीब हैं, अमीर हैं। यह जो पल्स है, इसकी जांच के लिए मैं समझता हूं फारेन डोमिनेटेड प्रेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकती।

मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह निर्णय 1955 में रिजेक्ट होने के बाद 50 साल तक क्यों नहीं उठा? अगर अब उठा तो संसद की स्थाई समिति ने इस बात का निर्णय लिया, बहुमत से इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारे देश की कई एजेंसीज ने, जैसे लीडिंग एडीटर्स आफ दि कंट्री ने सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की अपील की है।

[अनुवाद]

"भारतीय महिला प्रेस समूह द्वारा आयोजित आम बहस में इस कदम का विरोध किया गया था और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परम्पराओं के दृष्टिगत सरकार से इस मुद्दे की पुन: समीक्षा करने का प्रयास जारी रखेगा। उनके मुताबिक, मीडिया क्षेत्र में निवेश करने वाले लोग केवल लाभ के उद्देश्य से ही नहीं बल्कि अन्य सहवर्ती (कोलैटरल) हितों की वजह से निवेश करते हैं जो राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हो सकते है।

[हिन्दी]

हमारा मुल्क कई क्राइसेज से आज गुजर रहा है। यहां आतंकवाद पनप रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की हमारे देश पर निगाहें हैं। हमें डर है कि यह एप्रिहेंशन है कि हमारे सीक्रेट्स को लीकआउट किया जाए। जब कोई विदेशी फोटोग्राफर ताजमहल देखने हमारे देश में आता है तो वह ताजमहल की फोटो बाद में लेता है, पहले वहां बैठे हुए भिखारी की फोटो लेता है। वह दुनिया को बताना चाहता है कि हिन्दुस्तान में कितनी गुरबत है। अगर किसी विदेशी फोटोग्राफर की ऐसी इंटेंशन हो तो यहां के समाज की, यहां के कल्चर की और यहां के प्राब्लम्स की वह कैसी तस्वीर पेश करेगा, यह हम समझ सकते हैं। इसलिए हमें इसमें शंका है और विदेशी निवेश इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अभी आठ सदस्यों को बोलना है। अभी 6 बजकर 5 मिनट हुए हैं। मैं प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री इकबाल अहमद सरडगी: मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दूसरा नम्बर था। इसलिए मैं चाहता हूं कि लेजिस्लेशन के जरिए, डिसकशन के जरिए इस पर विचार किया जाए और जल्दी में इसको अभी लागू नहीं किया जाए। देश के हित में इस बात को सोचकर आगे बढ़ाना चाहिए। जो फारेन इंवैस्टर्स को आपने हमारे देश के प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत तक विदेशी निवेश करने की इजाजत दी है, मैं उसका विरोध करता हूं और सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूं।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सभापति महोदय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी के बाद प्रिंट मीडिया विदेशी पूंजी के लिए खोल दिया गया है। अब इसमें 26 प्रतिशत तक विदेशी पूंजी

[श्री सुरेश रामराव जाधव]

का निवेश करने की सरकार ने इजाजत दे दी है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है, वह सही कदम नहीं है। क्यों? यह जमाना ग्लोबलाइजेशन का है, हम समझते हैं और मानते हैं, लेकिन हम देशी को जितना बचा सकते हैं, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अखबार कोई व्यापार का उद्यम नहीं है, जनता की आस्था का प्रतीक है और लाखों-करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इसमें यदि विदेशी पूंजी का हस्तक्षेप हो जाए, तो क्या स्थिति होगी, यह भविष्यकार को बोलने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही समझ लेंगे।

ऐसी स्थिति में प्रिन्ट मीडिया हमारे जनतन्त्र का चौथा आधार स्तम्भ है। हिन्दुस्तान दुनिया में एक बड़ा जनतंत्र है और उसको बेचने के लिए तथा आगे बढ़ाने के लिए प्रिन्ट मीडिया को हम जनतन्त्र का चौथा स्तम्भ मानते हैं। इसमें विदेश का हस्तक्षेप कितना सही है, यह मैं बताना चाहता हूं। विदेशी लोग इसमें आयेंगे, लेकिन उनको हमारी डैमोक्रेसी से कोई लेना-देना नहीं है। हमारे नेता, सम्माननीय व आदरणीय बालासाहिब ठाकरे जी ने खुला विरोध किया है और कहा है कि प्रिन्ट मीडिया जो हमारे जनतंत्र का चौथा स्तम्भ है, उसने स्वतन्त्रता की लड़ाई में एक अहम भूमिका अदा की है। प्रिन्ट मीडिया ने आजादी की लड़ाई में आजादी हासिल करने के लिए काफी योगदान दिया है, उसमें विदेशी हस्तक्षेप लेना कितनी सही है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

अखबारों में 26 प्रतिशत विदेशी पूंजी लगा सकते हैं, ऐसा निर्णय कैबिनेट को जल्दबाजी में लेने की क्या जरूरत थी? मैं सरकार पर टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इससे जो असर होगा, उससे मैं सरकार को सजग करना चाहता हूं। संसदीय समिति ने भी इसकी अनुमति नहीं दी है। संसदीय समिति ने भी इसको मन्जूर नहीं किया है, नामन्जूर किया है, इसके बावजूद भी निर्णय लिया गया है। इंडिया न्यूज पेपर सोसायटी ने भी कहा है कि इस फैसले से हमारी सार्वभौमिकता पर कितना असर होगा, यह भी सोचने की जरूरत है। हमारे देश में रोजाना सोलह से अठारह करोड़ लोग, जो छोटे-छोटे देहातों में काश्तकार है, किसान हैं, अखबार पढ़ते हैं। सुबह जब हम उठते हैं, तो चाय लेने से पहले और दांत साफ करने से पहले अखबार पढ़ते हैं और फिर चाय पीते हैं। अखबारों का इतना महत्व है। हमारे छोटे-छोटे अखबार वाले हैं। हर रोज 18 करोड़ जनता अखबार पढ़ती है। इंडिया का प्रिंट मीडिया एक सक्षम मीडिया है। हमारे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग अखबार पढ़ते हैं।

महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि हमारे देश भारत के हितों की रक्षा विदेशी मीडिया नहीं कर सकता। विदेश के लोग हमारे यहां की संस्कृति और सभ्यता को नहीं जानते। यहां की मिट्टी, खून और पानी, राम-रहीम और कृष्ण को, वे नहीं जानते। प्रिंट मीडिया के माध्यम से विदेशी लोग आ गए तो हमारे हिन्दुस्तान का हित कैसे होगा, यह हम सरकार से जानना चाहते हैं। हमारे छोटे-छोटे अखबार हैं - साप्ताहिक एवं पाक्षिक, इनकी रक्षा हम कैसे कर पाएंगे। यह भी हमारे सामने एक प्रश्न-चिह्न है।

महोदय, अभी हमारे बहुत से पहले के वक्ताओं ने बोला। अमेरिका दुनिया में सबसे ताकतवर देश है, वहां भी यह परमिशन नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि अमेरिका जो कहे, वही हम करे। मेरा यह कहना है कि अमेरिका इतना बड़ा देश है वहां भी इसकी परमिशन नहीं है तो हमारे देश में इतनी जल्दबाजी में इस परमिशन को देने की क्या जरूरत है। 1955 का जो केबिनेट का डिसीजन है, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले वे लोग थे, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों में ज्यादातर लोग लोक सभा के, इस हाउस के थे। इसलिए 1955 में जो डिसीजन लिया, उसमें हमारी प्रिंट मीडिया का योगदान आजादी में कितना था, उसे भी ध्यान में रखना हमारे देश और हमारे हित में होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही जानना चाहता हूं, एक-दो बिन्दुओं पर सरकार से जानकारी लेना चाहता हूं। अगर प्रिंट मीडिया में, सभी जगह इनवेस्टमेंट होने वाला है तो हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय पहचान ये लोग कैसे करेंगे, जो विदेश से आने वाले लोग हैं। हमारे देश की प्रैस की स्वतंत्रता कितनी सुरक्षित रहेगी, यह हमारे सामने एक प्रश्न-चिह्न है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। हमारे ख्याल में इसमें विदेशी पूंजी लगना खतरे की घंटी है। हमारे देश की जनता की स्वतंत्रता और आजादी तथा हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारा प्रिंट मीडिया सक्षम है। यह हमारा, तुम्हारा और सब का है और जो हमारा है, वह हमारा ही रहेगा, इसमें विदेशी दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। इतनी प्रार्थना करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे जरूरी काम से कहीं जाना था। मैं तज्जुसस में था कि आज इस चर्चा में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा या नहीं लेकिन मेरी जिम्मेदारी और इस एहसास ने कि धरती का जो फर्ज है, उसने मुझे मजबूर किया कि इसमें पार्टिसिपेट करूं।

मैं नहीं जानता कि कैबिनेट ने किन मजबूरियों के तहत 26 परसैंट फारेन इनवैस्टमैंट प्रिन्ट मीडिया में देने की बात स्वीकार की। यह बहस आपोजिशन और रूलिंग पार्टी की नहीं है। बदकिस्मती यह है कि जब कोई बहस होती है तो वह आपोजिशन और

रूलिंग पार्टी की बन जाती है और हम आंखें बंद करके समर्थन करने लगते हैं या मुखालफत करने लगते हैं लेकिन यह बहस ऐसी है जिससे पूरे देश का लोकतंत्र जुड़ा है। आज से डेढ़ सौ साल पहले इसी धरती पर ईस्ट इंडिया कम्पनी आई। उसे बुलाया नहीं गया था। उसने मुगल बादशाह से दरख्वास्त की थी कि हम आना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं। वह ऐसा इसलिए करना चाहते थे कि शायद उस समय देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आज फिर मौजूदा सरकार ने प्रिन्ट मीडिया में 26 परसैंट डायरैक्ट इनवैस्टमैंट की इजाजत दी। जहां तक न्यूज का ताल्लुक है इंटरनेट के बाद इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रह जाती है। अमेरिका, इंग्लैंड, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसके जरिए सारी दुनिया को पता चल जाता है। मैं जानता हूं कि सुषमा जी इस बहस के जवाब में कहेंगी कि मैनेजमैंट और एडिटोरियल हिन्दुस्तान के हाथ में रहेंगे। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि आप कहेंगी कि 3/4 डायरैक्टर्स इंडियन होंगे इसलिए वह पूरी तरह डामिनेट करेंगे, एक सिंगल इंडियन 26 परसैंट से ज्यादा शेयर होल्डिंग करेगा और आईबी मिनिस्ट्री केस टू केस इजाजत देगी कि किस को इजाजत देनी है, किस को नहीं देनी है। मैं मानता हूं कि आपने ये प्रीकाशन्स लिए हैं लेकिन इन सब के बाद यह मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है उसे देखना चाहिए। पाकिस्तान रोज कश्मीर में बैठा रहता है। अमेरिका का दखल रोज हमारे मुल्क में रहता है। पिछले ढाई साल से लगातार हम सब मिल कर इससे जूझ रहे हैं कि हम इसका मुकाबला कैसे करें। देश को तोड़ने में बाहर की ताकतें लगी हैं। इन तमाम हालात के बाद आप इजाजत दे रहे हैं कि 26 परसैंट बाहर का पैसा लाने की इजाजत दे रहे हैं। इस मुल्क में इंडस्ट्री है, दूसरी चीजें हैं। आप उनके अन्दर इजाजत दीजिए। मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ कि आपकी इस बात की सीधी मुखालफत करूं। उर्दू में एक लफ्ज है तनकीद और तनकीस। तनकीस का मतलब है हैल्दी क्रिटिसिज्म और तनकीद का मतलब है मुखालफत करना है। मैं आपकी तनकीस नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी तनकीद कर रहा हूं और देश के हित के बारे में बात करना चाहता हूं और उस समय कर रहा हूं जब 70 परसैंट मीडिया आपके खिलाफ है। मेरे मित्र ने कहा कि 70 परसैंट मीडिया आपको सपोर्ट कर रहा है। मेरे पास डेटा मौजूद है। आउट आफ 50 मेजर न्यूज पेपर्स में से 34 न्यूज पेपर्स ने इसकी मुखालफत की है और कहा है कि यह खतरनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वही 34 अखबार हैं जिनके करीब 13 करोड़ देश में पढ़ने वाले लोग हैं। पिछले दो साल में 20 परसैंट अखबार पढ़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है। टीवी और इलैक्ट्रानिक मीडिया के बाद अखबार पढ़ने वाले लोगों की कमी नहीं हुई है। उनकी संख्या पिछले दो साल में 20 परसैंट बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। टीवी और इलैक्ट्रानिक मीडिया बड़े-बड़े शहरों में हो सकता है लेकिन गांवों और कस्बों में अभी भी छोटे-छोटे अखबार हैं। मैं जो डेटा दे रहा हूं वह बड़े अखबारों का दे रहा हूं। इसमें छोटे अखबार शामिल नहीं हैं। अगर उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान का हर पांचवां आदमी अखबारात से मुताल्लिक है, अखबार पढ़ता है। 26 परसेन्ट हम बाहरी लोगों को देंगे। हिन्दुस्तान के अंदर आप देख रहे हैं फारेन ताकतें हममें से कितने लोगों को खरीद लेती हैं। मीडिया जैसे सैन्सिटिव मामले में आप यकीन मानिये कि अगर आप इसमें 26 परसेन्ट देंगे तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इस पर आपको रीथिंक करना चाहिए। कैबिनेट को इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। अगर फारेन ताकतें यहां आ गई और 26 परसेन्ट पैसा आपने फारेन ताकतों का यहां लगा दिया तो आप यकीन मानिये कि हिन्दुस्तान की राजनीति पर इसका बहुत भारी असर पड़ेगा। मैं पिछले 10-15 सालों से देख रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी और श्री वी.पी. सिंह ने बोफोर्स का मुद्दा उठाया था, हिन्दुस्तान का 99 प्रतिशत मीडिया श्री वी.पी. सिंह को उठाये घूमता था और मीडिया ने ही श्री वी.पी. सिंह को देश का प्रधान मंत्री बना दिया था। आप पिछले 20 सालों का अनलैसिस कीजिए कि मीडिया ने हिन्दुस्तान की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। जिसे चाहता है बना देता है और जिसे चाहता है बिगाड़ देता है। यह बात मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। यह इस मुल्क की बदकिस्मती है। मैं सारे मीडिया को नहीं कहता, लेकिन मीडिया के एक हिस्से को जरूर कहता हूं कि तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज और पोलिटीकल लोगों की इज्जत खराब करने में मीडिया का एक हिस्सा लगा रहता है। आज अगर आम आदमी के बीच में कोई एम.पी. या एम.एल.ए. कुर्ता-पायजामा पहन कर चला जाता है तो लोग यह समझते हैं कि अगर यह पार्लियामेन्ट का मैम्बर है तो इसके पास क्रिमिनल जरूर होंगे। इसके पास ब्लैक मनी जरूर होगा। यह यकीनन गलत काम करता होगा। यह दुनिया के बदमाशों को पनाह देता होगा। यह इमेज पोलिटीकल लोगों की इस देश में बना दी गई है। इस संसद के अंदर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि 15-20 परसेन्ट ऐसे हो सकते हैं। लेकिन यहां उन पोलिटीकल लोगों की मैज्योरिटी ज्यादा है जो नीचे से मेहनत करके, कोशिश करके आये हैं। पोलीटिक्स से मुश्किल काम दूसरा नहीं है। आम आदमी की कितनी डिमांड्स है। कितनी मुश्किल से आदमी पार्लियामेंट में आता है। कितनी मुश्किल से असैम्बली में जाता है। अपने कैरेक्टर को बचाकर लोगों को सैटिस्फाई करना आसान काम नहीं होता है। लेकिन इस मुल्क के अंदर पिछले पचास सालों में फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर, मैं सारे मीडिया को नहीं कहता, लेकिन मीडिया के एक हिस्से ने पोलिटीकल लोगों की इमेज खराब करने का काम किया है। अगर देश में

[श्री राशिद अलवी]

पोलिटीकल आदमी की इमेज खराब होगी तो हिन्दुस्तान की जम्हूरियत की इमेज खराब होगी, हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी की इमेज खराब होगी, अगर देश में फारेन मीडिया, फारेन ताकतें आई। मुझे नहीं लगता हिन्दुस्तान में सही लोगों को हाथों में देश का इक्तदारा है। जिसे चाहेंगे ऊपर उठायेंगे, जिसे चाहेंगे घटायेंगे। इस पर मैं सरकार से बड़े अदब से दरख्वास्त करूंगा।

सभापति महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि इतनी महत्वपूर्ण बहस के अंदर इस हाउस में कोरम भी पूरी नहीं है और हम लोग बहस कर रहे हैं। जब कि यह ऐसी बहस है जिस बहस से पूरा देश जुड़ा हुआ है, देश की जम्हूरियत जुड़ी हुई है, देश का आम आदमी जुड़ा हुआ है। मैं आपसे बड़े अदब से दरख्वास्त करूंगा कि इसमें एडामैन्ट होने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई ईगो बनाने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने तय किया है या कैबिनेट ने फैसला किया है तो हम इसे जरूर करेंगे। वे तमाम लोग जो सरकार के हिस्सेदार हैं, वे भी इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर इसे कांग्रेस क्रिटिसाइज कर रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस इसकी मुखालिफत कर रही है इसलिए हमें इसे जरूर करना है। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि सुषमा जी इस मामले पर आप दोबारा गौर कीजिए। आप ठंडे दिल और दिमाग से इस पर गौर कीजिए और फिर फैसला कीजिए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी राय है कि इसे कैबिनेट को रीथिंक करने के लिए वापस करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बात मानी जायेगी या नहीं मानी जायेगी। मैं इस शेर के साथ सुषमा जी इजाजत चाहूंगा।

अंदाजे बयां गरचे बहुत शोख नहीं है,

मुमकिन है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, डब्ल्यू.टी.ओ. को बचाने के लिए उधर से तर्क दिया जाता था कि बड़ी बाध्यता है। डब्ल्यू.टी.ओ. नैसेसरी ईविल है। कहने का मतलब उसके बिना कोई उपाय नहीं है, लाचारी, खराबी भी स्वीकार करती है। एफ.डी.आई. इन प्रिंट मीडिया, इसमें इनकी कौन सी बाध्यता है कि ये जनद्रोही काम करने के लिए तैयार हैं। इसमें संसद की घोर अवमानना है, जो उन्होंने एफ.डी.आई. का निर्णय लिया है। संसद की स्थायी समिति ने मार्च में प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन में अनुशंसा की कि एफ.डी.आई. को प्रिंट मीडिया में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कौल एंड शकधर प्रक्रिया में लिखते हैं कि 'आम तौर से सरकार अनुशंसाओं को लागू करेगी, मान लेगी, उनको कोई उज्र होगा तो भी आकर उनको बताएंगे और यदि समिति सहमत हो जाए तो ठीक, यदि सहमत नहीं हो तो दोनों के बीच मतभेद होने से यह मामला आसन को रेफर होगा और अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

यह नियम कहता है, यह परिपाटी है लेकिन उस स्थायी समिति की अनुशंसा का अनादर इन्होंने किया है, उसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया है। संसद की समिति की मर्यादा का इन्होंने हनन किया है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या लाचारी है इनकी और ये क्यों चाहते हैं कि विदेशों का पैसा अखबारों में लगाया जाए।

महोदय, आजादी की लड़ाई हो रही थी तो महात्मा गांधी जी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसमें कहा गया था कि तलवार के जवाब में अखबार निकालो। तलवार से भी ज्यादा ताकत अखबार में लोगों ने मानी थी। हमारे पुरखों ने इस बात को कुबूल किया था। उसमें भी आप विदेशियों का पैसा लगाना चाहते हैं! अखबार और पत्रकारिता हिन्दुस्तान से शुरू हुई। नारद जी थे, उस समय वे चीफ आफ ब्यूरो रह होंगे। दुनिया में उन्होंने प्रचार किया। उस समय से आते-आते अभी तक हम यहां तक पहुंचे हैं और ओपीनियन बनाने का काम पत्र-पत्रिकाओं से होता है। इसलिए इसको आजाद रहना चाहिए, आत्मनिर्भर रहना चाहिए, देश का अपना रहना चाहिए। विदेशों से पैसा क्यों लाना चाहते हैं?

महोदय, गोपाल सिंह नेपाली नाम के एक कवि हुए थे। उन्होंने कहा था कि:-

''मेरा धन है स्वाधीन कलम।
लिखता हूं अपनी मर्जी से, बचता हूं कैंची दरजी से।
आदत न रही मुझे लिखने की, निंदा बंधन खुदगर्जी से।
कोई छेड़े तो तन जाती बन जाती है संगीन कलम,
मेरा धन है स्वाधीन कलम।
औरों की चिलम चलती जैसी, फैलाएं धुआं भरम जैसी।
पर मेरे पास कलम वैसी, उड़ने को नभ में उड़ जाए,
पर छोड़े नहीं जमीन कलम।
मेरा धन है स्वाधीन कलम।
मैं भी लहरों में बह लेता, तो मैं भी सत्ता गह लेता।
ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता।
राजा सिंहासन पर बैठा, सब ताजों पर आसीन कलम,
मेरा धन है स्वाधीन कलम।''

इसीलिए इसको आजाद रहना चाहिए और विदेशी धन के फेर में नहीं रहना चाहिए। विदेश वाले यहां आएंगे तो लोग कहते हैं कि यह लाभकारी व्यापार नहीं है। वह क्या परोपकार करने के लिए आएंगे या अपनी आमदनी बढ़ाने और अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए आएंगे?

महाभारत की कथा लोग जानते हैं। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष जब बाण-शैया पर लेटे थे तो अपने ज्ञान-वचन उन्होंने शुरू किये। द्रौपदी उनका भाषण सुनकर हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने पूछा क्यों हंसती हो बेटी? द्रौपदी ने कहा कि जिस दिन भरी सभा में मेरा चीर-हरण हो रहा था, उस दिन आपका ज्ञान कहां चला गया था और आज आप ज्ञान और उपदेश बांट रहे हैं! भीष्म पितामह ने कहा कि उस दिन मैं दुर्योधन का अनाज खाता था, इसीलिए मेरा खून गंदा हो गया था, ज्ञान भ्रष्ट हो गया था और अब बाण-शैया पर लेटा हूं तो गंदा रक्त निकल गया है और शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है, इसलिए हम ज्ञान, आदर्श और ऊंचाई का प्रवचन कर रहे हैं और भाषण कर रहे हैं।

जब भीष्म पितामह जैसे महापुरुष का ज्ञान दुर्योधन का अनाज खाने से भ्रष्ट हो गया तो विदेशों का पैसा लाकर हम अखबारों में इनवैस्ट करेंगे तो अखबारों की आजादी खत्म हो जाएगी। जब भीष्म पितामह अपने को नहीं बचा सके तो अखबार कैसे अपने को बचाएंगे? मगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और जनमत का भी अनादर कर रही है। एन.डी.ए. के सहयोगी दल शिवसेना और टीडीपी के लोग भी इसके खिलाफ हैं और गृह मंत्रालय ने भी इसके खिलाफ रिपोर्ट दी है। देश की आंतरिक सुरक्षा सर्वोपरि है या नहीं?

गृह विभाग ने आशंका जाहिर की है, रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रिंट मीडिया में फारेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट होने से आन्तरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जब ऐसा है, तो फिर यह सरकार क्यों देश की आन्तरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए तैयार है? इनकी पार्टी के कई लोगों की राय भी यह है कि सीधा विदेशी निवेश प्रिंट मीडिया में नहीं होना चाहिए। श्री शरद पवार जी ने सही कहा कि आई.एन.एस. और प्रैस कौंसिल के दो-चार आदमियों को पटा लिया, कुछ अखबारों के एडीटरों को पटा लिया और उनसे इसके फेवर में बयान दिला दिए, लेकिन देश के बहुसंख्यक लोग इसके खिलाफ हैं। यदि आप वोट कराएंगे तो आप हार जाएंगे। टी.डी.पी., शिव सेना, डी.एम.के. आदि के सब लोग हमारे साथ हैं और पूरा विपक्ष इस बारे में एकजुट है। सब लोग हमारे साथ हैं, इनको पता लग जाएगा। इन्होंने बहुमत की अनदेखी की है।

सभापति महोदय, इन्होंने संसदीय समिति की सिफारिश की भी अनदेखी की है। उसने भी सिफारिश की है कि प्रिंट मीडिया में डायरैक्ट इनवैस्टमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं सरकार इन सारी चीजों की अनदेखी कर के प्रिंट मीडिया में डायरैक्ट इनवैस्टमेंट की अनुमति देने हेतु यह बिल क्यों लाई है। वह भी डायरैक्ट इनवैस्टमेंट, घुमा फिरा कर नहीं। इसमें 26 प्रतिशत हिस्से की बात से हमें कनफ्यूजन हो रहा था क्योंकि पता नहीं लग रहा था कि एक चौथाई हो या आधा हो, लेकिन शरद पवार जी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि 24 या 25 प्रतिशत हिस्सा होगा तो कुछ कमी रह जाएगी और कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन यदि 26 प्रतिशत हिस्सा हो जाएगा, तो किसी न किसी उपाय से, जो वह चाहेंगे वह करा लेंगे। इसलिए प्रिंट मीडिया में डायरैक्ट फारेन इनवैस्टमेंट होने से देश को खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

हमारे देश में, लोक तंत्र में, मीडिया को, प्रैस को चौथा खम्भा माना गया है। उसमें सीधे विदेशी पूंजी निवेश करने का मतलब होगा विदेशियों को देश के अंदर लाना और उनको हमारी संस्कृति पर प्रहार करने का अवसर देना। उससे हमारी संस्कृति को खतरा उत्पन्न होगा। यह एंटी-नैशनल काम सरकार क्यों कर रही है। इसके पीछे क्या तर्क है, इसे क्यों लाया जा रहा है, क्या बाध्यता है। तमाम चीजों का उल्लंघन कर के फैसला ले लिया गया। आपने एन.डी.ए. से भी विचार-विमर्श नहीं किया, फिर यह मंत्रिमंडल में कैसे पास हो गया, यह समझ में नहीं आया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, आप 10 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सब कानूनों को ताक पर रखकर, बिना किसी सलाह के इस विधेयक को लाया गया है, यह ठीक नहीं है। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को वापस लीजिए और अखबारों में विदेशी घुसपैठ को बन्द कीजिए। हम लोग और हमारा देश घुसपैठ से पहले ही तबाह है और इस विधेयक के जरिये हम अपने देश में पूंजीवादी घुसपैठियों को ला रहे हैं। इससे देश तबाह हो जाएगा।

सभापति महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हम कंसैंसस से, आम सहमति से राज चलाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिंट मीडिया में डायरैक्ट इनवैस्टमेंट के फैसले पर आम सहमति नहीं ली गई क्योंकि संसदीय समिति की रिपोर्ट आपके फैसले के विपरीत है, देश का जनमानस इसके विपरीत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको तत्काल वापस लिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): सभापति महोदय, वस्तुत: छह वक्ता थे परन्तु दो वक्ता उपस्थित नहीं हैं। इसलिए मैं उनका समय भी लूंगा, मुझे इसकी अनुमति दें।

सभापति महोदय: हालांकि समय इस प्रकार नहीं बदला जा सकता फिर भी मैं आपको 10 मिनट का समय देता हूं।

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़: आनरेबल चेयरमैन साहब, बेगम नूरबानो साहिबा की तरफ से जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और जिसको बाद में नियम 193 के अधीन लाया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार का प्रोग्राम प्रिंट मीडिया में सीधे विदेशी निवेश यानी डायरैक्ट इनवैस्टमेंट करने का है, मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दो तीन मुद्दे आज की बहस में सामने आये हैं। मुझे इस बात की खुशी है, जैसे श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने इस मुद्दे पर कोई कन्सेंसस नहीं लिया, उसी तरह से आज लोक सभा में नैशनल डेमोक्रेटिक एलायंस के सदस्य जो सरकार को समर्थन देने वाले हैं, उनमें भी जीवित और जिंदा लोगों ने इसका विरोध किया। वैसे इस पर बहुत चर्चा हुई है। आर.एस.एस. की तरफ से इसका विरोध हुआ है। स्वदेशी मंच की तरफ से भी इसका विरोध हुआ है। श्री बाल ठाकरे जी की तरफ से भी विरोध हुआ है। कई जीवित लोगों ने जिनको इस देश की चिंता है, उन्होंने इसका विरोध किया। वैसे जिस क्षेत्र से हमारी सतकारत बहन आती है, उस क्षेत्र से मैं आता हूं। मुझे इस बात का अफसोस है कि इनकी पार्टी के दो लोगों ने इस मुद्दे को लेकर हमारे लीडर पर प्रहार किया। लेकिन जैसे किसी उर्दू के शायर का कथन है कि:-

जिसको सूली पर लटकते तुमने देखा होगा,
वक्त आयोगा, वही शख्स मसीहा होगा।

जिनके खिलाफ फारनेर-फारनेर की बात श्री वी.पी. सिंह जी ने कही। मैं आपको वही वक्त याद दिलाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप यह कह चुके हैं और यह रिकार्ड में है। फिर आप इसे पुन: क्यों उठाना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़: आप जब बेल्लारी में श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ी थीं तब इस विदेशी मुद्दे का बहुत जिक्र हुआ था। चेयरमैन के हुक्म के अनुसार मैं इसको आगे नहीं ले जाना चाहता। सही मायनों में समाचार पत्र और पत्रिकाएं ही इस देश में बहने वाला रक्त है जिसके जरिये इस देश को आजादी मिली है। मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि मैं अगली पीढ़ी में आपकी तरह अपने बच्चों को देखता हूं। बेशक बड़ा इलैक्ट्रानिक मीडिया आ गया है। टी.वी. पर चर्चाएं होती हैं लेकिन पढ़ने का मय्यार दिन-ब-दिन गिरा है।

मैं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की उस कलम को इस सदन में प्रणाम करता हूं। उन तमाम पत्रिकाओं को प्रमाण करता हूं जिन्होंने सैंकड़ों बरस तक अपनी कलम से इस देश की आस्था और संस्कृति को कायम रखा। वे मुझे इस मौके पर याद आते हैं। लाहौर की सैंट्रल जेल में इन्हीं पत्रकारों के जो छोटे अखबार और पत्रकार थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इस देश में 50 हजार न्यूजपेपर्स अपनी रोजी रोटी इसी कलम के द्वारा ही चलाते हैं। 1925 में सैंट्रल जेल में कुछ कागज बांटे गये थे। उन कागजों में देश के बहुत बड़े महाकवि श्री माखन लाल चतुर्वेदी की नज्मों का जिक्र था। वे नज्में मध्य प्रदेश के बिलासपुर की जेल में लिखी गई थी। जब शहीदे आजम भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर लटकाया गया तब ये नज्में रोज शाम को जेल में पढ़ी जाती थी। प्रिंट मीडिया का, अखबार के एडीटोरियल का, अखबार में आती हुए नज्मों का, अखबार में लिखी हुई कलम का जो खूने दिल में डुबो पर लिखी जाती थी, उनका कितना असर होता है, यह देखिये। रघुवंश जी इसी शायर श्री माखल लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि

"चाह नहीं सुरबाला के केशों में गूंथा जाऊं
चाह नहीं सम्राटों के शव पर डाला जाऊं
चाह नहीं देवों के सर चढ़ूं, अपने भाग्य पर इठलाऊं"

दो लाइनें आगे इन्होंने लिखी हैं जो जेलों में बांटी जाती थी

"मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक"।

उन नज्मों और लिखतों के जरिये इतना बड़ा इंकलाब इस देश की संस्कृति लेकर आई। मुझे अफसोस है कि इस मुद्दे को जिस तरीके से हमारी सतकारत बहन ने पढ़ा और एक मुद्दा बना लिया कि हम 26 परसेंट सीधा विदेशी निवेश लेकर आयेंगे। उनके जो

क्रिडैंशल्स हैं और देश की राजनीति में उनका जो फ्यूचर है, मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि सारी जिन्दगी उनके ऊपर यह इल्जाम रहेगा कि 50,000 उन छोटे अखबारों का गला घोंटने के लिए इस देश की राजनीति में, देश के लोकतंत्र, में जो घुसपैठ की गई, महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री पांडियन जो अभी पीठासीन हुए हैं, ने कहा है। जब ये बोल रहे थे, इन्होंने बुनियादी मुद्दा उठाया और मुझे इस बात का फर्ख है जो उन्होंने कही कि जो बेसिक मौलिक अधिकार हैं, इस सीधे विदेशी निवेश से उन मौलिक अधिकारों का हनन होगा और इस बात का ध्यान इस मुद्दे के ऊपर नहीं रखा गया।

मेरे तीन मित्रों में से बहुत परम मित्र श्री स्वेन जी हैं। वे डेटिंग का जिक्र कर रहे थे।

सायं 6.42 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

क्या आप नहीं जानते, कोई अखबार उठा लें, उसमें फ्रैंडशिप, काल्स का जिक्र नहीं होता? क्या विदेशी पैसा आने से, अखबारों के जरिए ज्यादा ऐडवर्टाइजमेंट के मुद्दे उठेंगे? मैं इस बात के लिए आपको कंट्राडिक्ट करना चाहता हूं कि आज मल्टी नेशनल कम्पनीज के जो इश्तहार इस देश के अखबारों को मिल रहे हैं, यह 26 प्रतिशत जो सीधा विदेशी निवेश होगा, उससे यह सारी ऐडवर्टाइजमेंट बेसिकली उन फारेन अखबारों के बहुत बड़े लोगों के पास चली जाएगी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके आगे मेरे एक और मित्र सोमैया जी बोल रहे थे। उन्होंने एक बात कही। मैं उस बात की डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन जिस शौक से वे फारनर्स की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जिन कलम के महरों ने ये गीत लिखे थे - मेरा रंग दे बसंती चोला, आज हो रहा है मेरा रंग दे फिरंगी चोला, भाजपा की तरफ से जिसका विरोध आर.एस.एस. ने किया, जिसका विरोध सुदर्शन जी ने किया, जिसका विरोध एन.डी.ए. के पार्टनर्स ने किया, जिसका विरोध ठाकरे जी ने किया, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य साथी औपोजीशन्स ने किया है, उसको लेकर मैं यह महसूस करता हूं कि हम इस देश के खिलाफ बहुत भारी साजिश में फस रहे हैं।

मुझे ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, वैसे हमारी पार्टी के दो साथी नहीं बोले हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे केवल दो मिनट और चाहूंगा। मंत्री महोदय जी, मुझे लगता है कि पैसे की बात कम है और इंटैलीजैंस के जरिए इस देश की सैंसीटिव पोलीटिक्स, जिसको गुजरात में देखा गया, जम्मू कश्मीर में देखा गया, सारी इंटैलीजैंस इस प्रिंट मीडिया के जरिए इस देश में इस बात के खुलने से आ जाएगी और जहां सारे देश की प्रेरणा के बावजूद डेढ़ महीने लगातार कत्ले आम चलता रहा, अगर बाहर की प्रैस के ऐडीटोरियल्स इसको बांटने के लिए लग जाएंगे तो उसका असर हमारे देश के जनसाधारण लोगों पर क्या होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा।

श्री मितशे जर्मन फिलास्फर हुए हैं। उनके बारे में सब लोगों ने पढ़ा है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी—

[अनुवाद]

ईश्वर मर चुका है और हमने उसे मारा है।

[हिन्दी]

मूलत:, स्टेट के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, इस देश के लोग इसे माफ नहीं करेंगे और हमें इसके लिए पछतावा करना पड़ेगा।

पाकिस्तान की जेलों में रहे फैज़ अहमज फैज़ साहब का चार लाइनों का शेर है, जिसमें जब उन्हें कागज नहीं दिया गया तो पाकिस्तान और देश के अवाम के ऊपर उसका असर हुआ, कलम में कितनी जान होती है, कहावत है कि कलम तलवार से अधिक ताकतवर होती है। उन्होंने लिखा है। मिंड-गुमरी जेल की उनकी नज्म है-

मता-ए-लोहे कलम छिन गई तो क्या गम है
कि खून-ए-दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने
जुबां पे मोहर लगी है तो क्या
रख दी है हरेक अल्का-ए-जंजीर पे जुबां मैंने।

मैं यह बात इसलिए अपनी बड़ी बहन से कहना चाहूंगा क्योंकि जो अवामी राजनीति से लोग आये हैं, मैं आपकी पृष्ठभूमि से परिचित हूं। आपने बहुत संघर्ष किया है, आपने सोशलिस्ट पैटर्न से अपनी राजनीति को आरम्भ किया है। यह बात कहना कि हम रिफोर्म्स का विरोध कर रहे हैं, आपकी सरकार ने यह किया, या ऐसा नरसिंह राव जी ने किया, कभी अगर किसी वक्त किसी मुद्दे पर कोई अच्छा ख्याल रखा या कोई बुरा ख्याल रखा तो इसको उसके साथ लिंक कर दिया जाये कि इस देश के तीन तख्ते जो हिल रहे हैं, अब चौथे तख्ते को हम उखाड़कर ले जायें, क्योंकि हमारे लोगों ने कभी इस बात को कहा था, लेकिन आज कांग्रेस का यह बहुत फर्म स्टेंड है और कांग्रेस प्रेसीडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी के आज जो अपने बयानात उनके सारे देश के प्रिंट मीडिया में छपे हैं, उन्होंने बहुत दृढ़ता और संकल्प के साथ इसका विरोध किया है कि यह देश के हित में नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा

[श्री जे.एस. बराड़]

समय न लेकर अपनी बहन और आनरेबिल मंत्री महोदय जी से यह कहूंगा कि मेरे ये शब्द चेतावनी ही वे समझें, क्योंकि मुझे इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि मैं उनको निजी तौर पर क्रिटीसाइज करना चाहता हूं, लेकिन देश की राजनीति में उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस पर काशन बरतकर इस मुद्दे को कंसेंसस के साथ लेना चाहिए।

मुझे दो पत्रों को पढ़कर बड़ी हैरानी हुई है। मैं एक मिनट और लूंगा। ये पत्र 102 और 106 सफे पर छपे हैं। मिनिस्ट्री आफ इन्फोंमेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग की जो रिपोर्ट है, उसमें एक पत्र तो नरेन्द्र मोहन जी का है। नरेन्द्र मोहन जी का जो पत्र है, वे शायद दूसरे हाउस के आनरेबिल मैम्बर हैं, मैं उनकी बात इस पत्र में समझ नहीं पाया कि वे कोई पर्सनलाइज्ड एजेण्डे का जिक्र उस पत्र में कर रहे हैं या कोई निजी स्वार्थ की बात कर रहे हैं। दो पत्रों का जिक्र यहां 106 शफे पर किया गया है। मंत्री महोदय जी, मुझे समझ में नहीं आया, शायद आप अपने जवाब में हमें इस बात को समझा पायें। यह पत्र सुषमा स्वराज जी को 24 मई को लिखा गया है और इस पर अरुण पुरी साहब, शेखर गुप्ता साहब, चन्दन मित्रा साहब और मि. मेनन के दस्तखत हैं। शायद जब हमने राजनीति शुरू की है तो ये पत्रकार अखबारों के साथ काम करते थे और मैं निजी तौर पर इनको जानता हूं। इन पत्रों से भी यह जाहिर होता है कि बहुत पर्सनलाइज्ड एजेण्डा 26 परसेंट सीधे विदेशी निवेश लाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसे रोका जाये और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में कंसेंसस करके आप इसको दोबारा देश के सामने रखें।

यही शब्द कहकर मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम 193 के अंतर्गत चल रही इस चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति प्रदान की।

जब आर्थिक उदारीकरण की नीति इस देश के अन्दर लागू की गई थी, उस समय भी यह आशंका व्यक्त की गई थी कि इस आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणाम इस देश के समक्ष उभरकर सामने आएंगे। इस आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणाम से जिस तरह से हम भयाक्रांत हैं, उसकी जीती-जागती मिसाल आज हम सभी लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रिंट मीडिया में जिस तरह से 26 प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित कर रही है, उसके इस आमंत्रण पर हमारे जैसे सदस्य के मन में कोई हैरानी की बात नहीं है। हैरानी मात्र इस बात की है कि हमारी बहन सुषमा स्वराज जी, जिन्होंने समाजवादी आन्दोलन के तहत अपनी राजनैतिक यात्रा शुरू की थी और अपने उन तेवरों से देश के जनमानस में नई उमंग पैदा करने का कार्य किया था, आज उन्होंने जिस तरह से इस विदेशी पूंजी निवेश का समर्थन किया है, उससे निश्चित तौर पर राजनीतिज्ञों की कथनी और करनी का जो अन्तर है, राजनीतिज्ञों का जो दोहरा चरित्र है, उस दोहरे चरित्र की तरफ एक बार फिर देश की जनता को सोचने के लिए विवश किया है। सुषमा स्वराज जी स्वदेशी जागरण मंच से भी स्वदेशी का राग अलापा करती थीं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनको सुनने और समझने का प्रयास किया है। उस समय वे स्वदेशी की सबसे ज्यादा पक्षधर रहीं। लेकिन आज विदेशी पूंजी निवेश को जिस तरह से प्रिंट मीडिया में आमंत्रित किया है, इसके निश्चित ही तौर पर देश की स्वतंत्रता के ऊपर एक बार फिर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।

हमारे देश के पुरखों ने, देश के लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने का काम किया था। जब भी हम इस तरह का निर्णय लेते हैं तो इस कार्यकलाप से निश्चित ही हमारे पुरखों की आत्मा कहीं न कहीं सिसक रही होगी, रो रही होगी। अभी हमारे भाई राशिद अल्वी साहब ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज हमारा मीडिया इतना सशक्त है कि वह जिसे चाहे सत्ता में बिठाने का कार्य करता है और जिसको चाहता है उसे सत्ता से हटा देने का भी कार्य करता है। मैं इसकी और स्पष्टता में जाना चाहता हूं। हमारे भारतीय मीडिया के पीछे जो पूंजीपतियों की ताकत है, वह ताकत जिसको चाहती है सत्ता में बिठा देती है और जिसे चाहती है उसे सत्ता से बाहर फेंकने का काम करती है। हमारे लेखकों की लेखनी को किस तरह से पूंजीपतियों के धन ने प्रभावित किया है, यह भी एक कड़वा सत्य है। लेकिन मैं बड़ी स्पष्टत: से कहना चाहता हूं कि यह सारी प्रतिस्पर्धा भारतीय परिवेश के अंदर थी। भारतीय पूंजीपति भारतीय परिवेश के अंदर इस प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। जब हम इसमें विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित करेंगे तो यह प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय जगत में चली जाएगी और उसके जो दुष्परिणाम आएंगे, तो निश्चित ही देश की अस्मिता पर एक प्रश्नवाचक चिह्न खड़ा हो जाएगा।

आज जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारी सीमा पर आतंकवाद के जरिए हमारे देश को युद्ध करने के मुहाने पर खड़ा करने का काम किया है, जिस तरह से अमेरिका के दबाव में हम बार-बार अपने कदमों को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, उससे हमने कोई सबक नहीं लिया है। प्रिंट मीडिया में विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित करके एक बार फिर इस बात का सबूत इस सरकार ने दिया है कि यह सरकार विदेशी ताकतों के हाथ में इस देश को सुपुर्द करने के लिए आमदा है। इसलिए मैं सुषमा जी से बड़ी विनम्रतापूर्वक विनती करते हुए कहना चाहता हूं कि अभी आपको

लम्बी राजनीतिक यात्रा तय करनी है। यह मंत्री पद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज के नाम पर इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। अगर देश को बचाना है, देश की स्वतंत्रता को कायम रखना है तो निश्चित तौर पर आपको इसका विरोध करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे विचार से प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवेश पर हो रही चर्चा हमारे देश के लिए नई नहीं हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने पहले ही 1955 में नेहरू जी के मंत्रिमंडल द्वारा पारित मंत्रिमडलीय संकल्प का यहां उल्लेख किया है। मंत्रीमंडल का यह संकल्प संरक्षणवाद और आर्थिक कारणों से प्रेरित नहीं था। बल्कि यह समझा गया कि समाचार पत्र देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंग हैं और इनको संरक्षण दिया जाना चाहिए।

महोदय, भारत में प्रेस और उद्योग के बीच बड़ा अंतर अत्यन्त स्पष्ट है और यह अब भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1955 में था। इस सम्मानीय सभा के अनेक माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि श्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान इस प्रकार के एक प्रस्ताव को ठुकराया गया था। किन्तु यह आश्चर्यजनक है कि वर्तमान सरकार विपक्ष के साथ सलाह किए बिना और राजग के घटक दलों के साथ भी सलाह किए बिना इस प्रकार का निर्णय ले रही है। राजग के कुछ घटक दलों द्वारा इस सम्मानीय सभा में व्यक्त किए गए विचारों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राजग के भीतर भी सलाह मशविरा नहीं होता है। अत: मेरे विचार से मंत्रीमंडल का उदारीकरण के नाम पर इस प्रकार का निर्णय राष्ट्रविरोधी कदम है।

इससे प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति मिली है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि विशेष प्रकाशनों के मामले में यह सीमा 74 प्रतिशत है। यह कदम संसद की स्थायी समिति के निर्णय का घोर उल्लंघन करके उठाया गया है।

मैंने समाचार पत्रों में यह भी पढ़ा है कि जब सूचना और प्रसारण मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज ने मंत्रीमंडल के निर्णय की घोषणा की तब उन्होंने दावा किया कि प्रबंधन और संपादकीय नियंत्रण के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय किए गए हैं। उन्होंने कई प्रावधानों के विषय में चर्चा की। यह हमारी समझ में नहीं आया। हमें यह यकीन करना होगा कि विदेशी निवेशक मात्र निवेश करेंगे और हम अपने तरीके से प्रिंटिंग मीडिया चलाएंगे। यह विश्वसनीय नहीं है। एक माननीय सदस्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों की परिस्थिति का उचित ही स्मरण कराया। मैं रवीन्द्र नाथ टैगोर ने जो लिखा था उसका उल्लेख करता हूं:-

> ''एक रात में ही व्यापारी का बड़ा डण्डा शासक के दमनकारी राजदण्ड में परिवर्तित हो गया।''

अत: विदेशी निवेशक केवल व्यापार के लिए निवेश करेंगे, मेरे विचार से यह राष्ट्र के साथ पूरी तरह से विश्वासघात है। हम सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में खतरे का सामना कर रहे हैं। हम यहां समाचार पत्र और जन संचार माध्यमों में भी खतरे का सामना कर रहे हैं। अत: हमें इसकी भर्त्सना करनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर पुनर्विचार करें और हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता और हमारी शक्ति की रक्षा के लिए इस प्रकार के निर्णय को वापस लें। जहां तक उदारीकरण का प्रश्न है, कम-से-कम समाचार पत्र उद्योग अन्य उद्योगों जैसा नहीं है। यही मेरा मत है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, अपने देश के प्रिन्ट मीडिया को मदद करने की सरकार की भावना का हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन 26 प्रतिशत एफडीआई का सरकार का जो निर्णय है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। अपने देश में प्रिन्ट मीडिया को सपोर्ट होना चाहिए। प्रिन्ट मीडिया अपने देश में क्रूश्यल परिवर्तन, इकोनोमिक परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। दुनिया में प्रिन्ट मीडिया सबसे शक्तिशाली मीडिया है। प्रिन्ट मीडिया को अगर इस वक्त सपोर्ट नहीं करेंगे, तो शायद आने वाले चुनावों में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रिन्ट मीडिया की मदद करने की भावना ठीक है लेकिन इसका विरोध करने वाले ज्यादा से ज्यादा एडिटर हैं, ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टर्स हैं। आपको गलत इन्फार्मेशन दी गई है। हमारा कहना है, सुषमा स्वराज जी आप अपने कैबिनेट के निर्णय को बदलिए और दोबारा इस विषय पर कैबिनेट में निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। आपको इस बात का भ्रम होगा कि दोबारा कैबिनेट में प्रयत्न करने के बाद मंत्री पद जाएगा, तो मैं उधर आकर खड़ा हो जाऊंगा और आपके मंत्री पद को बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मंत्री पद का सवाल नहीं है।

[श्री रामदास आठवले]

सायं 7.00 बजे

इसके बारे में हम विरोध करते हैं। हमारे देश में बाहर से पैसा नहीं आना चाहिए, अगर बाहर का पैसा आएगा, अंग्रेज एक बार आ गए और यहां डेढ़ सौ साल रहे, 26 फीसदी के नाम से बाहर का पैसा इधर आएगा, बाहर के सब लोग इधर आ जाएंगे तो यह होगा कि हमें अपना देश छोड़ कर इधर से जाना पड़ेगा। इसलिए इस तरह की कोई प्रोब्लम नहीं आनी चाहिए। इसलिए यह निर्णय आप बदलने की कोशिश करिए। आप अच्छी मंत्री हैं, इसलिए आपको अच्छा काम करना चाहिए। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज सदन में सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा हुई है। मैं सबसे पहले अपने उन 19 सांसद साथियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। चर्चा सार्थक और विस्तृत हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना उत्तेजना के हुई, इस गंभीर विषय पर बिना टोका-टोकी के हुई। अभी तक इस सदन में जो चर्चाएं हुई हैं, उनमें इसे याद किया जाएगा, जिनमें किसी तरह की टोका-टाकी नहीं हुई। मैं उन सभी का आभार प्रकट करती हूं। इस फैसले से जुड़े हुए सभी प्रश्न संसद के बाहर उठाए जा रहे थे, जो आशंकाएं प्रकट की जा रही थी, जिज्ञासाएं व्यक्त की जा रही थी, उन सबको किसी न किसी रूप में सदन में मेरे साथियों ने प्रस्तुत किया है। इसलिए आज इस सदन में खडे होकर मुझे एक साथ यह बोलने का मौका मिल रहा है कि मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, उन आशंकाओं का निराकरण कर सकूं और जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से यथाशक्ति अपने साथियों के प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न करूंगी। मैं उन प्रश्नों और बिन्दुओं पर जाऊं, जो हमारे साथियों ने उठाएं हैं, उससे पहले मैं इतना बताना चाहती हूं कि केबिनेट ने क्या फैसला किया है। उन्होंने तीन फैसले किए हैं। पहला यह किया कि वह भारतीय संस्थान, जो समाचार या सामयिक विषयों पर पत्र-पत्रिकाएं निकालते हैं, उनमें 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की अनुमति होगी। दूसरा फैसला यह किया कि जो भारतीय संस्थान चिकित्सा, विज्ञान, तकनीक या विशिष्ट पत्र-पत्रिकाएं, जिन्हें हम स्पेसिफिक भाषा में कहते हैं-नॉन करेंट अफेयर्स, उससे संबंधित पत्र-पत्रिकाएं निकालते हैं, उनमें 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मैंने वहां कहा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और यहां कहां विदेशी निवेश यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। मैं इनका अंतर बताना चाहूंगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमने कुछ ज्यादा गलतियां की हैं। मैं इन दोनों का बाद में थोड़ा अंतर बताना चाहूंगी। वहां हमने कहा कि विदेशी निवेश की, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के 74 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति होगी। तीसरा आपने प्रश्न किया कि विदेश में छपने वाले वैज्ञानिक तकनीकी, विशिष्ट पत्र-पत्रिकाओं का भारतीय संस्करण यहां छप सकेगा। ये तीनों फैसले हमने किए। अब मैं पहले और दूसरे फैसले का थोड़ा अंतर बता दूं-इसमें एक अंतर बहुत साफ है कि न्यूज़ एंड करेंट अफेयर्स, यानी समाचार और सामयिक में हमने 26 फीसदी का विदेशी निवेश रखा। गैर समाचार और गैर सामयिक चीजों में हमने 74 फीसदी का विदेशी निवेश रखा। दूसरे अंतर यह किया, जैसे मैंने बताया कि हमने पहले में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रखा और दूसरे में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह के विदेशी निवेश रखे। तीसरा अंतर यह किया, जो बहुत बुनियादी है-गैर सामयिक और गैर समाचार, पत्र-पत्रिकाओं में हमने केवल एक सावधानी बरती। हमने उसमें यह देखा कि वह पत्रिका वाकई गैर समाचार या गैर सामयिक है, कहीं यह खबर तो नहीं छाप दी, कहीं यह दूसरे न्यूज़ एंड करेंट अफेयर्स में तो नहीं आती, केवल इतनी सावधानी बरती। लेकिन जब हमने 26 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति समाचार और सामयिक पत्रों में दी तो हमने उनमें बहुत सावधानियां बरतीं, मैं उन सावधानियों का जिक्र करना चाहूंगी। हमने सबसे पहले यह सावधानी बरती कि जो फॉरेन इनवेस्टर, पूंजी निवेशक आएगा, उसका क्रेडेंशियिल हमने सिक्युरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से स्वयं होम मिनिस्ट्री और बाकी की जो संबंधित एजेंसियां हैं, उनसे पता करवाएंगे। यानी कौन आ रहा है, इसकी सिक्योरिटी क्लीयरेंस एमएचए से लेने के बाद विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति देंगे। दूसरी बात यह रखी, जिस का जिक्र शरद जी ने किया था कि 26 परसैंट कंट्रोलिंग इक्विटी बन जाती है जिससे रघुवंश जी बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगा कि पता नहीं हम कुछ छिपाकर कर रहे थे और 26 परसैंट कम होता है, 74 परसैंट ज्यादा है तो दिक्कत नहीं, लेकिन शरद जी ने इतना बड़ा रहस्य खोल दिया कि 26 परसैंट की इक्विटी तो कंट्रोलिंग इक्विटी होती है इसलिए 26 परसैंट भी घातक है। मैं मानती हूं कि 26 परसैंट की कंट्रोलिंग इक्विटी होती है। शरद जी ने सही कहा लेकिन वह इक्विटी कंट्रोलिंग इक्विटी न बन पाए इसलिए रघुवंश जी, हमने यह सावधानी बरती कि जो 74 फीसदी है वह फैली हुई न हो। 26 परसैंट इक्विटी कंट्रोलिंग तब बनती है, जब 74 परसैंट भारतीय इक्विटी फैली होती है। कोई 5 परसैंट का शेयर ले ले कोई 10 का ले ले और कोई 12 या 14 का ले ले। 26 परसैंट अकेला बड़ा हो जाता है और वह कंट्रोलिंग इक्विटी बनती है लेकिन इसमें एहतियात बरत कर यह प्रावधान किया कि 74 परसैंट में कम से कम एक भारतीय निवेशक ऐसा जरूर होगा जिस की इक्विटी 26

परसैंट से कहीं ज्यादा ऊंची होगी। सिंगनिफिकैंटली हायर इक्विटी एक भारतीय निवेशक को रखनी होगी ताकि 26 परसैंट वाला नियंत्रण बाकी जगह करता है वह नियंत्रण यहां न कर पाए। यह सावधानी खास तौर पर न्यूज और करैंट अफेयर्स के मामले में रखी। किसी भी तरह से मैनेजमैंट कंट्रोल विदेशी हाथों में न जाए इसके लिए तय किया कि कम से कम तीन चौथाई बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स इंडियन होंगे क्योंकि उनका 26 परसैंट है तो एक चौथाई से ज्यादा डायरैक्टर्स न जाएं, उसी अनुपात में कहा कि कम से कम तीन चौथाई बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स हर हालत में भारतीय होंगे। वे केवल भारतीय नहीं रैजिडैंट इंडियन्स होंगे। हमने यह नहीं कहा कि एनआरआई।

चौथी सावधानी यह बरती है कि सम्पादकीय नियंत्रण भारतीय हाथों में रहे। इसके लिए जितनी उच्च स्तर की पोस्टें सम्पादक मंडल की हैं वे रैजिडैंट इंडियन्स के हाथों में रहे। केवल इंडियन नहीं उसमें एनआरआईज भी आते हैं, वे रैजिडैंट के हाथों में रहेंगी। अगर कोई अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बदलना चाहता है तो उसे पूर्व अनुमति लेनी होगी। वह बाद में सूचना नहीं देगा। उसने पैटर्न बदल दिया और सूचना प्रसारण मंत्रालय को लिख दिया, कम्पनी अफेयर्स को लिख दिया, संबंधित एजेंसी को लिख दिया कि हमने पैटर्न बदल दिया। वह पूर्व अनुमति लेकर ही इसे कर सकेगा। ये पांच सावधानियां हमने नान न्यूज, नान करैंट अफेयर्स से अलग न्यूज एवं करैंट अफेयर्स में बरती और इसके बाद इसे खोलने का फैसला किया। हमने क्या निर्णय किया है, इसकी जानकारी सदन के सदस्यों को निश्चित तौर पर मिल जाए कि इन तमाम सावधानियों को सामने रखने के बाद हमने इसे खोलने का फैसला किया।

मेरे पास जवाब देने के दो विकल्प थे। एक विकल्प यह था कि मैं तरीका यह अपनाऊं कि जिन 19 सदस्यों ने जो कुछ कहा मैं उनका क्रमवार नाम लेकर उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की यहां चर्चा करूं। दूसरा विकल्प यह था कि बहुत से बिन्दु जो दोहराएं हैं उनको इकट्ठे ले लूं। मैंने बीच का रास्ता निकाला। मैं उन सभी बिन्दुओं को क्लब करूंगी। कई सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए पहले मैं उनका जवाब दे दूं। व्यक्तिगत बिन्दु भी कई सदस्यों ने उठाए।

श्री सुरेश रामराव जाधव: विदेशी पूंजी निवेश करने की क्या जरूरत थी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी जवाब दे रही हैं। सुनने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, आपने जो प्रश्न उठाया है, उसका जवाब मिलेगा। आप उसे सुनिए। आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर मैं उत्तर देकर बैठ जाती और आपका प्रश्न निरूत्तर रह जाता तब आपका उठना वाजिब लगता। मैंने अभी बात प्रारम्भ करके यह बताया कि निर्णय क्या लिया? निर्णय क्यों लिया यह अगली बात होती है और मैं इस पर आऊंगी। मैंने आप सब की बात बहुत शान्ति से सुनी है, आप धैर्य मत खोइये। मुझे इस बात से निराशा है कि इस बहस में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया लेकिन उनमें से बहुत से उपस्थित नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि मैं आप लोगों के एक-एक प्रश्न का जवाब दूं, कोई बिन्दु नहीं छोड़ू और हर बिन्दु का जवाब दूं। आप लोग अधीर मत होइये। आप लोगों ने जितनी बातें कही हैं, मैं उन सब का जवाब दूंगी। मुझे कुछ ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य हुआ लेकिन मैं उनका भी जवाब दूंगी।

अध्यक्ष जी, मैं बेगम नूर बानो द्वारा कही गई बात से शुरू करती हूं जिसमें उन्होंने 1955 के कैबिनेट रिजोल्यूशन का जिक्र किया। कांग्रेस की तरफ से चार माननीय सदस्य बोले लेकिन उनमें से केवल तीन ने इस का जिक्र किया। श्रीमती नूर बानो ने कहा कि 1955 का कांग्रेस का रिजोल्यूशन है जिसे बदलकर आपने गलती की है। उससे एक कदम आगे जाकर श्री सोना राम चौधरी ने कहा कि 1955 का पं. नेहरू का रिजोल्यूशन है, आपने बदलकर गुनाह किया और तीसरी बात श्री इकबाल अहमद सरडगी ने कही कि पिछले 50 सालों में इस रिजोल्यूशन पर कभी मुद्दा नहीं उठा तो आपने यह मुद्दा क्यों उठाया। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस को यह जानकारी देना चाहती हूं और खास कर नूर आपा को यह बताना चाहती हूं कि इस रिजोल्यूशन को बदलने का काम हमारी सरकार ने नहीं किया। नूर आपा, इसे बदलने की सोच की शुरूआत स्वयं कांग्रेस ने की थी और आज नहीं, यह छोटे स्तर पर की गई थी। मैं आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूं कि इस मुद्दे पर विचार 1989 में शुरू किया गया जब कमेटी आफ सैक्रेट्रीज का गठन किया गया। यह मुद्दा कांग्रेस राज के समय कैबिनेट में चार बार गया। मैं तारीख बता सकती हूं। पहली बार 1992 में, उसके बाद जुलाई 1993 में, उसके दो महीने बाद सितम्बर, 1993 में और अंत में फरवरी, 1995 में कैबिनेट में यह मुद्दा गया। उस समय कांग्रेस सरकार के नेता श्री नरसिंह राव थे। फरवरी, 1995 में कैबिनेट में ले जाने वाले मंत्री श्री के.पी. सिंह देव थे जो उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे और वर्तमान में इस लोक सभा के सदस्य हैं, वे लेकर गये थे। मंत्रालय के रिकार्ड में सारी चीज मौजूद है। यह मामला चार बार कांग्रेस सरकार के समय कैबिनेट में गया लेकिन आज और उस समय में अंतर क्या

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

है। इस बात में अंतर यह है कि जहां कांग्रेस ने सोचा...*(व्यवधान)*...आचार्य जी, मेरी बात अब आपको सुननी होगी, मैंने आप लोगों की बातें शान्ति से सुनी हैं, अब मुझे सुन लीजिये और धीरज रखिये। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि इस मुद्दे में अंतर यह आया कि कांग्रेस ने सोचा, विचारा लेकिन जब फैसला करने का समय आया तो साहस नहीं जुटा पायी। पता नहीं किस दबाव में आकर इन लोगों की हिम्मत पस्त हो गई और फैसला लेते समय कलम ठिठक कर रह गई। लेकिन हमारे समय में अंतर यह है कि हम लोगों ने कलम से लिखकर निर्णय लेने का काम किया है। यह सवाल नहीं पैदा होता कि कांग्रेस ने सोचा नहीं, विचारा नहीं लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जब जगमीत सिंह बराड़ खड़े होकर कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह फैसला कर दिया तो मुझे आश्चर्य होता है कि चार-चार बार कैबिनेट में मुद्दा गया, तय होकर गया लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं जुटा पाये। फैसला करने में इतना अंतर रहा है।

अध्यक्ष जी, दूसरी बात यह कही गई कि जल्दबादी में फैसला हुआ। श्री रूपचंद पाल ने कहा:

[अनुवाद]

''यह जल्दबाजी में किया गया''...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आठवले जी, आप बैठ जायें। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, दूसरा मुद्दा उठा और श्री सोना राम चौधरी ने कहा:

[अनुवाद]

''यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है।''

[हिन्दी]

या जितने पर्याय हो सकते थे और हिन्दी में कहा गया कि बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। ये सारे पर्याय जल्दबाजी के विभिन्न भाषा शैली में कहे गये हैं। क्या आप इसे जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन कहेंगे जिस पर 1989 में चर्चा हुई और 1992 में कैबिनेट में जाने की बात आयी? डेढ़ साल जिसे स्टैंडिंग कमेटी ने चर्चित किया, वह संसद की स्थायी समिति थी, उसमें डेढ़ वर्ष इस पर चर्चा हुई। हर वर्ग का व्यू प्वाइंट, हर वर्ग का दृष्टिकोण मिलाकर वहां पुछवाया गया। उसके बाद आप कहते हैं कि हेस्टीली डिसीजन, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन है। दस वर्ष की चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया गया। जो जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं, बल्कि सोचा-समझा फैसला है, बहुत सोच-समझ कर लिया गया निर्णय है।

सवाल उठता है कि स्टैंडिंग कमेटी में आपने क्या किया। स्टैंडिंग कमेटी का सवाल इस चर्चा में सबसे पहले श्री रूपचंद पाल जी ने उठाया। श्री शरद पवार जी ने इसकी चर्चा में पढ़कर उसके कुछ अंश सुनाये। लेकिन सबसे बड़ी बात रघुबंश बाबू ने कही है। वह कहते हैं कि संसद की स्थायी समिति की इतनी घनघोर अवहेलना है। उन्होंने कहा है कि रूल कोट करके बताता हूं कि आप अगर संसद की स्थायी समिति की बात नहीं मानते हैं तो अध्यक्ष के पास जाना पड़ता है और अध्यक्ष उसके ऊपर निर्णय करते हैं। मुझे नहीं मालूम, यह पीठासीन अधिकारी भी हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप कौल एंड शकधर पढ़ लीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं कौल एंड शकधर नहीं, रूल पढ़कर सुनाती हूं। मैं अभी रूल पढ़कर सुनाती हूं। आप कौल एंड शकधर को बाद में देखिये, मैं रूल देख रही हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप रूल तो देखिये, बाद में कौल एंड शकधर सुनायेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को मिलाकर...*(व्यवधान)* मैं अभी सुनाती हूं, मैंने कहा एक भी प्रश्न निरूत्तर नहीं रहेगा, आप थोड़ा धैर्य रखिये। यह लोक सभा के रूल्स की किताब है, आप ही की टेबल से उठाई है।

[अनुवाद]

मैं नियम 331ढ का उल्लेख कर रही हूं - इस नियम का शीर्षक है- 'प्रतिवेदनों का स्वरूप प्रत्ययकारी होगा' इसके अनुसार:

> ''स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों का स्वरूप प्रत्ययकारी होगा और उन्हें समितियों के सुविचारित परामर्श के रूप में माना जायेगा।''

[हिन्दी]

इसमें यह कहना कि यह मैन्डेटरी है और अगर आप इसमें से अलग होना चाहते हैं तो स्पीकर के पास आइये, वह तय करेंगे।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): ऐसा आभास इसलिए कराया गया था क्योंकि बीमा विधेयक और अन्य अवसरों पर स्थायी समिति की सिफारिशें थी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं बता रही हूं। जहां तक पर्सुएसिव वैल्यू का सवाल है, पर्सुएसिव वैल्यू ही नहीं, हम उससे भी आगे आये हैं।

अध्यक्ष जी, मैं स्टैंडिंग कमेटी की प्रोसीडिंग के किसी भी विवाद को यहां लाना नहीं चाहती हूं। वहां क्या घटा, क्या नहीं घटा, मैं इसका जिक्र भी नहीं करना चाहती हूं। बल्कि मैं स्टैंडिंग कमेटी को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि स्टैंडिंग कमेटी ने एक बहुत जटिल और बहुत विवादास्पद विषय पर चर्चा की और सिफारिशें दी। क्या सिफारिशें दी, जहां तक नान-न्यूज, नान करंट अफेयर्स की बात है, एक मत से समिति ने सिफारिश करते हुए कहा कि इस पर खुलना चाहिए और उन्होंने रीजन आउट किया और शायद यही कारण है कि आज पूरे सदन में जो भी चर्चा हुई वह न्यूज, करंट अफेयर्स पर हुई, नान-न्यूज, नान-करंट अफेयर्स पर नहीं हुई। क्योंकि लगता है कि सदन का भी एक मत है और सब लोग जानते हैं ज्ञान महंगा है। हमारे देश में बनता है तो हिन्दुस्तान के बच्चे को उसे लेने के लिए सौ रुपये खर्चने पड़ते हैं। अगर वह हिन्दुस्तान में छपेगा तो शायद उसे वह 15-20 रुपये में मिल जाए।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने कहा कि यह अंग्रेजी में छपने वाली चीज है। यहां अंग्रेजी पढ़ने वाले कौन लोग हैं। उनका इशारा शायद यह था कि हम अखबार की बात कर रहे हैं। मैं पहले बता दूं कि हमने अखबारों को छपने की इजाजत नहीं दी। आपने कहा अंग्रेजी में अखबार छपते हैं। हमारे गरीब लोग हिन्दी जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, वे कैसे पढ़ेंगे। हमने अखबार को छपने की इजाजत नहीं दी है, हमने नान-न्यूज, नान-करंट अफेयर्स या जो भी साइंटिफिक, टैक्नीकल स्पेशियलिटी मैगजीन्स के छपने की इजाजत दी है और जब वे यहां छपेंगी तो केवल अंग्रेजी में नहीं छपेंगी, आगे भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद होने लगेगा। इसलिए कर्नाटक का पढ़ने वाला मैडिकल का बच्चा या आई.आई.टी. का बच्चा उसे देख सकेगा और सस्ते में ले सकेगा। उसने सिफारिश की कि नान-न्यूज और नान-करंट अफेयर्स के बारे में आप इसको खोल दीजिए और इसे एक मत से जस का तस स्वीकार किया। जहां तक करंट अफेयर्स और नान-न्यूज का सवाल है, मैं स्टैंडिंग कमेटी का एक पैराग्राफ आपको पढ़कर सुनाती हूं। स्टैंडिंग कमेटी की बात अखिलेश जी कर रहे थे। जब यह रिपोर्ट समाप्त होती है, उसके दो पैरा ऊपर का यह पैरा 63 है।

[अनुवाद]

पैरा 63 जो अन्तिम से पहले वाला पैरा है, उसमें स्थायी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार:

"अन्ततः समिति महसूस करती है कि व्यापक प्रिंट मीडिया नीति की आवश्यकता है।..."

[हिन्दी]

कैबिनेट रिजोल्यूशन की आप जो बात कर रहे थे, जरा उस पर स्टैंडिंग कमेटी का मत सुन लीजिए।

[अनुवाद]

इसमें आगे कहा गया है:

"1955 के मंत्रीमंडलीय संकल्प ने विदेशी प्रिंट मीडिया के प्रवेश के संबंध में मूल दृष्टिकोण तय किया लेकिन नई परिस्थितियों में इस प्रकार की नीति के लिए यह अपर्याप्त आधार है। इक्कीसवीं सदी में नए संदर्भ और नयी चुनौतियां हैं जो सरकार से नई और पर्याप्त प्रतिक्रिया की मांग करती हूं।

[हिन्दी]

स्वयं स्टैंडिंग कमेटी ने स्वीकार किया है।

श्री रूपचन्द पाल: कंप्रीहेन्सिव मीडिया पालिसी पर बताइए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं उसी पर आ रही हूं। स्वयं स्टैंडिंग कमेटी ने स्वीकार किया कि जो दृष्टि 1955 के कैबिनेट रिजोल्यूशन में अपनाई गई थी, वह आज के परिप्रेक्ष्य में नाकाफी है - इनएडीक्वेट। आज की परिस्थितियों ने नई चुनौतियों और नए संदर्भ हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं और इसलिए सरकार को उन चुनौतियों और उन संदर्भों को देखते हुए नए रिस्पान्सेज देने चाहिए। इसके साथ स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ कंसर्न्स रखे थे। इसीलिए मैंने कहा, हमने तो पर्सुसिव वैल्यू नहीं, रूपचंद जी से मैं कहना चाहूंगी कि हमने जो निर्णय किया है, स्टैंडिंग कमेटी द्वारा दिखाए गए एक-एक कंसर्न को एड्रेस करते हुए किया है। क्या कंसर्न दिया था? पहला कंसर्न दिया था कि हो सकता है इसमें इंटेलिजेन्स एजेन्सी के लोग आ जाएं और वह आकर पैसा लगा दें। सिक्यूरिटी एजेन्सीज के लोग पैसा न लगा सकें, इसके लिए हमने दो एहतियात बरते हैं। पहला अहतियात जो हमने कहा कि केस टु

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

केस बेसिस पर हम गृह मंत्रालय से क्लियरेन्स लेंगे। मुझे हैरानी हुई जब कर्नल सोनाराम चौधरी ने कहा केस टु केस स्टडी का मतलब है सेलेक्टिव और मैनिपुलेटिव। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया! आप यह बताइए कि अगर आप किसी व्यक्ति के क्रिडेन्शियल्स देखना चाहते हैं, सिक्यूरिटी क्लियरेन्स लेना चाहते हैं तो आप केस टु केस बेसिस पर उसको करेंगे या नहीं? स्टैंडिंग कमेटी का कंसर्न जो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में दिया गया था, उसको पूरा करने के लिए हमने केस टु केस बेसिस की बात की है ताकि हम गृह मंत्रालय से उसका क्लियरेन्स ले सकें। दूसरी बात जो आपने कही कि इंटेलिजेन्स एजेन्सीज न आ जाएं, रघुवंश जी यहां वह बात आती है। अप्रत्यक्ष पूंजी निवेश की अनुमति क्यों नहीं दी। अप्रत्यक्ष पूंजी निवेश होता है जिसमें पता नहीं चलता आदमी के चेहरे का, जिसमें पता नहीं चलता कि पैसा किसका है, वह पैसा एफ.आई.आई. के द्वारा आता है। प्रत्यक्ष पूंजी निवेश क्या होता है? प्रत्यक्ष पूंजी निवेश होता है जिसमें व्यक्ति सामने आता है, एन.आर.आई. सामने आता है, ओ.सी.बी. सामने आता है जो व्यक्ति लेकर आता है, वह सामने आता है लेकिन अप्रत्यक्ष पूंजी निवेश होता है फारेन इंस्टीट्यूशनल इनवैस्टर्स के द्वारा, उसे कहते हैं एफ.आई.आई.। जो बाकी लोग पैसा लगा देते हैं और वह यहां आकर पोर्टफोलियो इनवैस्टमेंट करता है। आपको नहीं पता होता कि वह पैसा किसका है। इसलिए बाकी इन्टेलिजेन्स एजेन्सीज किसी एफ.आई.आई. में पैसा लगाकर हमारे यहां भारतीय समाचार पत्र में पैसा न लगा दें इसके लिए हमने 74 फीसदी में उसकी अनुमति दी लेकिन जब न्यूज आन करंट अफेयर्स हम करने लगे तो उसकी अनुमति हमने नहीं दी। जो बार-बार आप कह रहे थे कि प्रत्यक्ष की दी है, हां, हमने प्रत्यक्ष की अनुमति दी है, जान-बूझकर दी है क्योंकि प्रत्यक्ष उसका चेहरा देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हूं, पहचानना चाहते हैं। उसके बारे में पूरी की पूरी तफ्तीश करना चाहते हैं। अपनी सिक्यूरिटी एजेन्सीज की दृष्टि से, देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह तय करना चाहते हैं कि कौन आदमी आ रहा है, किसका पैसा समाचार-पत्रों में लगने जा रहा है। यह देखने के लिए अप्रत्यक्ष पूंजी निवेश को अनुमति नहीं दी, उस पर पाबंदी लगाई और प्रत्यक्ष पूंजी निवेश पर हमने अनुमति दी। स्टैंडिंग कमेटी का सबसे बड़ा कंसर्न था कि इंटेलिजेन्स एजेन्सीज का पैसा न लग जाए, उसको हमने एड्रेस किया है।

दूसरा जो इनका कंसर्न था कंट्रोलिंग इक्विटी वाला, उसके बारे में पहले बता चुकी हूं कि कंट्रोलिंग इक्विटी न बन जाए 26 प्रतिशत, इसके लिए हमने कहा कि एक इंडियन इनवैस्टर कम से कम उससे ज्यादा सिगनिफिकेन्टली ज्यादा रखेगा। जहां तक इन कंसर्न्स का सवाल है, मैंने बताया कि स्टैंडिंग कमेटी के सारे कंसर्न्स को हमने एड्रेस किया है और मैं आभारी हूं कि स्टैंडिंग कमेटी ने इतने जटिल विषय पर हमें अनुशंसा और सिफारिश की कि हम आगे बढ़ सकें।

चौथी बात जो यहां आई, मैं हैरान हूं जब मुलायम सिंह जी ने कहा कि गुजरात को सामने रखते हुए आपने यह किया है, आपने सबक सिखाने के लिए किया है। रूपचंद पाल तो स्वीपिंग रिमार्क दे गए। उन्होंने कहा कि आपने चतुर्थ स्तम्भ के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए ऐसा किया है। क्या हमने ऐसा चतुर्थ स्तम्भ के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए किया है? पहली बात तो यह कि फोर्थ एस्टेट की पैरवी मुझे किसी से सीखनी नहीं है। जगमीत बराड़ जो बात कर रहे थे, उनसे कहना चाहती हूं कि आज इस सरकार में इस तरफ बैठे हुए लोग वहीं हैं जिन्होंने आपात स्थिति में जिस समय प्रैस का दमन हो रहा था, उस समय प्रैस की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। हम प्रैस को डिस्ट्राय करने वाले लोग नहीं हैं। मैं पूछना चाहती हूं, मैं किसी न्यूजपेपर ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहती हूं क्योंकि हम नीति पर चर्चा कर रहे हैं, हम क्यों नाम लें, लेकिन नाम लिए गए हैं इसलिए पूछना चाहती हूं। मुलायम सिंह जी बैठे होते तो पूछती। उन्होंने कहा कि आपने तीन अखबारों - टाइम्स आफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स और द हिन्दू को सबक सिखाने के लिए यह किया है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ रूपचन्द पाल कह रहे हैं कि आपने इंडियन एक्सप्रैस, आउट लुक और इंडिया टूडे का समर्थन करने के लिए इनको फायदा पहुंचाने के लिए किया। मैं पूछना चाहती हूं कि ये लोग छोटे अखबारों के पक्षधर कब से हो गए। मैं पूछना चाहती हूं कि गुजरात झगड़ों के समय जिस तरह की रिपोर्टें इन अखबारों में आ रही थी, टाइम्स आफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, हिन्दू और इंडियन एक्सप्रैस चारों को साथ रख लीजिए, या उन तीनों अखबारों को साथ रख लीजिए जिनके नाम आपने लिए और एक निष्पक्ष जज बैठा दीजिए, अगर कोई यह न कह दे कि सबसे ज्यादा इंडियन एक्सप्रैस हमारे खिलाफ था। सबसे ज्यादा तीखे तेवर, सबसे ज्यादा बिटर हैडलाइन्स, सबसे ज्यादा क्रिटीकल खबर इंडियन एक्सप्रैस लिख रहा था। मैं रूपचन्द पाल जी से केवल एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या इंडियन एक्सप्रैस सबसे ज्यादा क्रिटीकल न्यूज गुजरात सरकार के बारे में दे रहा था?

श्री रूपचन्द पाल: आपने यह ठीक कहा। मैंने उस वक्त नहीं कहा था। मैंने कहा था, कबसे ये समाचार पत्र छोटे समाचार पत्रों के लिए वकालत कर रहे थे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं आपसे प्रति प्रश्न कर रही हूं, मैं आपसे सवाल कर रही हूं क्योंकि आपने हम पर आरोप लगाए थे

कि यह निर्णय चतुर्थ स्तम्भ के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए लिया गया है। मेरा प्रति प्रश्न यह है कि अगर इस फैसले से इंडियन एक्सप्रैस मजबूत होगा, तो क्या इंडियन एक्सप्रैस को मजबूत कर के हम फोर्थ ऐस्टेट को डिस्ट्राय कर रहे हैं, क्या इंडिया टूडे को मजबूत कर के हम फोर्थ ऐस्टेट को डिस्ट्राय कर रहे है, क्या आउट लुक को मजबूत कर के हम फोर्थ ऐस्टेट को डिस्ट्राय कर रहे हैं, यह मेरा प्रश्न है? जब आप यह कहते है कि इंडियन एक्सप्रैस, इंडिया टूडे और आउट लुक को फेवर करने के लिए हम प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रहे हैं, तो इस संबंध में मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि आपका यह आर्गूमेंट कि यह फोर्थ ऐस्टेट को डिस्ट्राय कर रहे हैं, तो क्या हम इस प्रकार के अखबारों को मजबूत कर के फोर्थ ऐस्टेट को डिस्ट्राय कर रहे हैं?

महोदय, मैं मुलायम सिंह जी के जवाब में यह पूछना चाहती हूं कि अगर आप यह कहते हैं कि इन तीनों को सबक सिखाने के लिए हम इसको ला रहे हैं, तो क्या इसका फायदा इंडियन एक्सप्रैस को होने वाला है, तो हम क्यों इंडियन एक्सप्रैस को मजबूत करेंगे, क्या इंडियन एक्सप्रैस हमारा मुखबिर है, क्या इंडियन एक्सप्रैस सरकार के पक्ष की खबरें देता है या हमारे समाचार छापता है? इंडियन एक्सप्रैस हो, इंडिया टूडे हो या आउट लुक हो, उन्हें आप कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? इस प्रकार से तो आप अपने आर्गूमेंट को स्वयं ही समाप्त कर रहे हैं। यह बात कह कर कि किसी को सबक सिखाने के लिए किया गया है या गुजरात की पृष्ठभूमि में किया गया है। यानी यदि आप कोई आरोप लगाएं, तो उस आरोप में कुछ सब्सटांस तो होना चाहिए, लेकिन इस आरोप में कहां सब्सटांस है? जब आप कहते हैं कि उन अखबारों को इसका फायदा मिल रहा है, जिन अखबारों के नाम आप गिना रहे हैं, वे अखबार तो सरकार के खिलाफ खम्भ ठोक कर खड़े हैं।

महोदय, इसके बाद जो सबसे ज्यादा बात कही गई है, वह यह कही गई है कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, देश की आजादी को खतरा हो जाएगा। मुलायम सिंह जी ने कहा कि अखबार उद्योग नहीं है, शरद पवार जी ने कहा कि अखबार जनमत तैयार करता है, श्रीनिवासुलु जी ने कहा कि यह व्यवसाय है। बाहर से जो लोग आएंगे वे पैसा कमाने के लिए आएंगे और चले जाएंगे। इसलिए यह हिन्दुस्तान के खिलाफ हैं। इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यहां तक कि प्रबोध पांडा ने अभी यह बात उठाई और जगमीत सिंह बराड़ जी बोले, तो उन्होंने पूरा का पूरा लम्बा भाषण दे दिया कि प्रिंट मीडिया और लिखे हुए की बात क्या होती है। मैं पहले जगमीत सिंह बराड़ जी की बात का उत्तर देना चाहती हूं, बाद में बाकी बातों पर आऊंगी। आपने कहा कि प्रिंट मीडिया और लिखे हुए की बात क्या होती, अखबार में लिखे हुए का प्रभाव क्या होता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि देखे हुए का प्रभाव क्या होता है?

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि एक स्टडी हुई थी और उस अध्ययन ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जो आप देखते हैं, 100 में से 80 प्रतिशत लोगों पर उसका असर पड़ता है, जो आप सुनते हैं, 100 में से 60 प्रतिशत लोगों पर उसका असर पड़ता है और जो आप पढ़ते हैं 100 में से 40 प्रतिशत लोगों पर उसका असर होता है। यानी दृश्य, श्रव्य और पठन। यानी दृश्य का प्रभाव क्या होता है, श्रव्य का प्रभाव क्या होता है, पठन का प्रभाव क्या होता है और अध्ययन का प्रभाव क्या होता है, उस अध्ययन में इसी बारे में निष्कर्ष निकाले गए हैं। आपको मालूम है कि पढ़ने के लिए आपका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। पढ़ने के लिए आपके पास समय होना जरूरी, पढ़ने के लिए, पठन में आपकी रूचि होना बहुत जरूरी है, लेकिन सुनने के लिए आपको उतने समय की आवश्यकता नहीं है। आप चलते-फिरते सुन सकते हैं, पढ़ने के लिए आपको समय की जरूरत है, लेकिन देखने के लिए तो आपको बिलकुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी टेलीविजन खोलता है और देखता है। ब्राडकास्टिंग तो खुला है। जो खुला है, जिसे देखा जा रहा है, जो चीजें सुनी जा रही हैं, उन पर तो कोई चिन्ता नहीं है, यदि प्रिंट मीडिया में चला गया तो उस पर चिन्ता है। यहां कहा गया कि संसद की अवहेलना की गई।

श्री रूपचन्द पाल: उधर भी चिन्ता व्यक्त की है, लेकिन माना नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं उस पर अभी आऊंगी। अध्यक्ष जी मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि जैसा यहां कहा जा रहा है कि संसद की अवहेलना हुई है, वैसी कोई बात नहीं है।

कर्नल सोना राम चौधरी जी कहते हैं कि संसद की अवहेलना हुई। मैं हैरान हूं। श्री मुलायम सिह जी कहते हैं कि संसद की इतनी घोर अवमानना करके आप अध्यादेश लेकर आईं। मैं पूछना चाहती हूं कि कौन सा अध्यादेश? किसने अध्यादेश जारी किया, कब वह अध्यादेश निकाला? आप तो जानते हैं कि अध्यादेश निकलता है जब कोई विधेयक आता है। अगर विधेयक आता तो नियम 193 की चर्चा की क्यों जरूरत पड़ती? अगर अध्यादेश निकलता तो उस अध्यादेश को विधेयक बनाने के लिए यहां लेकर आती। फिर नियम 193 की क्यों जरूरत पड़ती, कालिंग अटैंशन की क्यों जरूरत पड़ती?

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

अभी अखिलेश जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया, वह शब्द विधेयक था। कोई विधेयक नहीं है। कोई अध्यादेश कभी नहीं निकला। पता नहीं श्री मुलायम सिंह जी को किसने जानकारी दे दी कि हमने संसद की घोर अवमानना कर दी जो हम अध्यादेश लेकर आये।

अध्यक्ष जी, 1955 का रेजोलूशन भी कैबिनेट रेजोलूशन है। आज तक आप उसको कोट करते हैं तो कहते हैं कि कैबिनेट रेजोलूशन। वह कभी संसद में नहीं आया था। यह रेजोलूशन भी कैबिनेट ने पारित किया। इसको संसद में आना ही नहीं था। संसद की अवमानना कर दी, संसद का उल्लंघन कर दिया, संसद को बाईपास कर दिया। 1955 का रेजोलूशन कभी संसद में नहीं आया था। मैं पूछना चाहती हूं कि इसके पहले जितने सैक्टर्स खुले। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: स्टैंडिंग कमेटी की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी मिनी पार्लियामैंट है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: स्टैंडिंग कमेटी पर मैं जवाब दे चुकी हूं। जहां तक मैं बाकी सैक्टर्स खुलने की बात कर रही हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, आप एक निगम तो जानते हैं। आप प्वाइंट आफ आर्डर, प्वाइंट आफ इन्फोर्मेशन निकालकर कैसे खड़े रहेंगे। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो कुछ भी कहा है कृपया उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें। माननीय मंत्री जी, आप कृपया आगे बोलिए। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं कि आपको कोई प्रश्न उठाना है तो मैं उसके लिए परमीशन दूंगा। इस तरीके से आप कैसे उठायेंगे?

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप जब परमीशन देंगे तब मैं उठाऊंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब मैं परमीशन दूंगा जब आप इसे उठाइये। अभी रघुवंश जी ने जो कहा, वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं जगमीत बराड़ जी की इस बात का जवाब दे रही थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको इजाजत दूंगा तब आप प्वाइंट आफ आर्डर उठाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले: महोदय, इनका व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इनके वकील हैं? सदस्यों के लिए वकील नियुक्त करने की कोई प्रणाली नहीं है। माननीय मंत्री आप कृपया आगे बोलिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं जगमीत बराड़ की इस बात का जवाब दे रही थी कि प्रिंट मीडिया में क्यों है। मैं बाकी सैक्टर्स की बात नहीं करती। मैनुफैक्टरिंग सैक्टर और सर्विस सैक्टर की बात नहीं करती। मैं मीडिया की दूसरी चीजों की बात करती हूं। जब ब्राडकास्टिंग में खुला तो क्या संसद में लाया गया। जब फिल्म्स में खुला तो क्या संसद में लाया गया? जब एडवर्टाइजमैंट में खुला तो क्या संसद में लाया गया? फिर प्रिंट मीडिया में खुलने पर यह बात क्यों उठ रही है कि संसद की अवहेलना हो रही है और संसद से बाहर जा रहे हैं। यहां किरीट सोमैया जी ने एक सवाल उठाया था जिसके अंदर की बात देखने वाली है। उन्होंने पूछा था कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि तमाम वे अखबार जो आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में लिखते रहे, जब-जब दूसरे सैक्टर खुलते रहे तो वे उसके समर्थन में बात करते रहे। आज जब प्रिंट मीडिया में खुलने की बात आई तो उसके खिलाफ क्यों लिख रहे हैं। यह उद्विग्न करने वाला प्रश्न है। यह सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूं। पिछले 10 वर्षों से आर्थिक उदारीकरण का समर्थन करने वाले पत्र पत्रिकाएं जिन्होंने पन्ना दर पन्ना रंग डाला, मैनुफैक्टिरंग सैक्टर खुला, सर्विस सैक्टर खुला, ब्राडकास्टिंग सैक्टर खुला, फिल्म्स सैक्टर खुला, एडवर्टाइजमैंट सैक्टर खुला। शाबाशी पर शाबाशी।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: वह काम ठीक किया, यह काम बुरा किया। उस टाइम आपने ठीक किया लेकिन अभी जो स्टैंड लिया, वह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं पूछना चाहती हूं कि वे अखबार जो हमको धीमे उदारीकरण के लिए कटघरे में खड़ा करते रहे, सम्पादकीय, लेख और समाचार, तीनों से जिनके पन्ने भरे रहे, आज वे अखबार जब प्रिंट मीडिया पर खुलने की बात आई यानी जब अपनी बात आई तो राष्ट्र हित की दुहाई देने लगे। श्री किरीट सोमैया पूछना चाहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे एक ही कारण है, वही सोच है। श्री जगमीत बरार उस कवाहत को जानते हैं जो हमारे यहां कही जाती है - भगत सिंह हमारे देश में पैदा तो हुए मगर पड़ोसी के घर। इसके पीछे यह सिद्धान्त है। जब तक दूसरे सैक्टर्स में आता रहे, हम बहुत खुश हैं बल्कि क्यों धीमे खोल रहे हैं, इसकी आलोचना करेंगे, जल्दी क्यों नहीं खोल रहे, तीव्र गति से क्यों नहीं खोल रहे, इसके लिए प्रश्न करेंगे। लेकिन हमें मत छेड़ों, टच मी नाट। अगर हम तक आएंगे तो हंगामा मचाएंगे, अगर हम तक आएंगे तो हम बात उठाएंगे, अगर हम तक आएंगे तो हम एकजुट हो जाएंगे। लेकिन एकजुट नहीं हो सके, यह भी मैं आपको बता दूं। शरद पवार जी ने कहा कि आई.एन.एस. पूरे का पूरा इसके खिलाफ था।...*(व्यवधान)* नहीं शरद जी, यह सच नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं आई.एन.एस. के रैजोल्यूशन की बात ही कर रही हूं। आई.एन.एस. ने उसके बाद बाकायदा अपनी कमेटी में पोल करवाया। पोल में रिजल्ट आया - 38 लोग पक्ष में, 46 लोग खिलाफ। उसके बाद जो 38 लोग पक्ष में थे, उन्होंने लिख कर दिया कि यहां ग्रुप्स की वोटिंग होती है, हर ऐडीशन की वोटिंग होती है, ग्रुप में इकट्ठी नहीं। बेनेट कोलमैन एंड कम्पनी लिमिटेड के जितने ग्रुप्स हैं, जितने ऐडीशन्स हैं, उन्होंने एक-एक वोट दिया है, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के लोगों ने नहीं दिया, डेक्कन क्रानिकल ने नहीं दिया। अगर उनको जोड़ा जाए तो आउट नम्बर वोटिंग। लेकिन यह कहना कि यूनैनीमस है। यहां मीडिया के बारे में बात आई। मेरे पास एक सर्वे मौजूद है जिसमें 81 प्रतिशत लोगों ने हां की है और 19 प्रतिशत लोगों ने न की है। कौन-कौन से सर्वेक्षण की बात करेंगे। कन्सैंसस नहीं है इंडस्ट्री में, कन्सैंसस नहीं बना पोलीटिकल पार्टीज में। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि जब सरकार फैसला करती है तो दबाव में नहीं करती, दबाव के कारण लिए गए फैसले और कैबिनेट में गए हुए फैसले वापिस नहीं करती। सारी चीज देखने के बाद राष्ट्र हित में उनको जो ठीक और लाजिकल लगा, वह किया। यह लाजिकल है। आप पूछते हैं कि यह निर्णय क्यों लिया गया। यह निर्णय भी इस लाजिक के तहत लिया गया कि जब सारे सैक्टर्स खुल गए और सबसे बड़ा लाजिक यह होता है कि जब कोई भी कमांड इकोनोमी खुलती है तो उसके चरण होते हैं, यह चरणबद्ध तरीके से खुलती है। पहला चरण उत्पादन का क्षेत्र, मैनुफैक्चरिंग सैक्टर खुलता है। उसके बाद सर्विस सैक्टर खुलता है, उसके बाद मीडिया सैक्टर खुलता है, सबसे बाद में और मीडिया में भी प्रिंट मीडिया, अकेला प्रिंट मीडिया का जहां खुला नहीं था। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: खुला क्यों नहीं। अमरीका में, आस्ट्रेलिया में और दूसरी जगहों में खुला है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर आप चाहें तो मैं सबका दे सकती हूं लेकिन अभी एक बात का जवाब देना चाहूंगी। अच्छा है, अखिलेश जी बैठे हैं।...*(व्यवधान)* सबसे बाद में मैनुफैक्चरिंग सैक्टर, सर्विस सैक्टर के बाद मीडिया सैक्टर खुला और उसमें भी प्रिंट सबसे बाद में खुला। ब्राडकास्टिंग पहले खुला, अपलिंकिंग में खुला, फिल्म्स में खुला, ऐडवर्टाइजिंग में खुला और आप मुझसे पूछते हैं कि किसके दबाव में खोला गया। अखिलेश जी, अच्छा होता मुलायम सिंह जी यहां बैठे होते लेकिन चलिए, आप बैठे हैं। क्योंकि आपने मुझ पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया था, इसलिए कहना चाहती हूं कि किसी के दबाव में नहीं खुला, अगर खुला है तो आपके नेता के आग्रह पर खुला।

अध्यक्ष जी, मैं एक चिट्ठी आपको पढ़ कर सुनाना चाहती हूं। अखिलेश जी, यह चिट्ठी आपके नेता मुलायम सिंह यादव जी ने प्रधान मंत्री जी को लिखी। भारत के प्रधान मंत्री को लिखी गई चिट्ठी मैं पढ़ कर सुनाना चाहती हूं। 7 दिसम्बर, 2000, आज नहीं डेढ़ साल पहले, जिस समय इस मामले की स्टैंडिंग कमेटी के सामने चर्चा चल रही थी, उस समय मुलायम सिंह जी द्वारा लिखी गई चिट्ठी है।

"आदरणीय प्रधान मंत्री जी, भारत में ऐसे कई क्षेत्रों में उदारीकरण हुआ है जिससे देश का किसान एवं उद्योग चौपट हो गया है। स्वयं संघ परिवार एवं स्वदेशी जागरण मंच जैसे आपके परिवार की संस्थानों ने ऐसा उदारीकरण का विरोध किया। लेकिन भारत में दो-चार बड़े समाचार पत्र अपने धन-बल के जरिए फल-फूल रहे हैं एवं अब उनके फैलाव की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि आंचकिल अखबारों को निर्ममता से नष्ट करना चाह रहे हैं। इस कम्प्यूटर युग में जब इंटरनेट के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से एवं सैटेलाइट के माध्यम से विश्व एक ग्राम में परिवर्तित हो गया है, छोटे एवं मझले समाचार पत्र और विशेषकर हिन्दी के बड़े समाचार पत्रों को भी संयमित मात्रा में विदेशों से संसाधन जुटाने की अनुमति मिलनी चाहिए ताकि वे समाचार पत्र बड़े अखबारों की मोनोपली से अपने को बचा सकें। निश्चित रूप से अखबारों का मालिकाना, सम्पादकीय नियंत्रण, मुद्रण एवं प्रकाशन का अधिकार देशी हाथों में हो। मात्रा सीमित सीमा के अंदर विदेशी प्रिंट निवेश की छूट की इजाजत उन समाचार पत्रों को दी जानी चाहिए जो देश की लोकतंत्रीय व्यवस्था को मुट्ठीभर पूंजीवादी शक्तियों के हाथों से मुक्त कराने की दिशा में एक सकारात्मक पहल होगी।"

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

जवाब मुझसे मत मांगिए, क्यों खोला, किन कारणों से खोला, अपने नेता से मांगिए जिन्होंने सारे कारण इस पत्र में लिखे हैं और प्रधान मंत्री जी से आग्रह करके कहा है कि वे छोटे और समस्त मझले समाचार पत्र, जो पूंजी के अभाव में मर रहे हैं, उनके लिए विदेशी पूंजी जुटाने का काम करिए और खोलने का काम करिए। जवाब यहां मौजूद है, मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)* सुनिये, मैंने कहा था कि क्यों खोला, इसका जवाब अन्त में दूंगी। जवाब यहां मौजूद है, सारे के सारे तर्क यहां मौजूदा हैं, अब मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं पाइंट आफ आर्डर सुन रहा हूं। आपको भी थोड़ा रैस्ट मिलेगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, आज ही श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो भाषण दिया, उसको मैंने सुना है। माननीया मंत्री जो पत्र पढ़ रही हैं, उस पत्र को आथेण्टिकेट कौन करेगा, जो लिखा हुआ पत्र है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं करूंगी। इस पर उनके सिग्नेचर हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह मंत्री हैं और यह सत्यापित करेंगी।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जिस समय वे भाषण कर रहे थे, ये उसी समय कहती। अभी वे यहां नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मुझे आपकी तरह बीच में टोकी-टाकी करने की आदत नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उनके नाम के पत्र को पढ़कर सदन में इस तरह से कहना उचित नहीं है, इसे आथेण्टिकेट करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं रूलिंग दे रहा हूं। मैंने रूलिंग दे दी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ये उसी समय आथेण्टिकेट कर देती। यह एक संदेह का कारण है कि उनके भाषण हम लोगों ने सुना। अभी माननीय मंत्री ने कहा, सुनी हुई तुरन्त की बात है और वह जो कभी का लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, कहां का पत्र है, वह पहले आथेण्टिकेट करें और यहां जमा करें। उसे मुलायम सिंह जी देखेंगे, तब इसकी अनुमति मिलनी चाहिए, नहीं तो ऐसा अनुमति नहीं होनी चाहिए। उसे मुलायम सिंह जी देखेंगे, तब इसकी अनुमति मिलनी चाहिए, नहीं तो ऐसा अनुमति नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: पाइण्ट आफ आर्डर पर आप भाषण नहीं कर सकते, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ये एक जिम्मेदार मंत्री हैं। रामदास जी, मैं आपको एक मिनट भी इस विषय पर नहीं दूंगा। मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार करने नहीं जा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं कुछ और कह रही हूं। मेरी और रघुवंश जी की शैली में यह फर्क है। वे बीच में टोका-टाकी करते हैं, बोलते हुए को बीच में बैठाते हैं। मेरी शैली यह है कि मैं चुप करके सुनती हूं और जब मेरी बारी आती है, तब अपना पत्ता खोलती हूं और इसलिए आज कहिये कि चाहिए तो यह था कि मुलायम सिंह जी यहां बैठे होते। अखिलेश जी यहां बैठे हैं, मुलायम सिंह जी यहां बैठे होते तो उनके सामने पढ़कर सुनाती। मैं इसे आथेण्टिकेट करके यहां रखती हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): आप तो मंत्री हैं, आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं। इसमें गुस्सा करने की क्या बात है।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: आदरणीय सुषमा जी ने एक आरोप लगाया है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कोई पत्र लिखा था, जिसमें वे छोटे अखबारों में विदेशी पूंजी निवेश के पक्षधर थे, लेकिन आज मुलायम सिंह यादव जी ने सदन के पटल पर अपनी जो बात रखी है, उस आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी आज की तारीख में, आज की परिस्थितियों में प्रिंट मीडिया के अन्दर विदेशी पूंजी निवेश के बिल्कुल खिलाफ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न में कोई जान नहीं है। यह भाषण हमारे समक्ष है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस भाषण को सुना है। यदि उन्होंने पत्र का उल्लेख किया है तो वे इस पत्र को सत्यापित करने के लिए तैयार हैं। यहां व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अखिलेश जी, मैं इसे अभी आथिण्टिकेट करके यहां सभापटल पर रखती हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं आपके पत्र पर आपत्ति ही नहीं कर रहा हूं। मैं सीधे आपसे यह कह रहा हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अगर सन् 2000 में कोई पत्र लिखा तो सन् 2000 की परिस्थिति और सन् 2002 की परिस्थितियां बदली हुई हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): यदि यह पत्र वास्तविक नहीं है तो यह विशेषाधिकार का हनन होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मैं तो यह कह ही नहीं रही हूं। उनको अपना मत बदलने का पूरा का पूरा अधिकार है। वे यह कह सकते हैं कि मैंने सात दिसम्बर, 2002 को यह लिखा था, आज मेरा मन बदल गया है। लेकिन मैं केवल यह कह रही हूं, जो आप पूछ रहे थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं मानकर चलता हूं कि यह पत्र वास्तविक है। मैं मानकर चलता हूं कि मंत्री जी ने उस पत्र से उद्धृत किया है जो वास्तविक है। जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाए हम इस पर विवाद नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: धन्यवाद। आज आपने बहुत समर्थन किया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: मंत्री महोदया सही हैं। यदि यह गलत साबित होता है तो वे जिम्मेदार होंगी।

अध्यक्ष महोदय: यह मैं तय करूंगा न कि आप कि क्या वे सही हैं अथवा नहीं। अध्यक्ष मैं हूं। आप वहां से निर्णय कैसे दे सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं केवल अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने समझा कि आप वहां से निर्णय दे रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यदि अन्यथा सिद्ध होता है तो वे दोषी होंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मैं इसीलिए आपसे यह कह रही हूं कि उनको अपना मत बदलने का पूरा-पूरा अधिकार है, लेकिन आप जो मेरी तरफ इंगित करके पुरानी चीजें याद दिलाकर कह रहे थे कि दोहरा चरित्र है, मैं तो यह कह रही हूं कि यह जो पत्र है, आप बिल्कुल बदलिये न।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप प्रत्येक वाक्य पर विरोध कैसे कर सकते हैं?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप बिल्कुल मत बदलिये। आप बाकायदा कहिये कि तब हमारी राय यह थी, आज हमारी राय यह है।

कुंवर अखिलेश सिंह: बहन सुषमा जी, जब आप आदरणीय चन्द्रशेखर जी की पार्टी जनता पार्टी में कार्य करती थी और पलंगदबाड़ी में जो जनता पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उस समय मैं सबसे कम उम्र का जनता पार्टी का सदस्य था, तब मैं इनका भाषण सुना करता था। तब से लेकर अब तक जो इनकी विदेशी पूंजी निवेश या विदेशी दबाव के जो विचार हैं, उस आधार पर मैंने कहा कि आपका यह दोहरा चरित्र है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं इस पर क्या कहूंगी कि 7 दिसम्बर, 2000 को आपका क्या रूख था और आज क्या है। अखिलेश जी, आप कैसी बात कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: सुषमा जी आप कितना समय और लेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं खत्म कर रही हूं। जो सवाल बार-बार आ रहा था कि क्यों खोला, बिना उत्तेजना के सारी बात हुई, केवल इस बात पर थोड़ी उत्तेजना हुई कि यह क्यों खोला। मैं वही कह रही थी कि वे तर्क ये हैं। मैं यह बिल्कुल स्वीकार करना चाहूंगी, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने कहा कि मुझे लगता है कि बहन जी मेरी बात मानती हैं। यह उन्होंने सच कहा है। मैं यह स्वीकार करना चाहूंगी कि यह निर्णय लेते हुए भी इस पत्र की काफी भूमिका रही है। हमें लगा कि कंसेंसस बन रही है। जब इन्होंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा और उन्होंने मुझे भेज दिया। उसमें जो कारण हैं, वे बहुत स्पष्ट हैं। मेरा सवाल यह है कि ब्राडकास्टिंग में क्या हुआ था, इसको भी देखें। मैं पूछना चाहती हूं कि सदन ने चर्चा करते समय लगभग व्यक्तियों ने कहा, शुक्ला जी ने खड़े होकर काफी शब्दों में यह कहा कि उसके परिणाम हम देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ब्राडकास्टिंग में पूंजी निवेश के रिजल्ट आप देख रहे हैं। बाकी सभी ने कहा कि ब्राडकास्टिंग में गलती कर दी तो क्या प्रिंट मीडिया में भी गलती करेंगे। मैं एक प्रश्न करना चाहती हूं कि यहां बैठे हुए सारे सांसद यह मानते हैं कि ब्राडकास्टिंग में गलती हुई थी और उसको पलटना चाहिए। जब आप काम्प्रीहेंसिव मीडिया पालिसी की बात करते हैं तो मीडिया का अर्थ केवल प्रिंट नहीं होता। मीडिया का अर्थ आज के समय में फिल्म से है, प्रिंट से है, ब्राडकास्टिंग से है और एडवरटाइजिंग से भी है। ये सब मिलाकर मीडिया बनता है। अगर हिम्मत है तो सबको पलटिए, कहिए कि हम कम्प्लीट मीडिया में विदेशी निवेश नहीं चाहते।

श्री रूपचन्द पाल: आप चर्चा की व्यवस्था करें, हम तैयार हैं। जब नेशनल मीडिया पालिसी की चर्चा हुई थी, तब भी हमने इसका विरोध किया था। आपके पास सारे कागजात हैं, आप देखें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: शरद पवार जी ने खड़े होकर कई चैनलों के नाम लेकर कहा कि उनमें किस तरह के समाचार आते हैं। मैं कहती हूं कि अगर संसद का मन बनता है और सभी सांसद ब्राडकास्टिंग और बाकी सेक्टरों में विदेशी पूंजी निवेश पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो करिए।

कुंवर अखिलेश सिंह: हम एकदम तैयार हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर तैयार हैं तो करिए चर्चा। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब सबके हामी भरने के बाद केवल प्रिंट मीडिया की क्यों मुखालफत कर रहे हैं। राशिद अलवी जी अभी यहां नहीं बैठे हैं।

श्री रूपचन्द पाल: आपको याद होगा जब नेशनल मीडिया पालिसी पर चर्चा हुई थी, तब भी हमने विदेशी निवेश का विरोध किया था।

अध्यक्ष महोदय: यह कोई प्रश्न काल नहीं है कि बीच में ही प्रश्न पूछे जाएं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, जगमीत सिंह जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने सारी बात कहकर प्रिंट मीडिया की ही बात कही। बाकी सब सदस्य भी जब बोल रहे थे, तो उन्होंने भी अल्टीमेटली प्रिंट मीडिया के बारे में संसद की अवहेलना की बात की। राशिद अलवी जी यहां बैठे होते तो मैं कहती। उन्होंने भी सारी बात कहकर प्रिंट मीडिया की बात कही। सारे के सारे तर्क आज प्रिंट मीडिया के ऊपर ही क्यों आ रहे हैं, मैं पूछ रही हूं कि ब्राडकास्टिंग जब खुला, तब क्यों नहीं कहा कि संसद की अवहेलना हुई। फिल्म में, एडवरटाइजिंग में भी जब विदेशी निवेश खुला, तब क्यों नहीं कहा, अब केवल प्रिंट मीडिया के ऊपर ही क्यों आप ऐसा कर रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल: हमने उस समय भी कहा था।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): जमाने का साथ बदलना चाहिए। हममे तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम जमाने को बदले दें।

कुंवर अखिलेश सिंह: आपकी जो मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, वह भी विदेशी निवेश के खिलाफ है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रिंट सेक्टर को खोलते हुए जो सावधानियां बरतनी चाहिए थे, वह भी पहले नहीं बरती गई। प्रिंट मीडिया को विदेशी निवेश के लिए खोलते हुए मैंने पांच सावधानियां बरतने का जिक्र किया है। रघुवंश बाबू कविता सुना रहे थे मेरा धर्म है स्वाधीन कलम, तो रघुवंश बाबू मैंने कलम को पराधीन नहीं होने दिया। सम्पादकीय नियंत्रण मुनासिब भारतीयों के हाथों में रखकर खोला है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैंने महाभारत की कहानी में भीष्म-पितामह वाली बात भी कही थी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: भीष्म पितामह वाली बात का तो सीधा जवाब है कि दुर्योधन कोई विदेशी नहीं था। अगर दुर्योधन का धन खाने के बाद भीष्म पितामह खराब हो गए तो स्वदेशी अखबारों में ऐसी चीजें छप रही हैं, जिनके देखकर हम सबका सिर शर्म से झुक जाता है। इसलिए दुर्योधन वाली बात जंचती नहीं

है। वह विदेशी नहीं था। दुर्योधन देशी ही था, लेकिन सोच ऐसी थी और जिसका अन्न खाकर भीष्म पितामह का खून खराब हुआ। मैं आज के ही दो अखबार, किसी और दिन के नहीं, 17 जुलाई के लेकर आई हूं, जो मैं दिखाना चाहती हूं। बिना शीर्षक बताए, इसमें ये तस्वीरें छपी हैं। ये देशी अखबार हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: जो अखबार आप दिखा रही है, उन्होंने ही इसका समर्थन किया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: जिन्होंने प्रस्ताव किया है, वह मैं दिखा देती हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे.एस. बराड़: इस अखबार ने आपके विचार उद्धृत किए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं दोनों ही अखबार लेकर आई हूं। जिसने खिलाफ किया है, उसको भी देख लीजिए, जिस कल्चरल इन्वेजन की बात आप कहते हैं। दुर्योधन का खाना खाकर, अन्न खाकर भीष्म पितामह का रक्त खराब हुआ। स्वदेशी अखबार भी रक्त को खराब करने में पीछे नहीं है।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: जिस अखबार को आप दिखा रही हैं, लोगों का चरित्र इससे भी ज्यादा गन्दा है। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: जो तर्क रखे हैं और बातें जिस शैली और जिस भाषा में रखी गई हैं, मैं उन्हीं के बारे में कह रही हूं। माननीय श्री रशीद अलवी सदन में उपस्थित नहीं है, उन्होंने बाद में कहा - ''अन्दाजे बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, यह मुमकिन है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।'' अन्दाजे बयां उनका खूबसूरत है, बहुत प्रभावित है, लेकिन तर्क जानदार नहीं है। तर्क अप्रभावित है। इसलिए जितनी बातें यहां कही गई हैं, बहुत तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि एक-एक तर्कसंगत जो बातें यहां रखी हैं, एक-एक का जवाब मैंने यथाशक्ति और अपने तर्क के साथ रख दिया है। इसलिए मैं कहती हूं कि बातें मेरे दिल में उतरतीं, बशर्ते तर्क वजनदार होते, लेकिन तर्क वजनदार नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जो बातें रखी गई हैं, उन सबका समाधानकारक उत्तर देने का मैंने प्रयत्न किया है। धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मंत्री जी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा कि प्रिंट मीडिया को क्यों खोला गया है। इसके विरोध में हम सभा भवन से बाहर जाते हैं।

सायं 7.52 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य, कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है? आप पहले रूल कोट करिए, फिर अपनी बात कहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कौल एंड शकधर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट पुस्तक का पृष्ठ संख्या 770...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप नियम 331ढ के बारे में बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हमने सवाल उठाया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप पहले रूल बतायेंगे, किस रूल पर आप बोलना चाहते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं किताब बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: किताब पर पाइंट आफ आर्डर कैसे होगा। आप रूल बता दें और बतायें कि इस रूल पर इस किताब से बोलना चाहते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हमारा विषय है।...*(व्यवधान)* सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हूं। मैं ऐसा सोचता हूं, आप नियम 331ढ में जो कहा है, उसके बारे में बोलना चाहते हैं। यदि आप कौल एंड शकधर में से बोलना चाहते हैं, तो पेज नम्बर बता दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: पृष्ठ संख्या 779 पर लिखा है- ''किसी समिति और सरकार के बीच असहमति'' मैंने अपने भाषण में कहा था, समिति की रिपोर्ट आम तौर पर मानी जाती है, सरकार उसको इम्पीलमेंट करती है। यदि सरकार डिफर करती है,

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

तो कमेटी में जो विचार होता है, अंततः उसको स्पीकर महोदय को रैफर किया जाता है। इसमें लिखा है-

[अनुवाद]

सरकार सामान्यतः संसदीय समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लेती है और उन्हें कार्यान्वित करती है। यदि किसी सिफारिश के संबंध में सरकार की राय समिति की राय से भिन्न हो, तो सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह समिति को वे कारण बताये, जिनके आधार पर उसने सिफारिश को स्वीकार नहीं किया या कार्यान्वित नहीं किया। फिर, समिति उस विषय पर विचार करती है और यदि आवश्यक समझा जाए तो उस संबंध में एक और प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

अंत में है

"जब कभी समिति और सरकार के बीच मतभेद दूर न किया जा सके, तो वह मामला मार्गदर्शन के लिए अध्यक्ष को भेज दिया जाता है।"

[हिन्दी]

हमने यह प्रार्थना की थी कि कमेटी की रिपोर्ट की अवहेलना हुई है और कमेटी की रिपोर्ट जब सरकार नहीं मानेगी, तो कमेटी में वे बातें जायेंगी। यदि कमेटी संतुष्ट नहीं होगी तो अंततः अध्यक्ष महोदय के यहां यह मामला रेफर होगा। हमने कौल एंड शकधर की किताब का जिक्र किया। उसी संदर्भ में हमने कहा कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी उस पर इन्होंने कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट कमेटी को नहीं दी। उसकी धज्जियां उड़ा कर कमेटी की अनुशंसा के खिलाफ इस सरकार ने निर्णय लिया। सरकार, कमेटी और सदन, सभी की इन्होंने अवेहलना की है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: महोदया, क्या आप उत्तर देना चाहेंगी?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इन्होंने खुद की कौल एंड शकधर पढ़ कर सुना दिया।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्वाइंट आफ आर्डर पर नहीं बोलना चाहते हैं तो बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पहले मुझे इनके व्यवस्था के प्रश्न को निपटाने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जे.एस. बराड़: अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष महोदय: क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री जे.एस. बराड़: नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: तब माफ कीजिए। आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी।

यदि समिति और मंत्रीमंडल के बीच असहमति होती है तो यदि पूरा प्रतिवेदन देखा गया हो तो इसे समिति के पास भेजा जाता है। इस मामले को अध्यक्ष के पास भेजा ही नहीं गया क्योंकि कोई खास असहमति नहीं थी। स्थायी समिति की अधिकांश बिन्दुओं को मंत्रीमंडल ने स्वीकार कर लिया था। इसलिए समिति के पास और अंत में अध्यक्ष के पास भेजने का प्रश्न ही कभी नहीं उठा। अतः डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न में कोई दम नहीं है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं।

सायं 7.58 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की बहुत तारीफ करता हूं।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 40 प्रतिशत लोग प्रिंट मीडिया से पढ़ते हैं।...*(व्यवधान)* आपने कहा कि 40 प्रतिशत लोग प्रभावित होते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने यह नहीं कहा, मैंने कहा कि एक स्टडी यह हुई थी कि एक चीज देखी जाए, सुनी जाए और पढ़ी जाए तो उसका कितना-कितना असर होता है। उस अध्ययन में यह आया कि देखी हुई चीज का असर सौ में से 80 लोगों पर होता है और सुनी हुई चीज का 60 लोगों पर तथा पढ़ी हुई

चीज का असर 40 लोगों पर होता है।...*(व्यवधान)* मैंने सिर्फ प्रिंट मीडिया की बात नहीं की थी।

श्री मोहन रावले: आपने 40 प्रतिशत का मान लिया, अगर बाहर के लोग यहां आएंगे तो वे स्लो पायजन से राष्ट्र के खिलाफ कुछ लिखते जाएंगे।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: हमने उन्हें लिखने का अधिकार दिया ही नहीं है। मैंने कहा कि एडिटोरियल पालिसी को रेजीडेंट इंडियंस बनाएंगे। मैं इसलिए बार-बार यह कह रही हूं कि यह जो एक धारणा बन गई है कि उसे बेच दिया जाएगा और वे लिखेंगे, यह सही नहीं है। एडिटोरियल बोर्ड तय करता है, जिसमें हमने कहा कि एडिटोरियल कंट्रोल भारतीयों के हाथ में रहेगा, हम यह विदेशियों को नहीं दे रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 18 जुलाई, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 18 जुलाई, 2002/27 आषाढ़, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.26.3/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।